ृ माला, खंड 14, अंक 8

गुरुवार, 1 मार्च, 2001
10 फाल्गुन, 1922 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

छठा सत्र

(तेरहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

PARLIAMENT LIBRARY
No. 51
Date 18/12/01

(खण्ड 14 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा० (श्रीमती) परमजीत कौर सन्धु
संयुक्त सचिव

पी०सी० चौधरी
प्रधान मुख्य सम्पादक

शारदा प्रसाद
मुख्य सम्पादक

डॉ० राम नरेश सिंह
वरिष्ठ सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सम्पादक

अरुणा वशिष्ठ
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा।)

लोक सभा वाद-विवाद (हिन्दी संस्करण)
गुरूवार, 1 मार्च,2001/10 फाल्गुन,1922 (शक)
का
शुद्धि-पत्र

कॉलम	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
115	22	(ग) और (ख)	(ग) और (घ)
233	नीचे से 4	श्री भुर्त्रहरि महताब	श्री भर्त्रुहरि महताब
280	23 और 27	स्यालसीमा	रायलसीमा
324	15	रफुभाई	रुक्कुमाई
447	14	मत विभाजन संस्था 1	मत विभाजन संख्या 1
448	29	ड्डो,श्री रामेश्वर	डूडी,श्री रामेश्वर
458	12	रेड्डी,श्री पाडा सुरेश	रेड्डी,श्री चाडा सुरेश

विषय-सूची

[त्रयोदश माला, खंड 14, छठा सत्र, 2001/1922 (शक)]

अंक 8, गुरुवार, 1 मार्च, 2001/10 फाल्गुन, 1922 (शक)

विषय	कॉलम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 101 से 103	3-30
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 104 से 120 . .	30-68
अतारांकित प्रश्न संख्या 1015 से 1218 . .	68-301
सभा पटल पर रखे गए पत्र	301
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति	
बारहवां प्रतिवेदन . . .	304
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति	
कार्यवाही सारांश .	304
याचिका समिति	
छठा प्रतिवेदन	304
कराधान विधि (संशोधन) विधेयक .	318
कराधान विधि (संशोधन) अध्यादेश के बारे में विवरण .	318
नियम 377 के अधीन मामले	
(एक) राजस्थान में सवाई माधोपुर में राष्ट्रीय बाघ परियोजना से प्रभावित गांवों के विकास हेतु निर्धारित धनराशि का समुचित उपयोग किए जाने की आवश्यकता	
श्रीमती जसकौर मीणा .	318
(दो) मध्य प्रदेश में जबलपुर में रानी अवंतीबाई सागर परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिए धनराशि जारी किए जाने की आवश्यकता	
श्री राम नरेश त्रिपाठी .	319
(तीन) बिहार में बोकारो स्थित ताप विद्युत स्टेशन संयंत्र "ए" को पुन: चालू किए जाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने की आवश्यकता	
श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय .	319
(चार) बिहार के मोतीहारी में केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता	
श्री राधा मोहन सिंह	320
(पांच) कर्नाटक राज्य के लिए मक्का सहित मोटे अनाजों का निर्यात कोटा बढ़ाए जाने की आवश्यकता	
श्री जी०एस० बसवराज	320

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कॉलम
(छह) बंगलौर के लिए सर्कुलर रिंग रेलवे परियोजना मंजूर किए जाने की आवश्यकता	
श्री जी० पुट्टास्वामी गौड़ा	321
(सात) राष्ट्रीय लोक साहित्य अकादमी स्थापित किए जाने की आवश्यकता	
श्री ए०पी० अब्दुल्लाकुट्टी	321
(आठ) महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र में लोगों को और अधिक रेल सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता	
श्री चन्द्रकांत खैरे	322
(नौ) उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में स्थित फरिहा रेलवे स्टेशन पर और अधिक रेल सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता	
डा० बलिराम	322
(दस) तमिलनाडु के सेलम हवाई अड्डे से निर्धारित उड़ाने पुन: शुरू किए जाने की आवश्यकता	
श्री टी०एम० सेल्वागनपति	323
(ग्यारह) उत्तर बिहार का सर्वांगीण विकास किए जाने की आवश्यकता	
श्री नवल किशोर राय	323
(बारह) हरियाणा के डबवाली और सिरसा में रेल लाइन पर उपरिपुलों के निर्माण की आवश्यकता	
डा० सुशील कुमार इन्दौरा	323
(तेरह) महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में विठ्ठल-रुकुमाई मंदिर के विकास के लिए कार्य योजना बनाने और धनराशि आवंटित किए जाने की आवश्यकता	
श्री रामदास आठवले	324
(चौदह) नागालैंड में दीमापुर में एक क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय खोले जाने की आवश्यकता	
श्री के०ए० सांगतम	324
भारत एल्यूमीनियम कम्पनी लिमिटेड के प्रस्तावित विनिवेश का निरनुमोदन किए जाने के बारे में प्रस्ताव	
श्री रूपचन्द पाल	325
श्री अरूण जेटली	339
श्री प्रियरंजन दासमुंशी	355
श्री एम०वी०वी०एस० मूर्ति	371
कुंवर अखिलेश सिंह	377
श्री अनंत गंगाराम गीते	379
डा० चरणदास महंत	382
श्री राजीव प्रताव रूडी	386

विषय	कॉलम
कुमारी मायावती	393
श्री टी०एम० सेल्वागनपति	395
डा० रघुवंश प्रसाद सिंह	400
श्री प्रभुनाथ सिंह	404
श्री सुदीप बंद्योपाध्याय	409
श्री सोमनाथ चटर्जी	411
श्री श्यामाचरण शुक्ल	418
श्री रामजीवन सिंह	420
श्री अरूण शौरी	421

लोक सभा

गुरूवार, 1 मार्च, 2001/10 फाल्गुन, 1922 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए]*

[अनुवाद]

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 101

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : महोदय बिहार में मजदूर बेकार हो रहे हैं। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : जीरो आवर में उठाइए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप इसे शून्य काल में उठा सकते हैं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : रोज यह ठीक नहीं है। आप बैठ जाइए। जीरो आवर में मौका मिलेगा। आप अपनी बात कह सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल) : गम्भीर मामला है। 40 लाख मजदूर और लाखों इन्डस्ट्रीज के लोग बेकार हो रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : जीरो आवर में लेंगे।

श्री मुलायम सिंह यादव : महोदय सरकार ने मामले को गम्भीरता से नहीं लिया है। तालाबन्दी चल रही है। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं सभी माननीय सदस्यों को इस मुद्दे को शून्य काल में उठाने की अनुमति दूंगा।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : आप इस मुद्दे को शून्य काल में उठाने की हमें अनुमति दें। *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : रोज ऐसे ठीक नहीं है। आपको जीरो आवर में मौका मिलेगा। आप रोज हाउस को डिस्टर्ब कर रहे हैं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री के उत्तर के अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : हम आपको जीरो आवर में बुलायेंगे। बसुदेव आचार्य जी क्या हो गया है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इन सब चीजों के लिए मुझे प्रक्रिया में परिवर्तन करना पड़ेगा। यह क्या तरीका है ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अविलम्बनीय लोक महत्व के मुद्दे को उठाने के लिए शून्य काल है। आप प्रतिदिन प्रश्न काल में बाधा डालना चाहते हैं। यह हद हो गयी।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाए।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्यों से अपनी-अपनी सीट पर बैठ जाने की फिर अपील कर रहा हूं। आप इस मुद्दे को शून्य काल में उठा सकते है, अभी नहीं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : क्वैश्चन आवर गम्भीर मामला नहीं है ? आप क्या कर रहे है ? हाउस में रोज क्या चल रहा है ? हाउस में क्या कोई प्रोसीजिर नहीं है ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब कृपया अनुपूरक प्रश्न पूछिए। कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाए।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री रामजी लाल सुमन, यह क्या तरीका है ? क्या प्रश्न काल में बाधा डालना उचित है ?

(व्यवधान)

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : आपने सभा के पांच मिनट पहले ही बर्बाद कर दिए हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : जीरो आवर में पूछेंगे। आप भी पूछेंगे। हम भी पूछेंगे। सरकार को कहेंगे लेकिन क्वैश्चन आवर में कैसे हो सकता है।

पूर्वाह्न 11.03 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

खन्ना समिति की सिफारिशों का कार्यान्वयन

+

'101. श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल :
श्री टी०एम० सेल्वागनपति :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बढ़ती हुई दुर्घटनाओं को ध्यान में रखते हुए एच०आर० खन्ना समिति की सुरक्षोपाय संबंधी सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितनी सिफारिशें कार्यान्वित की गई हैं;

(ग) उन सिफारिशों का ब्यौरा क्या है जिन्हें अभी कार्यान्वित किया जाना है;

(घ) बाकी सिफारिशों को कब तक कार्यान्वित किए जाने की सम्भावना है; और

(ङ) सरकार ने सुरक्षा के उपायों को मजबूत बनाने के लिए अन्य क्या कदम उठाए हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

खन्ना समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन के संबंध में

(क) से (घ) जी, हां। रिपोर्ट के भाग-I में समिति ने रेलवे कार्य प्रणाली के विभिन्न पहलुओं पर 150 सिफारिशें की हैं। इनमें से 103 सिफारिशें ''स्वीकृत'', 28 सिफारिशें ''आंशिक रूप से स्वीकृत'' और शेष 19 सिफारिशें ''अस्वीकृत'' की गई थीं।

स्वीकृत/आंशिक रूप से स्वीकृत 131 सिफारिशों में से 21 सिफारिशों को पहले ही कार्यान्वित कर दिया गया है और शेष कार्यान्वयन के विभिन्न स्तरों पर प्रक्रियाधीन हैं। इनमें से बहुत-सी सिफारिशों का कार्यान्वयन संसाधनों की उपलब्धता या कुछ मामलों में परीक्षणों की सफलता पर निर्भर करता है।

रेल संरक्षा समीक्षा समिति ने यह भी सिफारिश की है कि केंद्र सरकार द्वारा रेलों को 15,000 करोड़ रुपए का एकबारगी अनुदान मुहैया कराया जाना चाहिए ताकि महत्वपूर्ण संरक्षा उपस्करों के नवीकरण के बकाया कार्य को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा किया जा सके। हालांकि, भारतीय रेलों को रेल संरक्षा समीक्षा समिति की सिफारिशों के आधार पर कोई विशिष्ट अनुदान प्राप्त नहीं हुआ है। फिर भी, बजट में संरक्षा संबंधी मदों के परिव्यय को उपयुक्त रूप से बढ़ाने के प्रयास किए गए हैं। उपरोक्त तंगियों के बावजूद, रेलें मौजूदा संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार इन सिफारिशों को उत्तरोत्तर कार्यान्वित कर रही हैं। उपरोक्त के दृष्टिगत, इन सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए कोई निर्धारित समय सीमा तय कर पाना संभव नहीं है।

रिपोर्ट का भाग-II रेल संरक्षा समीक्षा समिति द्वारा हाल ही में प्रस्तुत किया गया है और इस समय इसकी जांच की जा रही है।

(ङ) भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा किए गए महत्वपूर्ण उपायों की सूची नीचे दी गई है :

(i) ''ए'', ''बी'', ''सी'', ''डी'' और ''डी विशेष'' जहां गति 75 कि०मी० प्र०घं० से अधिक है, समूचे मार्गों पर उल्लंघन चिह्नों से उल्लंघन चिह्नों तक रेलपथ परिपथन पूरा हो गया है।

(ii) दुर्घटना होने में मानवीय चूक के मौके न्यूनतम करने के लिए सिगनल परिपथन में आशोधन किया जा रहा है।

(iii) मुंबई उपनगरीय खंडों पर चलती गाड़ी के ड्राइवरों को खतरे के सिगनल के बारे में अग्रिम चेतावनी देने के लिए सहायक चेतावनी प्रणाली शुरू की गई है।

(iv) 150 ब्लॉक खंडों में धुरा काउंटरों द्वारा अंतिम वाहन जांच आरंभ की गई है तथा इसे उत्तरोत्तर बढ़ाया जा रहा है।

(v) बेहतर और तीव्र संचार के लिए सभी गाड़ियों के ड्राइवरों और गार्डों को वॉकी-टॉकी सेट्स सप्लाई किए गए हैं।

(vi) ड्राइवर तथा गार्डों को लाइट एमिटिंग डायोड्स (एल० इ०डी०) आधारित इलेक्ट्रानिक्स फ्लैशिंग लैंप मुहैया कराए गए हैं, जिनकी दृश्यता परंपरागत मिट्टी के तेल वाले हाथ के सिगनल लैंप की तुलना में बेहतर होती है।

(vii) रेलपथ अनुरक्षण के लिए टाई-टैंपिंग और गिट्टी सफाई मशीनों के उपयोग में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। इसके लिए रेलपथ नवीकरण गाड़ियों का भी उपयोग किया जाता है।

(viii) रेलपथ ज्यामिति और रेलपथ की चालन विशेषताओं पर निगरानी रखने के लिए परिष्कृत रेलपथ अभिलेखी कारों, दोलनलेखी कारों और सुवाह्य त्वरणमापियों का उत्तरोत्तर उपयोग किया जा रहा है।

(ix) कई डिपुओं में सवारी डिब्बों और माल डिब्बों के लिए अनुरक्षण सुविधाओं का आधुनिकीकरण किया गया है और उन्हें अपग्रेड किया गया है।

(x) धुरों में खामी का पता लगाने के लिए, नेमी ओवरहॉलिंग डिपुओं को पराश्रव्य परीक्षण उपस्करों से सुसज्जित किया गया है। ताकि धुरों के कोल्ड ब्रेकेज के मामलों को रोका जा सके।

(xi) बिना चौकीदार वाले समपारों पर सीटी बोर्डों/गति अवरोधकों और सड़क चिह्नों की व्यवस्था की गई है और ड्राइवरों के लिए दृश्यता में सुधार किया गया है।

(xii) सड़क उपयोगकर्ताओं को यह सिखाने के लिए कि समपारों को सुरक्षित ढंग से कैसे पार किया जाए, दृश्य-श्रव्य प्रचार अभियान चलाए जाते हैं।

(xiii) यातायात के भारी घनत्व वाले समपारों पर योजनाबद्ध ढंग से सिगनलों के साथ इंटरलॉकिंग की जा रही है।

(xiv) क्षेत्रीय मुख्यालयों के अंतर्विभागीय दलों द्वारा विभिन्न मंडलों की आवधिक संरक्षा लेखा परीक्षा जांच शुरू की गई है।

(xv) ड्राइवरों, गार्डों और गाड़ी परिचालन से संबद्ध कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण सुविधाएं आधुनिक बनाई गई हैं जिनमें ड्राइवरों के प्रशिक्षण के लिए सिमुलेटरों का उपयोग भी किया जाता है।

(xvi) रेल कर्मचारियों और सड़क उपयोगकर्ताओं में संरक्षा के प्रति जागरूकता का भाव पैदा करने के लिए आवधिक संरक्षा अभियान चलाए जाते हैं।

(xvii) पूर्वोत्तर-सीमा रेलवे के लिए एक टक्करोधी उपकरण (ए०सी०डी०) की पायलट परियोजना की मंजूरी दी गई है। टक्करोधी उपकरण के प्रोटोटाइप का परीक्षण आरंभ हो चुका है। इस पायलट परियोजना के सफल होने पर भारतीय रेलवे के अन्य मार्गों पर भी इसको लागू करने का निर्णय लिया जाएगा।

(xviii) गंभीर दुर्घटनों के लिए दोषी पाए जाने वाले रेलकर्मियों को भारी दंड, यहां तक कि उन्हें सेवा से बर्खास्त किए जाने/हटाए जाने का दंड दिया जाता है।

[हिन्दी]

श्री आनन्द राव विठोबा अडसुल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं, जब से एन०डी०ए० की सरकार बनी है और ममता जी रेल मंत्री बनी है, उनके रेल मंत्री बनते ही *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री रामदास आठवले, आप अपनी सीमाओं को पार कर रहे हैं। कृपया अपनी सीट पर बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री आनन्द राव विठोबा अडसुल, कृपया अपना अनुपूरक प्रश्न पूछिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : डा० रघुवंश प्रसाद सिंह, आप हमेशा सभा में बाधा डालते हैं। यह सभा में आचरण का सही तरीका नहीं है। कृपया सभा में उचित आचरण अपनाएं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री बसुदेव आचार्य, मैं खड़ा हूं। कृपया अपनी सीट पर बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप अध्यक्षपीठ का भी सम्मान नहीं कर रहे हैं। यह क्या तरीका है ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह एक महत्वपूर्ण विषय है। अत: आप इसे शून्य काल में उठा सकते हैं ताकि मैं सरकार से उत्तर देने के लिए कह सकूं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, आप हस्तक्षेप कीजिए, हम मान जाएंगे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री मुलायम सिंह यादव, यह प्रश्न काल है। मैं सरकार से उत्तर देने के लिए कैसे कह सकता हूं ? कृपया इसे शून्य काल में उठाएं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, हम शांत होने के लिए तैयार हैं। आपने कई बार इंटरवीन किया, सारे नेताओं ने किया और हमने भी किया लेकिन अभी तक कुछ नहीं किया। *(व्यवधान)* अगर एक दिन भी सरकार आपके चेम्बर में बुला लेती तो कोई रास्ता निकल आता। *(व्यवधान)* इसलिए अध्यक्ष महोदय, आप सरकार एवं विपक्ष के लोगों को अपने चेम्बर में बुलाइए ताकि इस समस्या का समाधान निकल सके। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मुलायम सिंह जी, यह प्रश्न-काल है।

श्री मुलायम सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, हमारा प्रश्न-काल रोकने का कोई इरादा नहीं है। *(व्यवधान)* महोदय, क्या ये इस तरह गलतियां करते रहेंगे ? अध्यक्ष महोदय, आप चेम्बर में बुला लीजिए

और कोई रास्ता निकाल लीजिए। हम प्रश्न-काल रोकने का कोई इरादा नहीं रखते, लेकिन हमारी मजबूरी है। *(व्यवधान)* सरकार सुन रही है। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : अध्यक्ष महोदय, यह एक गम्भीर समस्या है। लगभग 40 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। वे प्रतिदिन हमारे पास आ रहे हैं और हमसे मिल रहे हैं। हम नहीं जानते कि उनको क्या बताएं। इसलिए, मैं समझता हूं, यह बहुत अच्छा सुझाव है जिसपर आप विचार कर सकते हैं। यदि आप इस मामले में हस्तक्षेप करें तो बहेतर होगा।

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस सुझाव को मानता हूं। आप सम्बंधित मंत्रियों और नेताओं को बुला सकते हैं और इस मामले पर चर्चा कर सकते हैं। *(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, मैं नहीं जानता, मेरे मित्र श्री मदन लाल खुराना कहां गए हैं। वह इस मुद्दे को लेकर बहुत चिंतित थे।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : खुराना जी, रोज हमें मिलते हैं और कहते हैं कि आप इस सवाल को उठाइए, आज सदन में वह इस मौके पर उपस्थित भी नहीं है। *(व्यवधान)*

श्री प्रमोद महाजन : मुलायम सिंह जी, हम आपकी सूचना स्वीकार करते हैं और आज जब भी अध्यक्ष महोदय समय देंगे तो हम इनके साथ बैठ कर बात करेंगे और आपको भी बुलाएंगे। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : बनातवाला जी, आपको भी मौका मिलेगा, कृपया अभी आप बैठ जाइए।

श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल : अध्यक्ष महोदय, मैं रेल राज्य मंत्री जी के ध्यान में यह बात लाना चाहूंगा कि जब एन०डी०ए० की सरकार बनी तो रेल मंत्री ममता दीदी बनीं। उन्होंने सबसे पहले यह ऐलना किया कि मेरे मंत्रालय में सेफ्टी और सिक्योरिटी को प्राथमिकता दी जाएगी। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री बसुदेव आचार्य, आप पहले ही दस मिनट ले चुके हैं और आप एक अनुपूरक प्रश्न भी पूछना चाहते हैं।

[हिन्दी]

श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल : अध्यक्ष महोदय, आज जो स्टेटमेंट पटल पर रखा है, उसमें आधा सवाल है। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अगर कोई भी प्रश्न-काल में गड़बड़ करता है तो हम उसे सप्लीमेंटरी नहीं पूछने देंगे।

(व्यवधान)

श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल : अध्यक्ष महोदय, जो रेल एक्सीडेंट होते हैं उनमें 90 प्रतिशत मेनुअल नेग्लीजेंसी की वजह से होते हैं। उसका कारण खन्ना कमेटी ने यह दिया है कि हमारे देश में जो रेल रिक्रूटमेंट बोर्ड है, उसके चेयरमैन की एपाइंटमेंट पोलिटिकल इनफ्लुएंस से होती है, शैक्षणिक योग्यता को देख कर रिक्रूटमेंट नहीं होती है।

90 परसैंट रेलवे एक्सीडैंट्स मैन्युली नैगलिजैंस, टैक्निकली नॉलेज न होने की वजह से होते हैं। उन्हें ठीक से ट्रेनिंग भी नहीं दी जाती है। इस कारण खन्ना कमेटी ने एक सुझाव यह दिया कि जिस की आउट स्टैंडिंग सर्विस है, ऐसे अधिकारी रेलवे रिक्रूटमैंट बोर्ड में नियुक्त होने चाहिए। इससे रेलवे को अच्छा स्टाफ मिलेगा। ममता दीदी ने रेल बजट के समय जो भाषण दिया, उसमें एक बात मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगी। सेफ्टी के बारे में उन्होंने कहा कि मेरा भाषण सिल्वर है लेकिन मेरी खामोशी गोल्डन है। अधिकारी पॉलिटिकल प्रेशर से नियुक्त नहीं होने चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : आपका सप्लीमैंट्री क्या है?

श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल : खन्ना कमेटी ने सेफ्टी के बारे में जो सुझाव दिए उनका इम्पलीमैंटेशन सही तरीके से नहीं हो रहा है। इसके बारे में स्टेटमैंट में कुछ भी नहीं लिखा है।

श्री दिग्विजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, हम लोगों को खन्ना कमेटी का पार्ट वन मिल चुका है। पार्ट-वन में से 103 रिकमंडेशन्स को स्वीकार कर लिया गया है। 28 पार्शली ऐक्सैप्ट हो चुकी हैं और 19 ऐक्सेप्ट नहीं की हैं। जहां तक रेलवे रिक्रूटमैंट बोर्ड में पॉलिटिकल लोगों को रखने का सवाल है, हम सब लोगों ने पॉलिटिकल नियुक्तियां करनी बंद कर दी हैं। आज रेलवे में सक्षम पदाधिकारी हैं और वही रेलवे रिक्रूटमैंट बोर्ड में अध्यक्ष का पद सम्भाले हुए हैं। वह बहुत अच्छे तरीके से इन कामों को कर रहे हैं।

श्री सुशील कुमार इन्दौरा : पहले वाले को क्यों हटा दिया गया था ?

श्री दिग्विजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, उन्हें इसलिए हटा दिया गया कि जो बात खन्ना कमेटी ने कही, उसमें इस बात का जिक्र था कि जो लोग राजनीतिक तौर पर नियुक्त हुए, उन्होंने कई ऐसे काम किए जिससे रेलवे की छवि को नुकसान पहुंच रहा था। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, आपको अन्य माननीय सदस्यों को उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है।

[हिन्दी]

श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल : अध्यक्ष महोदय, रेलवे क्रॉसिंग पर ग्राउंड या फ्लाई ओवर ब्रिज बनाए जा सकते हैं। आप सेफ्टी और सिक्योरिटी को प्राथमिकता देने की बात करते हैं। मैं इस बात को जानता और मानता हूं कि हमारे पास राशि कम है लेकिन इन कामों को आप प्राथमिकता दें। ओवर ब्रिज या अंडर ग्राउंड ब्रिज

बनाने में रेल मंत्रालय को क्या दिक्कत है? मेरा सुझाव है कि यदि ऐसे ब्रिज बनाएंगे तो उनके ऊपर आप टोल टैक्स चार्ज कर सकते हैं। ऐसे में हम लोगों को अच्छी सर्विस उपलब्ध करा सकेंगे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : क्या यह मामला खन्ना समिति की सिफारिशों से संबंधित है ?

[हिन्दी]

श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल : मैं इसलिए मैं यह प्रश्न पूछ रहा हूं कि जब सेफ्टी और सिक्योरिटी की बात होती है तो यह बात महत्वपूर्ण हो जाती है।

श्री दिग्विजय सिंह : माननीय सदस्य की बात बिल्कुल सही है। हमारा सेफ्टी पर पूरा ध्यान है। सेफ्टी पर ध्यान देने के कारण और कई दूसरे कारणों से 26 फीसदी पैसा सेफ्टी के लिए लगाया गया है। जहां तक ओवर ब्रिज और अंडर ग्राउंड ब्रिज का सवाल है, ये रोड ओवर ब्रिज हम राज्य सरकार के अनुरोध पर बनाते हैं। इसका एक नियम है। आधा पैसा भारतीय रेल और आधा पैसा राज्य सरकार देती है। जिन-जिन राज्य सरकारों ने हम से अनुरोध किया, हमने उन सारी जगहों पर पिछले वर्ष रोड़ ओवर ब्रिज बनाने का काम किया है। आगे जिन राज्य सरकारों के सुझाव इन कामों के लिए आएंगे, मैं सदन को विश्वास दिलाता हूं कि हम उसमें कोई कमी नहीं रखेंगे।

श्री मुलायम सिंह यादव : इटावा में रेलवे का पुल बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार धन नहीं दे रही है। ऐसे में हम क्या करें ? वहां पुल सात साल से बन नहीं पा रहा है। इसके लिए दो करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश सरकार नहीं दे रही है। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री टी०एम० सेल्वागनपति : अध्यक्ष महोदय, आज भारतीय रेलवे में सुरक्षा उपायों को मजबूत बनाना एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। महोदय, रेल सुरक्षा समीक्षा संबंधी समिति ने रेल सुरक्षा और रेल सुरक्षा उपकरणों के नवीनीकरण में विलम्ब की ओर इशारा किया है। इस समिति ने सिफारिश की है कि भारत सरकार द्वारा रेलवे को इन कार्यों को निपटाने हेतु अनुदान के रूप में पहली बार 15,000 करोड़ रुपये दिए जाएं जिससे कि इन कार्यों को एक समयबद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत निपटाया जा सके।

अब भारत सरकार इस मामले को अनदेखा कर रही हैं। इस बजट में भी इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि इन संसाधनों को कैसे जुटाया जाएगा। जब तक यह नहीं किया जाता तब तक सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत नहीं बनाया जा सकता।

मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि जब तक यह नहीं किया जाता ये सारे प्रतिवेदन केवल कागजों पर रहेंगे और क्रियान्वित नहीं हो पाऐंगे तथा जब तक भारत सरकार अनुदान नहीं देती, वे इसे नहीं कर सकते इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि मंत्रालय इस संबंध में क्या करने जा रहा है। मैं यह भी जानना चाहूंगा कि इस समस्या को हल करने के और कौन-कौन से तरीके हैं।

अध्यक्ष महोदय : अच्छे प्रश्न हैं।

श्री दिग्विजय सिंह : महोदय, मैं माननीय संसद सदस्य की बात से सहमत हूं। उन्होंने सही कहा कि खन्ना समिति ने भारत सरकार से 15,000 करोड़ रुपये अनुदान देने की सिफारिश की है। इस प्रकार का अनुदान उन देशों में भी दिया जाता है जहां रेलवे निजी क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। तथापि हमारे देश में तो रेलवे एक सरकारी संगठन है। मैं ब्रिटिश रेलवे का एक उदाहरण देना चाहूंगा। दो वर्ष पूर्व ब्रिटेन में एक रेल दुर्घटना घटी थी और ब्रिटेन की सरकार ने उस निजी कम्पनी को 400 बिलियन पाउंड, जो कि लगभग 30,000 करोड़ रुपये होता है, सुरक्षा हेतु दिए थे। हम यह अपेक्षा करते हैं कि यह सरकार भी इस संबंध में कुछ करे *(व्यवधान)*

श्री टी०एम० सेल्वागनपति : यह किसकी सरकार है ? *(व्यवधान)*

श्री पी०एच० पांडियन : महोदय, वह सरकार का एक अंग है *(व्यवधान)*

श्री दिग्विजय सिंह : मैं उसी पर आ रहा हूं *(व्यवधान)* मैं केवल अपनी सरकार का बचाव कर रहा हूं *(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, यह उनकी सामूहिक जिम्मेदारी है *(व्यवधान)*

श्री दिग्विजय सिंह : मैं सामूहिक जिम्मेदारी के बारे में जानता हूं *(व्यवधान)*

श्री पी०एच० पांडियन : 'रेलवे' के लिए कोई अनुदान नहीं है; सर्वदलीय बैठक में माननीया मंत्री जी ने यह आरोप लगाया है। माननीया मंत्री जी ने यह भी कहा कि रेलवे को कोई धनराशि नहीं दी जाती है। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री पांडियन, यह प्रश्न-काल है। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री दिग्विजय सिंह : महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी ने कल ही अपने बजट भाषण में कहा है कि सड़क और रेलवे के लिए आगामी दस वर्षों तक करों में छूट रहेगी। हम अपेक्षा कर रहे हैं कि रेलवे के आधारभूत ढांचे के लिए भी काफी पैसा दिया जाएगा।

जहां तक हमारा संबंध है, हमारे पास पहले ही हमारे कुल बजटीय परिव्यय का 26 प्रतिशत सुरक्षा उपायों के लिए है। हमने गत वर्ष भी यह किया था और हमने इस वर्ष भी यह किया है।

[हिन्दी]

श्री कांतिलाल भूरिया : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभार मानता हूं कि आपने मुझे प्रश्न पूछने का मौका दिया। जैसा मंत्री महोदय ने कहा कि राज्य सरकार और केन्द्र सरकार के सहयोग से रेल ओवर

ब्रिज बनाये जाते हैं जिसके तहत कई राज्य सरकारों और केन्द्र सरकार के सहयोग से रेल ओवर ब्रिज बनाये गये हैं। मेरे लोकसभा क्षेत्र में रतलाम में पिछले समय पूर्व रेल राज्य मंत्री श्री बंगारू लक्ष्मण ने जाकर एक शिलान्यास किया था जिस पर आज तक कोई कार्य शुरू नहीं किया गया है। इस प्रकार कई जगहों पर शिलान्यास किये गये लेकिन काम शुरू नहीं हुआ है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या कारण है कि पत्थर लगा दिया गया और कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है।

अध्यक्ष महोदय : आप रेल बजट के डिस्कशन के समय सेफ्टी मैजर्स पर कहियेगा।

श्री कांतिलाल भूरिया : अध्यक्ष महोदय, सेफ्टी पांइट से यह पूछ रहा हूं क्योंकि रेल ओवरब्रिज न होने से कई एक्सीडेंट हुये हैं और कई लोग मरे हैं। ऐसी स्थिति में जानना चाहता हूं कि जहां शिलान्यास हुये हैं, क्या सरकार वहां काम जल्दी शुरू करेगी ?

श्री दिग्विजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत इम्पार्टेंट सवाल है जिसके बारे में मैं माननीय सदन को यह जानकारी देना चाहता हूं कि जब भी हम किसी रेल ओवरब्रिज के लिये शिलान्यास करते हैं तो पूरी तैयारी के साथ करते हैं लेकिन रेल ओवरब्रिज का नक्शा राज्य सरकार के साथ बनाया जाता है। इसलिये जब राज्य सरकार अप्रूव्ड नक्शा देती है, तभी हमारा काम रेल लाइन पर ब्रिज बनाने का शुरू होता है। फिर वही अप्रोज रोड राज्य सरकार के नक्शे के मुताबिक बनता है। मैं इस मामले को जानता नहीं हूं लेकिन मैं यकीनन कह सकता हूं कि राज्य सरकार की तरफ से वह नक्शा अभी तक नहीं आया होगा, इसी के चलते यह नहीं हुआ होगा। *(व्यवधान)*

श्री कांतिलाल भूरिया : लेकिन वह स्टेट हाइवे रोड के ऊपर है।

श्री दिग्विजय सिंह : स्टेट हाइवे रोड है तो भी नक्शा राज्य सरकार देगी *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : चूंकि हम रेलवे की अनुदान मांगों पर चर्चा करने जा रहे हैं। इसलिए मैं किसी और अनुपूरक प्रश्न की अनुमति नहीं दूंगा।

अब प्रश्न संख्या 102।

(व्यवधान)

श्री एम०वी०वी०एस० मूर्ति : महोदय, कल विशाखापत्तनम में कोनार्क एक्सप्रैस और तिरुमाला एक्सप्रैस को लूटा गया *(व्यवधान)*

श्री दिग्विजय सिंह : हमें सूचना मिली है *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, आपको इन सब बातों का उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है।

अब प्रश्न संख्या 102 डा० (श्रीमती) सुधा यादव।

विद्युत परिदृश्य

102. डा० (श्रीमती) सुधा यादव : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में विद्युत संबंधी परिदृश्य गंभीर है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विद्युत उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किन-किन अल्पकालिक और दीर्घकालिक उपायों पर विचार किया जा रहा है; और

(घ) बिजली की चोरी रोकने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

[हिन्दी]

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) अप्रैल, 2000 से जनवरी, 2001 की अवधि के दौरान देश में गत वर्ष की समान अवधि में 4.4% की वृद्धि दर्ज की गई। तथापि, इसी अवधि के दौरान ऊर्जा की आवश्यकता में 6.4% की वृद्धि हुई। अत: अप्रैल, 2000 से जनवरी, 2001 के दौरान देश में ऊर्जा की कमी गत वर्ष की समान अवधि के दौरान 5.9% की तुलना में बढ़कर 7.6% दर्ज की गई। गत वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान (अप्रैल, 2000 - जनवरी, 2001) राज्य-वार और क्षेत्र-वार विद्युत आपूर्ति की स्थिति अनुबंध में दी गई है।

(ग) नौवीं योजना के 1997-98 से 2000-01 (जनवरी, 2001 तक) के वर्षों के दौरान संचयी विद्युत उत्पादन संचयी उत्पादन लक्ष्यों से थोड़ा ज्यादा रहा है। 1997-98, 1998-99 और 1999-2000 के दौरान उत्पादन में वृद्धि क्रमश: 6.6%, 6.6% और 7.1% थी चालू वर्ष के दौरान (अप्रैल, 2000-जनवरी, 2001) वास्तविक उत्पादन गत वर्ष की समान अवधि से 4.4% अधिक है। विद्युत के उत्पादन में सुधार एवं उपलब्धता के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं :–

(1) विद्यमान पुरानी तथा अक्षम उत्पादन यूनिटों का नवीकरण एवं आधुनिकीकरण तथा कार्य-काल विस्तार। आर० एंड एम० स्कीमों को आरंभ करने के लिए त्वरित विद्युत विकास कार्यक्रम के अंतर्गत विशेष निधि राज्यों को प्रदान की जा रही हैं।

(2) विद्युत क्षेत्र में सुधार तथा पुनर्गठन प्रक्रिया का त्वरित क्रियान्वयन।

(3) नई चालू की गयी यूनिटों को शीघ्र ही स्थिर बनाना तथा ताप विद्युत यूनिटों के संयंत्र भार घटक में सम्पूर्ण रूप से वृद्धि करना।

(4) पारेषण एवं वितरण हानियों में कमी करना।

(5) ऊर्जा दक्षता तथा संवर्धन उपायों को प्रोत्साहित करना।

(6) त्वरित उत्पादन कार्यक्रम के अंतर्गत ताप विद्युत केन्द्रों के प्रचालन एवं अनुरक्षण में सुधार के लिए विद्युत वित्त निगम द्वारा ऋणों का संवितरण।

(7) क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम का त्वरित क्रियान्वयन करना ताकि उत्पादन क्षमता को 2012 तक दुगुना किया जा सके।

(8) पारेषण संयोजकों के निर्माण तथा प्रणाली सुधार द्वारा अंतर्राज्यीय एवं अंत:क्षेत्रीय विद्युत के अंतरण को बढ़ाना तथा राष्ट्रीय ग्रिड का गठन करना।

(9) जल विद्युत शक्यता के तीव्र गति से दोहन के लिए जल विद्युत नीति तैयार करना।

(घ) विद्युत वितरण राज्य सरकारों के कार्य क्षेत्र में आता है तथा विद्युत की चोरी के निवारण से संबंधित गतिविधियों को उनके क्षेत्राधिकार में प्रचालन करने वाली विद्युत यूटिलिटियों द्वारा देखा जाता है। बिजली की चोरी पर रोक लगाने के लिए इन यूटिलिटियों को कानून के प्रावधानों को प्रभावी रूप से क्रियान्वित करना होगा। ऊर्जा लेखा परीक्षा तथा पारेषण एवं वितरण हानियों में कमी के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत पहले ही जारी किए जा चुके हैं जिनमें निम्नवत शामिल है :–

(1) मीटरों को क्रमांकित मोहर द्वारा सील किए गए टैम्पर प्रूफ मीटर बॉक्सों में लगाना।

(2) ऊर्जा की चोरी को रोकने के लिए सतर्कता दस्तों का गठन करना तथा आकस्मिक छापे डालना।

(3) विद्युत की चोरी में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा चलाना।

26.2.2000 को आयोजित विद्युत मंत्रियों के सम्मेलन में लिए गए निर्णयों के अनुसार रा०वि०बो०/राज्य विद्युत यूटिलिटियों द्वारा ऊर्जा लेखा परीक्षा, 100% मीटरिंग, विद्युत की चोरी में कमी तथा उप पारेषण एवं वितरण प्रणाली के सशक्तिकरण/उन्नयन द्वारा पारेषण एवं वितरण हानियों को कम करने के लिए कार्रवाई आरम्भ कर दी गयी है।

अनुबंध

(आंकड़े मि० यूनिट में)

विद्युत आपूर्ति की वास्तविक स्थिति

क्षेत्र/राज्य/प्रणाली	अप्रैल 99-जनवरी 2000				अप्रैल 2000-जनवरी 2001			
	जरूरत	उपलब्धता	कमी	%	जरूरत	उपलब्धता	कमी	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
उत्तरी क्षेत्र								
चंडीगढ़	885	884	1	0.1	926	925	1	0.1
दिल्ली	15050	14592	458	3.0	15935	15193	742	4.7
हरियाणा	13375	13004	371	2.8	14505	14210	295	2.0
हिमाचल प्रदेश	2574	2564	10	0.4	2635	2588	47	1.8
जम्मू एवं काश्मीर	4940	4041	899	18.2	5240	4565	675	12.9
पंजाब	22890	22722	168	0.7	23645	23242	403	1.7
राजस्थान	20630	19545	1085	5.3	20690	20017	673	3.3
उत्तर प्रदेश	37105	32295	4810	13.0	38390	33012	5378	14.0
उत्तरी क्षेत्र	117449	109647	7802	6.6	121966	113752	8214	6.7
पश्चिम क्षेत्र								
गुजरात	42275	38977	3298	7.8	44575	40108	4467	10.0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
मध्य प्रदेश	29905	28034	1871	6.3	32691	29015	3676	11.2
महाराष्ट्र	60176	56904	3272	5.4	66507	58864	7643	11.5
गोवा	1488	1160	328	22.0	1492	1306	186	12.5
पश्चिम क्षेत्र	133844	125075	8769	6.6	145265	129293	15972	11.0
दक्षिणी क्षेत्र								
आन्ध्र प्रदेश	37369	35195	2174	5.8	39112	36264	2848	7.3
कर्नाटक	22580	20844	1736	7.7	24401	22158	2243	9.2
केरल	10533	9764	769	7.3	11211	10463	748	6.7
तमिलनाडु	31900	29491	2409	7.6	34920	32263	2657	7.6
दक्षिणी क्षेत्र	102382	95294	7088	6.9	109644	101148	8496	7.7
पूर्वी क्षेत्र								
बिहार	7338	6833	505	6.9	7655	7209	446	5.8
डी०वी०सी०	7046	7224	-178	-2.5	7048	7195	-147	2.1
उड़ीसा	8937	9205	-268	-3.0	9770	10136	-366	-3.7
पश्चिम बंगाल	14910	15224	-314	-2.1	15541	15752	-211	-1.4
पूर्वी क्षेत्र	38231	38486	-255	-0.7	40014	40291	-277	-0.7
उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र								
अरूणाचल प्रदेश	98.0	98.9	-0.9	-0.9	106.0	108.6	-2.6	-2.5
आसाम	2411.1	2460.8	-49.7	-2.1	2571.8	2810.5	-238.7	-9.3
मणिपुर	382.8	361.6	-21.2	5.5	385.8	382.9	2.9	0.8
मेघालय	414.5	437.9	-23.4	-5.6	457.8	499.0	-41.2	9.0
मिजोरम	180.8	183.5	-2.7	-1.5	203.4	210.6	-7.2	-3.5
नागालैंड	168.0	170.0	-2	-1.2	186.1	192.5	-6.4	-3.4
त्रिपुरा	485.8	494.3	-8.5	-1.7	470.3	500.3	-3.0	-6.4
एन०ई०आर०	4141	4207	-66	-1.6	4381.2	4704.4	-323.2	-7.4
अखिल भारत	396047	372709	23338	5.9	421273	389188	32085	-7.6

[हिन्दी]

डा० (श्रीमती) सुधा यादव : अध्यक्ष जी, देश में बिजली की कमी है, इस बात को हम सब जानते हैं और उसकी पूर्ति के लिए *(व्यवधान)* अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहती हूं कि देश के वे ग्रामीण क्षेत्र जो खेती के लिए वर्षा या नलकूपों पर आधारित हैं, जहां नहरों का पानी उपलब्ध नहीं है। जैसे दक्षिणी हरियाणा, राजस्थान इत्यादि हैं, जहां एक समय विशेष पर किसानों को खेती के लिए अधिक बिजली की आवश्यकता होती है। ऐसे क्षेत्रों में उचित समय पर उचित मात्रा में बिजली उपलब्ध कराने के लिए क्या सरकार कोई विचार कर रही है और राज्यों के साथ मिलकर क्या कोई नीति निर्धारित करने की योजना बना रही है ?

श्रीमती जयवंती मेहता : अध्यक्ष महोदय, देश के विद्युत परिदृश्य को देखते हुए आज अधिक चिंता करने की आवश्यकता है, इसमे कोई संदेह की बात नहीं है और यह बात सही है कि राष्ट्रीय विकास के अंतर्गत सिंचाई के लिए, उद्योगों के लिए, घरेलू उपयोग के लिए बिजली की पूरी आवश्यकता है। इसके लिए विद्युत मंत्रालय के द्वारा हर प्रकार की चिंता करने के पश्चात उसकी उपाय योजना करने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं और राज्य सरकारों के साथ समन्वय बैठाने की दृष्टि से अलग-अलग प्रकार से उसमें उपाय योजना करने के लिए फरवरी, 2000 में ऊर्जा मंत्रियों का एक सम्मेलन बुलाया गया था, जिसकी अध्यक्षता माननीय प्रधान मंत्री जी ने की थी। उस समय बिजली की स्थिति में सुधार लाने के लिए राजनैतिक मतैक्य प्राप्त करने के पश्चात रिफॉर्म्स की दिशा में आगे कदम बढ़ाने का पूर्णतया निर्णय किया गया था और आगे उस पर विचार करने की दृष्टि से परसों तीन मार्च के दिन प्रधान मंत्री जी की उपस्थिति में सभी मुख्य मंत्रियों और बिजली मंत्रियों के साथ विचार-विमर्श करने के लिए एक बैठक बुलाई गई है। अप्रैल 2000 से लेकर जनवरी 2001 तक विद्युत उत्पादन की क्षमता में वृद्धि हुई है, उसके आंकड़े मैं यहां प्रस्तुत करना चाहती हूं — वर्ष 1997-98 में 6.6 प्रतिशत वृद्धि हुई थी, 1998-99 में 6.6 प्रतिशत वृद्धि रही और 1999-2000 मे 7.4 प्रतिशत वृद्धि रही। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि लोगों की आवश्यकता और डिमांड अधिक बढ़ने के कारण जो वृद्धि हुई थी, वह निश्चित रूप से वृद्धि होने के पश्चात भी डिमांड के आधार के ऊपर यदि उसकी चिंता करें तो वह कम लगती है। यह बात भी बिल्कुल सही है। इसलिए वर्ष 2012 तक 11वीं पंच वर्षीय योजना तक एक लाख मेगावाट अतिरिक्त बिजली का उत्पादन करने का एक निर्णय किया गया है और उस निर्णय के लक्ष्य को पूरा करने के लिए कई उपाय किये जा रहे हैं।

डा० (श्रीमती) सुधा यादव : अध्यक्ष जी, बिजली उत्पादन और वितरण के क्षेत्र में निजी कम्पनियों की भागीदारी पर सरकार जो विचार कर रही है, उसके लिए क्या-क्या नियम निर्धारित किये गये हैं और इससे क्या-क्या लाभ पहुंचने वाले हैं, कृपया मंत्री जी इसका खुलासा करें।

श्रीमती जयवंती मेहता : यह बात सही है कि भारत सरकार की तरफ से निजीकरण की प्रवृत्ति में वृद्धि हो, इसके लिए कई प्रकार के प्रयास किये जा रहे हैं और निजी पूंजी निवेश के लिए उन्हें अलग-अलग प्रकार की छूट देने का निर्णय किया गया है। मैं कहना चाहूंगी कि यह कॉनकरेन्ट सब्जेक्ट है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ने मिलकर इसके बारे में निर्णय करने होते हैं आज राज्य सरकारों के स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्डों की वित्तीय अवस्था नाजुक होने के कारण से निजी पूंजी निवेशों को आगे बढ़कर आने के लिए निश्चित रूप से प्रेरणा नहीं मिलती है। लेकिन उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए अलग-अलग प्रकार के जो उपाय योजना किये गये हैं जिससे पूंजी निवेशकों को भी लाभ हो, उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली प्राप्त हो सकेगी और वितरण व्यवस्था में भी सुधार होगा।

मैं निश्चित रूप से वे उपाय आपके सामने प्रस्तुत कर सकती हूं। जैसा कि रीजनवाइज़ विद्युत आपूर्ति में सुधार करने की दृष्टि से सबसे पहले ट्रांसमीशन के लिये अलग-अलग प्रकार की व्यवस्था की गई है ताकि जैनरेट की हुई बिजली को उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जा सके। दूसरा, निजी पूंजी निवेशकों को कम दर इंट्रेस्ट पर पैसा प्राप्त हो, इसके लिये प्रयास किया जाता है। इसके अलावा आर०ई०सी० के माध्यम से भी स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोड्स को रियायत दर पर पैसा उपलब्ध हो, इस प्रकार की व्यवस्था भी की जाती है।

श्री सुरेश रामराव जाधव : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं कि नेशनल पॉवर ग्रिड से महाराष्ट्र सरकार को कितनी बिजली मिलने का प्रावधान किया गया है और महाराष्ट्र सरकार का कितना हिस्सा है तथा उस हिस्से के मुताबिक राज्य सरकार को कितनी बिजली की पूर्ति होती है ?

अध्यक्ष महोदय, आज पूरे देश और महाराष्ट्र में इनरान के बारे में चर्चा की जा रही है। इसमें महाराष्ट्र सरकार का शेयर 30 परसेंट है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि स्टेट गवर्नमेंट केन्द्र सरकार पर जो काम थोप रही है, सरकार उसका स्पष्टीकरण करे।

श्रीमती जयवन्ती मेहता : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने यह प्रश्न पूछा है कि नेशनल ग्रिड से महाराष्ट्र राज्य को कितनी बिजली दी जाती है। मैं बताना चाहूंगी कि अपनी ट्रांसमीशन लाइन में वृद्धि तथा विकास करते हुये नेशनल ग्रिड बनाने की योजना है। इसके लिये पांच रीजन बनाये गये हैं। जिस रीजन में बिजली कम होगी, वहां सप्लाई की जायेगी। महाराष्ट्र राज्य को आज निश्चित रूप से अन-अलाटेड कोटे में से बिजली दी जाती है लेकिन महाराष्ट्र सरकार की तरफ से अधिक बिजली की मांग करने के बाद उसको कितनी बिजली चाहिये, तभी निर्णय किया जायेगा। जहां तक एनरान के बारे में पूछा गया सवाल है, मैं सदन को बताना चाहूंगी कि एनरान एम०एस०ई०बी० और दाभोल पॉवर प्रोजैक्ट के बीच में किया हुआ एग्रीमेंट है और उसके लिये उन दोनों को तय करना है कि किस प्रकार से उन्हें आगे बढ़ाना है। यदि केन्द्र सरकार से कुछ कहा जायेगा तभी केन्द्र सरकार इस बारे में सोचेगा। आज की स्थिति में केन्द्र के लिए कुछ करना उचित नहीं है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : महोदया, और प्रश्न भी हैं।

[हिन्दी]

श्रीमती जयवन्ती मेहता : अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र को आज 12843.20 मिलियन यूनिट बिजली चाहिये और सैंट्रल सैक्टर से 2021.4 मिलियन यूनिट बिजली महाराष्ट्र को दी जा रही है।

[अनुवाद]

डा० मन्दा जगन्नाथ : माननीय मंत्री द्वारा पटल पर रखे गए विवरण के अनुसार, बिजली के उत्पादन और उपलब्धता में सुधार करने के लिए उठाए गए कदमों में एक कदम तो बिजली सुधारों को तेजी से लागू करना है और दूसरा बिजली ढ़ांचे का पुनर्गठन करना है।

आंध्र प्रदेश सरकार ने बिजली सुधार शुरू किया है और सरकार सच्ची भावना से उन्हें लागू कर रही है। कुछ राजनैतिक दलों ने शोर मचाने और लोगों को भड़काने का प्रयास किया लेकिन सरकार ने इस पर अपनी कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की।

मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि सरकार इस क्षेत्र में उचित सुधार शुरू न करने वाले राज्यों के विरूद्ध क्या कदम उठाएगी और इस क्षेत्र में अच्छा काम करने वाले राज्यों को क्या प्रोत्साहन देगी।

[हिन्दी]

श्रीमती जयवंती मेहता : अध्यक्ष महोदय, रिफार्म्स के लिए अलग-अलग राज्यों के साथ बातचीत करके उनके साथ एम०ओ०यू० साइन किए जा रहे हैं और धीरे-धीरे एम०ओ०यू० करने के लिए रिफार्म्स करने के लिए, सभी राज्यों की स्वीकृति प्रदान होती जा रही है। कुछ राज्य उसमें अपवाद हैं और इसके लिए ऐसे इनिशिएटिव लिए जाते हैं कि जो एक रिफार्म्स को स्वीकार करेगा। उनको पी०एफ०सी० से आर०इ०सी० से और कई प्रकार की इंटरस्ट फ्री सहायता केन्द्र सरकार की तरफ से दी जाएगी। इसके लिए कई राज्यों ने रिफार्म्स को अपनाने के लिए स्वीकार कर लिया है।

[अनुवाद]

श्री शिवराज वि० पाटील : सरकार कहती रही है कि सरकार बिजली उत्पादन प्रणाली में सुधार करेगी और इस संबंध में सरकार ने बिजली के निजीकरण के अतिरिक्त और कुछ नहीं कहा गया है। वास्तव में यदि हमें बिजली का उत्पादन करना है तो हमें दीर्घकालीन भावी योजना की जरूरत है। यदि हमें और अधिक बिजली का उत्पादन करना है तो हमें पहले से मौजूद क्षमता का पूरा-पूरा उपयोग करना चाहिए। यदि हम किफायती तरीके पर बिजली की आपूर्ति करना चाहते हैं तो हमें बिजली की चोरी को रोकना होगा। यदि बिजली का और अधिक उत्पादन करना है तो सभी उपयोग में लाए जा सकने वाले स्रोतों का उपयोग किया जाना चाहिए; अपारम्परिक स्रोतों का उपयोग किया जाना चाहिए और नाभिकीय प्रणाली का उपयोग किया जाना चाहिए। हम सौर ऊर्जा का उपयोग भी कर सकते हैं। यदि सौर ऊर्जा और अपारम्परिक ऊर्जा स्रोतों का उपयोग उद्योगों के लिए बिजली की आपूर्ति करने में नहीं किया जा सकता, तो उसका उपयोग निश्चित रूप से घरेलू उपयोग के लिए बिजली की आपूर्ति करने हेतु किया जा सकता है। इससे काफी धनराशि की बचत होगी।

लेकिन यह देखा गया है कि इन सभी पहलुओं पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है और एक चीज जिस पर बल दिया जाता है और जिसे सभी समस्याओं के लिए समाधान समझा जाता है, वह यह है कि निर्जीकरण से इस समस्या का समाधान हो जाएगा। हमने यह देखा है कि निजीकरण ने ऊर्जा की लागत चार गुना बढ़ायी है। जो लोग निजी क्षेत्र में बिजली का उत्पादन कर रहे हैं वह बिजली को आठ रुपए प्रति यूनिट की दर से बेच रहे हैं जबकि अन्य, सरकारी यूनिटें बिजली को दो रुपए प्रति यूनिट की दर से बेच रही है। सरकार इन समस्याओं को कैसे हल करेगी ? क्या सरकार को आधुनिकीकरण, प्रबंधन के नए उपायों का उपयोग, नई प्रौद्योगिकियों का उपयोग कर इन समस्याओं को हल करने की तरफ ध्यान न देकर निजीकरण के अलावा कुछ और नहीं दिखाई देता।

विद्युत मंत्री (श्री सुरेश प्रभु) : मैं बिजली उत्पादन कार्य तथा वितरण से संबंधित विभिन्न मुद्दे उठाने के लिए माननीय मंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूं।

महोदय, मैं सदन के समक्ष सरकार का विचार रखना चाहता हूं कि हमें वास्तव में वितरण के उद्देश्य से बिजली की इस समस्या का समाधान करने की आवश्यकता है। वास्तव में पिछले दस वर्षों में अब तक जब से हमने अपने बिजली व्यापार को गैर सरकारी सहभागिता के लिए खोला है हमने वितरण के क्षेत्र में इसका समाधान करने की भी कोशिश नहीं की है। वास्तव में आज हम जिन अनेक समस्याओं का सामना कर रहे हैं वे इसलिए हैं क्योंकि हमने उन्हें उस ढ़ंग से हल नहीं किया जिस ढ़ंग से उन्हें हल किया जाना चाहिए था। वास्तव में, बिजली उत्पादन के पक्ष में हमारी नीतियों को तोड़ा मरोड़ा गया है जिसका मैं पहले ही उल्लेख कर चुका हूं।

अब, सरकार ने निर्णय लिया है कि अब हम वितरण के क्षेत्र में इस समस्या का समाधान करेंगे और उसके लिए हमने अनेक उपाय किए हैं। देश में बिजली के समस्त वितरण, अंडमान और निकोबार अथवा लक्ष्यद्वीप को छोड़कर जहां केन्द्र सरकार प्रशासन की प्रभारी है, राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है। अत: वितरण में हमारी बात को रखने के उद्देश्य से हमारे माननीय प्रधान मंत्री ने दो दिन बाद सभी राज्यों के मुख्य मंत्रियों की बैठक बुलाई है जिसमें हम इस संबंध में अनेक कदम उठाएंगे और केन्द्र सरकार जैसाकि मेरे माननीय साथी ने बताया, अनेक प्रोत्साहन देने की इच्छुक हैं।

महोदय, माननीय वित्त मंत्री ने कल के बजट में ऐसे प्रावधान की घोषणा की है। हमने परिवर्धित विद्युत विकास कार्यक्रमों के लिए अपने बजटीय प्रावधानों को एक हजार करोड़ रुपए से बढ़ाकर पन्द्रह सौ करोड़ कर दिया है। हम ग्रामीण विद्युत निगम अथवा विद्युत वित्त निगम और अन्य वित्तीय सस्याओं के समर्थन से 1500 करोड़ रुपए के आंकड़े को पूरा कर सकेंगे। हम वितरण में परिवर्तन लाने की इच्छुक सस्याओं को धन दे सकेंगे।

महोदय, कृपया मुझे दो मिनट का समय दीजिए क्योंकि यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। जब तक हम वितरण में परिवर्तन नहीं लाते और बिजली उत्पादन शुरू करते हैं तब तक राज्यों के घाटे बढ़ते जाएंगे। आज बिजली की आपूर्ति की लागत और शुल्क की औसत लागत के बीच अन्तराल इतना अधिक बढ़ गया है कि यह लगभग एक रुपया प्रति यूनिट तक पहुंच गया है और हम 500 बिलियन यूनिटों का विक्रय कर रहे हैं; आप राज्य विद्युत बोर्डों को हो रहे घाटे की धनराशि का अनुमान लगा सकते हैं। इसलिए बिजली के उत्पादन के बारे में यह सच नहीं है कि सरकार पर्याप्त ध्यान नहीं दे रही है। हमने पहले ही निर्णय कर लिया है कि अगले पांच वर्षों में हम अपारम्परिक ऊर्जा स्रोतों, पुनर्प्रयोज्य स्रोत – जिनका आपने उल्लेख किया है, अपनी क्षमता का कम से कम दस प्रतिशत बिजली

का उत्पादन करेंगे। इसमें सारे ऊर्जा शामिल है जिसमें वायु ऊर्जा शामिल है जिसमें ज्वार ऊर्जा शामिल है और जिसमें लगभग बायोमास परिवर्तन और बायोमास गैसीकरण शामिल है। इसलिए हम नाभिकीय स्रोतों से अपने विद्युत उत्पादन को तेज करने का भी प्रयास कर रहे हैं। पहले ही श्री अब्दुल कलाम, जो प्रधान मंत्री के प्रधान सलाहकार हैं, ने घोषणा की है कि हम नाभिकीय स्रोतों कम से कम 1000 मेगावाट बिजली का वार्षिक संवर्धन करेंगे। लेकिन यह सब करने के बाद भी हमारे पास बिजली की कमी होगी जिसे हमें या तो जल विद्युत अथवा ताप विद्युत से पूरा करना होगा।

हम अनुसंधान और आधुनिकीकरण समेत अपने मौजूदा सभी संयंत्रों के संयंत्र भार घटक (प्लांट लोड फैक्टर) में सुधार करने के लिए अल्पकाल में अनेक उपाय कर रहे हैं। सच तो यह है कि, केन्द्रीय उपयोगी संयंत्र भार घटक बहुत अच्छा है। राज्य क्षेत्र और पूर्वी भारत में संयंत्र भार घटक बहुत कम है। पूर्वी भारत में, संयंत्र भार घटक इसलिए कम है क्योंकि घरेलू मांग कम है। इसलिए हम इसे तत्काल युद्ध-स्तर पर कर रहे हैं। अगले दो वर्षों में, हम पूर्वी क्षेत्र में पैदा हो सकने वाली संपूर्ण बिजली को खाली करके उसे उत्तर, दक्षिण और पूर्वी-क्षेत्रों के कम बिजली वाले क्षेत्र में लाना होगा। ऐसा करके, मुझे लगता है कि हम संयंत्र भार घटक में भी सुधार कर पाऐंगे।

श्री लक्ष्मण सेठ : महोदय, माननीय मंत्री जी जानते हैं कि पूर्वी क्षेत्र, विशेषत: पश्चिम बंगाल फ्रीक्वेंसी की समस्या का सामना कर रहा है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि सरकार स्थिति का सामना करने के लिए क्या विचार कर रही है। अगर हम फ्रीक्वेंसी की समस्या का सामना नहीं कर पाएंगे तो प्रसंस्करण उद्योग जैसे पहले से भी पीड़ित अनेक उद्योग और भी अधिक पीड़ित होंगे। इसलिए, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वह फ्रीक्वेंसी समस्या का सामना किस प्रकार करने जा रहे हैं।

दूसरे, कोलाघाट ताप विद्युत केन्द्र बहुत ही महत्वपूर्ण विद्युत केन्द्र है और बहुत ही कुशलता से विद्युत उत्पादन कर रहा है। परन्तु, इसे नया रूप देने और इसका आधुनिकीकरण किए जाने की आवश्यकता है। जहां तक मुझे ज्ञात है, पश्चिम बंगाल विद्युत विकास निगम ने नवीनीकरण और आधुनिकीकरण संबंधी एक प्रस्ताव दे रखा है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या वह इस प्रस्ताव को स्वीकृत कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्रीमती जयवंती मेहता : अध्यक्ष महोदय, पश्चिम बंगाल की इस परियोजना के बारे में जो सवाल पूछा गया है, उसके रिनोवेशन और माडर्नाइजेशन की बहुत आवश्यकता है। ईस्टर्न रीजन के कई प्लांट्स तीस-चालीस साल पुराने हो चुके हैं। इसलिए रिनोवेशन और माडर्नाइजेशन की बहुत आवश्यकता है। आज ईस्टर्न रीजन में सरप्लस बिजली है। इसलिए राज्य सरकारों की तरफ से उसके प्रति अधिक ध्यान नहीं दिया जा रहा है। *(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : ध्यान नहीं दिया जा रहा है, यह ठीक नहीं है।

श्रीमती जयवंती मेहता : फ्रीक्वैंसी के बारे में जो सवाल पूछा गया है, उसको मेनटेन करने की दृष्टि से निश्चित रूप से ट्रांसमिशन लाइनों में सुधार करने की सबसे पहली आवश्यकता है। मेरे साथी श्री सुरेश प्रभु ने अभी बताया कि उसके लिए पी०एल०एफ० बढ़ाना है। पी०एल०एफ० बढ़ाने के बाद जितनी जनरेशन की कैपेसिटी है, उसको पूरा जनरेट करने के कारण उस बिजली की ट्रांसमिशन लाइन जब तक अच्छी नहीं होगी तब तक हम उपभोक्ताओं के पास नहीं पहुंचा सकेंगे। ट्रांसमिशन लाइन को सुधारने की दृष्टि से हमने पहले अधिक उस फ्रीक्वैंसी को मेनटेन करने के लिए प्रयास किये हैं और उसके लिए नई टैक्नोलौजी का भी उपयोग करेंगे। रिनोवेशन और और माडर्नाइजेशन होने के बाद पी०एल०एफ० बढ़ेगा और उत्पादन क्षमता भी से जिसकी क्षमता अधिकाधीक बढ़ेगी। उसके पश्चात् ट्रांसमिशन लाइन में भी सुधार होगा तो फ्रीक्वैंसी को मेनटेन कर सकेंगे। नैशनल ग्रिड बनने की आवश्यकता है जिससे हम लोड फैक्टर को ठीक तरह कंट्रोल कर सकेंगे। फ्रीक्वेंसी को मेनटेन करने के लिए डिमांड एंड सप्लाई के बीच में कंट्रोल करने की आवश्यकता है।

श्री राजीव प्रताप रूडी : महोदय, आज तो मंत्रियों के ज्ञान में होड़ लगी है, बड़ा आनन्द आ रहा है। यहां माननीय मंत्रियों का उत्तर सुनकर तो अच्छा लग रहा है कि देश में भविष्य में कुछ होने वाला है, लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि हाल फिलहाल, यानि 10.01.2001 को श्री सुरेश प्रभु जी ने सभी सांसदों को एक पत्र लिखा और पत्र बिल्कुल रोते-धोते लिखा। उसके कुछ तथ्य मैं आज वर्णित करना चाहूंगा। यह पत्र पूरे सदन के सभी सदस्यों को आया है। आपको याद है ?

[अनुवाद]

उस पत्र में उन्होंने लिखा :

"हमारी प्रति व्यक्ति बिजली की खपत चीन की 750 इकाई की तुलना में मात्र 348 इकाई है। राज्य विद्युत बोर्डों का घाटा 27,000 करोड़ रुपये को पार कर गया है।"

महोदय, उस पत्र में उन्होंने एक और पहलू पर बात की है जो काफी निराशाजनक है।

अध्यक्ष महोदय : श्री रूडी, हम भारत में बिजली की स्थिति पर चर्चा कर रहे हैं।

श्री राजीव प्रताप रूडी : महोदय, वही बात है। माननीय मंत्री जी ने इस पत्र में बिजली की स्थिति के बारे में लिखा है, यदि आपने यह पत्र पढ़ा हो तो यह स्थिति निराशाजनक और दयनीय है। इसे सभी संसद सदस्यों के पास भेजा गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि बिजली की स्थिति के संबंध में देश का कोई भविष्य नहीं है। लेकिन हमें खुशी है कि वह कम से कम कुछ प्रयास तो कर रहे हैं।

मैं एक बात पूछना चाहता हूं। राज्य विद्युत बोर्डों को लागत पूरा करने के लिए ही औसतन 66 पैसे से लेकर 73 पैसे तक शुल्क बढ़ाना होगा। दूसरा विकल्प शुल्क नहीं बढ़ाने का है लेकिन यह तभी

हो सकता है जब चोरी पर रोक लगे और प्रचालन कुशलता बढ़ाकर पारेषण और वितरण घाटे को कम किया जाए। क्या माननीय मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि वह कौन सा विकल्प अपनाने जा रहे हैं ?

श्री सुरेश प्रभु : महोदय, मुख्यत: हमें राज्य विद्युत बोर्डों की कुशलता में सुधार करना होगा और इसके लिए हम उन्हें धन और तकनीकी सहायता देने के लिए तैयार हैं। हालांकि, यह राज्य सरकारों की जिम्मेवारी है परन्तु अब केंद्र सरकार भी इसकी जिम्मेवारी ले रही है क्योंकि केंद्रीय सरकारी उपक्रमों की 30,000 करोड़ रुपये की देयताओं का भुगतान राज्य विद्युत बोर्डों की ओर से नहीं हुआ है। हम क्या करें ?

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय : महोदय, कल माननीय वित्त मंत्री ने पारेषण और वितरण में होने वाले घाटों को ''चोरी और डकैती'' के रूप में प्रस्तुत किया था। माननीय वित्त मंत्री के कल के वक्तव्य से देश में पारेषण और वितरण में होने वाले घाटों की मात्रा की जानकारी मिलती है। माननीय विद्युत मंत्री को राज्य विद्युत बोर्डों के कामकाज की जानकारी है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या वह एक ऐसी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे जिसमें बताया गया हो कि देश के कौन-कौन से राज्य विद्युत बोर्ड लाभ कमा रहे हैं और कौन-कौन से राज्य विद्युत बोर्ड पूर्णत: घाटे में चल रहे हैं।

दूसरे, मैं जानना चाहता हूं कि देश के विद्युत क्षेत्र में पारेषण में औसत घाटे का प्रतिशत कितना है।

[हिन्दी]

श्रीमती जयवंती मेहता : यह बात सही है कि टी० एण्ड डी० लोसेज कम करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन टी० एण्ड डी० लोसेज को कम करने के लिए जिन राज्यों ने रिफार्म्स किये हैं, वे राज्य पहले बता रहे थे कि उनके टी० एण्ड डी० लासेज 20 या 22 प्रतिशत हो रहे थे, लेकिन रिफार्म्स के बाद यह बात ध्यान में आई है कि उनके टी० एण्ड डी० लासेज 50 और 55 प्रतिशत से भी ज्यादा हैं। एक प्रतिशत टी० एण्ड डी० लासेज के पीछे 600 मैगावाट एनर्जी वेस्ट होती है और यदि 600 मैगावाट एनर्जी को बचाने की बात करते हैं तो उसके लिए चार करोड़ रुपया यदि पर मैगावाट के लिए खर्चा जाये तो 2400 करोड़ रुपया उससे हम बचा सकते हैं। तमिलनाडु और केरल, ये दो राज्य ऐसे हैं कि जो आज प्रोफिट में चल रहे हैं, बाकी सारे राज्यों में लॉस हो रहा है। इस टी० एण्ड डी० लास को रोकने की दृष्टि से हर राज्य का चाहिए तो मेरे पास ब्यौरा है, यदि कोई पूछेंगे तो मैं बता दूंगी।

डॉ० गिरिजा व्यास : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से, विशेष तौर से विद्युत मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि जहां पर कांग्रेस शासित राज्य हैं, वहां पर बिजली देने में क्या वे भेदभाव बरत रहे हैं ? मैं राजस्थान का जिक्र करना चाहती हूं, जहां पर हम बिजली की गहन कठिनाइयों से घिरे हुए हैं। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि राजस्थान राज्य में कितनी बिजली की कटौती पिछले दो वर्षों में की गई, उसके क्या कारण रहे और राज्य सरकार अपनी कठिन आर्थिक स्थिति के बावजूद भी किसानों के हित में जब बिजली खरीदना चाहती है तो केन्द्र सरकार उस बिजली को एवेलेबल किन कारणों से नहीं करा रही है ?

श्रीमती जयवंती मेहता : बिजली राष्ट्रीय सम्पत्ति है, इसमें कोई भेदभाव बरतने का सवाल ही पैदा नहीं होता। कोई भी राज्य, जहां कमी है, वहां बिजली दी जायेगी।

डॉ० गिरिजा व्यास : मैं स्पेसिफिक प्रश्न पूछा है कि कितनी कटौती की गई है ? कट करके उसको दूसरे राज्यों में क्यों भेजा गया – कटौती का कारण बतायें ? *(व्यवधान)*

श्रीमती जयवंती मेहता : महोदय, जिन राज्यों ने रिफार्म्स को स्वीकार किया है, उनको प्रायोरिटी के आधार पर अनएलोकेटेड कोटा से बिजली दी जाती है। राजस्थान ने रिफार्म्स अभी स्वीकार किया है और जब कभी-भी आपकी तरफ से डिमान्ड आई है, उसका पूरा कोटा परसेंटेजवाइज हमने राजस्थान सरकार को दिया है। अध्यक्ष महोदय, कम बिजली देने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है।

श्री राशिद अलवी : महोदय, सरकार ने जो आंकड़े दिए हैं, उसके हिसाब से उत्तर प्रदेश के अन्दर 13 परसेंट बिजली कम है। लेकिन आपको इस बात का अन्दाजा भी नहीं है कि उत्तर प्रदेश के अन्दर जो रूरल एरियाज है, उनमें केवल दो घन्टे बिजली भी नहीं आती है। मेरे पत्र के जवाब में मंत्री जी ने कहा है कि मेरी कान्स्टीचुयेंसी अमरोहा में 22 घन्टे बिजली देते हैं। शायद गलतफहमी में उन्होंने ऐसा लिख दिया है, 22 घन्टे बिजली नहीं आती है, दो घन्टे आती है। मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में इस व्यवस्था को क्या प्राइवटाइज करने जा रहे हैं ? अगर करने जा रहे हैं, तो कब तक करने जा रहे हैं ? इसके साथ ही मैं यह भी जानना चाहता हूं, क्या इस तरह की कोई इन्स्ट्रक्शन दी गई है कि रूरल एरियाज में कितने घन्टे बिजली दी जाएगी और अर्बन एरियाज में कितने घन्टे बिजली दी जाएगी ? *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : विद्युत वितरण का निजीकरण केंद्र सरकार का नहीं बल्कि राज्य सरकार द्वारा किया जाता है क्योंकि 'विद्युत' राज्य का विषय है।

[हिन्दी]

श्रीमती जयवंती मेहता : महोदय, इस सवाल का जवाब अलग से पूछा जाए।

डॉ० रघुवंश प्रसाद सिंह : महोदय, बिजली उत्पादन का प्रश्न लॉग टर्म और शार्ट टर्म से संबंधित है। कल बजट भाषण में भी पावर जनरेशन का कोई जिक्र नहीं हुआ है। सभी इस बात को जानते हैं कि बिजली के उत्पादन के बिना देश आगे नहीं बढ सकता है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या बिजली को बुनियादी सेवा में डालने का विचार कर रही है ? जनरेशन में एक लाख मेगावाट बिजली चाहिए और इसके लिए 8 लाख करोड़ रुपए निवेश के लिए चाहिए। मैं सरकार से जानना चाहता हूं, इस खतरे से बचने के लिए

सरकार क्या कार्यवाही कर रही है, जिससे 7-8 परसेंट जो पावर शार्टेज आपने बताई है, वह पावर शार्टेज न हो ?

अध्यक्ष महोदय : रघुवंश जी, आप अपनी सप्लीमेंट्री इतने जोर से, पावर से पूछ रहे हैं।

श्री सुरेश प्रभु : महोदय, हमारे वित्त मंत्री जी ने कहा है कि समय आने पर देखेंगे और हमारे पावर एलोकेशन में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है। लेकिन साथ ही साथ राज्यों को भी अपने टार्गेट्स को मीट करने के लिए प्रावधान करना होगा। पिछले सैशन में आपने डायरैक्शन दी थी और मैंने कहा था कि आगे आने वाले छः सालों में हम पूरी तरह से रूरल इलैक्ट्रिफिकेशन करेंगे। आप इस पर वाक-आउट किए थे। लेकिन कल ही एलान किया है कि सरकार के तीन महीने के अन्दर आने वाले छः सालों में रूरल इलैक्ट्रिफिकेशन का प्रावधान कर दिया है। मैं इच्छा रखता हूं कि बिहार सरकार भी इसका लाभ लेगी। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री जनार्दन रेड्डी, समय बहुत कम है, इसलिए कृपया संक्षेप में अपनी बात कहें।

श्री एन० जनार्दन रेड्डी : मंत्रालय ने देश में विद्युत की असंतोषजनक स्थिति पर काबू पाने के लिए बहुत से उपाय सुझाए हैं। देश में विद्युत बोर्डों की वित्तीय स्थिति मुख्य समस्या है। इसमें सुधार लाने के लिए आपने पारेषण और वितरण में होने वाले घाटों को कम करने अधिक सतर्कता, आदि की बात की है। ये कोई उपाय नहीं हैं। क्या भारत सरकार के पास विद्युत बोर्डों की वित्तीय सहायता हेतु कोई प्रस्ताव है ?

मंत्री महोदय के अनुसार, सरकार को किसी उद्योग को सीधे विद्युत आपूर्ति नहीं करनी होती। परन्तु सिलिकोन उद्योग को राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम से सीधे विद्युत आपूर्ति की जा रही है और इससे विद्युत बोर्ड को भारी घाटा हो रहा है। क्या यह बात विभाग की जानकारी में है ? यदि हां, तो इस संबंध में कौन-कौन से कदम उठाए जा रहे हैं ?

श्री सुरेश प्रभु : महोदय, वर्तमान सीमा को दर-किनार करते हुए हम राज्य विद्युत बोर्डों को आवश्यक वित्तीय सहायता उपलब्ध करवायेंगे बशर्ते वे वर्तमान प्रवृत्ति को पलटने में अच्छी प्रगति दिखायें। परसों होने वाले मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन से पूर्व हम घोषणा करने वाले हैं कि यदि कोई राज्य दो वर्ष में लागत पूरा करने की स्थिति और तीन वर्ष में लाभ की स्थिति में आता है तो केंद्र सरकार उस राज्य विद्युत बोर्ड को अपेक्षित सभी सहायता प्रदान करेगी। हालांकि यह राज्य सरकार की जिम्मेवारी है परन्तु हम निधियों की सीमा की परवाह किए बगैर राज्य विद्युत बोर्डों को अपेक्षित सहायता प्रदान करेंगे।

माननीय सदस्य ने कहा कि कुछ सिलिकोन उद्योगों को एन०टी०पी०सी० से सीधे विद्युत आपूर्ति की जा रही है। एन०टी० पी०सी० से सिलिकोन उद्योग को नहीं बल्कि फैरो अलॉय उद्योग को सीधे विद्युत आपूर्ति की जा रही है। पिछले दस वर्ष से इसी नीति का पालन हो रहा है। हम इस नीति की समीक्षा करेंगे।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रशेखर : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में बार-बार सुधारों की और प्राइवेटाइजेशन की बात की है। मैं उनसे जानना चाहूंगा कि दो काम एक साथ मिल कर एनरॉन कम्पनी को बिजली पैदा करने की आपने इजाजत दी, उससे कितना सुधार हुआ है, कितना खतरा पैदा हुआ है और कितना संकट सरकार के ऊपर तथा खास कर मंत्री जी पर आया है? क्या उसके समाधान के लिए इनके पास या इस सरकार के पास कोई जवाब है ? *(व्यवधान)*

श्री सुरेश प्रभु : अध्यक्ष महोदय, डबहोल पावर कम्पनी और महाराष्ट्र इलैक्ट्रीसिटी बोर्ड के बीच में एक चर्चा जारी है। उन्होंने एक कमेटी का भी गठन किया है और कमेटी का गठन करने के बाद जो सुझाव उनकी तरफ से केन्द्र सरकार के पास आएंगे, उन पर केन्द्र सरकार जरूर विचार करेगी। लेकिन जब हम सुधार की बात करते हैं तो उसमें हमें इस बात पर पूरा ध्यान देते हैं कि सुधार के बाद किसे लाभ हो आम किसान को हो या आम जानता को हो और जिस कीमत पर बिजली मिलती है उसमें गिरावट आए। इसलिए ऐसे कदम उठाने की जरूरत है जिसके कारण आगे आने वाले तीन सालों में स्थिति में सुधार हो और आम जनता को उसका लाभ हो। *(व्यवधान)*

श्री चन्द्रशेखर : अध्यक्ष महोदय, मेरा स्पेसिफिक सवाल है। जिस समय आपकी सरकार ने या महाराष्ट्र सरकार ने एनरॉन को इजाजत दी थी, उस समय आपने देश के सामने एक सपना रखा था। आपने कहा कि इससे सुधार होगा और वही बातें होगी, जिन्हें मंत्री जी ने अपने उद्देश्यों में और आदर्शों में कहा है कि सस्ती बिजली मिलेगी और ज्यादा मिलेगी। क्या एनरॉन की वजह से सस्ती और ज्यादा बिजली उपभोक्ताओं को मिली है और उसका कितना बोझ केन्द्र सरकार पर और भारत देश पर पड़ा है, मैं केवल यह जानना चाहता हूं ? *(व्यवधान)*

श्री सुरेश प्रभु : अध्यक्ष महोदय, जब उस समय सरकार ने एनरॉन की बात की थी और आज हम जिस सुधार की बात कर रहे हैं उसमें बहुत बड़ा अतंर यह है कि आज हम वितरण प्रणाली में सुधार लाने की कोशिश कर रहे हैं और जब तक वितरण प्रणाली में सुधार नहीं लाएंगे, चोरी की वजह से ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉस में कमी नहीं आएगी तब तक सुधार नहीं हो पाएगा। *(व्यवधान)* एनरॉन की स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर जो लायबिल्टी है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने काउंटर गारंटी दी है। *(व्यवधान)* इसलिए जहां डिफाल्ट होगा, वहां सेंट्रल गवर्नमेंट पर उसकी जिम्मेदारी आएगी और उसका उत्तरदायित्व सेंट्रल गवर्नमेंट पर होगा। *(व्यवधान)*

श्री चन्द्रशेखर : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप जरा देखिए, मैं कोई घूमा-फिरा कर सवाल नहीं पूछ रहा हूं, मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूं। प्रधानमंत्री जी ने परसों एक माननीय सदस्य को कहा कि मैं आपको कठघड़े में खड़ा करूंगा। मैं इस

सरकार को कठघरे में खड़ा करना चाहता हूं, आप इसका जवाब दीजिए। मंत्री जी नहीं, प्रधान मंत्री जी आकर इसका जवाब दें, क्योंकि उन्होंने इसकी स्वीकृति दी थी। *(व्यवधान)* उन्होंने इससे कितना देश के लिए कल्याण किया है। देश के ऊपर उन्होंने कितना बोझ लादा है, जिस बोझ को हमारी आने वाली संतानें भुगतती रहेंगी। इसके लिए यह सरकार जिम्मेदार है और कठघरे में खड़ी है।

[हिन्दी]

उत्तरी ग्रिड का अचानक बन्द होना

+

103. **श्री रामपाल सिंह :**
श्री चन्द्र भूषण सिंह :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 2 जनवरी, 2001 को उत्तर प्रदेश में विद्युत ग्रिड के अचानक बंद हो जाने के परिणामस्वरूप देश में, विशेषकर उत्तरी राज्यों में पूर्ण अंधकार और अव्यवस्था फैल गई थी;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे;

(ग) क्या सरकार ने इस विफलता की कोई अनुवर्ती जांच कराई है यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले;

(घ) क्या सरकार ने इस विफलता के कारण धनराशि के रूप में हुए घाटे का आकलन किया है;

(ङ) यदि हां, तो इसका क्या निष्कर्ष रहा और इसके लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है; और

(च) भविष्य में ऐसी स्थिति से बचने के लिए कौन से निवारक उपायों पर विचार किया जा रहा है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (च) विवरण सभा पटल पर रखा दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) 2 जनवरी, 2001 को उत्तरी क्षेत्र में ग्रिड विभिन्न घटकों के कारण क्षतिग्रस्त हुई है। कन्वर्टर ट्रासफॉर्मरों में अत्यधिक गड़बड़ी होने के कारण 14 दिसम्बर, 2000 से रिहन्द-दादरी एच०वी०डी०सी० लाईन के एक पोल ने कार्य करना बंद कर दिया था। जिसके फलस्वरूप पूर्वी हिस्से, जहां सभी पिट हैड विद्युत उत्पादन अवस्थित है, और उत्तरी क्षेत्र के पश्चिमी हिस्से, जहां बड़े भार केन्द्र अवस्थित हैं, के बीच पारेषण क्षमता सीमित हो गयी थी। 1 और 2 जनवरी, 2001 की रात्रि को उ०प्र० पारेषण प्रणाली की 220 के०वी० और 400 के०वी० की कई लाइनें ट्रिप कर गयीं थी और इससे पारेषण प्रणाली पर अधिक भार पड़ा है। पारेषण क्षमता जो रिहन्द-दादरी एच०वी०डी०सी० लाइन की क्षमता में कमी के कारण कम हो गयी थी वह उ०प्र० प्रणाली की बड़ी उच्च वोल्टता वाली पारेषण लाइनों में ट्रिपिंग होने की वजह से और अधिक कम हो गयी है और इससे ग्रिड अलग-थलग पड़ गया और क्षतिग्रस्त हो गया।

(ग) सरकार द्वारा 3 जनवरी, 2001 को जांच के आदेश दिए गए थे। अध्यक्ष, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने जांच की है और अपनी रिपोर्ट 10 जनवरी, 2001 को प्रस्तुत कर दी है।

(घ) उत्तरी क्षेत्र में ग्रिड क्षतिग्रस्त होने के कारण रेलवे ट्रैफिक बाधित होने की वजह से नुकसान हुआ है और औद्योगिक यूनिटों के उत्पादन को नुकसान हुआ है। तथापि, हानि की मात्रा को सही-सही ज्ञात करना संभव नहीं है।

(ङ) ग्रिड क्षतिग्रस्त होने के तुरंत बाद विद्युत मंत्री ने उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री और अन्य सभी मुख्य मंत्रियों को पत्र लिखे जिसमें उन्हें सलाह प्रदान की गई कि वे आवंटित कोटे और ग्रिड की आवश्यकता के अनुसार ग्रिड से अपनी निकासी समिति करके ग्रिड अनुशासन बनाए रखना सुनिश्चित करें। इस प्रकार की घटनाओं को पुनरावृति को रोकने के लिए की गयी सिफारिशों को क्रियान्वित करने हेतु साप्ताहित आधार पर की गयी कार्रवाई की मॉनीटरिंग करने के लिए सचिव (विद्युत) ने 11.1.2001 को अध्यक्ष, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को निर्देश दिए हैं। ग्रिड क्षतिग्रस्त होने के लिए जिम्मेवार व्यक्तियों के विरुद्ध अपेक्षित दण्डात्मक कारवाई करने के लिए अध्यक्ष, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण और विद्युत मंत्रालय द्वारा प्रदान की गयी सिफारिशों के अनुसार तैयार कार्य योजना के क्रियान्वयन की केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण और विद्युत मंत्रालय द्वारा जोर-शोर से मॉनीटरिंग की जा रही है।

(च) भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए किए जा रहे प्रमुख उपचारात्मक उपाय निम्नवत हैं–

(1) सभी एच०वी०डी०सी०, 400 के०वी० और 220 के०वी० लाइनों और सब-स्टेशनों का आवधिक उपचारी और नियमित अनुरक्षण;

(2) सभी विद्युत उत्पादक स्टेशनों पर प्रचालन की स्वतंत्र नियंत्रण विधि आरंभ करना;

(3) रा०वि० बोर्डों की वितरण प्रणालियों में कम आवृति वाले लोड शेडिंग संचारण का उपयुक्त प्रचालन सुनिश्चित करना;

(4) युक्तिसंगत वाणिज्यिक तंत्र का क्रियान्वयन करना जिससे रा०वि० बोर्ड अपनी निकासी नियंत्रित करने के लिए प्रेरित होंगे और विद्युत उत्पादक कार्यक्रमानुसार विद्युत का उत्पादन करने के लिए प्रेरित होंगे ताकि वोल्टता और आवृति स्थिर हो सके।

(5) राज्य विद्युत बोर्डों के भार केन्द्रों पर कैपेसिटरों की अधिष्ठापना।

श्री रामपाल सिंह : अध्यक्ष जी, मंत्री महोदया ने अपने उत्तर में बताया है कि 14 दिसम्बर को ग्रिड में खराबी आ गयी थी।

जब 14 दिसम्बर को खराबी आ गयी थी तो उसको ठीक क्यों नहीं किया गया। सरकार ने अपने दूसरे भाग के उत्तर में कहा है कि अध्यक्ष केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को जांच के आदेश दिये गये थे। मैं पूछना चाहता हूं कि उस जांच का क्या नतीजा निकला ? साथ ही जब उत्तर ग्रिड में फैल्योर हुई थी तो उस पर जांच कमेटी बैठाई गयी, उसका क्या परिणाम हुआ ? *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री रामदास आठवले, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्रीमती जयंवती मेहता : अध्यक्ष महोदय, संसद सदस्य ने जो पूछा है कि 14 दिसम्बर के दिन एच०वी०डी०सी० लाइन के पोल ने काम करना बंद कर दिया था। यह बात सच है उत्तरी विभाग का यह ग्रिड देश में बहुत ही लम्बी और इंटर-कनैक्टेड नैटवर्क की लाइन है जो दूसरे क्रमांक पर आती है। जब इसने काम करना बंद कर दिया था तो उसी दिन पावर-ग्रिड ने उत्तरी ग्रिड के सभी राज्यों के पते लिखकर इसकी महत्ता जताई थी और उन लोगों को अनुशासन पालन करने के लिए आदेश दिया था। यह बात सही है कि विद्युत मंत्रालय ने इसके ग्रिड फैल्योर के लिए एक कमेटी सी०ई०ए० के चैयरमेन श्रीवास्तव जी की अध्यक्षता में नियुक्त की थी। उस कमेटी के माध्यम से 7 दिन में उसकी रिपोर्ट देने के लिए कहा गया था। उसके अनुसार 10 तारीख को उन्होंने अपनी रिपोर्ट तैयार करके दी। आगे इस तरह की फैल्योर न हो, उसके लिए एक्शन प्लॉन बनाकर उन्होंने अपनी रिपोर्ट सब्मिट की है।

श्री रामपाल सिंह : अध्यक्ष जी, जो फैल्योर हुई थी और जो जांच कमेटी बैठी थी उसमें जो दोषी लोग पाये गये थे, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई तथा ऐसी घटना दुबारा न हो, उसके लिए क्या वैकल्पिक व्यवस्था अपनाई गयी है ?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इसलिए, अब आप क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं ?

[हिन्दी]

श्रीमती जयवंती मेहता : जो कमेटी बैठाई गयी थी उससे ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है कि इस पोल-सिस्टम में जो 6 ट्रांसफॉर्मर होते हैं उनमें से 4 खराब हो चुके थे तथा 3 ट्रांसफॉर्मर एक ही महीने में खराब हो चुके थे, जिसके कारण यह ग्रिड फैल्योर हुई। जांच से पता चला है कि एक जनवरी को रात को 11 बजकर 21 मिनट पर एच०वी०डी०सी० लाइन में फ्लैश हुआ था। उसी तरह से 12 बजकर 17 मिनट पर चार बार उस लाइन में फ्लैश हुआ था और पावर ग्रिड की एच०वी०डी०सी० लाइन पर रिहन्द से दादरी लाइन तक फ्लैश-ओवर की सूचना पहले ही दे दी गयी थी। रात को एक बजकर पांच मिनट पर उत्तर प्रदेश पीसीएल की 400 केवी लाइन जो है वह ओबरा-पंकी लाइन से जुड़ी है वह भी ट्रिप हो गयी। उसके बाद रात को तीन बजकर 10 मिनट पर 400 केवी पंकी-मुरादाबाद लाइन ट्रिप हुई।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री जी, प्रश्नकाल समाप्त हो गया है। आप अपना उत्तर माननीय सदस्य को बाद में भिजवा दें।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

तेल और पेट्रोलियम उत्पादों पर निर्भरता

***104. डा० संजय पासवान : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व के धनी देश बेहतर संरक्षण तकनीकें अपनाकर और घरेलू संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करके आयातित तेल और पेट्रोलियम उत्पादों पर निर्भरता को कम कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में हमारे देश में वर्तमान परिदृश्य कैसा है; और

(ग) इस निर्भरता को कम करने के लिए की जा रही वैकल्पिक व्यवस्थाओं का ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) से (ग) किसी देश के कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के आयात की मात्रा सकल घरेलू उत्पाद (जी०डी०पी०) में वर्णित आर्थिक विकास के स्तर और उत्पादों की स्वदेशी उपलब्धता पर निर्भर करती है। विकसित देशों में प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत स्तर भारत की तुलना में अधिक है। भारत में पेट्रोलियम उत्पादों की मांग 6-7 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ रही है।

सरकार को तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के संरक्षण की आवश्यकता के बारे में भली भांति पता है। व्यर्थ उपयोग को नियंत्रित करके तेल की बचत को बढ़ावा देने के लिए पूरे देश में तेल संरक्षण पखवाड़ा आयोजित किया जाता है। सरकार ने नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति के तहत घरेलू अन्वेषण प्रयास भी और तेज कर दिए हैं। कई तेल क्षेत्रों में वर्धित तेल निकासी/उन्नत तेल निकासी योजनाएं भी लागू की गई हैं। गहन जल और कठिन सीमावर्ती क्षेत्रों जैसे नए क्षेत्रों तथा उत्पादक क्षेत्रों की गहनतर परतों में अन्वेषण के प्रयास आरम्भ किए गए हैं। नए खोजे गए क्षेत्रों के विकास में तेजी लाना, भूकम्पीय सर्वेक्षण, वर्क ओवर और उत्प्रेरण प्रचालनों के लिए नई प्रौद्योगिकियों के उपयोग, इक्विटी प्रतिभागिता के माध्यम से विदेशों में रकबे अर्जित करना, सरकार द्वारा आयात पर निर्भरता में कमी करने के लिए किए गए अन्य प्रयास हैं।

मोटर स्पिरिट में इथानोल का मिश्रण करने के लिए तीन प्रायोगिक परियोजनाएं लागू करने हेतु अनुमोदित की गई है जिससे ऐसे मिश्रण के प्रचालनात्मक, संभार तंत्रीय और पर्यावरणीय पहलू का अध्ययन किया जाए और उपभोक्ताओं की प्रतिक्रिया मिल सके।

इसके अलावा सरकार ने वैकल्पिक स्रोतों के विकास पर ध्यान केन्द्रित करते हुए कोल बेड मिथेन, गैस हाइड्रेट जैसे ऊर्जा के परम्परागत स्रोतों और पवन शक्ति, लघु हाइड्रो परियोजनाओं, बायो-मास, सौर ऊर्जा और नगर तथा औद्योगिक अवशिष्ट जैसे नवीकरण योग्य ऊर्जा स्रोतों के दोहन द्वारा कार्रवाई आरम्भ की है। बायो डीजल, डाई-मिथाइल ईथर और फ्यूल सेल्स की सम्भाव्य वैकल्पिक ईंधन के रूप में पहचान की गई है।

[अनुवाद]

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के विकास हेतु नई नीति

*105. **श्री सुबोध मोहिते : क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राज्यों के लिए कुल ऊर्जा उत्पादन का कम-से-कम 10 प्रतिशत ऊर्जा उत्पादन अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से किया जाना अनिवार्य करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने अपारंपरिक ऊर्जा के विकास हेतु नई नीति के प्रारूप को अनुमोदित कर दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस हेतु और अधिक धनराशि उपलब्ध कराने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री एम० कन्नप्पन) : (क) और (ख) सरकार, आने वाले दशकों में ऊर्जा क्षेत्र में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के लिए एक प्रमुख भूमिका पर विचार करती है। इसके लिए अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय ने एक मसौदा अक्षय ऊर्जा नीति विवरण तैयार किया है। वर्ष 2012 के लिए मसौदा नीति विवरण में परिकल्पित उद्देश्यों में अगले 12 वर्षों में, अतिरिक्त स्थापित क्षमता में अपारंपरिक ऊर्जा की भागीदारी को 10% अथवा 10,000 मेगावाट तक बढ़ाना है।

(ग) और (घ) नीति विवरण का उद्देश्य न्यूनतम ग्रामीण ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति करने; ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में कृषि, उद्योग, वाणिज्यिक तथा घरेलू क्षेत्रों के लिए विकेन्द्रित/ऑफ-ग्रिड आपूर्ति उपलब्ध कराने; और ग्रिड किस्म की बिजली का उत्पादन तथा आपूर्ति करने के लिए अक्षय स्रोतों नामत: सौर, पवन, बायोमास तथा लघु पनबिजली के योगदान में वृद्धि करना है। नीति विवरण के मसौदे को मंत्रालय द्वारा आगे के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत कर दिया गया है।

(ङ) केन्द्रीय और राज्य योजनाओं में पर्याप्त बजटीय आवंटनों की अभिकल्पना की गई हैं। अपारंपरिक ऊर्जा क्षेत्र के वित्त पोषण को बढ़ाने के लिए निजी निदेशों, वित्तीय संस्थाओं और बैंकों तथा अन्तर्राष्ट्रीय निधियन के माध्यम से वित्त पोषण की भी परिकल्पना की गई है।

पारादीप से बरौनी तेलशोधक कारखाने को कच्चे तेल की आपूर्ति

*106. **श्री प्रभात सामन्तराय : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का पारादीप से बरौनी और बोंगाईगांव तेल शोधक कारखानों को बरास्ता हल्दिया कच्चे तेल को भेजने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो परियोजना किस सीमा तक लागत प्रभावी होगी; और

(ग) भारतीय तेल निगम ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) से (ग) इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड (आई०ओ०सी०एल०) ने हल्दिया, बरौनी और बोंगाईगांव रिफाइनरियों को कच्चे तेल की बढ़ी हुई आवश्यकता को पूरा करने के लिए पूर्वी तट पर अतिरिक्त सुविधाएं जुटाने की योजना बनाई है। इस उद्देश्य के लिए अनेक विकल्पों में से एक विकल्प पर विचार किया जा रहा है कि विद्यमान हल्दिया – बरौनी कच्चा तेल पाइपलाइन का उपयोग करते हुए हल्दिया के रास्ते पारादीप से बरौनी और बोंगाईगांव रिफाइनरियों को कच्चा तेल भेजा जाए। आई०ओ०सी०एल० द्वारा विकल्पों का व्यवहार्यता और तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन किया जा रहा है।

हल्के लड़ाकू विमान संबंधी स्थिति

*107. **श्री पी०डी० एलानगोवन :**
डा० अशोक पटेल :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हल्के लड़ाकू विमान (एल०सी०ए०) तथा "आकाश" और "त्रिशूल" प्रक्षेपास्त्रों को शामिल करने में अत्यधिक विलंब हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और प्रत्येक परियोजनाओं की मूल और बढ़ी हुई लागत अलग-अलग क्या है;

(ग) क्या सरकार परिचालन में आने तक हल्के लड़ाकू विमान के पुराने हो जाने के संबंध में व्यक्त किए जा रहे विचारों से अवगत है;

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) प्रत्येक परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(च) उक्त को सेना में कब तक शामिल कर लिए जाने की संभावना है ?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) जी, हां। इन उच्च प्रौद्योगिकी आधारित प्रणालियों को शामिल किए जाने में कुछ विलंब हुआ है।

(ख) यह विलंब देश में पर्याप्त आधारभूत ढांचे और विशेषज्ञता के अभाव, जटिल प्रौद्योगिकी और वर्ष 1998 में लगाए गए अमरीकी प्रतिबंधों के कारण हुआ है। विश्व भर में उच्च प्रौद्योगिकी आधारित जटिल प्रणालियों के विकास में इस प्रकार का विलंब कोई असामान्य बात नहीं है। इन प्रणालियों की मूल तथा बढ़ी हुई लागत निम्नवत् है :–

	मूल लागत (1982-83 के मूल्य स्तर पर स्वीकृत) (करोड़ रुपए में)	बढ़ी हुई लागत (करोड़ रुपए में)
हल्का लड़ाकू विमान	560	2854
आकाश	95.34	282.83
त्रिशूल	27.16	182.66

(ग) और (घ) हल्का लड़ाकू विमान एक उन्नत प्रौद्योगिकी आधारित अत्याधुनिक विमान है तथा वायुसेना में शामिल किए जाते समय इसकी प्रौद्योगिकी समकालीन होगी।

(ङ) और (च) हल्का लड़ाकू विमान, उड़ान परीक्षण कार्यक्रम के दौर में प्रवेश कर चुका है और इसकी आरंभिक प्रचालनात्मक स्वीकृति वर्ष 2005 तक प्राप्त कर ली जाएगी जिसके पश्चात् यह वायुसेना में शामिल किए जाने के लिए तैयार होगा। सतह से आकाश में मार करने वाला मध्यम रेंज का प्रक्षेपास्त्र ''आकाश'' तथा सतह से आकाश में मार करने वाला कम रेंज का प्रक्षेपास्त्र ''त्रिशूल'' निर्देशित उड़ान परीक्षणों के लगभग अंतिम चरणों में है। वर्ष 2002 में इन प्रक्षेपास्त्रों के प्रयोक्ता परीक्षणों के पश्चात् इन प्रक्षेपास्त्रों का उत्पादन कार्य तथा इन्हें सैन्य सेवा में शामिल किए जाने का कार्य आरंभ हो जाएगा।

न्यायाधीशों की संख्या

***108. श्री वी०एम० सुधीरन :**
श्री चन्द्र विजय सिंह :

क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विधि आयोग ने अपने पूर्व प्रतिवेदनों में दस लाख की जनसंख्या के लिए 50 न्यायाधीशों की सिफारिश की थी;

(ख) यदि हां, तो इस समय दस लाख की जनसंख्या के लिए न्यायाधीशों की संख्या क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार विभिन्न न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या की समीक्षा करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या न्यायाधीशों की कमी, भवनों, कर्मचारियों और उपकरणों जैसी बुनियादी सुविधाओं के अभाव और रिक्त पदों के मामलों के लंबित रहने के प्रमुख कारणों के रूप में पहचान की गई है; और

(च) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए हैं ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) जी, हां।

ग्यारहवें निधि आयोग ने अपनी 120वीं रिपोर्ट में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह सिफारिश की है कि न्यायाधीशों की संख्या, जो वर्तमान में प्रति दस लाख जनसंख्या पर 10.5 है, बढ़ाकर प्रति दस लाख जनसंख्या पर 50 न्यायाधीश कर दी जाए।

(ख) वर्तमान में न्यायाधीशों की स्वीकृत सदस्य-संख्या प्रति दस लाख जनसंख्या पर 13 है।

(ग) और (घ) उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन अधिनियम, 1986 के अनुसार, भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत सदस्य-संख्या 26 है, जिसमें भारत के मुख्य न्यायमूर्ति भी सम्मिलित है। इसके पश्चात् भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की सदस्य-संख्या बढ़ाने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की सदस्य-संख्या का तीन वर्ष में एक बार पुनर्विलोकन किया जाता है। ऐसा अंतिम पुनर्विलोकन वर्ष 1999 में किया गया था। तद्नुसार, 15 फरवरी, 2001 को विभिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों/अतिरिक्त न्यायाधीशों की स्वीकृत सदस्य-संख्या 647 थी।

जहां तक अधीनस्थ न्यायपालिका का संबंध है, वहां न्यायाधीशों की सदस्य-संख्या का अवधारण राज्य सरकारों द्वारा अपने-अपने उच्च न्यायालयों के परामर्श से किया जाता है। तथापि, 11वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में, जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या को सारवान रूप से कम करने के लिए, देश में अगले पांच वर्षों में 1734 अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना के लिए 502.90 करोड़ रुपए की रकम मंजूर की गई है।

(ङ) और (च) विभिन्न न्यायालयों में मामलों के लंबित होने के अनेक जटिल कारण हैं। इनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, न्यायाधीशों के रिक्त स्थानों को न भरा जाना, न्यायाधीशों की अपर्याप्त सदस्य-संख्या, भवनों, कर्मचारिवृन्द और उपस्करों की अपर्याप्त अवसंरचना, नागरिकों में अनेक अधिकारों के प्रति जागरूकता के कारण अधिक मामलों का संस्थित होना, विभिन्न विधियों का अधिनियमित होना, मुकदमेबाजी के पैटर्न में भारी परिवर्तन होना, मामलों का बार-

बार स्थगन, जनसंख्या में वृद्धि, वकीलों की हड़ताल आदि कुछ मुख्य कारण हैं।

न्यायपालिका के विभिन्न स्तरों पर रिक्तियों को भरने के लिए संबद्ध प्राधिकारी समय-समय पर कई उपाय करते हैं।

न्यायपालिका के लिए अवसंरचनात्मक प्रसुविधाओं अर्थात् न्यायालय भवनों और न्यायाधीशों के निवासों का निर्माण, कम्प्यूटर उपलब्ध कराना आदि के विकास से संबंधित केंद्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित एक स्कीम जो उच्च न्यायालयों और जिला/अधीनस्थ न्यायालयों को लागू होती है, 1993-94 से क्रियान्वित की जा रही है, जिसके अधीन अभी तक 800 करोड़ रु० (लगभग) की रकम खर्च की जा चुकी है।

[हिन्दी]

कारों में रसोई गैस का प्रयोग

*109. **श्री सुरेश चन्देल : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने शहरों में बढ़ते प्रदूषण स्तर को रोकने के लिए कारों में रसोई गैस के प्रयोग और इस हेतु विशेष रसोई गैस सिलेण्डरों के विनिर्माण की अनुमति देने का निर्णय लिया था;

(ख) यदि हां, तो क्या जनवरी, 2001 में विभिन्न समाचार पत्रों में कारों में रसोई गैस का ईंधन के रूप में इस्तेमाल आरम्भ करने के खिलाफ चेतावनी छपी गई है;

(ग) यदि हां, तो क्या उक्त चेतावनी सरकारी नीति का उल्लंघन नहीं है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस मामले में स्थिति को स्पष्ट करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) से (ङ) आटोमोटिव ईंधन के रूप में एल०पी०जी० के प्रयोग की अनुमति देने के लिए मोटर वाहन अधिनियम, 1988 में अगस्त, 2000 में संशोधन कर दिया गया है। केन्द्रीय मोटर वाहन (संशोधन) नियमावली का प्रारूप 12 फरवरी, 2001 को प्रकाशित कर दिया गया है जिसमें जनसाधारण से 30 दिन के भीतर आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त एल०पी०जी० (मोटर वाहनों में) प्रयोग का विनयमन) आदेश को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इन प्रक्रियाओं के पूरा होने तक आटोमोटिव ईंधन के रूप में एल०पी०जी० का प्रयोग निषिद्ध रहेगा।

मोटर वाहनों में वैकल्पिक ईंधन के रूप में एल०पी०जी० के अनधिकृत प्रयोग के विरुद्ध जनसाधारण को चेतावनी देते हुए (3 जनवरी, 2000) को राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश दिल्ली की सरकार द्वारा एक सार्वजनिक सूचना जारी की गई थी जिसमें जनसाधारण से आटोमोटिव ईंधन के रूप में प्रयोग हेतु एल०पी०जी० के अनुमोदित किए जाने तक अपने वाहनों में एल०पी०जी० किट सिलेंडरों की पश्च फिटिंग से बचने के लिए कहा गया था।

उपर्युक्त के मुद्देनजर, सरकारी नीति में कोई विरोधाभास नहीं है।

[अनुवाद]

रेलवे भूमि पर अतिक्रमण

*110. **श्री सी०पी० राधाकृष्णन : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे भूमि पर अतिक्रमण के संबंध में मंत्रालय की नीति क्या है;

(ख) अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा जोनवार (क्षेत्रवार) रेलवे भूमि के कुल कितने क्षेत्र पर अतिक्रमण किया गया है; और

(ग) अतिक्रमण करने वालों को हटाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी) : (क) और (ग) रेलवे भूमि, विशेषकर पटरियों के आस-पास, अनधिकृत कब्जे रेलवे के लिए संरक्षा की दृष्टि से खतरनाक होते हैं, इसलिए रेलें इन्हें अपनी भूमि से हटाने के निरंतर प्रयास करती हैं। जैसे ही किसी नए अतिक्रमण का पता चलता है, उसे तत्काल हटा दिया जाता है। पुराने अतिक्रमणों को सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम 1971 के उपबंधों के तहत हटाया जाता है। रेलों को, अप्राधिकृत अधिभोगियों से निपटने के लिए रेल अधिनियम 1989 की धारा 147 का प्रभावी उपयोग करने के भी, निदेश दिये गये हैं। चूंकि अतिक्रमण हटाए जाने के समय मुख्यत: कानून और व्यवस्था की समस्या पैदा होती है इसलिए सिविल पुलिस से भी मदद ली जाती है।

(ख) अप्राधिकृत अधिभोग के तहत आने वाली रेलवे की भूमि के क्षेत्र का ब्यौरा नीचे दिया गया है :–

जोन	अतिक्रमण के अंतर्गत क्षेत्र (हेक्टेयर में)
मध्य रेलवे	89
पूर्व रेलवे	42
उत्तर रेलवे	1218
पूर्वोत्तर रेलवे	895
पूर्वोत्तर सीमा रेलवे	358
दक्षिण रेवले	77
दक्षिण मध्य रेलवे	86
दक्षिण पूर्व रेलवे	777
पश्चिम रेलवे	105
जोड़	3647

मामलों के शीघ्र निपटान हेतु न्यायालय

*111. **श्री सुरेश रामराव जाधव :**
श्री अधीर चौधरी :

क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आपराधिक मामलों में विशेषकर विचाराधीन कैदियों से संबंधित मामलों में त्वरित न्याय प्रदान करने के उद्देश्य से देश के प्रत्येक जिले में मामलों के शीघ्र निपटान हेतु अधीनस्थ (फास्ट ट्रैक) न्यायालय स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश के प्रत्येक जिले में ऐसे फास्ट ट्रैक न्यायालय स्थापित करने हेतु कितनी धनराशि की आवश्यकता है; और

(घ) इन न्यायालयों से विचाराधीन कैदियों को त्वरित न्याय प्रदान करने में किस हद तक सहायता मिलेगी ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) सरकार ने ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में, देश में 1734 अतिरिक्त न्यायालय गठित करने का विनिश्चय किया है। उक्त न्यायालयों से पुराने लंबित मामलों जिनमें सेशन न्यायालयों के मामलों और जेलों में विचाराधीन कैदियों से संबंधित मामलों को पूर्विकता देते हुए, शीघ्र निपटान के लिए त्वरित निपटान न्यायालयों के रूप में काम करने की आशा की जाती है।

(ख) सृजित किए जाने वाले न्यायालयों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) इन न्यायालयों के लिए राज्यवार आबंटित और जारी की गई राशि संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(घ) इन न्यायालयों की प्रथम पूर्विकता, पुराने लंबित सेशन मामलों और जेलों में विचाराधीन कैदियों से संबंधित अन्य मामलों को निपटाने की होगी। ये न्यायालय राज्य सरकारों द्वारा, अपने-अपने उच्च न्यायालयों से परामर्श करके, स्थापित किए जाएंगे और इनके अप्रैल, 2001 से कार्य आरंभ करने की संभावना है। ये न्यायालय मार्च, 2005 तक कार्यरत रहेंगे। प्रत्येक न्यायालय से 14 सेशन मामले या 25 दांडिक/सिविल मामले प्रति मास निपटाए जाने की आशा की जाती है। आशा है कि ये न्यायालय वर्ष 2005 तक लगभग 20 लाख मामले निपटा देंगे।

विवरण-I

अतिरिक्त न्यायालयों का राज्यवार विवरण

क्रम सं०	राज्य का नाम	न्यायालयों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	86
2.	अरूणाचल प्रदेश	5
3.	असम	20
4.	बिहार	183
5.	छतीसगढ़	31
6.	गोवा	5
7.	गुजरात	166
8.	हरियाणा	36
9.	हिमाचल प्रदेश	9
10.	जम्मू-कश्मीर	12
11.	झारखंड	89
12.	कर्नाटक	93
13.	केरल	37
14.	मध्य प्रदेश	85
15.	महाराष्ट्र	187
16.	मणिपुर	3
17.	मेघालय	3
18.	मिजोरम	3
19.	नागालैंड	3
20.	उड़ीसा	72
21.	पंजाब	29
22.	राजस्थान	83
23.	सिक्किम	3
24.	तमिलनाडु	49
25.	त्रिपुरा	3
26.	उत्तर प्रदेश	242
27.	उत्तरांचल	45
28.	पश्चिमी बंगाल	152
	कुल	1734

विवरण-II

ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा सिफारिश की गई निधि और न्यायिक प्रशासन के अधीन 17.11.2000 तक दिया गया अनुदान

(करोड़ रुपए में)

क्रम सं०	राज्य	ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिश		जारी की गई
		2000-05	2000-01	2000-01
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	25.00	10.06	2.52
2.	अरूणाचल प्रदेश	1.31	0.53	0.13
3.	असम	5.89	2.37	0.59
4.	बिहार	52.96	21.30	5.33
5.	छतीसगढ़	8.79	3.54	0.88
6.	गोवा	1.39	0.56	0.14
7.	गुजरात	48.22	19.39	4.85
8.	हरियाणा	10.50	4.22	1.06
9.	हिमाचल प्रदेश	2.70	1.09	0.27
10.	जम्मू-कश्मीर	3.34	1.34	0.34
11.	झारखंड	25.77	10.36	2.59
12.	कर्नाटक	27.02	10.87	2.72
13.	केरल	10.87	4.37	1.09
14.	मध्य प्रदेश	24.71	9.94	2.49
15.	महाराष्ट्र	54.08	21.75	5.44
16.	मणिपुर	1.00	0.40	0.10
17.	मेघालय	1.00	0.40	0.10
18.	मिजोरम	1.00	0.40	0.10
19.	नागालैंड	0.91	0.37	0.09
20.	उड़ीसा	20.74	8.34	2.09
21.	पंजाब	8.29	3.33	0.83
22.	राजस्थान	24.07	9.68	2.42
23.	सिक्किम	1.00	0.40	0.10
24.	तमिलनाडु	14.12	5.68	1.42
25.	त्रिपुरा	0.82	0.33	0.08
26.	उत्तरांचल	13.04	5.24	1.31
27.	उत्तर प्रदेश	70.22	28.24	7.06
28.	पश्चिमी बंगाल	44.14	17.75	4.44
	कुल	502.90	202.27	50.56

विपणन टर्मिनलों में टंकियों का रख-रखाव

*112. **श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में अनेक तेल कम्पनियों की विपणन टर्मिनल/संस्थापनाओं और डिपुओं में कुल कितनी टंकियां इस समय विभिन्न राज्यों में मरम्मत और रख-रखाव न होने के कारण बेकार पड़ी है;

(ख) क्या इन टर्मिनलों के बेकार होने के कारण विलम्ब शुल्क दरें दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है;

(ग) यदि हां, तो प्रतीक्षा के परिणामस्वरूप प्रतिदिन कुल कितनी विलम्ब-शुल्क धनराशि खर्च की गई है; और

(घ) सरकार द्वारा भविष्य में तेल कम्पनियों की ऐसी खामियां रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) फिलहाल, 124 टंकियां खराब हैं जिनकी मरम्मत और रख-रखाव किया जाना है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) पिछले तीन वर्षों में विलंब शुल्क का ब्यौरा नीचे दिया गया है :–

वर्ष	कुल विलम्ब शुल्क (करोड़ रुपये)
1998-99	468.4
1999-2000	113.2
2000-01 (अप्रैल-दिसम्बर)	21.3

(घ) इस प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

जल विद्युत उत्पादन हेतु राष्ट्रीय विद्युत नीति

*113. **श्री विलास मुत्तेमवार : क्या विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विशेषकर जल विद्युत उत्पादन के विकास हेतु नई राष्ट्रीय विद्युत नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्धारित और प्राप्त वास्तविक और वित्तीय लक्ष्यों के संबंध में चालू जल विद्युत परियोजनाओं के संबंध में परियोजना-वार प्रगति की समीक्षा का ब्यौरा क्या है;

(घ) जल विद्युत की संभावनाओं संबंधी की गई पहचान और तैयार की गई नई विद्युत परियोजनाओं का उनके स्थान और क्षमता का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस हेतु सामान्यतया और विशेषकर महाराष्ट्र में कितना निवेश किए जाने का प्रस्ताव है ?

विद्युत मंत्री (श्री सुरेश प्रभु) : (क) से (ङ) भारत सरकार ने देश में जल विद्युत विकास की गति को बढ़ाने के लिए अगस्त, 1998 में जल विद्युत विकास संबंधी एक नीति की घोषणा की थी। नीति में इस प्रयोजनार्थ निम्नलिखित उपायों की परिकल्पना की गयी है।

(1) केन्द्रीय क्षेत्र और राज्य क्षेत्र की जल विद्युत परियोजनाओं को पर्याप्त निधियां प्रदान करना।

(2) नई जल विद्युत शक्यता वाले स्थलों का बेसिन-वार विकास।

(3) व्यापक सर्वेक्षण और जांच कार्यों के माध्यम से बैंक ग्राह्य डी०पी०आर० और परियोजनाओं का कार्यक्रम तैयार करना।

(4) संयुक्त उद्यम व्यवस्थाओं के जरिए निजी निवेश को प्रोत्साहित करना।

(5) जल विद्युत परियोजनाओं को प्रोत्साहित करने के लिए एक समर्पित निधि की स्थापना करना।

(6) जल विद्युत टैरिफ का यौक्तिकरण।

(7) भूवैज्ञानिक जोखिमों से निपटने के लिए एक सांस्थानिक तंत्र प्रदान करना।

(8) निधियों के अभाव के कारण लड़खड़ा रही अथवा अंतर्राज्यीय मुद्दों के कारण बंद पड़ी परियोजनाओं को आरंभ करना।

(9) लघु जल विद्युत परियोजनाओं के विकास पर अधिकाधिक जोर प्रदान करना।

गत तीन वर्षों के दौरान जल विद्युत क्षमता अभिवृद्धि के लक्ष्य और उपलब्धियां निम्नवत है :–

	लक्ष्य	उपलब्धि
1997-98	516 मे०वा०	223 मे०वा०
1998-99	544.5 मे०वा०	542.5 मे०वा०
1999-2000	1563 मे०वा०	1371.5 मे०वा०

इन वर्षों के दौरान चालू किए जाने हेतु कार्यक्रम में शामिल निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाओं के भौतिक और वित्तीय कार्य निष्पादन का परियोजनावार ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है।

देश की जल विद्युत शक्यता 84044 मे०वा० (60% भार घटक पर) आंकी गयी है। अभिज्ञात जल विद्युत शक्यता राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है। वर्तमान में देश में 57031.52 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर कुल 13755.85 मे०वा० के लिए 50 स्वीकृति प्राप्त जल विद्युत परियोजनाएं क्रियान्वयनाधीन हैं जिनसे नौवीं योजना के दौरान और आगे के लिए लाभ प्राप्त होने की संभावना है। स्थल, क्षमता और निवेश को इंगित करते हुए परियोजनावार ब्यौरा विवरण-III में दिया गया है। इसमें 919.87 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर महाराष्ट्र में भिवपुरी पी०एस०एस० (1x90 मे०वा०) और घाटघर पी०एस०एस० (2x125 मे०वा०) शामिल है। इसके अतिरिक्त कुल 3607.9 मे०वा० क्षमता के लिए 14 स्कीमों को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी है। 350 मे०वा० कुल अधिष्ठापित क्षमता के लिए 4 स्कीमें जांचाधीन हैं, लगभग 50418 मे०वा० की कुल अधिष्ठापित क्षमता के लिए 166 स्कीमें सर्वेक्षण एवं जांच कार्य की विभिन्न अवस्थाओं में है और कुल 49505 मे०वा० अधिष्ठापित क्षमता के लिए 90 स्कीमों को पुन: जांच हेतु परियोजना प्राधिकारियों को लौटा दिया गया है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय क्षेत्र के अंतर्गत पांच नयी जल विद्युत परियोजनाओं को स्वीकृत किया गया है। ये हैं, हिमाचल प्रदेश में चमेरा-2 (300 मे०वा०), मणिपुर में लोकतक डाउनस्ट्रीम (90 मे०वा०), सिक्किम में तीस्ता चरण-5 (500 मे०वा०), उत्तरांचल में कोटेश्वर (400 मे०वा०) तथा मिजोरम में तुरियल (60 मे०वा०)। निवल बजटीय सहायता को 1997-98 में 1125.53 करोड़ से बढ़ाकर 2001-02 में 1982.15 करोड़ रुपये कर दिया गया है ताकि केन्द्रीय क्षेत्र के अंतर्गत बड़ी और मध्यम आकार की जल विद्युत परियोजनाओं को प्रोत्साहित किया जा सके।

भारत सरकार ने देश के विभिन्न हिस्सों में लगभग 30,000 मे०वा० की जल विद्युत का विकास करने के लिए कार्रवाई आरंभ की है। इसका एक बड़ा भाग उत्तर-पूर्व, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तरांचल में हैं। केन्द्रीय क्षेत्र के अंतर्गत 7 जल विद्युत परियोजनाओं (2798 मे०वा०) का विकास करने के लिए जम्मू और कश्मीर के साथ एक समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसी प्रकार, उत्तर-पूर्व में सियांग और सुबनसिरी बेसिनों में (20700 मे०वा०) जल विद्युत परियोजनाओं के विकास के लिए कार्यवाही आरंभ की गयी है। इसके अतिरिक्त, अरुणाचल प्रदेश में कामेंग (600 मे०वा०) तथा रंगानदी चरण-2 (180 मे०वा०), मिजोरम में तुईवई (60 मे०वा०) और मणिपुर में तिपाईमुख (1500 मे०वा०) को भी केन्द्रीय क्षेत्र के अंतर्गत विकसित किए जाने का प्रस्ताव है। हिमाचल प्रदेश में पार्बती परियोजना (2051 मे०वा०), कोल बांध परियोजना (800 मे०वा०) रामपुर जल विद्युत परियोजना (580 मे०वा०) को विकास हेतु अभिज्ञात किया गया है। भारत सरकार निधियों की कमी के कारण तथा अंतर्राज्यीय विवादों में फंसी पड़ी जल विद्युत परियोजनाओं के विकास को भी

उच्च प्राथमिकता प्रदान कर रही है। मध्य प्रदेश में ओंकारेश्वर (520 मे०वा०) तथा इंदिरा सागर परियोजना (1000 मे०वा०) को संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार के साथ एक समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

विवरण-I

परियोजना-वार पिछले तीन वर्षों के दौरान भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य एवं उपलब्धता 1997-98

(रु० करोड़)

	परियोजना का नाम एवं अधिष्ठापित क्षमता	भौतिक कार्य निष्पादन		वित्तीय कार्य निष्पादन	
		लक्ष्य मे०वा०	उपलब्धता मे०वा०	आवंटन	वास्तविक व्यय
	1	2	3	4	5
केन्द्रीय क्षेत्र					
1.	दोयांग नागालैंड 13x25 मे०वा०	2.5	नहीं	50.00	125.65
राज्य क्षेत्र					
2.	सीवा-III ज० एवं क० 3x3 मे०वा०	9	नहीं	8.5	5.62
3.	चेन्नानी-III ज० एवं क० 3x25 मे०वा०	7.5	नहीं	11	4.78
4.	सोबला उ०प्र० 2x3 मे०वा०	6	नहीं	1	0.79
5.	कादना पी०एस०एस० गुजरात विस्तार 2x60 मे०वा०	60	नहीं	1.90	0.99
6.	वारना महाराष्ट्र 2x8 मे०वा०	16	8	1	1.06
7.	दुधगंगा महाराष्ट्र 2x12 मे०वा०	24	नहीं	1.60	1.99
8.	सिंगर आंध्र प्रदेश 2x75 मे०वा०	15	नहीं	4.22	1.11
9.	कालन्दी-II कर्नाटक कादरा 3x50 मे०वा० कादासल्ली 3x40 मे०वा०	90	50	75.40	82.26
10.	लोअर केरल परियार 3x60 मे०वा०	120	120	7.0	37.73
11.	काकड़ केरल 2x25 मे०वा०	50	नहीं	10.20	12.27
12.	पॉरिगलकट्ट केरल एल०बी० विस्तार 1x16 मे०वा०	16	नहीं	4.70	15.29
13.	सतनानूर तमिलनाडु डेम 1x75 मे०वा०	7.5	नहीं	0.42	4.64
14.	लोअर भिवानी तमिलनाडु डेम आर०बी०सी०	8	8	4.68	4.74
15.	पूर्वी गंडक बिहार 3x5 मे०वा०	5	5	1.50	0.19
16.	तीस्ता फाल्स पं०बं० चरण-I व II	45	30	72.35	58.73
17.	पतेरू उड़ीसा 1x3+1x3 मे०वा० प्रत्येक)	6	नहीं	3.00	1.56
18.	नरॉग अरुणाचल प्रदेश 3x2 मे०वा०	6	6	2.0	उ०न०
19.	बादरा आर०बी०सी० कर्नाटक	नहीं	6.0	5.0	1.58
	कुल	516	233		

1	2	3	4	5
	1998-99			
केन्द्रीय क्षेत्र				
1. दोयांग नागालैंड 3x25 मे०वा०	25	नहीं	90.00	54.00
राज्य क्षेत्र				
2. सोबला उ०प्र० 2x3 मे०वा०	6	6	उ०न०	उ०न०
3. अपर सिन्ध-II ज० एवं क० 2x35 मे०वा०	35	नहीं	45.50	34.50
4. सीवा-III ज० एवं क० 3x3 मे०वा०	9	नहीं	5.58	6.86
5. चेन्नानी-III ज० एवं क० 3x25 मे०वा०	7.5	नहीं	7.60	6.18
6. रणजीत सागर पंजाब डेम 4x150 मे०वा०	150	नहीं	300	403.03
7. वारना महाराष्ट्र 2x8 मे०वा०	8	8	1.25	2.22
8. दुध गंगा महाराष्ट्र 2x12 मे०वा०	12	नहीं	1.80	1.96
9. कादना गुजरात पीएसएस विस्तार 2x60 मे०वा०	60	60	2.14	1.77
10. सिंगुर आन्ध्र प्रदेश 2x75 मे०वा०	7.5	नहीं	8.65	8.61
11. कालीनदी-II कर्नाटक कांदरा 3x50 मे०वा० कोडासल्ली 3x40 मे०वा०	180	180	45.93	35.13
12. पोरिंगल केरल कट्ट एल०बी० विस्तार 1x16 मे०वा०	16	16	3.4	5.82
13. सतन्नूर तमिलनाडु डेम 1x75 मे०वा०	7.5	7.5	1.51	2.54
14. पतेरू उड़ीसा चरण-I व II (1x3+1x3 मे०वा०)	6	नहीं	3.00	1.96
15. तीस्ता पं० बंगाल कनाल फालस चरण-II (3x75 मे०वा०)	15	15	42.31	36.87
16. कोयना चरण-IV महाराष्ट्र 4x250 मे०वा०	नहीं	250	290.00	173.10
कुल	544.5	542.5		
	1999-2000			
केन्द्रीय क्षेत्र				
1. दोयांग नागालैंड 3x25 मे०वा०	50	नहीं	110	190
2. रंगीरा-III सिक्किम 3x20 मे०वा०	20	60	106.55	104.49
राज्य क्षेत्र				
3. सीवा-III ज० एवं क० 3x3 मे०वा०	9	नहीं	4.60	3.39
4. चेन्नानी-III ज० एवं क० 3x25 मे०वा०	7.5	नहीं	5.80	4.82
5. अपर सिन्ध-II ज० एवं क० 2x35 मे०वा०	नहीं	35	9.09	35.68
6. रणजीत सागर पंजाब डेम 4x150 मे०वा०	300	नहीं	145.0	208.39

	1	2	3	4	5
7.	राजघाट मध्य प्रदेश 3x15 मे०वा०	45	45	19.69	7.60
8.	दुध गंगा 2x12 मे०वा०	24	24	3.09	3.53
9.	कोयला चरण-IV महाराष्ट्र 4x250 मे०वा०	500	750	113	61.85
10.	सिंगुर आन्ध्र प्रदेश 2x75 मे०वा०	15	15	6.57	3.78
11.	काकड केरल 2x25 मे०वा०	50	50	1.10	9.84
12.	कालीनदी-II कर्नाटक कोदा-सल्ली 3x40 मे०वा०	40	40	21.22	14.79
13.	पारसन घाटी तमिलनाडु 1x30 मे०वा०	30	30	9.11	12.26
14.	अपर इन्द्रावती उड़ीसा 4x150 मे०वा०	450	300	94.65	148.79
15.	तीस्ता पं० बंगाल केनाल फाल्स (3x3x75 मे०वा०)	22.5	22.5	16.10	23.02
	कुल	1563	1371.5		

विवरण-II

जल विद्युत शक्यता विकास स्थिति

(1.2.2001 की स्थितिनुसार)

क्षेत्र/राज्य	60% एल०एफ० पर मूल्यांकित शक्यता मे०वा०	60% एल०एफ० पर विकसित शक्यता मे०वा०	% विकसित	60% एल०एफ० के अंतर्गत विकासाधीन शक्यता मे०वा०	विकासाधीन %	विकसित/विकासाधीन शक्यता का %
1	2	3	4	5	6	7
उत्तरी						
जम्मू एवं कश्मीर	7487.00	501.83	6.70	385.50	5.15	11.85
हिमाचल प्रदेश	11647.00	2012.90	17.28	631.33	5.42	22.70
पंजाब	922.00	656.33	71.19	173.33	18.80	89.99
हरियाणा	64.00	51.67	80.73	11.67	18.23	98.96
राजस्थान	291.00	192.67	66.21	8.00	2.75	68.96
उत्तर प्रदेश	9744.00	1145.33	11.75	1334.00	13.69	25.44
उप जोड़ (उ०क्षे०)	30155.00	4560.73	15.12	2543.83	8.44	23.56
पश्चिमी						
मध्य प्रदेश	2774.00	587.83	21.19	1202.72	43.36	64.55
गुजरात	409.00	138.67	33.90	110.67	27.06	60.96
महाराष्ट्र	2460.00	1118.83	45.48	186.83	7.59	53.08
गोवा	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
उप जोड़ (प०क्षे०)	5679.00	1845.33	32.49	1500.22	26.42	58.91

1	2	3	4	5	6	7
दक्षिणी						
आन्ध्र प्रदेश	2909.00	1402.25	48.20	34.37	1.18	49.39
कर्नाटक	4347.00	2304.50	53.01	328.67	7.56	60.57
केरल	2301.00	1125.50	48.91	219.30	9.53	58.44
तमिलनाडु	1206.00	946.50	78.48	67.50	5.60	84.08
उप जोड़ (द०क्षे०)	10763.00	5778.75	53.69	649.83	6.04	59.73
पूर्वी क्षेत्र						
बिहार	538.00	119.95	22.30	211.00	39.22	61.51
उड़ीसा	1983.00	1100.50	55.50	8.95	0.45	55.95
प० बंगाल	1786.00	91.33	5.11	9.83	0.55	5.66
सिक्किम	1283.00	57.50	4.48	109.00	8.50	12.98
उप जोड़	5590.00	1369.28	24.50	338.78	6.06	30.56
उत्तरी पूर्वी क्षेत्र						
मेघालय	1070.00	121.67	11.37	0.00	0.00	11.37
त्रिपुरा	9.00	8.50	94.44	0.00	0.00	94.44
मणिपुर	1176.00	73.17	6.22	47.83	4.07	10.29
असम	351.00	111.67	31.81	90.83	25.88	57.69
नागालैंड	1040.00	56.00	5.38	25.88	2.49	7.87
अरूणाचल प्रदेश	26756.00	16.50	0.06	108.33	0.40	0.47
मिजोरम	1455.00	1.00	0.07	36.83	2.53	2.60
उप जोड़ (उ०पू०क्षे०)	31857.00	388.50	1.22	309.72	0.97	2.19
अखिल भारत	84044.00	13942.60	16.59	5342.38	6.36	22.95

विवरण-III

निमार्णाधीन जल विद्युत स्कीमें

(22.2.2001 की स्थितिनुसार)

क्र० सं०	स्कीम का नाम	क्षेत्र/राज्य	अधिष्ठापित क्षमता मे०वा०	मे०वा०	चालू करने का कार्यक्रम	नवीन अनुमानित लागत (करोड़ रु०)	3/2000 तक व्यय	टिप्प
1	2	3	4	5	6	7	8	9
केन्द्रीय क्षेत्र								
1.	नाथपा झाकरी (एनजेपीसी)	हि०प्र०	6x250	1500.00	2001-02*	7666.31	4576.33	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	दुलहस्ती (एनएचपीसी)	ज० एवं क०	3x130	390.00	2001-02*	3559.77	2463.56	
3.	चमेरा चरण-II एनएचपीसी	हि०प्र०	3x100	300.00	2004-05	1684.02	300.01	
4.	लोक तक डी/एस एनएचपीसी	मणिपुर	3x30	90.00	2006-07	578.62	6.59	
5.	तीस्ता चरण-I/एनएचपीसी	सिक्किम	3x170	510.00	2006-07	2198.04	36.98	
6.	धोलीगंगा एनएचपीसी	उ०प्र०	4x70	280.00	2004-05	1578.31	271.94	
7.	टिहरी चरण-I टीएचडीसी	उ०प्र०	4x250	1000.00	2001-03*	5690.64	2484.83	
8.	कोटेश्वर टीएचडीसी	उ०प्र०	4x100	400.00	2005-06	1301.56	41.47	
9.	रंगानदी नीपको	अरूणाचल प्र०	3x135	405.00	2001-02	1446.09	993.68	
10.	तुरयंल (नीपको)	मिजोरम	2x30	60.00	2005-07	448.19	19.82	
11.	कोपली चरण-II नीपको	असम	1x25	25.00	2001-02*	76.09	9.62	
12.	इन्द्रा सागर एनएचडीसी	म०प्र०	8x125	1000.00	10th plan	4558.34	1121.51	
	कुल (केन्द्रीय क्षेत्र)			5960.00		30785.98	12326.34	
	राज्य क्षेत्र							
	उत्तरी क्षेत्र							
13.	डब्ल्यूवाईसी	हरियाणा	2x7.2	14.40	2002-03	94.00	7.97	
14.	लारजी	हि०प्र०	3x42	126.00	10th plan	796.98	144.05	
15.	अपर सिन्ध-II	ज० एवं क०	2x35	70.00	1999-01	399.50	330.50	यूनिट-I रोलिड
15बी.	अपर सिन्ध-II विस्०	ज० एवं क०	1x35	35.00	2000-01	42.27	25.39	
16.	सीवा चरण-III	ज० एवं क०	3x3	9.00	2000-01	60.00	43.93	
17.	साहपूरखंडी #	पंजाब	2x40 + 1x8	168.00	11th plan	1538.00	65.05	
18.	लखंवार प्यासी #	उ०प्र०	3x100 + 2x60	420.00	10th plan	1446.00	233.13	
19.	मनारी भाली-II $	उ०प्र०	4x76	304.00	2003-05	1249.18	150.22	
20.	कटा पत्थर #	उ०प्र०	2x9.5	19.00	2005-06	27.58	उ०न०	
	जोड़ (उत्तरी क्षेत्र)			1165.40		5653.51	1000.25	
	पश्चिमी क्षेत्र							
21.	सरदार सरोवर	गुज०/म०प्र०/ महाराष्ट्र	6x200+ 5x50	1450.00	2001-04*	3267.25	1982.57	
22.	बाणसागर टोन्स चरण-II एवं एवं चरण-III	म०प्र०	2x15+ 3x20	90.00	2001-02*	966.81	758.69	यूनिट-i फेस-III
23.	बाणसागर टोन्स चरण-IV	म०प्र०	2x10	20.00	2001-02*	84.97	5.31	रोलिड
24.	घाटघर पीएसएस	महाराष्ट्र	2x125	250.00	2004-05	830.00	130.00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
25.	बिवपूरी पीएसएस #	महाराष्ट्र	1x90	90.00	Beyond 9th plan	89.87	उ०न०	
	कुल (पश्चिमी क्षेत्र)			1900.00		5238.90	2876.57	
	दक्षिणी क्षेत्र							
26.	श्रीसेलम एलबीपीएच	आंध्र प्रदेश	6x150	900.00	2000-02*	2482.00	2018.34	
27.	बिंदावन #	कर्नाटक	2x6	12.00	2001-02*	51.24	8.30	
28.	सारपाडी	कर्नाटक	3x30	90.00	2002-03	369.45	4.68	
29.	सावरवती टेल रेस	कर्नाटक	4x60	240.00	2001-02	420.00	313.52	यूनिट-I रोलिड
30.	मालनखेडा	केरल	3x3.5	10.50	2002-03	41.57	6.22	
31.	कट्टीयाडी टेल रेस	केरल	3x1.25	3.75	10th plan	13.38	7.02	
32.	पाईकारा अलटीमैट	तमिलनाडु	3x50	150.00	10th plan	373.06	176.07	
33.	कालपोंग	अ० एवं नि०	3x1.75	5.20	2001-02	47.31	31.83	
	कुल (दक्षिणी क्षेत्र)			1411.45		3798.01	2565.98	
	पूर्वी क्षेत्र							
34.	वाद्रिल	बिहार	2x4	8.00	2001-02	32.49	26.45	
35.	नार्थ कोयल$	बिहार	2x12	24.00	2001-02*	47.34	36.47	
36.	अपर इन्द्रावती	उड़ीसा	4x150	600.00	1999-2001	1107.10	1036.57	
37.	पतेरु	उड़ीसा	1x3 + 1x3	6.00	2001-02	18.83	19.82	
38.	बालीमेला डेम टोय फेस	उड़ीसा	2x30	60.00	10th plan	69.30	20.00	
39.	रामम चरण-I #	पं० बंगाल	3x12	36.00	10th plan	176.59	0.30	
39.	पुरुलिया पीएसएस	पं० बंगाल	4x225	900.00	2004-06	3188.90	67.10	
40.	रोलिप-I #	सिक्किम	2x4.5	9.00	2003-04	45.00	1.26	
	कुल (पूर्वी क्षेत्र)			1643.00		4685.55	1207.97	
	उत्तरी पूर्वी क्षेत्र							
42.	कारबी लांगपी $ लोओर बोरपानी	असम	2.50	100.00	2003-04	288.37	128.01	
43.	धनश्री $	असम	5x3x1.33	20.00	2002-03	78.63	38.94	
44.	लिखिमी-रो	नागालैंड	3x8	24.00	2001-02	186.59	168.25	
	कुल (उ०पू०क्षे०)			144.00		553.59	335.20	
	कुल (राज्य क्षेत्र)			6263.85		19929.56	7985.97	
	निजी क्षेत्र							
45.	बासपा चरण-III $	हि०प्र०	3x100	300.00	2001-02*	949.23	657.67	
46.	मलाना	हि०प्र०	2x43	86.00	10th plan	332.71	उ०न०	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
47.	विष्णु प्रयाग	उ०प्र०	4x100	400.00	10th plan	1614.66	193.28	
48.	श्रीनगर	उ०प्र०	4x82.5	330.00	2005-06	1699.12	100.00	
49.	मेहेश्वर $	म०प्र०	10x40	400.00	2003-05	1673.00	126.49	
50.	भुथाथानकट्ट् $	केरल	16x00	16.00	2001-02*	47.26	उ०न०	
	कुल (निजी क्षेत्र)			1532.00		6315.98	1095.44	
	कुल (अखिल भारत)			13755.85		57031.52	21407.75	
उपरोक्त में से पहले ही चालू की गई जल विद्युत क्षमता				565.00				
क्रियान्वयानाधीन नई जल विद्युत क्षमता				13190.85				

*8399.2 मे०वा० के संशोधित नवी योजना कार्यक्रम से 3787 मे०वा० की क्षमता अभिवद्धि पिछड़ सकती है।

#परियोजना का कार्य अभी शुरू किया जाना है।

$परियोजना पर कार्य रोके गये है।

राष्ट्रीय पर्यटन नीति

***114. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोनाराम चौधरी : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को नई राष्ट्रीय पर्यटन नीति के बारे में अनेक राज्यों से टिप्पणियां/सुझाव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो उनके द्वारा की गई टिप्पणियों/दिए गए सुझावों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने नई नीति के प्रारूप को मंजूरी दे दी है;

(घ) यदि हां, तो नई नीति की मुख्य विशेषताएं क्या हैं और नई नीति में शामिल राज्य सरकारों की टिप्पणियां/सुझावों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार की त्वरित विकास और रोजगार हेतु निवेश को आकर्षित करने के लिए विद्यमान पर्यटन नीति को संशोधित करने की योजना है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) इसकी घोषणा कब तक किए जाने की संभावना है ?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) और (ख) नई पर्यटन नीति का प्रारूप, राज्य सरकारों/संघ शासित राज्य प्रशासनों में, उनकी टिप्पणियों/सुझावों को आमंत्रित करते हुए परिचालित किया गया था। गुजरात, मेघालय, आन्ध्र प्रदेश तथा मिजोरम की सरकारों से टिप्पणियां/सुझाव प्राप्त हो गए हैं। मुख्य सुझाव नीचे दर्शाए गए हैं :–

(i) नए गंतव्यों में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के आगमन को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रोत्साहन पैकेज विकसित करना।

(ii) पर्यटन क्षेत्र की दीर्घावधि व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य संसाधनों, सम्मेलन/समागम पर्यटन मार्गों आदि के विविधीकरण हेतु कदम उठाना।

(iii) पर्यटन क्षेत्र में समुन्नयन कार्यक्रमों हेतु निजी निवेश को प्रोत्साहन देना।

(iv) पर्यटन पर अनुसंधान एवं आंकड़ों (डाटाबेस) का विकास।

(v) विभिन्न राज्यों में गैर निर्माण परियोजनाओं हेतु अधिक वित्तीय सहायता।

(vi) नई होटल परियोजनाओं के अनुमोदन के मामले में शक्ति का विकेन्द्रीकरण तथा ब्याज इमदाद एवं इसके वितरण की स्वीकृति हेतु राज्य सरकारों को शक्ति का प्रत्यायोजन।

(vii) पूर्वोत्तर राज्यों में, विशेषतया अखण्डता से समझौता किए बिना स्थानीय लोगों के मूल्यों तथा संस्कृति को यथोचित सम्मान देते हुए इन राज्यों में पर्यटकों के आगमन को सरल बनाने के लिए सक्षम परिवेश के सृजन, पर्यटन एवं अवसरंचनात्मक सुविधाओं के विकास हेतु विशेष नीति।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) पर्यटन विभाग द्वारा तैयार की गई प्रारूप नीति में रोजगार सृजन हेतु एक तंत्र के रूप में पर्यटन के समुन्नयन हेतु

कार्य योजना तथा पर्यटन की निरंतर वृद्धि हेतु सार्वजनिक एवं निजी भागीदारी द्वारा आर्थिक विकास, विदेशी निवेश को सरल बनाना तथा होटल एवं संबंधित पर्यटन उद्योगों हेतु प्रोत्साहन, पर्यटक अवसंरचना आदि के लिए प्रचुर निधिकरण की सुविधा उपलब्ध करवाना।

(छ) नई पर्यटन नीति के प्रारूप को, सभी सम्बद्ध से टिप्पणियां/विचार आमंत्रित करते हुए, पर्यटन विभाग के सरकारी पोर्टल में प्रस्तुत किया गया है।

अपारम्परिक स्रोतों से निवेश

*115. **श्री पी०एस० गढ़वी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्व के अपारम्परिक स्रोतों से निवेश के प्रवाह की योजना बनाने के उद्देश्य हेतु कृतिक बल का गठन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो उनकी सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मार्ग-निदेशों को शीघ्र जारी करने हेतु सशक्त समितियां गठित की गई थीं; और

(घ) यदि हां, तो जोनल रेलवे को जारी उनके दिशा-निर्देशों का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी) : (क) और (ख) जी, हां। राजस्व के गैर-पारम्परिक स्रोतों से निवेश को सुप्रवाही बनाने के उद्देश्य से वरिष्ठ रेल अधिकारियों और फेडरेशन ऑफ इंडियन चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्रीज (फिक्की), कॉनफेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज (सी०आई०आई०) और ऐसोसिएटिड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज (एसोचैम) के प्रतिनिधियों को शामिल करके विभिन्न मामलों का गहराई से अध्ययन करने के लिए एक कार्यबल का गठन किया गया था। कार्यबल ने गैर-पारंपरिक स्रोतों यथा भूमि और आकाश क्षेत्र के वाणिज्यिक दोहन, अपने मालडिब्बे के मालिक बनें, बोल्ट (निर्माण-स्वामित्व-पट्टा-हस्तांतरण) योजना, वाणिज्यिक प्रचार और निजी संगठनों के साथ संयुक्त उद्यम लगाने और एस०पी०वी० (स्पेशल परपज़ वैहिकिल) के निर्माण सहित वित्तपोषण के अन्य नए पैकेजों से राजस्व जुटाने की सिफारिश की है।

(ग) और (घ) जी हां, इस संबंध में निम्नलिखित कार्रवाई की गई है :

(i) वाणिज्यिक प्रचार से और आमदनी प्राप्त करने के लिए सभी क्षेत्रीय रेलों को व्यापक दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। दिशा-निर्देशों में स्टेशन परिसर, रेल गाड़ियां, समपार, बड़े स्टेशनों के पहुंच मार्गों आदि को शामिल किया गया है। इसमें गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में क्षेत्रीय रेलवे द्वारा की जाने वाली कार्रवाई दी गई है।

(ii) सभी क्षेत्रीय रेलों को रेलवे भूमि/आकाश क्षेत्र के वाणिज्यिक उपयोग की व्यापक प्रणाली के ब्यौरे जारी कर दिए गए हैं और रेलों को चिहनित स्थलों में काम शुरू करने के लिए कहा गया है।

(iii) ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने के लिए रेलपथ के साथ-साथ रेलवे के मार्गाधिकार और अतिरिक्त क्षमता के विपणन के वाणिज्यिक दोहन के लिए रेलटेल कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटिड नामक एक नए निगम की स्थापना की गई है।

(iv) "अपने मालडिब्बे के मालिक बनें" योजना की शुरूआत। बहरहाल, इसकी सफलता आम तौर पर विभिन्न कारकों जैसे मालडिब्बों की उपलब्धता, अर्थव्यवस्था की स्थिति, परिवहन की मांग, पूंजी की लागत आदि पर निर्भर करती है। योजना की वित्त व्यवस्था को मौजूदा मुद्रा बाज़ार की स्थिति के अनुरूप बनाने के उद्देश्य से समूची ठेका अवधि के लिए निर्धारित दर रखने के बजाय, पट्टा प्रभारों के भुगतान को मुख्य उधार दर, मूल्यह्रास लाभ तथा कॉरपोरेट कर से जोड़ा गया है।

[हिन्दी]

राज्य विद्युत बोर्डों के कार्यकरण संबंधी योजना आयोग का प्रतिवेदन

*116. **श्री सुशील कुमार इन्दौरा** :
श्री जोरा सिंह मान :

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग, जो राज्य विद्युत बोर्डों के कार्यकरण का अध्ययन कर रहा था, ने अपने प्रतिवेदन में बिजली शुल्क में प्रति कि०वाट बहत्तर रुपये आठ पैसे वृद्धि करने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने योजना आयोग के प्रतिवेदन का अध्ययन किया है और इसे कार्यान्वित करने का निर्णय लिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) राज्य विद्युत बोर्डों की वित्तीय स्थिति में किस हद तक सुधार होने की संभावना है ?

विद्युत मंत्री (श्री सुरेश प्रभु) : (क) से (घ) योजना आयोग प्रत्येक वर्ष राज्य विद्युत बोर्डों (रा०वि० बोर्डों) और विद्युत विभागों के कार्यकरण संबंधी वार्षिक रिपोर्ट का प्रकाशन करता है। अप्रैल, 2000 में प्रकाशित अपनी नवीनतम रिपोर्ट में आयोग ने यह अवलोकन किया कि अधिकतर रा०वि० बोर्डों द्वारा वसूल की गयी औसत टैरिफ आपूर्ति की लागत से कम है जो कि रा०वि० बोर्डों द्वारा अर्जित हानियों के मुख्य कारणों में से एक हैं। योजना आयोग द्वारा सभी रा०वि० बोर्डों की वर्ष 1999-2000 के लिए अनुमानित औसत टैरिफ बेची गई विद्युत की 280.9 पैसे प्रति कि०वा०घं० आपूर्ति लागत की तुलना में 207.8 पैसे प्रति कि०वा०घं० अनुमानित की गई है। योजना आयोग ने यह भी अनुमान लगाया है कि 3% प्रतिफल की

दर प्राप्त करने के लिए, जैसा कि विद्युत आपूर्ति अधिनियम, 1948 में निर्धारित है, रा०वि० बोर्डों को औसत टैरिफ में 66 पैसे/73 पैसे प्रति कि०वा०घं० क्रमश: की वृद्धि करनी पड़ेगी।

रा०वि० बोर्डों की कार्यकरण संबंधी वार्षिक रिपोर्टों के भाग के रूप में यह केवल एक अवलोकन है न कि योजना आयोग द्वारा एक औपचारिक सिफारिश। विद्युत मंत्रालय यह महसूस करता है कि पारेषण एवं वितरण हानियों में कमी करके, विद्युत की चोरी का उन्मूलन करके टैरिफ ढांचे का यौक्तिकरण करके और रा०वि० बोर्डों की प्रचालनात्मक क्षमता में सुधार करके विद्युत की आपूर्ति और औसत टैरिफ के बीच अंतर को काफी कम किया जा सकता है। इसके लिए राज्य सरकारों द्वारा कार्यवाही अपेक्षित है।

विद्युत मंत्रालय राज्यों को सुधार कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करता रहा है ताकि रा०वि०बोर्डों की वित्तीय स्थिति को सुधारा जा सके। टैरिफ यौक्तिकरण के उद्देश्य से विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998 का अधिनियमन किया गया है जिसमें कुशल एवं पर्यावरणीय दृष्टि से उपयुक्त नीतियों को प्रोत्साहन और आर्थिक सहायताओं के संबंध में पारदर्शी नीतियों का प्रावधान किया गया है। 15 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों (उड़ीसा, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, दिल्ली, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश) ने अपने राज्य विद्युत विनियामक आयोगों की स्थापना कर ली है/स्थापना किए जाने को अधिसूचित कर लिया है। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात ने टैरिफ आर्डर जारी कर दिए हैं।

विद्युत एक समवर्ती सूची का विषय होने के कारण विद्युत मंत्रालय ने विद्युत क्षेत्र में सुधार के मॉडल व तरीके के संबंध में सर्वसम्मति तैयार करने के लिए नियमित अंतरालों में प्रयास किए हैं। इस उद्देश्य से मुख्य मंत्रियों/विद्युत मंत्रियों का सम्मेलन वर्ष 1996, 1998 और फरवरी, 2000 में आयोजित किए गए थे।

सुधार कार्य की गति में तेजी लाने के लिए कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और हरियाणा की सरकारों के साथ एक समझौता ज्ञापन/समझौता करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं जिसके अंतर्गत समयबद्ध तरीके से विद्युत क्षेत्र में सुधार कार्य आरंभ करने के लिए संयुक्त वचनबद्धताओं की रूप-रेखा तैयार की गई है।

[अनुवाद]

उपकरणों आदि का रख-रखाव

***117. श्री दिनेश चन्द्र यादव :**
श्री रामजीवन सिंह :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल पटरियों में टूट-फूट और रेल मार्ग के रख-रखाव के उपकरणों संबंधी अनुसंधान पर अत्यधिक खर्च करने के बावजूद अभी तक कोई ठोस परिणाम प्राप्त नहीं हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस कार्य पर अनुमानत: कितना वार्षिक खर्च किया गया;

(ग) इस संबंध में लक्ष्यों के प्राप्त न होने के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस मामले में किन उपायों पर विचार किया जा रहा है ?

रेल मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता। बहरहाल, भारतीय रेल ने 1997 में ''रेल पटरी दोष प्रबंधन'' अनुसंधान परियोजना में इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवेज के साथ मिलने का विनिश्चय किया। यह परियोजना चल रही है और इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवेज़ द्वारा अगले वित्त वर्ष के अंत तक पूरी कर लिए जाने का लक्ष्य है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

दोषपूर्ण मतदान मशीनें

***118. श्री गन्ता श्रीनिवास राव :**
श्री एम०वी०वी०एस० मूर्ति :

क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दोषपूर्ण इलैक्ट्रानिक मतदान मशीनों के बारे में राजनैतिक दलों की ओर से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार चुनावों में इलैक्ट्रानिक मतदान मशीनों का उपयोग बंद करने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) और (ख) विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। सरकार सम्पूर्ण देश में निर्वाचनों में इलैक्ट्रानिक मतदान मशीनों का उपयोग नियमित आधार पर करते रहने के पक्ष में है।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

भारत-निर्वाचन आयोग इलैक्ट्रानिक मतदान मशीनों की स्कीम के कार्यान्वयन के लिए समग्र रूप से भारसाधक है। आयोग ने सरकार को सूचित किया है कि उसे राजनीतिक दलों, निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों और अन्य व्यक्तियों से, निर्वाचन के पूर्व, निर्वाचन के दौरान और निर्वाचन के पश्चात् निर्वाचनों के संचालन के प्रबंधन से संबंधित विभिन्न पहलुओं, अर्थात्, मतपेटियों, मतपत्रों, इलैक्ट्रानिक मतदान मशीनों के संबंध में शिकायतें मिलती रहती हैं। निर्वाचन आयोग इन

सभी शिकायतों पर विचार करता है और जहां कहीं आवश्यक हो, आवश्यक सुधारात्मक उपाय करता है। निर्वाचन आयोग का यह कथन है कि विगत निर्वाचनों (हाल ही में हुए उप निर्वाचनों को छोड़कर) के दौरान भी उसे, निर्वाचन प्रबंधन के अन्य पहलुओं के बारे में शिकायतों के साथ-साथ, कुछ इलैक्ट्रानिक मतदान मशीनों के काम न करने की बाबत शिकायतें प्राप्त हुई थीं। 1998 से अब तक हुए निर्वाचन में ऐसी इलैक्ट्रानिक मतदान मशीनों की संख्या जो उपयोग में लाई गई, दोषयुक्त पाई गई और उनकी प्रतिशतता, दर्शाने वाला एक विवरण अनुबंध के रूप में संलग्न है। विवरण से स्पष्ट है कि दोषयुक्त पाई गई इलैक्ट्रानिक मतदान मशीनों का प्रतिशत, जनसाधारण, राजनीतिक दलों, अभ्यर्थियों और अन्य व्यक्तियों से इन मशीनों के उपयोग के संबंध में भारी उत्साह को ध्यान में रखते हुए नगण्य है।

निर्वाचन आयोग ने आगे यह और सूचित किया है कि पिछले निर्वाचन में इन मशीनों से उसे मिले अनुभव के पश्चात् उसने निर्वाचन के समय मशीनों के भंडारण, स्थानांतरण, तैयारी, निर्वाचनों में मशीनों के काम करने, आदि के लिए निचले स्तर पर राज्यों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का अध्ययन करने के लिए विभिन्न राज्यों में आयोग के ज्येष्ठ अधिकारियों को प्रतिनियुक्त करके आगे कार्रवाई शुरू की है और वह उक्त अधिकारियों द्वारा दी जाने वाली अध्ययन की रिपोर्टों पर विचार करने के पश्चात् अपेक्षित आवश्यक सुधारात्मक उपाय, यदि कोई हैं, करेगा। उसने आगे यह जानकारी दी है कि मतदान आरंभ होने के पश्चात् जब कभी कोई इलैक्ट्रानिक मतदान मशीन खराब हो जाती है तब दोषयुक्त मशीन बदलने के लिए तत्काल कदम उठाए जाते हैं क्योंकि पीठासीन अधिकारी के पास मशीनें रिजर्व में होती हैं, इसके अतिरिक्त इन मशीनों के विनिर्माताओं के मैकेनिक भी मशीन में आए दोष को दूर करने के लिए स्थापित केन्द्रों पर रखे जाते हैं। आयोग ने यह भी जानकारी दी है कि पंजाब में 88 – सुनाम विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के उपनिर्वाचन से एक दिन पूर्व सरब हिन्द शिरोमणि अकाली दल से 26 इलैक्ट्रानिक मतदान मशीन खराब पाए जाने के बाबत शिकायत 21.11.2000 को अर्थात् मतदान समाप्त होने के पश्चात्, प्राप्त हुई थी। आयोग ने, यह कथन करते हुए कि इस आक्षेप की जांच की जा रही है, यह भी कहा है कि इन सभी मशीनों की पूरी तरह जांच निर्वाचन से बहुत पहले मशीनों के विनिर्माता के इंजीनियरों द्वारा की जाती है और दोषयुक्त मशीनें या तो ठीक कर दी जाती हैं या निर्वाचनों के दौरान उपयोग में नहीं लाई जाती हैं और इसीलिए इस शिकायत के बारे में जानकारी संलग्न विवरण में सम्मिलित नहीं की गई है।

अनुबंध

इलैक्ट्रोनिक मतदान मशीनों का उपयोग

राज विधानसभाओं के साधारण निर्वाचन, 1998

राज्य	निर्वाचन क्षेत्र की सं०	मतदान केन्द्रें की सं०	उपयोग की गई इलैक्ट्रोनिक मतदान मशीनों की सं० जिसके अंतर्गत रिजर्व में रखी गई 50% भी है।	दोषयुक्त इलैक्ट्रोनिक मतदान मशीनें	%
मध्य प्रदेश	5	1,149	1724	–	–
राजस्थान	5	1,070	1605	–	–
दिल्ली	6	7,11	1062	–	–
योग	16	2,930	4391	–	–

फरवरी, 1999 में हुए राज्य विधानसभाओं के उपनिर्वाचन

राज्य	निर्वाचन क्षेत्रों की सं०	मतदान केन्द्रों की सं०	उपयोग की गई इलैक्ट्रोनिक मतदान मशीनों की सं० जिसके अंतर्गत रिजर्व में रखी गई 50% भी है।	दोषयुक्त इलैक्ट्रोनिक मतदान मशीनें	%
मध्य प्रदेश	2	318	477	–	–
राजस्थान	1	197	296	–	–
दिल्ली	2	264	396	–	–
योग	5	779	1169	–	–

जून, 1999 में हुए गोवा राज्य विधानसभा के साधारण निर्वाचन

राज्य	निर्वाचन क्षेत्रों की सं०	मतदान केन्द्रों की सं०	उपयोग की गई इलैक्ट्रोनिक मतदान मशीनों की सं० जिसके अंतर्गत रिजर्व में रखी गई 50% भी है।	दोषयुक्त इलैक्ट्रोनिक मतदान मशीनें	%
गोवा	40	1,135	1702	—	—
योग	40	1,135	1702	—	—

सितंबर-अक्तूबर, 1999 में हुए लोक सभा और पांच राज्य विधानसभाओं के साधारण निर्वाचन और उपनिर्वाचन

राज्य	निर्वाचन क्षेत्रों की सं०	मतदान केन्द्रों की सं०	उपयोग की गई इलैक्ट्रोनिक मतदान मशीनों की सं० जिसके अंतर्गत रिजर्व में रखी गई 25% भी है।	दोषयुक्त इलैक्ट्रोनिक मतदान मशीनें	%
लोक सभा	45-सं०नि०	62,362	77852	—	—
आंध्र प्रदेश	14	3,705	4631	—	—
कर्नाटक	24	5,351	6689	—	—
महाराष्ट्र	24	5,156	6445	—	—
पश्चिमी बंगाल	1	108	135	—	—
पांडिचेरी	1	12	15	—	—
योग	45-सं०नि० और 64	76,694	95767	10	0.01

फरवरी, 2000 में हुए चार राज्य विधानसभाओं के साधारण निर्वाचन और उपनिर्वाचन

राज्य	निर्वाचन क्षेत्रों की सं०	मतदान केन्द्रों की सं०	उपयोग की गई इलैक्ट्रोनिक मतदान मशीनों की सं० जिसके अंतर्गत रिजर्व में रखी गई 25% भी है।	दोषयुक्त इलैक्ट्रोनिक मतदान मशीनें	%
हरियाणा	45	8,077	10096	—	—
उड़ीसा	10	2,339	2924	—	—
उत्तर प्रदेश	1-सं०नि०, 8-वि०नि०	3,655	4569	—	—
आन्ध्र प्रदेश	1	204	255	—	—
गुजरात	2	382	478	—	—
मध्य प्रदेश	4	696	870	—	—
महाराष्ट्र	1	122	153	—	—
पंजाब	1	178	223	—	—
तमिलनाडु	1	225	281	—	—
योग	1-सं०नि० और 73	15,881	19759	—	—

मई-जून, 2000 में हुए उपनिर्वाचन

राज्य	निर्वाचन क्षेत्रों की सं०	मतदान केन्द्रों की सं०	उपयोग की गई इलैक्ट्रोनिक मतदान मशीनों की सं० जिसके अंतर्गत रिजर्व में रखी गई 25% भी है।	दोषयुक्त इलैक्ट्रोनिक मतदान मशीनें	%
उड़ीसा	1-सं०नि०	1,466	1833	—	—
पश्चिमी बंगाल	1-सं०नि०	1,310	1638	—	—
आन्ध्र प्रदेश	2-वि०नि०	499	623	—	—
हरियाणा	1-वि०नि०	170	213	—	—
मध्य प्रदेश	1-वि०नि०	141	176	—	—
उत्तर प्रदेश	1-वि०नि०	232	290	—	—
पांडिचेरी	1-वि०नि०	18	23	—	—
योग		3,836	4896	—	—

सितंबर, 2000 में हुए उपनिर्वाचन

राज्य	निर्वाचन क्षेत्रों की सं०	मतदान केन्द्रों की की सं०	उपयोग की गई इलैक्ट्रोनिक मतदान मशीनों की सं० जिसके अंतर्गत रिजर्व में रखी गई 25% भी है।	दोषयुक्त इलैक्ट्रोनिक मतदान मशीनें	%
राजस्थान	1-सं०नि० (7-दौसा)	1,556	1945	1	—
	1-वि०नि० (12-लूणकरणसर)	383	479	—	—
गुजरात	1-वि०नि० (74-शहर कोटड़ा)	120	150	—	—
कर्नाटक	1-वि०नि० (208-कागवाड़)	158	198	1	—
मध्य प्रदेश	1-वि०नि० (209-लखनादौन)	171	214	—	—
महाराष्ट्र	1-वि०नि० (280-शाहुवाडी)	161	201	—	—
पंजाब	1-वि०नि० (88-सुनाम)	147	186	—	—
उत्तर प्रदेश	1-वि०नि० (338-करहल)	27	346	—	—
		2,973	3719	2	0.05

फरवरी, 2001 में हुए उपनिर्वाचन

राज्य	निर्वाचन क्षेत्रों की सं०	मतदान केन्द्रों की की सं०	उपयोग की गई इलैक्ट्रोनिक मतदान मशीनों की सं० जिसके अंतर्गत रिजर्व में रखी गई 10% भी है।	दोषयुक्त इलैक्ट्रोनिक मतदान मशीनें	%
आन्ध्र प्रदेश	2-वि०नि०	355	395	02	
राजस्थान	1-वि०नि०	169	186	कोई नहीं	
उत्तर प्रदेश	3-वि०नि०	845	930	कोई नहीं	
पंजाब	1-वि०नि०	137	151	कोई नहीं	
मध्य प्रदेश	1-वि०नि०	166	183	कोई नहीं	

पोतों का सकल पंजीकृत टन भार वाहन क्षमता

*119. **प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का यह सुनिश्चित करने का प्रस्ताव है कि भारतीय पोतों का सकल पंजीकृत टन भार वाहन क्षमता कम न होने पाये;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा पंजीकृत भारतीय पोत परिवहन के उच्च स्तर को बनाए रखने के लिए क्या प्रोत्साहन या नीतिगत पहल किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) भारतीय पोत परिवहन की रक्षा करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या सरकार का विचार पोतों की खरीद हेतु वित्त पोषण करने संबंधी एकमात्र उद्देश्य हेतु वित्त पोषण अभिकरण बनाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) से (ग) जी, हां। टन भार खरीद लक्ष्य योजना अवधि के दौरान नियत किए जाते हैं और टनभार के विस्तार के प्रोत्साहन के लिए अनुकूल माहौल प्रदान करने के प्रयास किए जाते हैं। सरकार ने 1997 में एक नौवहन नीति समिति गठित की है जिसने नौवहन उद्योग से संबंधित विभिन्न मुद्दों की जांच की है तथा भारतीय जलयानों के लिए अपेक्षित वित्तीय और अन्य प्रोत्साहनों, कार्गो और सहायक सहायता तंत्र के संदर्भ में राष्ट्रीय वाणिज्यिक बेड़े के विकास के लिए उपायों का पता लगाया है। समिति ने 31 सिफारिशें की थी जिनमें से 17 सिफारिशें सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गई हैं और निम्नलिखित सिफारिशों सहित शेष सिफारिशों पर संबंधित मंत्रालयों के साथ जोर-शोर से कार्रवाई की जा रही है :

(i) भारतीय नाविकों के लिए कर राहत

(ii) मूल्यह्रास को 20% से बढ़ाकर 40% करना

(iii) तटीय नौवहन को अवसंरचना का दर्जा

(iv) नैगम कर के स्थान पर टनभार कर की शुरूआत।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

एअरक्राफ्ट जेट ट्रेनर (ए०जे०टी०) की खरीद

*120. **श्री प्रियरंजन दास मुंशी : क्या रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ब्रिटेन से जेट ट्रेनर "हॉक" एअरक्राफ्ट की खरीद हेतु बातचीत कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या इंग्लैंड में ही ऐसे एअरक्राफ्ट अप्रचलित घोषित कर दिए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस हेतु बातचीत करने के क्या कारण हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो ए०जे०टी० का सुपुर्दगी कार्यक्रम क्या है और इस समय यह मामला किस चरण में है ?

रक्षा मंत्री (जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) कतिपय विमानों, विशेषकर प्रशिक्षण विमानों के ढांचों के डिजाइन ऐसे होते हैं जो काफी समय तक पुराने नहीं पड़ते तथा उनकी कारगरता बनाए रखने के लिए उनका समय-समय पर उन्नयन भी किया जाता है। जब तक प्रशिक्षण सिद्धांतों में कोई परिवर्तन नहीं होता तब तक हाक-डिजाइन संगत बना रहेगा।

(घ) मैसर्स ब्रिटिश एयरोस्पेस सिस्टम्स, यू०के० के साथ सभी संगत मुद्दों पर वार्ता जारी है। सुपुर्दगी कार्यक्रम पर भी वार्ता की जाएगी।

विद्युत शुल्क

1015. **श्री एम०के० सुब्बा : क्या विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा घरेलू, कृषि और औद्योगिक विद्युत खपत हेतु वसूल किया जाने वाला शुल्क अन्य राज्यों की तुलना में बहुत अधिक है;

(ख) यदि हां, तो असम राज्य विद्युत बोर्ड और अन्य राज्य विद्युत बोर्डों द्वारा वसूल किए जाने वाली तुलनात्मक विद्युत शुल्क दरें तथा अखिल भारतीय औसत दरें क्या हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान हुए घाटे को दर्शाते हुए असम राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा उठाए गए घाटे के क्या कारण हैं; और

(घ) इस समय संचित घाटा कितना है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) और (ख) घरेलू, कृषि और औद्योगिक श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए अन्य राज्यों की तुलना में असम राज्य विद्युत बोर्ड (ए०एस०ई०बी०) द्वारा वसूल की गई टैरिफ की तुलनात्मक दरों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है, घरेलू और औद्योगिक श्रेणी के उपभोक्ताओं के संबंध में ए०एस०ई०बी० द्वारा वसूल की जा रही विद्युत टैरिफ अन्य राज्यों के समान है तथापि सिंचाई हेतु विद्युत टैरिफ अन्य राज्यों द्वारा वसूल की गई टैरिफ की तुलना में अधिक है।

(ग) ए०एस०ई०बी० द्वारा अर्जित हानियों के मुख्य कारण निम्नवत है।

I. चोरी समेत उच्च टी एण्ड डी हानियां

II. अलाभकारी टैरिफ

III. आपूर्ति लागत में वृद्धि की तुलना में टैरिफ में संशोधन करने में विलम्ब किया जाना।

(धनराशि करोड़ रुपये में)

1997-98	387.25
1998-99	549.77
1999-2000	695.07

गत तीन वर्षों के दौरान ए०एस०ई०बी० द्वारा अर्जित हानियां निम्नवत है।

(घ) 31.3.2000 की स्थितिनुसार ए०एस०ई०बी० द्वारा अर्जित संचित हांनिया 3123.93 करोड़ रुपये थी।

विवरण

उपभोक्ता की क्षेणीवार औसत टैरिफ 1999-2000

(पैसे/कि०वा०घ०)

रा० बिजली बोर्ड	घरेलू	वाणिज्यिक	कृषि सिंचाई	उद्योगिक	रेलवे ट्रेकसन	राज्य के बाहर	समस्त औसत
1	2	3	4	5	6	7	8
1. आन्ध्र प्रदेश	165.60	369.04	16.46	370.00	378.00	36.71	180.98
2. असम	147.50	299.16	159.31	233.68	0.00	0.00	290.00
3. बिहार	109.35	223.20	12.23	275.33	330.00	190.59	200.14
4. दिल्ली (डी०वी०सी०)	270.04	247.85	119.96	313.45	0.00	0.00	282.65
5. गुजरात	237.00	404.00	18.00	410.71	475.00	0.00	227.00
6. हरियाणा	272.00	392.00	55.00	392.00	392.00	138.00	214.80
7. हिमाचल प्रदेश	65.00	235.00	50.00	216.29	0.00	190.00	185.07
8. जम्मू एवं कश्मीर	125.00	220.00	240.00	135.00	0.00	0.00	200.00
9. कर्नाटक	201.20	657.10	14.89	436.10	394.52	0.00	184.70
10. केरल	83.36	340.06	54.63	198.26	123.93	0.00	190.00
11. मध्य प्रदेश	74.48	362.37	6.32	374.48	532.28	151.85	156.31
12. महाराष्ट्र	164.00	480.04	39.00	203.30	415.00	230.00	233.56
13. मेघालय	130.00	181.00	50.00	203.30	0.00	180.55	167.14
14. उड़ीसा ग्रिडको	180.20	347.34	95.67	306.91	362.29	0.00	270.98
15. पंजाब	176.95	326.18	Free su	280.19	0.00	200.00	175.89
16. राजस्थान	138.00	310.00	34.85	321.89	331.00	221.90	195.79
17. तमिलनाडु	162.18	390.57	0.00	375.72	375.72	81.68	228.08
18. उत्तर प्रदेश	104.95	303.82	48.50	418.42	449.61	15.98	185.61
19. पश्चिम बंगाल	100.51	215.38	28.06	309.34	323.23	310.63	216.98
औसत	149.71	353.89	24.84	352.06	410.64	121.65	207.84

1	2	3	4	5	6	7	8
II. बिजली विभाग							
1. अरूणाचल प्रदेश	उ०न०	उ०न०	उ०न०	उ०न०	उ०न०	उ०न०	200.00
2. गोवा	120.00	343.00	72.49	336.00	0.00	127.62	274.38
3. मणिपुर	168.81	210.00	138.56	125.00	0.00	0.00	163.00
4. मिजोरम	140.00	160.00	0.00	188.68	0.00	0.00	148.00
5. नागालैंड	160.00	280.00	0.00	225.00	0.00	0.00	189.51
6. पांडिचेरी	91.43	237.61	7.52	198.94	0.00	0.00	163.24
7. सिक्किम	85.00	200.00	0.00	130.00	0.00	0.00	100.00
8. त्रिपुरा	100.00	150.00	86.00	150.00	0.00	0.00	75.00
बि०वि० का औसत	111.69	328.54	34.51	253.64	0.00	127.62	186.19
अखिल भारत औसत	149.08	353.60	24.86	350.45	410.64	121.09	207.59

[हिन्दी]

कम्प्यूटरीकृत आरक्षण सुविधा

1016. डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पश्चिम रेलवे के मंदसौर, नीमच और चितौड़गढ़ रेलवे स्टेशनों पर कम्प्यूटरीकृत आरक्षण सुविधा उपलब्ध कराने हेतु अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इन पर क्या कार्रवाई की गई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (ग) जी, हां। मंदसौर तथा चितौड़गढ कंप्यूटरीकृत आरक्षण सुविधाओं की व्यवस्था एक स्वीकृत कार्य है तथा कार्य प्रगति पर है। नीमच में आरक्षण सुविधाओं की व्यवस्था निर्माण कार्यक्रम 2001-2002 में शामिल कर ली गयी है।

पटना रेलवे स्टेशन पर और आरक्षण खिड़कियां खोलना

1017. श्री राजो सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि यात्रियों को पटना रेलवे स्टेशन पर रेलवे आरक्षण कराने के लिए काफी इंजतार करना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार वहां और आरक्षण काउंटर खोलने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (ग) इस समय पटना आरक्षण कार्यालय में 23 बुकिंग और एक पूछताछ काउंटर कार्य कर रहे हैं। इस आरक्षण कार्यालय में प्रति पारी प्रति काउंटर में औसतन 75 मांगें सम्हाली जा रही हैं। जो प्रति पारी प्रति काउंटर पर सम्हाली जा रही 120 मांगों के वर्तमान मानक से काफी कम है। चूंकि यातायात के वर्तमान स्तर को पूरा करने के लिए मौजूदा प्रबंध पर्याप्त समझे जाते हैं। अत: काउंटरों की संख्या में वृद्धि करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

मुम्बई रेलवे स्टेशनों पर नए बुकिंग कार्यालय

1018. श्री किरीट सोमैया : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे की मुम्बई में घाटकोपर, चेम्बूर और मुलुंड रेलवे स्टेशनों पर नए बुकिंग कार्यालय और नए भवन बनाने की योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे को इन स्टेशनों में और स्थान की आवश्यकता है;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) इस सम्बन्ध में बजट में कितना प्रावधान किया गया है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (ङ) मुलुंड में पूर्व दिशा की तरफ 5 काउंटरों वाला एक नया बुकिंग

कार्यालय बनाया जा रहा है। इस उद्देश्य के लिए अनुमानत: 20 लाख रुपए की व्यवस्था की गई है। स्टेशन पर स्थान की और अधिक आवश्यकता है परन्तु स्टेशन से जुड़ी आम सड़क के कारण स्थान उपलब्ध नहीं है। जहां तक घाटकोपर और चेंबूर का संबंध है, इन स्टेशनों पर नए बुकिंग कार्यालय की व्यवस्था करने की कोई योजना नहीं है।

उद्यान एक्सप्रेस में आरक्षण कोटा

1019. **श्री ए० वेंकटेश नायक :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुलबर्गा रेलवे स्टेशन पर बंगलौर के लिए उद्यान एक्सप्रेस में द्वितीय श्रेणी की कितनी शायिकाएं उपलब्ध है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उद्यान एक्सप्रेस में गुलबर्गा रेलवे स्टेशन पर द्वितीय श्रेणी की और शायिकाओं की मांग है; और

(ग) यदि हां, तो गुलबर्गा रेलवे स्टेशन पर उद्यान एक्सप्रेस में द्वितीय श्रेणी की शायिकाएं बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) गुलबर्गा स्टेशन पर 6529 डाउन उद्यान एक्सप्रेस में 238 शयनयान श्रेणी की शायिकाओं (अपात कालीन कोटा सहित) का आरक्षण कोटा उपलब्ध है। जुलाई, 2000 से दिसंबर, 2000 तक गत 6 महीनों की अवधि के दौरान प्रतिदिन औसतन 22 व्यक्ति प्रतीक्षा सूची में रखे गए थे।

(ग) सीमित स्थान उपलब्ध होने तथा कोटाधारी स्टेशनों पर उपलब्ध मौजूदा कोटे का पूर्ण उपयोग होने के कारण फिलहाल गुलबर्गा स्टेशन पर इस गाड़ी में शयनयान श्रेणी के आरक्षण को बढ़ाना व्यावहारिक नहीं है।

[हिन्दी]

हस्तशिल्प सामान का निर्यात करने वाले एकक

1020. **श्री रामानंद सिंह :** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विशेषकर मध्य प्रदेश में हस्तशिल्प के सामान का निर्यात करने वाले पंजीकृत एककों की राज्य-वार संख्या कितनी है; और

(ख) भारतीय हस्तशिल्प के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० धनंजय कुमार) : (क) देश में, मध्य प्रदेश राज्य सहित हस्तशिल्प वस्तुओं एवं कालीन (हाथ से बुने कालीनों सहित) का निर्यात करने वाले पंजीकृत हस्तशिल्प एककों की राज्य-वार संख्या निम्न प्रकार हैं :–

क्रमांक	राज्यों के नाम	एककों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	74
2.	बिहार	11
3.	दिल्ली	3196
4.	गोवा	5
5.	गुजरात	110
6.	हरियाणा	209
7.	हिमाचल प्रदेश	8
8.	जम्मू और कश्मीर	96
9.	कर्नाटक	151
10.	केरल	60
11.	मध्य प्रदेश	21
12.	महाराष्ट्र	616
13.	मिजोरम	1
14.	उड़ीसा	11
15.	पंजाब	156
16.	राजस्थान	830
17.	तमिलनाडु	303
18.	उत्तर प्रदेश	2931
19.	पश्चिम बंगाल	198
20.	पांडिचेरी	4
	कुल	8991

(ख) भारतीय हस्तशिल्प वस्तुओं का निर्यात बढ़ाने के लिए किए गए उपायों में, क्रेता-विक्रेता बैठकों का आयोजन, समुद्रपार प्रचार, डिजाइन विकास पर कार्यशालाओं का आयोजन, विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय मेलों में भागीदारी, विदेशों में बिक्री-सह-अध्ययन दल प्रायोजित करना तथा हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद और कालीन निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा प्रतिवर्ष नई दिल्ली में क्रमश: उपहार मेलों (ऑटम एवं स्प्रिंग) तथा भारतीय कालीन एक्सपो का आयोजन किया जाना, शामिल है।

[अनुवाद]

रामाकिस्तपुरम में सड़क उपरिपुल का निर्माण

1021. **श्री वाई०एस० विवेकानन्द रेड्डी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा प्राधिकारियों द्वारा एक लघु वायु सीमा पर उठाई गई आपत्तियों के कारण रामाकिस्तपुरम रेलवे स्टेशन पर सड़क उपरिपुल के निर्माण में अत्यधिक विलम्ब हुआ है;

(ख) यदि हां, तो रक्षा प्राधिकारियों की मुख्य आपत्तियां क्या हैं;

(ग) क्या कोई समझौता फार्मूला तैयार किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त पुल पर कार्य कब तक शुरू होने और पूरा होने की सम्भावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (ग) राज्य सरकार द्वारा निर्मित किए जा रहे पहुंच मार्ग के भाग में विवाद है। रेलवे को किसी विवाद अथवा किए गए समझौते के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

(घ) रेलवे द्वारा निष्पादित किये जा रहे हैं पुल खास पर कार्य प्रगति के अग्रिम चरण में है और कुछ महीनों में पूरा किए जाने की आशा है।

केरल राज्य द्वारा टूर पैकेज

1022. **श्री टी० गोविन्दन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने रेलवे को पांच विशेष रेल टूर पैकेज प्रस्तुत किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर क्या कार्रवाई की गई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (ग) जी हां, केरल सरकार ने तिरुवनंतपुरम के लिए मुंबई, नई दिल्ली तथा अहमदाबाद से विशेष टूरिज्म पैकेज का प्रस्ताव किया है। इन पैकेजों के परिचालन के लिए तौर-तरीके तैयार किए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

यू०आर०सी० कामगारों की सेवा शर्तें

1023. **श्री जय प्रकाश** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार यूनिट-रन कैंटीनों में कार्यरत सभी सिविलियन कामगारों को केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के समतुल्य समझा जाता है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या इस निर्णय के क्रियान्वयन के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी बयौरा क्या है और इस निर्णय के क्रियान्वयन हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार ने इस आदेश के विरुद्ध समीक्षा याचिका दायर की है अथवा दायर करने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) माननीय उच्चतम न्यायालय के 4 जनवरी, 2001 के निर्णय के अनुसार, यूनिट-रन कैंटीनों में कार्यरत कर्मचारियों का दर्जा केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के समान माना जाना है किन्तु केवल इससे ही वे उन सभी सेवा लाभों के पात्र नहीं हो जाते जो नियमित सरकारी कर्मचारियों या सी०एस०डी० कैंटीनों में सेवारत उनके समकक्ष कार्मिकों को उपलब्ध हैं। ये सभी अनिवार्यत: उनके द्वारा निष्पादित कार्यों की प्रकृति के साथ-साथ नियोक्ता द्वारा जारी किए गए नियमों और विनियमों तथा प्रशासकीय अनुदेशों पर निर्भर होता है।

(ख) माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्देश दिए हैं कि यथाशीघ्र मुख्यत: निर्णय की तारीख अर्थात् 4 जनवरी, 2001 से छह माह के भीतर यूनिट-रन कैंटीनों के कर्मचारियों की सेवा-शर्तों को सुनिश्चित किया जाए।

(ग) से (ङ) माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों की सेना मुख्यालयों से परामर्श करके रक्षा मंत्रालय में जांच की जा रही है।

ब्लाक स्तर पर रसोई गैस वितरक

1024. **श्री ब्रजमोहन राम** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री ब्लाक स्तर पर रसोई गैस वितरक के बारे में 27 जुलाई, 2000 के अतारांकित प्रश्न संख्या 657 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा देश के प्रत्येक ब्लाक में रसोई गैस डिस्ट्रीब्यूटरशिप स्थापित करने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या झारखंड और बिहार के प्रत्येक ब्लाक का बाजार सर्वेक्षण किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (ग) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों ने देश में ब्लाक, तहसील/मंडल स्तर पर लगभग 700 स्थान निर्धारित किए हैं जिनमें 56 स्थान बिहार में और 5 स्थान झारखंड राज्य में हैं।

रेल पटरियों में दरार

1025. **श्री तूफानी सरोज** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल दुर्घटनाओं के मुख्य कारण रेल-पटरियों में दरार और वैल्डिंग निकल जाना है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ग) यदि हां, तो रेल पटरियों में आई दरारों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार इन दरारों की नियमित जांच कराती है;

(ङ) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ कौन-कौन से उपकरण प्रयुक्त किए जाते हैं और इनकी क्षमता कितनी है;

(च) क्या सरकार रेल पटरियों में दरार आने और वेल्डिंग के निकल जाने का पता लगाने के लिए आटोमैटिक अल्ट्रासोनिक रेल टैस्टिंग कार (स्पार्टकार) खरीदने पर विचार कर रही है;

(छ) यदि हां, तो ऐसी कितनी कारें खरीदी जाने का प्रस्ताव है; और

(ज) इन पर कुल कितना खर्च आएगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, नहीं। गाड़ी दुर्घटनाओं के कुछेक कारण रेल लाइनों में दरार पड़ना और वैल्डिग का निकल जाना है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी, हां। रेलें दरारों का पता लगाने के लिए पटरियों की नियमित जांच करती हैं।

(ङ) पटरियों की जांच पराश्रव्य पटरी परीक्षक (टेस्टर) और स्पर्ट कार द्वारा जांच की जाती है। यू०एस०एफ०डी० टेस्टरों से प्रतिवर्ष 600 कि०मी० और स्पर्ट कार से 10,000 कि०मी० रेलपथ की जांच करने का अनुमान है।

(च) और (छ) श्रीमान्, सरकार दो स्पार्ट कार खरीदने या लीज पर लेने पर विचार कर रही है।

(ज) 35 करोड़ रुपये।

[अनुवाद]

"बोल्ट" योजना के अंतर्गत परियोजनाएं

1026. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने "बोल्ट योजना" के अंतर्गत परियोजनाओं को अंतिम रूप नहीं दिया है जिसके परिणामस्वरूप अनेक अत्यावश्यक परियोजनाओं के निष्पादन में विलम्ब हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या रेलवे ने देशी/विदेशी सहायता प्राप्त करने की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए कोई प्रयास नहीं किए हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) रेलों ने अवसंरचना संबंधी कतिपय परियोजनाओं को बोल्ट योजना के अंतर्गत निष्पादित करने का प्रयास किया था। बहरहाल, जिस ढंग से योजना बनायी गयी थी, वह निवेशकों को आकर्षित नहीं कर पायी, जिसके परिणामस्वरूप प्रतिक्रिया खराब रही। केवल एक ही चालू योजना अर्थात मुदखेड़-आदिलाबाद खण्ड के आमान परिवर्तन संबंधी कार्य को बोल्ट योजना के अंतर्गत शुरू किया गया था। इसे देखते हुए, योजना की समीक्षा की गयी है, ताकि ग्राहकोन्मुखी संशोधित बोली प्रलेखों का प्रारूप तैयार किया जा सके और विधि मंत्रालय को विधीक्षा के लिए भेजा जा सके। सरकार द्वारा इन प्रलेखों को अंतिम रूप दिए जाने के बाद पहचानी गई परियोजनाओं के लिए बोलियां आमंत्रित कर दी जाएगी।

(ग) से (ङ) रेलें, द्विपक्षीय और बहुपक्षीय एजेंसियों के साथ विचार-विमर्श करके अपनी कुछ परियोजनाओं के लिए बाहरी सहायता प्राप्त करने हेतु प्रयास करती रहती है। रेलों को दी जाने वाली बाहरी सहायता बजटीय सहायता के रूप में वित्त माध्यम से दी जाती है। इस समय, निम्नलिखित परियोजनाओं के लिए इस प्रकार की बाहरी सहायता का उपयोग हो रहा है।

i. ए०डी०बी० ऋण (सं० 857-इड) का इस्तेमाल उच्च शक्ति वाले बिजली रेल इंजनों की खरीद और इन रेल इंजनों के देश में ही विनिर्माण करने के लिए प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण हेतु किया जा रहा है।

ii. कोरापुट और रायगड के बीच बड़ी लाइन के निर्माण संबंधी कार्य को आंशिक रूप से वित्त पोषित करने के लिए सउदी फंड फॉर डेवलपमेंट ने ऋण (ऋण सं० 3/188) दिया है। ऋण की कुल राशि 103.2 मिलियन सउदी रियाल है, जिसमें से 73.38 मिलियन सउदी रियाल राशि पहले ही बांटी जा चुकी है।

iii. क्रेडिटेनस्टाल्ट फर वाइडेराफबो (के०एफ०डब्ल्यू०), जर्मनी ने गाजियाबाद और कानपुर के बीच सिगनलिंग व्यवस्था को आधुनिक बनाने संबंधी परियोजना के लिए 185 मिलियन ड्यूश मार्क का ऋण दिया है। ऋण, अभी तक नहीं लिया गया है।

iv. फ्रांस सरकार, बिजली चालित गाड़ियों पर ए०सी०/डी०सी० ड्यूअल वॉल्टेज ट्रेक्शन ड्राइव सिस्टम के 38 सेटों की खरीद हेतु वित्त पोषित करने के लिए 60 मिलियन फ्रांसीसी फ्रेंक के फ्रैन्च मिक्स्ड क्रेडिट देने के लिए सहमत हो गयी है तथा शीघ्र ही राशि वितरित किए जाने की आशा है।

इसके अलावा, रेलवे क्षेत्र की सुधार परियोजना के वित्त पोषित करने हेतु इस समय एशियन विकास बैंक के साथ 300 मिलियन अमरीकी डालर के ऋण हेतु वार्ता चल रही है।

इसी प्रकार, विश्व बैंक से मुम्बई शहरी परियोजना को आंशिक रूप से वित्त पोषण करने हेतु एक नए ऋण के लिए सम्पर्क किया गया है, जिसे महाराष्ट्र सरकार तथा रेलों द्वारा संयुक्त रूप से कार्यान्वित किया जाना है;

रेलें केन्द्रीय सरकार से परियोजनाओं पर पूंजी व्यय के लिए बजटीय सहायता के रूप में आन्तरिक सहायता भी प्राप्त करती है।

आई०आर०एफ०सी० द्वारा जुटाई गई धनराशि

1027. **श्री ए० ब्रह्मनैया** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान आज तक भारतीय रेल वित्त निगम द्वारा कुल कितनी धनराशि जुटाई गई है;

(ख) इस धनराशि पर आई०आर०एफ०सी० द्वारा कितना ब्याज अदा किया जा रहा है;

(ग) क्या रेलवे के लिए सस्ती ब्याज दर पर धनराशि प्राप्त करने के लिए कोई प्रयास किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इन प्रयासों का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) वर्ष 1999-2000 के दौरान 2836 करोड़ रु० की राशि जुटाई गई थी। चालू वर्ष 2000-01 के दौरान अभी तक 2722 करोड़ रु० की राशि जुटाई गई है।

(ख) वर्ष 1999-2000 के दौरान जुटाई गई निधियों पर प्रतिवर्ष 11.74 प्रतिशत की औसत दर पर ब्याज अदा की जा रही है। 2000-01 के दौरान अभी तक जुटाई गई निधियों पर प्रतिवर्ष 11.19 प्रतिशत औसत दर पर ब्याज अदा की जाएगी, बकाया ऋणों के आधार पर वर्ष दर वर्ष अदा की गई ब्याज की राशि अलग-अलग होगी।

(ग) और (घ) भारतीय रेल वित्त निगम अलग-अलग माध्यमों से अलग-अलग समयावधि के लिए संसाधनों के संग्रहण के वास्ते घरेलू तथा विदेशी पूंजी बाजारों को दोहन कर रही है ताकि उधार की औसत लागत में कमी की जा सके। पूंजी लागत में और कमी करने के लिए रेलवे चल स्टाक परिसंपत्तियों में निवेश में कर रियायत और प्रोत्साहन देने के प्रयास भी किए जा रहे हैं।

वकीलों के लिए कल्याण कोष

1028. **डा० एस० वेणुगोपाल** : क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वकीलों के लिए कल्याण कोष स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह कोष कब तक स्थापित कर दिए जाने की संभावना है ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) से (ग) वकीलों के लिए कल्याण कोष स्थापित करने का मामला सरकार के विचाराधीन है। तथापि, इसके लिए ऐसी कोई निश्चित समय-सीमा बताना मुश्किल है जिसके भीतर यह कोष स्थापित किया जा सकेगा क्योंकि इसके लिए कई उपाय करने होंगे जिनमें अंर्तविभागीय परामर्श करना भी है।

[हिन्दी]

कांडला पत्तन को रेल भूमि सौंपना

1029. **श्री चन्द्रेश पटेल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गांधीधाम पुराने रेलवे स्टेशन के निकट लगभग 100 एकड़ भूमि बेकार पड़ी है और इस भूमि पर अवैध कब्जे कर लिए गए हैं अथवा किए जा रहे हैं;

(ख) क्या गुजरात सरकार और कांडला पत्तन न्यास ने रेलवे से इस भूमि को कांडला पत्तन न्यास को सौंपे जाने का अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) स्टेशन के स्थानांतरण के कारण गांधीधाम के पुराने रेलवे स्टेशन पर रेलवे के पास लगभग 131 हेक्टेयर भूमि खाली पड़ी है, वहीं कुछ पुराने अतिक्रमण मौजूद हैं। बहरहाल, जब कभी नए अतिक्रमण नोटिस में आते हैं उन्हें हटा दिया जाता है।

(ख) और (ग) जी, नहीं। बहरहाल, सिर्वा कोलोनी से न्यू पोर्ट कालोनी तक जवाहर लाल नेहरू रोड को चौड़ा करने के लिए 7320 वर्ग मी० रेलवे भूमि के हस्तानांतरण का प्रस्ताव हाल ही में मंत्रालय को प्राप्त हुआ है और इस पर रेलवे नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

एकाधिकार और अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम

1030. **कुंवर अखिलेश सिंह** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एकाधिकार और अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम का निरसन करने और एम०आर०टी०पी० आयोग को समाप्त करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त निर्णय विदेशी संस्थाओं को लाभ पहुंचाने के लिए कुछ विदेशों के दबाव में लिया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो उक्त अधिनियम के निरसन के क्या कारण हैं और इसका औचित्य क्या है; और

(घ) भारतीय उद्योग पर उक्त अधिनियम के निरसन का क्या प्रभाव पड़ेगा ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) से (घ) सरकार ने एम०आर०टी०पी०

अधिनियम, 1969 की समीक्षा करने तथा एक आधुनिक प्रतिस्पर्धा कानून का प्रस्ताव करने हेतु प्रतिस्पर्धा नीति एवं कानून पर एक उच्च-स्तरीय समिति गठित की है। समिति ने मई, 2000 में सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ नये एक प्रतिस्पर्धा कानून के अधिनियमन, एक प्रतिस्पर्धा नीति के प्रलेखन व एम०आर०टी०पी० अधिनियम, 1969 के निरसन तथा एम०आर०टी०पी० आयोग के समापन की सिफारिश की है।

सरकार को इस मामले में कोई भी अन्तिम फैसला लेना है तथा ऐसा वह सभी पहलुओं की जांच करने के बाद ही करेगी।

जबलपुर के भूकंप पीड़ितों के लिए सहायता

1031. **श्रीमती जयश्री बैनर्जी** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1997 में आए भूकंप से हुई हानि की प्रतिपूर्ति करने के लिए जबलपुर, मध्य प्रदेश के हैंडलूम बुनकरों को किसी प्रकार की वित्तीय राहत दी गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या इन हैंडलूम बुनकरों को अपने टूटे हुए मकानों की मरम्मत करने के लिए कोई वित्तीय राहत दी गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० धनंजय कुमार) : (क) से (ङ) जी, हां। मध्य प्रदेश के जबलपुर क्षेत्र के भूकंप प्रभावित हथकरघा बुनकरों हेतु दिशा-निर्देशों के अनुसार स्कीम के अंतर्गत 1000 नये शहरी कार्यशाला-सह-आवासों के निर्माण के लिए 200.00 लाख रुपये की केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई थी। यद्यपि, तीन वर्षों से अधिक का समय बीत जाने पर भी, राज्य सरकार ने निधियों का उपयोग नहीं किया गया, चूंकि इन इकाईयों के निर्माण के लिए उचित भूमि की पहचान नहीं की गई थी। केन्द्र सरकार ने अब राज्य को उन्हें इस उद्देश्य के लिए स्वीकृत निधियों को वापिस करने के लिए अनुरोध किया है।

एम०आर०टी०पी० में लंबित मामले

1032. **श्री मानसिंह पटेल** : क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अभी तक एम०आर०टी०पी० के समक्ष लंबित मामलों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या एम०आर०टी०पी० आयोग ने पिछले तीन वर्षों में संजीकृत किए गए और निपटाए गए लंबित मामलों की महानगर-वार और राज्य-वार समीक्षा की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) चालू वर्ष के दौरान एम०आर०टी०पी० को सुदृढ़ बनाने और पुनर्गठित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं या किए जाने का प्रस्ताव है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) एम०आर०टी०पी० आयोग, एम०आर०टी०पी० अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत सृजित एक अर्द्धन्यायिक निकाय है। आयोग, एकाधिकारिक व्यापार प्रथाओं/प्रतिबन्धित व्यापार प्रथाओं/अनुचित व्यापार प्रथाओं (एम०टी०पी०/आर०टी०पी०/यू०टी०पी०) तथा इनसे प्रासांगिक मामलों को डील करता है। नीचे दी गई तालिका में 31.1.2001 तक आयोग के समक्ष लम्बित मामलों की विभिन्न श्रेणियों का विस्तृत ब्यौरा दिया गया है :—

जांचें	लम्बित
आर०टी०पी०	1442
यू०टी०पी०	1329
एम०टी०पी०	09
प्रतिपूर्ति आवेदन	2251

(ख) जी, नहीं। चूंकि ये न्यायिक प्रक्रियाएं हैं, मामले विचार-विमर्श के लिए सूचीबद्ध होते हैं और निर्धारित प्रक्रिया के अनुपालन में निपटान होता है।

(ग) एम०आर०टी०पी० आयोग ने सूचित किया है कि चूंकि यह एक राष्ट्रीय निकाय है, यह महानगरानुसार और राज्य-वार लम्बित मामलों के संबंध में सूचना का रखरखाव नहीं करता।

(घ) सरकार ने एम०आर०टी०पी० अधिनियम, 1969 की समीक्षा करने तथा एक आधुनिक प्रतिस्पर्धा कानून का प्रस्ताव करने हेतु प्रतिस्पर्धा नीति एवं कानून पर एक उच्च-स्तरीय समिति गठित की है। समिति ने मई, 2000 में सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ नये एक प्रतिस्पर्धा कानून के अधिनियमन, एक प्रतिस्पर्धा नीति के प्रलेखन व एम०आर०टी०पी० अधिनियम, 1969 के निरसन तथा एम०आर०टी०पी० आयोग के समापन की सिफारिश की है।

सरकार को इस मामले में कोई भी अन्तिम फैसला लेना है तथा ऐसा वह सभी पहलुओं की जांच, करने के बाद ही करेगी।

[अनुवाद]

दक्षिण-पूर्व एशिया के लिए सीधी कंटेनर सेवा

1033. **श्री जी० मल्लिकार्जुनप्पा** :
श्री वाई०एस० विवेकानन्द रेड्डी :
श्री जी०एस० बसवराज :

क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिपिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा वर्ष 2001 के दौरान दक्षिण-पूर्व एशिया और सुदूर पूर्व के लिए सीधी कंटेनर सेवा आरंभ किए जाने की योजना है;

(ख) यदि हां, तो क्या इससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार किए/कर लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) शिपिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा इस सेवा को कब तक शुरू किए जाने की संभावना है; और

(ङ) इसके संभावित प्रभावों का ब्यौरा क्या है ?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) से (ग) जी, हां। भारतीय नौवहन निगम लि० 2001 के मध्य में दक्षिण-पूर्व एशिया और सुदूर पूर्व के लिए सीधी कन्टेनर सेवा प्रारंभ करने पर विचार कर रहा है। इस मामले में निर्णय लेने के लिए बाजार रिपोर्टों के आधार पर एक साध्यता अध्ययन किया जा रहा है।

(घ) भारतीय नौवहन निगम की 2001 की दूसरी तिमाही के अंत तक सेवा प्रारंभ करने की योजना है।

(ङ) चूंकि यह प्रस्ताव योजना के स्तर पर है, प्रस्तावित सेवा के निहितार्थ के ब्यौरे साध्यता अध्ययन पूरा होने तक तैयार नहीं किए जा सकते।

[हिन्दी]

रांची, झारखंड में एल०पी०जी० वितरक

1034. श्री राम टहल चौधरी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पिछले दो वर्षों के दौरान झारखंड के रांची जिले में और अधिक एल०पी०जी० वितरक नियुक्त करने के लिए कोई प्रयास किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या चालू वित्त वर्ष के दौरान सरकार द्वारा और अधिक एल०पी०जी० वितरण केन्द्र उपलब्ध कराए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (घ) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों ने पिछले दो वर्षों के दौरान झारखंड के रांची जिले में कोई एल०पी०जी० डिस्ट्रीब्यूटरशिप चालू नहीं की है। तथापि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों ने विभिन्न विपणन योजनाओं के अंतर्गत 10 नई एल०पी०जी० डिस्ट्रीब्यूटरशिपें खोलने की योजना तैयार की है। एल०पी०जी० डिस्ट्रीब्यूटरशिप को चालू करने की प्रक्रिया में डीलर चयन बोर्ड द्वारा साक्षात्कार की तारीख से सामान्यतया लगभग 6 से 12 महीने का समय लग जाता है।

रेलगाड़ियों में अधिक बोगियां जोड़ा जाना

1035. श्री मणिभाई रामजी भाई चौधरी :
श्री निखिल कुमार चौधरी :
श्री कोलूर बसवनागौड :
श्री वी०एम० सुधीरन :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने पिछले वर्ष के दौरान यात्रियों की अधिक संख्या को ध्यान में रखते हुए कई गाड़ियों में अतिरिक्त बोगियां जोड़ी थीं;

(ख) यदि हां, तो जोड़ी गई अतिरिक्त बोगियों की संख्या और श्रेणी सहित, इन गाड़ियों के नाम क्या हैं; और

(ग) वर्ष 2001-2002 के दौरान किन गाड़ियों में अतिरिक्त बोगियां लगाए जाने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 2000-01 के दौरान नियमित उपाय के रूप में निम्नलिखित गाड़ियों में सवारी डिब्बों की संख्या बढ़ाई गई है :-

क्र०सं०	गाड़ी सं० और नाम	बढ़ाए गए कोच की संख्या और श्रेणी
1	2	3
1.	0111/0112 मिंबाई – मडगांव कोनकन कन्या एक्स०	1 शयनयान
2.	1003/1004 मुंबाई – नान्देड देवगिरि एक्स०	1 शयनयान
3.	1265/1266 भोपाल – रीवा एक्स०	1 वाता० 3 टियर
4.	1267/1268 भोपाल – रीवा एक्स०	1 वाता० 3 टियर
5.	1447/1448 जबलपुर – हवड़ा शक्तिपुंज एक्स०	1 शयनयान
6.	1449/1450 जबलपुर – नियामुद्दीन महाकौशल एक्स०	1 वाता० 3 टियर

Scanned by CamScanner

1	2	3
7.	1503/1504 इटारसी – जबलपुर पैसेंजर	2 साधारण श्रेणी
8.	1507/1508 जबलपुर – रीवा शटल	1 साधारण श्रेणी
9.	1511/1512 बान्द्रा – कानपुर पैसेंजर	1 साधारण श्रेणी
10.	1515/1516 कटनी – चोपन पैसेंजर	2 साधारण श्रेणी
11.	1523/1524 झांसी – बन्दा पैसेंजर	1 साधारण श्रेणी
12.	2101/2102 लोक मान्य तिलक (ट०) – हवड़ा एक्स०	1 वाता० 3 टियर, 1 वाता० 2 टियर
13.	2103/2104 लोक मान्य तिलक (ट०) – नागपुर एक्स०	1 वाता० 3 टियर, 1 वाता० 2 टियर
14.	407/408-ए चिरमिरी – दामोह – कटनी पैसेंजर	1 साधारण श्रेणी
15.	2019/2020 हवड़ा – बोकारो शताब्दी एक्स०	1 इक्जक्यूटिव कुर्सीयान
16.	219/220 हवड़ा – मालदा पैसेंजर	1 शयनयान
17.	2311/2312 हवड़ा – कालका मेल	2 शयनयान, 1 वाता० 3 टियर
18.	2313/2314 सियालदाह राजधानी एक्स०	1 वाता० कुर्सीयान
19.	3005/3006 हवड़ा – अमृतसर मेल	1 साधारण श्रेणी
20.	3009/3010 हवड़ा – देहरादून एक्स०	1 शयनयान
21.	3013/3014 हवड़ा – देहरादून उपासना एक्स०	1 शयनयान, 1 वाता० 3 टियर
22.	3045/3046 हावड़ा – गुवाहाटी सरायघाट एक्स०	1 वाता० 3 टियर
23.	3049/3050 हवड़ा – अमृतसर एक्स०	1 शयनयान, 1 साधारण श्रेणी
24.	3073/3074 हवड़ा – जम्मू तबी हिमगिरि एक्स०	1 वाता० 3 टियर
25.	3147/3148 सियालदह – न्यू कूचबहार उत्तर बंगा एक्स०	1 वाता० 3 टियर
26.	3201/3202 पटना – कुर्ला एक्स०	1 वाता० 3 टियर
27.	3231/3232 हवड़ा – दानापुर एक्स०	1 शयनयान
28.	3287/3288 बिलासपुर/टाटानगर – पटना साउथ बिहार एक्स०	1 वाता० 2 टियर, 1 सामान एवं ब्रेकयान
29.	3307/3308 धनबाद – फिरोजपुर गंगा सतलुज एक्स०	1 शयनयान, 1 साधारण श्रेणी
30.	3413/3414 मालदा टाउन – भिवानी फरक्का एक्स०	2 शयनयान
31.	3419/3420 भागलपुर – मुजफ्फरपुर एक्स०	2 शयनयान
32.	3453/3454 सियालदाह – मालदा टाउन गौर एक्स०	1 शयनयान
33.	3483/3484 मालदा टाउन – भिवानी फरक्का एक्स०	2 शयनयान
34.	441/442 गोमोह – चोपन पैसेंजर	1 साधारण श्रेणी
35.	451/452 गोमोह – बड़वाडीह पैसेंजर	2 साधारण श्रेणी, 1 सामान एवं ब्रेकयान
36.	457/458 बड़वाडीह – चुनार पैसेंजर	2 साधारण श्रेणी, 1 सामान एवं ब्रेकयान
37.	475/476 चोपन – मिरजापुर पैसेंजर	1 साधारण श्रेणी
38.	1 जेए/2 जेए जोधपुर – अजमेर पैसेंजर	6 साधारण श्रेणी

1	2	3
39.	1 जेजे/ 4 जेजे जालंधर सिटी – जंजन दोआबा पैसेंजर	2 साधारण श्रेणी, 1 सामान एवं ब्रेकयान
40.	1 पीआरएल/2 पीआरएल प्रयाग घाट – चिलबिला पैसेंजर	4 साधारण श्रेणी, 1 सामान एवं ब्रेकयान
41.	1 यूएन/2 यूएन ऊना – नांगलडैम पैसेंजर	1 शयनयान
42.	2401/2402 पटना – नई दिल्ली श्रमजीवी एक्स०	1 शयनयान
43.	2421/2422 नई दिल्ली – भुवनेश्वर राजधानी एक्स०	1 वाता० 3 टियर
44.	2471/2472 मुंबई – जम्मू तवी स्वराज एक्स०	1 साधारण श्रेणी, 3 शयनयान, 1 वाता० 3 टियर, 1 सामान एवं ब्रेकयान
45.	2473/2474 अहमदाबाद – जम्मू तवी एक्स०	1 साधारण श्रेणी, 3 शयनयान, 1 वाता० 3 टियर, 1 सामान एवं ब्रेकयान
46.	2475/2476 हापा – जम्मू तवी एक्स०	1 साधारण श्रेणी, 3 शयनयान, 1 वाता० 3 टियर, 1 सामान एवं ब्रेकयान
47.	2477/2478 जामनगर – जम्मू तवी एक्स०	1 साधारण श्रेणी, 3 शयनयान, 1 वाता० 3 टियर, 1 सामान एवं ब्रेकयान
48.	2 एबीपी/9 एबीपी अमृतसर – पठानकोट पैसेंजर	2 साधारण श्रेणी, 1 सामान एवं ब्रेकयान
49.	3049/3050 हवड़ा – अमृतसर एक्स०	2 शयनयान अमृतसर – लखनऊ के बीच
50.	3307/3308 धनबाद – फिरोजपुर एक्स०	2 शयनयान फिरोजपुर – वाराणसी के बीच
51.	3 एबीपी/8 एबीपी अमृतसर – पठानकोट पैसेंजर	1 शयनयान
52.	3 जेएमपी/2 जेएमपी पठानकोट – जालंधर सिटी पैसेंजर	2 साधारण श्रेणी, 1 सामान एवं ब्रेकयान
53.	3 जेएन/4 जेएन जालंधर सिटी – नाकोडर पैसेंजर	2 साधारण श्रेणी, 1 सामान एवं ब्रेकयान
54.	4007/4008 मुजफ्फरपुर – दिल्ली सद्भावना एक्स०	1 शयनयान, 1 साधारण श्रेणी
55.	4013/4014 सुल्तानपुर – दिल्ली सद्भावना एक्स०	1 शयनयान
56.	4015/4016 दिल्ली – रक्सौल सद्भावना एक्स०	1 शयनयान, 1 साधारण श्रेणी
57.	4017/4018 मुजफ्फरपुर – दिल्ली सद्भावना एक्स०	1 शयनयान
58.	4123/4124 प्रतापगढ़ – कानपुर एक्स०	1 साधारण श्रेणी
59.	4215/4216 इलाहाबाद – लखनऊ गंगा गोमती एक्स०	2 साधारण श्रेणी
60.	4257/4258 वाराणसी – नई दिल्ली काशी विश्वनाथ एक्स०	1 वाता० 3 टियर
61.	4269/4270 शक्तिनगर/सिंगरौली – लखनऊ त्रिवेणी एक्स०	1 शयनयान
62.	4311/4312 बरेली – गांधीधाम एक्स०	2 शयनयान
63.	4313/4314 दादर – बरेली एक्स०	2 शयनयान
64.	4553/4554 दिल्ली – ऊना हिमाचल एक्स०	1 शयनयान
65.	4555/4556 बरेली – दिल्ली एक्स०	1 शयनयान
66.	4633/4634 पठानकोट – अमृतसर रवि एक्स०	2 साधारण श्रेणी, 1 सामान एवं ब्रेकयान
67	4645/4646 जम्मू तवी – नई दिल्ली शालीमार एक्स०	1 शयनयान , 1 वाता० 3 टियर
68.	4805/4806 जम्मू तवी – जोधपुर एक्स०	1 शयनयान
69.	4811/4812 अमृतसर – जम्मू तवी एक्स०	1 शयनयान
70.	4845/4846 जोधपुर – अहमदाबाद सूर्यनगरी एक्स०	1 वाता० 3 टियर

1	2	3
71.	4853/4854 वाराणसी – जोधपुर मरूधर एक्स०	1 शयनयान
72.	4863/4864 वाराणसी – जोधपुर मरूधर एक्स०	1 शयनयान
73.	4887/4888 कालका – जोधपुर चंडीगढ़ एक्स०	1 शयनयान
74.	4 आरडी/7 आरडी रेवाड़ी – दिल्ली पैसेंजर	1 साधारण श्रेणी
75.	5003/5004 कानपुर – गोरखपुर चोरी चौरा एक्स०	1 शयनयान
76.	5011/5012 कोचीन – गोरखपुर राप्ती सागर एक्स०	1 शयनयान
77.	5047/5048 हवड़ा – गोरखपुर पूर्वांचल एक्स०	1 शयनयान
78.	5049/5050 हवड़ा – गोरखपुर एक्स०	1 शयनयान
79.	5063/5064 गोरखपुर – बांद्रा अवध एक्स०	1 वाता० 3 टियर
80.	5087/5088 गोरखपुर – जम्मू तवी एक्स०	1 शयनयान
81.	5089/5090 सिकंदराबाद – गोरखपुर एक्स०	1 शयनयान
82.	5091/5092 बैंगलूरू – गोरखपुर एक्स०	1 शयनयान
83.	5097/5098 बरौनी – जम्मू तवी एक्स०	1 शयनयान
84.	5203/5204 बरौनी – लखनऊ एक्स०	1 शयनयान, 1 साधारण श्रेणी
85.	5209/5210 बरौनी – अमृतसर जनसेवा एक्स०	4 साधारण श्रेणी
86.	5211/5212 दरभंगा – अमृतसर एक्स०	4 साधारण श्रेणी
87.	5217/5218 कुर्ला – मुजफ्फरपुर एक्स०	1 शयनयान
88.	5219/5220 कुर्ला – दरभंगा एक्स०	1 शयनयान
89.	5221/5222 कोचीन – बरौनी एक्स०	1 शयनयान
90.	529/530 गोरखपुर – मुजफ्फरपुर पैसेंजर	1 शयनयान, 1 प्रथम श्रेणी
91.	2007/2008 चेन्नै – मैसूर शताब्दी एक्स०	1 एक्जक्यूटिव कुर्सीयान
92.	213/214 चेन्नै – तिरूपति पैसेंजर	1 शयनयान
93.	235/236 मैसूर – बेंगलूरू पैसेंजर	1 प्रथम श्रेणी एवं शयनयान
94.	2605/2606 चेन्नै – तिरूचीपल्लवन एक्स०	1 वाता० कुर्सीयान
95.	2607/2608 चेन्नै – बेंगलूरू लालबाग एक्स०	2 साधारण कुर्सीयान, 1 वाता० कुर्सीयान
96.	2617/2618 एर्णाकुलम – निजामुद्दीन मंगला लक्षद्वीप एक्स०	1 वाता० 3 टियर
97.	2619/2620 लोक मान्य तिलक (ट०) – मंगलौर मत्स्यगंधा एक्स०	1 शयनयान
98.	2635/2636 चेन्नै – मदरै वायगाय एक्स०	1 वाता० कुर्सीयान
99.	2639/2640 चेन्नै – बेंगलूरू बृंदावन एक्स०	4 साधारण कुर्सीयान
100.	2673/2674 चेन्नै – कोयम्बटूर चरण एक्स०	1 वाता० प्रथम श्रेणी
101.	2679/2680 चेन्नै – कोयम्बटूर इंटरसिटी एक्स०	1 वाता० कुर्सीयान

1	2	3
102.	271/272 सेलम – बेंगलूरू पैसेंजर	1 प्रथम श्रेणी एवं शयनयान
103.	283/284 बेंगलूरू – हासपेट पैसेंजर	1 शयनयान
104.	287/288 बंगलूरू – हरिहर पैसेंजर	2 साधारण कुर्सीयान, 1 सामान एवं ब्रेकयान
105.	6003/6004 चेन्नै – हवड़ा मेल	1 शयनयान
106.	6007/6008 चेन्नै – बेंगलूरू मेला	1 वाता० 3 टियर
107.	6023/6024 चेन्नै – बेंगलूरू एक्स०	2 साधारण कुर्सीयान, 1 वाता० कुर्सीयान
108.	6041/6042 चेन्नै – अल्लेप्पी एक्स०	1 प्रथम श्रेणी एवं शयनयान
109.	6119/6120 चेन्नै – तिरूनेलवेली नेलाई एक्स०	1 वाता० 2 टियर, 2 शयनयान
110.	6121/6122 चेन्नै – कन्याकुमारी एक्स०	1 वाता० 3 टियर
111.	6203/6204 चेन्नै – तिरूपति एक्स०	1 शयनयान
112.	6221/6222 चेन्नै – मैसूर कावेरी एक्स०	1 शयनयान
113.	6231/6232 तंजावूर – मैसूर एक्स०	1 वाता० 2 टियर
114.	6319/6320 चेन्ना – तिरूवनंतपुरम मेल	1 वाता० 3 टियर
115.	6323/6324 तिरूवनंतपुरम – हवड़ा एक्स०	1 वाता० 2 टियर
116.	6329/6330 तिरूवनंतपुरम – हवड़ा मंगलौर मालबार एक्स०	1 वाता० 3 टियर
117.	6331/6332 तिरूवनंतपुरम – मुंबई एक्स०	1 वाता० 2 टियर
118.	6333/6334 तिरूवनंतपुरम – हापा एक्स०	1 शयनयान
119.	6337/6338 एर्णाकुलम – राजकोट एक्स०	1 शयनयान
120.	6339/6340 मुंबई – नगरकोइल एक्स०	1 वाता० 3 टियर
121.	6345/6346 एर्णाकुलम – लोक मान्य तिलक (ट) नेत्रावती एक्स	1 वाता० 3 टियर, 2 शयनयान, 1 साधारण श्रेणी
122.	6351/6352 तिरूपति – नागरकोइल एक्स०	1 वाता० 3 टियर
123.	6353/6354 मुंबई – तिरूपति एक्स०	1 वाता० 3 टियर
124.	6355/6356 हबड़ा – कन्याकुमारी एक्स०	1 वाता० 3 टियर
125.	6503/6504 बेंगलूरू – श्री सत्य साई प्रसान्ती निलायम एक्स	1 वाता० 2 टियर, 2 साधारण श्रेणी
126.	6525/6526 कन्याकुमारी – बेंगलूरू एक्स	1 वाता० 3 टियर
127.	6589/6590 बेंगलूरू – मिरजा रानी चेन्नम्मा एक्स०	1 साधारण श्रेणी, 1 वाता० 2 टियर
128.	6601/6602 चेन्नै – मंगलौर मेल	1 वाता० 3 टियर
129.	6605/6606 चेन्नै – पिट्टुपालायम नीलगिरि एक्स०	1 वाता० 2 टियर
130	6627/6628 चेन्नै – मंगलौर वेस्ट कास्ट एक्स०	1 वाता० 3 टियर
131.	6669/6670 चेन्नै – इरोड येरकाड एक्स०	1 वाता० 3 टियर
132.	6703/6704 चेन्नै – तूतिकोरिन पर्ल सिटी एक्स०	1 साधारण श्रेणी, 1 वाता० 2 टियर

1	2	3
133.	6717/6718 चेन्नै – मदुरै पाण्डियन एक्स०	2 शयनयान, 1 साधारण श्रेणी, 1 प्रथम वाता०
134.	6731/6732 तूतिकोरिन – बेंगलूरू एक्स०	1 साधारण श्रेणी, 1 वाता० 2 टियर
135.	6803/6804 हबड़ा – तिरूच्ची एक्स०	1 वाता० 3 टियर
136.	6877/6878 चेन्नै – तिरूच्ची रॉक फोर्ट एक्स०	2 शयनयान, 1 साधारण श्रेणी
137.	711/712 मदुरै – दिंडीगुल पैसेंजर	1 प्रथम श्रेणी कुर्सीयान, 1 सामान तथा ब्रेकयान
138.	777/778 मदुरै – कोयम्बटूर पैसेंजर	1 प्रथम श्रेणी कुर्सीयान, 1 सामान तथा ब्रेकयान
139.	2763/2764 तिरूपति – सिंकदराबाद एक्स०	1 वाता० 3 टियर, 1 वाता० 2 टियर
140.	2779/2780 वास्को – निजामुद्दीन गोआ एक्स०	1 वाता० 2 टियर
141.	563/564 सिकंदराबाद – मुदखेड पैसेंजर	1 शयनयान
142.	7017/7018 राजकोट – सिकंदराबाद एक्स०	1 साधारण श्रेणी, 1 वाता० 3 टियर
143.	7029/7030 कोचीन – हैदराबाद एक्स०	1 वाता० 3 टियर
144.	7045/7046 हवड़ा – हैदराबाद ईस्ट कास्ट एक्स०	5 साधारण कुर्सीयान हैदराबाद-विजयवाड़ा के बीच
145.	7047/7048 काकीनाडा – सिकंदराबाद गौतमी एक्स०	1 वाता० 3 टियर, 1 साधारण श्रेणी
146.	7053/7054 एन चेन्नै – हैदराबाद एक्स०	1 शयनयान
147.	7225/7226 विजयवाड़ा – लोंडा अमरावती एक्स०	1 वाता० 3 टियर
148.	7497/7498 काचेगुडा – तिरूपति वेंकटादरी एक्स०	2 शयनयान, 1 साधारण श्रेणी
149.	2805/2806 विशाखापत्तनम – विजयवाड़ा जन्मभूमि एक्स०	2 साधारण कुर्सीयान, 1 वाता० कुर्सीयान
150.	8025/8026 शालीमर – बांकुरा एक्स०	1 साधारण श्रेणी
151.	8225/8226 विलासपुर – भोपाल महानदी एक्स०	1 वाता० 2 टियर, 1 शयनयान
152.	8253/8254 दुर्ग – भोपाल अमरकंटक एक्स०	1 वाता० 2 टियर, 1 शयनयान
153.	8405/8406 पुरी – अहमदाबाद एक्स०	1 वाता० 3 टियर
154.	8439/8440 पुरी – तिरूपति एक्स०	1 वाता० 3 टियर
155.	8449/8450 पुरी – पटना वैद्यनाथधाम एक्स०	1 वाता० 3 टियर
156.	8451/8452 राउरकेला – पुर तपस्विनी एक्स०	1 वाता० 3 टियर
157.	8517/8518 बिलासपुर – विशाखापत्तनम एक्स०	1 वाता० 2 टियर
158.	181/182 जयपुर – रेबाड़ी/भवानीमंडी पैसेंजर	2 साधारण श्रेणी
159.	183/184 अलवर – रेबाड़ी/भवानीमंडी शटल	2 साधारण श्रेणी
160.	185/186 अलवर – मथुरा शटल	2 साधारण श्रेणी
161.	189/190 कोटा – कटनी पैसेंजर	1 शयनयान
162.	211/212 राजकोट – पोरबंदर पैसेंजर	1 साधारण श्रेणी
163.	2915/2916 अहमदाबाद – दिल्ली मेल	1 वाता० 3 टियर, 3 शयनयान
164.	2925/2926 बांद्रा टर्मिनस-अमृतसर/कालका एक्स०	1 वाता० 3 टियर, 2 शयनयान, 1 सामान एवं ब्रेकयान

1	2	3
165.	2961/2962 मुंबई सेंट्रल – इन्दौर अवंतिका एक्स०	1 शयनयान
166.	347/348 वैरावल – राजकोट पैसेंजर	1 साधारण श्रेणी
167.	347/348 वैरावल – राजकोट पैसेंजर	2 साधारण श्रेणी, जुनागढ़ – राजकोट के बीच 1 सामान और ब्रेकयान
168	349/350 राजकोट – विसवदर पैसेंजर	1 साधारण श्रेणी
169.	581/582 अजमेर – पूर्णा पैसेंजर	1 शयनयान, 1 साधारण श्रेणी खाण्डवा-पूर्णा के बीच
170.	75/76 मऊ – चित्तौड़गढ़ पैसेंजर	2 साधारण श्रेणी
171.	81/82 निमच – आगरा फोर्ट पैसेंजर	1 शयनयान
172.	83/84 कोटा – आगराफोर्ट पैसेंजर	1 शयनयान
173.	89/90 मऊ – चित्तौड़गढ़ पैसेंजर	2 साधारण श्रेणी
174.	9045/9046 सूरत – वाराणसी ताप्ती गंगा एक्स०	1 वाता० 3 टियर
175.	9047/9048 सूरत – पटना एक्स०	1 वाता० 3 टियर
176.	9601/9602 बांद्रा टर्मिनस – गांधीधाम एक्स०	1 साधारण श्रेणी
177.	9707/9708 बांद्रा टर्मिनस – जयपुर एक्स०	1 वाता० 3 टियर, 3 शयनयान, 2 साधारण श्रेणी
178.	9923/9924 अहमदाबाद – वैराबल सोमनाथ मेल	1 साधारण श्रेणी

(ग) भारतीय रेलों पर गाड़ियों में सवारी डिब्बों की संख्या में वृद्धि करना एक सतत् प्रक्रिया है जो यातायात के पैटर्न, परिचालनिक व्यावहारिकता और सवारी डिब्बों की उपलब्धता पर निर्भर करती है।

[अनुवाद]

उच्चतम न्यायालय की खंडपीठें

1036. **श्री जी० पुट्टास्वामी गौड़ा :**
श्री आर०एस० पाटिल :

क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** उच्चतम न्यायालय की खंडपीठों के बारे में 23 नवंबर, 2000 के अतारांकित प्रश्न संख्या 742 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ख) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है ?

विधि, न्याय और कपंनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) और (ख) भारत के मुख्य न्यायमूर्ति ने यह सूचित करते हुए कि देश के दक्षिणी, पश्चिमी और उत्तर-पूर्वी भागों में उच्चतम न्यायालय की खंडपीठें स्थापित किए जाने के लिए संसदीय स्थायी समिति की सिफारिश पूर्ण न्यायपीठ के विचारार्थ लंबित है, यह कहा था कि जैसे ही पूर्ण न्यायपीठ द्वारा कोई विनिश्चय किया जाता है, वह उसके बारे में बताएंगे। चूंकि पूर्ण न्यायपीठ का विनिश्चय अभी प्राप्त होना है अत: यह बताना संभव नहीं है कि अंतिम विनिश्चय कब तक कर लिया जाएगा।

[हिन्दी]

नकली टिकट निरीक्षक

1037. **श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी :**
श्री सुन्दर लाल तिवारी :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 22 दिसम्बर, 2000 को "राष्ट्रीय सहारा" में "खुले आम लूट-खसूट करते रहे फर्जी टीटीई" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस समाचार में दी गई जानकारी की यथातथ्यता क्या है;

(ग) अभी तक कितने छद्म टी०टी०ई० गिरफ्तार किए गए हैं और उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई हैं; और

(घ) भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) 21.12.2000 को छपी खबर वास्तव में सही नहीं है क्योंकि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर रेल सुरक्षा बल, राजकीय रेल पुलिस तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बड़ी संख्या में टिकट जांच कर्मी मौजूद थे। रेलवे स्टेशन पर किसी यात्री द्वारा कोई शिकायत नहीं दर्ज कराई गई थी रेलवे के मुख्य जन संपर्क अधिकारी ने राष्ट्रीय सहारा

Scanned by CamScanner

के संपादक से रेलवे की सही स्थिति प्रकाशित करने तथा ऐसी खबरों को गलत तरीके से पेश न करने का अनुरोध भी किया है।

(ग) पिछले वर्ष 23 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए और कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस को सौप दिये गये थे।

(घ) रेलकर्मियों को सलाह दी गई है कि वे चल टिकट यात्री के रूप में ऐसे छद्म व्यक्ति पर नजर रखें, ऐसी गलत गतिविधियों में लिप्त छद्म व्यक्तियों का पता लगाने के लिए प्लेटफार्मों पर रेलकर्मियों द्वारा जांचे भी की जाती हैं। जैसे व्यक्तियों से सावधान रहने के लिए जनता को जनउद्घोषणा प्रणाली के जरिए उद्घोषणाएं भी की जाती हैं।

[अनुवाद]

लक्षद्वीप में पर्यटन का विकास

1038. श्री पी०सी० थामस : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लक्षद्वीप में पर्यटन का विकास करने के लिए सरकार के पास कोई ठोस योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्तमान समय में लक्षद्वीप के रोचक पर्यटन स्थलों के नाम क्या-क्या हैं; और

(घ) राज्य सरकार के परामर्श से लागू की गई परियोजनाओं के नाम क्या हैं और पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में और चालू वर्ष के दौरान इन योजनाओं के अंतर्गत परियोजना-वार कितनी राशि मंजूर/जारी की गई ?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) और (ख) पर्यटक केन्द्रों/स्थलों का विकास और संवर्धन मुख्यतया लक्षद्वीप प्रशासन द्वारा किया जाता है। तथापि, पर्यटन विभाग सम्बद्ध राज्य से विचार-विमर्श करके प्रत्येक वर्ष प्राथमिकता प्रदत्त परियोजनाओं के आधार पर केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

(ग) लक्षद्वीप के प्रमुख पर्यटक आकर्षणों में – बंगाराम, अगात्ती, कावारत्ती, कदमत, कल्पेनी, मिनिकोय, सुहाली, टिन्नाकरम, अन्द्रोट और चेरियम द्वीप शामिल हैं।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान, नीचे दर्शायी गई परियोजनाएं स्वीकृत की गई थी :–

(लाख रुपयों में)

वर्ष	परियोजना का नाम	स्वीकृत राशि	अवमुक्त राशि
1997-98	पांच ग्लास बोट्स	5.00	2.50
1998-99	स्कूबा डाइविंग उपकरण की खरीद	29.00	13.80
1999-2000	शून्य		

राजस्थान में रेलवे लाइनें बिछाया जाना

1039. श्री पुष्प जैन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई रेलवे लाइनें बिछाने, रेलवे लाइनों के दोहरीकरण और मीटर और छोटी लाइनों के आमान परिवर्तन के लिए क्या मानदण्ड अपनाए गए हैं;

(ख) क्या केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2001-2002 के दौरान राजस्थान में नई रेलवे लाइनें बिछाए जाने और रेल लाइनों का विस्तार किए जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) नयी लाइनों को बिछाने, आमान परिवर्तन और दोहरीकरण परियोजनाओं को शुरू करने के बारे में अपनाए जाने वाले मानदण्ड 28.7.1998 को रेल मंत्रालय द्वारा जारी रेलवे परियोजनाओं के संबंध में श्वेत पत्र में दिए गए हैं। बहरहाल, इसे पुन: नीचे दिया जा रहा है :–

नयी लाइन

i. खनिज एवं अन्य संसाधनों के दोहन के लिए नए उद्योगों को सेवित करने के लिए परियोजना उन्मुखी लाइनें

ii. मौजूदा संतृप्त मार्गों पर भीड़भाड़ कम करने के लिए वैकल्पिक मार्गों को पूरा करने के लिए लुप्त संपर्क

iii. सामरिक कारणों के लिए आवश्यक लाइनें; और

iv. नए विकास केंद्रों की स्थापना अथवा दूरस्थ क्षेत्रों को संपर्क मार्ग उपलब्ध कराने वाली लाइने;

आमान परिवर्तन

i. वैकल्पिक बड़ी लाइन के मार्गों का विकास करने के लिए लाइनों के आमान परिवर्तन शुरू करना जिससे कि इन मार्गों पर मौजूदा बड़ी लाइनों के दोहरीकरण की जरूरत न रहे;

ii. अन्य बड़ी लाइनों में जुड़े स्टेशनों के बीच बड़ी लाइन संपर्क स्थापित करना;

iii. बंदरगाहों, औद्योगिक केंद्रों तथा विकास संभावना वाले स्थलों को जोड़ने के लिए बड़ी लाइन संपर्क स्थापित करना;

iv. सामरिक दृष्टि से आवश्यक लाइनों का आमान परिवर्तन;

v. यानांतरण को कम करना तथा यानांतरण स्थलों पर विलंब से बचने के लिए मालडिब्बों के फेरों में कमी करना;

vi. उपर्युक्त नीति के तहत न्यूनतम लागत पर लाइनों का आमान परिवर्तन करना और मानक सेवा मुहैया कराना जो मी०ला० पर रेल उपयोगकर्ताओं को मिलने वाली सेवा से कम न हो;

दोहरीकरण

ढुलाई क्षमता संतृप्त हो जाने पर इकहरी लाइन वाले खण्डों का दोहरीकरण करना/दोहरी लाइनों पर बहुल लाइनों (मल्टिपल लाइनें) उपलब्ध कराई जाती हैं। संसाधनों की उपलब्धता और यातायात की आवश्यकताओं के आधार पर निर्माण कार्यक्रम की बैठकों के दौरान परियोजनाओं का चयन किया जाता है।

(ख) और (ग) जी, हां। अजमेर चित्तौड़गढ़ उदयपुर आमान परिवर्तन परियोजना के उमरा तक विस्तार संबंधी प्रस्ताव को 2001-02 के बजट में शामिल किया गया है।

महाराष्ट्र में एल०पी०जी० एजेंसियां

1040. **श्री अनंत गंगाराम गीते :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि महाराष्ट्र के रत्नागिरि और रायगढ़ जिलों में स्थापना हेतु मंजूरी के लिए लंबित एल०पी०जी० एजेंसियों की कुल संख्या कितनी है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : सार्वजनिक क्षेत्र तेल विपणन कंपनियों की महाराष्ट्र राज्य के रत्नागिरी जिलान्तर्गत 7 एल०पी०जी० डिस्ट्रीब्यूटरशिपें तथा रायगढ़ जिलान्तर्गत 6 एल० पी०जी० डिस्ट्रीब्यूटरशिपें स्थापित करने की योजना है।

समुद्री अभियांत्रिकी एवं अनुसंधान संस्थान में अ०जा०/अ०ज०जा० उम्मीदवारों को प्रवेश

1041. **श्री ए०के०एस० विजयन :** क्या पोत परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डा० अंबेडकर जन्म शताब्दी समारोह समिति ने वर्ष 1993 के दौरान अ०ज०/अ०ज०जा० समुदाय के छात्रों को इस समुदाय के लिए आरक्षित सीटों के कोटे की पूरी सीमा तक प्रवेश दिए जाने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान सभी समुद्री अभियांत्रिकी एवं अनुसंधान संस्थानों में विभिन्न संकायों/विषयों में स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में उपलब्ध कराई गई सीटों की वर्ष-वार संख्या क्या है;

(घ) भिन्न-भिन्न संकायों के उक्त पाठ्यक्रमों में कितने अ०जा०/अ०ज०जा० के विद्यार्थियों को प्रवेश दिया गया और गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार कुल सीटों की तुलना में इनका प्रतिशत कितना है; और

(ङ) इन सिफारिशों को लागू न किए जाने के कारण क्या हैं ?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) जी, हां।

(ख) इस सिफारिश को कार्यान्वयन के लिए सभी मंत्रालयों में परिचालित किया गया था।

(ग) दो समुद्री इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान (एम०ई० आर०आई०) हैं जो कोलकाता और मुम्बई में स्थित हैं। केवल एम०ई०आर०आई०, कोलकाता छात्रों के लिए स्नातक पाठ्यक्रम प्रदान करता है। एम०ई०आर०आई०, कोलकाता में गत 3 वर्षों के दौरान भारतीय नागरिकों को प्रदान की गई सीटों के ब्यौरे इस प्रकार हैं :–

वर्ष	कुल सीट	सामान्य	अ०जा०	अ०ज०जा०
1998	110	85	17	8
1999	110	85	17	8
2000	110	85	17	8

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान अ०जा०/अ०ज०जा० के छात्रों की वर्षवार संख्या जिन्हें प्रवेश किया गया तथा कुल सीटों की तुलना में उनका प्रतिशत इस प्रकार है :–

वर्ष	कुल सीट	सामान्य	अ०जा०	अ०ज०जा०
1998	110	91	11(10%)	8(7.3%)
1999	110	85	17(15.4%)	8(7.3%)
2000	110	75	11(10%)	5(4.5%)

अ०जा०/अ०ज०जा० का कोटा योग्य उम्मीदवारों को सख्ती से प्रदान किया जा रहा है। तथापि, अ०जा०/अ०ज०जा० द्वारा अप्रयुक्त सीटें सामान्य उम्मीदवारों को प्रदान की जा रही हैं ताकि प्रशिक्षण प्रयासों की बर्बादी से बचा जा सके।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

कम वजन वाले एल०पी०जी० सिलिंडर

1042. **डा० जसवंतसिंह यादव :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में, विशेषकर दिल्ली में एल०पी०जी० की कम मात्रा वाले सिलिंडरों की आपूर्ति की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई है और दोषी पाई गई एजेंसियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या सरकार द्वारा उपयुक्त मात्रा वाले एल०पी०जी० सिलिंडरों की आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) सार्वजनिक क्षेत्र तेल विपणन कम्पनियों द्वारा अप्रैल-दिसम्बर,

Scanned by CamScanner

2000 की अवधि के दौरान देश में कम वजन के सिलेन्डरों के विरुद्ध 27 सिद्ध शिकायतें प्राप्त किए जाने के बारे में सूचित किया गया है। दोषी डिस्ट्रीब्यूटरों के विरुद्ध डिस्ट्रीब्यूटरशिप करार के तहत उचित कार्रवाई की गई है।

(ग) और (घ) सार्वजनिक क्षेत्र तेल विपणन कम्पनियां केराउजल पर सिलेन्डर भरे जाने के बाद एक जांच करती है। सुपुर्दगी और ट्रक पर लदान से पहले भरे हुए सिलेन्डरों की फिर सांख्यिकीय गुणवत्ता जांच की जाती है जिससे यह सुनिश्चित हो कि केवल सही गुणवत्ता और मात्रा वाले सिलेन्डर डिस्ट्रीब्यूटरों तक पहुंच सकें। एल०पी०जी० डिस्ट्रीब्यूटरों को यह अनुदेश भी दिए गए हैं कि वे उपभोक्ताओं को सुपुर्दगी करने से पहले प्रत्येक सिलेन्डर के ठीक/सही वजन के होने के लिए उसकी जांच करें/उपर्युक्त उपायों के बावजूद यदि उपभोक्ताओं को किसी कम वजन के सिलेन्डर की आपूर्ति की जाती है तो इसे एल०पी०जी० डिस्ट्रीब्यूटर/कंपनी के ध्यान में लाए जाने के बाद तुरन्त मुफ्त में बदल दिया जाता है।

भारतीय पर्यटन विकास निगम के होटल/सम्पत्ति

1043. श्री रामदास आठवले : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में आई०टी०डी०सी० के वर्तमान होटलों और अन्य सम्पत्तियों के स्थान-वार और श्रेणी-वार नाम क्या हैं;

(ख) वर्ष 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान और अभी तक आई०टी०डी०सी० के होटलों को होटल-वार कितना मुनाफा और नुकसान हुआ है;

(ग) इन घाटों के क्या कारण हैं और इन होटलों को लाभप्रद बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या आई०टी०डी०सी० ने देश में, विशेष रूप से महाराष्ट्र में पर्यटन और अपनी इकाइयों के विकास के लिए कोई व्यापक योजना बनाई है;

(ङ) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार द्वारा देश में, विशेष तौर पर महाराष्ट्र में कुछ और आई०टी०डी०सी० होटल खोले गए हैं/खोले जाने का प्रस्ताव है;

(छ) यदि हां, तो स्थान-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) भारत पर्यटन विकास निगम (आई०टी०डी०सी०) के होटलों एवं रेस्तराओं के नाम दर्शाते हुए एक ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है।

(ख) वर्ष 1999-2000 तथा 2000-2001 (जनवरी, 2001 तक) के दौरान आई०टी०डी०सी० की लाभदायकता दर्शाते हुए एक ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है।

(ग) आई०टी०डी०सी० के होटलों में घाटे के मुख्य कारण हैं (I) उच्च मजदूरी लागत तथा उच्च निर्धारित एवं परिवर्तनीय लागत (II) अनुमोदित क्षेत्र में होटल कमरों की उपलब्धता में वृद्धि के परिणामस्वरूप कड़ी प्रतिस्पर्धा तथा मूल्य प्रतिद्वन्द्विता (III) सन्निकट विनिवेश आदि की वजह से अनिश्चितता। आई०टी०डी०सी० के होटलों के कार्य निष्पादन में सुधार हेतु किए गए/किए जा रहे उपाय हैं। (I) संवर्धनात्मक स्कीमों, विशेष पैकेजों सहित उत्साही विपणन प्रयास, (II) सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से फिर 58 वर्ष करके तथा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना प्रारंभ करके मजदूरी लागत में कमी, (III) विविध देनदारों से बकाया राशि की वसूली का अभियान; तथा खर्चे में किफायत करके लागत नियंत्रण।

(घ) से (ज) महाराष्ट्र राज्य में, आई०टी०डी०सी० 60 कमरों के एक दो सितारा होटल औरंगाबाद अशोक का प्रचालन कर रहा है। विद्यमान होटलों की चल रही विनिवेश प्रक्रिया की वजह से महाराष्ट्र सहित देश में किसी नये होटल की स्थापित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

विवरण-I

देश में भारत पर्यटन विकास निगम के स्वामित्व में तथा प्रचालित होटलों एवं रेस्तराओं के नाम दर्शाता हुआ विवरण

होटल/अवस्थिति/राज्य का नाम	सितारा श्रेणी
1	2
क. होटल संपत्तियाँ	
1. होटल पाटलीपुत्र अशोक, पटना बिहार	*तीन सितारा
2. होटल बोधगया अशोक, बोधगया, बिहार	*तीन सितारा
3. अशोक होटल, नई दिल्ली	*पांज सितारा डिलक्स
4. सम्राट होटल, नई दिल्ली	*पांच सितारा
5. कुतुब होटल, नई दिल्ली	*पांच सितारा
6. कनिष्क होटल, नई दिल्ली	*चार सितारा
7. जनपथ होटल, नई दिल्ली	*चार सितारा
8. लोदी होटल, नई दिल्ली	*तीन सितारा
9. रणजीत होटल, नई दिल्ली	*तीन सितारा
10. होटल इंद्रप्रस्थ, नई दिल्ली	*एक सितारा
11. होटल मनाली अशोक, मनाली, हिमाचल प्रदेश	*तीन सितारा
12. होटल जम्मू अशोक, जम्मू, जम्मू एवं कश्मीर	*चार सितारा
13. ललिता महल पैलेस होटल, मैसूर कर्नाटक	*हैरिटेज ग्रांड
14. होटल अशोक बंगलौर, कर्नाटक	*पांच सितारा
15. होटल हसन अशोक, हसन, कर्नाटक	*तीन सितारा

1	2
16. कोवलम अशोक बीच रिजार्ट, केरल	*पांच सितारा
17. होटल औरंगाबाद अशोक, औरंगाबाद, महाराष्ट्र	*दो सितारा
18. होटल खजुराहो अशोक, खजुराहो मध्य प्रदेश	*तीन सितारा
19. होटल कलिंग अशोक, भुवनेश्वर	*तीन सितारा
20. लक्ष्मी विलास पैलेस होटल, उदयपुर राजस्थान	*हैरिटेज ग्रांड
21. होटल जयपुर अशोक, जयपुर राजस्थान,	*चार सितारा
22. टैंपल बे अशोक बीच रिजार्ट, मामल्लापुरम, तमिलनाडु	*तीन सितारा
23. होटल मदुरे अशोक, मदुरै, तमिलनाडु	*तीन सितारा
24. होटल आगरा अशोक, आगरा, उत्तर प्रदेश	*पांच सितारा
25. होटल वाराणसी अशोक, वाराणसी, उत्तर प्रदेश	*चार सितारा
26. होटल एयरपोर्ट अशोक, कोलकत्ता, पश्चिम बंगाल	*चार सितारा

*होटल एवं रेस्तरां अनुमोदन एवं वर्गीकृत समिति के अनुसार

ख — अन्य संपत्तियाँ

1. एयरपोर्ट रेस्टोरेंट, दिल्ली
2. एयरपोर्ट रेस्टोरेंट, बंगलौर में
3. एयरपोर्ट रेस्टोरेंट, औरंगाबाद
4. ताज रेस्टोरेंट, आगरा
5. एयरपोर्ट रेस्टोरेंट, कोलकत्ता

विवरण-II

वर्ष 1999-2000 तथा 2000-2001 के दौरान होटलों द्वारा उठाई गई लाभ/हानि दर्शाता हुआ विवरण

(लाख रुपयों में

क्र०सं०	ईकाई का नाम	1999-2000		2000-2001	
		कारोबार	शुद्ध लाभ/हानि	कारोबार	शुद्ध लाभ/हानि जनवरी 2001 तक
1	2	3	4	5	6
1.	आगरा, अशोक, आगरा	175.17	-146.48	152.97	-108.14
2.	एयरपोर्ट अशोक, कोलकत्ता	1073.93	-361.65	1012.89	-327.60
3.	अशोक, बंगलौर	1705.60	-54.80	1676.04	-65.38
4.	अशोक, नई दिल्ली	4011.40	-1120.12	3642.23	-822.82
5.	इन्द्रप्रस्थ, नई दिल्ली	789.30	-339.74	559.19	-231.05
6.	औरंगाबाद अशोक	68.97	-114.77	64.66	-76.87
7.	बोधगया अशोक	81.98	-19.12	58.90	-26.68
8.	हसन अशोक	102.16	-34.76	54.92	-57.57
9.	जयपुर अशोक	151.47	-193.22	128.00	-148.77
10.	जम्मू अशोक	79.46	-75.64	69.25	-61.81
11.	जनपथ होटल	1069.41	-139.41	923.82	-197.03
12.	कलिंग अशोक	114.63	-117.86	82.03	-116.48
13.	कनिष्क होटल	1210.26	-583.60	944.01	-679.44
14.	खजुराहो अशोक	37.04	-83.35	29.22	-61.89

1	2	3	4	5	6
15.	के०ए०बी०आर० कोवलम	951.13	-126.24	849.96	-114.96
16.	एल०एम०पी०एच०, मैसूर	472.10	-94.25	342.86	-6.92
17.	एल०वी०पी०एच०, उदयपुर	210.10	-65.30	158.91	-93.12
18.	लोधी होटल	606.62	-128.28	458.64	-191.46
19.	मदुरै अशोक	149.17	-67.74	107.94	-65.09
20.	मनाली अशोक	29.39	-30.29	31.05	-17.29
21.	पाटलीपुत्र अशोक	242.17	-104.26	216.97	-25.96
22.	कुतुब होटल	749.54	35.87	636.27	46.13
23.	रणजीत होटल	284.12	-248.49	182.65	-236.70
24.	सम्राट होटल	1282.39	-235.86	1239.17	-39.39
25.	टी०ए०बी०आर० मामल्लापुरम	215.19	-33.61	154.24	-35.39
26.	वाराणसी अशोक	161.61	-161.20	132.26	-128.00
	जोड़	16024.21	-4457.67	13909.05	-3875.84

[अनुवाद]

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 में संशोधन

1044. श्री जी० मल्लिकार्जुनप्पा : क्या पोत परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 में कुछ संशोधनों को अधिसूचित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने बड़े पत्तनों के विकास हेतु निजी क्षेत्र को आमंत्रित करने का निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) निजी क्षेत्र/संयुक्त उद्यमों द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) इन संशोधनों से पत्तन न्यास निजी पक्षकारों और अन्यों के साथ संयुक्त उद्यम कंपनी स्थापित कर सकते हैं और अन्य पत्तनों के विकास के लिए प्रोत्साहित कंपनी की इक्विटी में निवेश कर सकते हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) केन्द्र सरकार ने महापत्तनों में निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए दिशानिर्देश 26.10.1996 को जारी किए थे। निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए निम्नलिखित क्षेत्र अभिनिर्धारित किए गए हैं :–

(i) पत्तन की मौजूदा परिसंपत्तियों को पट्टे पर देना।

(ii) अतिरिक्त परिसंपत्तियों का निमार्ण/सृजन।

(iii) निजी क्षेत्र से पत्तन हैंडलिंग के लिए उपस्कर तथा फ्लोटिंग क्राफ्ट पट्टे पर लेना।

(iv) पायलटेज।

(v) पत्तन आधारित उद्योगों के लिए आबद्ध सुविधाएं।

(ङ) निजी क्षेत्र/आबद्ध पत्तन परियोजनाओं के ब्यौरे दर्शाने वाली एक सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

अनुमोदित निजी क्षेत्र/आबद्ध पत्तन परियोजनाएं

क्र०सं०	परियोजना का नाम	पत्तन का नाम
1	2	3
1.	कंटेनर टर्मिनल (2 बर्थ)	जवाहर लाल नेहरू (जे०एन०पी०)
2.	तरल कार्गो बर्थ	जे०एन०पी०
3.	पांचवीं तेल जेट्टी	कांडला
4.	तेल जेट्टी और संबंधित सुविधाएं	वाडीनार (कांडला)
5.	तेल जेट्टी	कांडला

1	2	3
6.	कंटेनर टर्मिनल	तूतीकोरिन
7.	तेल जेट्टी	कांडला
8.	तेल जेट्टी	कांडला
9.	बहुउद्देशीय बर्थ 5ए और 6ए	मुरगांव
10.	स्पिक इलैक्ट्रिक कारपोरेशन को आबद्ध कोयला बर्थ	तूतीकोरिन
11.	ओसवाल फर्टीलाइजर्स लिमिटेड को आबद्ध बर्थ	पारादीप
12.	कंटेनर टर्मिनल का विकास और प्रचालन	कांडला
13.	पीरपाऊ, मुम्बई में आबद्ध कोयला और सामान्य कार्गो बर्थ	मुम्बई
14.	चेन्नै में कंटेनर टर्मिनल	चेन्नै
15.	बहुउद्देश्यीय बर्थ सं० 4ए	हल्दिया
16.	इन्दिरा डॉक में सामान्य कार्गो टर्मिनल	मुम्बई

अतिरिक्त बिजली कमी वाले क्षेत्रों में दिया जाना

1045. श्री राजैया मल्याला : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पूर्वी क्षेत्रों से बिजली की कमी वाले पश्चिमी क्षेत्रों में अतिरिक्त बिजली पहुंचाने के लिए 237 करोड़ रुपये की आधारभूत ढांचे वाली विद्युत पारेषण प्रणाली संबंधी परियोजना को मंजूरी दे दी है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना को कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है और बिजली का संप्रेषण कब तक आरंभ होने की संभावना है;

(ग) इस परियोजना के लिए धन कहां से जुटाया जाएगा; और

(घ) अधिक मांग और कम मांग वाले समय पर कितनी बिजली संप्रेषित किए जाने का प्रस्ताव है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (घ) सरकार ने जनवरी, 2001 में 237.38 करोड़ रु० की अनुमानित लागत से ईस्ट-वेस्ट इण्टर कनेक्शन परियोजना (राउरकेला-रायपुर पारेषण प्रणाली) का अनुमोदन कर दिया है। परियोजना को एशियाई विकास बैंक ऋण तथा पावरग्रिड के आंतरिक संसाधनों से वित्त पोषित किया जाना है। परियोजना को जनवरी, 2004 तक पूरा किया जाना है। पारेषण प्रणाली पूर्वी क्षेत्र से विद्युत की कमी वाले पश्चिमी क्षेत्र को 1000 मे०वा० सरप्लस विद्युत का अंतरण करने में समर्थ होगी।

[हिन्दी]

कच्चे तेल के उत्पादन में पूंजी निवेश

1046. श्री नवल किशोर राय :
श्री रामजीलाल सुमन :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के जिन संस्थानों को देश में कच्चे तेल के उत्पादन को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी सौंपी गई है वे विदेश में पूंजी निवेश कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक पूंजी जुटाने हेतु क्या व्यवस्था की है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा ससंदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) जी, नहीं। तेल अन्वेषण और उत्पादन में लगी दो राष्ट्रीय तेल कम्पनियों नामत: आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड (ओ०एन० जी०सी०) और आयल इंडिया लिमिटेड (ओ०आई०एल०) ने आज की तारीख तक विदेश में कोई पूंजी निवेश नहीं किया है।

तथापि ओ०एन०जी०सी० के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी ओ०एन०जी०सी० विदेश लिमिटेड का अन्य भागीदारों अर्थात् ब्रिटिश पेट्रोलियम (यू०के०), स्टेटाल (नार्वे) और पेट्रो वियतनाम (वियतनाम) के साथ वियतनाम में 06.1 गैस परियोजना में 45 प्रतिशत प्रतिभागिता हित है। ओ०वी०एल० का केपेक्स का हिस्सा लगभग 230 मिलियन अमरीकी डालर है। ओ०वी०एल० ने रासनेफ्ट के साथ एक करार किया है जो सखालिन-1 परियोजना में रूसी संघ की राष्ट्रीय तेल कंपनी है। परियोजना में ओ०वी०एल० द्वारा कुल निवेश 1.7 बिलियन अमरीकी डालर होगा। इसके अलावा ओ०आई०एल० ने तेल और गैस के अन्वेषण के लिए टोटल फिना (फ्रांस) के साथ ओमान में एक ब्लाक में 20 प्रतिशत प्रतिभागिता हित लिया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) ओ०एन०जी०सी० और ओ०आई०एल० के पास तेल अन्वेषण और उत्पादन में अपने योजित कार्यों को पूरा करने के लिए पर्याप्त आन्तरिक संसाधन हैं।

[अनुवाद]

बिहार में आयुध कारखाना

1047. डा० रघुवंश प्रसाद सिंह :
श्री राम प्रसाद सिंह :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दो वर्ष पूर्व बिहार में राजगीर में एक आयुध कारखाने की स्थापना हेतु स्वीकृति दी थी;

(ख) यदि हां, तो क्या इस कारखाने की स्थापना में अब तक कोई प्रगति नहीं हुई है;

(ग) क्या इस परियोजना को स्थगित कर दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और यदि नहीं, तो इस हेतु अन्य किस स्थल का चयन किया गया है और परियोजना की स्थिति संबंधी रिपोर्ट क्या है; और

(ङ) कारखाने की स्थापना कब तक हो जाएगी और यह कब तक चालू हो जाएगा ?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज़) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) इस निर्माणी में वर्ष 2004-2005 के दौरान उत्पादन शुरू हो जाने की संभावना है।

निगमित शासन उत्कृष्टता संस्थान

1048. **श्री इकबाल अहमद सरडगी :**
श्री वाई०एस० विवेकानन्द रेड्डी :
श्री जी० मल्लिकार्जुनप्पा :
श्री जी०एस० बसवराज :

क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय का एक निगमित शासन उत्कृष्टता संस्थान की स्थापना का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसकी स्थापना के लिए कितनी आरम्भिक समग्र राशि की आवश्यकता है;

(ग) संस्थान के मुख्य कार्य क्या होंगे; और

(घ) संस्थान की स्थापना कब तक कर ली जाएगी?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) से (घ) सरकार द्वारा निगमित उत्कृष्टता पर गठित अध्ययन समूह ने 22.12.2000 को अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी थी। इस रिपोर्ट में कुछ ऐसी दूरगामी सिफारिशें शामिल हैं जो देश में निगमित शासन के स्तरों को शानदार ऊंचाई तक ले जाएंगी। ग्रुप द्वारा की गई महत्वपूर्ण सिफारिशों में से एक यह है कि उन्नत निगमित शासन के माध्यम से निगमित उत्कृष्टता के क्षेत्र में अनुसंधान एवं अध्ययन, प्रशिक्षण एवं शिक्षा एवं अवार्ड आदि की नीति का प्रमुखता से संवर्द्धन करने और प्रत्यायन अनुरूप बनाने हेतु कम्पनी कार्य विभाग के तत्वावधान के तहत निगमित उत्कृष्टता के लिए स्वतन्त्र, स्वायत्त केन्द्र स्थापित किया जाए।

संस्थान की स्थापना संबंधी मामला सरकार के सक्रिय विचाराधीन है।

मणिपुर और "नीपको" के बीच समझौता ज्ञापन

1049. **श्री संतोष मोहन देव : क्या विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तपाइमुख बांध के संबंध में मणिपुर और "नीपको" के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाने का प्रस्ताव है।

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अद्यतन स्थिति क्या है; और

(ग) यह परियोजना कब तक आरम्भ हो जाएगी ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (ग) अक्टूबर 1999 में, तिपाई मुख एच०ई० परियोजना (1500 मे०वा०) को ब्रह्मपुत्र बोर्ड से उत्तर पूर्वी विद्युत शक्ति निगम को केन्द्रीय सेक्टर परियोजना के रूप में कार्यान्वयन हेतु स्थानांतरित किया गया। 11वीं परियोजनावधि के दौरान लाभार्थ इस परियोजना को अभिज्ञात किया गया। 15.12.1999 को आयोजित मणिपुर विधानसभा की बैठक में किए गये निर्णय के अनुसार, नीपको को सर्वे एवं जांच करने हेतु प्राधिकृत किया गया कि वह अनुमोदनार्थ/स्वीकृति हेतु मणिपुर सरकार को अपनी फाइनल परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

तद्नुसार, नीपको ने परियोजना को विस्तृत रिपोर्ट मणिपुर सरकार के विचारार्थ 15.12.2000 को प्रस्तुत की। समझौता ज्ञापन का प्रारूप भी राज्य सरकार को प्रस्तुत किया जा चुका है।

भारत, नेपाल और बांग्लादेश के बीच सवारी रेलगाड़ी

1050. **श्री के०पी० सिंह देव : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत, नेपाल और बांग्लादेश के बीच सवारी रेलगाड़ी सेवा आरम्भ करने के लिए बांग्लादेश और नेपाल से समझौता किया है; और

(ख) यदि हां, तो यह गाड़ी कब से आरम्भ होगी ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

छावनी क्षेत्रों में अनधिकृत निर्माणों को गिराया जाना

1051. **श्रीमती श्यामा सिंह :**
श्री नरेश पुगलिया :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले कुछ महीनों में छवनी प्राधिकारियों ने देश में विभिन्न छावनी क्षेत्रों में कुछ अनधिकृत निर्माणों को गिराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सभी छावनी क्षेत्रों में अनधिकृत निर्माणों को पूरी तरह से ढहाने के लिए कोई समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) और (ख) सभी छावनी क्षेत्रों में अनधिकृत निर्माणों को गिराए/हटाने जाने का कार्य छावनी अधिनियम, 1924 तथा सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के प्रावधानों के तहत एक सतत् चलते रहने वाली प्रक्रिया है। संबंधित प्राधिकारियों द्वारा पिछले कुछ महीनों में 500 से भी अधिक अनधिकृत निर्माण गिराए जा चुके हैं।

(ग) और (घ) इस कार्य के लिए कोई समयबद्ध कार्यक्रम नहीं बनाया गया है। अनधिकृत निर्माणों के बारे में जब भी सूचना मिलती है/पता चलता है तभी उन्हें रोकने/हटाए जाने की कार्रवाई शुरू की जाती है।

निजी एजेंसियों द्वारा पार्सल/सामान की बुकिंग

1052. श्री टी०टी०वी० दिनाकरन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चेन्नई से चलने वाली कुछ रेलगाड़ियों में पार्सल/सामान की बुकिंग निजी एजेंसियों को दे दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या समान की बुकिंग के कार्य का पर्यवेक्षण रेलवे अधिकारी द्वारा किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) ब्रेक यानों में परिवहन क्षमता का उपयोग इष्टतम करने तथा आमदनी बढ़ाने की दृष्टि से दक्षिण रेलवे द्वारा मौजूदा नीति के अनुसार केवल पार्सल यातायात की ढुलाई के लिए ही निजी एजेंसियों को चेन्नै से शुरू होने वाली 13 गाड़ियों के अगले ब्रेक यान स्पेस को पट्टे पर दिया गया है। बहरहाल, पिछले ब्रेक यान स्पेस को, ग्राहकों द्वारा रेलों के पास सीधे बुक किए गए पार्सलों और सामान के लिए उपलब्ध रखा गया है। चेन्नै से शुरू होने वाली जिन गाड़ियों के ब्रेक-यान स्पेस को पार्सल यातायात के लिए पट्टे पर दिया गया है, उनका ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) जी, हां। सामान बुकिंग के परिचालन का पर्यवेक्षण दक्षिण रेलवे के रेल कर्मचारियों द्वारा किया जाता है।

विवरण

चेन्नै से चलने वाली उन गाड़ियों का ब्यौरा जिनके अगले ब्रेक-वैन स्पेस पट्टे पर दिए गए हैं :

	गाड़ी सं०	कहां से	कहां तक
1.	2433	चेन्नै	निजामुद्दीन
2.	2615	चेन्नै	नई दिल्ली
3.	2621	चेन्नै	नई दिल्ली
4.	2639	चेन्नै	बेंगलूरू
5.	*2673	चेन्नै	सी०बी०ई०
6.	2842	चेन्नै	हवड़ा
7.	5629	चेन्नै	गुवाहाटी
8.	6004	चेन्नै	हवड़ा
9.	6010	चेन्नै	मुंबई
10.	6031	चेन्नै	जम्मू तवी
11.	6046	चेन्नै	अहमदाबाद
12.	6804	चेन्नै	हवड़ा
13.	8690	चेन्नै	टाटा नगर

*अभी शुरू नहीं की गई।

दक्षिणी राज्यों में एस०के०ओ०/एल०डी०ओ० नेटवर्क

1053. श्री एस०डी०एन०आर० वाडियार : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए एस०के०ओ०/एल०डी०ओ० नेटवर्क के विस्तार हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) दक्षिणी राज्यों में एस०के०ओ०/एल०डी०ओ० नेटवर्क के विस्तार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क से (घ) देश में 1.10.2000 तक 6404 एस०के०ओ०/एल०डी०ओ० डीलर थे। बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए पिछली विपणन योजनाओं से लम्बित स्थानों के अलावा 1996-98 की एस०के०ओ० एल०डी०ओ० विपणन योजना में 155 स्थान सम्मिलित कर लिए गए हैं। इनमें से 18 स्थान दक्षिणी राज्यों आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल

और तमिलनाडु में है। व्यवहार्यता अध्ययन के आधार पर और अधिक एस०के०ओ०/एल०डी०ओ० डीलरशिपें स्थापित की जाएंगी।

ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा राज्यों को धनराशि जारी किया जाना

1054. **श्री दिलीप कुमार मनसुखलाल गांधी :**
श्री पी०एस० गढ़वी :
श्री रामसिंह राठवा :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ने विशेष ऋण कार्यक्रम के अंतर्गत कुछ राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को बिजली के मीटर खरीदने के लिए धनराशि जारी की है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार और संघ राज्य क्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस धनराशि की निगरानी केन्द्र सरकार द्वारा की जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो अब तक क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) और (ख) जी हां, ग्राम विद्युतीकरण निगम (आर०ई०सी०) ने इलेक्ट्रिकल ऊर्जा/विद्युत प्रवाह के मापन के लिए विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म इलेक्ट्रानिक एवं इलेक्ट्रो डायनामिक मीटरों के अर्जन व स्थापना के लिए रा०वि० बोर्डों व विद्युत विभागों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए 1999-2000 के दौरान विशेष ऋण पोर्ट फोलिया-एस०एल० (मीटरों) की नई श्रेणी आरम्भ की है। आर०ई०सी० द्वारा विशेष ऋण घटक के अंतर्गत 1999-2000 के दौरान ऊर्जा मीटरों की खरीद हेतु राज्यों को आर०ई०सी० द्वारा जारी ऋण सहायता के कोटे निम्नानुसार है :—

(लाख रुपये में)

क्र०सं०	राज्य	1999-2000
1.	कर्नाटक (के०पी०टी०सी०एल०)	4279.660
2.	केरल (के०एस०ई०बी०)	701.895
3.	मणिपुर	339.540
4.	उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (यू०एच०बी०एच०एन०एल०)	13.484
	कुल	5334.79

(ग) और (घ) दिशा-निर्देशों के अनुसार रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कार्पोरेशन (आर०ई०सी०) रा० विद्युत यूटिलिटियों/राज्य सरकारों को ऋण सहायता उपलब्ध कराता है। 90% की ऋण सहायता आनुपातिक आधार पर, उपकरण प्राप्ति पर उधारकर्त्ता द्वारा प्रस्तुत दावों के मुकाबले बोर्ड के प्रखंड सर्किल के प्राधिकृत द्वारा नियमित रूप से अनुमोदित और हस्ताक्षरित विनिर्माता की इनवाइस पर, प्रदान की जाती है। शेष 10% ऋण ग्रामवार, तालुकावार, जिला-वार ब्यौरों (और उपकेन्द्र ब्यौरे, यदि कोई हां, समेत) से प्राप्त संस्थापन/पूर्णता रिपोर्ट के पश्चात् जारी किया जाता है। दिशा-निर्देश भी भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा विनिर्दिष्ट मानकों, मानदंडों एवं प्रक्रियाओं के अनुसार गुणवत्ता विनिर्देशों, निष्पादन गारंटियों, परीक्षण एवं निरीक्षण प्रक्रियाओं आदि के अनुसार होते हैं। बहरहाल, प्राप्त सामग्री के अनुसार प्राप्ति निर्णय, गुणवत्ता अनुमोदन एवं आपूर्तिकर्त्ताओं को भुगतान संबंधित राज्य सरकारों/रा०वि० बोर्डों द्वारा किया जाता है।

गुजरात में विद्युत संयंत्र

1055. **श्री अनन्त नायक :** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में भूकम्प से कितने विद्युत संयंत्र प्रभावित हुए हैं;

(ख) इन संयंत्रों में सुधार कार्य हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) राज्य में अभी भी अंधकार में डूबे गांवों में विद्युत आपूर्ति बहाल करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) और (ख) गुजरात में हाल ही में आए भूकम्प से कोई विद्युत संयंत्र प्रभावित नहीं हुआ सिर्फ कुछ मशीनों में अस्थायी ट्रिपिंग हुई। अतएव मशीनों के नवीकरण की कोई जरूरत नहीं है।

(ग) प्रभावित गांवों व फीडरों का विद्युत पुनर्स्थापन कार्य 12.2.2001 को पूरा हुआ। इस समय कोई गांव अंधेरे में नहीं है।

मालडिब्बों के विनिर्माण के लिए "एच०डी०सी०" पर प्रतिबंध

1056. **श्री राम मोहन गाड्डे :**
श्री ए० नरेन्द्र :
श्री एम०वी०वी०एस० मूर्ति :
श्री शिवाजी माने :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे के सतर्कता विभाग ने अपने प्रतिवेदन में मालडिब्बों के विनिर्माण के लिए हिन्दुस्तान डेवलपमेंट कार्पोरेशन पर दो वर्ष के प्रतिबंध की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) "एच०डी०सी०" पर प्रतिबंध लगाने के क्या कारण हैं; और

(घ) उक्त के स्थान पर अन्य किन विनिर्माण इकाइयों को विनिर्माण आदेश दिया जाएगा ?

रेल मंत्रालय में रेल राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (ग) जी, हां। एक वर्ष पहले एक शिकायत के प्राप्त होने पर

रेलवे के सतर्कता विभाग ने विस्तार से जांच की थी और यह सिफारिश रेलवे के ठेके से संबंधित इस फर्म द्वारा मालडिब्बों के विनिर्माण में गैर-विशिष्ट इस्पात के प्रयोग की जांच पर आधारित थी। बहरहाल, लगाए गए आरोपों की गंभीरता के मद्देनजर मामले को एक स्वतंत्र एजेंसी द्वारा जांच के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरों को भेज दिया गया था।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

राहत सामग्री का परिवहन

1057. **श्री दिनशा पटेल :**
श्री पी० राजेन्द्रन :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में भूकम्प पीड़ितों के लिए बड़ी मात्रा में राहत सामग्री अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर पड़ी हुई है;

(ख) क्या रेलवे की अव्यवस्थित प्रक्रिया के कारण सामान पीड़ितों तक समय पर नहीं पहुंच सका;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार ने रेलवे के दोषी अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) जी, नहीं। रेलों द्वारा अहमदाबाद के लिए ढोयी गई राहत सामग्री जिला कलक्टर, अहमदाबाद की आवश्यकतानुसार दी जा रही है।

(ग) और (ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

हथकरघा इकाईयों को बंद किया जाना

1058. **श्री हरीभाऊ शंकर महाले :**
श्रीमती जयश्री बैनर्जी :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्य-वार और स्थल-वार, विशेषकर नासिक (महाराष्ट्र) और जबलपुर (मध्य प्रदेश) में किन-किन हथकरघा इकाइयों को बंद किया गया है/कौन सी इकाइयां रुग्ण हैं;

(ख) इसके क्या कारण हैं;

(ग) इससे कितने कामगार प्रभावित हुए हैं और इनके पुनर्वास हेतु इकाई-वार क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) विशेषत: नासिक (महाराष्ट्र) और जबलपुर (मध्य प्रदेश) में बंद इकाइयों को पुन: खोलने और रुग्ण इकाइयों का पुनरुद्धार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है और इस हेतु इकाई-वार कितना व्यय हुआ है ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० धनंजय कुमार) : (क) से (घ) भारत सरकार हथकरघा की बंद अथवा रुग्ण इकाइयों से संबंधित आंकड़े नहीं रखती है। भारत सरकार सारे देश में हथकरघा इकाईयों के समग्र विकास/पुनरुद्धार के लिए अभी हाल में आरंभ की गई दीन दयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना सहित विभिन्न स्कीमों के लिए राज्य सरकारों के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करती है। महाराष्ट्र तथा मध्य प्रदेश सहित राज्य सरकारों से किसी बंद इकाई को पुन: खोलने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त होता है तो उस पर प्राथमिकता के आधार पर विचार किया जायेगा।

पेट्रोल और डीजल पर बिक्री कर में कटौती

1059. **कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली :**
श्रीमती मिनाती सेन :
डा० राम चन्द्र डोम :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सितम्बर, 2000 में केन्द्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों से पेट्रोल और डीजल पर बिक्री कर में समुचित कटौती करने का निदेश दिया था;

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकारें किस सीमा तक कटौती हेतु सहमत हुई;

(ग) क्या कुछ राज्य सरकारों ने इसके खिलाफ आपत्तियां उठाई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (घ) केन्द्रीय मंत्री, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस ने सभी राज्यों के मुख्य मंत्रियों से पेट्रोलियम उत्पादों पर देय बिक्री कर में यथा अनुपात कटौती करने के विषय में विचार करने के लिए अनुरोध किया है ताकि 30 सितम्बर, 2000 से प्रभावी पेट्रोलियम उत्पादों के संसोधित मूल्यों पर यथा मूल्य बिक्री कर के प्रभाव को निष्प्रभावी किया जा सके। गोवा सरकार ने पेट्रोल तथा डीजल पर देय बिक्री कर में 3 प्रतिशत तक कटौती की है जो 15 नवम्बर, 2000 से प्रभावी है। महाराष्ट्र कर्नाटक, पंजाब तथा हिमाचल प्रदेश जैसी कुछ एक राज्य सरकारों ने मत व्यक्त किया है कि बिक्री कर दरों को कम करना अभीष्ट नहीं है।

[अनुवाद]

ब्रिटिश रेलवेज द्वारा भारतीय रेल विशेषज्ञों को काम पर रखा जाना

1060. **श्री राम नायडू दग्गुबाटि :**
डा० मन्दा जगन्नाथ :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

Scanned by CamScanner

(क) क्या एक प्रमुख ब्रिटिश इंजीनियरिंग कम्पनी ने ब्रिटेन में रेलवे में काम करने के लिए भारतीय रेल विशेषज्ञों को रखने हेतु ''राइट्स'' के साथ कोई समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन विशेषज्ञों की संख्या क्या है और इन्हें कितनी अवधि के लिए रखा गया है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) ब्रिटेन में रेल परियोजनाओं के लिए भारतीय रेल विशेषज्ञों की तैनाती के लिए राइट्स के साथ यू०के० की 2 कंपनियों और 2 यू०के० की कंपनियों के एक संघ ने समझौता किया है। ब्रिटेन में उनकी रेलवे प्रणाली में सिगनल और विद्युतीकरण के उन्नयन का कार्य है।

(ग) 10 विशेषज्ञ 6 से 12 महीनों के लिए ब्रिटेन गए हैं। ब्रिटेन में रेल परियोजना से संबंधित कार्य करने के लिए उपयोक्त दो कंपनियों के विदेश स्थित कार्यालय में कार्य करने के लिए 64 विशेषज्ञ लगभग 12 महीनों की अवधि के लिए शारजहां भी गए हैं।

[हिन्दी]

जम्मू कश्मीर के बारामुला में रसोई गैस एजेंसी

1061. श्री अब्दुल रशीद शाहीन : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जम्मू और कश्मीर के बारामुला में रसोई गैस एजेंसी खोलने हेतु कोई कदम उठाया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) सार्वजनिक क्षेत्र तेज विपणन कंपनियों की विभिन्न विषणन योजनाओं के तहत जम्मू-कश्मीर के बारामूला जिलान्तर्गत 4 नई एल०पी०जी० डिस्ट्रीब्यूटरशिपें स्थापित करने की योजना है।

[अनुवाद]

हिमाचल प्रदेश में पर्यटन का विकास

1062. डा० कर्नल (सेवानिवृत्त) धनीराम शांडिल्य : क्या पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का हिमाचल प्रदेश के शिमला, सोलन, बिलासपुर और सिरपुर जिलों को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के लिए कोई योजना बनाई है ताकि इन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) हिमाचल प्रदेश में पर्यटन विकास हेतु किन प्रस्तावों को क्रियान्वित किया गया है और पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष एवं चालू वर्ष के दौरान परियोजना-वार कितनी राशि स्वीकृत/जारी की गई ?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) और (ख) पर्यटक स्थलों का विकास तथा संवर्धन मुख्यतया संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। भारत और विदेश स्थित भारत सरकार पर्यटक कार्यालय देश में भारत का आकर्षक पर्यटक गंतव्य स्थल के रूप में सवंर्धन करते हैं और देश के पर्यटक स्थलों पर सूचना मुहैया कराते हैं। पर्यटन विभाग, भारत सरकार प्रत्येक वर्ष राज्य सरकारों के साथ विचार-विमर्श करके प्राथमिकता प्रदत्त पर्यटन परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है।

(ग) हिमाचल प्रदेश के लिए मुहैया की गई वित्तीय सहायता के ब्यौरे नीचे दिए गए अनुसार हैं :–

(लाख रुपयों में)

वर्ष	परियोजनाओं की सं०	स्वीकृत राशि	अवमुक्त राशि
1997-98	5	119.00	65.50
1998-99	10	318.00	174.50
1999-2000	17	691.79	292.88
2000-2001 (31.1.2001 तक)	6	177.80	53.34

पद आधारित रोस्टर शुरू किया जाना

1063. श्री ए० कृष्णास्वामी : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने 2 जुलाई, 1997 से आरक्षण प्रणाली को लागू करने हेतु ''रिक्ति आधारित रोस्टर'' के स्थान पर ''पद आधारित रोस्टर'' आरम्भ किए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या ''रिक्ति आधारित रोस्टर'' के स्थान पर ''पद आधारित रोस्टर'' आरम्भ करते समय कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने ज्ञापन संख्या 36012/2/96-ई०एस०टी०टी० (आर०ई०एस०) दिनांक 2.7.97 के पैरा (5) के अनुसार उनके मंत्रालय और सभी स्वायत्त/ सांविधिक संगठन, संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अंतर्गत प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की सेवाओं में यदि कोई आधिक्य/कमी हो तो उनका पता लगाने की प्रक्रिया अपनाई गई थी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) आधिक्य/कमी की पहचान की प्रक्रिया को पूरा किए बिना ''रिक्ति आधारित रोस्टर'' के स्थान पर ''पद आधारित रोस्टर'' आरम्भ करने के क्या कारण हैं ?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है।

दक्षिण अफ्रीका से एम०पी०वी० की खरीद

1064. **श्री सुशील कुमार शिंदे :**
श्रीमती रेणूका चौधरी :
श्री माधवराव सिंधिया :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कश्मीर और पूर्वोत्तर में उग्रवाद विरोध कार्रवाई में उपयोग हेतु भारतीय सेना के लिए कई सी०ए० एस०पी०आई०आर० (दक्षिण अफ्रीका) माइन प्रोटेक्टिव व्हीकल खरीदने का है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने वाहन खरीदे जाने हैं और इसके अंतर्राष्ट्रीय मूल्य सहित इसकी लागत कितनी है;

(ग) क्या इस व्हीकल का उपयोग भारतीय सेना में पहले भी किया गया है;

(घ) यदि हां, तो ऐसे व्हीकल भारतीय सेना में कब से हैं;

(ङ) यह वाहन कितनी विस्फोटक सुरंगों की दुर्घटनाओं में काम आया, ऐसी कितनी दुर्घटनाओं में सुरक्षा कर्मी मारे गए, कितनों के अंग भंग हुए एवं इसमें कितने ऐसे वाहन नष्ट हुए; और

(च) विस्फोटक सुरंगों या विस्फोटों से रक्षा करने में असफल होने के बावजूद और अधिक सी०ए० एस०पी०आई०आर०, माइन प्रोटेक्टिव व्हीकल्स खरीदने के क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) जी, हां। सरकार का अतिरिक्त बारूदी सुरंगरोधी वाहन खरीदने का प्रस्ताव है जिनके लिए उन विक्रेताओं को टेंडर जारी किए जायेंगे जिनके बारूदी सुरंग रोधी वाहनों का परीक्षण मूल्यांकन किया जा चुका है।

(ख) सेना मुख्यालय को 801 बारूदी सुरंगरोधी वाहनों की अनुमानित जरूरत है। एक नए बारूदी सुरंगरोधी वाहन की दर्शाई गई लागत लगभग 1,65,000.00 अमरीकी डालर (78 लाख रुपये) है।

(ग) और (घ) विकर/ओ०एम०सी०, दक्षिण अफ्रीका से प्राप्त 90 नवीकृत बारूदी सुरंगरोधी वाहन अप्रैल 1999 से इस्तेमाल में लाए जा रहे हैं। अन्य 75 नवीकृत बारूदी सुरंग रोधी वाहनों के लिए भी इसी विक्रेता के साथ संविदा की गई है तथा इन्हें अभी प्राप्त किया जाना है।

(ङ) बारूदी सुरंग रोधी वाहनों को अलग-अलग दुर्घटनाओं में 2 बारूदी सुरंग विस्फोटों का सामना करना पड़ा जिसमें 4 सेना कार्मिक मारे गए तथा 19 घायल हुए थे।

(च) इस बारूदी सुरंग रोधी वाहन का डिजाइन लगभग 15 कि०ग्रा० विस्फोट को सहन करने के लिए तैयार किया गया है। उपर्युक्त दुर्घटनाओं में से एक में इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस (लगभग 40 कि०ग्रा०) के विस्फोट के कारण बारूदी सुरंग रोधीवाहन के हवा में 20 फुट उछल जाने तथा बाद में नीचे लुढ़क जाने के फलस्वरूप सेना कार्मिक हताहत हुए थे न कि गोले के टुकड़ों के इस वाहन के आवरण में घुस जाने से। अत: यह कहना गलत है कि बारूदी सुरंगरोधी वाहन सेना कार्मिकों को बारूदी सुरंगों के विस्फोट से बचाने में असफल रहे हैं।

अंतर्देशीय जलमार्गों का विकास

1065. **श्री कालवा श्रीनिवासुलु** : क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1980 में राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति द्वारा विकास हेतु 10 प्रमुख जलमार्गों को चिन्हित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इन जलमार्गों के विकास के लिए आज तक क्या कार्य किया है;

(ग) क्या सरकार की अंतर्देशीय जलमार्ग परियोजना में गति लाने हेतु फैडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री से कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) जी हां। दस जलमार्गों में से निम्नलिखित तीन जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है :–

(i) राष्ट्रीय जलमार्ग सं०-1 के रूप में हल्दिया से इलाहाबाद तक (1620 कि०मी०) गंगा-भागीरथी-हुगली नदी प्रणाली

(ii) राष्ट्रीय जलमार्ग सं०-2 के रूप में सदिया से धुबरी तक (891 कि०मी०) ब्रह्मपुत्र और

(iii) राष्ट्रीय जलमार्ग सं०-3 के रूप में चम्पाकारा और उद्योगमंडल नहरों सहित कोट्टापुरम से कोल्लम तक (205 कि०मी०) पश्चिम तटीय नहर।

इन जलमार्गों पर अवसंरचनात्मक सुविधाओं जैसेकि नौचालनात्मक चैनल, टर्मिनल और नौचालन उपकरणों का विकास निधियों की उपलब्धता के अध्यधीन किया जा रहा है।

शेष सात जलमार्गों पर तकनीकी-आर्थिक साध्यता अध्ययन किए गए हैं। इन जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में घोषित करना और उनका विकास करना निधियों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

(ग) जी, नहीं। तथापि, आई०डब्ल्यू०ए०आई० ने 1996 और 1998 के दौरान फिक्की के सहयोग से दो सेमीनार आयोजित किए थे। सेमीनार का विषय अंतर्देशीय जलमार्ग परियोजनाओं का शीघ्रता

Scanned by CamScanner

से विकास करना था। तथापि, इस संबंध में फिक्की की ओर से कोई विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

मालगाड़ियों की गति

1066. **श्री बसुदेव आचार्य :**
श्री जय प्रकाश :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेल 52 वर्षों के बाद भी अपनी मालगाड़ियों की गति बढ़ाने में सफल नहीं हुई है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी नहीं, 1950-51 से माल गाड़ियों की औसत गति उत्तरोत्तर रूप से निम्नानुसार बढ़ाई गई है :–

वर्ष	औसत गति
1950-51	12.9 किमी० प्रधं०
1960-61	16.1 किमी० प्रधं०
1970-71	17.9 किमी० प्रधं०
1980-81	19.7 किमी० प्रधं०
1990-91	22.7 किमी० प्रधं०
1999-2000	23.8 किमी० प्रधं०

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

विभिन्न तेल कंपनियों के पेट्रोल पम्प

1067. **श्री पी०आर० खूंटे** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विभिन्न तेल कंपनियों द्वारा कंपनी-वार कितने पेट्रोल पम्प चलाए जा रहे हैं;

(ख) ऐसे पेट्रोल पम्पों के आबंटन हेतु क्या मानदंड अपनाए जा रहे हैं;

(ग) क्या ऐसे पेट्रोल पम्पों के आबंटन में कोई हेरा-फेरी के आरोप लगाये गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) 1 अक्तूबर, 2000 को देश में प्रचालन कर रही खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपों की कंपनीवार संख्या नीचे दी गई है :–

कंपनी का नाम	खुदरा बिक्री केन्द्रों की संख्या
इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड	7047
भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन, लिमिटेड	4500
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन, लिमिटेड	4536
आई०बी०पी० कंपनी लिमिटेड	1527
असम आयल डिवीजन	315

(ख) खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपें परिमाण-दूरी मानकों के आधार पर स्थापित की जाती हैं। विपणन योजनाओं के अंतर्गत शामिल किए गए स्थानों के लिए तेल विपणन कंपनियों द्वारा विज्ञापन दिए जाते हैं तथा डीलरों का चयन निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार डीलर चयन बोर्डों के द्वारा किया जाता है। डीलरशिपें चालू करने के लिए साक्षात्कार की तारीख से सामान्यतया 6-12 माह लगते हैं।

(ग) और (घ) डीलरों/डिस्ट्रीब्यूटरों के चयन के संबंध में समय-समय पर शिकायतें प्राप्त होती हैं तथा इनकी जांच-पड़ताल के पश्चात उन पर कार्रवाई की जाती है।

बुक किए हुए सामानों की चोरी

1068. **श्री हरिभाई चौधरी** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल पुलिस बल की मौजूदगी के बावजूद विभिन्न रेल जोनों में बुक किए हुए सामानों की चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) पिछले दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान विभिन्न रेल जोनों में सामानों और कोयले की चोरी की जोन-वार अब तक कितनी घटनाएं हुई हैं और तत्संबंधी मूल्य क्या है;

(घ) क्या सरकार द्वारा इस संबंध में कोई जांच की गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी परिणामों का ब्यौरा क्या है;

(च) इसमें कितने व्यक्ति लिप्त पाए गए और उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई;

(छ) उक्त अवधि के दौरान उनसे वापिस लिए गए सामान का ब्यौरा क्या है; और

(ज) ऐसी घटनाओं की भविष्य में पुनरावृत्ति रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या ठोस कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) रेलों को बुक कराए गए सामान की चोरी की घटनाओं में वृद्धि नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) विगत दो कैलेंडर वर्षों और चालू वर्ष अर्थात 1999-2000 और 2001 (जनवरी तक) के दौरान बुक कराए गए परेषणों और कोयले की चोरी के मामलों की संख्या, चुराई गई और बरामद की गई संपत्ति की कीमत विवरण-I में दी गई है।

(घ) से (च) सभी चोरी के मामलों की जांच की जाती है और अपराधियों के विरुद्ध रेल संपत्ति (विधि विरुद्ध कब्जा) अधिनियम के उपबन्धों के तहत कार्रवाई की जाती है।

विगत दो कैलेंडर वर्षों अर्थात् 1999 और 2000 के दौरान जोन-वार उनमें संलिप्त पाए गए व्यक्तियों की संख्या और उनके विरुद्ध की गई कार्रवाई दर्शाने वाला ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है।

(छ) ब्यौरा उपरोक्त (ग) के उत्तर में दिया गया है।

(ज) ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए निम्नलिखित निवारक उपाय किए जा रहे हैं :—

1. जहां तक संभव होता है भेद्य खंडों पर कीमती परेषण ले जा रही गाड़ियों का मार्गरक्षण करना।
2. यार्डों और अन्य प्रभावित क्षेत्रों/खंडों में गहन गश्त लगाना।
3. परेषण ले जा रहे मालडिब्बों/उनकी सील की हालत का जायजा लेने के लिए अंतर्बदल बिंदुओं पर संयुक्त जांच करना।
4. जहां तक संभव होता है भेद्य खंडों पर रे०सु०ब० सशस्त्र टुकड़ियां तैनात की जाती हैं;
5. अपराधियों की धर पकड़ करने की दृष्टि से अपराध आसूचना एकत्रित करने के लिए सादी वर्दी में रे०सु०ब० कर्मियों को लगाया भी जाता है।
6. अपराध आसूचना के आधार पर अपराधियों/चुराई गई संपत्ति के प्रापकों को पकड़ने के उद्देश्य से उनके ठिकानों पर छापे मारे जाते हैं और छानबीन की जाती है।
7. भेद्य यार्डों और क्षेत्रों में गश्त लगाने के लिए कुत्ते दस्ते तैनात किए जाते हैं।
8. अपराधियों और चुराई गई सम्पत्ति के प्रापकों को पकड़ने के लिए विभिन्न स्तरों पर रे०सु०ब०, रा०रे०पु० और स्थानीय पुलिस के बीच निकट समन्वय बनाए रखा जाता है।

विवरण-I

1999-2000 और 2001 (जनवरी तक) के दौरान बुक कराए गए परेषणों और कोयले की चोरी के मामले दर्शाने वाला विवरण

रेलवे	वर्ष	बुक किए गए परेषण			कोयला		
			संपत्ति की कीमत			संपत्ति की कीमत	
		मामलों की संख्या	चुराई गई	बरामद की गई	मामलों की संख्या	चुराई गई	बरामद की गई
1	2	3	4	5	6	7	8
म०रे०	1999	266	2295067	1216830	56	29641	29641
	2000	179	1150001	823647	55	23320	23020
	2001 31 जनवरी तक	14	127723	60550	6	2580	2580
पू०रे०	1999	1275	8307382	1711862	112	56700	156300
	2000	1001	4781674	1013325	54	133155	154065
	2001 31 जनवरी तक	85	666103	124043	7	9140	9140

Scanned by CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8
उ०रे०	1999	505	2810534	1830281	8	75075	7720
	2000	484	4075767	2617614	11	64475	2725
	2001 31 जनवरी तक	27	78100	58000	—	—	—
पूर्वो०रे०	1999	269	1869663	330386	1	300	300
	2000	186	2554864	1314401	—	—	—
	2001 31 जनवरी तक	20	110425	66450	—	—	—
पू०सी०रे०	1999	112	899892	378415	—	—	—
	2000	65	2397961	333546	1	1500	1500
	2001 31 जनवरी तक	6	23550	17650	—	—	—
द०रे०	1999	198	2705532	240622	—	—	—
	2000	178	1717336	300505	—	—	—
	2001 31 जनवरी तक	6	44320	44320	—	—	—
द०म०रे०	1999	193	846724	214792	27	36450	36450
	2000	183	746615	174925	30	30190	30190
	2001 31 जनवरी तक	4	6648	28250	3	2100	2100
द०पू०रे०	1999	206	1160400	496272	3	12105	12105
	2000	125	669086	142144	6	1874	1874
	2001 31 जनवरी तक	6	27787	4500	1	25	25
प०रे०	1999	181	1118937	506157	56	12975	12975
	2000	186	2003483	1025394	53	16630	16630
	2001 31 जनवरी तक	5	101230	99650	4	500	500
जोड़	1999	3595	24625285	6925617	263	223246	255491
	2000	2913	21961122	7745501	210	271144	230004
	2001 31 जनवरी तक	173	1185886	503413	21	14345	14345

विवरण-II

वर्ष 1999 और 2000 के दौरान भारतीय रेलों पर बुक कराए गए परेषणों की चोरी के मामलों में गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई का ब्यौरा

रेलवे	वर्ष	व्यक्तियों की संख्या																
		जिन्हें गिरफ्तार किया गया			जिनपर मुकदमा चलाया गया			जो दोषी पाए गए			जिन्हें दोषमुक्त पाया गया			जिनके विरुद्ध ट्रायल चल रहा है			जिन्हें विभागीय कार्रवाई के लिए भेजा गया	
		बाहरी व्यक्ति	रेल कर्मचारी	रेल सुरक्षा बल	बाहरी व्यक्ति	रेल कर्मचारी	रेल सुरक्षा बल	बाहरी व्यक्ति	रेल कर्मचारी	रेल सुरक्षा बल	बाहरी व्यक्ति	रेल कर्मचारी	रेल सुरक्षा बल	बाहरी व्यक्ति	रेल कर्मचारी	रेल सुरक्षा बल	रेल कर्मचारी	रेल सुरक्षा बल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
म०रे०	1999	234	10	3	234	10	3	26	0	0	0	0	0	208	6	3	4	0
	2000	150	5	0	150	5	0	15	0	0	0	0	0	135	2	0	3	0
पू०रे०	1999	208	5	2	208	5	2	8	0	0	0	0	0	200	5	2	0	0
	2000	216	1	0	216	1	0	0	0	0	0	0	0	216	1	0	0	0
उ०रे०	1999	338	20	0	338	20	0	139	1	0	0	0	0	199	19	0	0	0
	2000	396	17	0	396	15	0	96	0	0	0	0	0	300	15	0	2	0
पूर्वो०रे०	1999	84	2	0	84	2	0	22	0	0	0	0	0	62	2	0	0	0
	2000	94	0	0	94	0	0	5	0	0	0	0	0	89	0	0	0	0
पू०सी०रे०	1999	95	1	3	95	1	3	43	0	0	0	0	0	52	1	3	0	0
	2000	52	1	0	52	1	0	1	0	0	0	0	0	51	1	0	0	0
द०रे०	1999	61	5	1	61	5	1	36	0	0	0	0	0	25	0	1	0	0
	2000	65	3	0	65	3	0	7	0	0	0	0	0	58	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
दoमoरेo	1999	109	4	0	109	5	0	29	0	0	0	0	0	80	4	0	0	0
	2000	182	4	0	182	4	0	50	0	0	0	0	0	132	4	0	0	0
दoपूoरेo	1999	125	6	4	125	0	0	6	0	0	0	0	0	119	0	0	6	4
	2000	49	8	6	49	5	0	1	0	0	0	0	0	48	5	0	3	6
पoरेo	1999	166	3	0	166	3	0	89	1	0	0	0	0	77	2	0	0	0
	2000	121	5	0	87	3	0	25	0	0	0	0	0	96	3	0	2	0
जोड़	1999	1420	56	13	1420	51	9	398	2	0	0	0	0	1022	39	9	10	4
	2000	1325	44	6	1291	37	0	200	0	0	0	0	0	1125	31	0	10	6

[अनुवाद]

रायगडा-कोरापुट रेल लाइन का उपयोग

1069. श्री भर्तृहरि महताब : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रायगडा-कोरापुट बड़ी रेल लाइन जिसका निर्माण पिछले वर्ष किया गया था, उस पर अब तक कोई ट्रेन नहीं चल रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस लाइन के पूर्ण उपयोग हेतु सरकार की कोई योजना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिए जाने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) कोरापुट-रायगडा खंड पर लगभग 4 जोड़ी मालगाड़ियों के अलावा निम्नलिखित पैसेंजर/एक्सप्रेस गाड़ियां चल रही हैं :

1. 8447ए/8448ए भुवनेश्वर-कोरापुट लिंक एक्सप्रेस
2. 8005/8006 हवड़ा-संबलपुर-रायगडा-कोरापुट एक्सप्रेस
3. 241/242 रायगडा-कोरापुट पैसेंजर

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) गाड़ियों की संख्या में और वृद्धि की जा सकती है बशर्ते कि परिचालनिक व्यवहार्यता, संसाधनों की उपलब्धता और यातायात का औचित्य बनता हो।

रेलवे को ताप विद्युत संयंत्र द्वारा भुगतान

1070. श्री अशोक ना० मोहोल :
श्री रामशेठ ठाकुर :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ताप विद्युत संयंत्रों पर रेलवे का कोयला ढुलाई का 2700 करोड़ रुपया बकाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन संयंत्रों द्वारा भुगतान में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस दिशा में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) और (ख) रेल मंत्रालय के अनुसार दिसम्बर, 2000 तक रा०वि० बोर्डों/विद्युत यूटिलिटियों से प्राप्त देयो का ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(ग) उपभोक्ताओं को आपूर्ति विद्युत प्रभारों की अपर्याप्त वसूली की वजह से विद्युत यूटिलिटियों/बी०टी०पी०एस० की खराब वित्तीय स्थिति के कारण ही विद्युत यूटिलिटियों द्वारा रेलवे को भुगतान में विलंब हो रहा है।

(घ) सरकार रा०वि० बोर्डों/विद्युत यूटिलिटियों की वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए सुधारों व विद्युत क्षेत्र के पुनगर्ठन सहित विभिन्न उपाय कर रही है और साथ ही संबंधित राज्य सरकारों/विद्युत यूटिलिटियों के साथ देयों के भुगतान संबंधी मामलों को भी उठा रही है ताकि थर्मल पावर स्टेशनों की कोयला ढुलाई के कारण रेलवे के देयों का निपटान हो सके।

विवरण

दिसम्बर, 2000 के अन्त तक रा०वि० बोर्डों/पावर हाउसों से वसूल योग्य देय टैरिफ संचालन के लिए रेल वार विश्लेषण

(रु० करोड़ में)

रा०वि० बोर्डों/पावर हाउसों के नाम	12/2000
1. ए०पी० राज्य वि० बोर्ड	31.98
2. असम राज्य बिजली बोर्ड	2.81
3. बिहार राज्य बिजली बोर्ड	1.55
4. दिल्ली राज्य वि० बोर्ड	139.60
5. गुजरात राज्य वि० बोर्ड	175.94
6. हरियाणा राज्य वि० बोर्ड	74.42
7. कर्नाटक राज्य वि० बोर्ड	1.71
8. महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड	40.67
9. म०प्र० राज्य विद्युत बोर्ड	8.09
10. पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड	203.03
11. राजस्थान राज्य वि०बो०	62.38
12. तमिलनाडु राज्य वि०बो०	23.75
13. उ०प्र० राज्य वि०बो०	15.43
14. पं० बंगाल राज्य वि०बो०	32.74
15. बदरपुर थर्मल पावर सटेशन	1016.08
16. एन०टी०पी०सी०/अन्य	54.16
17. दामोदर घाटी निगम	9.33
18. निजी पावर हाउस साबरमती	0.54
कुल	1895.01

Scanned by CamScanner

विदेशों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की नियुक्ति/तैनाती

1071. **श्री अशोक प्रधान** : क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदेशों में प्रतिनियुक्ति के आधार पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों की पर्याप्त संख्या में तैनाती के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्रवाई की गई;

(ग) 1 जनवरी, 1996 तक विदेशों में स्थित पर्यटन कार्यालयों में कुल कितने अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर/तैनाती पर/अन्यथा कार्यरत थे और 1 जनवरी, 2000 को इनमें से कितने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के श्रेणी I, II, III और IV से संबंधित थे और कुल पदों की तुलना में इनका प्रतिशत कितना था; और

(घ) उक्त कार्यालयों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को उचित प्रतिनिधित्वि न दिए जाने के क्या कारण हैं ?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) 1.1.1996 को

विदेश स्थित भारत सरकार पर्यटक कार्यालयों में नियुक्त प्रथम, द्वितीय, तृतीय श्रेणी के अधिकारियों की कुल संख्या	अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों के अधिकारियों की संख्या	प्रतिशत
29	5	17.24%
1.1.2000 को		
30	6	20%

(घ) अधिकारियों और कर्मचारियों की स्थानांतरण नियुक्ति दिशा निर्देशों के अनुसार विनियमित की जाती है और योग्य अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है तथा नियुक्ति उनके ज्ञान और नियुक्ति के स्थान की आवश्यकता के आधार पर सुनिश्चित की जाती है।

[हिन्दी]

बरौनी तेल शोधक कारखाने की निवेश योजना

1072. **श्री निखिल कुमार चौधरी** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बरौनी तेल शोधक कारखाने ने नई प्रणाली के क्रियान्वयन और मौजूदा मशीनरी के आधुनिकीकरण तथा उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार के लिए कोई निवेश योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस आधुनिकीकरण योजना को कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) 1803 करोड़ रुपये की लागत से अनुमोदित फ्ल्यूड्राइजड कैटेलिटिक क्रेकिंग यूनिट और डीजल हाइड्रोट्रीटिंग यूनिट एवं सहबद्ध सुविधाओं की स्थापना सहित बरौनी रिफाइनरी विस्तार परियोजना मई, 2002 तक चालू किए जाने का कार्यक्रम है। मोटर स्पिरिट गुणवत्ता उन्नयन परियोजना नामक एक और परियोजना का सिद्धान्त रूप से अनुमोदन दिसम्बर, 2000 में इंडियन आयल कारपोरेशन लि० (आई०ओ०सी०एल०) के बोर्ड द्वारा कर दिया गया है और इसे अंतिम अनुमोदन के 36 महीने के बाद चालू किए जाने का कार्यक्रम है।

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा ताप विद्युत संयंत्रों की स्थापना

1073. **श्री अनंत गुढे** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा 1000 मेगावाट के ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्य सरकार द्वारा विद्युत आवश्यकता की पूर्ति हेतु नई परियोजनाओं के लिए प्रस्तुत अन्य प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई/किए जाने का विचार है; और

(घ) विदर्भ में व्यापक ताप विद्युत उत्पादन संभावनाओं के दोहन के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का विचार है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क), (ख) और (घ) कोयले/ईंधन की उपलब्धता, क्षेत्र में मांग व पूर्ति की स्थिति भूमि व पानी जैसे मुख्य निवेशों की उपलब्धता, परियोजना स्थल द्वारा पर्यावरणीय मानकों को पूरा करना, न्यूनतम मुख्य कृषि/वन भूमि के अधिग्रहण और परियोजना प्रभावित लोगों के न्यूनतम विस्थापन संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों, लाभभोगी राज्यों की भुगतान क्षमता और पर्याप्त सुरक्षा तंत्रों के साथ विद्युत खरीद समझौता हस्ताक्षरित करने के लिए उनकी तत्परता तथा अन्य तकनीकी-आर्थिक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन (एन०टी०पी०सी०) द्वारा किसी

विशेष क्षेत्र/राज्य में विद्युत संयंत्र की स्थापना हेतु उपरोक्त पहलुओं को मद्देनजर महाराष्ट्र/विदर्भ में कुछ स्थलों को पता लगा रहा है ताकि प्रथम दृष्टि में उनकी उपयुक्तता का मूल्यांकन किया जा सके।

(ग) महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में विद्युत संयंत्रों की स्थापना किए जाने हेतु केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (के०वि०प्रा०) में निम्नलिखित प्रस्ताव प्राप्त किए गए थे :–

(i) चन्द्रपुर जिले में मै० सिपकों द्वारा निजी क्षेत्र में भद्रावती ताप विद्युत स्टेशन (2x536 मे०वा०) की स्थापना की जानी है। परियोजना को के०वि०प्रा० द्वारा दिसम्बर, 1994 में स्वीकृति प्रदान की गई।

(ii) अकोला जिले में महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा पारस ताप विद्युत स्टेशन (1x250 मे०वा०) की स्थापना की जानी है। भूमि, ईंधन लिंकेज, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की स्वीकृति, विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 की धारा-29 (2) की अनुपालना राख प्रबंधन योजना, अद्यतन लागत आदि की अनुपलब्धता के कारण के०वि०प्रा० द्वारा परियोजना को सितंबर, 1998 में लौटा दिया गया था।

[अनुवाद]

महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड के साथ विद्युत खरीद का समझौता

1074. **श्री नरेश पुगलिया :** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड (एम०एस०ई०बी०) ने ईंधन प्रभार पर आधारित लागत पर विद्युत खरीदने के लिए भद्रावती स्थित सेंट्रल इंडिया पावर कंपनी (सी०आई०पी०सी०) के साथ विद्युत खरीद समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सेन्ट्रल इंडिया पावर कंपनी वर्तमान में ''ई'' श्रेणी के कोयले के मूल्य की तुलना में ऊंची दर पर वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि० (डब्ल्यू०सी०एल०) से ''ई'' श्रेणी का कोयला खरीदने वाली है;

(घ) यदि हां, तो वर्तमान मूल्य एवं सेन्ट्रल इंडिया पावर कंपनी का खरीद मूल्य का ब्यौरा क्या है और ऊंची दर पर कोयला खरीदने के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या कोयले के मूल्य का अंतर महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड और अंततः उपभोक्ताओं द्वारा वहन किया जाएगा जो सेंट्रल इंडिया पावर कंपनी के ईंधन प्रभार पर आधारित मूल्य पर विद्युत खरीदने वाले हैं;

(च) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(छ) उपभोक्ताओं के व्यापक हित में वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, सेंट्रल इंडिया पावर कंपनी और महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड के बीच हुए समझौते की समीक्षा करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) और (ख) महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड ने मै० सेंट्रल इंडिया पावर कंपनी (सिपको) के साथ, जो 1082 मे०वा० भद्रावती विद्युत परियोजना का विकास कर रही है, एक विद्युत क्रय करार पर हस्ताक्षर किए हैं। सम्मत करार के अनुसार वेस्टर्न कोलफील्डस लिमिटेड द्वारा लागत जमा आधार पर, जिनमें 16% का परियोजना आतंरिक लाभांश दर होगी, बारंज, सास्ती और पाउनी खानों से कोयले की आपूर्ति की जाएगी।

(ग) और (घ) भद्रावती परियोजना के लिए ''च'' श्रेणी के कोयले की मूल लागत जनवरी, 2000 के आधार पर 4550 किलो कैलॉरी/कि०ग्रा० की सकल कैलोरोफिक वैल्यू के लिए लगभग 1595/- रुपये टन मानी गई। यह सभी 3 खदानों के लिए विद्युत केन्द्र में भारित औसत मूल्य है और इसमें परिवहन, लागत, रॉयल्टी, उत्पादन शुल्क पर अधिभार, बिक्री शुल्क तथा विद्युत केन्द्र तक परिवहन जोखिम प्रीमियम शामिल है।

(ङ) बी०सी०एल० द्वारा निर्धारित कोयले की कीमत पर एम०एस०ई०बी० सहित संबंधित पक्षों के मध्य सहमति प्रकट कर दी गई है और पी०पी०ए० के अनुसार, ईंधन की लागत टैरिफ में एक पास-थ्रू है।

(च) और (छ) उपरोक्त (ङ) के मद्देनजर प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

[हिन्दी]

गोंडा-सीतापुर-लखनऊ रेल लाइन का आमान परिवर्तन

1075. **श्री पद्मसेन चौधरी :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गोंडा-बहराईच-सीतापुर-लखनऊ रेल लाइन के आमान परिवर्तन के लिए स्वीकृति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है; और

(ग) आमान परिवर्तन का कार्य कब तक शुरू कर दिए जाने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, नहीं. अपेक्षित स्वीकृतियां प्राप्त हो जाने के बाद इस खण्ड में से केवल गोंडा से बहराईच को ही रेल बजट में शुरू करने के लिए शामिल किया गया है।

(ख) गोंडा-बहराईच खण्ड के आमान परिवर्तन की अनुमानित लागत 71.06 करोड़ रुपए हैं।

Scanned by CamScanner

(ग) स्वीकृति उपलब्ध हो जाने के बादे ही कार्य प्रारंभ किया जाएगा।

[अनुवाद]

बाजार से ऋण लेना

1076. श्री खारबेल स्वाइं : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान रेल विभाग ने प्रतिवर्ष बाजार से कितना ऋण लिया;

(ख) इस राशि का उपयोग किन कार्यों में किया जा रहा है; और

(ग) अपनी पूंजीगत आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु संसाधन जुटाने के लिए रेल विभाग द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) रेलों द्वारा 1997-98, 1998-1999 और 1999-2000 के दौरान भारतीय रेल वित्त निगम के जरिए क्रमश: 2470 करोड़ रु०, 2995 करोड़ रुपए और 2836 करोड़ रुपए के बाजार ऋण जुटाए गए हैं।

(ख) बाजार ऋणों का उपयोग, रेल परिचालनों के लिए अपेक्षित चल स्टॉक की खरीद हेतु वित्त व्यवस्था करने के लिए किया जाता है।

(ग) परिचालनों से उच्चतर राजस्व जुटाने तथा सामान्य राजकोष से अधिक बजटीय सहायता मांगने के अलावा, रेलें, भूमि और आकाश क्षेत्र का वाणिज्यिक उपयोग, रेल परिसरों तथा चल स्टॉक पर वाणिज्यिक प्रचार राष्ट्र व्यापी ब्रॉड बैंड दूरसंचार और मल्टी मीडिया नेटवर्क की स्थापना करने के लिए रेलपथ के साथ-साथ आप्टिक फाइबर केबल बिछाकर रेलों के मार्गाधिकार का उपयोग करने जैसे गैर-परंपरागत स्रोतों से राजस्व जुटाने की संभावनाओं का भी पता लगा रही हैं। संयुक्त उद्यमों के जरिए रेल परियोजनाओं में निजी क्षेत्र, राज्य सरकारों तथा स्थानीय निकायों से निवेश आकर्षित करने के प्रयास पहले ही किए जा रहे हैं।

कच्चे तेल का उत्पादन और प्रौद्योगिकी पर गठित कृतिक बल

1077. श्री जी०एस० बसवराज : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ सरकार ने कच्चे तेल का उत्पादन और प्रौद्योगिकी उन्नयन से संबंधित मुख्य मुद्दों पर सरकार को सलाह देने हेतु एक कृतिक बल का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त कृतिक बल ने अपनी रिपोर्ट दे दी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो यह रिपोर्ट कब तक सौंप दी जाएगी ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

ऐनरॉन इंटरनेशनल द्वारा ओ०एन०जी०सी० के शेयरों की खरीद

1078. श्री अजय सिंह चौटाला : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐनरॉन इंटरनेशनल ने तेल और प्राकृतिक गैस निगम के शेयरों की खरीद हेतु आवेदन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ओ०एन०जी०सी० की किन-किन कंपनियों के लिए अंतरराष्ट्रीय बोलियां आमंत्रित की गई हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार इस संबंध में भारतीय कंपनियों को वरीयता देने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के ध्यान में नहीं लाया गया है। तथापि, ओ०एन०जी०सी० द्वारा नए शेयरों का निर्गम अथवा इसके मौजूदा शेयरों का विनिवेश किए जाने से संबंधित कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) उपर्युक्त (क) के उत्तर के मुद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

(ग) ओ०एन०जी०सी० की अपने पूर्ण स्वामित्व में ओ०एन० जी०सी० विदेश लि० नामक एक सहायक कंपनी है। ओ०एन० जी०सी० विदेश लि० में ओ०एन०जी०सी० की धारिता का विनिवेश करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) और (ङ) उपर्युक्त (ग) के उत्तर के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

न्यायिक सुधारों पर राष्ट्रीय कृतिक बल

1079. श्री अजय चक्रवर्ती : क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय उद्योग परिसंघ (सी०आई०एल०) के "न्यायिक सुधारों पर राष्ट्रीय कृतिक बल" ने विभिन्न न्यायालयों में

लंबित मामलों की समस्या की जांच कर तत्संबंधी अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें कौन-कौन सी मुख्य सिफारिशें की गई हैं; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा 1996 में आयोजित एक राष्ट्रीय संगोष्ठी के अवसर पर श्री सी०के० बिड़ला के नेतृत्व में न्यायिक सुधारों पर कृतिक बल की एक रिपोर्ट तत्कालीन विधि, न्याय और कंपनी कार्य राज्य मंत्री को जो संगोष्ठी के मुख्य अतिथि थे, प्रस्तुत की गई थी।

(ख) रिपोर्ट की मुख्य बातों में, अन्य बातों के साथ, न्यायाधीशों के रिक्त पदों को समय पर भरा जाना, न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा निवृत्ति की आयु बढ़ाया जाना, प्रक्रिया को कारगर बनाना, न्यायालय की छुट्टियों/अवकाशों का सुव्यवस्थीकरण, न्यायालय फीसों को अधिक यथार्थवादी बनाने के लिए उनको सुव्यवस्थित करना, स्थगनों में कटौती, राजस्व मामलों में कार्यपालक अधिकारियों की जिम्मेदारी, न्यायाधीशों की जिम्मेदारी, न्यायाधीशों की सेवा शर्तों में सुधार, वकीलों को प्रशिक्षण और दिशानिर्देश देना आदि सम्मिलित हैं।

(ग) सिफारिशों में व्यापक पैमाने पर न्यायिक सुधार समाविष्ट है। न्यायिक सुधारों का कार्यान्वयन एक निरंतर चलने वाली सतत प्रक्रिया है। विधि आयोग और इस बाबत गठित विभिन्न समितियों ने न्यायिक सुधारों के संबंध में अनेक उपायों के सुझाव दिए हैं। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए सरकार द्वारा अनेक उपाय किए गए हैं। इनमें न्यायाधीशों के रिक्त पदों को भरा जाना, न्यायाधीशों/न्यायिक अधिकारियों के पदों की संख्या में वृद्धि करना, विशेष न्यायालयों/अधिकरणों की स्थापना, विशेष न्यायिक/मैट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति आदि सम्मिलित हैं।

सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1999 संसद् द्वारा पारित किया जा चुका है जिसमें अन्य बातों के साथ, वाद के किसी पक्षकार को स्थगन तीन बार तक ही निर्बंधित करना और मामले के कतिपय प्रक्रमों पर समयबद्ध प्रक्रिया सम्मिलित है। सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1999 के सुसंगत उपबंधों की सरकार द्वारा अधिसूचना निकाली जानी है। केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों द्वारा न्यायाधीशों/न्यायिक अधिकारियों की सेवा शर्तों में सुधार करने के लिए भी उपाय किए गए हैं।

राज्य परियोजना में संघ सरकार का अंशदान

1080. **श्री चिंतामन वनगा** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ सरकार ने राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में स्थापित विद्युत परियोजनाओं में अंशदान किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों ने अपने यहां स्थापित केन्द्रीय विद्युत परियोजनाओं में हिस्सेदारी की है;

(घ) यदि हां, तो परियोजना-वार और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विशेषकर महाराष्ट्र के संबंध में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) वर्तमान विद्युत उत्पादन क्षमता का ब्यौरा क्या है और राज्यों में इसकी वार्षिक मांग और आपूर्ति कितनी है; और

(च) प्रत्येक मामले में राज्य और संघ राज्य क्षेत्रवार विद्युत उत्पादन की क्षमता बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (घ) केन्द्रीय विद्युत स्टेशन के नाम, अधिष्ठापित क्षमता, नवीनतम अनुमोदित लागत, विभिन्न राज्यों को विद्युत के आवंटन तथा इक्विटी/ऋण के द्वारा केन्द्र सरकार के हिस्से सहित केन्द्रीय विद्युत केन्द्रों का ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है।

(ङ) 31.1.2001 (अनंतिम) के अनुसार देश में राज्य-वार अधिष्ठापित उत्पादन क्षमता विवरण-II में दी गई है। 31.1.2001 तथा अप्रैल, 2000 से जनवरी, 2001 की अवधि के दौरान देश में राज्य-वार विद्युत आपूर्ति की स्थिति विवरण-III में दी गई है।

(च) नई विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के अलावा, सरकार निम्नलिखित उपायों के द्वारा विद्युत उपलब्धता में सुधार कर रही है :–

- विद्यमान विद्युत केन्द्रों के संयंत्र भार घटक में सुधार।
- पुराने ताप विद्युत और जल विद्युत केन्द्रों का नवीकरण एवं आधुनिकीकरण।
- आवश्यक पारेषण नेटवर्क की स्थापना करके विद्युत के अंत: क्षेत्रीय अंतरण को सुविधाजनक बनाना।
- मांग पक्ष प्रबंधन कार्यक्रम।
- पारेषण एवं वितरण प्रणाली को सशक्त करना तथा प्रणाली की विश्वसनीयता में सुधार लाना।

सरकार विद्युत उत्पादन में जोर-शोर से निजी क्षेत्र भागीदारी को प्रोत्साहित कर रही है तथा इसने निजी क्षेत्र परियोजनाओं के लिए विशिष्ट कठिनाईयों, यदि कोई हों, की जांच करने के लिए एक विशेष समिति का भी गठन किया है। उच्च शक्ति प्राप्त समिति द्वारा सभी निर्माणाधीन परियोजनाओं की गहन मॉनीटरिंग की जा रही है। सरकार ने देश में अतिरिक्त क्षमता की वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए 1988 में एक जल विद्युत नीति तथा संशोधित मेगा नीति का भी गठन किया है। सरकार क्षेत्र की स्थिति को बेहतर बनाने तथा इसे वित्तीय रूप से व्यवहार्य बनाने के लिए विद्युत क्षेत्र में सुधारों को भी प्रोत्साहित कर रही है।

Scanned by CamScanner

विवरण-I

राज्य परियोजना में संघ सरकार का अंशदान

क्र० सं०	अधिष्ठापित क्षमता सहित परियोजना का नाम (मे०वा०)	नवीनतम अनुमोदित लागत (करोड़ रु०)	केन्द्र सरकार का हिस्सा इक्विटी (करोड़ रु०)	ऋण	विभिन्न राज्यों में विद्युत उत्पादन का हिस्सा (मे०वा०)	
1	2	3	4	5	6	
एन०टी०पी०सी०						
1.	सिंगरौली-I व II (2000 मे०वा०) (उत्तर प्रदेश)	1190.00	560.19	308.71	उत्तर प्रदेश	850
					राजस्थान	300
					दिल्ली	150
					पंजाब	200
					हरियाणा	300
					अनांवटित	300
2.	रिहन्द-I (1000 मे०वा०) (उत्तर प्रदेश)	2387.40	539.02	—	उत्तर प्रदेश	365
					राजस्थान	95
					दिल्ली	100
					पंजाब	110
					हरियाणा	65
					हिमाचल प्रदेश	35
					जम्मू एवं कश्मीर	70
					चंडीगढ़	10
					अनांवटित	150
3.	एन०सी०टी०पी०पी० (दादरी)-I (840 मे०वा० (उ०प्र०)	1669.21	409.69	700.32	उत्तर प्रदेश	84
					दिल्ली	756
4.	ऊंचाहार-I (420 मे०वा०) (उत्तर प्रदेश)	925.90	**	—	उत्तर प्रदेश	286
					राजस्थान	20
					दिल्ली	24
					पंजाब	36
					हरियाणा	11
					हिमाचल प्रदेश	7
					जम्मू एवं कश्मीर	14
					चंडीगढ़	2
					अनांवटित	220
5.	ऊंचाहार-II (420 मे०वा०) (उत्तर प्रदेश)	1412.09	**	—	उत्तर प्रदेश	144
					राजस्थान	38
					दिल्ली	47

1	2	3	4	5	6	
					पंजाब	60
					हरियाणा	23
					हिमाचल प्रदेश	12
					जम्मू एवं कश्मीर	30
					चंडीगढ़	3
					अनावंटित	63
6.	टांडा (440 मे०वा०) (उत्तर प्रदेश)	1000.00	**	–	उत्तर प्रदेश	440
7.	कोरबा-I व II (2100 मे०वा०) (मध्य प्रदेश)	1625.25	812.12	–	मध्य प्रदेश	610
					महाराष्ट्र	610
					गुजरात	360
					गोवा	210
					अनावंटित	310
8.	विन्ध्याचल-I (1260 मे०वा०) (मध्य प्रदेश)	1460.37	549.79	–	मध्य प्रदेश	385
					महाराष्ट्र	410
					गुजरात	230
					गोवा	35
					डी०एन०एच०	5
					डी० एंड डी०	5
					अनावंटित	190
9.	विन्ध्याचल-II	2753.38	13.81	**	मध्य प्रदेश	190
					महाराष्ट्र	319
					गुजरात	239
					गोवा	12
					डी०एन०एच०	4
					डी० एंड डी०	3
					अनावंटित	150
10.	रामागुंडम-I व II (2100 मे०वा०) (आंध्र प्रदेश)	2059.22	704.98	244.92	आंध्र प्रदेश	580
					कर्नाटक	345
					तमिलनाडु	470
					केरल	245
					गोवा	100
					पांडिचेरी	50
					अनावंटित	310
11.	फरक्का-I (600 मे०वा०) (पश्चिम बंगाल)	730.93	259.58	179.44	पश्चिम बंगाल	530

1	2	3	4	5	6	
12.	फरक्का-II (1000 मे०वा०) (पश्चिम बंगाल)	2453.29	424.56	2.65	बिहार	375
					उड़ीसा	235
					डी०वी०सी०	130
					सिक्किम	25
					अनावंटित	305
13.	कहलगांव-I (840 मे०वा०) (बिहार)	1715.89	569.38	30.00	पश्चिम बंगाल	180
					बिहार	285
					उड़ीसा	135
					डी०वी०सी०	67
					सिक्किम	15
					अनावंटित	158
14.	तालचेर-I (1000 मे०वा०) (उड़ीसा)	2592.18	574.32	676.45	बिहार	239
					उड़ीसा	262
					डी०वी०सी०	66
					सिक्किम	18
					अनावंटित	415
15.	तालचेर टी०पी०एस० (460 मे०वा०) (उड़ीसा)	356.00	**	—	उड़ीसा	460
16.	औरया गैस-I (652 मे०वा०) (उत्तर प्रदेश)	678.77	79.34	211.04	उत्तर प्रदेश	234
					राजस्थान	60
					दिल्ली	71
					पंजाब	81
					हरियाणा	38
					हिमाचल प्रदेश	22
					जम्मू एवं कश्मीर	43
					चंडीगढ़	5
					अनांवटित	98
17.	दादरी-I (817 मे०वा०) (उत्तर प्रदेश)	960.35	479.82	306.25	उत्तर प्रदेश	270
					राजस्थान	75
					दिल्ली	90
					पंजाब	130
					हरियाणा	40
					हिमाचल प्रदेश	25
					जम्मू एवं कश्मीर	55.11
					चंडीगढ़	7.5
					अनांवटित	127

1	2	3	4	5	6	
18.	अन्ता-I (413 मे०वा०) (राजस्थान)	418.97	50.43	100.06	उत्तर प्रदेश	106
					राजस्थान	82
					दिल्ली	43
					पंजाब	48
					हरियाणा	24
					हिमाचल प्रदेश	14
					जम्मू एवं कश्मीर	29
					चंडीगढ़	5
					अनावंटित	62
19.	फरीदाबाद (430 मे०वा०) (हरियाणा)	1163.60	408.77	162.36	हरियाणा	430
20.	कवास-I (645.36 मे०वा०) (गुजरात)	1599.57	103.82	75.72	मध्य प्रदेश	137
					महाराष्ट्र	201
					गुजरात	184
					गोवा	22
					डी०एन०एच०	2
					डी० एंड डी०	2
					अनावंटित	97.36
21.	गांधार-I (648 मे०वा०) (गुजरात)	2500.00	1260.13	558.14	मध्य प्रदेश	116
					महाराष्ट्र	185
					गुजरात	234
					गोवा	12
					डी०एन०एच०	2
					डी० एंड डी०	2
					अनावंटित	97
22.	कायमकुलम-I (350 मे०वा०) (केरल)	1310.58	*	—	केरल	350
23.	दुर्गापुर यू-I से 4 (350 मे०वा०) (पश्चिम बंगाल)	113	—	9.78	बिहार	232.75
					पश्चिम बंगाल	117.25
24.	बोकारो यू-I से 4 टी०पी०पी०-ए (175 मे०वा०) (बिहार)	19.81	—	6.61	बिहार	116.37
					पश्चिम बंगाल	58.63

*एनटीपीसी के आन्तरित संसाधनों और प्रत्यक्ष ऋणों से वित्तपोषित परियोजना।

**निगम के आन्तरिक संसाधनों से प्राप्त

@ हाथ में ली गई परियोजनाएं

1	2	3	4	5	6	
25.	चन्द्रपुर टी०पी०पी० यू-I से 6 (750 मे०वा०) (बिहार)	134.39	—	15.02	बिहार पश्चिम बंगाल	498.75 251.25
26.	बोकारो टी०पी०पी० यू-I से 3 (630 मे०वा०) (बिहार)	555.77	—	—	बिहार पश्चिम बंगाल	418.95 211.05
27.	मेजिया टी०पी०पी० यू-I से 3 (630 मे०वा०) (पश्चिम बंगाल)	1552.00	—	—	बिहार पश्चिम बंगाल	418.95 211.05
28.	मैथन गैस टरबाइन स्टेशन (82.5 मे०वा०) (पश्चिम बंगाल)	52.22	—	—	बिहार पश्चिम बंगाल	54.86 27.64
29.	पंचेत एच०ई०पी० यू-I से 2 (80 मे०वा०) (बिहार)	56.48	—	0.87	बिहार पश्चिम बंगाल	53.20 26.80
30.	मैथन हाइडल स्टेशन (60 मे०वा०) (बिहार)	4.27	—	1.43	बिहार पश्चिम बंगाल	39.90 20.10
31.	तिलैया हाइडल स्टेशन (4 मे०वा०) (बिहार)	0.55	—	0.18	बिहार पश्चिम बंगाल	2.66 1.34
एन०एच०पी०सी०						
32.	बैरास्यूल (180 मे०वा०) (हिमाचल प्रदेश)	148.08	68.95	75.81	पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश दिल्ली	83.7 54.9 21.6 19.8
33.	चमेरा-I (540 मे०वा०) (हिमाचल प्रदेश)	2114.02	619.32	101.41	पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश दिल्ली जम्मू एवं कश्मीर राजस्थान चंडीगढ़	108 124.2 64.8 54 27 135 27
34.	टनकपुर (94.15 मे०वा०) (उत्तर प्रदेश)	379.17	93.19	36.07	पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश दिल्ली जम्मू एवं कश्मीर उत्तर प्रदेश राजस्थान चंडीगढ़ अनावंटित	14.0 5.0 3.0 10.0 6.0 32.0 9.0 1.0 14.0

1	2	3	4	5	6	
35.	लोकतक (105 मे०वा०) (मणिपुर)	126.72	58.46	72.27	मणिपुर	30.4
					असम	24.3
					मेघालय	8.1
					नागालैंड	6.1
					त्रिपुरा	12
					अरूणाचल प्रदेश	5.0
					मिजोरम	4.0
					अनावंटित	15.0
36.	सलाल-I एवं II (690 मे०वा०) (जम्मू व कश्मीर)	928.89	470.48	300.4	पंजाब	184
					हरियाणा	104
					हिमाचल प्रदेश	7.0
					दिल्ली	80.0
					जम्मू एवं कश्मीर	237
					उत्तर प्रदेश	56.0
					राजस्थान	20.0
					चंडीगढ़	2.0
37.	उड़ी (480 मे०वा०) जम्मू एवं कश्मीर	3300.00	985.58	338.32	पंजाब	66
					हरियाणा	26
					हिमाचल प्रदेश	13
					दिल्ली	53
					जम्मू एवं कश्मीर	163
					उत्तर प्रदेश	113
					राजस्थान	43
					चंडीगढ़	3
38.	रंगीत (60 मे०वा०) सिक्किम	361.86	189.28	27.34	डी०वी०सी०	6
					बिहार	13
					उड़ीसा	10
					पश्चिम बंगाल	14
					सिक्किम	8
					अनावंटित	9
नीपको						
39.	असम गैस (291 मे०वा०) असम	1532.32	774.92	635.10	अरुणाचल प्रदेश	16
					असम	145
					मणिपुर	20.1
					मेघालय	20.1

1	2	3	4	5	6	
					मिजोरम	12.1
					नागालैंड	15.0
					त्रिपुरा	19.0
					अनावंटित	43.65
40.	अगरतला गैस (84 मे०वा०) (त्रिपुरा)	294.06 (322.55 अब प्रस्तावित)	164.96	14.52	अरुणाचल प्रदेश	5
					असम	33
					मणिपुर	6
					मेघालय	6
					मिजोरम	4
					नागालैंड	4
					त्रिपुरा	14
					अनावंटित	12
41.	कोपली एच०ई०पी० (150 मे०वा०) (असम)	243.82	123.61	48.06	अरुणाचल प्रदेश	6
					असम	74.5
					मणिपुर	8.0
					मेघालय	18.0
					मिजोरम	4.0
					नागालैंड	9.0
					त्रिपुरा	8.0
					अनावंटित	22.5
42.	दोयांग एच०ई० (75 मे०वा०) (नागालैंड)	384.75 (758.70 अब प्रस्तावित)	192.37	247.48	अरुणाचल प्रदेश	5
					असम	28.0
					मणिपुर	5
					मेघालय	5
					मिजोरम	3
					नागालैंड	13
					त्रिपुरा	5
					अनावंटित	11
43.	कोपली एच०ई० चरण-I (100 मे०वा०) (असम)	134.48	65.72	68.76	अरूणाचल प्रदेश	6
					असम	44
					मणिपुर	7
					मेघालय	13
					मिजोरम	4
					नागालैंड	5
					त्रिपुरा	6
					अनावंटित	15

1	2	3	4	5	6	
	न्यूक्लियर					
44.	एम०ए०पी०एस० (340 मे०वा०) (तमिलनाडु)	245.87	–	–	आन्ध्र प्रदेश	28
					कर्नाटक	21
					तमिलनाडु	255
					केरल	18
					पांडिचेरी	4
					गोवा	0
					एन०एल०सी०	0
					अनावंटित	14
45.	कैगा (440 मे०वा०)	2896.00	–	–	आन्ध्र प्रदेश	115
					कर्नाटक	108
					तमिलनाडु	105
					केरल	38
					पांडिचेरी	8
					गोवा	0
					एन०एल०सी०	0
					अनावंटित	66
46.	तारापुर (320 मे०वा०) महाराष्ट्र	92.99	–	–	महाराष्ट्र	160
					गुजरात	160
47.	राजस्थान यू-1 व 2 (300 मे०वा०) (राजस्थान)	175.81	–	–	राजस्थान	300
48.	राजस्थान यू-3 व 4 (440 मे०वा०) (राजस्थान)	2511.00	–	–	राजस्थान	87
					उत्तर प्रदेश	102
					दिल्ली	53
					पंजाब	56
					हरियाणा	25
					जम्मू एवं कश्मीर	35
					चंडीगढ़	3
					हिमाचल प्रदेश	13
					अनावंटित	66
49.	नरौरा (440 मे०वा०) उत्तर प्रदेश	745.24	–	–	उत्तर प्रदेश	154
					दिल्ली	47
					पंजाब	52
					राजस्थान	42
					हरियाणा	28

1	2	3	4	5	6	
					जम्मू एवं कश्मीर	33
					चंडीगढ़	5
					हिमाचल प्रदेश	14
					अनावंटित	65
50.	कावरपाड़ा (440 मे०वा०) (गुजरात)	1366.68	—	—	गुजरात	125
					महाराष्ट्र	137
					मध्य प्रदेश	93
					गोवा	15
					दमन एवं दीव	2
					दादर एवं नगर हवेली	2
					अनावंटित	66
एनटीपीसी द्वारा प्रबंध किए जा रहे भारत सरकार के केन्द्र						
51.	बदरपुर टी०पी०एस०	350.33	(पूंजी लागत)	—	दिल्ली	105

विवरण-II

अधिष्ठापित उत्पादन क्षमता (यूटिलिटिज) (अनंतिम) 31.1.2001 की स्थितिनुसार

राज्य (संघ शासित)	जोड़
1	2
हरियाणा	1780.32
हिमाचल प्रदेश	322.00
जम्मू एवं कश्मीर	409.13
पंजाब	4528.94
राजस्थान	2488.83
उत्तर प्रदेश आई०सी० उत्तराचंल	6052.75
चंडीगढ़	2.00
दिल्ली	617.00
केन्द्रीय क्षेत्र	18852.00
कुल (उ०क्षे०)	27052.97
गुजरात	7230.39
मध्य प्रदेश आई०सी० छत्तीसगढ़	4373.00
महाराष्ट्र	12843.20
गोवा	48.05
दमन एवं द्वीव	0.00
दादर एवं नगर हवेली	0.00
केन्द्रीय क्षेत्र	6512.00
कुल (प०क्षे०)	31006.64
आन्ध्र प्रदेश	6605.88
कर्नाटक	4456.49
केरल	2156.52
तमिलनाडु	6078.52
पांडिचेरी	32.50
केन्द्रीय क्षेत्र	5430.00
कुल (द०क्षे०)	24759.61
बिहार आई०सी० झारखंड	2108.40
उड़ीसा	2143.02
पश्चिम बंगाल	4582.89
सिक्किम	37.89
केन्द्रीय क्षेत्र	6841.50
कुल पू०क्षे०	15713.70

1	2
असम	621.61
मणिपुर	12.01
मेघालय	188.76
नागालैंड	5.50
त्रिपुरा	85.36
अरूणाचल प्रदेश	45.43
मिजोरम	36.85
केन्द्रीय क्षेत्र	805.01
कुल (उ०पू०क्षे०)	1800.61
अंडमान एवं निकोबार द्वीप	34.05
लक्ष्यद्वीप	9.97
कुल (द्वीप)	44.02
कुल (अखिल भारत)	100377.55

विवरण-III

राज्य परियोजना में संघ सरकार का अंशदान

विद्युत आपूर्ति की वास्तविक स्थिति

(आंकड़े मि०यू० निवल में

क्षेत्र राज्य/ प्रणाली	जनवरी, 2001				अप्रैल, 2000-जनवरी, 2001			
	आवश्यकता	उपलब्धता	कमी	%	आवश्यकता	उपलब्धता	कमी	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
चण्डीगढ़	93	93	0	0	926	925	1	0.1
दिल्ली	1560	1399	161	10.3	15935	15193	742	4.7
हरियाणा								
हिमाचल प्रदेश								
जम्मू व कश्मीर	625	444	181	29.0	5240	4565	675	12.9
पंजाब	1915	1840	75	3.9	23645	23242	403	1.7
राजस्थान	2315	2075	240	10.4	20690	20017	673	3.3
उत्तर प्रदेश	4120	3244	876	21.3	38390	33012	5378	14.0
गुजरात	4589	3889	700	15.3	44575	40108	4467	10.0
मध्य प्रदेश	3734	3216	518	13.9	32691	29015	3676	11.2
महाराष्ट्र	6617	6180	437	6.6	66507	58864	7643	11.5
गोवा	153	136	17	11.1	1492	1306	186	12.5
आंध्र प्रदेश	4022	3884	138	3.4	39112	36264	2848	7.3
कर्नाटक	2886	2749	137	4.7	24401	22158	2243	9.2
केरल	1172	1137	35	3.0	11211	10463	748	6.7
तमिलनाडु	3507	3394	113	3.2	34920	32263	2657	7.6
बिहार	848	788	60	7.1	7655	7209	446	5.8

	2	3	4	5	6	7	8	9
डी०वी०सी०	680	683	-3	-0.4	7048	7195	-147	-2.1
उड़ीसा	1038	1046	-8	-0.8	9770	10136	-366	-3.7
पश्चिम बंगाल	1531	1523	8	0.5	15541	15752	-211	-1.4
अरुणाचल प्रदेश	11.3	11.4	-0.1	-0.9	106.0	108.6	-2.6	-2.5
असम	273.7	299.2	-26	-9.3	2571.8	2810.8	-2.39	-9.3
मणिपुर	45.4	43.1	2.3	5.1	385.8	382.9	2.9	0.8
मेघालय	59.4	60.0	-0.6	-1.0	457.8	499.0	-41.2	-9.0
मिजोरम	25.3	25.4	-0.1	-0.4	203.4	210.6	-7.2	-3.5
नागालैंड	23.6	23.4	0.2	0.8	186.1	192.5	-6.4	-3.4
त्रिपुरा	48.9	53.6	-4.7	-9.6	470.3	500.3	-30.0	-6.4

वास्तविक व्यस्ततमकालीन मांग बनाम व्यस्ततमकालीन पूर्ति

(आंकड़े मि०यू० निवल में)

क्षेत्र राज्य/ प्रणाली	जनवरी, 2001				अप्रैल, 2000 से जनवरी, 2001			
	व्यस्ततम-कालीन मांग	व्यस्ततम-कालीन पूर्ति			व्यस्ततम-कालीन मांग	व्यस्ततम-कालीन पूर्ति	कमी	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
चण्डीगढ़	161	161	0	0.0	171	171	0	0.0
दिल्ली	3080	2602	478	15.5	3080	2670	410	13.3
हरियाणा	2525	2339	186	7.4	2800	2709	91	3.3
हिमाचल प्रदेश	562	562	0	0.0	585	585	0.0	0.0
जम्मू और कश्मीर	1130	835	295	26.1	1170	974	196	16.8
पंजाब	3675	3506	169	4.6	5004	4904	100	2.0
राजस्थान	3755	3645	110	2.9	3755	3645	110	2.9
उत्तर प्रदेश	7200	5539	1661	23.1	7200	6119	1081	15.0
गुजरात	7454	6141	1313	17.6	7801	6905	896	11.5
मध्य प्रदेश	6409	5101	1308	20.4	7111	5310	1801	25.3
महाराष्ट्र	11415	10188	1227	10.7	12535	10225	2310	18.4
गोवा	260	234	26	10.0	296	265	31	10.5
आंध्र प्रदेश	6585	6211	374	5.7	7055	6211	844	12.0
कर्नाटक	4672	4371	301	6.4	4672	4371	301	6.4
केरल	2351	2304	47	2.0	2391	2304	87	3.6
तमिलनाडु	6192	5805	387	6.3	6329	5805	524	8.3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
बिहार	1470	1248	222	15.1	1470	1263	207	14.1
डी०वी०सी०	1204	1196	8	0.7	1366	1390	-24	-1.8
उड़ीसा	1952	1904	48	2.5	1952	1994	-42	-2.2
पश्चिम बंगाल	3184	2997	187	5.9	3594	3233	361	10.0
अरूणाचल प्रदेश	49	49	0	0.0	49	49	0	0.0
असम	564	562	2	0.4	564	579	-15	-2.7
मणिपुर	89	89	0	0.0	92	89	3	3.3
मेघालय	119	120	-1	-0.8	122	129	-7	-5.7
मिजोरम	71	70	1	1.4	71	70	1	1.4
नागालैंड	52	51	1	1.9	52	52	0	0.0
त्रिपुरा	135	103	32	23.7	135	134	1	0.7

सी०ई०आर०सी० द्वारा जारी नए शुल्क आदेश

1081. श्री रामशेठ ठाकुर : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग ने नये शुल्क आदेश जारी किए हैं जिनसे एन०टी०पी०सी० के आंतरिक संसाधन 18,000 करोड़ रुपये कम हो जायेंगे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे आदेश जारी करने का क्या औचित्य है;

(ग) क्या सी०ई०आर०सी० ने ऐसे आदेश जारी करने से पूर्व इसके विपरीत प्रभावों पर विचार किया था;

(घ) यदि हां, तो क्या एन०टी०पी०सी० ने उक्त आदेशों का विरोध किया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस मामले को सुलझाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (ङ) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सी०ई०आर०सी०) विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998 के अंतर्गत गठित एक सांविधिक निकाय है जिसे अन्य बातों के साथ-साथ केन्द्र सरकार के स्वामित्व अथवा नियंत्रणाधीन उत्पादन कंपनियों के टैरिफ का विनियमन करने तथा इस प्रकार की उत्पादन कम्पनियों के लिए टैरिफ के निर्धारण हेतु विनियमन द्वारा शर्तों एवं निबंधनों को निर्धारित करने की शक्तियां प्राप्त हैं। टैरिफ का निर्धारण करते समय सी०ई०आर०सी० अन्य बातों के साथ-साथ इस बात का ध्यान रखता है कि उत्पादन कम्पनियां और पारेषण निकाय इन सिद्धांतों को अपनाए ताकि वे उत्पादन, विद्युत की बिक्री अथवा विद्युत के अंतर्राज्यीय पारेषण में अपनी उच्च स्थिति का फायदा न उठा सकें तथा साथ ही पर्याप्त लाभांश अर्जित कर सकें तथा उन पदों का भी ध्यान रखें जो दक्षता, अच्छे कार्य निष्पादन, ईष्टतम निवेश इत्यादि को प्रोत्साहित करें। ईआरसी अधिनियम, 1998 के अंतर्गत प्रदान की गयी शक्तियों का प्रयोग करते हुए सी०ई०आर०सी० ने सभी पक्षों की बात सुनने के पश्चात् 15.12.2000 को उपलब्धता आधारित टैरिफ (ए०बी०टी०) तथा 21.12.2000 को एन०टी०पी०सी० सहित केन्द्रीय उत्पादन स्टेशनों हेतु टैरिफ सिद्धांतों तथा मानदंडों से संबंधित आदेश जारी किए हैं।

ए०बी०टी० संबंधी आदेशों को पहले 4.1.2000 को जारी किया गया था जिसके खिलाफ सी०ई०आर०सी० के समक्ष एन०टी०पी०सी० ने एक समीक्षा याचिका दर्ज की थी। सी०ई०आर०सी० ने याचिका पर विचार किया और 15.12.2000 को ए०बी०टी० पर अंतिम आदेश जारी किया।

टैरिफ सिद्धांतों और मानदण्डों के संबंध में सी०ई०आर०सी० के दिनांक 21.12.2000 के आदेश के खिलाफ एक समीक्षा याचिका दायर की है। सी०ई०आर०सी० ने अभी इस संबंध में एन०टी० पी०सी० की याचिका पर विचार/समाधान नहीं किया है। एन०टी० पी०सी० ने आयोग के आदेशों के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में एक अपील भी दायर की है।

राज्य विद्युत बोर्डों को घाटा

1082. श्री चन्द्रनाथ सिंह : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य विद्युत बोर्डों को कुप्रबन्धन के कारण प्रतिवर्ष करोड़ों रुपयों का घाटा हो रहा है और उसे कोल इंडिया लिमिटेड और रेल विभाग आदि को हजारों करोड़ रुपया देना है; और

Scanned by CamScanner

(ख) यदि हां, तो राज्य विद्युत बोर्डों के कुप्रबंधन को सुधारने और उन्हें ऋणग्रस्तता से उबारने हेतु उनके कार्यकरण को सुधारने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) यह सच है कि राज्य विद्युत बोर्ड अधिक हानियां अर्जित कर रहे हैं और कोयले की आपूर्ति/संवहन के कारण उन पर अधिक धनराशि बकाया है।

(ख) भारत सरकार ने विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998 को लागू किया है ताकि टैरिफ का यौक्तिकरण आर्थिक सहायता इत्यादि के लिए पारदर्शी नीतियां लाई जा सकें इत्यादि। केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग का गठन कर लिया गया है और इसे कार्य करना आरंभ कर दिया है। इस अधिनियम के द्वारा राज्य सरकार राज्य विद्युत विनियामक आयोगों का गठन कर पाएगी। अभी तक 15 राज्यों ने एस०ई० आर०सी० के गठन की सूचना दी है। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और हरियाणा के एस०ई०आर०सी० ने पहले ही टैरिफ आदेश जारी कर दिए हैं।

विद्युत क्षेत्र सुधारों, विशेषत: वितरण में, तीव्र करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने कई कदम उठाए हैं। फरवरी, 2000 में आयोजित मुख्य मंत्रियों/विद्युत मंत्रियों के सम्मेलन में यह संकल्प लिया गया कि दृढ़ता, उत्साह और तीव्रता के साथ सुधार आरंभ किए जाने चाहिए। सुधार नीति के प्रमुख घटक निम्नवत है :–

(i) सभी स्तरों पर ऊर्जा लेखा परीक्षा।

(ii) दिसम्बर, 2001 तक सभी उपभोक्ताओं की 100% मीटरिंग का समयबद्ध कार्यक्रम।

(iii) एक निर्धारित समय-सीमा के भीतर विद्युत चोरी में कमी तथा अंतत: उसका उन्मूलन।

(iv) प्राथमिकता आधार पर उपकेन्द्र को एक यूनिट के रूप में लेते हुए उप-पारेषण एवं वितरण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण/उन्नयन करना।

इस बात पर भी सहमति प्रकट की गई कि यदि यह विद्यमान ढांचे में अपर्याप्त महसूस हो तो विवरण का निगमीकरण/सहकारिता ऋण/निजीकरण करना होगा। भारत सरकार राज्यों के साथ सुधार संबंधी समझौता ज्ञापनों पर भी हस्ताक्षर कर रही है जिसमें राज्य पारेषण एवं वितरण हानियों को कम करने, चोरी को रोकने, बिलिंग एवं वसूली में सुधार करने, कार्यकारी एस०ई०आर०सी० इत्यादि की स्थापना करने इत्यादि के लिए निश्चित लक्ष्य प्राप्त करने हेतु वचनबद्ध है। भारत सरकार त्वरित विद्युत विकास कार्यक्रम तथा केन्द्रीय पूल के अनावंटित हिस्से से विद्युत के अतिरिक्त आवंटन के द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान करती है। अभी तक कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा और गुजरात राज्यों ने एम०ओ०यू० पर हस्ताक्षर किए हैं।

विद्युत उत्पादन

1083. श्री ई०एम० सुदर्शन नाच्चीयपन : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विद्युत उत्पादन में संघ सरकार की राज्य-वार कितने प्रतिशत भागीदारी है; और

(ख) इसे बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) यद्यपि देश की अधिष्ठापित क्षमता में केन्द्रीय क्षेत्र के विद्युत स्टेशनों का हिस्सा 30 प्रतिशत है फिर भी अप्रैल 2000 – जनवरी 2001 की अवधि के दौरान विद्युत उत्पादन में केन्द्रीय क्षेत्र के विद्युत स्टेशनों द्वारा किया गया राज्यवार प्रतिशत विद्युत उत्पादन संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) केन्द्रीय क्षेत्र में विद्युत उत्पादन में सुधार करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये जा रहे हैं :–

(1) पुराने और अकुशल विद्युत उत्पादन यूनिटों का नवीकरण एवं आधुनिकीकरण तथा जीवन विस्तार।

(2) अधिशेष क्षेत्रों से कमी वाले क्षेत्रों को विद्युत का निर्मात किये जाने में वृद्धि करना।

(3) ताप विद्युत यूनिटों के खपत भार अनुपातों में समग्र वृद्धि और नई चालू यूनिटों का शीघ्र स्थरीकरण।

(4) 10वीं और 11वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान केन्द्रीय क्षेत्र में क्रमश: 18914 मे०वा० और 26251 मे०वा० क्षमता अभिवृद्धि अनंतिम कार्यक्रम बनाया गया है।

विवरण

राज्य	उत्पादन (मि०यू०) (अप्रैल-जन० 2001)	%
1	2	3
दिल्ली		
केन्द्रीय क्षेत्र	4299	64.7
राज्य क्षेत्र	2350	35.3
कुल	6649	100.0
जम्मू एवं कश्मीर		
केन्द्रीय क्षेत्र	4425	89.7
राज्य क्षेत्र	510	10.3
कुल	4935	100.0
हिमाचल प्रदेश		
केन्द्रीय क्षेत्र	7042	86.4
राज्य क्षेत्र	1109	13.6
कुल	8151	100.0

Scanned by CamScanner

1	2	3
हरियाणा		
केन्द्रीय क्षेत्र	1847	36.8
राज्य क्षेत्र	3178	63.2
कुल	5025	100.0
राजस्थान		
केन्द्रीय क्षेत्र	5376	39.1
राज्य क्षेत्र	8360	60.9
कुल	13736	100.0
पंजाब		
केन्द्रीय क्षेत्र	5069	25.3
राज्य क्षेत्र	14984	74.7
कुल	20053	100.0
उत्तर प्रदेश		
केन्द्रीय क्षेत्र	42167	66.6
राज्य क्षेत्र	21115	33.4
कुल	53282	100.0
गुजरात		
केन्द्रीय क्षेत्र	8977	23.2
राज्य क्षेत्र	21939	56.7
निजी क्षेत्र	7748	20.0
कुल	38664	100.0
महाराष्ट्र		
केन्द्रीय क्षेत्र	1950	3.7
राज्य क्षेत्र	37663	71.4
निजी क्षेत्र	13105	24.9
कुल	52723	100.0
मध्य प्रदेश		
केन्द्रीय क्षेत्र	24718	57.1
राज्य क्षेत्र	18578	42.9
कुल	43296	100.0

1	2	3
आंध्र प्रदेश		
केन्द्रीय क्षेत्र	13560	31.5
राज्य क्षेत्र	26441	61.5
निजी क्षेत्र	3023	7.0
कुल	43024	100.0
कर्नाटक		
केन्द्रीय क्षेत्र	1569	8.3
राज्य क्षेत्र	16270	86.1
निजी क्षेत्र	1062	5.6
कुल	18901	100.0
केरल		
केन्द्रीय क्षेत्र	1595	21.1
राज्य क्षेत्र	5841	77.4
निजी क्षेत्र	113	1.5
कुल	7549	100.0
तमिलनाडु		
केन्द्रीय क्षेत्र	14015	39.3
राज्य क्षेत्र	20631	57.8
निजी क्षेत्र	1053	2.9
कुल	35699	100.0
पांडिचेरी		
केन्द्रीय क्षेत्र	0	0.0
राज्य क्षेत्र	193	100.0
कुल	193	100.0
बिहार		
केन्द्रीय क्षेत्र	7201	70.9
राज्य क्षेत्र	2953	29.1
निजी क्षेत्र	0	0.0
कुल	10154	100.0
उड़ीसा		
केन्द्रीय क्षेत्र	6670	48.2
राज्य क्षेत्र	6448	46.6

1	2	3
निजी क्षेत्र	728	5.3
कुल	13846	100.0
प० बंगाल		
केन्द्रीय क्षेत्र	10151	40.6
राज्य क्षेत्र	9600	38.4
निजी क्षेत्र	5221	20.9
कुल	24972	100.0
सिक्किम		
केन्द्रीय क्षेत्र	288	94.1
राज्य क्षेत्र	18	5.9
कुल	306	100.0
असम		
केन्द्रीय क्षेत्र	1526	63.5
राज्य क्षेत्र	770	32.0
निजी क्षेत्र	108	4.5
कुल	2404	100.0
मेघालय		
केन्द्रीय क्षेत्र	211	27.1
राज्य क्षेत्र	568	72.9
कुल	779	100.0
त्रिपुरा		
केन्द्रीय क्षेत्र	325	55.1
राज्य क्षेत्र	265	44.9
कुल	590	100.0
मणिपुर		
केन्द्रीय क्षेत्र	482	100.0
राज्य क्षेत्र	0	0.0
कुल	482	100.0
नागालैंड		
केन्द्रीय क्षेत्र	72	100.0
राज्य क्षेत्र	0	0.0
कुल	72	100.0
अरुणांचल प्रदेश		
केन्द्रीय क्षेत्र	0	0.0
राज्य क्षेत्र	11	100.0
कुल	11	100.0
अखिल भारत		
केन्द्रीय क्षेत्र	163535	39.4
राज्य क्षेत्र	219800	52.9
निजी क्षेत्र	32161	7.7
कुल	415496	100.0

[हिन्दी]

निजी एजेंसियों द्वारा टिकटों का आरक्षण

1084. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यटन एजेंसियों को रेल विभाग की टिकटों की बिक्री और आरक्षण करने हेतु अनुमति दी जाती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पूर्वी रेलवे के धनबाद मण्डल में ऐसी पर्यटन एजेंसियों की नियुक्ति हेतु एक विज्ञापन प्रकाशित किया गया था; और

(घ) यदि हां, तो नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा न करने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) रेल यात्री सेवा एजेन्टों (आर०टी०एस०ए०) की नियुक्ति, सामान्य यात्री की भांति पंक्ति में खड़े होकर यात्रियों की ओर से रेल आरक्षण कार्यालयों से टिकटें खरीदने के लिए रेल यात्री सेवा एजेंट नियम, 1985 के अनुसार की जाती है;

(ग) जी, हां।

(घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी;

[अनुवाद]

रिक्ति आधारित रोस्टर के स्थान पर पद आधारित रोस्टर

1085. सरदार बूटा सिंह : क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने आर०के० सब्बरवाल बनाम पंजाब राज्य और जे०सी० मल्लिक बनाम रेल मंत्रालय के मामले में यह

निर्णय दिया है कि ''रिक्ति आधारित रोस्टर'' केवल उसी समय तक चल सकता है जब तक आरक्षित श्रेणियों से संबंधित व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व आरक्षण के निर्धारित प्रतिशत तक न पहुंच जाए;

(ख) यदि हां, तो पोत परिवहन मंत्रालय और उसके अधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रम/स्वायत्त/संबद्ध/अधीनस्थ संगठनों के अंतर्गत सेवाओं की श्रेणियों अर्थात् वर्ग I, II, III और IV श्रेणियों की सेवाओं का ब्यौरा क्या है जिनमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व आरक्षण के निर्धारित प्रतिशत तक पहुंच गया है और जिसके परिणामस्वरूप ''रिक्ति आधारित रोस्टर'' के स्थान पर ''पद आधारित रोस्टर'' की शुरूआत की गई है; और

(ग) उन श्रेणियों की सेवाओं में भी ''रिक्ति आधारित रोस्टर'' के स्थान पर ''पद आधारित रोस्टर'' को लागू करने के क्या कारण हैं जिनमें उनका प्रतिनिधित्व निर्धारित आरक्षण प्रतिशत तक नहीं पहुंचा है ?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और लोक सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

बारूदी सुरंगों में विस्फोटक के कारण मौतें

1086. **श्री रामशकल** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान बारूदी सुरंगों के फटने से कितने सैन्यकर्मी मारे गए;

(ख) बारूदी सुरंगें बिछाने के अपराध में कितने व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं;

(ग) क्या इस संबंध में गुप्तचर एजेंसियों ने कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई ?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) 97 सैन्य कार्मिकों के 01 जनवरी, 98 तथा 31 जनवरी, 2001 के बीच बारूदी सुरंग/आई०ई०डी० विस्फोटों में मारे जाने की सूचना है।

(ख) से (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है।

नई रेल परियोजनाओं के लिए आवंटित की जाने वाली धनराशि में कमी

1087. **श्री जयभान सिंह पवैया** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू योजना अवधि के दौरान नई रेल लाइनों के निर्माण हेतु धनराशि के आवंटन में भारी कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस कार्य हेतु पर्याप्त धनराशि का आवंटन सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ग) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

रेल विभाग की भूमि पर अतिक्रमण

1088. **डा० बलिराम** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ मऊ, वाराणसी, जौनपुर, शाहगंज और इलाहाबाद में किन-किन स्थानों पर रेल विभाग की भूमि पर अतिक्रमण हो रखा है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा रेल विभाग की भूमि से अतिक्रमण हटाने हेतु उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त अतिक्रमणों से रेल विभाग की सारी भूमि को कब तक मुक्त करा लिए जाने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) रेलभूमि पर अतिक्रमण निम्नलिखित स्थानों पर ध्यान में आए हैं :–

आज़मगढ़	आजमगढ़ टाउन क्षेत्र
मऊ	मऊ स्टेशन क्षेत्र
वाराणसी	मंडुआडीह, वॉच एण्ड वार्ड कालोनी, स्टेशन क्षेत्र कालोनी, गार्ड रनिंग रूम कालोनी, काशी यार्ड, और काशी-वाराणसी खण्ड के बीच
जौनपुर	जौनपुर टाउन क्षेत्र, और लोको शेड के नजदीक
शाहगंज	समपार सं० 62ए के निकट कालोनी
इलाहाबाद	झूसी, पस्सिया, कालोनी, यातायात कालोनी, नैनी रोड कालोनी, पुलिस लाइन कालोनी, लीडर रोड कालोनी, लोको कालोनी, एस०एफ०जी० कालोनी सं० 1, 2, 3 और जमुना पुल, इलाहाबाद स्टेशन के बीच (किमी० 823-824)

(ख) रेलभूमि से अनाधिकृत निर्माणों को हटाने के लिए स्थानीय प्राधिकारियों और रेल सुरक्षा बल की सहायता से भरसक प्रयास किए गए हैं। विगत तीन वर्षों के दौरान 3445 ऐसे निर्माण हटाए गए हैं।

(ग) रेलभूमि से अतिक्रमण हटाना तक सतत् प्रक्रिया है। नए अतिक्रमण ध्यान में आते ही वे हटा दिए जाते हैं जबकि पुराने अतिक्रमणों को सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के उपबंधों के तहत हटाए जाते हैं। चूंकि इस प्रक्रिया में न्यायिक

Scanned by CamScanner

आदेशों का कार्यान्वयन शामिल होता है। इसलिए अतिक्रिमणों को हटाने के लिए निश्चित तिथि-निर्धारित करना संभव नहीं है।

[अनुवाद]

गैस आधारित विद्युत संयंत्र

1089. **श्री त्रिलोचन कानूनगो :** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्य-वार/स्थान-वार गैस आधारित कितने विद्युत संयंत्र हैं; और

(ख) ऐसे प्रत्येक गैस आधारित विद्युत संयंत्र की क्षमता कितनी है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) और (ख) 31.1.2001 की स्थितिनुसार देश में गैस आधारित विद्युत संयंत्रों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्र०सं०	राज्य/यू०टी०	स्थल	विद्युत परियोजना	क्षमता (मेगावाट)
1	2	3	4	5
उत्तरी क्षेत्र				
1.	हरियाणा	फरीदाबाद	फरीदाबाद (एन०टी०पी०सी०)	430.00
2.	जम्मू एण्ड कश्मीर	श्रीनगर	पाम्पोर	175.00
3.	राजस्थान	रामगढ़ (जैसलमेर)	रामगढ़	38.50
		ऐनटा (बैरन)	ऐनटा (एन०टी०पी०सी०)	413.00
4.	उत्तर प्रदेश	दिब्यापुर, जि० इटावा	औरैया	652.00
		दादरी (गौतम बुद्ध नगर)	दादरी (एन०टी०पी०सी०)	817.00
5.	दिल्ली	आई०पी०इस्टेट, नई दिल्ली	जी०टी० प्लान्ट	282.00
		कुल उत्तरी क्षेत्र		2807.50
पश्चिमी क्षेत्र				
6.	गुजरात	उतरान (सूरत)	उतरान	144.00
		धुवण (आनन्द)	धुवण	54.00
		आदित्य नगर (सूरत)	कवास (एन०टी०पी०सी०)	644.00
		झानूरबड़ौच	गान्धार (एन०टी०पी०सी०)	648.00
		अहमदाबाद	वेतवा	100.00
		हजीरा (सूरत)	हजीरा	515.00
		जि० बरौडा	जी०आई०पी०सी०एल० बरौडा	167.00
		पेगुथान (बडौच)	पेगुथान	655.00
7.	महाराष्ट्र	उरान (रामगढ़)	उरान	912.00
		चेम्बूर (बाम्बे)	टाटा ट्रामबे	180.00
		जिला रतनगिरी	दाभोल	740.00
8.	गोवा	मनकोले	सालगोर	48.00
		कुल पश्चिम क्षेत्र		4807.00

1	2	3	4	5
दक्षिणी क्षेत्र				
9.	आंध्र प्रदेश	कोवूर (पश्चिम गोदावरी)	विजेश्वरन	99.00
		पूर्वी गोदावरी	जेगुरयृपडू	235.40
		काकीनाडा, पूर्वी गोदावरी	गोदावरी	208.00
		जिला कृष्णा	कोन्डापल्ली	350.00
10.	केरला	जिला अलपृजा	कायमकुलम (एन०टी०पी०सी०)	350.00
		कोचीन (इलूर)	कोचीन	174.00
11.	तमिलनाडु	इन्नौर (चेन्नई)	बसीनब्रिज	120.00
		जिला नागापतना	नेगेमनम	10.00
12.	पाण्डीचेरी	करार्टकल (पटीनम)	थ्रायकल	32.50
		कुल दक्षिणी क्षेत्र		1578.90
13.	बिहार	मैथान डैम, धनबाद	मैथून (डी०वी०सी०)	82.5
14.	पश्चिमी बंगाल	सिलीगुड़ी	सिलीगुरी	20.00
		हाल्दिया	हाल्दिया	40.00
		कलकता	कस्बा	40.00
		कुल पूर्वी क्षेत्र		182.05
उत्तरी पूर्वी क्षेत्र				
15.	असम	जिला डिब्रूगढ़	नमरूप	103.50
		मेबेला (शिवसागर)	लकवा	120.00
		गिलेगे (शिवसागर)	मोबिल जोटी सिलेको	9.00
		कैथलगुरी (तिनसुकिया)	कथलगुरी	12.00
		आदम टिला	एडमटिला	9.00
		बसखण्डी	बसखण्डी	15.00
		डिब्रूगढ़	कथलगुरी (निपको)	291.00
16.	त्रिपुरा	हवाईबेरी	बेरमूरा	16.80
		रूखिया	रूखिया	48.00
		रामचन्द्र नगर	अगरतल्ला (निपको)	84.00
		कुल उत्तरी क्षेत्र		708.50
	कुल अखिल भारत			10084.40

[हिन्दी]

प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियां

1090. श्री विजय कुमार खंडेलवाल : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च 2000 तक राज्य-वार कितनी प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियां कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत हैं;

(ख) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान इन सभी कम्पनियों ने अपनी नियमित विवरणी जमा कराई है; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा ऐसी कम्पनियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की जा रही है?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरूण जेटली) : (क) 31 मार्च, 2000 तक, कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियों की राज्यवार संख्या दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 220 के उपबंधों के अनुसार कम्पनियों को रजिस्ट्रारों के पास अपने तुलन-पत्र और लाभ एवं हानि लेखे दायर करने अपेक्षित हैं। जो कम्पनियां कानून का उल्लंघन करती हैं, उनके विरुद्ध शास्तिक कार्रवाई की जाती है। अधिनियम की धारा 220 के अन्तर्गत चूक के लिए वर्ष 1997-98, 1998-99 और 1999-2000 के लिए क्रमशः 3028, 5631 और 4784 अभियोजन दायर किये गए थे।

विवरण

राज्य	31 मार्च, 2000 तक पंजीकृत प्राइवेट लि० कम्पनियों की संख्या
1	2
आन्ध्र प्रदेश	27560
असम	3329
बिहार	7022
गुजरात	30729
हरियाणा	4780
हिमाचल प्रदेश	1516
जम्मू और काश्मीर	1530
कर्नाटक	21846
केरल	10186
मध्य प्रदेश	11372
महाराष्ट्र	105540
मणिपुर	129
मेघालय	213
नागालैण्ड	241
उड़ीसा	4815
पंजाब	11228
राजस्थान	13373
तमिलनाडु	39752
त्रिपुरा	57
उत्तर प्रदेश	17844
पश्चिम बंगाल	60600
अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	9
अरूणाचल प्रदेश	184
चण्डीगढ़	4285
दादरा और नागर हवेली	89
दिल्ली	87227
गोवा	2106
दमन और दीव	71
लक्षद्वीप	1
मिजोरम	26
पाण्डिचेरी	912
कुल योग	468572

[अनुवाद]

जम्मू में बारी-ब्रह्मना छावनी में रेलवे स्टेशन का निर्माण

1091. वैद्य विष्णु दत्त शर्मा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को तीर्थ यात्रियों/यात्रियों और सेना और पुलिस कार्मिकों के आने-जाने के कारण जम्मू रेलवे स्टेशन पर होने वाली भीड़ की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने कोर हेतु जम्मू में बारी-ब्रह्मना में पृथक छावनी रेलवे स्टेशन बनाने का निर्णय लिया है/प्रस्ताव किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (घ) जम्मू एक महत्वपूर्ण स्टेशन है जहां पर महत्वपूर्ण यात्री यातायात सम्हाला जाता है। जम्मू में यात्री सम्हलाई सुविधाएं अर्थात् प्लेटफार्म आदि यातायात की आवश्यकतानुसार बढ़ाए जा रहे हैं। जम्मू में मौजूदा तथा योजनाबद्ध सुविधाएं इस स्टेशन पर यातायात के वर्तमान और अनुमानित स्तर के लिए पर्याप्त समझी जाती हैं।

बारी ब्रह्मना एक मौजूदा रेलवे स्टेशन है। इस स्टेशन पर सुविधाओं का और अधिक विकास इस स्तर पर आवश्यक नहीं समझा जाता है।

[हिन्दी]

विश्व बैंक की सहायता से यात्री निवास/होटल खोलना

1092. **डा० मदन प्रसाद जायसवाल** : क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास विश्व बैंक की सहायता से विभिन्न राज्यों में नए होटल, यात्री निवास खोलने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान-वार ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

भारत डायनामिक्स लिमिटेड द्वारा पूर्ति आदेश का अनुपालन न करना

1093. **श्री रामजी मांझी** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेना मुख्यालय ने भारत डायनामिक्स लिमिटेड से मार्च 1996 तक आपूर्ति किए जाने वाले 2000 कोंकर मिसाइलों की खरीद हेतु एक मांगपत्र इस शर्त पर दिया था कि आपूर्तिकर्ता से 1/2 प्रतिशत की दर से निर्धारित क्षतिपूर्ति की जाएगी;

(ख) यदि हां, तो क्या आपूर्तिकर्ता निर्धारित समयावधि में मिसाइलों की आपूर्ति नहीं कर सका;

(ग) यदि हां, तो क्या आपूर्तिकर्ता पर निर्धारित क्षतिपूर्ति का दावा किया गया;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या उत्तरदायी पाए गए अधिकारियों पर जिम्मेदारी निर्धारित करने और उनसे अग्र प्रभार वसूल करने हेतु कोई प्रस्ताव है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) से (च) वर्ष 1995-96 के दौरान 2000 अदद कोंकर प्रक्षेपास्त्रों की आपूर्ति के लिए मैसर्स भारत डायनामिक्स लिमिटेड, हैदराबाद को दिनांक 28 मार्च 1995 का मांगपत्र सं० 9एम-113/कोंक/09/95 दिया गया था। मांगपत्र के अनुसार संविदाकार द्वारा प्रक्षेपास्त्रों की यथा-सम्मत अथवा निर्धारित अथवा विस्तारित समय, जैसा भी मामला हो, के भीतर सुपुर्दगी न किए जाने पर खरीदार, यदि चाहे तो, संविदाकार से प्रत्येक सप्ताह के लिए ऐसे किसी भी उपस्कर की कीमत की आधा प्रतिशत धनराशि, अथवा अधिकतम 5% के अध्यधीन धनराशि अर्थ दंड के तौर पर नहीं बल्कि उसके साथ यथा-सम्मत निर्धारित क्षतिपूर्ति की वसूली का हकदार होगा जिसकी सुपुर्दगी संविदाकार द्वारा निर्धारित समय के भीतर नहीं की जाती है। तथापि, खरीदार द्वारा किसी भी परेषण पर निर्धारित क्षतिपूर्ति की वसूली आरंभ किए जाने से पूर्व तीन माह की रियायत दी जाएगी।

मैसर्स भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने मांगपत्र पर वर्ष 1995-96 के दौरान 1156 अदद प्रक्षेपास्त्रों की आपूर्ति की तथा 31 मार्च 1996 तक शेष 844 प्रक्षेपास्त्रों की आपूर्ति की जानी बाकी थी। मैसर्स भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने शेष 844 प्रक्षेपास्त्रों की आपूर्ति के लिए समय सीमा बढ़ाए जाने के संबंध में रक्षा मंत्रालय के साथ मामला उठाया। परिस्थितियों तथा रक्षा क्षेत्र के इस सार्वजनिक उपक्रम द्वारा दिए गए औचित्य संबंधी स्पष्टीकरण के मद्देनजर निर्धारित क्षतिपूर्ति की वसूली किए बिना शेष प्रक्षेपास्त्रों की आपूर्ति किए जाने के लिए समय सीमा बढ़ाए जाने संबंधी उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया गया था।

संसाधनों के आधुनिकीकरण और संग्रहण हेतु उपाय

1094. **श्री विजय गोयल** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने रेलवे के लिए "नई दृष्टि" लाने और आधुनिकीकरण और संसाधन जुटाने के लिए उपाय सुझाने के लिए दूरसंचार विशेषज्ञ सैम पित्रोदा की सेवाओं की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो इस दूर संचार विशेषज्ञ की सेवाएं कब तक मिलने की सम्भावना है;

(ग) क्या इस विषय पर एक समिति पहले से ही कार्य कर रही है और क्या यह एक दुहरा कार्य है;

(घ) यह समिति कब से यह काम कर रही है और इस समिति के कुल कितने सदस्य है;

(ङ) क्या उक्त समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है; और

(च) यदि हां, तो उस समिति में की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है और उन पर क्या कार्रवाई की गई है ?

Scanned by CamScanner

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) जी हां, रेल प्रणाली के आधुनिकीकरण की एक व्यापक प्रक्रिया आरंभ करने एवं संसाधन जुटाने के लिए एक नई पहल करने तथा राजस्व सृजन के लिए रेल परिसंपत्तियों के विकास हेतु अर्थोपाय भी सुझाने के लिए 6.2.2001 सैम पित्रोदा की अध्यक्षता में एक सलाहकार समिति का गठन किया गया है जिसमें दो अन्य सदस्य हैं।

(ग) से (च) वित्तपोषण की आवश्यकताओं की जांच करने, अनुमानित निवेशों के वित्तपोषण के स्रोतों की पहचान करने और रेल परिवहन सुविधाओं की संरचना एवं स्वामित्व के मॉडलों के अध्ययन आदि के लिए देश में रेल परिवहन के उपयोग को इष्टतम बनाने के लिए डॉ० राकेश मोहन, महानिदेशक, राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिकी अनुसंधान परिषद की अध्यक्षता में 31.12.98 को एक अन्य रेल विशेषज्ञ दल का गठन किया है जिसमें वित्तीय संस्थानों, उद्योग, आर्थिकी अनुसंधान केन्द्रों के 17 सदस्य शामिल हैं। इस रेल विशेषज्ञ दल ने 17.2.2001 को रेल मंत्रालय में एक अंतरिम कार्यकारी संक्षेप (एक्जीक्यूटिव समरी) प्रस्तुत किया है। इसका अध्ययन किया जा रहा है।

यार्ड में माल डिब्बों को रोकना

1095. **श्री राधा मोहन सिंह :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डिब्बों को यार्डों और स्टेशन की ''साईडिंग'' पर रोक कर रखा जाता है जिससे रेलवे को भारी वित्तीय घाटा हो रहा है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष और चालू वर्ष के दौरान अब तक इस संबंध में कुल कितना नुकसान हुआ; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

विद्युत वित्त निगम

1096. **मोहम्मद शहाबुद्दीन :** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान अनेक विद्युत बोर्डों की गिरती आर्थिक स्थिति की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विद्युत वित्त निगम ने न्यूनतम प्रत्याशित आय की दर जो निवेश की गई पूंजी का तीन प्रतिशत है, की तुलना में इन विद्युत बोर्डों की आय की दर को नकारात्मक पाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या विद्युत वित्त निगम ने इन विद्युत बोर्डों को वित्तीय सहायता देने हेतु कुछ शर्तें निर्धारित की हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) बड़ी विद्युत परियोजनाओं को सरकार और विद्युत वित्त निगम द्वारा गारंटी देने से इंकार कर देने के बाद गैर-सरकारी क्षेत्र की किन-किन विद्युत परियोजनाओं को रद्द किए जाने की संभावना है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) जी, हां।

(ख) रा०वि० बोर्डों की लाभ/हानि स्थिति को दर्शाने वाला एक ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) और (घ) अधिकांश रा०वि०बो० अपनी निवल निर्धारित विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 के अंतर्गत परिसम्पत्ति पर न्यूनतम अपेक्षित 3% की लाभांश दर प्राप्त करने में सक्षम नहीं है। रा०वि० बोर्डों ने 1999-2000 के दौरान की पूंजी पर सामूहिक रूप से (–) 19% ऋणात्मक लाभांश दर दर्शायी है। आर०ओ०आर० की राज्य-वार स्थिति विवरण-II में दी गई है।

(ङ) पी०एफ०सी० की प्रचालनात्मक नीति विवरण के अनुसार राज्य विद्युत क्षेत्र के लिए वित्तीय सहायता के पात्रता मानदंड में शामिल है :–

– सस्ता सहबद्ध मानदंड

– परियोजना/स्कीम सहबद्ध मानदंड

स्कीम के ब्यौरे विवरण-III में दिए गए हैं।

बहरहाल, विद्युत क्षेत्र सुधारों पर भारत सरकार के साथ समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर के मामले में मानदंड में शिथिलता बरती जा सकती है। इसके अलावा त्वरित विद्युत विकास कार्यक्रम के अंतर्गत निष्कर्ष सुधार आरंभ करने के लिए सहमत लाभार्थी राज्यों पर निर्भर है।

(च) प्रचालनात्मक तथा वित्तीय स्वास्थ्य में सुधार के लिए प्रतिबद्ध राज्य विद्युत यूटिलिटियों की सूची विवरण-IV में दी गई है।

(छ) भारत सरकार अथवा पी०एफ०सी० से गारंटी अनुपलब्धता के कारण परियोजनाओं को निरस्त करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण-I

वाणिज्यिक लाभ/हानि (बिना सब्सिडी के)

(करोड़ रुपये में

	1992-93 वास्तविक	1993-94 वास्तविक	1994-95 वास्तविक	1995-96 वास्तविक	1996-97 वास्तविक	1997-98 अनंतिम	1998-99 (आर०ई०)	1999-2000 (ए०पी०
आंध्र प्रदेश	-4	-23	-981	-1255	-939	-1376	-2263	-2703
असम	-205	-197	-255	-261	-225	-411	-306	-336
बिहार	-280	-190	-189	-211	-442	-496	-514	548
दिल्ली (डीवीबी)	-207	-	0	578	-626	-760	-961	794
गुजरात	-519	-493	-550	-1003	-1069	-1274	-1440	-1498
हरियाणा	-404	-507	-468	554	-625	765	532	502
हिमाचल प्रदेश	2	-51	19	11	17	10	-33	4
जम्मू व कश्मीर	-225	-293	-347	-363	-507	-662	-643	-347
कर्नाटक	-19	-2	-164	-502	-652	-331	-604	-365
केरल	-65	-75	-129	-183	-208	199	-162	-451
मध्य प्रदेश	-493	-377	-594	-602	-464	-941	-1288	-1966
महाराष्ट्र	162	189	276	-408	-92	-11	115	214
मेघालय	-8	-3	-21	20	158	286	105	204
उड़ीसा	-85	-196	-136	231	-344	-287	-405	186
पंजाब	-626	-693	-681	-644	-606	-979	-1381	-1223
राजस्थान	-260	-415	-412	-430	-269	-386	577	-882
तमिलनाडु	258	-302	-2	77	257	318	-885	709
उत्तर प्रदेश	-808	-1202	-1152	1136	-1821	-1853	-1991	-2142
पश्चिम बंगाल	-258	-231	-339	-322	-387	-492	-692	-675
कुल	-4560	-5060	-6125	-8770	-9357	-11246	-14458	14913

विवरण-II

पूंजी की लाभांश दर (बिना सब्सिडी के)

	1992-93 वास्तविक	1993-94 वास्तविक	1994-95 वास्तविक	1995-96 वास्तविक	1996-97 वास्तविक	1997-98 अनंतिम	1998-99 (आई०)	1999-2000 (ए०पी०
	1	2	3	4	5	6	7	8
आंध्र प्रदेश	-0.20	-0.60	-22.30	-28.80	21.80	-33.95	-50.15	-56.66
असम	-43.30	-47.30	-25.70	-32.10	-25.39	-38.88	-28.02	-29.39

	1	2	3	4	5	6	7	8
बिहार	-20.00	-12.70	-19.00	-12.90	27.57	32.66	35.29	34.36
दिल्ली (डीवीबी)	-26.20	उ०न०	उ०न०	-29.90	27.75	-28.58	-32.52	-23.30
गुजरात	-16.50	-14.60	-14.30	-24.90	-25.70	-27.83	-30.16	-34.51
हरियाणा	-26.10	-31.20	-27.90	-31.80	-38.35	-47.79	-33.27	-31.34
हिमाचल प्रदेश	0.50	14.90	-2.50	2.60	3.34	1.58	-4.56	-0.48
जम्मू व कश्मीर	-39.10	-50.10	-51.70	-48.20	-56.65	-60.00	-51.64	24.07
कर्नाटक	-2.00	-0.20	-11.40	-29.40	36.16	-17.00	27.09	-14.24
केरल	-11.40	-11.40	-17.90	-24.10	-19.11	-17.05	-9.44	-19.29
मध्य प्रदेश	-14.60	-9.60	-13.50	-14.30	-10.99	-23.04	-30.47	-48.18
महाराष्ट्र	3.10	3.10	4.10	-5.30	-1.20	-0.14	1.37	2.22
मेघालय	7.90	-4.00	-6.90	-9.60	74.92	140.68	48.84	89.27
उड़ीसा	-8.70	13.50	-10.20	21.50	-17.57	-14.85	-21.44	-8.61
पंजाब	-19.90	-20.90	-19.40	-21.10	-18.27	-33.21	-46.76	-29.93
राजस्थान	-11.40	17.90	-19.10	-16.00	-10.36	-13.81	-20.07	-21.92
तमिलनाडु	-8.80	-9.70	-0.10	-1.90	-5.40	-5.23	-14.19	-11.01
उत्तर प्रदेश	-16.70	-17.80	-12.20	-9.60	-14.09	13.21	-13.47	-12.88
पश्चिम बंगाल	-35.30	-29.70	-42.20	-56.10	-41.00	-45.34	-58.50	-45.26
औसत	-12.70	-12.30	-13.10	-16.40	-14.67	-16.79	-58.50	-18.98

विवरण-III

विद्युत वित्त निगम की प्रचालन नीति के अनुसार राज्य विद्युत क्षेत्र को उपलब्ध कराई जाने वाली वित्तीय सहायता हेतु योजना के **ब्यौरे** का विवरण :

पहचान संबंधी मानदंड

- पी०एफ०सी० नीति के अनुसार एक्सपोजर सीमाओं की उपलब्धता
- तत्काल पूर्व वित्तीय वर्ष के प्रारंभिक वर्ष के लिए रिटर्न पर 12% की इक्विटी अथवा निवल स्थिर मदों पर 5%, यूटिलिटी आर०ओ०आर० प्राप्त करे।
- यूटिलिटी पी०एफ०सी० के संबंध में दोषी न हो।

परियोजना/स्कीम संबंधी मानदंड

वित्तीय सहायता उन परियोजनाओं/स्कीमों को उपलब्ध कराई गयी जो **कि** निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करती हैं :-

- 12% की अपेक्षा लाभांश की इकनॉमिक दर न हो (जो भी लागू हो) तकनीकी-आर्थिक रूप से वित्त पोषित हो;
- विकल्प चयन हेतु, लागत समाधान की उपलब्धता, तकनीकी रूप से पोषित एवं व्यावहारिक हो;
- राज्य/क्षेत्र/देश की स्कीमों के विस्तार एवं अखंड विद्युत विकास के अनुरूप हो;
- पर्यावरण मार्गदर्शन, मानदंड एवं शर्तों का अनुपालन;
- योजनाएं अपेक्षित स्वीकृतिबद्ध हों;
- परियोजनाओं के प्रचालन एवं कार्यान्वयन हेतु सभी प्रकार के निवेश संकीर्ण हैं और उचित प्रापण एवं कार्यान्वयन हेतु योजना तैयार की गई है।

अपारम्परिक ऊर्जा परियोजनाओं एवं आर एंड डी संचार एवं कम्प्यूटरीकरण, भार प्रेषण, मोटरीकरण, पर्यावरण उच्चीकरण के मामले में 12% की लाभांश दर पर (आर्थिक एवं वित्तीय) जोर न दिया जाये।

विवरण-IV

ओ०एफ०ए०पी० की सूची

रा०वि०बो०

पंजाब	हिमाचल प्रदेश	गुजरात	महाराष्ट्र
मध्य प्रदेश	तमिलनाडु	केरल	पश्चिम बंगाल
असम			

राज्य विद्युत उत्पादन निगम

ओ०पी०जी०सी०एल०	ओ०एच०पी०सी०एल०	टी०वी०एन०एल०	डी०पी०एल०
डब्ल्यू०बी०पी०डी०सी०एल०	बी०एस०एच०पी०सी०एल०	जे०के०पी०डी०सी०एल०	आर०आर०वी०यू०एन०एल०

राज्य पारेषण निगम

ग्रिडको	के०पी०टी०सी०एल०

राज्य विद्युत विभाग

मणिपुर	मिजोरम	नागालैंड	सिक्किम
जम्मू व कश्मीर	गोवा		
म्यूनिसिपल यूटिलिटी			
चेस्ट			
स्वायत्तशासी निकाय			
डी०वी०सी०			

[अनुवाद]

महत्वपूर्ण रक्षा सड़कों का प्रशासनिक नियंत्रण

1097. **श्री के०ए० सांगतम** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागालैंड में रक्षा कार्मिकों ने भारत म्यांमार सीमा के साथ वाले अत्यधिक महत्वपूर्ण रक्षा सड़कों का प्रशासनिक नियंत्रण सौंपने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है और विशेषकर पड़ौसी देशों के बीच युद्ध न करने के किसी समझौते पर हस्ताक्षर न होने की स्थिति में इसके क्या कारण हैं; और

(ग) किसी सम्भाव्य घटना घटने की दशा में इस स्थिति से निपटने के लिए क्या रणनीति तैयार की गई है ?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज़) : (क) से (ग) सीमा सड़क संगठन द्वारा नागालैंड में कई सड़कों का निर्माण/अनुरक्षण किया जा रहा है। नागालैंड में भारत-म्यांमार सीमा पर ऐसी चार सड़कों को राज्य के लोक निर्माण विभाग को सौंपे जाने के लिए अनुमोदित कर दिया गया है :–

(क) सड़क तुएंसांग – किपहायर

(ख) सड़क तुएंसांग – मोन

(ग) सड़क नुनहिबोतो – किपहायर (निर्माणाधीन है तथा कार्य पूरा हो जाने पर इसे राज्य के लोक निर्माण विभाग को सौंप दिया जाएगा।)

(घ) सड़क अखेग्वो – किपहायर

सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण संक्रियात्मक आवश्यकता को देखते हुए सीमा सड़क संगठन द्वारा किया जाता है। धन की उपलब्धता, नई सड़कों के निर्माण की आवश्यकता, अनुरक्षण एजेंसी की उपलब्धता और हमारी संक्रियात्मक जरूरतों पर नजर रखने के लिए समय-समय पर समीक्षा की जाती है। ऐसी समीक्षा के बाद ही आगे अनुरक्षण के लिए अन्य एजेंसियों को कुछ सड़कें सौंपे जाने का निर्णय लिया जाता है।

स्वायत्त निकायों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की नियुक्ति/तैनाती

1098. **श्री प्रवीण राष्ट्रपाल :**
श्री रामजी लाल सुमन :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार इस मंत्रालय के सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों, स्वायत्त निकायों, सांविधिक संगठनों और सम्बद्ध कार्यालयों के अध्यक्ष/अध्यक्ष सह-प्रबंध निदेशक, सरकारी और गैर-सरकारी सदस्य के रूप में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय के व्यक्तियों को पर्याप्त संख्या में तैनात करने/नियुक्त करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) विद्युत मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन विभिन्न स्वायत्त निकायों और ऐसे संगठनों में प्रबंधन बोर्डों/शासी परिषदों के अध्यक्ष/अध्यक्ष सह-प्रबंध निदेशक और सरकारी और गैर सरकारी सदस्यों के स्तर पर कुल कितने पद हैं और 1 जनवरी, 1996 और 1 जनवरी, 2000 की स्थिति के अनुसार ऐसे पदों पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कुल कितने व्यक्ति कार्यरत हैं ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) और (ख) मंत्रालय के संबद्ध सार्वजनिक, क्षेत्र के उपक्रमों के प्रबंधन/प्रशासी परिषद स्वायित्व सांविधिकी संगठनों/सम्बद्ध कार्यालयों के प्रधानों/सी०एम०डी० तथा सरकारी/गैर सरकारी सदस्यों के पदों पर नियुक्ति/तैनाती के लिये अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के लिये कोई भी आरक्षण नहीं है। उपर्युक्त पद की नियुक्ति/तैनाती के विचारार्थ के समय अन्य के साथ इस समुदाय के सदस्यों को भी रखा जायेगा।

(ग) विद्युत मंत्रालय के अधीन सांविधिक स्वायत्त/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विभिन्न निकायों में कार्यरत, निदेशकों/सदस्यों के 140 पद तथा प्रधान/मुख्य प्रबंधक निदेशकों के 15 पद हैं। विद्युत मंत्रालय के अधीन सांविधक/स्वायत्त, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के गवर्निंग कौंसिल/भेजे जाने है, बोर्डों के 17 गैर सरकारी निदेशक/सदस्य एवं 77 कर्मचारी हैं। 1.1.2000 और 1.1.96 को इन पदों के विरुद्ध नामित/नियुक्ति/तैनाती अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति समुदायों के लोगों की संख्या के संबंध में किसी भी प्रकार के रिकॉर्ड का रख रखाव नहीं किया जाता है चूंकि अनु० जाति/अनुसूचित जनजाति के लिये कोई आरक्षण नहीं है।

रिक्ति आधारित रोस्टर

1099. **श्री शमशेर सिंह दूलो** : क्या पर्यटन और संस्कृतिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "रिक्ति आधारित रोस्टर" आरक्षित श्रेणियों से संबंधित लोगों का प्रतिनिधित्व आरक्षण को निर्धारित प्रतिशत तक पहुंचने के समय तक ही लागू रह सकते हैं;

(ख) यदि हां, तो आपके मंत्रालय और इसके उपक्रमों/स्वायत्त/सम्बद्ध/अधीनस्थ संगठनों के तहत प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के किन वर्गों में रिक्ति आधारित रोस्टरों के स्थान पर पद आधारित रोस्टर शुरू किए गए हैं; और

(ग) उन सेवा श्रेणियों में रिक्ति आधारित रोस्टर शुरू करने के क्या कारण हैं ?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृतिक मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है।

पावरग्रिड कार्पोरेशन को एशियाई विकास बैंक का ऋण

1100. **श्री गुथा सुकेन्दर रेड्डी** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एशियाई विकास बैंक ने देश में अंतर्राज्यीय और अंतर्क्षेत्रीय पारेषण प्रणाली हेतु भारतीय पावर ग्रिड कारपोरेशन लि० को 250 मिलियन डालर देने का अनुमोदन कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय पावर ग्रिड कारपोरेशन द्वारा ऋण का उपयोग करने के लिए कोई ठोस कदम उठाए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) एशियाई विकास बैंक द्वारा कितना ऋण प्रदान किया गया और किन-किन परियोजनाओं पर यह ऋण खर्च किया जाएगा और इस ऋण से अब तक कौन-कौन सी परियोजनाएं पूरी की गई हैं ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (घ) एडीबी द्वारा हाल ही में 250 मिलियन अमरीकी डॉलर का ऋण मंजूर किया गया है। ऋण 10 जनवरी, 2001 से प्रभावी हो गया है। पावरग्रिड निम्नांकित कार्यों हेतु इस ऋण का उपयोग करेगा :

(i) अतिरिक्त विद्युत अतरण, प्रणाली विश्वसनीयता में सुधार और विद्युत संयंत्रों के कुशल उपयोग को बढ़ाने हेतु 400 के०वी०, 220 के०वी० तथा 132 के०वी० पारेषण प्रणालियों का उन्नयन एवं विस्तार। इस श्रेणी की परियोजनाओं में शामिल हैं : पूर्वी तथा पश्चिमी क्षेत्रों के बीच अंत: क्षेत्रीय सम्पर्क, गोवा (कोल्हापुर, मपुसा पारेषण प्रणाली) के लिए ग्रिड सुदृढ़ीकरण, दक्षिणी क्षेत्र के लिए ग्रिड सुदृढ़ीकरण और भारत तथा बांग्लादेश के बीच अंत: संबंध सुदृढ़ीकरण।

(ii) केन्द्रीय विद्युत यूटीलिटीज तथा स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों के विद्युत केन्द्रों द्वारा उत्पादित विद्युत का निकासी के लिए 400 के०वी० तथा 220 के०वी० पारेषण प्रणालियों की स्थापना। इस श्रेणी की परियोजनाएं ये हैं :- कवास-2, अंता-2 तथा गांधार-2 जी०बी०पी० पी०एस०, रामागुण्डम-3 परियोजना तथा ताला एच०ई०पी० पारेषण प्रणाली।

पारेषण परियोजनाओं के पूरा होने में 2-3 वर्ष का समय लगेगा। पावरग्रिड ने पहले ही कोल्हापुर-मपुसा तथा पूर्व-पश्चिम अंत: संयोजन के लिए पुरस्कार रखे हैं। चूंकि यह सैक्टर लोन अतएव पावरग्रिड के पास अन्य परियोजनाओं के ऋणों को भी उपयोग में लाने में छूट है बशर्ते कि ए०डी०बी० का अनुमोदन प्राप्त हो।

पश्चिमी महाराष्ट्र हेतु रेलवे विकास निगम की स्थापना

1101. **श्री चन्द्रकांत खैरे :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार से विदर्भ और मराठवाड़ा क्षेत्रों को शामिल करते हुए पश्चिमी महाराष्ट्र हेतु रेल विकास निगम की स्थापना करने का अनुरोध किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) रेल मंत्रालय को मराठवाड़ा क्षेत्र के लिए एक अलग रेलवे विकास निगम स्थापित करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) रेल मंत्रालय ऐसे प्रस्ताव पर विचार करने के लिए सहमत है बशर्ते कि ऐसे प्रस्ताव राज्य सरकार से प्राप्त हों तथा यह कर्नाटक राज्य में अर्थक्षम योजनाओं को शुरू करने के लिए कर्नाटक सरकार के प्रस्तावित निगम की तर्ज पर हो।

जलमार्गों के विकास हेतु समिति

1102. **श्री प्रभात सामन्तराय :** क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सड़क परिवहन पर बढ़ते दबाव पर काबू पाने के लिए समुद्र और नदी परिवहन को प्रोत्साहन देने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने देश में तटीय पोत परिवहन का विकास करने के लिए तटीय पोत परिवहन द्वारा लाए जाने वाले कोयले, इस्पात और उर्वरकों की मात्रा के आकलन हेतु एक उच्च स्तरीय समिति नियुक्त की है;

(ग) यदि हां, तो उच्च स्तरीय समिति द्वारा इस संबंध में क्या अर्थोपाय सुझाए गए हैं;

(घ) देश में इस समय कुल कितने राष्ट्रीय जलमार्ग हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा देश में और अधिक ऐसे जलमार्गों और तटीय पोत परिवहन के विकास हेतु क्या भावी कार्यनीति तैयार की गई है ?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) कोयला, इस्पात और उर्वरक मंत्रालयों में तटीय नौवहन द्वारा ढोए जाने वाले कोयला, इस्पात और उर्वरकों की मात्रा के आकलन के लिए कार्यदलों का गठन किया गया था। कोयला मंत्रालय के कार्यदल ने मुख्यत: कोयला की ढुलाई के लिए अंतर्देशीय जलमार्गों और तटीय नौवहन के विकास के लिए पर्याप्त प्रावधान किए जाने की सिफारिश की है जबकि इस्पात मंत्रालय के कार्यदल ने सिफारिश की है कि एन०सी०ए०ई०आर० द्वारा प्रस्तावित अध्ययन को ध्यान में रखते हुए लौह और इस्पात उत्पादों के अंतर्देशीय जल परिवहन और तटीय नौवहन की साध्यता के संबंध में अभी कोई विशिष्ट सिफारिश नहीं की जा सकती। उर्वरक विभाग के कार्यदल ने तटीय नौवहन और अंतर्देशीय जलमार्ग यातायात के मार्गों के अभिनिर्धारण की संभावना का पता लगाने की सिफारिश की है।

(घ) और (ङ) राष्ट्रीय जलमार्गों के रूप में घोषित किए जाने के लिए अभिनिर्धारित 10 प्रमुख जलमार्गों में से अब तक निम्नलिखित 3 जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग सं० 1, 2 और 3 के रूप में घोषित किया गया है :–

(i) राष्ट्रीय जलमार्ग सं० 1 – इलाहाबाद से हल्दिया तक गंगा-भागीरथी-हुगली नदी प्रणाली (1620 कि०मी०)

(ii) राष्ट्रीय जलमार्ग सं० 2 – धुबरी से सैदिया तक ब्रह्मपुत्र (891 कि०मी०) और

(iii) राष्ट्रीय जलमार्ग सं० 3 – चम्पाकारा और उद्योग मंडल नहरों के साथ-साथ कोट्टापुरम से कोल्लाम तक पश्चिमी तटीय नहर (205 कि०मी०)।

उपर्युक्त राष्ट्रीय जलमार्गों का विकास भा०अं०ज०प्रा० द्वारा संसाधनों की उपलब्धता के अध्यधीन नौचालन सुविधाएं, चैनल, टर्मिनल आदि जैसी बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था करके किया जा रहा है।

शेष सात जलमार्गों पर तथा बराक नदी, पूर्वी तटीय नहर डी०वी०सी० नहर और काकीनाडा-मरकेनम नहर पर तकनीकी-आर्थिक साध्यता अध्ययन किए गए हैं और यह पाया गया है कि इन जलमार्गों में अंतर्देशीय जल परिवहन के विकास की संभावनाएं हैं। तथापि, इन जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित करना तथा बाद में उनका विकास धनराशि की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

सरकार ने अभी हाल में तटीय मार्गों, और वापसी कार्गों सहित कार्गों की उपलब्धता, पत्तनों में अवसंरचना के विकास तथा जहां व्यवहारिक हो तटीय नौवहन और अंतर्देशीय जल परिवहन के एकीकरण के बारे में एक अध्ययन करने का निर्णय लिया है। उपर्युक्त अध्ययन पर निगरानी रखने के लिए एक संचालन दल भी गठित किया गया है।

तेल क्षेत्र पर बिक्री कर

1103. **कर्नल (सेवानिवृत्त) सोनाराम चौधरी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 8 जनवरी, 2000 के "दि हिन्दुस्तान टाइम्स" में "हैफ्टी सेल्स टैक्स क्रिएट्स एनोमली इन आयल सेक्टर" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार को नाफ्था और फरनेस आयल जो 16 से 30 प्रतिशत है, जिसके परिणामस्वरूप आयात बहुत सस्ता हो गया है, की घरेलु बिक्री पर बिक्री कर कम करने हेतु तेल कम्पनियों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

Scanned by CamScanner

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार नाफ्था और फरनेस आयल की घरेलू बिक्री पर बिक्री कर कम करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) जी हां।

(ग) और (घ) बिक्री कर राज्य का विषय है और यह संबंधित राज्य सरकारों द्वारा प्रशासित है। बिक्री कर की दरें राज्य दर राज्य अलग-अलग होती हैं।

घटिया इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के कारण बिजली की बर्बादी

1104. **श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या घटिया इलेक्ट्रानिक उपकरणों और यंत्रों के कारण भारी मात्रा में बिजली की बर्बादी होती है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उपकरणों और यंत्रों तथा ऊर्जा लेबलिंग हेतु ऊर्जा उपभोग के मानक और मानदण्ड निर्धारित करने के लिए एक उच्च स्तरीय केन्द्रीय निकाय स्थापित करने के लिए कोई विधिक रूपरेखा तैयार की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) गत एक वर्ष के दौरान सरकार ने ऊर्जा संरक्षण और विकास तथा उन्नत प्रौद्योगिकियों के संबंध में जागरूकता बढ़ाने के लिए कुल कितना व्यय किया है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयंवती मेहता) : (क) से (घ) ऊर्जा के अकुशल उपयोग और निम्नस्तरीय उपकरणों/उपस्करों के कारण बड़ी मात्रा में विद्युत की हानि होती है। ऊर्जा क्षमता तथा संरक्षण प्रोत्साहन के लिए सरकार ने लोकसभा में ऊर्जा संरक्षण विधेयक, 2000 पेश किया है। विधान में मौजूदा ऊर्जा प्रबंधन केन्द्र (ई०एम०सी०) के विलयन के जरिए ऊर्जा क्षमता ब्यूरो (बी०ई०ई०) स्थापना की व्यवस्था है, विधान से सरकार ये उपाय कर सकेगी :

(क) किसी उपकरण, उपस्कर जो ऊर्जा खपत, उत्पादन पारेषण अथवा आपूर्ति से जुड़ा है, के लिए प्रक्रिया तथा ऊर्जा खपत मानदण्ड विनिर्दिष्ट करना।

(ख) विनिर्दिष्ट उपकरणों अथवा उपस्कारों के उत्पादन, बिक्री अथवा खरीद को तब तक रोकना, जब तक उपकरण अथवा उपस्कर खपत मानकों के अनुरूप न हो;

(ग) ऐसे ब्यौरो को लेबल पर उपकरण अथवा विनिर्दिष्ट उपस्कर पर प्रत्यक्ष रूप से दर्शाना।

ऊर्जा खपत के मानकों को तय करते समय सहभागिता का दृष्टिकोण अपनाया जाना प्रस्तावित है।

सरकार ने 1999-2000 के दौरान ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रम पर 2.75 करोड़ रु० व्यय किए।

रेलगाड़ी सेवा को रद्द किया जाना

1105. **श्री सुरेश रामराव जाधव** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल विभाग ने 1997 में सिकन्दराबाद/मुधखेड़ खंड के बीच 561/562 सवारी रेल गाड़ी सेवा (पैसेंजर ट्रेन सर्विस) बंद कर दी थी;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार सेवा को पुन: शुरू करने का है; और

(ग) यदि हां, तो उक्त रेलगाड़ी के कब तक पुन: शुरू किए जाने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

"स्क्रैप" का निपटान

1106. **श्री किरीट सोमैया** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या "स्क्रैप" के निपटान की निगरानी रखने के लिए रेल विभाग के स्क्रैप प्रबंधन दल हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 2000 के दौरान विभिन्न क्षेत्रों के रेल विभागों ने स्क्रैप बेचकर कुल कितना राजस्व सृजित किया;

(घ) उक्त अवधि के दौरान रेल विभाग के प्रत्येक जोन ने स्क्रैप की कितनी मात्रा बेची; और

(ङ) रेल विभाग बेहतर स्क्रैप प्रबंधन हेतु क्या कदम उठा रहा है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) क्षेत्रीय रेलों पर स्क्रैप प्रबंधन दल में भंडार, सिविल इंजी०, यांत्रिक इंजी०, बिजली इंजी० विभागों आदि के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी शामिल होते हैं और इसकी अध्यक्षता अपर महाप्रबंधक द्वारा की जाती है।

(ग) और (घ) एक विवरण संलग्न है।

(ङ) स्क्रैप का निपटान सार्वजनिक निलामी विज्ञाप्ति निविदाओं के माध्यम से किया जाता है। स्क्रैप निपटान कार्यक्रम का समाचार

पत्रों में व्यापक प्रचार किया जाता है। कोई भी संभावित बोलीदाता निलामी में भाग ले सकता है। शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने के लिए स्क्रैप निपटान से संबंधित सभी गतिविधियों पर क्षेत्रीय रेलों के अपर महाप्रबंधक द्वारा उच्च स्तर पर कड़ी निगरानी रखी जाती है।

विवरण

(ग) और (घ) जनवरी से दिसंबर 2000 के दौरान क्षेत्रीय रेलों द्वारा किए गए स्क्रैप निपटान का मूल्य और निपटान की मात्रा नीचे दी गई है

रेलवे	पटरियों सहित लौह स्क्रैप (एम०टी० में)	अलौह स्क्रैप (एम०टी० में)	मालडिब्बे (चौपहिया, इकाइयों में)	सवारी डिब्बे (नं० में)	रेल इंजन (नं० में)	कुल बिक्री मूल्य (करोड़ रुपयों में)
1	2	3	4	5	6	7
मध्य	212524	1175	6758	241	37	209.76
पूर्व	84271	1288	1880	167	80	93.34
उत्तर	136325	613	4207	327	31	149.99
पूर्वोत्तर	45149	355	1300	141	19	45.23
पूर्वी सीमा	13804	120	1033	130	0	13.32
दक्षिण	80797	1409	1301	197	0	77.74
दक्षिण मध्य	70871	2146	1445	63	34	67.52
दक्षिण पूर्व	197520	936	2990	42	40	178.12
पश्चिम	85450	1908	3444	148	38	99.97
जोड़	926711	9950	24358	1456	279	934.99

मुंबई-हाई का पुनर्विकास कार्यक्रम

1107. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस **मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 7500 करोड़ रुपये की लागत वाला मुंबई-हाई पुनर्विकास कार्यक्रम शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और आगामी पांच वर्ष में वर्ष-वार कितने वित्तीय निवेश और उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित और गत तीन वर्षों के दौरान मुंबई-हाई परियोजना पर कितना-कितना निवेश किया गया और क्या-क्या लक्ष्य प्राप्त किए गए हैं;

(ग) मुंबई हाई के लिए अब तक हुए विदेशी निवेश और प्रस्तावित निवेश और उत्पादन योजना का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस परियोजना का सामान्यतया देश की अर्थव्यवस्था पर और विशेषत: महाराष्ट्र के औद्योगिक क्षेत्र पर कितना प्रभाव पड़ने की संभावना है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) मुंबई हाई क्षेत्र से तेल/गैस के उत्पादन एवं निकासियों में सुधार लाने के लिए आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन ने अंतरराष्ट्रीय परामर्शदाताओं मैसर्स गैफने क्लाइन एसोसिएट्स, यू के तथा हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय के साथ परमार्श से इस क्षेत्र के पुनरविकास के संबंध में अध्ययन किए थे। मुंबई हाई उत्तर के लिए अध्ययन पहले ही पूरे कर लिए गए हैं तथा 2930 करोड़ रुपए की सीमा तक के पूंजीगत परिव्यय पर विचार करने वाली व्यवहार्यता रिपोर्ट अनुमोदित कर दी गई है। अब आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन के द्वारा इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन आरम्भ कर दिया गया है।

मुंबई हाई दक्षिण पुनरविकास के लिए अध्ययन मार्च, 2001 के अंत तक पूरे हो जाने की आशा है।

(ख) मुंबई हाई उत्तर के पुनरविकास के लिए प्रस्तावित निवेश का वर्ष-वार ब्यौरा तथा वहां से प्रत्याशित कच्चे तेल का उत्पादन निम्नवत् है :–

वर्ष	रुपए करोड़ में	उत्पादन (एम०एम०टी०)
1	2	3
2000-01	58.38	2.85

Scanned by CamScanner

1	2	3
2001-02	428.29	3.34
2002-03	972.15	3.71
2003-04	936.22	3.85
2004-05	376.10	4.46
2005-06	158.26	4.62
योग	2929.40	22.84

मुंबई हाई दक्षिण की प्रस्तावित पुनर्विकास योजना के लिए संभावित निवेश लगभग 4500 करोड़ रुपए होने का अनुमान है।

विगत तीन वर्षों के दौरान मुंबई हाई पर किया गया निवेश (नियत परिसंपत्तियां तथा विकास वेधन) निम्नवत् है :–

वर्ष	नियत परिसंपत्तियां (करोड़ रुपए)	विकास वेधन (करोड़ रुपए)	योग (करोड़ रुपए)	क्रूड उत्पादन (एमएमटी)
1997-98	314.38	273.81	588.19	12.44
1998-99	261.25	180.23	441.48	11.59
1999-00	129.75	332.69	462.44	10.15

(ग) मुंबई हाई उत्तर के पुनर्विकास के लिए निवेश का विचार केवल आंतरिक संसाधनों के माध्यम से किया गया है।

(घ) इस परियोजना से मुंबई हाई तेल की चरम निकासी में वृद्धि होने की आशा है जिससे तेल के आयात के लिए अपेक्षित विदेशी मुद्रा की बचत करने में मदद मिलेगी। सामान्य रूप से इस निवेश से महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था को भी लाभ मिलने की आशा है।

कोचुवेलि रेलवे स्टेशन का दर्जा बढ़ाया जाना

1108. **श्री वी०एम० सुधीरन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचुवेलि स्टेशन (त्रिवेन्द्रम) का दर्जा बढ़ाकर इसे "सैकण्ड कोचिंग टर्मिनल" करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/प्रस्ताव है; और

(ग) कोचुवेलि स्टेशन का दर्जा कब तक बढ़ाए जाने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

प्राकृतिक स्वास्थ्य केन्द्रों का विकास

1109. **श्री सुबोध मोहिते** : क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आधुनिक सुविधाओं और भारतीय चिकित्सा पद्धति का लाभ उठाने के लिए प्राकृतिक स्वास्थ्य केन्द्रों के विकास हेतु कोई रणनीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में कौन-कौन सी परियोजनाएं/प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान इनके तहत केन्द्र सरकार ने प्रत्येक राज्य को परियोजना वार कितनी निधियां स्वीकृत और जारी की है;

(घ) क्या सरकार का चिकित्सा संस्थान के विदेशी मुद्रा अर्जकों से इस प्रकार के केन्द्रों का विकास करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) जी, हां। सरकार का, अन्य बातों के साथ-साथ, उन होटलों के लिए, जो भारतीय चिकित्सा पद्धति की ये सुविधाएं देने के इच्छुक हैं, मानकीकृत पंचकर्मा चिकित्सा विज्ञान की प्राप्यता को सहज बनाने तथा उसमें वृद्धि करने का प्रस्ताव है।

(ख) होटलों में पंचकर्मा केन्द्र स्थापित करने के लिए दिशा-निर्देश तैयार कर लिए गए हैं।

(ग) नई योजना होने के कारण, कोई प्रस्ताव अब तक प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) विदेशी मुद्रा अर्जक, इन सुविधाओं के संवर्धक, ऐसी परियोजनाओं में निवेश के लिए स्वतंत्र है। ऐसी पर्यटन अवसंरचनाओं में निवेश को उत्साहित करने के लिए कर प्रोत्साहन भी उपलब्ध हैं।

(ङ) यथोक्त।

एजिमाला नौसैनिक अकादमी

1110. **श्री टी० गोविन्दन** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में एजिमाला नौसैनिक अकादमी में अब तक हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है और इसके निर्माण कार्य की मौजूदा स्थिति रिपोर्ट क्या है;

(ख) अब तक कितना व्यय किया गया है; और

(ग) इसके कब तक चालू हो जाने की संभावना है ?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) परियोजना के ग्रुप-2 के क्रियाकलापों का कुछ निर्माण संबंधी कार्य अर्थात् सड़कें (मुख्य

व गौण) तथा बाह्य सेवाओं अर्थात् विद्युत व जल आपूर्ति योजनाओं, पानी के तेज बहाव का निकासी नेटवर्क तथा जल-मल निपटान योजना कार्य का कुछ भाग 17.35 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से आरंभ हो चुका है।

(ख) इस परियोजना पर अब तक 63.688 करोड़ रुपये की राशि व्यय हो चुकी है।

(ग) नौसेना अकादमी के वर्ष 2004 में आरंभ हो जाने की संभावना है।

लाल किले में सेना की मौजूदगी

1111. **श्री अधीर चौधरी :**
श्रीमती श्यामा सिंह :

क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अधिकारियों ने दिल्ली के लाल किले में सेना की मौजूदगी पर गम्भीर चिंता व्यक्त की है;

(ख) यदि हां, तो क्या लाल किले के परिसर से सेना को हटाने का पहले निर्णय लिया गया था परंतु अभी तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(घ) क्या लाल किले के परिसर में हाल की घटना के मद्देनजर सरकार का विचार परिसर को सेना से खाली कराने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) से (ङ) सेना से लाल किला, दिल्ली खाली कराने के वास्ते दिल्ली उच्च न्यायालय में एक लोकहित मुकदमा दायर किया गया है और यह मामला अदालत में है।

राज्य सभा के सदस्यों के लिए निर्वाचन प्रक्रिया

1112. **श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल :** क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार को राज्य सभा के सदस्यों के लिए निर्वाचन प्रणाली में कतिपय कमियों की जानकारी है कि निर्देशीय प्रत्याशी जीत जाते हैं और दलीय प्रत्याशी हार जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार निर्वाचन प्रणाली में संशोधन करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) से (ग) जी, हां। इस विषय में विभिन्न विकल्पों की समीक्षा की जानी होगी, जैसे गुप्त मतदान प्रणाली को छोड़ना और उसके स्थान पर खुली मतदान प्रणाली लाना। इस विषय में सभी संबद्ध व्यक्तियों से परामर्श करना अपेक्षित है। इस संबंध में यह समय से पहले कोई प्रतिक्रिया व्यक्त करना होगा।

रेवाड़ी में शताब्दी और सुपर फास्ट रेल गाड़ियों का रोका जाना

1113. **डा० (श्रीमती) सुधा यादव :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार रेवाड़ी (हरियाणा) रेलवे स्टेशन पर शताब्दी और अन्य सुपर फास्ट रेल गाड़ियों को रोकने की जनता की मांग पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक लागू किये जाने की संभावना है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) जनता की मांग को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (ग) जी, नहीं। इस समय रेवाड़ी स्टेशन पर 16 जोड़ी मेल एक्सप्रेस गाड़ियों और 13 जोड़ी पैसेंजर गाड़ियां चलती हैं जो इस स्टेशन के यात्रियों की जरूरतों के लिए पर्याप्त समझी जाती है। 2015/2016 *दिल्ली अजमेर शताब्दी एक्सप्रेस और 2957/2958 दिल्ली अहमदाबाद राजधानी एक्सप्रेस उच्च गति वाली लम्बी दूरी की गाड़ियां हैं जो मुख्यत:* आरंभिक और गंतव्य स्टेशनों के बीच ध्र यात्रियों के लिए चलाई गई है। यात्रा समय में कमी करने के उद्देश्य से इन गाड़ियों के ठहरावों की संख्या सीमित रखी गई है। बहरहाल, दिल्ली की ओर यात्रा करने वाले इच्छुक रेवाड़ी के यात्रियों के लिए 14 जोड़ी एक्सप्रेस गाड़ियां और 2 जोड़ी पैसेंजर गाड़ियां उपलब्ध है और अजमेर और अहमदाबाद के लिए ० ० जोड़ी एक्सप्रेस गाड़ियां उपलब्ध है।

[हिन्दी]

त्वरित विद्युत विकास कार्यक्रम

1114. **श्री रामपाल सिंह :**
डा० अशोक पटेल :
श्री वाई०एस० विवेकानन्द रेड्डी :
श्री जी०एम० बसवराज :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बिजली की कमी को पूरा करने के लिए त्वरित विद्युत विकास कार्यक्रम को अनुमति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस कार्यक्रम पर कुल कितनी राशि खर्च करने की संभावना है; और

(घ) इस कार्यक्रम को कब तक शुरू किये जाने की संभावना है; और

(ङ) इसके परिणामस्वरूप विद्युत उत्पादन में कितनी वृद्धि होने की संभावना है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (ङ) 2000-01 के लिए 1000 करोड़ रुपये के परिव्यय की त्वरित विद्युत विकास परियोजना को नवंबर, 2000 में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया गया। त्वरित विद्युत विकास परियोजना वर्ष 2012 तक बढ़े हुए परिव्यय के साथ वर्ष 2001-02 के बाद भी जारी रहेगी। त्वरित विद्युत विकास परियोजना के द्वारा बिन पोषित की जाने वाली परियोजनाएं

(क) 100 करोड़ रुपये से कम की परियोजनाओं का नवीकरण एवं आधुनिकीकरण जीवन विस्तार वर्तमान में उपलब्ध उत्पादन केन्द्रों का उन्नयन, एवं

(ख) उप-पारेषण एवं वितरण नेटवर्क का उन्नयन जिसमें सर्किलों में चरणबद्ध योजना के तहत ऊर्जा गणना तथा मीटरिंग शामिल है।

चालू वर्ष के दौरान, गैर विशिष्ट वर्ग राज्यों से प्राप्त परियोजनाओं के आधार पर नए एवं के०वि०प्रा०, पी०एफ०सी० तथा आर०ई०सी० परियोजनाओं के द्वारा आयोजित संयुक्त मूल्यांकन के उपरांत 1588 करोड़ रुपये के उप पारेषण एवं पारेषण के उन्नयन एवं नवीकरण एवं आधुनिकीकरण को पहले से अनुमोदन दिया जा चुका है। त्वरित विद्युत विकास योजना में परियोजना लागत का 50 प्रतिशत ही उपलब्ध करवाया जाता है। इसके आधार पर, बिजली मंत्रालय ने राज्यों को केन्द्रीय योजना सहायता के अन्तर्गत 794 करोड़ रुपये की राशि जारी करने की सिफारिश की है। विशिष्ट वर्ग राज्यों से प्राप्त परियोजनाओं सहित कुल अन्य परियोजनाओं को अनुमोदन देना प्रक्रियाधीन है।

त्वरित विद्युत विकास परियोजना में पुराने उत्पादन केन्द्रों का नवीकरण एवं आधुनिकीकरण जीवन विस्तार तथा उप पारेषण केन्द्रों का उन्नयन एवं वितरण नेटवर्क हेतु परियोजनाओं को बिन पोषित किया जाता है। 794.82 करोड़ रुपये में से 342.18 करोड़ रुपये (परियोजना लागत का 50%) परियोजनाओं के नवीकरण एवं आधुनिकीकरण के लिए अनुमोदित किया गया है, इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन में से इन विद्युत केन्द्रों की प्रचालन क्षमता में वृद्धि होगी। कार्यक्रम के प्रथम चरण में उप पारेषण एवं वितरण नेटवर्क के उन्नयन के संबंध में परियोजना के क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके 50 वितरण केन्द्रों का चयन कर लिया गया है। टी० एंड डी० हानियों में कमी लाने के लिए इन केन्द्रों में अल्पावधिक एवं दीर्घावधिक उपाय किए जा रहे हैं (जिसमें तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियां दोनों शामिल हैं। राज्य सरकारों को अन्य केन्द्रों पर प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए निर्देश दे दिए गए हैं जिससे कि त्वरित विद्युत विकास परियोजना के तहत चरणबद्ध योजना से इन परियोजनाओं को बिन पोषित किया जा सके।

एन०एच०पी०सी० में रोजगार

1115. **श्री सुरेश चन्देल :**
श्री महेश्वर सिंह :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या राष्ट्रीय जल विद्युत निगम (एन०एच०पी०सी०) ने देश में ऐसे स्थानों पर स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया है जहां जल विद्युत परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं या निर्माणाधीन हैं;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न पदों की श्रेणियों के अंतर्गत कितने लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है और राज्य-वार कौन-कौन सी संबंधित परियोजनाएं रोजगार दे रही हैं;

(ग) क्या हिमाचल प्रदेश सरकार ने पार्वती जल विद्युत परियोजना में स्थानीय लोगों को एक नियत प्रतिशत में I, II, III और IV श्रेणी के पदों पर नियुक्त करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय जल विद्युत निगम के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) पार्वती जल विद्युत परियोजना में अब तक प्रत्येक श्रेणी में कितने स्थानीय लोगों को रोजगार दिया गया है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (ङ) एन०एच०पी०सी० ने संबंधित राज्य सरकारों के साथ हुए करारनामों/समझौतों के अनुसार अपनी परियोजनाओं पर स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध करवा दिया है नवीन परियोजनाओं में नई भर्ती किये जिसे फिलहाल सीमित कर दिया गया है। चूंकि परियोजनाओं को विभागीयतौर पर निष्पादित नहीं किया जा रहा है तथा वर्तमान में उपलब्ध अतिरिक्त स्टाफ की प्रतिनियुक्ति इन स्थानों पर किये जाने की आवश्यकता है।

पार्वती नदी पर हाइड्रोलिक परियोजना के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार के साथ दिनांक 2.11.1998 को हुए करारनामें के अनुसार हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड से प्रतिनियुक्ति आधार पर कार्यपालक स्तर पर 30 फीसदी स्टाफ लिया जाएगा बशर्ते कि वह इन पदों के लिए अपनी पात्रता रखते हो तथा परियोजना के निष्पादन के लिए अपेक्षित अकुशल समूह-III एवं IV स्टाफ को अन्य परियोजनाओं पर उपलब्ध अतिरिक्त स्टाफ को पुर्न तैनात किया जाएगा इसके उपरान्त की जाने वाले अन्य भर्ती हिमाचल प्रदेश ने स्थित स्थानीय रोजगार एक्सचेंज के माध्यम से की जाएगी। पार्वती एच०ई० प्रोजेक्ट चरण-I एवं चरण III सर्वेक्षण एवं निरीक्षणाधीन है जबकि पर्वती चरण-II निर्माण की स्थिति में है। हिमाचल प्रदेश सरकार के साथ हुए करारनामें के अनुसार निगम ने अपने अन्य परियोजनाओं पर वर्तमान में उपलब्ध अतिरिक्त कामगारों को पुर्न तैनात करते हुए इन परियोजनाओं पर अपेक्षित कामगारों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर ली गई है।

निजी क्षेत्र के तेलशोधक कारखाने

1116. **डा० सुशील कुमार इंदौरा :**
श्री रामजी लाल सुमन :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में निजी क्षेत्र के अंतर्गत तेल-शोधक कारखाने चलाए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इन तेलशोधक कारखानों में प्रति वर्ष पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों का कितना औसत उत्पादन होता है;

(ग) उक्त उत्पादन का पृथकत: कितना कितना प्रतिशत देश में और देश के बाहर उपयोग में लाया जा रहा है; और

(घ) उक्त उत्पादों के निर्यात से प्रति वर्ष औसतन कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित हुई ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) फिलहाल देश में केवल एक तेल रिफाइनरी नामत: रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड निजी क्षेत्र के अंतर्गत चलाई जा रही है।

(ख) से (घ) अप्रैल, 2000 से जनवरी, 2001 तक की अवधि के लिए कंपनी द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना विवरण में दी गई है।

विवरण

(अनन्तिम

उत्पाद	उत्पादन (हजार मीट्रिक टन में	देश के भीतर उपयोग किए जा रहे उत्पादन का प्रतिशत	निर्यात किए गए उत्पादन का प्रतिशत	निर्यातों के माध्यम से अर्जित विदेशी मुद्रा (मिलियन अमेरिकी डालर में)
तरलीकृत पेट्रोलियम गैस	1630	100.0	शून्य	–
पेट्रोल	1583	41.8	58.2	243
एवियन इंजिन इंधन	150	18.7	81.3	30
डीजल	7945	79.9	20.1	409
मिट्टी तेल	1493	100.0	शून्य	–
नाफ्था	2409	37.9	62.1	394
अन्य	4301	66.1	33.9	74
योग	19511	71.3	28.7	1150

[अनुवाद]

विद्युत क्षेत्र में सुधार और पुनर्गठन

1117. **श्री चन्द्र भूषण सिंह** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के राज्य विद्युत केन्द्रों में सुधार और पुनर्गठन की गति तेज करने के लिये विद्युत वित्त निगम द्वारा 5 बिलियन डालर मूल्य की एक विशेष विद्युत निधि बनाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस कार्य के लिये विद्युत वित्त निगम को निधियां जुटाने की अनुमति प्रदान कर दी है; और

(घ) यदि हां तो कौन कौन से स्रोतों से निधियां जुटाने का प्रस्ताव है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (घ) विद्युत वित्त निगम के पास देश के राज्य विद्युत केन्द्रों के सुधार एवं पुनर्गठन की गति को तेज करने के लिए 5 बिलियन अमरीकी डालर की एक विशेष विद्युत क्षेत्र निधि को बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

पेट्रोल पम्पों पर अनियमितताएं

1118. **श्री रामदास आठवले** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 3 जनवरी, 2001 के ''नवभारत टाइम्स'' में ''पेट्रोल ग्राहकों की जेब पर भारी एक करामाती गरारी'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या विभिन्न तेल कंपनियों द्वारा इस संबंध में कोई जांच कराई गई है/कराई जा रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) दोषी पेट्रोल पंप मालिकों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की जा रही है/किये जाने का प्रस्ताव है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) पेट्रोल पंपों पर कदाचारों/अनियमितताओं को रोकना तेल कंपनियों का निरंतर चलने वाला कार्यकलाप है। तेल कंपनियों द्वारा खुदरा बिक्री केन्द्रों पर निरीक्षण नीचे दिये गए कार्यक्रम के अनुसार किए जाते हैं :–

बिक्री अधिकारी	:	तीन माह में एक बार
ग्रेड "ग" और ऊपर के अधिकारी	:	6 महीने में एक बार
संयुक्त निरीक्षण	:	एक वर्ष में 20 प्रतिशत खुदरा बिक्री केन्द्रों को शामिल किया जाता है।
"सी" ग्रेड और उससे ऊपर के अधिकारी द्वारा यादृच्छिक निरीक्षण	:	वर्ष में एक बार 10 प्रतिशत खुदरा बिक्री केन्द्रों को शामिल किया जाता है।

इसके अलावा, तेल उद्योग द्वारा कदाचारों का निवारण करने के लिए स्वयं और समय-समय पर सरकार के निर्देशों के अंतर्गत विशेष सतर्कता अभियान भी चलाए जाते हैं। अनिवार्य वस्तु अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत राज्य सरकारों को भी कार्रवाई करने के लिए शक्ति प्रदत्त किया गया है और इस संबंध में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा उन्हें समय-समय पर उपयुक्त सलाह दी गई है। यदि निरीक्षण के दौरान किन्हीं अनियमितताओं का पता चलता है तो दोषी डीलरों के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है।

[अनुवाद]

आंध्र प्रदेश में नहर नेटवर्क

1119. **प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु** : क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने पूर्वी गोदावरी, पश्चिमी गोदावरी, कृष्णा और गुंटूर जिलों में नहर नेटवर्क का कोई अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो अंतर्देशीय परिवहन में इस नहर नेटवर्क की संभावनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई प्रस्ताव विचाराधीन है;

(घ) क्या अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने इस संबंध में सहायतार्थ विश्व बैंक से संपर्क किया है; और

(ङ) यदि हां, तो विश्व बैंक ने क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की है ?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) जी, हां।

(ख) मै० राइट्स द्वारा किए गए तकनीकी आर्थिक संभाव्यता अध्ययन के अनुसार आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में काकीनाडा और मरकउनम के बीच एकीकृत नहर प्रणाली अर्थात् काकीनाडा नहर, इलुरू नहर, कोमामर नहर, उत्तरी बुकिंघम नहर और दक्षिणी बुकिंघम नहर जो चेरिया से राजामुंदरी तक गोदावरी नदी तथा नागार्जुन सागर बांध से विजयवाड़ा तक कृष्णा नदी के साथ एकीकृत है, अंतर्देशीय जलमार्ग विकास के लिए व्यवहार्य पाई गई है। वर्ष 2011-12 तक आई०डब्ल्यू०टी० द्वारा कुल 6.41 मिलियन टन यातायात की मात्रा हैंडल करने का अनुमान है।

(ग) इस जलमार्ग प्रणाली को राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में घोषित करना तथा उसका विकास करना निधियों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

दिल्ली-राजहरा-रोघट-जगदलपुर रेल लाइन का निर्माण

1120. **श्रीमती जयश्री बैनर्जी** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली-राजहरा-रोघट-जगदलपुर रेल लाइन के निर्माण के संबंध में कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) इसे कब तक पूरा किये जाने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) दिल्ली-राजहरा-जबलपुर नई लाइन का निर्माण रेल मंत्रालय भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटिड (सेल), राष्ट्रीय खनिज विकास निगम (रा०ख०वि०नि०) और मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा लागत की भागीदारी के आधार पर किया जाएगा। दिल्ली-राजहरा से रोघाट तक इस रेलवे लाइन के प्रथम चरण का निर्माण पूरी तरह मै० सेल की लागत पर किया जाना है क्योंकि यह लाइन मुख्य रूप से भिलाई इस्पात संयंत्र को लोह अयस्क के परिवहन के लिए है। मै० सेल ने अभी तक रेलवे के पास इस परियोजना की लागत जमा नहीं कराई है। अपेक्षित पर्यावरण संबंधी स्वीकृति प्राप्त हो जाने के बाद उनके द्वारा लागत जमा करा दिए जाने के बाद यह कार्य शीघ्र ही शुरू कर दिया जाएगा।

[अनुवाद]

गहन तेल खोज उपाय

1121. **श्री इकबाल अहमद सरडगी** :
श्री वाई०एस० विवेकानन्द रेड्डी :
श्री जी०एस० बसवराज :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

Scanned by CamScanner

(क) क्या विगत कुछ महीनों में तेल कंपनियों द्वारा शूरू की गई और अधिक तेल निकालने की विभिन्न योजनाओं और गहन तेल खोज उपायों के परिणाम मिलने शुरू हो गए हैं;

(ख) क्या इसके पहले सकारात्मक संकेतों में से एक देश में कच्चे तेल का उत्पादन नवंबर, 2000 के लिए निर्धारित लक्ष्य से 2 प्रतिशत अधिक था;

(ग) यदि हां, तो पिछले महीनों की तुलना में यह कितना अधिक था;

(घ) क्या वर्ष 2001-2002 के लिए कोई नया लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) विद्यमान प्रमुख तेल क्षेत्रों से निकासी घटक में सुधार लाने के लिए राष्ट्रीय तेल कंपनियों, आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड (ओ०एन०जी०सी०) तथा आयल इंडिया लिमिटेड (ओ०आई०एल०) द्वारा बर्द्धित तेल निकासी (ई०ओ०आर०)/उन्नत तेल निकासी (आई०ओ०आर०) योजनाएं क्रियान्वित की गई/की जा रही है। नवंबर, 2000 में राष्ट्रीय तेल कंपनियों तथा निजी/संयुक्त उद्यम कंपनियों के द्वारा कच्चे तेल का उत्पादन 2.627 एम०एम०टी० के लक्ष्य की तुलना में 2.708 एम०एम०टी० रहा जो लक्ष्य की तुलना में लगभग 3 प्रतिशत अधिक था।

(ग) वर्ष 2000-01 के आरंभिक 7 माहों के दौरान ओ०एन० जी०सी०, ओ०आई०एल० तथा निजी/संयुक्त उद्यम कंपनियों के द्वारा प्रतिमाह कच्चे तेल के उत्पादन की स्थिति निम्नवत थी :–

माह	अप्रैल, 2001	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितंबर	अक्तूबर
मात्रा (एमएमटी)	2.55	2.71	2.68	2.78	2.76	2.69	2.77

(घ) और (ङ) वर्ष 2001-02 के लिए ओ०एन०जी०सी०, ओ०आई०एल० तथा निजी/संयुक्त उद्यम कंपनियों के द्वारा कच्चे तेल के उत्पादन का लक्ष्य निम्नवत 32.30 एम०एम०टी० (ब०अ०) नियत कर दिया गया है :–

ओ०एन०जी०सी०	25.00 एम०एम०टी०
ओ०आई०एल०	3.45 एम०एम०टी०
निजी/सं०उ० कंपनियां	3.85 एम०एम०टी०
योग	32.30 एम०एम०टी०

देश में कच्चे तेल के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं जिनमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं :

(1) विशेषतया वर्द्धित तेल निकासी (ई०ओ०आर०)/उन्नत तेल निकासी (आई०ओ०आर०) योजनाओं के क्रियान्वयन द्वारा विद्यमान प्रमुख क्षेत्रों से निकासी घटक में सुधार लाने के लिए आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड (ओ०एन०जी०सी०) ने 10,000 करोड़ रुपए के निवेश से इस प्रयोजनार्थ 15 क्षेत्रों को हाथ में लिया है, जिससे इन क्षेत्रों से तेल उत्पादन तेज करने में भी मदद मिलेगी।

(2) नई अन्वेषण लाइसेंस नीति (एन०ई०एल०पी०) के जरिए अन्वेषण प्रयासों में वृद्धि करने के लिए एन०ई०एल०पी० के प्रथम दौर में 24 उत्पादन हिस्सेदारी संविदाओं में हस्ताक्षर किए गए हैं तथा एन०ई०एल०पी० के द्वितीय दौर के तहत 25 ब्लाक प्रस्तावित किए गए हैं, जिनके लिए बोलियां प्राप्त करने की अंतिम तारीख 31 मार्च, 2001 है।

(3) प्रौद्योगिकी एवं निवेश आकर्षित करने के लिए, 9 खोजे गए क्षेत्रों, गुजरात में 8 तथा असम में 1 के लिए भारतीय तथा विदेशी कंपनियों के परिसंघों के साथ 23 फरवरी, 2001 को उत्पादन हिस्सेदारी संविदाओं में हस्ताक्षर किए गए।

(4) नए क्षेत्रों, विशेषतया गहन जल तथा कठिन सीमावर्ती क्षेत्रों में अन्वेषण करना साथ ही उत्पादनशील क्षेत्रों की और अधिक गहन परतों में भी अन्वेषण करना।

(5) नए खोजे गए क्षेत्रों का और अधिक तेजी से विकास करना तथा उत्पादनशील क्षेत्रों में भूकंपीय सर्वेक्षणों, वर्कओवर तथा उत्तेजन प्रचालनों, कूप वेधन इत्यादि के लिए नई प्रौद्योगिकियों के उपयोग को बढ़ाना।

रूस के साथ रक्षा सहयोग

1122. **श्री के०पी० सिंह देव :**
श्री गंटा श्रीनिवास राव :
श्री जार्ज ईडन :
श्री शिवाजी विट्ठलराव काम्बले :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टी-90 टैंकों की खरीददारी के लिए रूस के साथ कोई विशेष समझौता हो पाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें कितना खर्च संलग्न है;

(ग) क्या रूस से एम०आई०-17 हेलीकाप्टर सहित कुछ एयरक्राफ्ट खरीदे जाने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो ये कब तक दे दिए जाएंगे और उनके रख रखाव के लिए क्या निबंधन और शर्तें निर्धारित की गई हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार मिसाइलों से लैस के एच-22 बमवर्षक विमान किराए पर लेने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) जी, हां। टी-90 एस टैंकों की अधिप्राप्ति के लिए 15 फरवरी, 2001 को एक संविदा पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

(ख) भारत में टैंकों का उत्पादन शुरू करने के लिए प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण सहित 310 अदद टी-90 एस० टैंक, जिनमें से 124 टैंक पूरी तरह से तैयार स्थिति में हैं तथा 186 टैंक अंशत: खुली/पूर्णत: खुली अवस्था में हैं, जिन्हें भारत में जोड़ा जाना है।

इसमें आने वाला व्यय निम्नवत् है :–

(1) 1401.2068 करोड़ रुपए की लागत से पूर्णत: तैयार 124 अदद टी-90 टैंक।

(2) 2225.9725 करोड़ रुपए की लागत से अंशत: खुले तथा पूर्णत: खुले 186 अदद टैंक।

(ग) 170 मिलियन अमरीकी डालर की लागत से 40 एम०आई०-17-4 हेलीकाप्टरों के लिए संविदा पर 25 मई, 2000 को हस्ताक्षर किए गए थे।

(घ) ये हेलीकाप्टर भारत में जोड़े जा रहे हैं तथा अब तक 16 हेलीकाप्टर भारतीय वायुसेना को सौंप दिए गए हैं। सभी हेलीकाप्टर अगस्त, 2001 तक सौंप दिए जाएंगे। एम०आई०-17 के मौजूदा बेड़े से भिन्न प्रणालियों पर रूस में भारतीय वायुसेना कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया गया है तथा इन नए हेलीकाप्टरों की रख-रखाव संबंधी सुविधाएं भारतीय वायुसेना के पास उपलब्ध हैं। एक साल के वारंटी काल के दौरान रूसी विशेषज्ञों का एक दल भारत में जरूरत पड़ने पर तकनीकी सहायता, उपलब्ध कराने के लिए मौजूद है।

(ङ) और (च) इस मामले पर विचार चल रहा है।

विद्युत क्षेत्र की कमियां

1123. **श्रीमती श्यामा सिंह :**
श्री एन० जनार्दन रेड्डी :
श्री माधव राव सिंधिया :
श्रीमती रेणूका चौधरी :
श्री चंद्रकांत खैरे :
श्री नवल किशोर राय :
श्री जोरा सिंह मान :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विद्युत क्षेत्र की कमियों का मूल्यांकन कराया है। विद्युत चोरी, विद्युत पारेषण और वितरण में क्षरण सहित कई कारकों के कारण राष्ट्र को 50,000 करोड़ रुपये की लागत पड़ती है;

(ख) यदि हां, तो विद्युत क्षेत्र में सुधार हेतु तथा ऐसे सुधारों के लिए बनाई गई कार्य योजना के लिए उठाए गए कदमों/उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का विचार त्रुटियों पर अंकुश लगाने और उनकी क्षति को रोकने के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) विद्युत क्षेत्र में हो रही क्षति को कम करने और इस तरह के सुधारों के लिए बनाई गई कार्ययोजना के लिए सरकार द्वारा क्या ठोस कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (ङ) नियमित अंतरालों में मुख्य मंत्रियों/विद्युत मंत्रियों के सम्मेलनों में हुए विचार-विमर्शों और विभिन्न अध्ययन कार्यों से स्पष्ट पता चलता है कि विद्युत क्षेत्र की असंतोषजनक स्थिति के उत्तरदायी मुख्य घटक ये हैं, विद्युत की चोरी व दूरुपयोग समेत उच्च परेषण एवं वितरण हानियां, कम वसूली और अव्यावहारिक टैरिफ ढांचा जिसके कारण प्रति यूनिट आपूर्ति लागत और वसूली के बीच अंतर बढ़ गया है चूंकि उपभोक्ताओं को की जाने वाली विद्युत की अभी भी पूर्ण रूप से मीटरिंग नहीं की जाती है इसलिए ऊर्जा लेखा परीक्षा करना तथा विद्युत की चोरी के कारण होने वाली वास्तविक हानि का मूल्यांकन करना मुश्किल है। तथापि, सुधार कार्य करने वाले राज्यों के और अधिक शुद्ध अनुमान से इंगित होता है कि टी० एंड डी०, चोरी और दुरुपयोग के कारण होने वाली विद्युत हानि वस्तुत: काफी अधिक है जैसा कि निम्न आंकड़ों से स्पष्ट होता है

राज्य	टी० एंड डी० हानियां (%)	
सुधार पूर्व	सुधार	पश्चात्
उड़ीसा	23	51
आंध्र प्रदेश	25	45
हरियाणा	32	47
राजस्थान	26	43

यह अभिज्ञात किया गया है कि विद्युत क्षेत्र को सुधारने के लिए वितरण क्षेत्र की स्थिति को सुधारने के लिए वितरण क्षेत्र की व्यवहार्यता को पुन: बहाली किया जाना मुख्य है। वितरण की जिम्मेवारी राज्यों की है और क्षेत्र को पीड़ित करने वाली समस्याओं के लिए उनके द्वारा ठोस कार्रवाई की जानी अपेक्षित है।

विद्युत एक समवर्ती सूची का विषय होने के नाते भारत सरकार ने राज्यों के सुधार कार्यों को प्रोत्साहित करने के लिए कई पहल आरंभ की हैं। आर्थिक सहायताओं के संबंध में पारदर्शी नीतियों और टैरिफ को युक्तिसंगत बनाने को ध्यान में रखते हुए विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998 का अधिनियमन किया गया है। केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग की स्थापना हो गयी है और इसने कार्य करना

आरंभ कर दिया है। यह अधिनियम राज्य सरकारों को राज्य विद्युत विनियामक आयोगों की स्थापना करने में सक्षम बनाता है। अभी तक 15 राज्यों ने राज्य विद्युत विनियामक आयोगों की स्थापना किए जाने को अधिसूचित कर दिया है। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और हरियाणा के राज्य विद्युत विनियामक आयोग पहले ही टैरिफ जारी कर चुके हैं।

विद्युत क्षेत्र सुधारों, विशेषत: वितरण में, तीव्र करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने कई कदम उठाए हैं। फरवरी, 2000 में आयोजित मुख्य मंत्रियों/विद्युत मंत्रियों के सम्मेलन में यह संकल्प लिया गया कि दृढ़ता, उत्साह और तीव्रता के साथ सुधार आरंभ किए जाने चाहिए। सुधार नीति के प्रमुख घटक निम्नवत हैं :–

(i) सभी स्तरों पर ऊर्जा लेखा परीक्षा।

(ii) दिसम्बर, 2001 तक सभी उपभोक्ताओं की 100% मीटरिंग का समयबद्ध कार्यक्रम।

(iii) एक निर्धारित समय-सीमा के भीतर विद्युत चोरी में कमी तथा अंतत: उसका उन्मूलन।

(iv) प्राथमिकता आधार पर उपकेन्द्र को एक यूनिट के रूप में लेते हुए उप-पारेषण एवं वितरण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण/उन्नयन करना।

इस बात पर भी सहमति प्रकट की गई कि यदि यह विद्यमान ढांचे में अपर्याप्त महसूस हो तो वितरण का निगमीकरण/सहकारिता ऋण/निजीकरण करना होगा। भारत सरकार राज्यों के साथ सुधार संबंधी समझौता ज्ञापनों पर भी हस्ताक्षर कर रही है जिसमें राज्य पारेषण एवं वितरण हानियों को कम करने, चोरी को रोकने, बिलिंग एवं वसूली में सुधार करने, कार्यकारी एस०ई०आर०सी० इत्यादि की स्थापना करने इत्यादि के लिए निश्चित लक्ष्य प्राप्त करने हेतु वचनबद्ध है। भारत सरकार त्वरित विद्युत विकास कार्यक्रम तथा केन्द्रीय पूल के अनावंटित हिस्से से विद्युत के अतिरिक्त आवंटन के द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान करती है। अभी तक कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा और गुजरात राज्यों ने एम०ओ०यू० पर हस्ताक्षर किए हैं।

विद्युत व्यापार निगम

1124. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विद्युत व्यापार निगम स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस निगम का कार्यकरण क्या होगा;

(ग) क्या इस तरह के निगम अन्य देशों में भी काम कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में कराए गए अध्ययनों का ब्यौरा क्या है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) और (ख) सरकार द्वारा 1998 में घोषित संशोधित मेगा विद्युत नीति में अभिज्ञात मेगा विद्युत परियोजनाओं से विद्युत की खरीद/बिक्री के लिए एक विद्युत व्यापार कम्पनी की स्थापना की परिकल्पाना की गई थी। 16 अप्रैल, 1999 का पावर ट्रेडिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पी०टी०सी०) को निगमित किया गया जिसका मुख्य उद्देश्य दीर्घकालीन विद्युत क्रय करारों (पी०पी०ए०) के अंतर्गत मेगा विद्युत परियोजनाओं से विद्युत की खरीद करना तथा दीर्घकालीन पी०पी०ए० के अंतर्गत ही लाभभोगी राज्यों को विद्युत बेचना है। पी०टी०सी० के संस्था के अंतर्नियमों में अन्य बातों के साथ-साथ स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों, कैप्टिव विद्युत संयंत्रों, उत्पादन कम्पनियों/पारेषण कम्पनियों, राज्य विद्युत बोर्डों इत्यादि से विद्युत की खरीद करना तथा इसे उपरोक्त एजेंसियों अथवा विद्युत के वृहत् उपभोक्ताओं को बेचने का प्रावधान है।

(ग) और (घ) विद्युत के व्यापार की अवधारणा पहले से ही कई देशों जैसे यू०एस०ए०, यू०के०, आस्ट्रेलिया, नार्वे, स्वीडन इत्यादि में सफलतापूर्वक लागू कर दी गई है। इस संबंध में भारत सरकार द्वारा कोई भी अध्ययन आरंभ नहीं किया गया है।

दक्षिणी राज्यों में एल०पी०जी०/सी०एन०जी० के बाजार नेटवर्क का उन्नयन

1125. श्री एस०डी०एन०आर० वाडियार : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास दक्षिणी राज्यों में विशेषकर मैसूर और बंगलौर में, एल०पी०जी० और सी०एन०जी० के बाजार और वितरण नेटवर्क का उन्नयन करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) सार्वजनिक क्षेत्र तेल विपणन कंपनियां समय-समय पर स्थानों की आर्थिक व्यवहार्यता पर निर्भर करते हुए दक्षिणी राज्यों समेत देश में एल०पी०जी० डिस्ट्रीब्यूटरशिपें स्थापित करने के लिए योजनाएं तैयार करती हैं। वर्तमान में दक्षिणी राज्यों के अंतर्गत 1 अक्तूबर, 2000 की स्थिति के अनुसार निम्नांकित संख्या में एल०पी०जी० डिस्ट्रीब्यूटरशिपें प्रचालनरत हैं।

राज्य का नाम	डिस्ट्रीब्यूटरशिपों की संख्या
आंध्र प्रदेश	568
कर्नाटक	375
केरल	246
तमिलनाडु	467

वर्तमान में दक्षिणी राज्यों में संपीडित प्राकृतिक गैस के लिए कोई वितरण नेटवर्क नहीं है।

हिन्दी]

भारतीय जल क्षेत्र में अमेरिकी और ब्रिटिश युद्धपोत

1126. **डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :**
श्री गुथा सुकेन्दर रेड्डी :
श्री ए० नरेन्द्र :
श्री अजयसिंह चौटाला :
श्री चन्द्र भूषण सिंह :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या हाल ही में भारतीय जल क्षेत्र का सर्वेक्षण करते हुए अमेरिकी और ब्रिटिश युद्धपोत पकड़े गए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है ?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज़) : (क) और (ख) 28 नवंम्बर, 2000 को कार निकोबार के पूर्व में 30 समुद्री मील पर एक अमरीकी नौसेना सर्वेक्षण जलयान यू०एस०एन०एस० बाउडिच का पता चला था। जांच करने पर पोत ने संकेत दिया कि वह सागर विज्ञान संबंधी सर्वेक्षण कर रहा था।

6 दिसंबर, 2000 को भारत के पश्चिम तट पर दीव से लगभग 90 समुद्री मील पर एक यू के रायल नेवी जलयान एच०एम०एस० कॉट देखा गया था। पोत ने संकेत दिया कि वह यू के रक्षा मंत्रालय के लिए सैनिक सर्वेक्षण कर रहा था तथा उसने कोई और सूचना देने से इन्कार कर दिया। इस पोत का 12 से 16 जनवरी, 2001 के दौरान पोरबंदर से 90 से 138 समुद्री मील पर दुबारा पता चला था।

(ग) सरकार अमरीकी और यू०के० के नौसैनिक जलयानों के भारतीय अनन्य आर्थिक क्षेत्र में इस आपरेशन को महासागर-3 की विधि संबंधी संयुक्त राष्ट्र समझौता और भारतीय समुद्री क्षेत्र अधिनियम, 1977 का उल्लंघन मानता है क्योंकि ऐसे आपरेशनों के लिए उसकी सहमति नहीं ली गई थी। अमरीकी सरकार के प्रति दिल्ली स्थित उसके दूतावास के माध्यम से कड़ी नाराजगी जताई गई है। सरकार ने हमारे अनन्य आर्थिक क्षेत्र में ऐसे अप्राधिकृत आपरेशनों पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए दिल्ली स्थित ब्रिटिश उच्चायोग के साथ भी इस मामले को उठाया है। दोनों सरकारों को यह सूचित कर दिया गया है कि भारत सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना भारतीय अनन्य आर्थिक क्षेत्र में ऐसी गतिविधियों की अनुमति नहीं दी जाएगी।

[अनुवाद]

नौकरशाहों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की मिलीभगत

1127. **श्री जोरा सिंह मान :**
श्री नरेश पुगलिया :
श्री एन० जर्नादन रेड्डी :
श्री रामजीलाल सुमन :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग ने नौकरशाहों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की मिलीभगत की आलोचना की है जिसके कारण उपभोक्ता इसकी भारी कीमत चुका रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का ध्यान 19 जनवरी, 2001 के ''द स्टेट्समैन'' में इस संबंध में प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट कराया गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार विद्युत क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र के कई उपक्रमों के कार्यकरण में नौकरशाही अड़चनों को दूर करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) जी, नहीं।

(ख) सरकार का ध्यान इस समाचार की ओर आकर्षित किया गया है। तथापि, इस संबंध में सी०ई०आर०सी० से कोई सूचना/संदर्भ प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) और (घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

ताप विद्युत संयंत्रों का विस्तार

1128. **श्री अनन्त नायक** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन ताप विद्युत संयंत्रों का ब्यौरा क्या है जिनका नौवीं योजना के दौरान विस्तार किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इन ताप विद्युत संयंत्रों का विस्तार किए जाने के बाद इनमें कुल कितने मेगावाट विद्युत बढ़ जाने की संभावना है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) और (ख) 9वीं योजना के दौरान विस्तार हेतु प्रस्तावित पहले से ही विस्तारित ताप विद्युत संयंत्रों का ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

क्र० सं०	ताप विद्युत केन्द्र का नाम व राज्य/ क्रियान्वयन एजेंसी	यूनिट सं० व क्षमता (मे०वा०) जोड़ने को प्रस्तावित		वास्तविक/चालू होने की प्रत्याशित तिथि
		यूनिट सं०	क्षमता (मे०वा०)	
1.	गोदावरी सीसीजीटी आ०प्र०/स्पैक्ट्रम पावर जेनरेशन लि०	जीटी-1	47	21 जून, 1997(ए)
		एसटी	67	31 मार्च, 1998(ए)
2.	जेगरूपाडु सीसीजीटी-2 आ०प्र०/जीवीके इंड० लि०	एसटी	77	20 जून, 1997(ए)
3.	कोठागुडम-4 आ०प्र०/आ०प्र० जेनको	यू-10	250	28 फरवरी, 1998(ए)
4.	गांधीनगर टीपीएस गुजरात/जीईबी/जीएसईसीएल	यू-5	210	17 मार्च, 1998(ए)
5.	हजीरा डब्ल्यूएचआरयू गुजरात/एस्सार पावर	एसटी	185	26 मई, 1998(ए)
6.	वनाकबोरी टीपीएस गुजरात/जीईबी/जीएसईसीएल	यू-6	210	31 दिसम्बर, 1998(ए)
7.	पानीपत टीपीएस हरियाणा/एचपीजीसीएल	यू-6	210	3/2001
8.	रायचूर टीपीएस कर्नाटक/केपीसीएल	यू-5	210	31 जनवरी, 1999(ए)
		यू-6	210	22 जुलाई, 1999(ए)
9.	चन्द्रपुर टीपीएस महाराष्ट्र/एमपीईबी	यू-7	500	01 अक्तूबर, 1997(ए)
10.	खापरखेड़ा टीपीएस महाराष्ट्र/एमपीईबी	यू-3	210	31 मई, 2000(ए)
		यू-4	210	7 जनवरी, 2001
11.	संजय गांधी टीपीएस एमपी/एमपीईबी	यू-3	210	28 फरवरी, 1999(ए)
		यू-4	210	23 नवंबर, 1999(ए)
12.	विन्ध्याचल टीपीएस एमपी/एनटीपीसी	यू-7	500	3 मार्च, 1999(ए)
		यू-8	500	26 फरवरी, 2000(ए)
13.	रोखिया जीटी चरण-2 त्रिपुरा/त्रिपुरा सरकार	यू-6	8	5 अगस्त, 1997(ए)
14.	टाण्डा टीपीएस यूपी/यूपीएसईबी	यू-4	110	20 फरवरी, 1998(ए)
15.	ऊंचाहार टीपीएस चरण-2 यूपी/एनटीपीसी	यू-3	210	27 जनवरी, 1999(ए)
		यू-4	210	22 अक्तूबर, 1999(ए)
16.	नैवेली लिग्नाइट टीपीएस टीएन/एनएलसी	यू-1	210	नवंबर, 2001
		यू-2	210	मई, 2002
17.	मेजिया टीपीएस प० बंगाल/डीवीसी	यू-3	210	25 मार्च, 1998(ए)
18.	लकवा डब्ल्यूएच	डब्ल्यूएच	47.50 (38 मे०वा० संशोधित)	9वीं योजना में पिछड़ गई
19.	कच्छ लिग्नाइट टीपीएस गुजरात/जीईबी	यू-3	75	2 अप्रैल, 1997
20.	रोखिया जीटी विस्तार चरण-2 त्रिपुरा/त्रिपुरा सरकार	यू-7	21	3/2002

घृणात्मक प्रचार और सांप्रदायिक प्रलाप

1129. **श्री एम०वी०वी०एस० मूर्ति :**
श्री शिवाजी माने :
श्री राम मोहन गड्डे :

क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्वाचन आयोग को यह सुनिश्चित करने के लिए कि कुछ राजनीतिक पार्टियों और उनके सहयोगी संगठनों के घृणात्मक प्रचार और सांप्रदायिक प्रलाप को निर्वाचन कानून के दायरे में लाया जाए, शीघ्र कदम उठाने के लिए विभिन्न संगठनों की ओर से कुछ ज्ञापन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) से (ग) निर्वाचन आयोग ने सूचित किया है कि निर्वाचनों के दौरान राजनैतिक दलों, संगठनों, अभ्यर्थियों आदि से बड़ी संख्या में शिकायतें/अभ्यावेदन प्राप्त होते हैं जिनमें अनेक आरोप-प्रत्यारोप लगाए जाते हैं। निर्वाचन आयोग ने यह कहा है कि वह इन शिकायतों/अभ्यावेदनों की जांच-पड़ताल करता है और जहां कहीं आवश्यक होता है वहां कार्रवाई करता है और चूंकि प्रश्न में किन्हीं विनिर्दिष्ट ज्ञापनों का उल्लेख नहीं किया गया है, इसीलिए कोई ब्यौरा देना कठिन है।

चन्दौसी रेलवे स्टेशन पर कम्प्यूटरीकृत आरक्षण

1130. **श्री चन्द्र विजय सिंह :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे के मुरादाबाद मंडल में चन्दौसी रेलवे स्टेशन कम्प्यूटरीकृत आरक्षण सुविधा मुहैया कराने का प्रस्ताव लंबित पड़ा है और

(ख) यदि हां, तो यह सुविधा कब तक मुहैया कराए जाने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) जी, हां। चन्दौसी रेलवे स्टेशन पर कंप्यूटरीकृत आरक्षण सुविधाओं को व्यवस्था के कार्य को निर्माण कार्यक्रम 2001-2002 में शामिल किया गया है। इस कार्य के 2002-2003 में चालू होने की संभावना है।

ओ०एन०जी०सी० द्वारा निवेश

1131. **श्री अशोक ना० मोहैल :**
श्री रामशेठ ठाकुर :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस निगम ने भारतीय तेल क्षेत्र में और अधिक तेल निकालने के लिए लगभग 20,000 करोड़ रुपये का निवेश करने का निश्चय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मुंबई हाई से उत्पादन निरंतर घटता जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान मुंबई हाई के उत्पादन का वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ङ) उत्पादन में कमी के क्या कारण हैं;

(च) क्या तेल और प्राकृतिक गैस निगम ने मुंबई हाई का उत्पादन बढ़ाने हेतु तेल निकालने के लिए विदेशी कंपनियों को लाने की योजना बनाई है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) ओ०एन०जी०सी० का प्रस्ताव 6 से 7 वर्षों के दौरान 10,000 करोड़ रुपये की कुल लागत पर मुंबई सहित अपने 15 प्रमुख क्षेत्रों में उन्नत तेल निकासी (आई०ओ०आर०) कार्यक्रम चलाने का है।

15 क्षेत्रों में उन्नत तेल निकासी कार्यक्रम को 19 योजनाओं में प्रायोजनागत करने का है जिनमें से 4742 करोड़ रुपये की लागत की 10 योजनाओं का अनुमोदन ओ०एन०जी०सी० प्रबंधन द्वारा कर दिया गया है और उक्त योजनाओं का क्रियान्वयन आरंभ हो गया है।

(ग) और (घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान मुम्बई हाई से उत्पादन में निम्नानुसार गिरावट आ रही है :

वर्ष	तेल उत्पादन (मिलियन मीट्रिक टन)
1997-98	12.44
1998-99	11.59
1999-2000	10.15

(ङ) 1974 में खोजे गए मुम्बई हाई क्षेत्र में उत्पादन 1976 में आरंभ कर दिया गया था और यह 1984-85 से 1989-90 के बीच चरम उत्पादन पर पहुंच गया था। उसके बाद यह क्षेत्र हासमान चरण में चला गया है जोकि पुराने क्षेत्रों में एक स्वाभाविक प्रक्रिया है।

(च) और (छ) ओ०एन०जी०सी० आई०ओ०आर० कार्यक्रम के निष्पादन में प्रख्यात अंतर्राष्ट्रीय सेवा कंपनियों को अद्यतन प्रौद्योगिकी और सर्वोत्तम व्यवहारों को लागू करने के उद्देश्य के साथ सहबद्ध करने पर विचार कर सकता है।

[हिन्दी]

विद्युत क्षेत्र में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को बजटीय सहायता

1132. **कुमारी भावना पुडंलिकराव गवली** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्युत क्षेत्र में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को प्रदान की जा रही बजटीय सहायता में कटौती कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और इसके क्या कारण है;

(ग) क्या इस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य कर रहे सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को वित्तीय संकट से उबरने में सहायता करने के लिए कुछ कदम उठाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) और (ख) जी, नहीं। विद्युत क्षेत्र हेतु निवल बजटीय सहायता (एन०बी०एस०) बढ़ती रही है। गत तीन वर्षों का एन०बी०एस० (बजट अनुमान) निम्नानुसार है :–

(करोड़ रु० में)

1998-99	1999-2000	2000-2001
1804.18	1974.73	2086.99

(ग) से (ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

[अनुवाद]

सैन्य चिकित्सा सेवा (ए०एम०एस०) के डाक्टरों के लिए यात्रा भत्ते की पात्रता

1133. **श्री सुशील कुमार शिंदे** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सैन्य चिकित्सा सेवा (ए०एम०एस०) के डाक्टरों को देय प्रेक्टिस निषेध भत्ते को उनके यात्रा भत्ते संबंधी पात्रता का संगणना करने के लिए शामिल नहीं किया जाता है जैसा कि अन्य केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के डाक्टरों के मामले में किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो इस भेदभाव के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने हाल ही में इस प्रक्रिया की समीक्षा की है; और

(घ) यदि हां, तो यात्रा भत्ते की पात्रता के मामले में सैन्य चिकित्सा सेवा (ए०एम०एस०) के डाक्टरों को अन्य केन्द्रीय सरकारी चिकित्सा सेवा के डाक्टरों के बराबर लाने के लिए क्या निर्णय लिया गया है ?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) सैन्य चिकित्सा सेवा (ए०एम०एस०) के डाक्टरों की यात्रा भत्ते संबंधी पात्रता की संगणना के लिए, प्रैक्टिस निषेध भत्ते को उनके वेतन का हिस्सा माना जाता है, जैसाकि केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के डाक्टरों के मामले में होता है।

(ख) से (घ) उपर्युक्त 'क' के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

आबंटित निधि का उपयोग

1134. **श्री कालवा श्रीनिवासुलु** : क्या पोत परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ड्रेजिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया के आधुनिकीकरण के लिए कुल कितने परिव्यय को मंजूरी प्रदान की गयी है;

(ख) वर्ष के प्रथम चार महीनों के दौरान इस पर खर्च की गयी धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त कारपोरेशन के लिए मंजूर किये गये परिव्यय का उपयोग नहीं किया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं ?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) अनुमोदित योजना परिव्यय 595.00 करोड़ रु० है जिसमें से 497.36 करोड़ रु० आधुनिकीकरण के लिए हैं।

(ख) वर्ष 2000-2001 की प्रथम तिमाही में 86.9 करोड़ रु० खर्च किए गए।

(ग) वर्ष 2000-01 के दौरान ड्रेजिंग कार्पोरेशन आफ इंडिया को कोई वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की गई है। 595 करोड़ रु० के अनुमोदित परिव्यय में से 546 करोड़ रु० का पूर्वानुमानित व्यय पूर्णत: ड्रेजिंग कार्पोरेशन आफ इंडिया के आंतरिक संसाधनों और वाणिज्यिक ऋणों से पूरा किया जाना है।

(घ) डच गिल्डर के मुकाबले रुपए की मूल्य वृद्धि और ड्रेजर VII के प्रति स्थापन के लिए आर्डर को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण अनुमोदित परिव्यय के उपयोग में गिरावट आई।

रेल दुर्घटना के शिकार लोगों को मुआवजा

1135. **श्री ए० ब्रह्मनैया** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष के दौरान सरकार ने रेल दुर्घटनाओं के मुआवजे के कितने मामले निपटाये और मुआवजे के रूप में कितनी धनराशि दी गयी;

(ख) क्या सरकार का विचार सभी श्रेणियों में दुर्घटना के शिकार लोगों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि में वृद्धि करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) दीर्घकालिक आधार पर दुर्घटना में शिकार हुए लोगों को चिकित्सा सहायता प्रदान करने में लिये जाने वाले समय को कम करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार दुर्घटना में शिकार हुए प्रत्येक व्यक्ति को मुआवजा देने के मानदंड तैयार करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) रेल दुर्घटनाओं में क्षतिपूर्ति के 645 मामलों का निपटान हो चुका था तथा 1999-2000 के दौरान क्षतिपूर्ति के रूप में 10.96 करोड़ रु० का भुगतान किया गया था।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) एक विवरण संलग्न है।

(ङ) और (च) रेल दुर्घटना और अप्रिय घटनाएं (क्षतिपूर्ति) संशोधन नियम, 1997 के तहत दुर्घटना में शिकार हुए प्रत्येक व्यक्ति को एक समान रूप से क्षतिपूर्ति के भुगतान के लिए मानदंड पहले से ही निर्धारित हैं जो इस प्रकार हैं :–

(i) मृत्यु और स्थायी अशक्तता के मामले में 4 लाख रु०।

(ii) चोट की गंभीरता के आधार पर 32,000 रु० से 3,60,000 रु०।

विवरण

दुर्घटना स्थल पर चिकित्सा दलों को भेजने एवं दुर्घटना में शिकार हुए व्यक्तियों को चिकित्सा सहायता मुहैया कराने को उच्च प्राथमिकता दी जाती है। इसके अलावा, मौजूदा दुर्घटना राहत चिकित्सा उपस्कर बहुत तीव्र गति वाले आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित सेल्फ प्रोपेल्ड ए०आर०एम०ई० उपलब्ध हैं तथा 3 और का निर्माण किया जा रहा है। इनकी छद्म अभ्यास (मॉक ड्रिल) और परीक्षण के तौर पर चलाकर इन्हें उचित तैयारी की अवस्था में रखा जाता है। रेलपथ के आस-पास उपलब्ध गैर रेलवे चिकित्सा सुविधाओं को डाटाबेस संकलित कर लिया गया है और यह विभिन्न स्थानों पर उपलब्ध कराया जाता है जिसमें रेलवे को आवश्यकता के समय आपात स्थिति में रेलवे के बचाव और राहत दलों के पहुंचने से पहले ऐसे संगठनों से सहायता प्राप्त करने में आसानी होगी। विशेष रूप से जब दुर्घटना स्थल रेलवे चिकित्सा स्थापनाओं से दूर हों या जब वहां किन्हीं कारणों से पहुंचा नहीं जा सकता हो। इस डाटा में प्रभारियों के नाम, उपलब्ध सुविधाएं, रेलपथों से अनुमानित दूरी, दूरभाष सं० फैक्स संख्या आदि की जानकारी होती है। किसी के दूरभाष नं० में परिवर्तन होने अथवा सुविधाओं में वृद्धि अथवा कमी होने पर इन्हें शामिल करते हुए इन डाटाओं का निरंतर अद्यतन किया जा रहा है। ऐसे अनुदेश मौजूद हैं कि चिकित्सा दलों को भेजने के साथ-साथ ऐसी सुविधाओं से प्राथमिकता के आधार पर संपर्क किया जाए ताकि बहुमूल्य समय नष्ट किए बिना लोगों के जानमाल को बचाने के लिए बचाव सहायता प्रदान किया जा सके।

[हिन्दी]

बिहार में लोक अदालतें

1136. **श्री निखिल कुमार चौधरी** : क्या **विधि, न्याय और कंपनी** कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान बिहार में लोक अदालतों ने दुर्घटना दावों के कितने मामले निपटाये; और

(ख) संबंधित पक्षों द्वारा लिखित पारस्परिक सहमति प्रस्तुत करने के बावजूद अभी तक कितने मामले लंबित पड़े हैं?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान बिहार में लोक अदालत द्वारा निपटाए गए दुर्घटना दावों संबंधी मामलों की संख्या निम्नानुसार है :–

वर्ष	निपटाए गए दुर्घटना दावों के मामले
1998	451
1999	545
2000	734

(ख) कोई ऐसा मामला निपटान के लिए लंबित नहीं है।

व्यापक विद्युत नीति

1137. **श्री अनंत गुढे** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विद्युत उत्पादन लागत को कम करने के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने और व्यापक विद्युत नीति तैयार करने के लिए कृतिक बल द्वारा प्रस्तुत की गयी रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है;

(ख) यदि हां, तो कृतिक बल की मुख्य टिप्पणियां और सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इस पर की गई/की जाने वाली कार्यवाही का ब्यौरा क्या है और तैयार की गयी अल्पकालिक और दीर्घकालिक कार्य योजना का ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) सरकार ने प्रयोक्ताओं को दी जाने वाली विद्युत की लागत कम करने

और विद्युत परियोजनाओं की बोली प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता लाने के लिए विशेष सचिव (विद्युत) की अध्यक्षता में आंतरिक नियंत्रण दल गठित किया है। बहरहाल, व्यापक विद्युत नीति तैयार करना दल का विचारार्थ विषय नहीं है। आंतरिक नियंत्रक दल ने विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श और विशेषज्ञों से परामर्श किया है। दल को अपनी रिपोर्ट अभी प्रस्तुत करनी है।

(ख) से (घ) इस चरण में प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

[अनुवाद]

नयी अदालतों का गठन

1138. **श्री ए० वेंकटेश नायक : क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्र सरकार राज्य सरकारों को नयी अदालतें स्थापित करने के लिए 50 प्रतिशत धनराशि आबंटित करती है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों को इस उद्देश्य के लिए राज्यवार कितनी धनराशि आबंटित की गयी;

(ग) क्या मामलों के शीघ्र निपटान के लिए अतिरिक्त अदालतें स्थापित करने के लिए और अधिक धन के आबंटन का कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास लंबित पड़ा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) जी, नहीं।

तथापि, न्यायपालिका के लिए अवसंरचनात्मक प्रसुविधाओं के विकास के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित स्कीम वर्ष 1993-94 से चल रही है। राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को योजना आयोग द्वारा नियत प्रतिमानों के आधार पर आवंटन किया जाता है। तदनुसार, राज्य सरकारों को केंद्रीय सरकार द्वारा दी गई निधियों के समतुल्य अंशदान करना होता है। राज्य सरकारें अपने समतुल्य अंश से अधिक खर्च कर सकती हैं।

(ख) विभिन्न राज्यों को पिछले तीन वर्षों के दौरान जारी की गई रकम दर्शित करने वाला ब्यौरा विवरण-I पर दिया गया है।

(ग) 11वें वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर, सरकार ने राज्यों में 29 लाख रु० प्रति न्यायालय की दर से 1734 न्यायालयों के सृजन के लिए एक स्कीम स्वीकृत की है। इस प्रयोजन के लिए 502.90 करोड़ रु० की रकम आबंटित की गई है।

(घ) विभिन्न राज्यों में स्थापित करने के लिए प्रस्तावित न्यायालयों की संख्या और आबंटित रकमें बताने वाले ब्यौरे विवरण-II और III पर दिए गए हैं।

विवरण-I

न्यायपालिका के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास से संबंधित केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित स्कीम के अधीन पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों को जारी की गई रकम

(रुपए लाखों में)

क्रम सं०	राज्य	निम्नलिखित के दौरान जारी की गई रकम		
		1998-99	1999-2000	2000-2001 अब तक
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	382.60	405.05	547.71
2.	अरूणाचल प्रदेश	21.00	25.30	15.89
3.	असम	134.00	280.00	330.00
4.	बिहार	297.48	314.93	430.52*
5.	गोवा	36.00	39.00	58.00
6.	गुजरात	171.70	181.78	246.29
7.	हरियाणा	81.89	86.70	118.52
8.	हिमाचल प्रदेश	36.00	39.00	58.00
9.	जम्मू-कश्मीर	36.00	39.00	59.00
10.	कर्नाटक	249.33	263.96	368.01
11.	केरल	166.15	175.90	243.26
12.	मध्य प्रदेश	305.87	323.82	438.17*
13.	महाराष्ट्र	328.17	347.43	474.95
14.	मणिपुर	42.00	45.00	शून्य
15.	मेघालय	00.00	0.00	शून्य
16.	मिजोरम	42.00	45.00	60.00
17.	नागालैंड	42.00	45.00	60.00
18.	उड़ीसा	195.09	284.17	282.34
19.	पंजाब	87.72	92.87	126.95
20.	राजस्थान	235.64	249.47	341.03
21.	सिक्किम	36.00	39.00	60.00
22.	तमिलनाडु	330.02	349.39	477.62
23.	त्रिपुरा	42.00	45.00	60.00

1	2	3	4	5
24.	उत्तर प्रदेश	731.61	774.54	1058.85++
25.	पश्चिमी बंगाल	492.71	521.63	705.81
		4276.27	5012.94	6620.89

*इसमें झारखंड को जारी की गई 52.75 लाख रुपए की राशि भी सम्मिलित है।

+इसमें छत्तीसगढ़ को जारी की गई 57.08 लाख रुपए की राशि भी सम्मिलित है।

++इसमें उत्तरांचल को जारी की गई 25.82 लाख रुपए की राशि भी सम्मिलित है।

विवरण-II

अतिरिक्त न्यायालयों का राज्यवार विवरण

क्रम सं०	राज्य का नाम	न्यायालयों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	86
2.	अरूणाचल प्रदेश	5
3.	असम	20
4.	बिहार	183
5.	छत्तीसगढ़	31
6.	गोवा	5
7.	गुजरात	166
8.	हरियाणा	36
9.	हिमाचल प्रदेश	9
10.	जम्मू-कश्मीर	12
11.	झारखंड	89
12.	कर्नाटक	93
13.	केरल	37
14.	मध्य प्रदेश	85
15.	महाराष्ट्र	187
16.	मणिपुर	3
17.	मेघालय	3
18.	मिजोरम	3
19.	नागालैंड	3
20.	उड़ीसा	72
21.	पंजाब	29
22.	राजस्थान	83
23.	सिक्किम	3
24.	तमिलनाडु	49
25.	त्रिपुरा	3
26.	उत्तर प्रदेश	242
27.	उत्तरांचल	45
28.	पश्चिमी बंगाल	152
		1734

विवरण-III

ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा सिफारिश की गई निधियां और न्यायिक प्रशासन के अधीन 17.11.2000 तक दिया गया अनुदान

(करोड़ रुपऐ में)

क्रम सं०	राज्य	ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा सिफारिश की गई		जारी किया गया अनुदान
		2000-05	2000-01	2000-01
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	25.00	10.06	2.52
2.	अरूणाचल प्रदेश	1.31	0.53	0.13
3.	असम	5.89	2.37	0.59
4.	बिहार	52.96	21.30	5.33
5.	छत्तीसगढ़	8.79	3.54	0.88
6.	गोवा	1.39	0.56	0.14
7.	गुजरात	48.22	19.39	4.85
8.	हरियाणा	10.50	4.22	1.06
9.	हिमाचल प्रदेश	2.70	1.09	0.27
10.	जम्मू-कश्मीर	3.34	1.34	0.34
11.	झारखंड	25.77	10.36	2.59
12.	कर्नाटक	27.02	10.87	2.72
13.	केरल	10.87	4.37	1.09

1	2	3	4	5
14.	मध्य प्रदेश	24.71	9.94	2.79
15.	महाराष्ट्र	54.08	21.75	5.44
16.	मणिपुर	1.00	0.40	0.10
17.	मेघालय	1.00	0.40	0.10
18.	मिजोरम	1.00	0.40	0.10
19.	नागालैंड	0.91	0.37	0.09
20.	उड़ीसा	20.74	8.34	2.09
21.	पंजाब	8.29	3.33	0.83
22.	राजस्थान	24.07	9.68	2.42
23.	सिक्किम	1.00	0.40	0.10
24.	तमिलनाडु	14.12	5.68	1.42
25.	त्रिपुरा	0.82	0.33	0.08
26.	उत्तरांचल	13.04	5.24	1.31
27.	उत्तर प्रदेश	70.22	28.24	7.06
28.	पश्चिमी बंगाल	44.14	17.75	4.44
	कुल	502 90	202.27	50.56

[अनुवाद]

विद्युत क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ०डी०आई०)

1139. **श्री अजय चक्रवर्ती** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार स्वत: स्वीकृत माध्यम से विद्युत व्यापार में 100 प्रतिशत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ०डी०आई०) को अनुमति प्रदान करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) और (ख) उपलब्ध संसाधनों के इष्टतम उपयोग, प्रतिस्पर्धा प्रोत्साहन और विद्युत उत्पादन, पारेषण एवं वितरण (परमाणु ऊर्जा विद्युत संयंत्रों के अलावा) के लिए परियोजनाओं के बारे में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ०डी०आई०) की नीति के अनुरूप सरकार आटोमेटिक रूट से विद्युत व्यापार के लिए 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को अनुमति प्रदान करने के लिए प्रस्ताव पर विचार कर रही है।

रेलवे में हड़ताल

1140. **श्री चन्दनाथ सिंह** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान आज की तिथि तक भारतीय रेलवे में वर्षवार और जोनवार कितनी हड़तालें हुई;

(ख) प्रत्येक हड़ताल के क्या कारण रहे;

(ग) भारतीय रेल को प्रत्येक मामले में कितना घाटा हुआ है;

(घ) क्या सरकार का विचार हड़तालों पर प्रतिबंध लगाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) गत तीन वर्षों (आज तक) के दौरान भारतीय रेलों में कोई हड़ताल नहीं हुई।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

राजधानी और शताब्दी एक्सप्रेस

1141. **श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तिथि के अनुसार देश में कितनी राजधानी और शताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ियां चल रही हैं;

(ख) उक्त रेलगाड़ियों के मार्गों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ये रेलगाड़ियां लाभार्जन कर रही हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) एक सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) और (घ) आमदनी और व्यय को गाड़ी-वार खातों में दर्ज नहीं किया जाता है, इसलिए पृथक-पृथक गाड़ियों की लाभप्रदता का हिसाब नहीं रखा जाता है।

विवरण

शताब्दी एक्सप्रेस

1. 2011/2012 चंडीगढ़–दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस बरास्ता अंबाला
2. 2015/2016 नई दिल्ली–अजमेर शताब्दी एक्सप्रेस बरास्ता रेवाडी जयपुर
3. 2009/2010 मुम्बई–अहमदाबाद शताब्दी एक्सप्रेस बरास्ता बडोदरा, सूरत
4. 2019/2020 हवड़ा–चोकारो स्टील सिटी शताब्दी एक्सप्रेस बरास्ता आसनसोल, धनबाद

5. 2027/2028 मुम्बई–पुणे शताब्दी एक्सप्रेस बरास्ता कल्याण

6. 2013/2014 अमृतसर–नई दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस बरास्ता अम्बाला, लुधियाना, जालंधर

7.(क) 2029/2030 अमृतसर–दिल्ली स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस (सप्ताह में 6 दिन) बरास्ता अम्बाला, लुधियाना, जालंधर

(ख) 2031/2032 अमृतसर–दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस (साप्ताहिक) बरास्ता अम्बाला, लुधियाना, जालंधर

8. 2017/2018 नई दिल्ली–देहरादून शताब्दी एक्सप्रेस बरास्ता मेरठ, सहारनपुर

9. 2001/2002 नई दिल्ली–भोपाल शताब्दी एक्सप्रेस बरास्ता आगरा, ग्वालियर

10. 2003/2004 नई दिल्ली–लखनऊ शताब्दी एक्सप्रेस बरास्ता कानपुर

11. 2007/2008 मैसूर–चेन्नई शताब्दी एक्सप्रेस बरास्ता बेंगलूरु

12. 2021/2022 राउरकेला–हवड़ा शताब्दी एक्सप्रेस बरास्ता खड़गपुर, टाटानगर

13. 2005/2006 नई दिल्ली–कालका शताब्दी एक्सप्रेस बरास्ता अम्बाला, चंडीगढ़

राजधानी एक्सप्रेस

1. 2953/2954 मुम्बाई–निजामुद्दीन अगस्त क्रांति राजधानी बरास्ता कोटा, रतलाम, बड़ोदरा

2. 2429/2430 बेंगलूरु-निजामुद्दीन राजधानी बरास्ता भोपाल, नागपुर सिकंदराबाद

3. 2431/2432 निजामुद्दीन-तिरूवनंतपुरम राजधानी बरास्ता मथुरा, कोटा, बड़ोदरा, मडगांव, कालीकट, शोरुवण्णूर, एर्णाकुलम

4. 2423/2424 डिब्रूगढ़/गुवाहाटी–नई–दिल्ली राजधानी बरास्ता कानपुर, मुगलसराय, पटना, कटिहार

5. 2435/2436 नई दिल्ली–गुवाहाटी राजधानी बरास्ता मुरादाबाद, लखनऊ, वाराणसी, बरौनी, कटिहार, गुवाहाटी

6. 2421/2422 भुवनेश्वर–नई दिल्ली राजधानी बरास्ता इलाहाबाद, मुगलसराय, गया, हवड़ा,

7. 2305/2306 हवड़ा–नई दिल्ली राजधानी बरास्ता इलाहाबाद, मुगलसराय, पटना, आसनसोल

8. 2313/2314 नई दिल्ली–सियालदह राजधानी बरास्ता इलाहाबाद, मुंगलसराय, गया, धनबाद

9. 2957/2958 अहमदाबाद–नई दिल्ली राजधानी बरास्ता रेवाड़ी, जयपुर, अजमेर

10. 2433/2434 चेन्नई–निजामुद्दीन राजधानी बरास्ता भोपाल, नागपुर, विजयवाड़ा

11. 2301/2302 हवड़ा–नई दिल्ली राजधानी बरास्ता इलाहाबाद, मुगलसराय, गया, आसनसोल

12. 2425/2426 जम्मूतवी–नई दिल्ली राजधानी बरास्ता अम्बाला, लुधियाना, जालंधर

13. 2951/2952 मुम्बई–नई दिल्ली राजधानी बरास्ता कोटा, रतलाम, बड़ोदरा

14. 2309/2310 नई दिल्ली–पटना राजधानी बरास्ता कानपुर, इलाहाबाद, मुगलसराय

[अनुवाद]

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षण कार्य

1142. **श्री पी०डी० एलानगोवन :** क्या **पर्यटन और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपर्याप्त धन और देखरेख करने वाले संबंधित पुरातत्वविदों से विस्तृत रिपोर्ट के अभाव के कारण वर्षों से कतिपय स्मारकों का संरक्षण कार्य नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और संरक्षित किये जाने वाले ऐसे स्मारकों की सर्कलवार सूची क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन संरक्षण कार्यों के लिए वित्तीय सहायता हेतु वित्तपोषण करने वाली यूनेस्को जैसी किसी विदेशी एजेन्सी अथवा किसी अन्य देश से संपर्क किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) और (ख) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण अपने स्मारकों को भली भांति अनुरक्षित रखने के प्रति निरंतर प्रयत्नशील रहता है।

स्मारकों के संरचनागत संरक्षण, रासायनिक परिरक्षण तथा पर्यावरण संबंधी विकास संबंधी कार्यों को स्मारकों की परस्पर प्राथमिकता और धन की उपलब्धता के अनुसार किया जाता है।

(ग) और (घ) निम्नलिखित के लिए यूनेस्को से वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है :-

(क) मध्य प्रदेश में सांची एवं सतधारा स्थित बौद्ध स्मारकों का संरक्षण

(ख) सूर्य मंदिर, कोणार्क की वैज्ञानिक जांच-पड़ताल

(ग) आगरा स्थित ताजमहल तथा अन्य स्मारकों का परिरक्षण

(घ) एलीफेंटा में एक स्थल प्रबंधन कार्यशाला का आयोजन

(ङ) होस्पेट स्थित विश्व दाय स्मारकों के लिए एक स्थल प्रबंधक कार्यशाला का आयोजन

[हिन्दी]

कम बजट वाले होटलों का निर्माण

1143. श्री हरिभाई चौधरी : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भूमि की अनुपलब्धता के कारण मध्यम वर्ग के लिए होटलों का निर्माण करने में असफल रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान अब तक सरकार ने कौन-कौन से स्थानों पर इन होटलों का निर्माण कराने का निर्णय लिया है; और

(ग) इन स्थानों पर भूमि किस मूल्य पर उपलब्ध है और सरकार का किस मूल्य पर भूमि खरीदने का इरादा है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) से (ग) सभी श्रेणियों के होटलों का निर्माण मुख्यतया निजी क्षेत्र में किया जाता है। राज्य सरकार/संघ शासित राज्य प्रशासन भी यात्री निवासों, यात्रिकाओं, पर्यटक बंगलों आदि जैसी कुछ बजट आवास इकाइयों का निर्माण करती हैं जहां निजी क्षेत्र की भागीदारी लाभदायक होने की संभावना नहीं है। पर्यटन विभाग, भारत सरकार प्रत्येक वर्ष उनके परामर्श से प्राथमिकता प्रदत्त ऐसी परियोजनाओं के लिए, प्रस्तावों के गुण-दोष तथा धन की उपलब्धता के आधार पर केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करता है। ऐसी परियोजनाओं के लिए भूमि संबंधित राज्य सरकारों/संघ शासित राज्य प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराना अपेक्षित है।

[अनुवाद]

खाद्योपयोगी श्रेणी के जूट के थैले तैयार करने के लिए विशेष तकनीक

1144. श्री पी०एस० गढ़वी : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय जूट उद्योग अनुसंधान संघ (आई०जे०आई० आर०ए०) ने खाद्य वस्तुओं की पैकिंग के लिए खाद्योपयोगी श्रेणी के जूट के थैले बनाने के लिए राइस ब्राण आयल पर आधारित एक विशेष तकनीक विकसित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या 70 जूट मिलों में से केवल 17 जूट मिलों में खाद्योपयोगी श्रेणी के जूट के थैले बनाने की सुविधा होने की सूचना मिली है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० धनंजय कुमार) : (क) और (ख) जी, हां। भारतीय पटसन उद्योग अनुसंधान संघ (इजिरा) ने हाइड्रो कार्बन मुक्त पटसन बोरों जो कि खाद्य ग्रेड के पटसन बोरों के रूप में वाणिज्यिक रूप से जाने जाते हैं, का विनिर्माण करने के लिए चावल की भूसी के तेल का उपयोग करके एक प्रौद्योगिकी का विकास किया है। चुनिन्दा खाद्य मदों (कोको फलिया, काफी फलियां और गोला गिरियां) को पैकेजिंग में प्रयुक्त होने वाले ऐसे पटसन बोरों के लिए अंतर्राष्ट्रीय पटसन विनिर्देशन संगठन (आई०जे०ओ० 98/01) के मानक यह निर्धारित करते हैं कि बोरों में 1250 मिग्रा०/किग्रा० से अधिक अनसपोनिफियेबल्स निहित नहीं होने चाहिए। बैचिंग आयल के रूप में प्रयुक्त पदार्थ नान टोक्सिक होंगे और पैकेजिंग सामग्री में प्रयुक्त करने के लिए अनुमोदित होंगे ताकि इनके खाद्य सामग्री और बेचिंग आयल के साथ मिलने से इस प्रकार का मिश्रण नहीं हो जो पटसन बोरों में पैके की गयी खाद्य सामग्री के स्वाद को मिटा देगा अथवा खराब कर देगा।

इजिरा ने चुनिन्दा खाद्य मदों की पैकिंग के लिए उपयुक्त पटसन बोरों (हाइड्रो कार्बन मुक्त) का वाणिज्यिक उत्पादन करने के लिए आर०बी०ओ० प्रौद्योगिकी का विकास किया है। आर०बी०ओ० नान टोक्सिक और बायोडीग्रेडेबल है। यह उच्च थर्मल और ओक्सिडेशन स्थिरता के रूप में विशिष्टता प्राप्त है और इसलिए उपयुक्त रूप से रेनसिडीटी मुक्त है।

(ग) इस समय चावल की भूसी के तेल का प्रयोग करने वाली सुविधा से युक्त तथा ऐसे पटसन उत्पादों का उत्पादन करने वाली चौबीस (24) पटसन मिलों ने इजिरा की प्रसंस्करण क्षमता योजना के अंतर्गत लाइसेंस प्राप्त किए हैं और ये हाइड्रोकार्बन मुक्त पटसन उत्पादों का उत्पादन कर रही हैं। इसके अतिरिक्त इजिरा की लाइसेंस शुदा मिलों से एफ०जी०जे०पी० कपड़े की खरीददारी करने के लिए 6 लाइसेंसशुदा कन्वर्टरस भी हैं और उन्हें बोरों में परिवर्तित करते हैं।

(घ) जब से भारतीय पटसन मिल द्वारा वाणिज्यिक प्रयोग के लिए यह प्रौद्योगिकी उपलब्ध हुई है तभी से जब कभी भी इन बोरों की मांग बढ़ती है तो अधिक मिलों से यह आशा की जाती है कि वे अपनी प्रसंस्करण सुविधाओं को उन्नत बनाएंगे और इजिरा से लाइसेंस प्राप्त करेंगे।

रेल सुरक्षा बल कार्मिकों की आवश्यकता से अधिक संख्या

1145. श्री राधा मोहन सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे विभाग रेल सुरक्षा बल की निर्धारित संख्या का घोर उल्लंघन कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या हैड कांस्टेबलों, ए०एस०आई०, एस०आई० और इंसपैक्टरों के 3593 पदों के मुकाबले 28694 पदों की मंजूरी प्रदान कर दी गयी है और इसी संख्या में कर्मचारी नियुक्त हैं;

Scanned by CamScanner

(घ) क्या 19268 रेल सुरक्षा कार्मिकों को सी०एम०सी० कार्यालयों, खेलकूद कार्यक्रमों, मेलों, वी०आई०पी० सुरक्षा जैसी अन्य सेवाओं के लिए नियुक्त किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो अधिनियम के अनुसार रेल सुरक्षा कार्मिकों की सेवाओं का उपयोग करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) जी, नहीं। सी०एम०सी० कार्यालयों, खेलकूद प्रतियोगिता, मेला ड्यूटियों, वी०आई०पी० मार्गरक्षण आदि जैसी ड्यूटियों के लिए 19628 रे०सु०ब० कार्मिकों को तैनात नहीं किया गया था। हालांकि, ऐसी ड्यूटियों के लिए कुछ कर्मचारियों का उपयोग किया गया था।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता क्योंकि रे०सु०ब० कार्मिकों का उपयोग केवल रे०सु०ब० अधिनियम, 1957 और इसके अंतर्गत बनाए नियमों के तहत उन्हें सौंपे गए कार्यों के लिए किया जाता है।

अम्बाला-मंडल में रेल-दुर्घटनाओं के संबंध में जांच-रिपोर्ट

1146. **श्री जी० मल्लिकार्जुनप्पा :**
श्री मोइनुल हसन :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अम्बाला रेल-मंडल में हुई दो प्रमुख रेल-दुर्घटनाओं के कारणों की जांच करने के लिए गठित आयोगों ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन रिपोर्टों का अध्ययन किया है; और

(घ) यदि हां, तो उनकी सिफारिश को लागू करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

मंचेश्वर में कोच-मरम्मत कार्यशाला का कार्यकरण

1147. **श्री भर्तृहरि महताब** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंचेश्वर स्थित कोच-मरम्मत कार्यशाला अपनी पूर्ण-स्वीकृत क्षमता के अनुरूप कार्य कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) कार्यशाला की उपयोगिता का पूरी तरह दोहन करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) जी नहीं, निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए पद आवश्यकतानुसार परिचालित किए जा रहे हैं,

(ग) इस समय कारखाने की क्षमता का उपयोग रेलवे की आवश्यकतानुसार किया जा रहा है।

मेट्रो सी०सी०पी०पी० को ऊर्जा की आपूर्ति

1148. **श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एन०टी०पी०सी०) ने 650 मेगावाट की क्षमता वाले हैदराबाद मेट्रो सी०सी०पी०पी० के कार्यान्वयन के लिए एल०एन०एच०/गैस की आपूर्ति के मामले पर कोई अध्ययन कराया है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ग) क्या राज्य सरकार ने इस बारे में आशंका जाहिर की है कि बढ़ती कीमतों की वजह से नेप्था अवहनीय है,

(घ) यदि हां, तो क्या इस परियोजना हेतु सरकार वैकल्पिक ऊर्जा ईंधन की आपूर्ति करने पर विचार कर रही है,

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(च) यदि नहीं, तो इस परियोजना के लिए नैप्था के स्थान पर किसी अन्य वैकल्पिक ईंधन की तलाश करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (ग) नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन (एन०टी०पी०सी०) ने 650 मे०वा० हैदराबाद मेट्रो सी०सी०पी०पी० के लिए एल०एन०जी०/गैस आपूर्ति मामलों की सम्भावना का पता लगाया है, अन्तर्राष्ट्रीय कच्चा तेल कीमतों में हाल की वृद्धि से नाथपा/एल०एन०जी० कीमत उत्पादन लागत बहुत अधिक (4.50 प्रति यूनिट से अधिक) होने का अनुमान है, जिससे ऐसे विद्युत संयंत्रों के लिए टैरिफ वहन करना सम्भव नहीं हो सकेगा।

(घ) से (च) कृष्णा गोदावरी बेसिन से घरेलू गैस परियोजना के लिए बहुत ही किफायती ईंधन होगा परन्तु इस स्रोत ये ईंधन प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल और अनिश्चित होगा। कोल बेड मीथेन मीथेन (सी०बी०ए०) और गैस हाइड्रेटस जैसे घरेलू संसाधनों से गैस के कुछ विकल्पों की जांच की गई लेकिन इन्हें उपयुक्त नहीं पाया गया।

"बामर लारी एंड कम्पनी केरल" का पुनरूद्धार

1149. **श्री टी० गोविन्दन** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को तरलीकृत प्राकृतिक गैस के सिलिंडरों इत्यादि के उत्पादन के विविधिकरण के द्वारा ''बामर लारी एंड कंपनी, केरल'' का पुनरूद्धार करने के संबंध में प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) बामर लारी एंड कंपनी लिमिटेड को 29.12.2000 को ही औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत स्वयं इकाई बंद करने के लिए अनुमति प्रदान कर दी गई है और सभी कर्मचारियों ने स्वैच्छिक पृथकता योजना लेने के बाद कंपनी की सेवाएं छोड़ दी हैं। इन परिस्थितियों को देखते हुए इस चरण पर किसी पुनरूद्धार पैकेज पर विचार करना वांछनीय नहीं है।

विभिन्न राज्यों में ''पैलेस ऑन व्हील्स'' की तरह रेलगाड़ियां चलाना

1150. **श्री किरीट सौमेया :**
श्री आर०एल० जालप्पा :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों ने, उनके राज्यों में भी ''पैलेस आन व्हील्स'' जैसी रेलगाड़ियां चलाना शुरू करने के लिए रेल विभाग के साथ संयुक्त उद्यम शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में प्रचालन संबंधी ब्यौरे तैयार किए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन रेलगाड़ियों को कब तक शुरू किए जाने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) भारतीय रेल ने मुंबई-रत्नागिरी-सिंधदुर्ग-गोआ-पुणे, औरंगाबाद (अजंता और एलोरा) मुंबई सर्किट पर पैलेस ऑन व्हील किस्म की एक गाड़ी चलाने के लिए 7 फरवरी, 2001 को महाराष्ट्र सरकार के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ग) और (घ) जी हां, रेलें रेक के खाली खोल और गाड़ियों के परिचालन के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं मुहैया कराएंगी। रेक की फर्निशिंग, वातानुकूलन और अन्य कोच उपस्कर फिटिंग का समस्त खर्च महाराष्ट्र पर्यटन विकास निगम द्वारा वहन किया जाएगा जो आतिथ्य सेवाओं और दर्शनीय स्थलों को दिखाने के लिए भी जिम्मेवार होगा।

(ङ) आरामदायक पर्यटन गाड़ी को चालू वर्ष के दौरान चलाए जाने की संभावना है।

डेकेन पावर ग्रिड

1151. **श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल : क्या विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों में, तेजी से होते औद्योगिकीकरण और बढ़ती मांग के मद्देनजर विद्युत आपूर्ति के वितरण हेतु वहां एक पृथक विद्युत ग्रिड (डेकेन पावर ग्रिड) स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;

(घ) क्या जब तक एक पृथक विद्युत ग्रिड की स्थापना नहीं हो जाती तब तक पश्चिमी ग्रिड से महाराष्ट्र को और अधिक विद्युत की आपूर्ति किए जाने की संभावना है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (ग) महाराष्ट्र और गुजरात पश्चिमी क्षेत्रीय यूनिट का हिस्सा है। महाराष्ट्र और गुजरात के लिए पृथक रूप से विद्युत ग्रिड स्थापना का कोई प्रस्ताव नहीं है। गुजरात और महाराष्ट्र सहित पश्चिमी क्षेत्र के सभी राज्यों को आवंटित केन्द्रीय क्षेत्र विद्युत की आपूर्ति की पर्याप्त क्षमता मौजूदा पारेषण नेटवर्क के पास है।

(घ) से (च) पश्चिमी क्षेत्र के केन्द्रीय क्षेत्र विद्युत उत्पादन केन्द्रों से 2022 मे०वा० विद्युत महाराष्ट्र के लिए आवंटित की गई है और इसे केन्द्रीय क्षेत्र स्टेशनों के अनावंटित कोटे से भी 16% (122 मे०वा०) विद्युत प्राप्त हो रही है। अनावंटित कोटे से विद्युत आवंटन की आवधिक समीक्षा की जाती है ताकि संघटक राज्यों की विद्युत कमी को कम किया जा सके।

[हिन्दी]

खाली पड़ी भूमि की बिक्री

1152. **श्री सुबोध मोहिते : क्या पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उसके अधिकाराधीन खाली पड़ी भूमि को बेचने और इससे प्राप्त राशि को पत्तन-कर्मचारियों के हितार्थ निधियां जुटाने के उद्देश्य से प्रयुक्त करने के लिए एक योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रमुख पत्तन – न्यासों के पास खाली पड़ी भूमि का ब्यौरा क्या है;

(घ) पेंशन-कोष बनाने के लिए कितनी धनराशि की आवश्यकता है; और

(ङ) इस भूमि का विक्रय करने के लिए क्या तरीके अपनाये जायेंगे ?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) महापत्तन न्यासों के पास खाली पड़ी भूमि के ब्यौरे इस प्रकार हैं :–

पत्तन	खाली पड़ी भूमि (एकड़ में)
कोचीन	57
कलकत्ता गोदी प्रणाली	54
हल्दिया गोदी प्रणाली	2328
ज०ला० नेहरू	784
विजाग	2863.72
नव मंगलूर	288
पारादीप	552.07
कांडला	206562
मुरगांव	शून्य
मुम्बई	85
तूतीकोरिन	966.11
चेन्नै	शून्य

(घ) पत्तन न्यास अपने प्रचालन अधिशेष के आधार पर पैंशन देयताएं पूरी करने के लिए प्रत्येक पत्तन में सृजित पैंशन निधि के लिए तदर्थ आधार पर वार्षिक रूप मे निधियां हस्तांतरित करते हैं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

पारादीप पत्तन के लिए धनराशि

1153. श्री प्रभात सामन्तराय : क्या पोत परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पारादीप पत्तन प्राधिकरण द्वारा, 1999 में आए महाचक्रवात की विभीषिका के पश्चात् नवीकरण, पुनर्निर्माण तथा विकास कार्यों के लिए कुल कितनी धनराशि की मांग की गई है;

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ, 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान, पारादीप पत्तन प्राधिकरण को कितनी धनराशि की मंजूरी दी गई; और

(ग) अब तक पारादीप पत्तन द्वारा किए गए नवीकरण कार्यों की प्रगति का ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) से (ग) पत्तन और बंदरगाह की क्षतिग्रस्त सुविधाओं की मरम्मत और पारादीप पत्तन के साथ संलग्न क्षेत्र में स्कूल-सह-चक्रवात राहत केन्द्रों को सुलभ कराने के लिए 68.50 करोड़ रु० की राशि की मांग की गई थी। पारादीप पत्तन न्यास द्वारा मांगी गई समस्त धनराशि वित्त वर्ष 2000-01 के दौरान सरकार द्वारा उपलब्ध करा दी गई हैं क्षतिग्रस्त पत्तन और बंदरगाह मरम्मत पूरी करके बहाल कर दिए गए हैं और पारादीप पत्तन न्यास द्वारा निर्मित किए जाने वाले कुल 117 स्कूल-सह-चक्रवात राहत केन्द्रों में से 61 केन्द्रों को पहले ही पूरा किया जा चुका है।

केरल में पर्यटन परियोजनाएं

1154. श्री वी०एम० सुधीरन :
श्री पी०सी० थामस :
श्री के० मुरलीधरन :
श्री टी० गोविन्दन :

क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान, केरल सरकार द्वारा पर्यटन विकास के संबंध में जिन परियोजनाओं को प्रस्तुत किया गया, उनके नाम क्या हैं;

(ख) इस अवधि के दौरान, केन्द्र सरकार द्वारा किन-किन परियोजनाओं को मंजूरी दी गई और उनके लिए परियोजना-वार कितनी धनराशि संस्वीकृत तथा जारी की गई;

(ग) पर्यटन विकास के क्षेत्र में राज्य सरकार ने क्या प्रगति की है; और

(घ) केरल के पर्यटन क्षेत्र की संभावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए इसे राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तरों का बनाने के लिए कौन सी विशिष्ट योजना शुरू की गई है ?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) और (ख) अपेक्षित जानकारी विवरण-I और II में दी गई है।

(ग) पर्यटन का विकास और संवर्धन मुख्यत: राज्य सरकारों/संघ शासित राज्य सरकारों द्वारा स्वयं किया जाता है। तथापि, केन्द्रीय पर्यटन विभाग उनके साथ विचार-विमर्श करके प्रत्येक वर्ष प्राथमिकता प्रदत्त परियोजनाओं के लिए धन उपलब्ध कराता है। प्राथमिकता प्रदत्त परियोजना-प्रस्तावों की जांच पर्यटन विभाग में की जाती है तथा परियोजना के लाभ हानि तथा धन की उपलब्धता के आधार पर धनराशि दी जाती है। इसके अतिरिक्त, पर्यटक स्थलों के रख रखाव की जिम्मेदारी सम्बद्ध राज्य सरकार/संघ शासित राज्य की है।

(घ) सरकार द्वारा विदेश स्थित अपने 18 कार्यालयों के माध्यम से मुद्रण एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया में विज्ञापन देकर, यात्रा

मेलों में भाग लेकर, मीडिया और यात्रा अभिकर्ताओं के साथ परस्पर बातचीत करके तथा सूचना तकनालाजी का अधिकाधिक प्रयोग करते हुए पर्यटन की दृष्टि से केरल राज्य सहित भारत का संवर्धन करके विदेशी तथा घरेलू पर्यटकों को आकर्षित किया जा रहा है। राज्य सरकारों/संघ राज्य सरकारों द्वारा भी अपने-अपने यहां के पर्यटक आकर्षणों का संवर्धन किया जा रहा है।

विवरण-I

केरल राज्य सरकार के संदर्भ में वर्ष 1999-2000 के दौरान प्रस्तुत परियोजनाएं, स्वीकृत एवं अवमुक्त राशि के ब्यौरे

(लाख रुपयों में)

क्र०सं०	परियोजना का नाम	स्वीकृत राशि	अवमुक्त राशि
1.	कोथराथेडे में बैंक वाटर साइड सुविधा	50.00	15.00
2.	नेडुमुडि में बैक वाटर साइड सुविधा	50.00	0.01 (टोकन राशि)
3.	वाट्टाक्कायल में बैक वाटर साइड सुविधा	50.00	0.01 (टोकन राशि)
4.	(सीवरेज एंड सालिड वेस्ट डिसपोजल सिस्टम) कोवालम बीच का एकीकृत विकास	71.19	21.36
5.	वागामोन पर्यटक रिज़ार्ट का एकीकृत विकास	25.00	7.50
6.	मत्रराकाड में मार्गस्थ सुविधा का निर्माण	75.00	22.50
-	हिल पैलेस, कोच्चि के लिए 98 लाख का एकीकृत विकास	70.00	0.01 (टोकन राशि)
8.	कुमारजेम में पर्यटक आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र	7.50	2.25
9.	बोलगाट्टी में पर्यटक आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र	7.50	2.25
10.	थेक्काडी में पारिस्थितकी मैत्रीय साइलेंट जनरेटर	38.09	19.05
11.	पथिरामानल में पारिस्थितकी मैत्रीय फ्लोरिंग रिजार्ट का एकीकृत विकास	100.00	0.01 (टोकन राशि)
12.	थेक्काड़ी से मुन्नार तक सड़क संपर्क का एकीकृत विकास	50.00	15.00
13.	टी०आर०सी० (3-थेकरी, मुन्नार तथा व्ययी) (प्रत्येक को 25 लाख रुपए)	75.00	22.50
14.	मेले तथा उत्सव (5 परियोजनाएं)	5.00	2.50
15.	मन्नार में यात्री निवास	98.00	0.01 (टोकन राशि)
16.	मालाबार क्षेत्र में अबर व्यू रिजार्ट	प्रस्ताव अपूर्ण	
17.	कोट्टायम – कुमारकोम, नेनमारा – नेलीयामपथी रोड़, तिरूवनन्तपुरम से पोतमुड़ी और चलपुड़ी से वझाचल रोड़ का समेकित विकास	स्वीकृत नहीं	

विवरण-II

केरल राज्य सरकार के संदर्भ में वर्ष 2000-2001 के दौरान प्रस्तुत परियोजनाएं, स्वीकृत एवं अवमुक्त राशि के ब्यौरे

(लाख रुपयों में)

क्र०सं०	परियोजना का नाम	स्वीकृत राशि	अवमुक्त राशि
1	2	3	4
1.	केरल के अप्रवाही जल में उच्चकोटि के जल क्रीड़ा पर आधारित पर्यटन उत्पादों का प्रयोग एवं शुरूआत	प्रस्ताव अपूर्ण	

1	2	3	4
2.	मालाबार में हाउस बोट (8)	प्रस्ताव अपूर्ण	
3.	थान्निमुक्कम में पर्यटक परिसर	100.00	30.00 (राशि प्रतिक्षित)
4.	मल्लार में साहसिक पर्यटन का संवर्धन	प्रस्ताव अपूर्ण	
5.	एस०वी०जे०टी० हाल की प्रकाशपुंज व्यवस्था	प्रस्ताव अपूर्ण	
6.	प्रमुख नगर केन्द्रों पर भुगतान करो और इस्तेमाल करो-शौचालय	100.00	30.00 (राशि प्रतिक्षित)
7.	थेक्काड़ी स्थित पेरियार झील के लिए बैटरी चालित नावों की प्राप्ति	प्रस्ताव अपूर्ण	
8.	सेंदुरनी वन्य जीव अभ्यारण रिजर्व के लिए बोटिंग हेतु डबल हल नावों की खरीद	प्रस्ताव अपूर्ण	
9.	वेबसाइट रखरखाव मल्टीमीडिया और वीडियो निर्माण का प्रस्ताव	प्रस्ताव अपूर्ण	
10.	मालाबार ढो	प्रस्ताव अपूर्ण	
11.	त्रिवेन्द्रम में बहुउद्देशीय सांस्कृतिक परिसर का भूसुंदरीकरण	30.00	9.00
12.	राज्य के अप्रवाही जल के एकीकृत विकास के लिए मास्टर प्लान की तैयारी	प्रस्ताव अपूर्ण	
13.	यहूदी प्रार्थना भवन, कोट्टाइल कोविलाकम, वेपैकोटा सेमीनरी और कोट्टापुरम कोट्टा हैरिटेज भावनों का जीर्णोद्धार	31.20	9.36
14.	एलिफेंट फेस्टिवल्स	प्रस्ताव अपूर्ण	
15.	अष्टमुडी आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स	-वही-	
16.	मालाबार महोत्सव	-वही-	
17.	अरनमुल्ड बोट रेस	-वही-	
18.	नेहरू ट्राफी बोट रेस	-वही-	
19.	इंदिरा गांधी बोट रेस	-वही-	
20.	विलेज फेयर (ग्राम्य मेला)	-वही-	
21.	केरल स्थित नेपियर संग्रहालय का सौंदर्यीकरण	34.00	10.20 (वर्ष 2000-2001 के दौरान पुन: मान्य)
22.	फोर्ट कोच्चि मैंटचरी और ज्यू टाउन का एकीकृत विकास	75.00	22.50 (-वही-)
23.	पल्लाथुरथी में अप्रवाही जल के आसपास सुविधाएं	50.00	15.00 (स्वीकृति पुन: मान्य किन्तु राशि प्रतिक्षित)

स्मारकों में सुरक्षा-प्रबंधन

1155. **श्री सुरेश रामराव जाधव :**
डॉ० जसवंतसिंह यादव :
श्री टी०टी०वी० दिनाकरन :

क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के ऐतिहासिक स्मारकों का सुरक्षा प्रबंध किस प्रकार किया जाता है;

(ख) क्या लालकिले की सुरक्षा में खामी के मद्देनजर सरकार ने सुरक्षा व्यवस्था के लिए कोई योजना बनाई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) देश के स्मारकों की सुरक्षा तथा संरक्षण के लिए सरकार द्वारा अन्य कौन से कदम उठाए गए हैं ?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों की सुरक्षा के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण

के स्मारक परिचरों, प्राइवेट सुरक्षा और राज्य पुलिस कार्मिकों को मिलाकर लगाया जाता है।

(ख) और (ग) जहां कहीं आवश्यक हुआ, और अधिक प्रबंध किए गए हैं।

(घ) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण अपने स्मारकों को भली-भांति अनुरक्षित रखने के प्रति निरंतर प्रयत्नशील है; इन स्मारकों का संरक्षण, रासायनिक परिरक्षण एवं पर्यावरण संबंधी विकास स्थल की आवश्यकताओं के अनुसार किया जाता है बशर्ते कि धन उपलब्ध हो। अतिक्रमण रोकने के लिए संरक्षित स्थलों में बाड़ लगाने के कार्य में भी तेजी लाई गई है।

राजस्थान में विद्युत परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक ऋण

1156. **कर्नल (सेवानिवृत्त) सोनाराम चौधरी :** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने राजस्थान में विद्युत परियोजनाओं की पुनर्संरचना के लिए 180 मिलियन डालर का ऋण देने की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन परियोजनाओं की पुनर्संरचना करने से राज्य में विद्युत वितरण के निजीकरण तथा छोटे स्तर पर विद्युत के उत्पादन को बढ़ावा देने की दिशा में प्रगति होगी;

(ग) यदि हां, तो राजस्थान में विद्युत क्षेत्र की पुनर्संरचना पर कितनी धनराशि व्यय होने का अनुमान है;

(घ) क्या परियोजनाओं की पुनर्संरचना से विद्युत क्षेत्र का घाटा कम किया जा सकेगा; और

(ङ) यदि हां, तो किस हद तक ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (ङ) विश्व बैंक ने जनवरी, 2001 में राजस्थान विद्युत क्षेत्र पुनर्गठन परियोजना के लिए भारत को 180 मिलियन अमरीकी डॉलर का एक ऋण अनुमोदित किया है। 180 मिलियन अमरीकी डॉलर के विश्व बैंक निवेश ऋण का मुख्यत: पारेषण, उप-पारेषण और वितरण प्रणालो के सुदृढ़ीकरण, एल०टी० के बगैर पारेषण प्रणाली की अधिष्ठापना करने, बेहतर मीटरिंग तथा उपभोक्ता सेवाओं के सुधार के लिए भी प्रयोग किए जाने का आशय है। विश्व बैंक ऋण का उद्देश्य विद्युत क्षेत्र सुधारों को तीव्र करना है। राजस्थान ने पहले ही अपने बिजली बोर्ड को एक उत्पादन, एक पारेषक और तीन वितरण कम्पनियों में पृथक कर दिया है। राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग कार्य कर रहा है और पारेषण एवं वितरण कम्पनियों द्वारा टैरिफ याचिकाएं दायर की गई हैं। राजस्थान ने वर्ष 2002 तक वितरण का भी निजीकरण करने का फैसला किया है। टैरिफ के यौक्तिकरण, पारेषण एवं वितरण हानियों में कमी करके यह क्षेत्र वाणिज्यिक व्यवहार्यता प्राप्त कर सकेगा।

[हिन्दी]

पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात

1157. **डा० सुशील कुमार इन्दौरा :**
श्री नवल किशोर राय :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश से अनेक प्रकार के पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान, वर्षवार किन-किन पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात किया गया;

(ग) इस अवधि के दौरान, निजी और सरकारी क्षेत्रों से, पृथक पृथक कितनी मात्रा में इन उत्पादों का निर्यात हुआ; और

(घ) इस अवधि के दौरान दोनों क्षेत्रों द्वारा, पृथक पृथक कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) जी, हां।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान तेल कंपनियों द्वारा वर्षवार निर्यात किए गए पेट्रोलियम उत्पाद निम्नानुसार हैं :–

1997-98	नाफ्था/एन०जी०एल०, एफ०ओ०/एल०एस० एच०एस०
1998-99	नाफ्था/एन०जी०एल०
1999-2000	नाफ्था/एन०जी०एल०, एम०एस० अन्य (आफस्पेक एल०पी०जी०)

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान निजी और सार्वजनिक क्षेत्र से अलग से की गई पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात की मात्रा निम्नानुसार रही :

000 टन

	1997-98	1998-99	1999-2000
सार्वजनिक क्षेत्र	2381	720	406
निजी	–	–	340
योग	2381	720	746

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान दोनों क्षेत्रों द्वारा अलग से कमाई गई विदेशी मुद्रा निम्नानुसार दी गई है :

मिलियन अमरीकी डालर

	1997-98	1998-99	1999-2000
सार्वजनिक क्षेत्र	355	86	78
निजी क्षेत्र	—	—	83

[अनुवाद]

राज्य विद्युत निगमों को घाटा

1158. श्री अधीर चौधरी : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 8 जनवरी, 2001 के "दि स्टेट्समैन" समाचार पत्र में पावर हगरी पॉलिटिशियन्समिक इलेक्ट्रिसिटी बोईस ड्रोई, शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों ने अपने राजनैतिक स्वार्थों के लिए सभी राज्य विद्युत निगमों का दुरुपयोग करके उन्हें बर्बाद किया है;

(ग) क्या दोषपूर्ण सरकारी नीतियों की वजह से राज्य विद्युत निगमों को करोड़ों रुपये का घाटा उठाना पड़ा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य तथा ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार का अब किस प्रकार के सुधारात्मक कदम उठाने का विचार है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) राज्य बिजली बोर्डों को घाटे के मुख्य कारण विद्युत की चोरी एवं दुरुपयोग, उच्च पारेषण एवं वितरण हानियां, कम वसूली तथा अव्यवहारिक टैरिफ ढांचा है जिसके कारण आपूर्ति की लागत तथा प्रति यूनिट वसूली के मध्य अंतर बढ़ता जाता है।

(ङ) भारत सरकार ने विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998 को लागू किया है ताकि टैरिफ का यौक्तिकरण आर्थिक सहायता इत्यादि के लिए पारदर्शी नीतियां लाई जा सकें इत्यादि। केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग का गठन कर लिया गया है। और इसने कार्य करना आरंभ कर दिया है। इस अधिनियम के द्वारा राज्य सरकार राज्य विद्युत विनियामक आयोगों को गठन कर पाएगी। अभी तक 15 राज्यों ने एस०ई०आर०सी० के गठन की सूचना दी है। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और हरियाणा के एस०ई० आर०सी० ने पहले ही टैरिफ आदेश जारी कर दिए हैं।

विद्युत क्षेत्र सुधारों, विशेषत: वितरण में, तीव्र करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने कई कदम उठाए हैं। फरवरी, 2000 में आयोजित मुख्य मंत्रियों/विद्युत मंत्रियों के सम्मेलन में यह संकल्प लिया गया कि दृढ़ता, उत्साह और तीव्रता के साथ सुधार आरंभ किए जाने चाहिए। सुधार नीति के प्रमुख घटक निम्नवत है :–

(i) सभी स्तरों पर ऊर्जा लेखा परीक्षा।

(ii) दिसम्बर, 2001 तक सभी उपभोक्ताओं की 100% मीटरिंग का समयबद्ध कार्यक्रम।

(iii) एक निर्धारित समय-सीमा के भीतर विद्युत चोरी में कमी तथा अंतत: उसका उन्मूलन।

(iv) प्राथमिकता आधार पर उपकेन्द्र को एक यूनिट के रूप में लेते हुए उप-पारेषण एवं वितरण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण/उन्नयन करना।

इस बात पर भी सहमति प्रकट की गई कि यदि यह विद्यमान ढांचे में अपर्याप्त महसूस हो तो वितरण का निगमीकरण/सहकारिता ऋण/निजीकरण करना होगा। भारत सरकार राज्यों के साथ सुधार संबंधी समझौता ज्ञापनों पर भी हस्ताक्षर कर रही है जिसमें राज्य पारेषण एवं वितरण हानियों को कम करने, चोरी को रोकने, बिलिंग एवं वसूली में सुधार करने, कार्यकारी एस०ई०आर०सी० इत्यादि की स्थापना करने इत्यादि के लिए निश्चित लक्ष्य प्राप्त करने हेतु वचनबद्ध है। भारत सरकार त्वरित विद्युत विकास कार्यक्रम तथा केन्द्रीय पूल के अनावंटित हिस्से से विद्युत के अतिरिक्त आवंटन के द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान करती है। अभी तक कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा और गुजरात राज्यों ने एम०ओ०यू० पर हस्ताक्षर किए हैं।

उत्तर मुम्बई हाई में ओ०एन०जी०सी० द्वारा अन्वेषण कार्य

1159. प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस निगम (ओ०एन०जी०सी०) ने हाल ही में उत्तर मुंबई हाई नामक नए क्षेत्र में अपने परिचालन आरंभ किये हैं;

(ख) यदि हां, तो इस नए तेल क्षेत्र में कितनी मात्रा में कच्ची संसाधन सामग्री मिलने का अनुमान है;

(ग) 2000-2001 और 2001-2002 के दौरान, इस नए तेल क्षेत्र से कितने मिलियन टन कच्ची तेल सामग्री उत्पादित किए जाने की योजना है;

(घ) क्या इस नए तेल स्रोत मुंबई हाई से अन्य तेल क्षेत्रों के कम होते जा रहे उत्पादन का संतुलन बिठाने में सहायता होगी; और

(ङ) इस नए तेल कूप के दोहनार्थ क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क)

जी, नहीं। तथापि, मुंबई हाई उत्तरी क्षेत्र, मुंबई हाई क्षेत्र, जो मई, 1976 से विकास/उत्पादन के अधीन है, का एक भाग है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

होटल उद्योग को सुविधाएं

1160. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या होटल उद्योग ने केन्द्र सरकार से होटल व्यय कर को समाप्त करने का अनुरोध किया है और मांग की है कि राज्य सरकार को अपने विलासिता कर के स्तर को 10 प्रतिशत के अंदर लाना चाहिए;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके अतिरिक्त उद्योग यह भी चाहता है कि व्यय कर को विदेशी अतिथियों पर नहीं लगाया जाना चाहिए जो अपने बिलों का भुगतान विदेशी मुद्रा में कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) होटल व्यय कर को पूर्णत: समाप्त कर देने अथवा जो विदेशी अतिथि विदेशी मुद्रा में बिलों का भुगतान करते हैं उनको कर मे छूट प्रदान करने से संबंधित होटल उद्योग संघ के सुझावों को पर्यटन विभाग द्वारा संस्तुत किया गया है। सभी राज्य/संघ राज्य सरकारों मे यह अनुरोध भी किया गया है कि वे अपने यहां के विलासिता कर को 10% की सीमा में रखकर तर्कसंगत बनाएं।

(घ) यथोपरि।

एन०टी०पी०सी०

1161. श्रीमती श्यामा सिंह : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 6 जनवरी, 2001 के "दि हिन्दुस्तान टाइम्स" में "एन०टी०पी०सी० हेडिंग फार डार्क डेज" शीर्षक मे प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सी०ई०आर०सी० द्वारा घोषित नये शुल्क और अवमूल्यन मान्दंड राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम को प्रभावित करेगी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाने का विचार है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग ने 15 दिसंबर, 2000 तथा 21 दिसंबर, 2000 को क्रमश: उपलब्धता आधारित टैरिफ (ए०बी०टी०) तथा राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड सहित केंद्रीय उत्पादन स्टेशनों हेतु टैरिफ सिद्धांतों और मानदण्डों संबंधी आदेश जारी किए हैं। उपरोक्त आदेशों के प्रभाव में जैसा कि एन०टी०पी०सी० द्वारा दर्शाया गया है, एन०टी०पी०सी० द्वारा आंतरिक संसाधन उत्पादन में काफी कमी करना शामिल है जिससे 2012 तथा 20,000 मे०वा० के इसके क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। एन०टी०पी०सी० द्वारा अगले 11 वर्षों में अर्थात् 2011-12 तक इंगित किया गया कुल प्रभाव लगभग 18,000 करोड़ रु० होगा जैसा कि नीचे ब्यौरा दिया गया है :–

लक्ष्य उपलब्धता में वृद्धि के कारण	5,000 करोड़ रु०
मूल्य ह्रास दरों में कमी के कारण	11,000 करोड़ रु०
ओ० एण्ड एम० लागत हेतु कम वृद्धि दरों को अपनाने के कारण	2,000 करोड़ रु०
कुल	18,000 करोड़ रु०

(घ) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998 के अंतर्गत गठित एक स्वतंत्र सांविधिक निकाय है जिसके पास अन्य बातों के साथ-साथ केन्द्र सरकार के स्वामित्व अथवा नियंत्रणाधीन उत्पादन कंपनियों के टैरिफ का विनियामन करने तथा इस प्रकार की उत्पादन कंपनियों के लिए टैरिफ के निर्धारण हेतु विनियमन द्वारा शर्तों एवं निबंधनों को निर्धारित करने की शक्तियां विद्यमान हैं। सी०ई०आर०सी०, अधिनियम, 1998 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए सी०ई०आर०सी०, ने उक्त आदेशों को जारी कर दिया है। तथापि एन०टी०पी०सी० ने सी०ई०आर०सी० के समक्ष एक समीक्षा याचिका दायर की है और उपलब्ध आधारित टैरिफ संबंधी सी०ई० आर०सी० के आदेश के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में एक अपील भी दायर की है।

श्रीलंका के साथ रेल संपर्क

1162. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार रेल मार्ग द्वारा रामेश्वरम भारत को श्रीलंका मुख्य भूमि के साथ जोड़ने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) रेल संपर्कों पर तभी विचार किया जाता है जब ऐसे संपर्क आवश्यक हो तथा परियोजना अर्थक्षम हो। इस मंत्रालय को कहीं से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

तसर रेशम का उत्पादन

1163. श्री अनंत नायक : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विभिन्न राज्यों विशेषकर उड़ीसा और झारखंड राज्यों में तसर रेशम के उत्पादन में वृद्धि करने की भारी संभावनाओं की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान और आज तक इन राज्यों में तसर रेशम उत्पादन को बढ़ाने हेतु राज्यवार किन-किन संभावनाओं का पता लगाया गया है; और

(ग) उक्त योजना के अंतर्गत राज्यवार और वर्षवार कितनी धनराशि प्रदान की गयी है ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० धनंजय कुमार) : (क) और (ख) जी, हां। उड़ीसा तथा अब झारखंड राज्य में आने वाले क्षेत्रों में तसर रेशम उत्पादन बढ़ाने के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय रेशम बोर्ड (सी०एस०बी०) द्वारा उठाये गये कदम निम्नानुसार है :–

(1) उड़ीसा में यू०एन०डी०पी० इ०एच०ए०पी० के तहत गैर-शहतूती रेशम का एक उप-कार्यक्रम,

(2) सिमिलीपल जैव-क्षेत्र में वन्य तसर पारि प्रजातीय के संरक्षण की एक संमन्वित परियोजना;

(3) दोनों राज्यों में उत्प्रेरक विकास योजना के लिए :–

(क) उष्णकटिबंधिय तसर के लिए बीज-गुणन के उन्नयन हेतु राज्यों को सहायता;

(ख) उष्णकटिबंधिय तसर के लिए उन्नत किस्म के रीलींग व कताई उपकरणों के प्रचलन हेतु सहकारिताओं को सहायता, तथा

(ग) तसर के लिए फसल बीमा।

(4) इन राज्यों में स्थित केन्द्रीय रेशम बोर्ड केन्द्रों के माध्यम से अनुसंधान, बीज गुणन प्रदर्शन सह-प्रशिक्षण व तकनीकी सेवाएं तथा गतिविधियां।

(ग) वर्ष 1997-98 से 2000-2001 (दिसम्बर, 2001 तक) की अवधि के दौरान उपर्युक्त परियोजनाओं पर किया गया राज्यवार व्यय निम्नानुसार है :–

(लाख रुपये में)

वर्ष	उड़ीसा	झारखंड
1997-98	125.22	443.32
1998-99	147.78	464.79
1999-2000	203.80	515.48
2000-2001 दिसम्बर, 2000 तक)	188.71	452.10

एन०ई०एल०पी० के अंतर्गत अन्वेषण हेतु किए गए क्षेत्र

1164. श्री एम०वी०वी०एस० मूर्ति :
श्री शिवाजी माने :
श्री त्रिलोचन कानूनगो :
श्री राम मोहन गाड्डे :
श्री वीर सिंह महतो :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति को मंजूरी प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) एन०ई०एल०पी०-II के अंतर्गत तेल अन्वेषण हेतु अब तक कितने लाइसेंस जारी किये गए हैं और लाइसेंस धारकों के क्या नाम हैं;

(घ) इन लाइसेंसों को किस आधार पर जारी किया गया है;

(ङ) क्या विदेशी निवेशकों ने इस क्षेत्र में दिलचस्पी दिखाई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति, जो अन्वेषण रकबे प्रदान करने के लिए निजी और सार्वजनिक क्षेत्र कंपनियों हेतु समान कार्य अवसर प्रदान करती है, सरकार द्वारा फरवरी, 1997 में अनुमोदित की गई थी। नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति की मुख्य विशेषताएं विवरण-I में दी गई हैं।

(ग) नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति के दूसरे दौर के तहत 25 ब्लाकों में तेल और गैस के अन्वेषण के लिए बोलियां 18.12.2000 को आमंत्रित की गई हैं। पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस (पी०ई०एल०),

ब्लाकों के प्रदान किए जाने और संबंधित ब्लाकों के लिए उत्पादन हिस्सेदारी संविदाओं पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद जारी किए जाएंगे।

(घ) नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति के तहत प्रदान किए गए ब्लाकों के लिए पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस समय-समय पर संशोधित पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियमावली, 1959 के तहत प्रदत्त प्राधिकार द्वारा जारी किए गए हैं।

(ङ) और (च) नई आन्वेषण लाइसेंसिंग नीति के तहत किए गए ब्लाकों के पहले प्रस्ताव के प्रति कुल 25 ब्लाक प्रदान किए गए हैं। इनमें से 16 अन्वेषण ब्लाक विदेशी निजी कंपनियों/सदस्यों के रूप में विदेशी कंपनियों के परिसंघ को प्रदान कर दिए गए हैं। इन ब्लाकों का कंपनीवार ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

नई अन्वेषण लाइसेंस नीति की व्यापक शर्तें निम्नवत हैं :–

× कोई हस्ताक्षर खोज अथवा उत्पादन बोनस नहीं।

× कोई अनिवार्य राज्य प्रतिभागिता नहीं।

× राष्ट्रीय तेल कंपनियों के द्वारा कोई धारित हित नहीं।

× वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ होने से सात वर्षों के लिए आयकर में छूट।

× पेट्रोलियम प्रचालनों के लिए अपेक्षित आयातों पर कोई सीमा शुल्क नहीं।

× 100 प्रतिशत तक बोली योग्य लागत वसूली सीमा।

× प्रथम वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ होने से 10 वर्ष की अवधि में अन्वेषण एवं वेधन व्ययों को चुकाने के लिए विकल्प।

× संविदाकार के द्वारा प्राप्त किए गए कर-पूर्व निवेश अपवर्त्य पर आधारित लाभ पेट्रोलियम की बोली योग्य हिस्सेदारी।

× जमीनी क्षेत्रों के लिए रायल्टी कच्चा तेल के लिए 12.5 प्रतिशत तथा प्राकृतिक गैस के लिए 10 प्रतिशत की दर से देय है। अपतटीय क्षेत्र के लिए यह तेल एवं प्राकृतिक गैस के लिए 10 प्रतिशत की दर से देय है। 400 मीटर समुद्री गहराई से अधिक गहन जल क्षेत्रों में खोजों के लिए रायल्टी वाणिज्यिक उत्पादन के प्रथम सात वर्षों के लिए अपतटीय क्षेत्रों के लिए लागू दर के आधे पर प्रभार्य होगी।

× संविदा के अंतर्गत राजकोषीय स्थिरता का प्रावधान।

× संविदाकार को घरेलू बाजार में तेल एवं गैस के विपणन की स्वतंत्रता।

× समनुदेशन का प्रावधान।

× सुलह एवं माध्यस्थम् अधिनियम, 1996 लागू होगा।

विवरण-II

कंपनियों/परिसंघों का नाम	ब्लाकों का नाम
गेल-गाजप्रोम	एनईसी-ओएसएन- 97/1
कैर्न एनर्जी इंडिया प्रा० लि०	केजी-डीडब्ल्यूएन- 98/2
रिलायंस इंडस्ट्रीज लि० (आरआईएल)-नाइको रिसोर्सेज लि० (नाइको)	केजी-डीडब्ल्यूएन-98/1, केजी-डी डब्ल्यूएन-98/3, एमएन-डीडब्ल्यूएन 98/2, जीके-ओएसएन-97 केजी-ओएसएन-97/2, केजी ओएसएन-97/3, केजी-ओएसएन 97/4, केके-ओएसएन-97/2, एमबी ओएसएन-97/2, एमबी ओएसएन 97/3, एनईसी-ओएसएन-97/2 और एसआर-ओएसएन-97/1
मासबेचर एनर्जी-एनर्जी इक्विटी हिन्दुस्तान आयल कंपनी लि० (एचओईसी)	सीवाई-ओएसएन-97/1
ज्योएन्प्रो इंडिया लि०-ज्योपेट्रोल इंटरनेशनल-एन्प्रो इंडिया लि०	एआरपी-ओएनएन-97/1

ज्वारीय ऊर्जा

1165. **श्री चन्द्र विजय सिंह** : क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऊर्जा आवश्यकता को पूरा करने के लिए ज्वारीय ऊर्जा के उपयोग हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) चालू योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) अपारंपरिक ऊर्जा के प्राकृतिक स्रोत की अनदेखी किए जाने के क्या कारण है ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम० कन्नप्पन) : (क) और (ख) कच्छ की खाड़ी, गुजरात में 900 मे०वा० के ज्वारीय विद्युत संयंत्र तथा सुन्दरबन, पश्चिम बंगाल के दुर्गादुआनी क्रीक में 3 मेगावाट के ज्वारीय विद्युत संयंत्र के लिए तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार की गई है। गुजरात सरकार ने कैम्बे की खाड़ी, गुजरात में कल्पसार ज्वारीय स्थल के लिए एक पूर्व-व्यवहार्यता अध्ययन करवाया है।

(ग) ज्वारीय ऊर्जा के दोहन के लिए पूंजी निवेश बहुत अधिक अर्थात् 10-12 करोड़ रु० प्रति मेवा० है और इस माध्यम से विद्युत के उत्पादन की लागत भी बहुत अधिक लगभग 10 रु० से 12 रु० प्रति किवा० घंटा है।

[हिन्दी]

बिहार में नये विद्युत संयंत्र

1166. **श्री निखिल कुमार चौधरी :**
श्री राजो सिंह :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बिहार में विशेषकर कटिहार में नये विद्युत संयंत्रों की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (ग) बिहार में नौवीं योजना में अब तक निम्नांकित परियोजनाएं स्थापित की गई है।

परियोजना का नाम	क्षमता मे०वा०
1. पूर्वी गण्डक	5
2. जोजोबेरा टीपीएस (यू. 1)	12

जोजोबेरा टीपीएस (120 मे०वा०) की दूसरी यूनिट भी नौवीं योजना के दौरान स्थापित होने का अनुमान है।

निम्नलिखित परियोजनाएं बिहार में अनंतिम रूप से योजना अवधि में स्थापित होने का प्रस्ताव है :–

परियोजना का नाम	क्षमता (मे०वा०)
मुजफ्फरपुर टीपीपी विस्तार	2x250
तेनघाट विस्तार	630
कोयल कारो	710
नाँथ कोयल	24
चांडिल	8
उत्तरी कररपरा (एनटीपीसी)	1980
बाढ़ (एनटीपीसी)	1980
कहलगांव चरण-2 (एनटीपीसी)	1320
मैथॉन राइट-बैंक (डीवीसी और बीएसईएस का संयुक्त उद्यम)	1000

एनटीपीसी, बिहार द्वारा प्रस्तावित दोनों विद्युत परियोजनाएं अर्थात् कहलगांव एसटीपीपी चरण-2 (2x600 मे०वा०) व बाढ़ एसटीपीपी (3x660 मे०वा०) जांच के अधीन है ताकि के०वि०प्रा० द्वारा उन्हें तकनीकी आर्थिक स्वीकृति प्रदान की जा सके। कटिहार समेत निम्नलिखित परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) आवश्यक इनपुटों के अभाव में परियोजना अधिकारियों को लौटा दी गयी हैं :–

क्र०सं०	परियोजना का नाम	क्षमता (मे०वा०)
1.	कटिहार	2x250
2.	राय	2x200+4x500
3.	पतरातू विस्तार चरण-5	2x210
4.	कधवन एमपीपी	5x90
5.	बरून चरण-1	2x500
6.	पटना जीटी संयुक्त साईकिल	2x50+2x30
7.	बरौनी जीटी संयुक्त साईकिल	2x50+2x30
8.	पटना टीपीएस	2x67.5
9.	उत्तरी करनपुरा चरण-1	2x500
10.	कन्हार पम्प स्टोरेज स्कीम	3x100
11.	शंख चरण-2 एचईपी	186

बिहार रा०वि०बो० (बीएसईबी) से जनवरी, 1994 में कटिहार टीपीएस (2x250 मे०वा०) की स्थापना का प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। प्रस्ताव की के०वि०प्रा० में जांच की गई और कतिपय आवश्यक निवेशों स्वीकृतियों के अभाव में स्कीम अक्तूबर, 1995 में बिहार रा०वि० बोर्ड को वापस कर दी गयी। बाद में बिहार सरकार से इस संबंध में कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। आवश्यक निवेश/स्वीकृतियों की सुनिश्चितता तथा परियोजना अधिकारियों द्वारा स्वीकृतियां प्राप्त होते ही लंबित परियोजनाओं की तकनीकी-आर्थिक स्वीकृत पर विचार किया जाएगा।

[अनुवाद]

वृहद विद्युत परियोजनाओं के लिए सुरक्षा तंत्र

1167. **श्री अनंत गुढे** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिरमा इनोक और पीपावान स्थित वृहद विद्युत परियोजनाओं के लिए वैकल्पिक भुगतान सुरक्षा तंत्र हेतु कोई प्रस्ताव है जैसाकि वित्तीय संस्थानों द्वारा सुझाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका वित्तीय प्रभाव क्या पड़ेगा जिसकी संकल्पना राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एन०टी०पी०सी०) और वित्तीय संस्थान द्वारा की गई है;

(ग) इस प्रस्ताव पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) प्रस्ताव की मौजूदा स्थिति क्या है और इस संबंध में प्रस्तावित अनुवर्ती कार्रवाई क्या है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (घ) सरकार निजी क्षेत्र में वृहत् विद्युत परियोजनाओं से विद्युत की खरीद के लिए विद्युत व्यापार निगम (पी०टी०सी०) को वृहत् विद्युत खरीद प्रणालियां और सहायता के लिए एक नये भुगतान सुरक्षा तंत्र पर विचार कर रही है। संबंधित मंत्रालय/भारत सरकार के विभागों तथा वित्तीय संस्थानों के साथ परामर्श करके इस तंत्र का ब्यौरा तैयार किया जा रहा है।

गेल/ओ०एन०जी०सी० द्वारा आर०सी०एफ० को गैस की आपूर्ति

1168. **श्री किरीट सोमैया** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ओ०एन०जी०सी०/गेल ने मुंबई में आर०सी०एफ० को गैस की आपूर्ति कम कर दी है जबकि निजी उद्योगों को की गई गैस की आपूर्ति में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की तुलना में कमी नहीं की गई है;

(ख) यदि हां, तो कम मात्रा में गैस आपूर्ति किये जाने के क्या कारण हैं और सरकार ने इसे किस प्रकार पूरा करने की योजना बनाई है;

(ग) क्या सरकार का विचार सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कोटे को ध्यान में रखते हुए आर०सी०एफ० को अधिक वरीयता देने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) मुंबई हाई क्षेत्रों से प्राकृतिक गैस की उपलब्धता में समग्र कमी को देखते हुए, राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (आर०सी०एफ०) जैसे फीडस्टाक उपभोक्ताओं को प्राथमिकता देने के बाद, उरान तक सारे उपभोक्ताओं को गैस की आपूर्ति में उनके आबंटन की तुलना में यथानुपात कटौती करके कमी की गई है।

(ग) फीडस्टाक उपभोक्ताओं को प्राथमिकता के अलावा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को अन्य उपभोक्ताओं की तुलना में कोई अतिरिक्त वरीयता देने का प्रस्ताव नहीं है।

(घ) उपर्युक्त (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

रेल पटरियों की टूट-फूट का पता लगाया जाना

1169. **श्री ए० वेंकटेश नायक** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण मध्य रेलवे रेल पटरियों के टूटे जाने का समय पर पता नहीं लगा पाया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार दक्षिण मध्य रेलवे में रेल पटरियों की टूट-फूट का पता लगाने और उनकी मरम्मत करने हेतु निजी कंपनियों की सेवा लेने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं। बहरहाल, दो स्वनोदित पराश्रव्य पटरी जांच (स्पर्ट) कारों की खरीद के लिए आमंत्रित निविदाओं में आपूर्ति के अंतर्गत केवल सेवा का विकल्प रखा गया है। निजी फर्मों द्वारा दोषों तथा टूट-फूट का पता लगाया जाएगा। बहरहाल, पटरी की टूट-फूट की मरम्मत रेलों द्वारा ही की जाएगी।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

सुखोई जैट लड़ाकू विमानों का निर्माण

1170. **श्रीमती रेणूका चौधरी** :
श्री माधवराव सिंधिया :
श्री शिवाजी विट्ठलराव काम्बले :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान एअरोनॉटिक्स लिमिटेड (एच०ए०एल०) के सहयोग से भारत में सुखोई (एस०यू०-30 एम०के०आई०) जैट लड़ाकू विमानों के निर्माण हेतु रूस के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और समझौते की शर्तें क्या हैं;

(ग) समझौते को लागू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या एच०ए०एल० ने तदनुसार तैयारी शुरू कर दी है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में एच०ए०एल० को दिए गए निर्माण आदेशों का ब्यौरा क्या है और इस पर कितना व्यय होने की संभावना है ?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) जी, हां।

(ख) इस समझौते की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं :-

(1) 140 अदद एस०यू०-30 मार्क-1 वायुयान, उनके इंजन और वायुवाहित उपस्करों और इसके अतिरिक्त 920 इंजनों का विनिर्माण तथा वायुयान की कुल संभावित मीयाद के दौरान वायुवाहित उपस्कारों के लिए 140 सेटों का अनुरक्षण करने के लिए भी

Scanned by CamScanner

लाइसेंस हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड को अंतरित किया गया है।

(2) रूस विभिन्न प्रौद्योगिकियों, ज्ञात तकनीकी उपकरणों, जिनमें विशेष मशीनें, जिग और फिक्सचर एवं औजारों के साथ-साथ एस०के०डी०/सी०के०डी० किटें और संघटक भी शामिल हैं, से संबंधित सभी आवश्यक तकनीकी दस्तावेज उपलब्ध कराएगा।

(3) रूस, अपने विशेषज्ञों की प्रतिनियुक्ति करके और भारतीय विशेषज्ञों को रूस में प्रशिक्षित करके भी आवश्यक तकनीकी सहायता उपलब्ध कराएगा।

(ग) और (घ) रूस से की जाने वाली आपूर्तियों के लिए विभिन्न शर्तों और निबंधनों से संबंधित सामान्य संविदा 28 दिसंबर, 2000 को की गई है।

(ङ) आवश्क मंजूरी जारी की जा चुकी है। लाइसेंस के तहत वायुयान के विनिर्माण में वर्ष 2000 के मूल्य-स्तर पर (1 अमरीकी डालर = 46.00 रुपये के आधार पर) 4809.3 मिलियन अमरीकी डालर (22,122.78 करोड़ रुपये) का व्यय होगा। यह खर्च 17 वर्ष की अवधि में किया जाना है।

[हिन्दी]

रेलवे में वनरोपण कार्यक्रम

1171. **श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे में वनरोपण कार्यक्रम के अंतर्गत प्रतिवर्ष लाभ अर्जित करने हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान और आज तक वनरोपण कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक रेल जोन में हुए लाभ और हानि का पृथक-पृथक ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार वनरोपण कार्यक्रमों के माध्यम से रेल भूमि के वाणिज्यिक उपयोग को प्रोत्साहन देने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) रेलवे भूमि पर तब तक वृक्षारोपण किया जाता है जब तक यह भूमि स्वयं रेलों के उपयोग के लिए अपेक्षित नहीं होती है। इससे पर्यावरण बेहतर बनाने में सहायता मिलती है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत रेलों ने बड़ी संख्या में वृक्ष लगाए हैं जो परिपक्व हो गए हैं और जिनकी कटाई की जा सकती है। ऐसी कटाई के लिए रेलों द्वारा कोई लाभ अथवा हानि का लेखा नहीं रखा जाता है जो पर्यावरणीय संतुलन बेहतर बनाने तथा रेल भूमि की सुरक्षा करने के लिए रेलवे प्रयास के अनुरूप है।

(ग) और (घ) जी, हां। रेलवे भूमि पर वृक्षारोपण सुचारू बनाने की दृष्टि से रेलवे ने पेशेवर दलों के माध्यम से वृक्षारोपण करने का निर्णय लिया है।

प्रस्तावित योजना के अंतर्गत वृक्षारोपण, वृक्षों की सुरक्षा और प्रबंधन पेशेवर दलों द्वारा अपने संसाधनों से किया जाएगा तथा लाभ में रेलों के साथ उनकी हिस्सेदारी पूर्व-निर्धारित अनुपात के अनुसार होगी।

[अनुवाद]

स्मारकों का संरक्षण

1172. **श्री पी०डी० एलानगोवन** : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने सरकार से देश में विभिन्न स्मारकों के संरक्षण हेतु अधिक वित्तीय सहायता के आबंटन हेतु अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या स्मारकों के संरक्षण हेतु आबंटित की गई धनराशि का कुछ सर्किलों में पूर्ण उपयोग नहीं किया गया था;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं ?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) और (ख) चालू वित्तीय वर्ष के संशोधित अनुमानों में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को अतिरिक्त आबंटन के रूप में 2 करोड़ रुपये दिए गए हैं।

(ग) चूंकि चालू वित्तीय वर्ष अभी समाप्त नहीं हुआ है, अत: इस संबंध में कोई मूल्यांकन करना असामयिक होगा।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

पेट्रोलियम उत्पादों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता

1173. **श्री अशोक ना० मोहोल**
श्री रामशेठ ठाकुर :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पेट्रोलियम का कितना घरेलू उत्पादन किया जा रहा है;

(ख) क्या ऊर्जा की कुल आवश्यकता को पूरा करने हेतु पेट्रोलियम के आयात पर देश के अत्यधिक निर्भर रहने से ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि भारत को अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल के मूल्य में उतार-चढ़ाव के कारण मुश्किलों का सामना करना पड़ता है;

(ग) यदि हां, तो क्या विशेषज्ञों ने तेल उत्पादन में आत्मनिर्भरता को प्राप्त करने के लिए कुछ उपाय सुझाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) क्रूड परिशोधन थ्रूपुट के प्रतिशत के रूप में लेते हुए 2000-01 के दौरान कच्चे तेल के स्वदेशी उत्पादन में आत्मनिर्भरता का स्तर लगभग 30 प्रतिशत रहा है।

(ख) अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के मूल्यों में वृद्धि के फलस्वरूप आयात बिल में और तेल विपणन कंपनियों द्वारा पेट्रोलियम उत्पादों के स्रोतीकरण की लागत में वृद्धि होती है।

(ग) और (घ) देश में कच्चे तेल के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए अनेक महत्वपूर्ण उपाय किए गए हैं जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं :–

(1) वर्द्धित तेल निकासी (ई०ओ०आर०)/उन्नत तेल निकासी (आई०ओ०आर०) योजनाओं के क्रियान्वयन द्वारा वर्तमान प्रमुख क्षेत्रों से निकासी घटक में सुधार करना, विशेषकर आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड (ओ०एन०जी०सी०) ने 10,000 करोड़ रुपये के अनुमानित निवेश से इस प्रयोजन के लिए 15 क्षेत्र हाथ में लिए हैं जिससे इन क्षेत्रों से तेल के उत्पादन में वृद्धि करने में भी सहायता मिलेगी।

(2) नई अन्वेषण लाइसेंस नीति (एन०ई०एल०पी०) के माध्यम से एन०ई०एल०पी० के प्रथम दौर के तहत अन्वेषण प्रयासों में वृद्धि करने के लिए 24 उत्पादन हिस्सेदारी संविदाओं (पी०एस०सी०) में हस्ताक्षर किए गए हैं और एन०ई०एल०पी० के दूसरे दौर के अंतर्गत 25 ब्लाकों का प्रस्ताव किया गया है जिनकी बोलियां भेजने की अंतिम तारीख 31.3.2001 है।

(3) प्रौद्योगिकी और निवेश को आकर्षित करने हेतु 9 खोजे गए क्षेत्रों, 8 गुजरात में और 1 असम में, के लिए भारतीय और विदेशी कंपनियों के परिसंघों के साथ 23.2.2001 को हस्ताक्षर किए गए।

(4) नए क्षेत्रों विशेषकर गहन जल वाले और दुर्गम सीमावर्ती क्षेत्रों में अन्वेषण करना और उत्पादनशील क्षेत्रों की गहनतर परतों में भी अन्वेषण करना।

(5) नए विकसित क्षेत्रों का तीव्रतर विकास करना उत्पादनशील क्षेत्रों में और भूकंपीय सर्वेक्षणों के लिए नई प्रौद्योगिकियों का उपयोग बढ़ाना, वर्कओवर और उद्दीपन प्रचालन, कूपों का वेधन इत्यादि करना।

देश में तेल का उत्पादन बढ़ाने के लिए उपर्युक्त प्रयासों को मजबूत करते हुए विदेशों से इक्विटी तेल अर्जित करने के लिए उपाय किए जा रहे हैं। वियतनाम के लान टे/लान डो क्षेत्रों से जहां ओ०एन०जी० सी०-विदेश लि० (ओ०वी०एल०) 45 प्रतिशत शेयरों का धारण करती है, गैस का उत्पादन 2002 के अंत तक आरंभ होने की संभावना है। हाल ही में 10.2.2001 को ओ०वी०एल० ने 8000 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से रूस में सखालिन-I अपतट में 20 प्रतिशत के अर्जन के लिए एक प्रमुख करार पर हस्ताक्षर किए हैं। ओ०वी० एल० ने 28.11.2000 को इराक में अन्वेषण ब्लाक सं०-8 के लिए एक संविदा पर भी हस्ताक्षर किए हैं। ओ०वी०एल० ने हाइड्रोकार्बनों के अन्वेषण और उत्पादन में सहयोग के लिए अल्जीरिया, इंडोनेशिया, वियतनाम और वेनेजुएला की राष्ट्रीय तेल कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापन (एम०ओ०यू०) पर भी हस्ताक्षर किए हैं।

वस्त्र उद्योग को रियायतें

1174. **श्री जी० मल्लिकार्जुनप्पा** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रम, वस्त्र तथा वित्त मंत्रालय की बैठक के दौरान वस्त्र उद्योग के प्रतिनिधियों ने सरकार से उदार श्रम कानूनों, आयात प्रतिबंधों को हटाने और मल्टी-फाइबर समझौते को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए आग्रह किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार ने उनके विचारों पर किस सीमा तक विचार किया है;

(घ) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिए जाने की संभावना है; और

(ङ) देश में वस्त्र उद्योग को क्या अन्य रियायतें दी जा रही हैं ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० धनंजय कुमार) : (क) से (ङ) श्रम, वस्त्र और वित्त मंत्रालयों की वस्त्र उद्योग के प्रतिनिधियों के साथ इन मुद्दों पर कोई औपचारिक संयुक्त बैठक नहीं हुई है। तथापि, निर्यातक समय-समय पर विभिन्न मंचों पर निर्यात संबंधित समस्याओं को उठाते हैं जिनमें आयात प्रतिबंध को हटाने और निवेश के लिए श्रम उत्पादक पर्यावरण के सृजन की आवश्यकता तथा विकास संबंधी समस्याएं शामिल होती हैं। निवेश के लिए अधिकांशतः मात्रात्मक प्रतिबंधों को पहले से ही समाप्त कर दिया गया है। कोटा नीति को संचालित करने वाली बहु-फाईबर व्यवस्था को वस्त्र और क्लोदिंग संबंधी करार के अंतर्गत हुई सहमति के अनुसार 1 जनवरी, 2005 तक समाप्त कर दिया जाएगा।

सौर-ऊर्जा की आपूर्ति

1175. **श्री भर्तृहरि महताब** : क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में उन गांवों का ब्यौरा क्या है जहां सौर-ऊर्जा की आपूर्ति की जा रही है; और

Scanned by CamScanner

(ख) दिसम्बर, 2000 तक आपूर्ति की गई सौर-ऊर्जा इकाइयों का ब्यौरा क्या है ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम० कन्नप्पन) : (क) और (ख) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय उड़ीसा राज्य सहित देश में एक सौर प्रकाशवोल्टीय (एस०पी०वी०) कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है। कार्यक्रम में रोशनी, जलपंपन तथा अन्य अनुप्रयोगों के लिए सौर लालटेन, सौर घरेलू रोशनी प्रणालियां, सड़क रोशनी प्रणालियां, सौर पंपों का विस्तार तथा विद्युत संयंत्रों को लगाना शामिल है। इस कार्यक्रम का कार्यान्वयन राज्य अक्षय ऊर्जा एजेंसियों, विनिर्माताओं, 'आदित्य' सौर दुकानों तथा प्रतिष्ठित गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से किया गया है।

उड़ीसा राज्य में इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए उड़ीसा अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (ओरेडा) प्रमुख उत्तरदायी एजेंसी है। उड़ीसा के गांवों में दिसम्बर, 2000 तक ओरेडा द्वारा स्थापित की गई प्रकाशवोल्टीय प्रणालियां निम्नानुसार हैं :–

(i) 4713 गांवों में 5845 सौर लालटेन वितरित की गई।

(ii) 1208 गांवों में 1447 सौर घरेलू रोशनी प्रणालियां लगाई गई।

(iii) 2675 गांवों में 4974 सौर सड़क रोशनी प्रणालियां स्थापित की गई।

इसके अतिरिक्त राज्य में 37.36 कि०वा०पा० समग्र क्षमता के सात स्टैंड अलोन एस०पी०वी० विद्युत संयंत्र और तीन सौर पंप भी लगाए गए हैं।

एल०पी०जी० भराई संयंत्रों में कार्यरत कामगार

1176. **श्री कालवा श्रीनिवासुलु** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विशेषकर पूर्वोत्तर क्षेत्र में एल०पी०जी० भराई संयंत्रों में जिला-वार/संयंत्र-वार कितने कुशल/अकुशल कामगार कार्यरत हैं;

(ख) इन संयंत्रों द्वारा उन्हें कितनी न्यूनतम/अधिकतम मजदूरी दी जा रही है; और

(ग) प्रत्येक भराई संयंत्र द्वारा अपने कामगारों को उपलब्ध करवाई जा रही अन्य सुविधाओं का ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) वर्तमान में देश में सार्वजनिक क्षेत्र तेल विपणन कंपनियों के एल०पी० जी० भरण संयंत्रों के अंतर्गत काम करने वाले कुशल/अकुशल कामगारों की कुल संख्या क्रमशः लगभग 1800 एवं 3600 है। उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के अंतर्गत कुशल/अकुशल कामगारों की संख्या क्रमशः 89 और 93 है।

(ख) उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में भरण संयंत्रों के कुशल/अकुशल कामगारों को भुगतान की जा रही न्यूनतम/अधिकतम मजदूरियां क्रमशः नीचे प्रस्तुत है :–

	न्यूनतम	अधिकतम
कुशल	4982 रुपए	11241 रुपए
अकुशल	4594 रुपए	8184 रुपए

(ग) भरण संयंत्रों के कामगारों को प्रदान की जा रही प्रमुख सुविधायें पारी भत्ता, वर्दी, यात्रा भत्ता, चिकित्सा सुविधायें, अंशदायी भविष्य निधि, छुट्टी एवं गृह किराया भत्ता, इत्यादि है।

मुम्बई रेलवे विकास निगम का कार्यकरण

1177. **श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुम्बई रेलवे विकास निगम ने कार्य करना आरम्भ कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) रेलवे कार्यों के लिए संसाधन जुटाने के लिए इस निगम द्वारा कुल कितने एकड़ भूमि का विकास किया गया है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) जी, हां। मुंबई रेल विकास निगम (एम०आर०वी०सी०) ने 29.04.2000 से कार्य करना शुरू कर दिया है। निगम के कार्यकारी निदेशकों और आवश्यक कर्मचारियों की तैनाती कर दी गई है। एम०आर०वी०सी० 51:49 के अनुपात में रेल मंत्रालय और महाराष्ट्र सरकार द्वारा 25 करोड़ रुपये के अंशदान की भागीदार के साथ रेल मंत्रालय के अधीन एक सरकारी कंपनी है। निगम का गठन मुंबई शहरी परिवहन परियोजना (एम०यू०टी०पी०) के अंतर्गत पहचानी गई 14 रेल परियोजनाओं के निष्पादन के लिए किया गया है। इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत 5,600 करोड़ रुपये है। परियोजनाओं की लागत रेल मंत्रालय और महाराष्ट्र सरकार द्वारा समान रूप से वहन की जाएगी।

(ग) निगम द्वारा अभी तक कोई भूमि विकसित नहीं की गई है।

मुम्बई में रेल सेवाओं के लिए निगम की स्थापना

1178. **श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मुम्बई में भारी यातायात और इसकी सम्भावनाओं को देखते हुए रेल सेवाओं के लिए एक अलग निगम की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसकी स्थापना कब तक किए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) मुंबई में गाड़ी सेवाएं चलाने के लिए एक अलग निगम की स्थापना के लिए देश के बाकी हिस्सों से जुड़ी मुख्य लाइन की गाड़ी सेवाओं से मुंबई क्षेत्र की उपनगरीय गाड़ी सेवाओं को पृथक करना होगा। ऐसा पृथक्करण परिचालनिक रूप से व्यवहार्य नहीं है। इसलिए विचार नहीं किया गया।

[हिन्दी]

अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट

1179. **डा० सुशील कुमार इन्दौरा :**
श्री रामजी लाल सुमन :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तेल उत्पादक देशों से कच्चे तेल का आयात उस समय करने के लिए समझौता किया है जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमतें गिरी थीं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उन देशों के नाम, मूल्य, खरीद की तिथि क्या है तथा कितनी मात्रा के लिए खरीद सौदे किए गए; और

(घ) देश में इस कच्चे तेल के कब तक पहुंच जाने की संभावना है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, सार्वजनिक क्षेत्र की तेल रिफाइनरियों के लिए कच्चे तेल के आयात हेतु नियंत्रक एजेंसी इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड के पास वर्ष 2000-2001 के लिए विभिन्न तेल निर्यातक देशों के साथ सावधि संविदाएं हैं।

(ग) ये सावधि संविदाएं किसी क्षेत्र में सभी ग्राहकों के लिए एकरूपता से लागू उनके अधिकृत बिक्री मूल्य (ओ०एस०पी०) पर तेल निर्यातक देशों की राष्ट्रीय तेल कंपनियों के साथ हैं। खरीद प्रक्रिया पूरे वर्ष भर चलती रहती है।

(घ) कच्चे तेल का उठान पूरे वर्ष के दौरान किया जाता है।

[अनुवाद]

भूकम्प प्रभावित क्षेत्र से रेलगाड़ियों की व्यवस्था

1180. **श्री टी० गोविन्दन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने गुजरात में भूकम्प प्रभावित क्षेत्रों में फंसे हजारों यात्रियों को भेजने के लिए क्या प्रबंध किए;

(ख) क्या इस संबंध में किए गए प्रबंध अपर्याप्त थे; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) भूकंप से प्रभावित यात्रियों के लिए 27.1.2001 तथा 7.2.2001 के बीच 30 गाड़ियां गुजरात से अन्य राज्यों के लिए तथा 25 गाड़ियां अन्य राज्यों से गुजरात के लिए चलाई गई थीं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

एन०टी०पी०सी० तथा एन०एच०पी०सी० को पर्यावरणीय मंजूरी

1181. **प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एन०टी०पी०सी० तथा एन०एच०पी०सी० के अंतर्गत वन एवं पर्यावरणीय मंजूरी के अभाव से किसी परियोजना की योजना बनाने और उसके कार्यान्वयन के बीच भारी समयान्तराल रहता है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1980 से लेकर तत्संबंधी परियोजना वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस अनावश्यक विलम्ब के परिणामस्वरूप परियोजनाओं के कार्यान्वयन में विलम्ब के अतिरिक्त उसके लागत मूल्य में भी बढ़ोत्तरी हो जाती है; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रकार के विलंब को कम करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) और (ख) जी, हां। एन०टी०पी०सी० और एन०एच०पी०सी० के अंतर्गत आने वाली परियोजनाओं की पर्यावरण तथा वन स्वीकृति में लगे समय का ब्यौरा निम्नानुसार है :–

परियोजना का नाम	स्वीकृति प्राप्ति में लगी अनुमानित अवधि (माह में)	
	पर्यावरण स्वीकृति	वन स्वीकृति
1	2	3
क. एन०टी०पी०सी०,		
तालचेर-1	24*	–
रिहन्द	51**	–
कहलगांव-1	19	–

1	2	3
विन्ध्याचल-2	26**	
फरक्का-3	7	
अंता	15	
फरीदाबाद जी०पी०पी०	14	–
तालचेर	20	–
रामागुण्डम	11	–
कवास-2	13	–
सिपत	21	2
औरैया	9	–
गांधार-2	11	–
दादरी गैस-2	5	–
दादरी गैस-1	5	–

*पुनर्वास व पुनर्स्थापना के स्वीकार्य स्वरूप हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति को लंबित रखा गया और पर्यावरण तथा वन मंत्रालय शामिल वन भूमि के लिए वन स्वीकृति पर जोर देता रहा।

**सिंगरौली क्षेत्र के संवेदनशील स्वरूप को देखते हुए वायु गुणवत्ता, राख निपटान क्षेत्र (विशेषतया गोविन्दवल्लभ पंत सागर, के जल प्लावन को देखते हुए) आर एंड आर, जल गुणवत्ता, राख निपटान आदि के लिए जल प्लावन के अंतरण हेतु उ०प्र० सरकार की सहमति पर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा विस्तार से विचार किया गया।

ख. एन०एच०पी०सी०

चमेरा-1	9	20
टनकपुर	3	15
रंगित	3	21
धौलीगंगा	37	18
कोयल कारो	–	48
तीस्ता-5	15	15

(ग) एन०एच०पी०सी० परियोजनाओं के मामले में ऐसे विलंब से परियोजनाओं की लागत में वृद्धि होती है। बहरहाल, एन०टी० पी०सी० परियोजनाओं के मामले में पर्यावरण व वन्य स्वीकृत के लिए किए गए समय और परियोजनाओं के क्रियान्वयन में विलम्ब से सामान्यत: लागत में वृद्धि नहीं हुई है।

(घ) विलंब परियोजनाओं के समय पर पर्यावरण व वन स्वीकृति के लिए मामले को गंभीरता से राज्य सरकार में संबंधित अधिकारियों और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के साथ उठाया जा रहा है। ऐसी स्वीकृतियों के शीघ्रता से निपटान के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के निर्णयानुसार एन०टी०पी०सी० पर्यावरण सुरक्षा संबंध कार्यकलापों से संबंधित उपक्रम परियोजनाओं के लिए स्पेशन पर्पज व्हीकल (एस०पी०वी०) का प्रस्ताव करता है। इस एसपीवी के माध्यम से परिकल्पित विदेशी बैंक सृजन से परियोजना निर्माण के लिए अंतरित वन भूमि के बदले में अपेक्षित अनिवार्य वनीकरण के लिए क्षेत्र पहचान के समय में कमी आएगी और परियोजनाओं की पर्यावरण एवं वन स्वीकृति को गति मिलेगी। मंत्रालय में विचार-विमर्श के दौरान एन०एच०पी०सी० ने भी प्रस्ताव एस०पी०वी० में शामिल होने की इच्छा का संकेत दिया।

लाल किले के चारों और दीवार बनाना

1182. **श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या पर्यटन और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लाल किला में अपने क्षेत्र के चारों ओर दीवार बनाने हेतु सेना का प्रस्ताव भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने निरस्त कर दिया था; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को लाल किला, दिल्ली की भीतरी चारदीवारी का निर्माण करने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

रेल परियोजनाओं का पूरा होना

1183. **श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 100 करोड़ रुपयों से अधिक लागत की उन रेल परियोजनाओं का परियोजना-वार ब्यौरा क्या है जो कि निर्धारित लक्ष्य के अनुसार पूरी नहीं हो पाई है;

(ख) इन परियोजना के अपने निर्धारित समय से पीछे चलने के कारण योजना-वार कितनी लागत वृद्धि हुई है; और

(ग) इन परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (ग) लगातार सांसधनों की तंगी के कारण किसी वर्ष विशेष के विभिन्न परियोजनाओं के लिए धन की उपलब्धता का पता केवल वर्ष के शुरू में चल सकता है। परिणामस्वरूप, जब कोई एक नई परियोजना शुरू की जाती है तब ऐसे कार्यों के समापन के लिए किसी समय सीमा को निर्धारित करना मुश्किल होता है क्योंकि उस कार्य के लिए धन के निदेश की अनुसूची पहले से नहीं निर्धारित की जा सकती है। अत: परियोजना को पूरा करने में कितना समय लगेगा, यह कह पाना मुश्किल है।

उन मामलों मे आने वाली लागत का हिसाब लगाया जा सकता है, जहां परियोजना को पूरा करने का समय निर्धारित किया गया हो और उसके अनुरूप धन की पूर्ण उपलब्धता सुनिश्चित की गई हो। यह रेल परियोजनाओं के बारे में संभव नहीं है जहां निवेश के लिए उपलब्ध धनराशि की तुलना में परियोजनाएं काफी ज्यादा है। इसके मद्देनजर रेलवे परियोजनाओं पर लगने वाले निश्चित समय अथवा आने वाली लागत का हिसाब लगाना मुश्किल होगा।

[हिन्दी]

चुनाव से संबंधित लंबित मामले

1184. श्री निखिल कुमार चौधरी : क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विभिन्न न्यायालयों में चुनाव से संबंधित कितने मामले राज्य-वार लंबित हैं; और

(ख) इन लंबित मामालों के शीघ्र निपटान को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) न्यायालयों में लंबित मामलों, जिनमें निर्वाचन संबंधी मामले भी हैं, का संबंध सरकार और न्यायपालिका, दोनों से है। इसके अतिरिक्त लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 86(7) में यह उपबंध है कि "हर निर्वाचन अर्जी यथासंभव शीघ्रता से विचारित की जाएगी और उस तारीख से, जिसको निर्वाचन अर्जी उच्च न्यायालय को विचारण के लिए उपस्थापित की गई है, छह मास के भीतर विचारण को समाप्त करने का प्रयत्न किया जाएगा।"

विवरण

विभिन्न उच्च न्यायालयों में निर्वाचन से संबंधित मामलों को दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं०	उच्च न्यायालय का नाम	मामलों की संख्या	निम्नलिखित तक यथा विद्यमान
1	2	3	4
1.	इलाहाबाद	31	9/2000
2.	आन्ध्र प्रदेश	41	9/2000
3.	मुम्बई	36	6/2000
4.	कलकत्ता	41	6/2000
5.	दिल्ली	9	12/1999
6.	गुवाहाटी	6	6/1999
7.	गुजरात	15	3/2000
8.	हिमाचल प्रदेश	7	9/2000
9.	जम्मू-कश्मीर	10	9/2000
10.	कर्नाटक	33	9/2000
11.	केरल	1	9/2000
12.	मध्य प्रदेश	56	9/2000
13.	मद्रास	11	12/1999
14.	उड़ीसा	7	9/2000
15.	पटना	29	9/2000
16.	पंजाब और हरियाणा	37	9/2000
17.	राजस्थान	17	9/2000
18.	सिक्किम	0	9/2000
	योग	387	

[अनुवाद]

प्रमुख पत्तनों का विकास

1185. श्री किरीट सोमैया : क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रमुख पत्तनों की प्रस्तावित 122 मिलियन टन क्षमता में से कितनी क्षमता हासिल की गई है और विभिन्न पत्तनों में अब तक कितना कार्य किया गया है;

(ख) विभिन्न पत्तनों को अब तक कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई है और नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रमुख पत्तनों के विकास के लिए निर्धारित 7215 करोड़ रुपयों में से कितनी राशि का उपयोग किया गया है;

(ग) क्या नौवीं पंचवर्षीय योजना के लिए निर्धारित लक्ष्यों को निर्धारित समय के दौरान हासिल कर लिए जाने की सम्भावना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो सरकार द्वारा लक्ष्यों को हासिल करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ङ) क्या मुम्बई पत्तन में पनडुब्बियों को बदलने और पोत-प्रक्षेपकों (जेटीज) के आधुनिकीकरण का काम पूरा कर लिया गया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसको कब तक पूरा कर लिए जाने की सम्भावना है ?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) नौवीं योजना के प्रथम तीन वर्षों में महापत्तनों में 38.05 मिलियन टन की क्षमता वृद्धि हुई है। 31.3.2001 तक महापत्तनों

की कुल क्षमता 314 मिलियन टन होने की संभावना है। विभिन्न महापत्तनों पर शुरू की गई क्षमता में वृद्धि करने वाली प्रमुख स्कीमों की सूची जो कार्यान्वयन/पूर्ति के विभिन्न स्तरों पर हैं, विवरण के रूप में संलग्न है।

(ख) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान महापत्तनों के लिए कुल अनुमोदित परिव्यय 8543 करोड़ रु० है। नौवीं योजना के प्रथम चार वर्षों के दौरान महापत्तनों द्वारा किए गए योजनागत व्यय के ब्यौरे इस प्रकार हैं :–

(करोड़ रु०)

वर्ष	अनुमोदित योजनागत परिव्यय	किया गया वास्तविक व्यय
1	2	3
1997-98	1002.37	611.85
1998-99	727.00	776.21
1999-2000	1413.70	1296.85
2000-2001 (जनवरी, 2001 तक)	1589.99 (इसमें पूर्वोत्तर पूल को हस्तांतरित किए गए 42.98 करोड़ रु० भी शामिल हैं)	588.30

(ग) और (घ) 377 मिलियन टन के क्षमता लक्ष्य में कुछ चूक होने की संभावना है। महापत्तनों के यातायात में नौवीं योजना कार्यदल द्वारा लगाए गए अनुमान के अनुसार वृद्धि नहीं हो रही है और नौवीं योजना के अंत तक महापत्तनों की क्षमता, यातायात से अधिक होने की संभावना है।

(ङ) से (छ) "सबमैरीन पाइपलाइनों का प्रतिस्थापन" स्कीम जून, 2000 में पूरी कर ली गई है। "जेट्टियों का आधुनिकीकरण" स्कीम नियत कार्यक्रम के अनुसार चल रही है और यह स्कीम मार्च, 2003 तक पूरी होने की संभावना है।

विवरण

नौवीं योजना के दौरान विभिन्न महापत्तनों पर शुरू की जाने वाली प्रमुख क्षमता वृद्धि स्कीमों की सूची

(मिलियन टन)

क्रम सं०	पत्तन/परियोजना का नाम	क्षमता वृद्धि (नौवीं योजना में)		क्षमता वृद्धि (दसवीं योजना में)
		जारी स्कीमें	नई स्कीमें	
1	2	3	4	5
I.	**कलकत्ता/हल्दिया**			
1.	तीसरी तेल जेट्टी का निर्माण		6.00	
2.	रमायन हैंडल करने के लिए जेट्टी का निर्माण		1.50	
3.	बर्थ सं० 5 के अनुक्रम में बहुउद्देशीय बर्थ का निर्माण		1.50	
4.	दो बहुउद्देशीय बर्थ का निर्माण			
	बर्थ सं० 12		0.40	
	बर्थ सं० 4ए		1.50	
	जोड़		10.90	
II.	**पारादीप**			
1.	कोयला हैंडलिंग सुविधाएं (ए०डी०बी० स्कीमें)	20.00		
2.	अभिग्राहण सुविधाओं सहित तेल बर्थ का निर्माण		6.00	
3.	दूसरी बहुउद्देश्यीय कार्गो बर्थ का निर्माण		1.00	
4.	पश्चिमीक्वे का निर्माण		2.00	
5.	आबद्ध उर्वरक हैंडलिंग सुविधाएं		2.50	
	जोड़	20.00	11.50	

1	2	3	4	5
III.	**विशाखापत्तनम**			
1.	एल०पी०जी० बर्थ का निर्माण	1.00		
2.	भीतरी बंदरगाह में बहुउद्देश्यीय बर्थ का निर्माण	1.00		
3.	बाह्य बंदरगाह में बहुउद्देश्यीय बर्थ का निर्माण		0.70	
4.	भीतरी बंदरगाह की विस्तारित नोर्दन आर्म में चार बहुउद्देश्यीय बर्थ का निर्माण		2.40	
5.	भीतरी बंदरगाह की अतिरिक्त बर्थ का निर्माण		0.80	
	जोड़	2.00	3.90	
IV.	**चेन्नै**			
1.	इन्नौर में नये पत्तन का निर्माण	8.00	8.00	
2.	कंटेनर टर्मिनल में 290 मी० का और अधिक विस्तार करना (केवल सिविल कार्य)		0.50	
3.	अतिरिक्त कंटेनर हैंडलिंग उपस्कर का प्रावधान		2.60	
4.	तीन 20 एमटी गेंट्री टाइप व्हार्फ क्रेनों का प्रावधान		1.00	
5.	पश्चिमी क्वे बर्थ का आधुनिकीकरण			1.00
6.	एस० क्यू III और पूर्वी क्वे बर्थ का आधुनिकोकरण			0.70
	जोड़	8.00	12.10	1.70
V.	**तूतीकोरिन**			
1.	बर्थ सं० 7 पर कंटेनर टर्मिनल		2.25	1.35
2.	आठवीं कार्गो बर्थ		1.50	
3.	(-) 7 मी० गहराई पर उथले जल का निर्माण		0.25	
4.	कैपिटल निकर्षण		3.40	
5.	एसईपीसी जेट्टी			1.50
	जोड़		7.40	2.85
VI.	**कोचीन**			
1.	पुथूव्यपीन में एल०पी०जी०/एल०एन०जी० टर्मिनल			2.50
2.	वलारपद्मम टर्मिनल			5.00
	जोड़			7.50
VII.	**नव मंगलूर**			
1.	रिफाइनरी विस्तार के लिए पत्तन सुविधाएं (एमआरपीएल)		8.50	
2.	तेल जेट्टी (बहु प्रयोक्ता)		3.00	

1	2	3	4	5
	3. आबद्ध कोयला बर्थ			4.50
	4. बी०ओ०टी० आधार पर एक बर्थ			4.50
	5. अतिरिक्त सामान्य कार्गो बर्थ			0.50
	जोड़		11.50	9.50
VIII.	**मुरगांव**			
	1. एम०ओ०एच०पी० का आशोधन		1.00	
	2. पुरानी बर्थ का पुर्नसंरेखण/बर्थ सं० 5ए और 6ए का निर्माण		5.00	
	3. बर्थ सं० 10 और 11 और मूरिंग बोया को गहरा करना		2.80	
	4. एफ०आर०एच० मास्टर प्लान बर्थ			2.00
	जोड़		8.80	2.00
IX.	**जवाहर लाल नेहरू पत्तन**			
	1. मैरीन कैमिकल टर्मिनल (3 बर्थ)			15.00
	2. फीडर बर्थ		1.20	
	3. नया कंटेनर टर्मिनल		7.80	
	4. तरल कार्गो बर्थ		5.50	
	जोड़		14.50	15.00
X.	**मुम्बई**			
	1. सब्समैरीन पाइपलाइनों का प्रतिस्थापन	7.00		
	2. जेट्टी 1, 2, 3 का आधुनिकीकरण			4.00
	3. दूसरी तरल रसायन बर्थ			3.00
	4. कोयला जेट्टी का निर्माण			1.500
	जोड़	7.00		8.50
XI.	**कांडला**			
	1. तीसरी तेल जेट्टी का निर्माण	2.00		
	2. चौथी तेल जेट्टी का निर्माण	2.00		
	3. सामान्य कार्गो बर्थ 9 और 10			2.50
	4. अतिरिक्त कार्गो बर्थ (8वीं बर्थ)	1.25		
	5. 11वीं और 12वीं कार्गो बर्थ			2.50
	6. केटेनर हैंडलिंग सुविधाएं		2.40	
	7. वाडीनार में कच्चा तेल हैंडल करने के लिए अतिरिक्त सुविधाएं		10.00	

1	2	3	4	5
8.	वाडीनार में बहुउद्देश्यीय बर्थ और अवसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास			2.50
9.	मै० इफ्को द्वारा निर्माण की जाने वाली पांचवी तेल जेट्टी		2.00	
10.	वाडीनार में मै० एस्सार रिफाइनरी द्वारा पत्तन संबंधी सुविधाओं को स्थापित करना (एस०बी०एम० 10 एम० टी०x एक बर्थ 5 एम०टी०)		15.00	
11.	तुना बंडर का विकास			0.85
12.	जाफ्फरवडी बंडर का विकास			0.85
13.	बी०पी०सी०एल० द्वारा पी०ओ०एल० जेट्टी		2.00	
14.	आई०ओ०सी० वर्चुअल जेट्टी को स्थायी जेट्टी में बदलना		2.00	
15.	ए०पी०ई०डी०ए० द्वारा बर्थ सं० 5ए पर सुविधाएं		0.35	
	जोड़	5.25	33.75	9.20
	कुल जोड़	42.25	114.35	56.25

रेल परियोजनाओं को बंद करना

1186. श्री ए० वेंकटेश नायक : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पिछली सरकार द्वारा मंजूर की गई सभी रेल परियोजनाओं को बंद करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन परियोजनाओं पर अब तक कुल कितनी राशि खर्च हुई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

दावों का निपटान

1187. श्री चन्द्रनाथ सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेल दावों का निपटान किए जाने का औसत समय क्या है;

(ख) क्या सरकार को वर्ष 2000 के दौरान रेल दावों के निपटान में भ्रष्टाचार के संबंध में कोई शिकायत मिली है;

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) दावों के शीघ्र निपटान के लिए क्या कदम उठा गए हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) वर्ष 1999-2000 के दौरान सभी भारतीय रेलों द्वारा दावों के निपटान में लिया गया औसत समय 32 दिन है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(घ) रेल दावों के शीघ्र निपटान के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :–

(i) जिन स्टेशन/माल गोदामों के लिए माल बुक कराया जाता है, वहां दावों के नोटिस स्वीकार्य है।

(ii) दावों के निपटान में शीघ्रता लाने के लिए क्षेत्रीय रेल पर दावा संबंधी कार्य का कंप्यूटरीकरण कर दिया गया है।

(iii) दावों का स्थल पर ही निपटान करने के लिए क्षेत्रीय रेलों पर महत्वपूर्ण शहरों में सचल दावा कार्यालयों को पुन: चालू कर दिया गया है।

(iv) क्षेत्रीय रेलों पर पण्य दावा कक्षों की स्थापना की गई है।

(v) "छोर से छोर" आधार पर जानकारी हासिल करने के वास्ते दावा पूछताछ योजना को कार्यान्वित करने के लिए कार्य प्रणाली को और चुस्त-दुरूस्त बनाया गया है।

(vi) क्षेत्रीय रेलों पर निगरानी रखी जाती है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि विभिन्न प्रकार के दावों को निर्धारित समय में अंतिम रूप दे दिया गया है।

(vii) कालातीत मामलों का निपटान करने के लिए महाप्रबंधकों को पूरी शक्तियां प्रयोजित कर दी गई है। इससे पहले 50,000 रुपए उपर से अधिक के मामलों के निपटान के लिए रेलवे बोर्ड का अनुमोदन जरूरी होता था।

(viii) डिगरी वालो दावों के मामलों में वित्तीय मंजूरी को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है।

(ix) रेलों को कड़े अनुदेश दिए गए हैं कि वे यह सुनिश्चित करें कि दावे के डिगरी संबंधी धनराशि की मंजूरी के बाद 15 दिनों के भीतर बैंक चेक जारी और प्रेषित कर दिया जाता है।

परिधान निर्यात संवर्धन इकाइयां

1188. श्री पी०डी० एलानगोवन : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्य/स्थान-वार परिधान निर्यात संवर्धन इकाईयों के नाम क्या हैं;

(ख) क्या सरकार की देश में और परिधान निर्यात संवर्धन इकाइयां सृजित करने की योजना है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान-वार ब्यौरा क्या है और पिछले तीन वर्षों के दौरान परिधान निर्यात संवर्धन परिषद की क्या प्रगति रही; और

(घ) परिधानों के निर्यात में परिधान निर्यात संवर्धन परिषद की क्या भूमिका है ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० धनंजय कुमार) : (क) से (घ) अपैरल निर्यात संवर्धन परिषद (ए०ई०पी०सी०) कंपनी अधिनियम की धारा 25 के अंतर्गत एक पंजीकृत कंपनी है। भारत से सिले-सिलाए परिधानों के निर्यात को बढ़ावा देने के कार्य में लगी हुई है। परिषद को सिले-सिलाए परिधान की मदों के संबंध में निर्यात हकदारियों का संचालन करने का कार्य सौंपा गया है जो कि संयुक्त राज्य अमरीका, यूरोपीय यूनियन और कनाडा में प्रतिबंधित विषय है। परिषद् का नई दिल्ली में अपना मुख्यालय होने के अतिरिक्त इसके क्षेत्रीय कार्यालय नई दिल्ली, जयपुर (राजस्थान) लुधियाना (पंजाब), मुंबई (महाराष्ट्र), सूरत (गुजरात), चेन्नई (तमिलनाडु), बंगलौर (कर्नाटक), कोचीन (केरल) और कलकत्ता (पं० बंगाल) में स्थित हैं।

इस प्रकार का कोई अपैरल निर्यात संवर्धन एकक नहीं है तथापि 31 मार्च, 2000 तक की स्थित के अनुसार ए०ई०पी०सी० के पंजीकृत और सदस्य निर्यातकों की कुल संख्या 27,432 थी।

पिछले तीन वर्षों के दौरान सिलेसिलाए परिधान निर्यात की प्रगति निम्नानुसार है :–

वर्ष	मूल्य (मिलियन अमरीकी डालर में)
1997-98	4910.3
1998-99	5269.4
1999-2000	5525.4
2000-2001 (अप्रैल 2000-जनवरी, 2001)	4460.3

ए०ई०पी०सी० अपैरल के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए नियमित रूप से मेलों, प्रदर्शनियों, क्रेता-विक्रेता बैठकों आदि का आयोजन करती है।

हरिदासपुर-पारादीप रेल लाइन के लिए भूमि का अधिग्रहण

1189. श्री भर्तृहरि महताब : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरिदासपुर-पारादीप रेल लाइन के लिए भूमि का अधिग्रहण केन्द्र सरकार के द्वारा भूमिअधिग्रहण हेतु धन न भेजने के कारण विलम्बित है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या सरकार का वित्तीय सहायता के अभाव में पारादीप को जाने वाले इस रेल सम्पर्क का निर्माण स्थगित करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस परियोजना के कार्य में तेजी लाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) रेलवे ने हरिदासपुर-पारादीप नई लाइन के लिए भूमि अधिग्रहण के संबंध में अगस्त, 1997 में 5 करोड़ रुपए जमा कराए हैं। 1030 एकड़ भूमि, जिसके लिए मांग प्रस्तुत की गई थी, में से राज्य सरकार ने केवल 51.6 एकड़ भूमि ही सौंपी है। राज्य सरकार से विस्तृत उपयोग संबंधी प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर शेष राशि जमा कराई जाएगी।

(ग) जी, नहीं। बहरहाल, संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार कार्य प्रगति पर है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

कपास व्यापार में संकट

1190. श्री अशोक ना० मोहोल :
श्री रामशेठ ठाकुर :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की अनिश्चित नीति के कारण कपास का व्यापार संकट में है;

(ख) यदि हां, तो क्या एक तरफ तो कपास का आयात बिल्कुल खुला हुआ है और दूसरी तरफ निर्यात को कोटा प्रणाली के अंतर्गत नियंत्रित किया जाता है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं;

(घ) क्या सरकार कपास उत्पादकों को दी जा रही राजसहायता समाप्त कर रही है और समर्थन मूल्य समाप्त कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० धनंजय कुमार) : (क) से (ग) सरकार की कपास आयात-निर्यात नीति का लक्ष्य उपभोक्ताओं को उचित लाभ प्रदान करना तथा प्रयोक्ता उद्योग को प्रतिस्पर्द्धात्मक कीमतों पर कच्चा माल उपलब्ध कराना है।

प्रयोक्ता मिलों को प्रतिस्पर्द्धात्मक कीमत पर इच्छित गुणवत्ता मापदण्डों के अनुसार कच्चा माल प्राप्त करने में समर्थ बनाने के लिए, कपास का आयात अप्रैल, 1994 से खुले सामान्य लाइसेंस (ओ०जी० एल०) के अंतर्गत रखा गया है। 1999-2000 से, 5.5% का शुल्क लगाया गया है जो पहले शुल्क-मुक्त था। इसके अतिरिक्त, कपस आयात संविदाओं के पंजीकरण को आयात पर निगरानी रखने के लिए अनिवार्य बनाया गया है।

कपास मौसम के आरंभ में, कपास का निर्यात कोटा अन्य बातों के साथ-साथ घरेलू उपलब्धता, घरेलू/अंतर्राष्ट्रीय मूल्य प्रवृतियों को ध्यान में रखते हुए रिलीज किया जाता है। हालांकि वास्तविक निर्यात अनेक कारकों पर निर्भर करता है तथा वास्तव में निर्यात कोटा विगत तीन वर्षों के दौरान अप्रयुक्त रहा जैसा कि निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है :–

वर्ष (अक्टू०-सितं०)	रिलीज किया गया कोटा लाख गांठ में	निर्यात की गयी मात्रा लाख गांठ में	लाख गांठ में आयात
1997-98	8.2	3.50	4.13
1998-99	5.0	1.01	7.87
1999-2000	5.0	0.65	22.01
2000-01 (31.1.2000 तक)	9.0	0.08	0.18

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

हाईड्रोकार्बन विजन-2025

1191. **श्री कालवा श्रीनिवासुलु** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 31 मार्च, 1999 को इंडियन हाइड्रोकार्बन विजन-2025 का एक समूह गठित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या उस समूह ने प्राकृतिक गैस तथा एल०एन०जी० इत्यादि के विकास तथा उपयोग के लिए एक उप-समूह गठित किया था;

(ग) यदि हां, तो उप-समूह की 1999 के दौरान हुई बैठक में विचार-विमर्श किए गए विषयों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उप-समूह द्वारा कोयला द्रवीकरण तथा गैसीकरण प्रक्रिया के विकास तथा व्यवसायीकरण के संबंध में अब तक कितनी प्रगति की गई ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) उप-दल ने भारत हाइड्रोकार्बन झलक-2025 संबंधी दल को अपनी रिपोर्ट नवंबर, 1999 में प्रस्तुत की थी, जिसमें इसने गैस उपलब्धता, देश के बाहर से पाइपलाइनों के माध्यम से गैस के आयात, तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एल०एन०जी०) के आयात, कोयला गैसीकरण जैसी वैकल्पिक प्रौद्योगिकियों इत्यादि समेत विभिन्न मुद्दों पर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की थीं।

(घ) भारत हाइड्रोकार्बन झलक-2025 संबंधी दल को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के पश्चात् इस उपदल द्वारा कोई भूमिका नहीं निभाई जानी है।

स्यालसीमा ताप विद्युत परियोजना-दो के लिए विदेशी सहायता

1192. **श्री सुल्तान सल्लाहुद्दीन ओवेसी** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को आन्ध्र प्रदेश सरकार से स्यालसीमा ताप विद्युत परियोजना चरण-दो की लागत को पूरा करने के लिए चीन की सरकारी कम्पनी से शत-प्रतिशत ऋण के पैकेज के लिए परियोजना कार्यान्वयन हेतु आशय पत्र की शर्त के अधीन विदेशी वाणिज्यिक ऋण की अनुमति देने हेतु कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिया जाएगा ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (घ) रायलसीमा थर्मल पावर स्टेशन स्टेज-II 2x210 (मे०वा०) को आंध्र प्रदेश सरकार के प्रशासी नियंत्रणाधीन आन्ध्र प्रदेश पावर जनरेशन कारपोरेशन लि० (ए०पी०जी०ई०एन०सी०ओ०) द्वारा क्रियान्वित किया जाना प्रस्तावित है। रायलसीमा टी०जी०एस० स्टेज-II

के लिए 100% वित्त ऋण अनुबंध हेतु ए०पी०जी०ई०एन०सी०ओ० द्वारा एक चाइनीज फर्म नामत: झियांग मशीनरी व एक्विपेपर कारपो० को पत्र जारी किया गया है। जिसने चाइना नेशनल मशीनरी एण्ड एक्वियमेट कारपो० के साथ मिलकर प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था। ए०पी०जी०ई०एन०सी०ओ० ने 2x210 मे०वा० क्षमता की कोयला दहन रायलसीमा ताप विद्युत संयंत्र चरण-II (आर०टी०पी०पी०-II) की स्थापना हेतु ए०पी०जी० ई०एल०सी०ओ० को चीन ई०पी०पी० ठेकेदार द्वारा आपूर्ति कर्त्ता की साख के रूप में प्रदत विदेशी मुद्रा ऋण के संबंध में अस्थगित भुगतान गारंटी हेतु पी०एफ०सी० से अनुरोध किया है पी०एफ०सी० ने ए०पी०जी०ई०एन०सी०ओ० द्वारा चीनी ऋणकर्त्ताओं को 261.79 मिलियन अमरीकी डालर विदेशी मुद्रा-ऋण भुगतान को कवर करने के लिए डी०पी०जी० को सहायता मंजूर की है। पी०एफ०सी० द्वारा मंजूर डी०पी०जी० को अभी निष्पादित किया जाना है और मंजूरी सेवा शर्तों की पूर्ति की प्रतीक्षा है।

[हिन्दी]

कच्चे तेल की शोधन क्षमता

1193. **डा० सुशील कुमार इन्दौरा :**
श्री नवल किशोर राय :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न तेल शोधक कारखानों में कच्चे तेल की शोधन क्षमता बढ़ाई गई है;

(ख) यदि हां, तो दिसंबर, 2000 के अंत तक प्रतिष्ठापित तेल के शोधन की कुल कितनी क्षमता थी और सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र में शोधन क्षमता का अलग-अलग ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का शोधन क्षमता को और बढ़ाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) जी, हां।

(ख) दिसंबर, 2000 के अंत तक कुल घरेलू शोधन क्षमता 112.54 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष (एम०एम०टी०पी०ए०) के स्तर पर पहुंच चुकी है जिसमें से सार्वजनिक क्षेत्र में 75.85 एम०एम०टी०पी०ए०, संयुक्त क्षेत्र में 9.69 एम०एम०टी०पी०ए० और निजी क्षेत्र में 27 एम०एम०टी०पी०ए० है।

(ग) और (घ) सरकार ने 6.0 एम०एम०टी०पी०ए० क्षमता की बीना रिफाइनरी, 9.0 एम०एम०टी०पी०ए० क्षमता की पंजाब रिफाइनरी, 9.0 एम०एम०टी०पी०ए० क्षमता की पारादीप रिफाइनरी और चेन्नई रिफाइनरी की क्षमता में 3.0 एम०एम०टी०पी०ए० की वृद्धि के लिए अनुमोदन प्रदान कर दिया है। विभिन्न कंपनियों द्वारा योजित अन्य रिफाइनरी क्षमता विस्तार/नई रिफाइनरी परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

	क्षमता (एमएमटीपीए)
आई०ओ०सी०एल०, बरौनी विस्तार (चरण-2)	1.80
आई०ओ०सी०एल०, पानीपत विस्तार	6.00
आई०ओ०सी०एल०, कोयाली रिफाइनरी विस्तार	5.50
बी०पी०सी०एल०, रिफाइनरी विस्तार	5.10
के०आर०एल० विस्तार	6.00
एस्सार आयल रिफाइनरी	10.50
नागार्जुन आयल रिफाइनरी	6.00
कुल विस्तार/नई रिफाइनरी परियोजना	40.90

[अनुवाद]

रूसी तेल क्षेत्रों में ओ०एन०जी०सी० विदेश की साझेदारी

1194. **प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु :**
डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ओ०एन०जी०सी० विदेश ने रूसी तेल क्षेत्रों में 20 प्रतिशत की साझेदारी प्राप्त की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रूसी तेल क्षेत्र कम वसूली प्रतिशतता की परेशानी के लिए भी विख्यात है;

(घ) यदि हां, तो ओ०एन०जी०सी० 20 प्रतिशत भागीदारी लेने से पहले तेल क्षेत्रों का आकलन किस प्रकार करती है;

(ङ) ओ०एन०जी०सी० द्वारा विदेशी तेल क्षेत्रों में साझेदारी प्राप्त करने का क्या औचित्य है; और

(च) ऐसे उपक्रमों की समीक्षा के लिए क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) ओ०एन०जी०सी०-विदेश लिमिटेड (ओ०वी०एल०) ने रूस की राष्ट्रीय तेल कंपनी रासनेफ्ट-एस और इसकी सहायक कंपनी

एस०एम०एन०जी०-एस० के साथ रूस में सखालिन-1 अपतट परियोजना में 20 प्रतिशत हित के अर्जन के लिए 10.2.2001 को एक करार पर हस्ताक्षर किए हैं।

(ग) जी, नहीं। सखालिन-I परियोजना में क्षेत्रों का निकासी प्रतिशत निम्न नहीं है।

(घ) क्षेत्रों का आकलन ओ०एन०जी०सी० द्वारा और सभी प्रौद्योगिकीय आर्थिक और वाणिज्यिक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय परामर्शदाताओं द्वारा भी किया गया है।

(ङ) तेल और गैस की मांग और आपूर्ति के बीच बढ़ते अंतर पर विचार करते हुए विदेशों से समांशता तेल का अर्जन तेल सुरक्षा की उपलब्धि के लिए कार्यनीति का एक महत्वपूर्ण मोर्चा है। यह देश में अन्वेषण और उत्पादन में वृद्धि करने के प्रयासों के अतिरिक्त है।

(च) ऐसे उद्यमों का पुनरीक्षण कंपनी के निदेशक मंडल, जिसमें संबंधित मंत्रालयों से नामित निदेशक शामिल होते हैं, के द्वारा और उसके बाद सरकार द्वारा गठित सचिवों की समिति द्वारा किया जाता है।

के०पी०टी०सी०एल० और सी०पी०आर०आई० के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

1195. **श्री इकबाल अहमद सरडगी :** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या के०पी०टी०सी०एल० ने ऊर्जा की क्षति में कमी करने सहित विद्युत संरक्षण हेतु अर्थोपाय खोजने संबंधी अनुसंधान के लिए केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान के लिए केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए है;

(ख) यदि हां, तो हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) इससे के०पी०टी०सी०एल० को कितनी सहायता मिलेगी; और

(घ) इससे कनांटक सरकार किस प्रकार लाभान्वित होगी ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) के०पी०टी०सी०एल० ने ऊर्जा हानि में कमी समेत विद्युत संरक्षण के उपायों हेतु अध्ययन के निमित्त सी०पी०आर०आई० के साथ किसी समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं।

(ख) से (घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

[हिन्दी]

महानगरों में सी०एन०जी० भराई केन्द्र

1196. **श्री रामदास आठवले :** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विशेषकर महानगरों में भराई केन्द्रों की स्थापना करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सी०एन०जी० भराई केन्द्रों को कब तक स्थापित किये जाने की संभावना है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (ग) सरकार ने केवल दिल्ली एवं मुंबई महानगरों में संपीडित प्राकृतिक गैस पंप स्थापित करने का निर्णय लिया है। अब तक दिल्ली शहर में ऐसे 60 तथा मुंबई शहर में 22 स्टेशन स्थापित किए गए हैं।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय स्तर पर यात्री सुविधा समिति का गठन

1197. **श्री ए० वेंकटेश नायक :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने राष्ट्रीय स्तर पर यात्री सुविधाओं संबंधी कोई समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो समिति के उद्देश्य क्या हैं;

(ग) क्या समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है; और

(घ) यदि हां, तो समिति की प्रमुख सिफारिशें क्या हैं और सरकार द्वारा उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) रेलवे स्टेशनों पर तथा गाड़ियों में मुहैया कराई गई यात्री सुविधाओं की जांच करने के लिए रेल मंत्रालय में नवम्बर 1999 में राष्ट्री स्तर पर यात्री सुविधा समिति पुनर्गठित की गई है;

(ग) और (घ) समिति को अपनी रिपोर्ट त्रैमासिक आधार पर प्रस्तुत करनी अपेक्षित है। की गई टिप्पणियां तथा दिए गए सुझाव सामान्य सफाई तथा पर्यावरण की हालातों, पीने के पानी की व्यवस्थाओं, यात्रियों को सूचना देने के लिए मुहैया कराई गई सुविधाएं जैसे पूछताछ कार्यालय, जन उद्घोषणा प्रणाली, संकेत बोर्डों आदि से संबंधित हैं। ये सुझाव नोट कर लिए गए हैं तथा जहां कहीं औचित्यपूर्ण और व्यावहारिक होता है कार्यवाही शुरू कर दी गई हैं।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण अधिकारियों के विरुद्ध लम्बित मामले

1198. **श्री पी०डी० एलानगोवन :** क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के कुछ अधिकारियों तथा कर्मचारियों के विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा आरोप पत्र दाखिल किए गए हैं और उनके विरुद्ध मामले अभी भी लम्बित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनके विरुद्ध क्या आरोप लगाये गए हैं;

(ग) क्या भा०पु०स० के पूर्व महानिदेशक तथा उसके अधीनस्थ कर्मचारियों के ठिकानों पर आयकर छापे मारे गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण तथा केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा अलग-अलग की गई जांचों की वर्तमान स्थिति क्या है ?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) इस संबंध में सरकार को कोई जानकारी नहीं है।

(ङ) मामले माननीय केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरों की अदालतों के समक्ष हैं।

विवरण

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के कार्मिकों/स्टाफ पर चार्जशीट संबंधी मामलों, जो अभी भी लम्बित हैं, का ब्यौरा

क्रम सं०	आरोपित सरकारी कर्मचारी का नाम तथा पदनाम	मामला
1.	(क) श्री एम०जी० चैल्लपिल्लै, ए०एस०ए०ई० (सेवानिवृत्त) (ख) श्री वी० कन्नैयां, फोरमैन (ग) श्री एस० मतिवनन, फोरमैन (घ) श्री ए० राजामनीकन, फोरमैन (ङ) श्री वी० बलराज, संग्रहालय परिचर	इन अधिकारियों के विरुद्ध सी०बी०आई० मामला सं० आर०सी० 26/86/एस०पी०ई०/ए०सी०बी०/सी०बी०आई०/मद्रास तंजावूर जिला के दारासुरम में श्री अरावतेश्वर मंदिर की "प्राकार" दीवार और साथ लगे उपासना कक्ष के विघटन और पुनर्निर्माण के कार्य में आपराधिक कदाचार करने, धोखाधड़ी, आपराधिक गबन, जालसाजी छद्म प्रलेखों का प्रयोग और लेखों की जाल साजी के कारण बना। इन अधिकारियों पर मुकद्दमा चलाने की स्वीकृति महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने 5.8.1988 को प्रदान की थी। सी०बी०आई० द्वारा प्रथम ए०एस०जे०/त्रिची के न्यायालय में आरोप-पत्र 29.12.89 को दायर किया गया था।
2.	श्री बी०एल० मीणा, अ०श्रे०लि०	जयपुर के श्री ओ०पी० मीणा, प्रशासनिक अधिकारी और श्री बी०एल० मीणा, अ०श्रे०लि० के विरुद्ध 30/1/91 को डुप्लीकेटिंग मशीन और टाइपराइटरों की खरीद में अपनी सरकारी स्थिति का दुरुपयोग करने और आपराधिक षड्यंत्र के लिए एस०पी०ई०/जयपुर का सी०बी०आई० का मामला सं० आर०सी० 18 (ए) 90 बनाया गया। श्री ओ०पी० मीणा, प्रशा० अधिकारी तथा श्री बी०एल० मीणा, अ०श्रे०लि० पर मुकद्दमा चलाने की स्वीकृति महानिदेशक, भा०पु०स० द्वारा 23.1.91 को प्रदान की गई। श्री ओ०पी० मीणा, प्रशा० अधिकारी और श्री बी०एल० मीणा, अ०श्रे०लि० के विरुद्ध आरोप-पत्र दायर किए गए। सी०बी०आई० ने श्री ओ०पी० मीणा के विरुद्ध मामला बंद कर दिया क्योंकि श्री ओ०पी० मीणा का 29.8.99 को देहांत हो गया। श्री बी०एल० मीणा, अ०श्रे०लि० के विरुद्ध मामला अभी भी सी०बी०आई० न्यायालय में है।

कपास ओटाई उद्योग का कार्य-निष्पादन

1199. श्री अशोक ना० मोहोल : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में और चालू वर्ष में कपास ओटाई उद्योग द्वारा कितनी कपास प्रसंस्कृत की गई है;

(ख) क्या उद्योग अपनी क्षमता के 35% पर कार्य कर रहा है;

(ग) यदि हां, तो इसके घटिया कार्य-निष्पादन के क्या कारण है; और

(घ) ओटाई उद्योग की दशा सुधारने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० धनंजय कुमार) : (क) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान प्रसंस्कारित कपास की मात्रा निम्नानुसार है :–

वर्ष (अक्टूबर-सितंबर)	मात्रा लाख गांठ में – प्रत्येक गांठ 170 किग्रा०
1997-98	158
1998-99	165
1999-2000	156
2000-01 (अनुमानित)	146

स्रोत : कपास सलाहकार बोर्ड

(ख) और (ग) जिनिंग और प्रेसिंग के क्रियाकलाप मौसम की प्रकृति के एक वर्ष में 6-8 महीनों की अवधि के लिए होते है। शेष अवधि के दौरान इस प्रकार के क्रियाकलाप (बिनौले) की उपलब्धता पर निर्भर करते हैं।

(घ) वर्ष 1999-2000 से कपास विकास प्रौद्योगिकी मिशन शुरू किया गया है जिसका लक्ष्य कपास की उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार लाना है। इस मिशन के लघु मिशन – 4 का उद्देश्य जिनिंग और प्रेसिंग फैक्ट्रियों का आधुनिकीकरण करना है। इस योजना के अंतर्गत उद्यमी को 20 लाख रुपये की सीमा तक आधुनिकीकरण की लागत के 25% का पूंजी प्रोत्साहन दिया जाता है।

विद्युत सर्वेक्षण रिपोर्ट

1200. **श्री दलपत सिंह परस्ते** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में विद्युत सर्वेक्षण की 16वीं रिपोर्ट जारी की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को भी प्राथमिक सर्वेक्षण पूरा करने के लिए कहा है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने देश में जल विद्युत का दोहन कर देश में विद्युत की आवश्यकता को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने सोलहवी विद्युत शक्ति सर्वेक्षण रिपोर्ट को अन्तिम रूप दे दिया है। रिपोर्ट में यह उजागर किया गया है कि वर्ष 2004-05 और 2011-12 तक उर्जा की आवश्यकता क्रमश: 635 वि०यू० और 975 वि०यू० होगी, समानरूपी व्यस्तम भार 102161 मे०वा० और 157107 मे०वा० होगी। विस्तृत सर्वेक्षण करने के बाद रिपोर्ट तैयार की गई है।

(ग) देश में जल विद्युत के दोहन की गति बढ़ाने के उद्देश्य से अगस्त 1998 में जल विद्युत विकास सम्बन्धी एक नीति की घोषणा की गई थी। 31 जनवरी 2001 की स्थितिनुसार केन्द्रीय क्षेत्र के अन्तर्गत 2644 मे०वा० विद्यमान जल विद्युत क्षमता की तुलना में सरकार ने 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 1265 मे०वा० क्षमता चालू किये जाने के लिए 6 जल विद्युत परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की है। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान और आगे के लिए क्षमता अभिवृद्धि हेतु जल विद्युत परियोजनाओं, जिनमें 20000 मे०वा० से अधिक क्षमता शामिल है, के सम्बन्ध में अलग से अग्रिम कार्रवाई आरम्भ कर दी गई है। सरकार नये जल विद्युत स्थलों की जांच कार्य प्रक्रिया को सरल बनाने और इसकी गति में तेजी लाने के उपाय कर रही है ताकि ऐसी परियोजनाओं का एक कार्यक्रम तैयार किया जा सके जिनका क्रियान्वयन शीघ्र हो सके।

[हिन्दी]

दाहोद में रेलगाड़ी का रुकना

1201. **श्री बाबूभाई के० कटारा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिमी रेलवे के दाहोद रेलवे स्टेशन पर कितनी और कौन-कौन सी रेलगाड़ियां रुकती हैं;

(ख) उक्त रेलवे स्टेशन पर कौन-कौन सी रेलगाड़ियां नहीं रुकतीं; और

(ग) जनता द्वारा वहां पर कौन-कौन सी रेलगाड़ियों को रोके जाने की मांग की गई है और इस पर क्या कार्रवाई की गयी है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) इस समय निम्नलिखित गाड़ियां दाहोद स्टेशन पर ठहर रही हैं :

1. 129/130 बड़ोदरा–कोटा पार्सल एवं पैसेंजर
2. 717/718 बड़ोदरा–दाहोद एम०ई०एम०यू०
3. 781/782 दाहोद– रतलाम एम०ई०एम०यू०
4. 9023/9024 मुंबई–फिरोजपुर जनता एक्सप्रेस
5. 2925/2926 मुंबई–अमृतसर पश्चिम एक्सप्रेस
6. 2961/2962 मुंबई–इंदौर अवंतिका एक्सप्रेस
7. 2903/2904 मुंबई–अमृतसर गोल्डन टेम्पल मेल
8. 5063/5064 बान्द्रा–गोरखपुर अवध एक्सप्रेस
9. 9019/9020 बान्द्रा–देहरादून एक्सप्रेस
10. 1269/1270 राजकोट–भोपाल एक्सप्रेस (सप्ताह में 5 दिन)
11. 1263/1264 राजकोट–जबलपुर एक्सप्रेस (सप्ताह में 2 दिन)
12. 9163/9164 अहमदाबाद–फैजाबाद साबरमती एक्स० (सप्ताहिक)
13. 9165/9166 अहमदाबाद–मुजफ्फरपुर साबरमती एक्स० (सप्ताह में 3 दिन)
14. 9167/9168 अहमदाबाद–वाराणसी साबरमती एक्स० (सप्ताह में 3 दिन)

(ख) इस समय निम्नलिखित गाड़ियां दाहोद स्टेशन पर नहीं ठहर रही हैं :–

1. 2471/2472 मुंबई–जम्मू तवी स्वराज एक्सप्रेस (सप्ताह में 4 दिन)
2. 2473/2474 अहमदाबाद–जम्मूतवी सर्वोदय एक्सप्रेस (साप्ताहिक)
3. 2475/2476 हापा–जम्मू तवी एक्सप्रेस (साप्ताहिक)
4. 2477/2478 जामनगर–जम्मू तवी एक्सप्रेस (साप्ताहिक)
5. 5045/5046 अहमदाबाद–गोरखपुर एक्सप्रेस (साप्ताहिक)
6. 2951/2952 मुंबई–नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस
7. 2953/2954 मुंबई–निजामुद्दीन अगस्त क्रांति राजधानी एक्सप्रेस
8. 2431/2432 तिरूवनंतपुरम–निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस
9. 2955/2956 जयपुर–मुंबई एक्सप्रेस

(ग) दाहोद में निम्नलिखित गाड़ियों के ठहराव के लिए मांगे प्राप्त हुई हैं :–

1. 2471/2472 मुंबई–जम्मू तवी स्वराज एक्सप्रेस (सप्ताह में 4 दिन)
2. 2473/2474 अहमदाबाद–जम्मूतवी सर्वोदय एक्सप्रेस (साप्ताहिक)
3. 2475/2476 हापा-जम्मू तवी एक्सप्रेस (साप्ताहिक)
4. 2477/2478 जामनगर-जम्मूतवी एक्सप्रेस (साप्ताहिक)
5. 2951/2952 मुंबई–नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस
6. 2953/3954 मुंबई–निजामुद्दीन अगस्त क्रांति राजधानी एक्सप्रेस
7. 2431/2432 तिरूवनंतपुरम–निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस
8. 2955/2956 जयपुर–मुंबई एक्सप्रेस

इन मांगों की जांच की गई है लेकिन दाहोद में गाड़ियों को ठहराव देना फिलहाल व्यावहारिक नहीं पाया गया है।

[अनुवाद]

वस्त्र उद्योग का अनारक्षण

1202. श्री पवन कुमार बंसल : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई वस्त्र नीति 2000, में वस्त्र उद्योग को बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के लिए खोल दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में बनाई गई योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इससे रेडीमेड वस्त्रों का निर्माण करने वाली स्थानीय लघु इकाइयों पर विपरीत प्रभाव पड़ा है;

(घ) यदि हां, तो इससे लगभग कितने कामगारों के प्रभावित होने की संभावना है;

(ङ) क्या इस संबंध में लघु उद्योग क्षेत्र के साथ विचार किया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनके हितों की रक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या कारगर कदम उठाए गए हैं ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० धनंजय कुमार) : (क) से (च) राष्ट्रीय वस्त्र, 2000 में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए वस्त्र उद्योग को खोलने का उल्लेख नहीं है। तथापि आरक्षण संबंधी परामर्शदात्री समिति की सिफारिशों पर परिधान क्षेत्र का अनारक्षण कर दिया गया है और ऐसी आशा है कि इस निर्णय से घरेलू और बाहरी दोनों स्त्रोतों से निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा। ऐसी संभावना है कि इसका लघु उद्योग एककों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

पाइपलाइन के माध्यम से रसोई गैस

1203. श्री रमेश चेन्नितला :
श्री के० येरननायडू :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विशेषकर केरल में पाइपलाइनों के माध्यम से रसोई गैस की आपूर्ति हेतु कोई सर्वेक्षण कराया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि तेल विपणन कंपनियों को थोक में तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एल०पी०जी०) की आपूर्ति के लिए गैस अथारिटी आफ इंडिया ने गुजरात में कांडला से उत्तर प्रदेश में लोनी तक एक पाइपलाइन चालू कर दी है।

[हिन्दी]

कम्प्यूटरीकृत रेल आरक्षण केन्द्र खोला जाना

1204. श्री महेश्वर सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हिमाचल प्रदेश में कुल्लू मनाली में कम्प्यूटरीकृत रेल आरक्षण केन्द्र की स्थापना का निर्णय लिया था;

(ख) यदि हां, तो इस केन्द्र को अब तक स्थापित न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त केन्द्र की स्थापना कब तक हो जाएगी ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (ग) जी, हां। आज तक राज्य सरकार मनाली में कम्प्यूटरीकृत आरक्षण केन्द्र स्थापित करने हेतु उपयुक्त स्थान उपलब्ध नहीं करा सका है। जैसे ही राज्य सरकार द्वारा उपयुक्त स्थान की व्यवस्था कर दी जाती है, रेलवे तत्काल यह सुविधा चालू कर देगी।

[अनुवाद]

जम्मू और कश्मीर में सुरक्षा स्थलों के चारों ओर बाड़ लगाया जाना

1205. **श्री के० येरननायडू** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू और कश्मीर में आतंकवादियों के किसी भी आक्रमण से बचने के लिए वहां के सभी सुरक्षा स्थलों पर बाड़ लगाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस पर कितनी धनराशि खर्च हुई है; और

(ग) आतंकवादियों के आक्रमण को रोकने में यह बाड़ कितनी कारगर साबित हुई है ?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) सेना और राष्ट्रीय राइफल्स की चौकियों/पिकैटों और अन्य संस्थापनों की बेहतर सुरक्षा के लिए जहां आवश्यक समझा गया है, बाड़ लगाने सहित समुचित सुरक्षा व्यवस्थाएं की गई हैं।

(ख) सूचना सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) कोई भी बाड़ अभेद्य नहीं होती है। तथापि, आतंकवादियों द्वारा लुक-छिप कर हमला करने के विरुद्ध सुरक्षा व्यवस्था में लगातार वृद्धि की जा रही है। इस प्रकार हमला करने की घटनाओं को न्यूनतम करने के लिए अन्य सैन्य उपायों के साथ-साथ सुरक्षा बाड़ लगाने के उपाय किए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

राजस्थान में गैस पाइपलाइन का विस्तार

1206. **डा० जसवंत सिंह यादव** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैस अथॉरिटी आफ इंडिया लिमिटेड, राजस्थान में गैस पाइपलाइनों के विस्तार पर विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त गैस पाइपलाइनों का विस्तार किए जाने से राजस्थान को किस सीमा तक लाभ होने की संभावना है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

वकीलों के लिए आबंटित कमरे

1207. **श्री राजैया मल्याला** : क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** वकीलों के लिए आबंटित कमरे के बारे में 6 दिसंबर, 1996 के आतारांकित प्रश्न संख्या 2262 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भगवान दास रोड पर नए भवन में 20 वकीलों के लिए कार्य करने हेतु कुर्सी और मेज उपलब्ध कराने के लिए प्रत्येक तल पर 20 केबिन उपलब्ध कराए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और क्या इस चूक के लिए कोई जिम्मेदारी निर्धारित की गई है;

(घ) वकीलों के चेम्बर हेतु उक्त भवन के प्रत्येक तल पर 20 केबिन उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) वकीलों को उक्त स्थान कब तक उपलब्ध कराए जाने की संभावना है ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) से (ङ) भारत के उच्चतम न्यायालय से जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

समुद्री सीमाएं

1208. **श्री रामपाल सिंह** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश की समुद्री सीमाओं पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध करा रही है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) राष्ट्रीय समुद्री सीमाओं की सुरक्षा के लिए क्या कार्ययोजना तैयार की गई है ?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फ़र्नान्डीज़) : (क) से (ग) हमारी समुद्री सीमाओं की सुरक्षा अन्तरराष्ट्रीय समुद्री सीमा पर गश्त तथा पश्चिमी और पूर्वी समुद्री तट प्रदेशों पर निगरानी आपरेशनों का संचालन करने के लिए भारतीय नौसेना तथा तट रक्षक बल के जहाजों तथा विमानों को तैनात करके सुनिश्चित की जाती है। भारतीय अनन्य आर्थिक क्षेत्र पर भी समुद्री रास्तों से हथियारों/गोलाबारूद/घुसपैठियों आदि की अवैध आवाजाही पर रोकथाम लगाने तथा हमारे समुद्री क्षेत्र में तस्करी तथा अवैध रूप से मछली पकड़ने को रोकने के लिए नियमित रूप से निगरानी रखी जाती है।

[अनुवाद]

"टीपू सुल्तान" में सुविधाएं

1209. **श्री पी०सी० थामस** : क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लक्ष्यद्वीप में चल रहा यात्री पोत टीपू सुल्तान और यात्रियों को ले जाने वाले अन्य जहाज मानकों से बहुत निम्न स्तर के हैं,

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को जानकारी है कि पोत पर शौचालय सुविधाएं तथा ठहरने की सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हैं,

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं, और

(घ) पोत पर ऐसी सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) जी नहीं। लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के स्वामित्व में "टीपू सुल्तान" सहित सभी यात्री जलयान विभिन्न संगत विनियमों द्वारा नियत किए गए मानकों के अनुरूप हैं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

सेना चिकित्सा कोर में कार्मिकों की कमी

1210. **श्री रामदास आठवले :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेना चिकित्सा कोर में अभी-भी कार्मिकों की कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा सेना चिकित्सा कोर में अपेक्षित संख्या में कार्मिकों की भर्ती करने तथा सेना चिकित्सालयों को स्तरोन्नयन करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) पुणे सहित उन स्थानों के विषय में ब्यौरा क्या है, जहां सेना-चिकित्सालयों को स्तरोन्नत करने का कार्य प्रगति पर है; और

(ङ) वहां किए जा रहे स्तरोन्नयन-कार्य क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज़) : (क) से (ङ) इस समय सेना चिकित्सा कोर में 5363 अफसरों की कुल प्राधिकृत नफरी में केवल 203 अफसरों की कमी है।

(I) सेना चिकित्सा कोर में पर्याप्त भर्ती के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं :–

(i) प्रमुख समाचार-पत्रों में विज्ञापन देकर सिविलियन डाक्टरों को सेना चिकित्सा कोर में अल्पकालीन सेवा कमीशन प्रदान करना। कमीशन प्रदान करने के लिए चयन साक्षात्कार नई दिल्ली मे वार्षिक आधार पर आयोजित किए जा रहे हैं।

(ii) पुणे स्थित सशस्त्र सेना चिकित्सा कॉलेज से हर वर्ष जनवरी और जुलाई सत्रों में उत्तीर्ण होने वाले एम०बी०बी०एस० स्नातकों को स्थायी कमीशन प्रदान करना।

(iii) पुणे स्थित सशस्त्र सेना चिकित्सा कॉलेज और रक्षा सेनाओं के अन्य अस्पतालों से स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा प्राप्त करने वाले सिविलियन डॉक्टरों को अल्प सेवा कमीशन प्रदान करना।

(II) सेना अस्पतालों के उन्नयन के लिए निम्नलिखित कार्य किए गए हैं :–

पांच कमानों से संबंधित 2001 से 2005 की अवधि के दौरान अस्पताल निर्माण परियोजना की पंचवर्षीय वृहत योजना तैयार की गई है और उसकी प्राथमिकता निर्धारित की गई है। इस योजना में वर्ष 2001-2002 के लिए 12 अस्पताल, वर्ष 2002-2003 के लिए 29 अस्पताल परियोजनाएं और 2003-2005 के लिए 34 अस्पताल परियोजनाएं शामिल हैं।

पुणे सहित उन स्थानों का ब्यौरा जहां सेना अस्पतालों के उन्नयन का कार्य जारी है और किए जा रहे उन्नयन कार्य का ब्यौरा इस प्रकार है :–

(i) **सैन्य अस्पताल, चेन्नई :** सैन्य अस्पताल, चेन्नई के चरण-I का 28% निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है।

(ii) **सैन्य अस्पताल, जबलपुर :** चरण-I का निर्माण कार्य पूरा होने वाला है।

(iii) **कमान अस्पताल (दक्षिण कमान), पुणे :** नए बहुमंजिले आधुनिक अस्पताल परिसर, ऑपरेशन थिएटर और अस्पताल के कर्मचारियों की अनिवार्य श्रेणियों के आवास सहित आवास संबंधी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा चुकी है।

(iv) **166 सैन्य अस्पताल :** चरण-II का कार्य जारी है।

[अनुवाद]

ग्रामीण विद्युतीकरण निगम

1211. **डा० रघुवंश प्रसाद सिंह :**
श्री राम प्रसाद सिंह :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की 129.25 करोड़ रुपये की लम्बे समय से बकाया देय धन राशि के मूल भाग को दस बराबर किस्तों में वापस करने का अनुरोध दिया है, बशर्ते ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ब्याज की समस्त राशि माफ कर दे;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार के अनुरोध पर विचार किया है; और

(ग) यदि हां, तो ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा शेष धनराशि के संवितरण हेतु कितना समय लिए जाने का प्रस्ताव है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) जी, हां। बिहार राज्य बिजली बोर्ड (बी०एस०ई०बी०) द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन में निहित प्रस्ताव के अंतर्गत आर०ई०सी० को देय ब्याज तथा दंड ब्याज को फ्रीज करने तथा आर०ई०सी० द्वारा इसे माफ करने के बारे में विचार किया गया। इसमें केवल 129.25 करोड़ रुपये से मूल बकाया का 10 वार्षिक किस्तों में भुगतान करने का प्रस्ताव भी है।

(ख) और (ग) 31.12.2000 के अनुसार इस समय बी०एस० ई०बी० द्वारा आर०ई०सी० को कुल बकाया राशि एवं देय 431.79 करोड़ रुपये है, जिसमें से 132.97 करोड़ रुपये मूल तथा 298.82 करोड़ रुपये ब्याज है, इनमें 66.90 करोड़ रुपये का दंड ब्याज भी शामिल है। ग्राम विद्युतीकरण निगम बिहार राज्य विद्युत बोर्ड (बी०एस०ई०बी०) आर०ई०सी० देय के भुगतान में लगातार चूक के बावजूद आर०ई०सी० ने 1996-97 में बी०एस०ई०बी० को 40.83 करोड़ रुपये के ऋण परिव्यय से ग्राम विद्युतीकरण हेतु 39 नई परियोजनाएं मंजूर की। बहरहाल, वे ऋण दस्तावेज तैयार नहीं कर सकें और न ही सरकारी गारंटी दे सके अतएव, मंजूर दावों के मुकाबले ऋण का आहरण नहीं हो पाया। सरकार ने 2000-01 के दौरान विद्युतीकरण के लिए आर०ई०सी० के जरिए राशि देने की पुरानी प्रथा के बजाए सीधे न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य को 37.67 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की।

बकाया देय राशि के मुद्दे का समाधान करने और ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम हेतु बिहार के लिए नए सिरे से ऋण प्रवाह प्रारंभ करने के लिए आर०ई०सी० ने कई अवसरों पर अपनी बकाया राशियों का पुन: निर्धारित करने का प्रस्ताव किया है, जिसमें बकाया राशियों के आंशिक भुगतान को एकमुश्त नकद राशि में प्रदान करना तथा शेष मूल राशि व ब्याज को पारस्परिक रूप से सहमत वर्षों की संख्या में भुगतान करने का पुन: कार्यक्रम बनाना शामिल है। बकाया राशियों के पुन:कार्यक्रम बनाने के बारम्बार प्रस्तावों और प्रदान की गई अनुकूल शर्तों के बावजूद भी बी०एस०ई०बी० ने इस प्रस्ताव पर कोई प्रतिक्रिया नहीं जताई। आर०ई०सी० द्वारा लगाया जाने वाला ब्याज अपनी निधियों की लागत की पूर्ति के लिए आवश्यक तथा न्यूनतम है और एक वित्तीय संस्थान के रूप में आर०ई०सी० बी०एस०ई०बी० को दिए गए ऋणों पर कुल ब्याज की राशि को समाप्त नहीं कर सकता है।

ब्याज तथा पैनल ब्याज को समाप्त करने तथा हटाने के अनुरोध के संबंध में यह कहा जा सकता है कि आर०ई०सी० एक वित्तीय संस्थान के रूप में अपने ऋण प्रदान करने के प्रचालनों को करने के लिए भारत सरकार सहित विभिन्न स्रोतों से नकदी उगाहती है और इसे वचनबद्धताओं के अनुरूप मूल राशि तथा ब्याज के लिए सरकार तथा बाजार के अन्य ऋणदाताओं को भुगतान की अपनी देयता का निरंतर रूप में निर्वाह करना होता है।

विद्युत मंत्री ने बिहार के सांसदों के साथ 11 दिसम्बर, 2000 को एक बैठक का भी आयोजन किया ताकि बिहार में ग्रामीण विद्युतीकरण तथा विद्युत क्षेत्र विकास की मंद गति को सुधारने के बारे में उनसे परामर्श करके उनके सुझाव प्राप्त किए जा सकें। इस बैठक में, इस बात पर सहमति प्रकट की गई कि एक कार्यकारी व्यवस्था को शीघ्र ही तैयार किए जाने की आवश्यकता है जिसके अनुसार बिहार में ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम आगे बढ़ सके और उसके साथ-साथ आर०ई०सी० कुछ समय में अपनी बकाया राशियों की वसूली करने योग्य हो सके ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बाजार से निधियां प्राप्त करने की आर०ई०सी० की क्षमता प्रभावित न हो। बैठक के पश्चात् विद्युत मंत्री ने इस मामले को बिहार की मुख्यमंत्री के साथ भी उठाया है जिसमें उन्होंने लंबित मुद्दों पर विचार-विमर्श के लिए उन्हें आमंत्रित किया है ताकि इनका समाधान किया जा सके। राज्य सरकार की प्रतिक्रिया प्रतिक्षित है।

हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा यात्री विमान का उत्पादन

1212. **श्री के० येरननायडू** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड ने यात्री विमान के उत्पादन हेतु एक फ्रांसीसी नागर विमानन-कंपनी ए०टी०आर० के साथ समझौता करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस परियोजना पर निर्माण कार्य के कब तक शुरू होने की संभावना है और पहला विमान कब तक बनकर तैयार होगा ?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) और (ख) हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड ने चरणबद्ध तरीके से अपने हिस्से में 50% तक की वृद्धि की योजना सहित 50-70 सीटों वाले यात्री विमान के सह-उत्पादन के लिए जनवरी, 2001 में फ्रांसीसी विमानन कम्पनी ए०टी०आर० के साथ एक सहयोग करार पर हस्ताक्षर किए हैं।

(ग) इस परियोजना पर कार्य आर्डर प्राप्त होने पर शुरू होगा। प्रथम विमान की सुपुर्दगी कार्य शुरू होने के छह माह बाद संभव होगी।

रसोई गैस/पेट्रोल/मिट्टी के तेल/डीजल विक्रय-केन्द्रों का आवंटन

1213. **श्री भर्तृहरि महताब** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में रसोई गैस, पेट्रोल, मिट्टी के तेल और डीजल की डीलरशिप के आवंटन के संबंध में इस समय राज्यवार कितने आवंटन लंबित हैं;

(ख) ये आवेदन कितने समय से लंबित हैं तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) लंबित आवेदनों का निपटान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (ग) नई खुदरा बिक्री डीलरशिपें, एस०के०ओ०-एल०डी०ओ० डीलरशिपें और एल०पी०जी० डिस्ट्रीब्यूटरशिपें खोलने के प्रस्ताव डीलर/डिस्ट्रीब्यूटर चयन की प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में हैं।

कुछेक स्थानों के डीलरों/डिस्ट्रीब्यूटरों के चयन का कार्य 1999 के आम चुनावों की घोषणा और बाद में डीलर चयन बोर्डों के भंग किए जाने के कारण इन बोर्डों द्वारा कार्य करना बंद किए जाने के कारण नहीं किया जा सका। डीलरों/डिस्ट्रीब्यूटरों के शीघ्र चयन के लिए अब 59 नए डीलर चयन बोर्डों का गठन कर दिया गया है।

केंद्रीय आयुध डिपो, जबलपुर से तोपों के कलपुर्जों का गायब होना

1214. **डा० संजय पासवान :**
श्री मणिभाई रामजीभाई चौधरी :
श्री सुरेश रामराव जाधव :
डॉ० जसवंत सिंह यादव :
श्री मोहन रावले :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय आयुध डिपो, जबलपुर से कई लाख रुपये मूल्य के तोपों के कलपुर्जे गायब हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई जांच कराई गई है;

(ग) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला और इस पर क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई; और

(घ) ऐसे संवेदनशील क्षेत्रों में चोरी रोकने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) जी, हां। केंद्रीय आयुध डिपो, जबलपुर द्वारा की गई प्राथमिक जांच से लगभग 989 कि०ग्रा० वजन तथा 17.40 लाख रुपए की पीतल की आयुध सामग्री की हानि का पता चला है।

(ख) जी, हां।

(ग) मध्य प्रदेश, बिहार तथा उड़ीसा क्षेत्र मुख्यालय द्वारा जांच अदालत बिठाने के आदेश दे दिए गए हैं। अभी जांच जारी है। जांच रिपोर्ट के आधार पर अगली कार्यवाही की जायेगी।

(घ) आयुध डिपुओं की सुरक्षा को सुदृढ़ करने से संबंधित आवश्यक निर्देश एक बार फिर सभी संबंधितों को जारी कर दिए गए हैं।

[हिन्दी]

सिलेसिलाये वस्त्रों की बिक्री

1215. **श्री रामशकल : क्या वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी कम्पनियां देश में सिलेसिलाए वस्त्रों की बिक्री कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनका पिछले तीन वर्षों के दौरान आज तक प्रत्येक वर्ष में कम्पनी-वार व्यवसाय कितना था;

(ग) घरेलू कम्पनियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है; और

(घ) घरेलू कम्पनियों के लिए समान अवसर प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० धनंजय कुमार) : (क) से (घ) देश में सिलेसिलाये परिधानों को बेचने वाली विदेशी कंपनियों की फर्मों की बिक्री, कारोबार आदि के ब्यौरे नहीं रखे जाते हैं।

आयात समय-समय पर लागू निर्यात-आयात नीति के अध्यधीन बाजार प्रतिबलों द्वारा संचालित होते हैं। उदारीकृत व्यापार नीति के फलस्वरूप अंतर्राष्ट्रीय वस्त्र व्यापार में वृद्धि हुई है जिससे अत्यधिक निर्यात अवसर प्रदान हो रहे हैं और साथ ही घरेलू बाजार में आयात का प्रवेश घरेलू उद्योग में उजागर हुआ है। उद्योग को उभरती विश्व व्यापी प्रतिस्पर्द्धा का सामना करने के लिए अपनी कार्यकुशलता और उत्पादकता में सुधार लाना होगा।

सरकार वस्त्र और क्लोदिंग उद्योग को सुदृढ़ बनाने और समान कार्यकलाप क्षेत्र प्रदान करने के लिए अनेक कदम उठा रही है। कुछ महत्वपूर्ण पहल निम्नानुसार है :–

1. सरकार ने लघु उद्योग क्षेत्र से सिले सिलाये परिधान के वूवन भाग को अनारक्षित कर दिया है।

2. सरकार ने घरेलू उद्योग के हितों की रक्षा करने के लिए अनेक वस्त्र मदों के आयात पर जो भी अधिक हो उस आधार पर सममूल्य और विशिष्ट शुल्क को संयुक्त रूप से लागू किया है।

3. यदि किसी प्रकार के अनुचित व्यापार प्रक्रिया का पता चलता है तो यदि आवश्यक हुआ तो डब्ल्यू०टी०ओ० के पाटनरोधी प्रतिकारी उपायों आदि के अंतर्गत कार्रवाई की जा सकती है।

4. इस क्षेत्र के आधुनिकीकरण और उन्नयन को सुकर बनाने के लिए 1.4.1999 से प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टी०यू०एफ०) को प्रभावी बनाया गया है ताकि यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अधिक प्रतियोगी बन सके।

5. राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट), उसकी 6 शाखाएं और अपैरल प्रशिक्षण और डिजाईन केन्द्र (ए०टी०डी०सी०) डिजाईन, व्यापारीकरण और विपणन के क्षेत्र में वस्त्र उद्योग की कौशल जनशक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न पाठ्यक्रम/कार्यक्रम चला रहे हैं।

6. वस्त्र उद्योग के सुव्यवस्थित और निरंतर विकास व उन्नति को सुव्यवस्थित ढंग से नीतिगत दिशा निर्देश देने और वस्त्र निर्यात को थ्रस्ट देने के लिए हाल ही में नई वस्त्र नीति की घोषणा की गई है।

[अनुवाद]

धोलावीरा में पुरातात्विक संग्रहालय

1216. **श्री पी०एस० गढ़वी : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के धोलावीरा (कच्छ) में पुरातात्विक संग्रहालय स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) संग्रहालय की स्थापना हेतु अब तक क्या कदम उठाए गए हैं और इस प्रयोजनार्थ कितनी राशि स्वीकृत की गई है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) से (ग) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का धौलावीरा में एक संग्रहालय बनाने का प्रस्ताव है। किन्तु डिज़ाइन, स्थान, निधियन, आदि के संबंध में अब तक कोई विस्तृत कार्य नहीं किया गया है।

डी०पी०सी० पर अमरीकी एनरान डेवलपमेंट कार्पोरेशन का नियंत्रण

1217. **श्री अजय चक्रवर्ती : क्या विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विवादास्पद अमरीकी एनरान डैवलपमेंट कार्पोरेशन को अमरीकी डालर 886.7 मिलियन की तुलना में अमरीकी डालर 1118.7 मिलियन तक अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने की अनुमति देकर डाभोल पावर कार्पोरेशन (डी०पी०सी०) पर अपनी पकड़ मजबूत करने की अंततः अनुमति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस कदम से महाराष्ट्र सरकार की हिस्सेदारी 30% से घटकर 10% तक रह गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या महाराष्ट्र सरकार ने इस परियोजना में अपनी 30% हिस्सेदारी रखने में असमर्थता जाहिर की है; और

(च) यदि हां, तो इस परियोजना पर राज्य सरकार या केन्द्र सरकार का किस प्रकार का नियंत्रण रहेगा?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (च) **महाराष्ट्र में दाबोल विद्युत कम्पनी (डी०पी०सी०) द्वारा 2184 मे०वा० डाभोल कंबाईंड साइकिल गैस टर्बाइन के फेस-I के कार्यान्वयन हेतु 434.2 मिलियन अमरीकी डालर का विदेशी ऋण भारत सरकार ने 30 अप्रैल, 1996 को अनुमोदित किया था। परियोजना के फेस-I के लिये सरकार ने महाराष्ट्र विद्युत बोर्ड को 30% की** इक्विटी **को स्वीकार करने हेतु प्रस्तावना को भी अनुमोदित किया है।** परियोजना **के फेस-I के लिये वास्तव में कुल बढ़ाई गई इक्विटी पूंजी** 430. **073 मिलियन अमेरीकी डालर है महाराष्ट्र सरकार ने सूचित** किया **है कि अ०रा०वि० बोर्ड ने एम०एस० एमरोन मारिटिस कम्पनी** में **30% का इक्विटी क्रय किया है जो कि परियोजना के** फेस-I के **पूरा होने के पश्चात् एक बड़ी विदेशी इक्विटी पार्टनर है।**

इस विकल्प को सम्मुख रखकर कि एम०एस०ई०बी० को 30% **इक्विटी की व्यवस्था कर ले परियोजना के फेस-II के लिये** भारत **सरकार ने 452.7 मिलियन अमेरीकी डालर 16 फरवरी,** 1999 को **अनुमोदित किया था सी०सी०जी०टी० डाभोल के फेस-II** हेतु वित्तीय **समझौता के तहत परियोजना के ऋणदाता ने मांग की है** कि यदि **एम०एस०ई०बी० परियोजना के वित्त पोषण में किसी प्रकार** की इक्विटी **के अंशदान में असफल होता है और इमरान निगम को** 50% की **इक्विटी प्रतिबद्धता के अलावा इस कमी को भी पूरा करना होगा** परियोजना **के फेज-I में भागीदारी के अनुरूप एम०एस०ई०बी०** (अनुबंध-I **का परियोजना के फेज-II में इक्विटी भागीदारी का इरादा** है बशर्ते **कि वह एक बार पूरी हो जाए।**

डाभोल परियोजना के फेस-II का वाणिज्यिक प्रचालन का शुभारंभ **नवम्बर, 2001 को सुनिश्चित किया गया है। विदेशी निवेश** प्रोत्साहन **बोर्ड को 13 अक्टूबर 2000 को एक आवेदन प्रस्तुत किया** गया था **परियोजना के फेस-II के लिये बकाया राशि का एम०एस०ई०बी०** **भुगतान नहीं कर रहा है इसलिये प्रस्तावित किया जाता है** कि परियोजना **के फेस-II में एम०एस०ई०बी० 30% का साझेदार हैं अतः** मारिटिस **से इनरान के आधार पर नवीन संबद्ध कम्पनियों को दिया** जाये इसके **अतिरिक्त परियोजना के ऋणदाता के सहयोग में काटीजेसी** इक्विटी **233 मिलियन अमेरीकी डालर की अतिरिक्त इक्विटी** बढ़ाने हेतु **डी०पी०सी० सरकार की अनुमोदन की अपेक्षा की है** निर्माण के **दौरान बढ़ती हुई विभिन्न लागतें की प्राप्ति अपेक्षित है सी०सी०**जी०टी० **डभोल के फेस-II हेतु एम०एस०ई०बी० के भागीदारी** इक्विटी के **ग्रहण करने हेतु मै० एनरान के प्रस्ताव के लिये, जी०ओ०**एम० ने **अनापत्ति जारी कर दी है। दोनों के मध्य नियम व शर्तों** के अनुरूप **पूरा होने के पश्चात एम०एस०ई०बी० के स्थान पर नामित** कम्पनी **को फेस-II के लिये 30% इक्विटी शर्तोंनुसार स्थानान्तरित** की जाये

मै० डाभोल विद्युत कम्पनी की उपर्युक्त प्रस्तावना को भारत सरकार **ने 12 फरवरी, 2001 को अनुमोदित कर दिया।**

राज्यों को रायल्टी

1218. **श्री कालवा श्रीनिवासुलु : क्या पेट्रोलियम और** प्राकृतिक **गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या सरकार ने तेल उत्पादक देशों को समुद्र तट पर खुदाई आय से लाभ में हिस्सेदारी लेने की अनुमति देने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का कुछ तेल-क्षेत्रों के निजीकरण **का प्रस्ताव है; और**

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) राज्य सरकारों को कच्चे तेल के उत्पादन पर रायल्टी मिलती है। कच्चे तेल पर रायल्टी की वर्तमान दर 800 रुपए प्रति मीट्रिक टन है या कूप-शीर्ष मूल्य का 20 प्रतिशत, इनमें से जो भी कम हो, है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता। तथापि सरकार ने देश में कच्चे तेल के अन्वेषण और उत्पादन में वृद्धि करने के लिए नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति (एन०ई०एल०पी०) की घोषणा की है। सरकार ने एन०ई०एल०पी० के पहले दौर के तहत 24 ब्लाकों के लिए उत्पादन हिस्सेदारी संविदाओं पर हस्ताक्षर किए हैं। सरकार ने एन०ई०एल०पी० के दूसरे दौर के तहत 25 अन्य ब्लाकों का प्रस्ताव किया है।

मध्याह्न 12.00 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरूण जेटली) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :–

(1) विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 30 की उपधारा (1) के अन्तर्गत उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति नियम, 2000 जो 3 जुलाई, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 582(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा उनका एक शुद्धि पत्र जो 25 जुलाई, 2000 की अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 637(अ) में प्रकाशित हुआ था की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 3274/2001]

(2) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 169 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निर्वाचनों का संचालन (संशोधन) नियम, 2001 जो 1 फरवरी, 2001 के भारत के राजपत्र में का०आ० संख्या 90(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 3275/2001]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : मैं दसवीं, ग्यारहवीं, बारहवीं और तेरहवीं लोक सभा के दौरान मंत्रियों द्वारा दिए गए आश्वासनों, वचनों और परिवचनों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही को दर्शाने वाले विवरणों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :–

दसवीं लोक सभा

(1) विवरण संख्या छब्बीस बारहवां सत्र, 1994

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 3276/2001]

ग्यारहवीं लोक सभा

(2) विवरण संख्या इक्कीस दूसरा सत्र, 1996

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 3277/2001]

(3) विवरण संख्या उन्नीस तीसरा सत्र, 1996

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 3278/2001]

(4) विवरण संख्या उन्नीस चौथा सत्र, 1996

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 3279/2001]

(5) विवरण संख्या सत्रह पांचवां सत्र, 1997

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 3280/2001]

(6) विवरण संख्या चौदह छठा सत्र, 1997

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 3281/2001]

बारहवीं लोक सभा

(7) विवरण संख्या पन्द्रह दूसरा सत्र, 1998

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 3282/2001]

(8) विवरण संख्या बारह तीसरा सत्र, 1998

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 3283/2001]

(9) विवरण संख्या ग्यारह चौथा सत्र, 1999

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 3284/2001]

तेरहवीं लोक सभा

(10) विवरण संख्या आठ दूसरा सत्र, 1999

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 3285/2001]

(11) विवरण संख्या सात तीसरा सत्र, 2000 (खंड I और II)

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 3286/2001]

(12) विवरण संख्या तीन चौथा सत्र, 2000

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 3287/2001]

(13) विवरण संख्या एक पांचवां सत्र, 2000

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 3288/2001]

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० धनंजय कुमार) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :–

(1) (एक) नेशनल सेन्टर फार जूट डाइवर्सिफिकेशन, कलकत्ता के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल सेन्टर फार जूट डाइवर्सिफिकेशन, कलकत्ता के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 3289/2001]

[हिन्दी]

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :–

(1) (एक) कोचीन पत्तन न्यास, कोचीन के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कोचीन पत्तन न्यास, कोचीन के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 3290/2001]

(3) सेन्ट्रल इनलैंड वाटर ट्रान्सपोर्ट कारपोरेशन लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1999-2000 का वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखाओं को लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात नौ महीने की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखने के कारणों को स्पष्ट करने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 3291/2001]

अपराह्न 12.02 बजे

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

बारहवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री एम०ओ०एच० फारूक (पांडिचेरी) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का बारहवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.03 बजे

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

कार्यवाही सारांश

[अनुवाद]

श्री एम०ओ०एच० फारूक (पांडिचेरी) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति की पांचवें सत्र के दौरान आयोजित नौवीं से ग्यारहवीं बैठकों के कार्यवाही सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.04 बजे

याचिका संबंधी समिति

छठा प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : अध्यक्ष महोदय, मैं याचिका संबंधी समिति का छठा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : सभा में अब शून्य काल की चर्चा आरंभ होगी। श्री हरीभाऊ शंकर महाले।

[हिन्दी]

श्री हरीभाऊ शंकर महाले (मालेगांव) : अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार ने एनरॉन कम्पनी के बारे में महाराष्ट्र सरकार को काउंटर गारंटी दे दी है। इसके तहत रक्षा विभाग को छोड़ कर राष्ट्रपति भवन

गिरवी दे दिया है। यह करार बहुत जल्दबाजी में करने से महाराष्ट्र के लोगों को बहुत नुकसान हुआ है। इस कारण आज पूरे महाराष्ट्र में तहसील कचहरी पर लोग धरना दे रहे हैं। गोहागर जहां एनरॉन कम्पनी है, वहां भी लोग आज सत्याग्रह करने जा रहे हैं। भारत सरकार ने जो काउंटर गारंटी दी है, वह उसे कैंसिल करे और किसानों को बचाए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री वरकला राधाकृष्णन, श्री रामदास आठवले, श्री लक्ष्मण, श्री रामशेठ ठाकुर और श्री सुनील खां श्री महाले द्वारा उठाए गए मुद्दे से संबद्ध हो सकते हैं।

प्रो० ए०के० प्रेमाजम (वडागरा) : महोदय, मुझे यह अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं। मैं इस सरकार का ध्यान एक ऐसे बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर आकृष्ट करना चाहती हूं जिसने सभी दिल्ली वासियों के मन को परेशान कर रखा है। यह मुद्दा दिल्ली में प्रदूषण के नाम पर औद्योगिक इकाइयों को बंद किए जाने से संबंधित है।

अध्यक्ष महोदय : महोदया, इस विषय पर हम एक बैठक भी करने वाले हैं।

प्रो० ए०के० प्रेमाजम, श्री बसुदेव आचार्य, श्री हन्नान मोल्लाह, श्री रामजीलाल सुमन और श्री जी०एम० बनातवाला इस मुद्दे को उठाना चाहते थे। हम इस संबंध में बैठक करने वाले हैं और उस बैठक में हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे।

अब, डा० विजय कुमार मल्होत्रा।

[हिन्दी]

डॉ० विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ध्यान एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात की ओर दिलाना चाहता हूं। अफगानिस्तान में सत्ताधारी तालिबान सरकार ने अपने देश में हजारों साल पुरानी सभी मूर्तियों और बुतों को तोड़ने का आदेश दिया है।

[अनुवाद]

यूनेस्को प्रमुख कोइचिरो मात्स्यूरा ने बुधवार को तालिबान से इस निर्णय पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा :

[अनुवाद]

"इस निर्णय के अनुपालन से वाकई सांस्कृतिक विनाश हो जायेगा। जिससे इस असाधारण मूल्य की धरोहर को अपूरणीय क्षति होगी। यह धरोहर अफगानिस्तान के लिए स्मृति और अस्मिता का केन्द्र है और अन्य सभ्यताओं के इतिहास में एक युगान्तरकारी घटना है।"

जापान और थाईलैंड के बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग भी तालिबान से मिले हैं कि वह अपने निर्णय पर पुन: विचार करे। समाचार पत्र में यह समाचार प्रकाशित हुआ है।

"श्री लंका ने ऐतिहासिक बुद्ध प्रतिमाओं के संरक्षण के लिए एक बड़ा राजनयिक अभियान छेड़ा है। विदेश मंत्री, लक्ष्मण कादिरगामर ने भारत, थाईलैंड, म्यांमार और नेपाल में कार्यरत अपने दूतों को कहा है कि इस स्थिति से निपटने के लिए एक रणनीति तैयार करने हेतु वे तत्काल विचार विमर्श करें।"

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय, श्री लंका की सबसे बड़ी मुस्लिम पार्टी श्रीलंका मुस्लिम कांग्रेस ने भी तालिबान सरकार से अफगानिस्तान में भगवान बुद्ध की हजारों साल पुरानी प्रतिमाओं को ध्वस्त न करने का अनुरोध किया है। इसी प्रकार अफगानिस्तान में रहने वाले बहुत से मुसलमानों ने और उससे पहले वहां पर

[अनुवाद]

बुरहानुद्दीन रब्बानी के निर्वासित होने पर बने विदेश मंत्री हमीद कार्जी ने कहा था :

"प्रतिमाएं अब धर्म का ही भाग नहीं है बल्कि अब वे देश की धरोहर और इतिहास का भाग हैं।"

[हिन्दी]

और इसलिए उनको बचाना चाहिये क्योंकि 2000 साल पुरानी दुनिया की सबसे बड़ी बुद्ध की मूर्ति को तोड़ने का खतरा पैदा हो गया है। मैं चाहता हूं कि सारा सदन मिलकर इस बात पर चिन्ता प्रकट करें और वहां की सरकार से कहा जाये कि भगवान बुद्ध की इस मूर्ति को न तोड़ा जाये। यह हजारों साल पुरानी विश्व की धरोहर है, इसलिए इसे बचाया जाये।

[अनुवाद]

श्री सुरेश कुरूप (कोट्टायम) : महोदय, इस सभा को अफगानिस्तान में प्राचीन बुद्ध मूर्तियों को नष्ट करने से संबंधित जारी किये गये तालिबान के फतवे की भर्त्सना करनी चाहिए। ये प्रतिमाएं प्राचीन, फारसी, यूनानी, गांधारी और भारतीय मिश्रित सौन्दर्यपरक परंपराओं का एक उज्जवल उदारहण हैं। इसके अतिरिक्त, एशिया के बहुत से लोगों की भावनाओं पर यह सीधा प्रहार है। विश्व की सबसे प्राचीन जीती जागती सभ्यताओं में से एक होने से नाते भारत को इस आंदोलन का विरोध करने में पहल करनी चाहिए।

मैं नहीं समझता कि यह सरकार जो देश के धार्मिक मतांधों को संरक्षण प्रदान करती है, इस कार्य को कर पायेगी। भारत में धार्मिक स्थानों को नष्ट करने वाले ये लोग यहां पर तालिबान के लोगों जैसे ही हैं।

श्री रमेश चेन्नितला (मवेलीकारा) : महोदय, तालिबान द्वारा जारी किया गया पुरानी बौद्ध प्रतिमाओं को नष्ट करने का फतवा एक दु:खद घटना है। इस पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। सरकार को यह मामला अफगानिस्तान सरकार के साथ उठाना चाहिए कि वह बौद्ध प्रतिमाओं के किसी भी प्रकार के विध्वंस को रोके। ये हमारी प्राचीन परम्परा के प्रतीक हैं। यद्यपि यह घटना सभी समाचार-पत्रों में प्रकाशित हुई है, यह एक दुर्भाग्य की बात है कि सरकार ने इस मामले का कोई संज्ञान नहीं लिया। यह एक बहुत गंभीर मामला है। इससे न केवल हजारों हजार बौद्धों का मन उद्वेलित हुआ है बल्कि देश के अन्य धर्म के लोगों का मन भी उद्वेलित हुआ है। प्राचीन स्मारकों और प्रतिमाओं को नष्ट करने से हमारे देश के लोगों में दुर्भावना उत्पन्न हो जायेगी।

महोदय, आपके माध्यम से, मैं सरकार से इस मामले पर बहुत गंभीरतापूर्वक विचार करने और आवश्यक कार्रवाई करने का आग्रह करूंगा। संसदीय कार्य मंत्री सभा में मौजूद हैं। सरकार को बौद्ध लोगों को और इस घटना से वास्तव में दु:खी हुए व्यक्तियों को आश्वासन देना चाहिए। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप मंत्री जी को बोलने नहीं दे रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*(व्यवधान)**

श्री सुरेश कुरूप : सभा को इसकी भर्त्सना करनी चाहिए। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी का जवाब तो सुनिये।

[हिन्दी]

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : अध्यक्ष जी, बौद्ध प्रतिमा की विडम्बना होना, इस पर पूरा सदन चिंतित है, इस पर भारत सरकार भी निश्चित रूप से चिंतित है। यूनेस्कों की ओर से यह कहा गया है कि यह केवल एक बौद्ध की प्रतिमा है, ऐसा नहीं है, यह मानवता की एक अनमोल इस प्रकार की चीज है कि जिसको किसी को भी विद्रूप नहीं करना चाहिए और इसलिए भारत सरकार ने यह निश्चित किया है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जहां-जहां भी हो, हम यह विषय उठाने का जरूर प्रयत्न करेंगे। इस पर एक अंतराष्ट्रीय मत तैयार करेंगे और इस तरह से इसे रोकने में पूरी शक्ति लगायेंगे। क्योंकि हम सब जानते हैं कि यह किसी एक ऐसे देश में है जहां पर इन चीजों को नियंत्रण करना बड़ा कठिन है। वह अंतरराष्ट्रीय समुदाय से उतना मिला नहीं हैं, जितना मिलना चाहिए। लेकिन जिन-जिन चीजों पर यूनाइटेड नेशंस में जिन-जिन अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में इस विषय को उठाया जायेगा और इसकी सुरक्षा की व्यवस्था करने का जितना प्रयास होगा भारत सरकार जरूर करेगी।

श्री प्रहलाद सिंह पटेल (बालाघाट) : सर, हमने भी नोटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदय : आपका मैटर प्रीविलेज कमेटी में भेज दिया है, आप उसे यहां नहीं उठा सकते।

(व्यवधान)

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : सर, तालिबान को वार्निंग देनी चाहिए। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह प्रीविलेज कमेटी में पैंडिंग है, आप इसे यहां कैसे उठा सकते हैं। आप बैठ जाइये।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको अनुमति इसलिए नहीं दे रहा हूं क्योंकि यह मामला विशेषाधिकार समिति के समक्ष लंबित है।

[हिन्दी]

श्री राम नरेश त्रिपाठी (सिवनी) : सर, हमने भी नोटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदय : आपने नोटिस दिया है। लेकिन यह प्रीविलेज मैटर है। इसे प्रीविलेज कमेटी में उठाइये। आप इसे यहां कैसे उठा सकते हैं।

[अनुवाद]

श्री भान सिंह भौरा (भटिंडा) : महोदय, मैं लोक महत्व के एक महत्वपूर्ण मामले का उल्लेख करना चाहूंगा, वह है – दूरदर्शन चैनल पर क्षेत्रीय भाषाओं के प्रति भेदभाव *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री प्रहलाद सिंह पटेल (बालाघाट) : सर, हमें बोलने का मौका दिया जाए।

अध्यक्ष महोदय : आप ऐसे इसे नहीं उठा सकते। आप मेरे कमरे में आ जाइये, हम आपको बतायेंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हम आपको ऐसे नहीं बोलने देंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : त्रिपाठी जी, आप भी बैठ जाइये।

---

*कार्यवाही–वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

Scanned by CamScanner

श्री विजय गोयल (चांदनी चौक) : अध्यक्ष जी, मैंने भी नोटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदय : आपने नोटिस दिया है तो हम आपको भी बुलायेंगे।

[अनुवाद]

श्री भान सिंह भौरा : महोदय, मैं लोक महत्व के एक महत्वपूर्ण मामले का उल्लेख करना चाहूंगा और वह है – दिनांक 28.2.2001 के दूरदर्शन समाचार चैनल पर क्षेत्रीय भाषाओं के प्रति भेदभाव। जब केन्द्र सरकार के बजट के सम्बन्ध में समाचार प्रसारित किये गये तो पंजाबी, उड़िया, उर्दू, तेलुगु और तमिल जैसी क्षेत्रीय भाषाओं को 15 मिनट के स्थान पर पांच मिनट दिये गये। यह क्षेत्रीय भाषाओं के प्रति स्पष्ट भेदभाव है। केन्द्र सरकार के जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करनी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री रामानन्द सिंह (सतना) : अध्यक्ष महोदय, निराश्रित सहायता पेंशन का भुगतान सम्पूर्ण देश में समय पर नहीं हो रहा है। मध्य प्रदेश में यह निराश्रित सहायता पेंशन तो छह-छह माह तक नहीं बटती। इसके कारण वृद्धों, विधवाओं और निराश्रितों की कठिनाईयां बढ़ रही है। यह बड़ी भयंकर स्थिति है। मध्य प्रदेश के सतना जिले के विकास खण्ड मझगवा में सेलौरा नाम का एक गांव है जहां 80 वर्ष का एक आदिवासी वृद्ध जो कोल जाति का था कि भूख से मृत्यु इसलिए हो गई कि उसको छह महीने तक निराश्रित सहायता पेंशन नहीं दी गई। मैं चाहता हूं कि भारत सरकार इसकी जांच कराये। वहां पूरा गांव कह रहा है कि वह वृद्ध 85 वर्ष का था और उसको छह महीने तक पेंशन नहीं मिली जबकि उसकी मृत्यु से एक महीने के बाद वह पेंशन बांटी गई।

मेरा भारत सरकार से अनुरोध है कि वह निराश्रित सहायता पेंशन समय पर बंटवाने की व्यवस्था करे और इस पेंशन को 150 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 300 रुपये प्रतिमाह करे। इसके साथ ही मध्य प्रदेश सरकार को साफ हिदायत दे कि वह निराश्रित सहायता पेंशन की राशि दूसरी मदों में खर्च न करें। यह निराश्रितों की पेंशन सरकारी कर्मचारियों की तन्खवाह बांटने और हवाई जहाज उड़ाने में खर्च की जा रही है। मेरा अनुरोध है कि निराश्रितों पर भारत सरकार कृपा करके उनकी पेंशन बढ़ाये और समय पर उसका भुगतान किया जाये। इसके साथ-साथ विकास खंड मझगवा के सेलौरा गांव में जो आदिवासी वृद्ध मरा है, वह भारत सरकार के लिए निराश्रित सहायता पेंशन योजना के नाम से एक कलंक है। मेरा कहना है कि भारत सरकार इसकी जांच कराकर मध्य प्रदेश से जवाब तलब करें कि यह पेंशन बांटने में इतना विलम्ब क्यों हो रहा है।

डॉ० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मंदसौर) : अध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश के नीमच जिले में सी०सी०आई० – सीमेंट कार्पोरेशन इंडिया द्वारा संचालित एक सीमेंट इकाई है जो बिजली के कट जाने से बंद पड़ी हुई है। हजारों श्रमिकों के समक्ष आजीविका का प्रश्न है। यदि केन्द्रीय शासन उसको 15 करोड़ रुपये उपलब्ध कराये तो वह सीमेंट फैक्टरी जो मुनाफे में चल रही थी, पुनः चल सकती है और इस समय गुजरात में भूकम्प के कारण जो विनाशकारी लीला हुई है, उस इकाई में सीमेंट का उत्पादन करते हुए वहां भी सहायता हो सकती है। इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि सीमेंट फैक्टरी को चलाने के लिए तुरंत ही 15 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जाये।

[अनुवाद]

श्री एम०वी०वी०एस० मूर्ति (विशाखापत्तनम) : महोदय, यह एक महत्वपूर्ण मामला है जिसे मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। हमारे देश में प्रति वर्ष तकनीकी शिक्षा में विकास हो रहा है। आंध्र प्रदेश में भी, कई तकनीकी कॉलेज स्थापित किये गये और कार्यभार काफी बढ़ गया है। लेकिन अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (ए०आई०सी०टी०ई०) का हैदराबाद में कोई कार्यालय नहीं है। इसी के कारण, तकनीकी शिक्षा का विकास करने में वहां काफी असुविधा हो रही है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (ए०आई० सी०टी०ई०) के चेन्नई और कर्नाटक में कार्यालय हैं और आंध्र प्रदेश में कार्यभार इन दोनों स्थानों से कहीं अधिक है।

अतः, मेरी आपसे अपील है कि आन्ध्र प्रदेश में तत्काल एक क्षेत्रीय कार्यालय खोलने के लिए सरकार पर दबाव डाला जाये। ताकि वह इसी शैक्षिक वर्ष से लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें।

[हिन्दी]

श्री तूफानी सरोज (सैदपुर) : अध्यक्ष महोदय, ग्रामसभा करखियांव, मौजा, डिग्धी, परगना-कोलअसला, जिला-वाराणसी, उ०प्र० के दलितों की भूमिधरी शतप्रतिशत कृषि उपजाऊ जमीन यू०पी०एस०आई० डी०सी० कानपुर द्वारा जिलाधिकारी, वाराणसी, उ०प्र० के माध्यम से उ०प्र० सरकार के शासनादेशों संख्या – 1995109-03-82-रा-13 दिनांक 24.9.1995 एवं संख्या 2011/90-47-रा-13-दिनांक 13.2.1990 की अवेहलना करते हुए ज़बरदस्ती ली जा रही है। पूरे मौजा के दलितगण भूमिहीन होते जा रहे हैं जबकि शासनादेश में कहा गया है कि दलितों की जमीन लेकर उन्हें भूमिहीन न किया जाये।

महामहिम राष्ट्रपति जी ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संख्या पर देश के नाम दिये गये संदेश में भी कहा है कि आदिवासियों एवं दलितों की भूमि किसी भी हालत में ना ली जाये। ऐसे कानून हैं जो कि भूमि लेने पर रोक लगाते हैं। उच्चतम न्यायालय ने भी अपने निर्णयों के माध्यम से इन उपबन्धों का समर्थन किया है।

आपसे मेरा अनुरोध है कि उक्त दलितों की जमीन को छोड़ने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का आदेश यू०पी०एस०आई०डी०सी० कानपुर को जिलाधिकारी वाराणसी के माध्यम से देने का कष्ट करें।

[अनुवाद]

श्री एम० चिन्नासामी (करूर) : मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित एक महत्वपूर्ण मामले को उठाना चाहूंगा। तमिलनाडु में करूर स्पिनिंग मिल नामक एक कताई मिल है। गत पचास वर्षों से मिल

[श्री एम० चिन्नासामी]

लाभ प्राप्त कर रही थी जिसमें दो हजार श्रमिक थे। दो वर्ष पहले प्रबंधन, श्रमिकों को कोई नोटिस अथवा सूचना दिये बिना आधी रात को अचानक मुम्बई में चला गया।

अब श्रमिक धरना दे रहे हैं। दो हजार से अधिक श्रमिक बेरोजगार हो गये हैं। वे अपने बच्चों के स्कूल की फीस देने में भी असमर्थ हो गए हैं। परिणामस्वरूप, बहुत से स्कूल जाने वाले विद्यार्थियों ने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी है। संसद सदस्य के रूप में मैंने मिल के प्रबंधन को और संबंधित मंत्री जी को पत्र लिखा था। लेकिन अभी तक न तो सरकार से और न ही प्रबंधन की ओर से कोई जवाब आया है।

अत: मैं केन्द्र सरकार से इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप करने का और मामले का निपटान करने का आग्रह करूंगा।

[हिन्दी]

श्री लाल बिहारी तिवारी (पूर्वी दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, मैं दिल्ली की एक ऐसी समस्या की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं जिससे दिल्ली के लाखों लोग परेशान होने वाले हैं। एक अप्रैल, 2001 से दिल्ली में डीजल से चलने वाली सभी बसें बंद कर दी जाएंगी। दिल्ली में जो कांग्रेस की सरकार है, उसने इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया। आज उनके पास मात्र 130 बसें हैं जबकि दिल्ली में लोगों को लाने-ले जाने के लिए लगभग 10,000 बसों की आवश्यकता है। 1998 से लगातार सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें इस दिशा में चेतावनी दी है कि वे कदम उठाएं। उसके लिए उन्होंने बजट भी रखा लेकिन कोई बजट खर्च नहीं किया। दिल्ली में जो लोग अपने काम-धंधों पर जाने वाले हैं, झुग्गी-झोंपड़ियों में रहने वाले गरीब लोग, यहां तक कि छात्र भी स्कूलों में नहीं जा सकेंगे जिससे उनकी पढ़ाई का बहुत नुकसान होगा। ऐसी सरकार को, जो एक अप्रैल के बाद पूरी दिल्ली को अंधेरे में छोड़ देगी, सत्ता में रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि एक अप्रैल से पूरी दिल्ली में जो स्थिति आ रही है, यातायात की दृष्टि से हालत खराब होने वाली है, उसके सुधार के लिए कोई न कोई सख्त कदम उठाया जाना चाहिए। मैं चाहता हूं कि संसदीय कार्य मंत्री इस बारे में जरूर कुछ कहें क्योंकि दिल्ली की बहुत विषम समस्या का सवाल है। लोग अपने काम-धंधों पर नहीं जा पायेंगे। पूरी दिल्ली में हाहाकार मच जायेगा।

[हिन्दी]

इस पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री साहिब सिंह वर्मा, श्री मदन लाल खुराना, प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा और श्री विजय गोयल; स्वयं को इस मुद्दे से संबद्ध कर लें।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना (दिल्ली सदर) : अध्यक्ष महोदय, दिल्ली की चीफ मिनिस्टर ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकती। यदि सरकार यह कहती कि हम प्रयत्न कर रहे हैं तो आशा की कोई किरण दिखाई देती। चीफ मिनिस्टर ने कह दिया कि मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं केवल 500-600 बसें करवा सकती हूं जबकि आवश्यकता 10,000 बसों की है। स्कूल खुलने के बाद सारी दिल्ली को 10,000 बसें चाहिए जबकि केवल 300-400 बसें ही हैं। दिल्ली में हाहाकार मच जाएगा। लोग दफ्तरों में नहीं जा पाएंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि चीफ मिनिस्टर के इस बयान के बाद कि मैं कुछ नहीं कर सकती, सरकार को कुछ करना चाहिए।

[अनुवाद]

प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु (तेनाली) : मैं अविलंबनीय सार्वजनिक महत्व के एक अति-महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाना चाहता हूं। विशाखापत्तनम पत्तन, न्यास ने ई०क्यू०-8 और ई०क्यू०-9 को बी०ओ०टी० बर्थों के निर्माणार्थ निविदाएं आमंत्रित करते हुए 12 अक्तूबर, 2000 को एक अधिसूचना जारी की थी, जिसमें कुछ कठोर शर्तें लगाई गई थीं। इस अधिसूचना प्रत्युत्तर में, लगभग 33 एजेंसियों और पार्टियों ने निविदा-प्रपत्र प्राप्त किए। लेकिन बाद में, इन कठोर शर्तों को देखते हुए, केवल छह पार्टियों ने ही पूर्वोपाधि प्राप्त करने के लिए आवेदन किया। इसके पश्चात्, केवल तीन पार्टियां ही यह पूर्वोपाधि प्राप्त कर सकीं। फिर, इसके भी बाद आखिर में, केवल दो ही पार्टियां निविदा-प्रपत्र भरने के लिए आगे आईं।

महोदय, इसके पश्चात्, जल-भूतल परिवहन मंत्री ने सारी शर्तों को शिथिल कर दिया जिससे इन दोनों कम्पनियों — जो बोली लगाने वालों में शामिल हैं — को फायदा पहुंचेगा। सामान्य प्रक्रिया के तहत, जैसे और जब भी शर्तों की पुनरीक्षा की जाती है तो पूर्ववर्ती बोलियों को निरस्त कर दिया जाता है और फिर से नई बोलियां लगवाई जाती हैं, जिससे कि निविदाएं आमंत्रित करने, और इन बर्थों के निर्माण में भी, न्यायोचितता बनी रहे। इससे सरकार को भी लाभ पहुंचता है और वैसे भी, समानताशील न्याय करने के लिए ऐसा किया भी जाना चाहिए। लेकिन, अभी तक ऐसा नहीं किया गया है।

मैं जल-भूतल परिवहन मंत्री से उन पूर्ववर्ती निविदाओं को निरस्त करने का अनुरोध करता हूं, जो विशाखापत्तनम पत्तन न्यास की 12 अक्टूबर, 2000 की अधिसूचना के आधार पर प्राप्त हुई थीं और यह कि निविदाओं को जल-भूतल परिवहन मंत्रालय द्वारा 28 मार्च, 2000 को जारी की गई संविदाओं के आधार पर ही आमंत्रित किया जाना चाहिए, ताकि शर्तों को शिथिल करने के पश्चात्, समान न्याय किया जा सके।

[हिन्दी]

श्री सुरेश रामराव जाधव (परभनी) : अध्यक्ष जी, हमने भी नोटिस दिए हैं।

अध्यक्ष महोदय : हम आपकी तरफ आ रहे हैं। इस लिस्ट में आपका नोटिस नहीं है। हम देखेंगे, आप बैठ जाइये।

[अनुवाद]

श्री इकबाल अहमद सरडगी (गुलबर्गा) : महोदय, मैं मंत्री का ध्यान कुरकुंडा सीमेंट कार्पोरेशन जो मेरे निर्वाचन क्षेत्र में आता है, के कामगारों की ओर दिलाना चाहता हूं।

[हिन्दी]

दो-ढाई साल से यह सीमेंट फैक्टरी बन्द हो गई है, जिसके ढाई हजार एम्पलाइज हैं और उन एम्पलाइज के साथ उनके 7-8 हजार डिपेंडेंट भी हैं, उनहें पिछले ढाई साल से उन्हें सैलरी नहीं मिल रही है। इससे 10 हजार लोग परेशान हैं। आज तक तीन मजदूरों ने सुसाइड किया है। गवर्नमेंट उस फैक्टरी को फिर से चालू करने के लिए कोई स्टैप्स नहीं ले रही है, उसको रिवाइव करने के लिए कोई और सुविधा नहीं दे रही है। उस फैक्टरी को डिसइन्वेस्टमेंट में लेने या वोलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम के तहत लेने के लिए भी स्टैप्स नहीं लिए गये हैं, जिसकी वजह से बहुत बड़ा एजीटेशन मेरी कांस्टीट्वेंसी गुलबर्गा में डिप्टी कमिश्नर आफिस में और मेरे घर के सामने हुआ है। वहां 10 हजार लोग ढाई साल से भूखे हैं, कोई उनकी मदद करने के लिए तैयार नहीं है। कुरगुंटा गांव में जो सीमेंट फैक्टरी चलती थी, जो गांव आबाद था, जहां चहल-पहल थी, जहां रौनक थी, आज वह फैक्टरी बन्द होने से उस कांस्टीट्वेंसी में पूरी बर्बादी हो गई है और वहां पर उजाड़ हो गया है।

मैं पब्लिक अंडरटेकिंग मिनिस्टर का अटेंशन डाइवर्ट करना चाहता हूं कि इस फैक्टरी को रीस्टार्ट करने के लिए, वी०आर०एस० स्कीम में लेने के लिए या कोई और उपाय हो सकता है तो वह करें।

श्री सुरेश रामराव जाधव (परभनी) : अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार प्रतिवर्ष चार लाख मीट्रिक टन प्याज का निर्यात करती है। देश में प्याज का जो कुल उत्पादन होता है, उसमें से 75-80 परसेंट महाराष्ट्र में होता है। लेकिन जब प्याज को निर्यात करने की बात होती है तब महाराष्ट्र के किसान के साथ बहुत बड़ी प्राब्लम खड़ी हो जाती है। महाराष्ट्र सरकार के बार-बार निवेदन के बावजूद भारत सरकार के विदेश व्यापार महानिदेशक ने महाराष्ट्र स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड को केवल 10,000 मीट्रिक टन प्याज निर्यात करने का कोटा आबंटित किया है, जबकि कुल कोटा प्याज जारी करने का 50 हजार मिट्रिक टन है। महाराष्ट्र की मंडियों में प्याज आना शुरू हो गया है। प्याज की आयु बहुत कम होती है। मैं आपके माध्यम से सरकार से विनती करता हूं कि सरकार इस मामले में हस्तक्षेप करे और महाराष्ट्र के किसानों को जो नुकसान होने वाला है, इसकी मूर्ति करे। इसके अलावा मैं विनती करता हूं, जो कोटा दस हजार मिट्रिक टन है, उसके बढ़ाकर 15 हजार मिट्रिक टन देने का सरकार निर्णय करे।

श्री धर्म राव सिंह पटेल (फूलपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से का ध्यान यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की 1999 में हुई परीक्षाओं की ओर दिलाना चाहता हूं। इस वर्ष 411 परीक्षार्थी पास हुए, जिनमें से पिछड़ी जाति के 43, अनुसूचित जाति के 16 और अनूसूचित जनजाति के 6 परीक्षार्थी जनरल मैरिट में पास हुए थे, लेकिन इनमें से केवल पिछड़ी जाति के 6, अनुसूचित जाति एक, अनुसूचित जनजाति के एक यानी 8 लोगों को ही लिया गया है। इसके अलावा अन्य लोगों में पिछड़ी जाति के 27, अनुसूचित जाति के 13 और अनुसूचित जनजाति के 8, जो जनरल कैटेगरी में आए थे, उनके रिजर्व कैटेगरी में रख दिया गया है तथा इनमें से आजतक पिछड़ी जाति के 10 और अनुसूचित जाति के 2 लोगों को नियुक्ति नहीं दी गई है। पिछड़ी जाति एसोसिएशन और एस०सी० एस०टी० एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने अनुरोध किया है कि इस बात को सदन में उठाया जाए। मैं सरकार से मांग करना चाहता हूं कि जिन लोगों को नियुक्तियां नहीं दी गई हैं, उनको नियुक्तियां दी जाए और इसके साथ ही जो पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग जनरल मैरिट में आए हैं, उनको जनरल कैटेगरी में ही नौकरी दी जाए।

[अनुवाद]

श्री टी० गोविन्दन (कासरगौड़) : महोदय, मुझे अवसर देने के लिए धन्यवाद। आज, 'शून्य काल' के समय, मैं सरकार का ध्यान बीड़ी-कामगारों और बीड़ी उद्योग के सामने आ रही समस्याओं की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। केन्द्र सरकार के द्वारा सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने के प्रयास से लाखों बीड़ी-कामगार और उनकी सहकारी सोसाइटियां तथा निजी प्रबंधन सांसत में हैं।

केरल स्थित, 'दिनेश बीड़ी वर्क्स' बीड़ी-उद्योग के सबसे बड़े प्रबंधनों में से एक है। इस सोसाइटी में कारखाना आधार पर 25000 बीड़ी रोल-निर्माता और 700 कर्मचारी काम कर रहे हैं और यहां बालश्रम तथा पूरे परिवार द्वारा आजीविकायापन जैसे प्रघटन बिलकुल नहीं हैं। यह सोसायटी कामगारों को बेहतर पारिश्रमिक और जीवन निर्वाह-स्तर उपलब्ध करा सक रही है। कामगारों द्वारा ही यह सोसायटी स्वामित्वाधीन और प्रबंधित है तथा उन्हें बेहतर आधुनिक सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं।

चालू बजट-सत्र में, सरकार का 'तम्बाकू उत्पादन (विज्ञापन और विनियमन निषेध) विधेयक, 2000 लाने का विचार है। पिछले साल, केरल उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान को प्रतिबंधित करने के लिए एक निर्णय की घोषणा की थी। इससे बीड़ी-कामगार और उनके परिवार उत्तेजित हो गए और उन्होंने उच्च न्यायालय के सामने ही प्रदर्शन किया।

आजकल, रोजगार के अवसर कम हो रहे हैं और विभिन्न क्षेत्रों के कारखाने बंद हो रहे हैं। सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान प्रतिबंधित कर देने से हजारों बीड़ी-कामगार बेकार हो जायेंगे। अभी केरल कृषि-उत्पादों की कमतर कीमतों और इसके परिणामस्वरूप रोजगार की समस्या से ग्रस्त है।

इन परिस्थितियों को देखते हुए मैं सरकार से 'तम्बाकू उत्पादन (विज्ञापन और विनियमन निषेध) विधेयक, 2000 का पेश करना स्थगित करने का अनुरोध करता हूं।

डॉ० (श्रीमती) सी० सुगुणा कुमारी (पेद्दापल्ली) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका और इस सम्मानित सदन का ध्यान एक महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर आकर्षित करना चाहती हूं।

मैं आपका ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहती हूं कि आंध्र प्रदेश के पड़ोसी राज्यों में व्यापारी लोग, केन्द्र सरकार द्वारा उद्घोषित केन्द्रीय कर-संरचना की विसंगतियों का अनुचित लाभ उठाकर, बिक्री-कर अपवंयन के माध्यम से आंध्र प्रदेश सरकार को हजारों करोड़ रुपये का चूना लगा रहे हैं। इन व्यापारियों द्वारा अपनाया जाने वाला तरीका सीधा है। वे दक्षिण के पड़ोसी राज्यों में फर्जी शाखा-कार्यालय खोलते या दिखा देते हैं और बीजक तैयार कर लेते हैं। केन्द्र सरकार ने एकसमान बिक्री कर लगाने की घोषणा की थी और वर्ष 2000 से सभी राज्यों को इसका अनुपालन करने का परामर्श दिया था। तमिलनाडु और पांडिचेरी एकसमान बिक्री-कर आधान पद्धति का अनुपालन नहीं कर रहे हैं और शेष भारत की तुलना में, 35 मदों पर अपेक्षाकृत कम मूल्य पर कर लगाया जा रहा है। इसी विसंगति का अनुचित लाभ व्यापारी उठा रहे हैं और आंध्र प्रदेश को लगभग 100 करोड़ रु० का चूना लगाकर लूट रहे हैं। आन्ध्र प्रदेश ने केन्द्र सरकार के साथ यह मुद्दा उठाया है और अधिकार प्राप्त समिति की जानकारी में भी इसे लाया गया है। केन्द्र सरकार ने यह कहकर राज्यों को चेतावनी दी कि अगर वे केन्द्रीय दिशानिर्देशों और प्रक्रियाओं का पालन नहीं करते, तो केन्द्रीय अनुदान रोक दिया जायेगा।

अत: मैं माननीय वाणिज्य और वित्त मंत्री से मामले पर तुरंत ध्यान देने और व्यापारियों से लूट रोकने का अनुरोध करता हूं। धन्यवाद।

डॉ० मन्दा जगन्नाथ (नगर कुरनूल) : महोदय, मैं आन्ध्र प्रदेश के मूंगफली उत्पादक जिलों महबूब नगर, अनन्तपुर और कुडापाह हेतु फसल बीमा स्वीकृत करने संबंधी महत्वपूर्ण मामला उठाना चाहता हूं।

महबूब नगर, अनन्तपुर और कुडापाह के मूंगफली उगाने वाले किसान 943.42 लाख रुपये को फसल बीमा का निपटान न होने से समस्याओं का सामना कर रहे हैं। भारत सरकार ने इसका कारण यह बताया है कि बीमा हेतु जितने क्षेत्रों की मांग की गयी है वह मूंगफली बोये जाने वाले क्षेत्र से अधिक है। यह सच नहीं है। वास्तव में मूंगफली उत्पादक किसानों, द्वारा दावा किये गये क्षेत्र तथ्य के अनुरूप हैं और जनीनी सच्चाई के अनुकूल है। फसल काटने के कुछ प्रयोग सिंचित क्षेत्रों में हुए हैं और इसके कारण समग्र रूप से कुछ मंडलों में उपज अनुमान में विकार उत्पन्न हुआ। अनुरोध है कि सिंचित क्षेत्रों में उपज को छोड़कर केवल वर्षा आधारित क्षेत्रों से ही मूंगफली उपज को लिया जाये।

अत: मैं आपके माध्यम से इस मामले को तुरंत निपटाने का केन्द्रीय कृषि मंत्री से अनुरोध करता हूं। आन्ध्र प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ने भी 23.9.2000 को केन्द्रीय कृषि मंत्री को पत्र लिखा है लेकिन मामला लंबित है। धन्यवाद।

[हिन्दी]

प्रो० रासा सिंह रावत (अजमेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहूंगा कि राजस्थान में अन्य राज्यों की तुलना में साक्षरता का प्रतिशत बहुत कम है। केन्द्र सरकार सर्व शिक्षा अभियान चला कर सबको शिक्षित करने हेतु पूरा धन मुहैया करा रही है। राजस्थान में वर्तमान में जो कांग्रेस सरकार है, उसने राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशालाएं खोल कर शिक्षा का राजनीतिकरण कर दिया। आठवीं पास, कहीं-कहीं सेवादल के कार्यकर्ता और ऐसे ही लोगों को सरपंच की मर्जी पर ही पढ़ाने के लिए नियुक्त करने से शिक्षा के स्तर में निरन्तर गिरावट आई है। इससे प्रशिक्षित शिक्षकों में रोष एवं असंतोष व्याप्त है। राज्य को प्राप्त अन्य मदों का खर्च भी इन शालाओं में व्यय किए जाने में अनियमितताएं हो रही हैं। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह स्टेट सब्जैक्ट है।

प्रो० रासा सिंह रावत (अजमेर) : महोदय, चयन के लिए योग्यता को मापदंड नहीं रखा गया है, भाई-भतीजावाद पनप रहा है। *(व्यवधान)* शिक्षा प्रसार का यह नया प्रयोग मात्र एक राजनीतिक अभियान बन कर रह गया है, जिसमें शिक्षा की गुणवत्ता का सर्वथा अभाव है।

इसलिए केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि इसमें अविलम्ब हस्तक्षेप कर शिक्षा के राजनीतिकरण को रोका जाए। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री विजय गोयल, श्री मनोजसिंहा और श्री राधा मोहन सिंह ने नोटिस दिया है। वे सभी राज्य के विषयों से संबंधित हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री विजय गोयल आपने एक नोटिस दिया है और यह राज्य विषय से संबंधित है। आप इसे सभा में कैसे उठा सकते हैं ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ये सभी राज्य के विषय हैं। आप सभा में राज्य के विषय कैसे उठा सकते हैं ? यह पूरी तरह राज्य का मामला है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री विजय गोयल : महोदय, मैं सरकार का ध्यान पश्चिम बंगाल की तरफ दिलाना चाहता हूं। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : विजय गोयल, आप सभा में राज्य का मामला नहीं उठा सकते।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब हम नियम 377 के अन्तर्गत मामले लेंगे। श्रीमती जस कौर मीणा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री विजय गोयल : महोदय, आर०एस०एस० के चार लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री विजय गोयल आप सदन में राज्यों के विषयों से सम्बन्धित मामले कैसे उठा सकते हैं ? कृपया समझिये और सदन के साथ सहयोग कीजिये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी सीट पर बैठ जाइये। कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में शामिल न किया जाये।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री विजय गोयल आप सदन में राज्य मामलों को नहीं उठा सकते। कृपया मुझे प्रक्रिया के बारे में बताइये।

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल न किया जाये।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री विजय गोयल, कृपया अपनी सीट पर बैठ जाइये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री बसुदेव आचार्य, कृपया अपनी सीट पर बैठ जाइये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री विजय गोयल, आप सदन में राज्य सम्बन्धी मामले को कैसे उठा सकते हैं ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सभा की कार्यवाही 1.30 बजे अपराह्न् तक के लिये स्थगित की जाती है।

अपराह्न 12.41 बजे

तत्पश्चात् लोकसभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 1.30 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 1.30 बजे

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् अपराह्न 1.30 बजे पुन: समवेत हुई।

---

*कार्यवाही—वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

कराधान विधि (संशोधन) विधेयक*

अध्यक्ष महोदय : अब सदन में मद संख्या 9 पर चर्चा होगी। श्री यशवंत सिन्हा।

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्त अधिनियम 2000 और आयकर अधिनियम, 1961 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्त अधिनियम, 2000 और आयकर अधिनियम, 1961 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री यशवंत सिन्हा : मैं विधेयक पुर:स्थापित** करता हूं।

अपराह्न 1.33 बजे

कराधान विधि (संशोधन) अध्यादेश के बारे में विवरण

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : मैं कराधान विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2001 द्वारा तुरन्त विधान बनाये जाने के कारण बताने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 3292/2001]

अपराह्न 1.34 बजे

नियम 377 के अधीन मामले

[हिन्दी]

(एक) राजस्थान में सवाई माधोपुर में राष्ट्रीय बाघ परियोजना से प्रभावित गांवों के विकास हेतु निर्धारित धनराशि का समुचित उपयोग किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती जसकौर मीणा (सवाई माधोपुर) : अध्यक्ष महोदय, भारतवर्ष में अनेक राष्ट्रीय बाघ परियोजनाएं हैं जिन में से एक सवाई माधोपुर संसदीय क्षेत्र में है जिस का नाम रणथम्भौर बाघ अभ्यारण्य है। भारत सरकार ने इको डैवलपमैंट प्रोजेक्ट के तहत इस परियोजना

---

*भारत के राजपत्र असाधारण भाग-II, खण्ड-2, दिनांक 1.3.2001 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

[श्रीमती जसकौर मीणा]

को समृद्ध बनाने के लिए वर्ष 1997 चुना था। इस परियोजना का सम्पूर्ण व्यय भारत सरकार तथा वर्ल्ड बैंक के माध्यम से बाघ अभ्यारण्य से प्रभावित गांवों के विकास के लिए किया जाना था। इस परियोजना के लिए 38 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए थे जिन का व्यय गांवों में ई०डी०सी० कमेटी का गठन कर गांववासियों की सहभागिता से गांव के विकास पर किया जाना था लेकिन देखने में आया है कि इसमें गांववासियों की भागीदारी नगणय है। वन विभाग के कर्मचारी इसका दुरुपयोग कर रहे हैं।

अत: मैं आपके माध्यम से वन और पर्यावरण मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहती हूं कि रणथम्भौर बाघ अभ्यारण्य के कारण लगभग 110 गांव प्रभावित हुए थे। इन गांवों के विकास के लिए भारत सरकार तथा वर्ल्ड बैंक द्वारा जो राशि स्वीकृत की गई है, उस राशि का उपयोग सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

(दो) मध्य प्रदेश में जबलपुर में रानी अवंतीबाई सागर परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिए धनराशि जारी किए जाने की आवश्यकता

श्री रामनरेश त्रिपाठी (सिवनी) : अध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी विकास कार्यक्रम के अंतर्गत प्रथम परियोजना के रूप में रानी अवंती बाई सागर परियोजना जो कि पूर्व में बरगी बहु-उद्देशीय परियोजना के नाम से जानी जाती थी। जबलपुर जिले के ग्राम बरगी के पास नर्मदा नदी पर 1971 में प्रारम्भ की गई थी जिसका मुख्य बांध 1974 में बनकर तैयार है जिसके कारण 3180 मिलियन घनमीटर पानी क्षमता के विशालकाय जलाशय का निर्माण हो चुका है। इस परियोजना का मूल उद्देश्य बायीं तथा दायीं तट नहर के द्वारा जबलपुर, नरसिंहपुर, कटनी, सतना तथा रीवा जिलों में लगभग 3 लाख हैक्टेयर कृषि भूमि को सिंचित करना था जिसके लिये बायां तथा दायां नहर जल द्वार भी बनकर वर्षों से तैयार है। बायीं तट नहर का खुदाई तथा मिट्टी का कार्य लगभग पूर्ण है, पक्के कार्य तथा सी०सी० लाइनिंग न होने के कारण अभी तक किसी भी स्तर पर प्रारम्भ नहीं हुआ है। इस बांध में जनता का अरबों रुपया खर्च हो चुका तथा हजारों हैक्टेयर कृषि भूमि तथा वन डूब क्षेत्र में आ गये तथा सैंकड़ों ग्रामों के हजारों लोग विस्थापित हो गये। अभी तक मात्र 25 हजार हैक्टेयर कृषि भूमि में सिंचाई क्षमता प्राप्त की जा सकी है।

केन्द्र शासन से आग्रह है कि नहरों के निर्माण की समय सीमा निर्धारित कर पर्याप्त वित्तीय आबंटन प्रदान करें जिससे इस बांध का लाभ शीघ्र जनता प्राप्त कर सके।

(तीन) बिहार में बोकारो स्थित ताप विद्युत स्टेशन संयंत्र "ए" को पुन: चालू किए जाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने की आवश्यकता

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह) : अध्यक्ष महोदय, बोकारो थर्मल पावर स्टेशन के 'ए' प्लांट को बंद हुये करीब सात माह हो गये और इससे प्लांट को करीब 25 करोड़ रुपये का नुकसान हो गया है। इसके बंद होने का कारण है प्रदूषण नियमों की अवहेलना। प्रदूषण विभाग ने प्लांट को बंद करने के पूर्व ही प्रदूषक नियंत्रण मशीन लगाने का निर्देश दिया था, परन्तु प्रबंधन और दामोदर घाटी निगम अधिकारियों के मध्य सहमति नहीं बनने के कारण प्रदूषक नियंत्रण मशीन नहीं लगा, परिणामत: करीब 600 मजदूर प्रभावित हैं।

इसी प्रकार बोकारो थर्मल पावर स्टेशन के 'वी' संयंत्र में राख के टैंक में दरार आ जाने के कारण भारी क्षति हुई और आर्थिक अपव्यय हुआ, परन्तु मामले को नजर अंदाज कर दिया गया।

अत: सरकार से हमारी मांग है कि उपर्युक्त विषयों की जांच कर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही कर प्लांट को शीघ्र खुलवाने की व्यवस्था की जाये।

(चार) बिहार के मोतिहारी में केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता

श्री राधामोहन सिंह (मोतिहारी) : अध्यक्ष महोदय, मैं केन्द्रीय मानव संस्थान विकास मंत्री का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र मोतिहारी की ओर दिलाना चाहता हूं। यह एक ऐतिहासिक जिला है और इसका नाम आजादी से जुड़ा हुआ है। यहां की जनता पिछले काफी समय से एक केन्द्रीय विद्यालय खोलने की मांग करती आ रही है और इसका समर्थन क्षेत्र के प्रतिनिधियों द्वारा समय-समय पर किया गया है। मैं भी काफी समय से जनता की यह मांग केन्द्र सरकार से कर चुका हूं।

मेरा माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध है कि मोतिहारी (बिहार) में एक केन्द्रीय विद्यालय की स्वीकृति देने की कृपा करें, जिससे क्षेत्र की जनता की यह मांग पूरी हो सके और साथ-साथ बच्चों को अच्छी पढ़ाई की सुविधा मिल सके।

[अनुवाद]

(पांच) कर्नाटक राज्य के लिए मक्का सहित मोटे अनाजों का निर्यात कोटा बढ़ाए जाने की आवश्यकता

श्री जी०एस० बसवराज (तुमकुर) : महोदय, कर्नाटक में किसान कृषि उत्पाद सहित मक्का जैसे मोटे अनाज के मूल्यों में भारी गिरावट से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। मक्का का विशाल भंडार मंडियों में बिना बिक्री के पड़ा है। कर्नाटक सरकार के एक अनुरोध पर केन्द्र से जवाब लेते हुए राज्य सरकार के लिए एक पैकेज की पेशकश की जिसके अंतर्गत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वितरण हेतु राज्य सरकार द्वारा 540 रुपये प्रति क्विंटल के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मक्के को खरीद की जाएगी। इसी प्रकार का प्रोत्साहन आंध्र प्रदेश को दिया गया और केन्द्र ने मक्के की खरीद पर लगभग 50 प्रतिशत की राज सहायता दी। मक्का उत्पादन करने वाले किसान भारतीय खाद्य निगम द्वारा मक्के की धीमी गति से खरीद से आंदोलित हैं और किसानों की आशंका है कि हल्की वर्षा उनके मक्के की फसल को बर्बाद

कर सकती है, क्योंकि इसे खरीद केन्द्रों के बाहर रखा गया है। इस प्रकार खरीदे गए मक्के के भंडार को निपटाने के लिए कर्नाटक सरकार ने केन्द्र को 25000 टन के मोटे अनाजों (मक्का सहित) के निर्यात कोटे को बढ़ाने का सुझाव दिया है। अत: मैं केन्द्र से उक्त दोनों प्रस्तावों को मंजूर करने की मांग करता हूं। मैं केन्द्र सरकार से खरीद के समय को मई, 2001 के अंत तक बढ़ाने का भी अनुरोध करता हूं।

(छः) बंगलौर के लिए सर्कुलर रिंग रेलवे परियोजना मंजूर किए जाने की आवश्यकता

श्री जी० पुट्टास्वामी गौड़ा : अध्यक्ष महोदय, बंगलौर शहर की लगभग सभी सड़कें अत्यंत भीड़-भाड़ वाली बन चुकी है और इनमें से प्रत्येक सड़क पर दुर्घटनाओं की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। जिन सड़कों पर यातायात को 15-20 मिनटों तक रुकना पड़ता है वह है शिवाजी नगर बस स्टैंड और अन्य अनेक स्थानों की ओर जाने वाली सड़कें (1) वेम्पे गौड़ा रोड़ (2) जयचमा राजेन्द्र रोड (3) एवेन्यू रोड (4) रेजीडेन्सी रोड (5) शिवाजी नगर बस स्टैंड की ओर जाने वाली तथा अन्य सड़कें। इन सड़कों पर कोई फ्लाई ओवर नहीं है और इसके अलावा सड़कों के दोनों तरफ बहुत विशाल स्थायी भवन है। इस प्रकार इनमें से किसी सड़क का विस्तार संभव नहीं है।

सर्वाधिक भीड़-भाड़ वाले समय के दौरान वाहनों का आवागमन बहुत ज्यादा होता है। इन सड़कों पर वाहनों की संख्या में बेहताशा वृद्धि हुई है। शहरी विकास मंत्रालय और राज्य सरकार ने इस संबंध में अपनी असमर्थता व्यक्त की है। शहर में परिवहन प्रणाली का भविष्य बहुत ही अंधकारमय है। विशेषज्ञों ने मत व्यक्त किया है कि सरकुलर रिंग रेलवे ही लंबे समय से चल रही इस समस्या का एकमात्र समाधान है।

अतएव मैं माननीय रेल मंत्री से बंगलौर शहर के लिए इस रिंग रेलवे प्रोजेक्ट को तुरंत मंजूरी प्रदान करने की मांग करता हूं।

(सात) राष्ट्रीय लोक साहित्य अकादमी स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री ए०पी० अब्दुल्लाकुट्टी (कन्नानौर) : महोदय, हमारे देश में केन्द्रीय साहित्य अकादमी, ललित कला अकादमी तथा संगीत और नाटक अकादमी जैसी अकादमियां है। लेकिन किसी ने भी लोक साहित्य अकादमी की स्थापना के बारे में नहीं सोचा है जो इस दशक में अत्यंत आवश्यक है। वैश्वीकरण के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की कलाएं, जो हमारे सांस्कृतिक विरासत को प्रतिबिंबित करती है, धीरे-धीरे दम तोड़ रही है चूंकि हमारी ओर से उनका गौरव वापस लाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया है। लोक साहित्य में जनजातीय कलाएं भी शामिल है। इस प्रकार की कलाओं के संरक्षण के लिए केन्द्र सरकार को एक लोक साहित्य अकादमी की स्थापना करने के लिए आवश्यक रूप से पहल करनी चाहिए।

[हिन्दी]

(आठ) महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र में लोगों को और अधिक रेल सुविधा उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री चन्द्रकांत खैरे (औरंगाबाद, महाराष्ट्र) : अध्यक्ष महोदय, रेल सेवा किसी भी क्षेत्र के विकास हेतु अति आवश्यक है, लेकिन पिछले 50 वर्षों में मराठवाड़ा क्षेत्र (महाराष्ट्र) के रेलवे विकास हेतु कोई योजना का क्रियान्वयन नहीं किया गया है। इस कारण मराठवाड़ा (महाराष्ट्र) की जनता में अपार रोष है। इसका स्पष्ट उदाहरण 25 जून, 2000 को सम्पूर्ण मराठवाड़ा में रेल रोको आंदोलन और 22 जनवरी, 2001 को मराठवाड़ा बंद के दौरान देखने को मिला। हमने 1 फरवरी, 2001 और 7 फरवरी 2001 को रेल मंत्री महोदय को ज्ञापन दिया है। हम माननीय प्रधान मंत्री जी से भी मुम्बई में मिले थे। इसके अनुसार ही इस बजट में मराठवाड़ा के लिए योजनाओं की घोषणा होनी थी, परंतु ऐसी घोषणा नहीं हुई। इसके कारण मराठवाड़ा क्षेत्र के लोगों ने दिनांक 27 फरवरी से जगह-जगह आंदोलन शुरू किया है। मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी और माननीय प्रधान मंत्री जी से विनती करता हूं कि मराठवाड़ा की जनता की अपेक्षा पूरी की जाए।

(नौ) उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में स्थित फरिहा रेलवे स्टेशन पर और अधिक रेल सुविधा उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

डॉ० बलिराम (लालगंज) : अध्यक्ष महोदय, पूर्वांचल में आजमगढ़ जिला विकास की रफ्तार में आज तक पिछड़ा रह गया क्योंकि वहां बड़ी रेल लाइन नहीं थी। 1991 से 1993 तक बड़ी रेल लाइन के लिए संघर्ष हुआ तब बड़ी रेल लाइन बिछाई गई, मेल ट्रेनें चलने लगी। परन्तु फरिहा रेलवे स्टेशन पर मेल एक्सप्रेस गाड़ियों का ठहराव नहीं हुआ। स्थानीय जनता पुन: आन्दोलन की राह पर है। 12 फरवरी, 2001 को जिलाधिकारी कार्यालय पर स्थानीय जनता ने धरना देकर सरकार, रेल मंत्रालय से मांग की कि :-

1. फरिहा रेलवे स्टेशन पर सभी मेल, एक्सप्रेस गाड़ियों का ठहराव किया जाये।
2. आजमगढ़ से मुम्बई, कलकत्ता और दिल्ली के लिए कानपुर, अलीगढ़ होकर ट्रेन चलाई जाये।
3. उत्सर्ग एक्सप्रेस नं० 5107 अप को छपरा से सायं 5 बजे तथा 5108 डाउन को लखनऊ से रात्रि 9 बजे से चलायी जाये।
4. ट्रेन नं० 574 को शाहगंज से प्रात: 8 बजे चलायी जाये।
5. ट्रेन नं० 578 डाउन को शाहगंज से प्रात: 3 बजे से और ट्रेन नं० 573 अप को मऊ से सायं 4 बजे चलायी जाये।

अत: मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हू कि जनहित में उपरोक्त मांगों पर तत्काल कार्यवाई कराने का कष्ट करें।

[अनुवाद]

(दस) तमिलनाडु के सलेम हवाई अड्डे से निर्धारित उड़ाने पुनः शुरू किए जाने की आवश्यकता

श्री टी०एम० सेलवागनपति (सेलम) : सलेम तमिलनाडु के बड़े औद्योगिक शहरी में से एक है और यह एक मशहूर पर्यटक स्थल भी है। सलेम जिला और उसके पड़ोसी जिलों में काफी औद्योगिक गतिविधियां होती है। फिर भी सलेम जिले के लोग विमान सेवा जैसी सुविधाएं से वंचित है। सलेम का हवाई अड्डा देश के उत्तम हवाई अड्डों में से एक है लेकिन सलेम से कोई निर्धारित उड़ाने परिचालित नहीं होती है। सलेम में इस उत्तम हवाईअड्डे को स्थापित करने के लिए सरकार ने लगभग 6 करोड़ रुपये खर्च किये और अंतत: हवाई अड्डे का उद्घाटन वर्ष 1993 में किया गया। वर्ष 1994 में लगभग तीन महीनों तक सलेम से जाने और आने के लिए निर्धारित उड़ानों का परिचालन किया गया लेकिन इसके बाद इन सेवाओं को बंद कर लिया गया। अब इस सुन्दर हवाई अड्डे को अनिर्धारित उड़ानों के ऑपरेटरों द्वारा उपयोग किया जा रहा है। अतएव, मैं सरकार से देश के विभिन्न भागों से जल्द ही सलेम से जाने और आने के लिए निर्धारित उड़ानों के पुन: परिचालन की मांग करता हूं।

[हिन्दी]

(ग्यारह) उत्तर बिहार का सर्वांगीण विकास किए जाने की आवश्यकता

श्री नवल किशोर राय (सीतामढ़ी) : अध्यक्ष महोदय, बिहार राज्य में लगभग 25,000 हेक्टेयर भूमि में लीची और आम का उत्पादन किया जाता है और इनका उत्पादन अभी तीन लाख टन से ऊपर है। ये फल भी देश के अन्य फलों के समान 30 प्रतिशत से 40 प्रतिशत तक बिना उपयोग ही नष्ट हो जाते हैं और मात्र 50 टन से कम ही इनका निर्यात हो पाता है। निर्यात की कमी का कारण क्षेत्र में आवश्यक मूल सुविधाओं की कमी है। यहां पर लीची एवं आम उत्पादक किसान भरपूर मेहनत के बाद भी फसल से पूरी आमदनी नहीं कर पाता है।

अत: मेरा सरकार से आग्रह है कि लीची उत्पादक एवं आम उत्पादक क्षेत्र उत्तर बिहार को एक विशेष क्षेत्र घोषित किया जाये और यहां बिजली की पर्याप्त उपलब्धता हो ताकि शीत गृहों का निर्माण सम्भव हो। सड़कों की हालत सुधारी जाए ताकि यातायाते में गति बने। वित्तीय संस्थाओं की अधिक मात्रा में स्थापना हो ताकि किसानों को पूंजी निवेश में कठिनाई समाप्त हो एवं मुजफ्फरपुर हवाई अड्डे को ड्राइपोर्ट (शुष्क पोर्ट) घोषित किया जाये ताकि यहां से ही निर्यात की सुविधा बने।

[हिन्दी]

(बारह) हरियाणा के डबवाली और सिरसा में रेल लाइन पर उपरिपुलों के निर्माण की आवश्यकता

डा० सुशील कुमार इन्दौरा (सिरसा) : अध्यक्ष महोदय, सिरसा एवं डबवाली नगरों में रेल मार्ग एवं राष्ट्रीय राजमार्ग नं० 10 दोनों शहर डबवाली और सिरसा के बीचों बीच से गुजरता है। जब रेल गाड़ी इन सड़कों को क्रास करती है तो यहां का यातायात उस समय रुकने के लिए विवश हो जाता है। वास्तविकता तो यह है कि जैसे ही रेलगाड़ी के आगमन की सूचना आती है, उपरोक्त दोनों शहरों में यातायात अस्त-व्यस्त हो जाता है। घंटों तक सड़कों पर जाम लग जाता है। संयोग है कि ये दोनों शहर व्यापारिक लिहाज से विशेष महत्व रखते हैं। इनके निकट दर्जनों गांव एवं छोटे-छोटे कस्बे हैं जहां से हजारों लोग अपनी आवश्यकताओं की आपूर्ति के लिए इन शहरों में आते हैं। इस कारण इन शहरों में यातायात अपेक्षाकृत अधिक भी है।

अत: मेरा सरकार से अनुरोध है कि इन दोनों उपरोक्त शहरों में रेलवे लाइन के ऊपर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 10 पर "फ्लाईओवर" बनाया जाये ताकि यहां के नागरिकों को होने वाली असुविधा से राहत मिल सके।

(तेरह) महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में विट्ठल रफुभाई मंदिर के विकास के लिए कार्य योजना बनाने और धनराशि आवंटित किए जाने की आवश्यकता

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के अंतर्गत पंढरपुर में चन्द्रभागा नदी पर विट्ठल रकुमई मंदिर स्थित है और यहां पर प्रत्येक वर्ष देश के विभिन्न राज्यों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शनार्थ आते हैं, किन्तु उनके लिए समुचित नागरिक सुविधाओं की भारी कमी है। इसके लिए एक एक्शन प्लान भी बना था मगर उसको आज तक क्रियान्वित नहीं किया गया है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि केन्द्र सरकार वहां आने वाले श्रद्धालुओं को समुचित सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने हेतु एक्शन प्लान को लागू किए जाने हेतु जरूरी कारगर कदम उठाए और उसे तीर्थ स्थल के रूप में विकसित किए जाने हेतु केन्द्रीय निधि से धन का आवंटन अविलम्ब करें। केन्द्र सरकार के धर्मस्थलों की सूची में पंढरपुर का नाम लिया जाए।

[अनुवाद]

(चौदह) नागालैंड में दीमापुर में एक क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय खोले जाने की आवश्यकता

श्री के०ए० सांगतम (नागालैंड) : पूर्वोत्तर क्षेत्र सात राज्यों से मिलकर बना है जिसमें असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड शामिल हैं। अभी तक इन राज्यों के लिए वहां केवल एक क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, अर्थात असम के गुवाहाटी में स्थित है। नागालैंड, मणिपुर और अरूणाचल प्रदेश के नागरिकों को पासपोर्ट अधिकारियों के प्रश्नों का स्पष्टीकरण देने के लिए गुवाहाटी में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय तक स्वयं यात्रा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इन राज्यों विशेषरूप से पर्वतीय और दूरस्थ क्षेत्रों के लोगों के गुवाहाटी पहुंचने में न केवल कई दिन खराब हो जाते हैं बल्कि इस कार्य के लिए अनावश्यक उनकी गाढ़ी कमाई भी खर्च होती है।

इसके अतिरिक्त, ट्रैवल एजेंट गुवाहाटी कार्यालय से पासपोर्ट दिलाने के बहाने लोगों से भारी कमाई भी कर रहे हैं और उन्हें ठग रहे हैं। मेरा विदेश मंत्रालय से अनुरोध है कि नागालैंड, मणिपुर और अरूणाचल प्रदेश के लिए एक दूसरा क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय खोला जाए ताकि इन राज्यों के लोग अपने पासपोर्ट कम से कम समय और न्यूनतम खर्च में बनवा सकें।

[अनुवाद]

अपराह्न 1.53 बजे

भारत एल्यूमीनियम कम्पनी लिमिटेड के प्रस्तावित विनिवेश का निरनुमोदन किए जाने के बारे में प्रस्ताव

अध्यक्ष महोदय : अब मद सं० 16

श्री रूपचन्द पाल द्वारा चर्चा प्रारम्भ किए जाने से पूर्व मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि इस चर्चा के लिए पांच घंटे का समय आंवटित किया गया है।

दल-वार भी उपलब्ध समय इस प्रकार है : सत्तारूढ़ दल-2 घंटे और 24 मिनट; भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस-1 घंटा और 03 मिनट, सी०पी०आई०(एम)-18 मिनट, टी०डी०पी०-16 मिनट, समाजवादी पार्टी-14 मिनट, बी०एस०पी०-8 मिनट, ए०आई०ए०डी०एम०के०-6 मिनट, एन०सी०पी०-4 मिनट, राष्ट्रीय जनता दल-4 मिनट, भारतीय राष्ट्रीय लोक दल-3 मिनट, पी०एम०के०-3 मिनट, सी०पी०आई०, आर०एस०पी०, ए०बी०एल०सी०, ए०आई०एफ०बी०, एम०एल०, आर०एल०डी०-8 मिनट और निर्दलीय तथा एक सदस्य वाले दल-9 मिनट।

श्री रूपचन्द्र पाल (हुगली) : मैं समझता हूं कि प्रस्ताव पेश करने वाले का समय इसमें शामिल नहीं है।

[हिन्दी]

डॉ० रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : कितना खामा है जो बेचने के लिए तैयार है। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप द्वारा उत्पन्न की जा रही बाधायें भी शामिल नहीं हैं। चर्चा से पहले ही बाधाएं शुरू हो गई हैं।

[हिन्दी]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : खामा तो है लेकिन कितना खामा है, यह बात है। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री रूपचन्द पाल (हुगली) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा भारत एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड के प्रस्तावित विनिवेश का निरनुमोदन करती है।"

इस प्रस्ताव को पेश करते हुए पहले मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने वर्तमान स्थिति में इस महत्वपूर्ण मामले पर चर्चा की अनुमति देने पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया।

संसद को देश के लोगों के आर्थिक और अन्य सम्प्रभु अधिकारियों के संबंध में घटने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं की जांच करने का पूरा अधिकार है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को सरकारी पैसे से स्थापित किया गया है और यह हमारे देशवासियों के खून और पसीने से किया गया योगदान था। इस सरकार को, जिसमें विभिन्न सिद्धांतों और भिन्न मतों को मानने वाले साझेदारों का संयुक्त मंत्रिमंडल है, बालकों जैसे बहुमूल्य, उत्कृष्ट, लाभ कमाने वाले सरकारी उपक्रम को बेचने का कोई अधिकार नहीं है। इस बिक्री के बारे में सरकार में आम सहमति नहीं है जैसा कि विभिन्न साझेदारों यथा – तेलुगू देशम पार्टी और शिव सेना द्वारा पहले ही जनता को बता दिया गया है। मुझे तृणमूल कांग्रेस की स्थिति का पता नहीं है परन्तु समाचार पत्रों से पता चलता है कि उन्होंने संबंधित मंत्रालय और शायद माननीय प्रधान मंत्री को इस बहुमूल्य सम्पत्ति को कम कीमत में बेचने से बाज आने के लिए कहा है। वे अपनी स्थिति स्पष्ट कर सकते हैं क्योंकि हमारा पूर्व अनुभव यह रहा है कि वे एक बात कहते हैं और अंततोगत्वा सत्ता में रहने के लिए वे हमेशा की तरह सिद्धांतों के प्रत्येक दिखावे, को एक तरफ फेंकते रहे हैं।

महोदय, इस संसद को आज इस महत्वपूर्ण मामले पर चर्चा करने के लिए अनुमति दी गई है। बिक्री के विवरण पर बात करने से पहले मैं सरकार की नीतियों का उल्लेख कर रहा हूं।

अद्यतन आर्थिक सर्वेक्षण में, यह सरकार कहती है :

"सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के प्रति सरकार की नीति के मुख्य तत्व इस प्रकार हैं :

(1) सभी गैर-महत्वपूर्ण सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में सरकारी इक्विटी को घटाकर 26 प्रतिशत तक लाया जाना।"

हम इससे सहमत नहीं हैं। बामपंथी दलों और भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) जैसे दलों की स्थिति एवं दृष्टिकोण सर्व विदित है। इसलिए, मैं उस मुद्दे पर नहीं जा रहा।

दूसरा मूद्दा है :

"अर्थक्षम सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का पुनर्गठन एवं उन्हें पुनरूज्जीवित करना।

(3) सरकारी क्षेत्र के उन उपक्रमों को बंद किया जाना जिनको पुनरूज्जीवित नहीं किया जा सकता और कामगारों के हितों की पूरी तरह रक्षा करना।"

सरकार अस्पष्ट भाषा बोल रही है। वे कह रहे हैं कि वे सरकारी क्षेत्र के अर्थक्षम उपक्रमों का पुनर्निर्माण और उनको पुनरूज्जीवित करेंगे। परन्तु वे इकाइयां जो पहले से ही अर्थक्षम हैं, जो लाभकारी है, जो बड़ी है और जो लघु-रत्न है उन्हें उनके दोस्तों को थाली में परोसा जा रहा है। मैं इस बारे में बात करूंगा।

महोदय, वर्तमान में विनिवेश विभाग 30 सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और उनकी अनुषंगी इकाइयों के मामले में कार्रवाई कर रहा है जहां विनिवेश और संयुक्त उद्यम भागीदार का पता लगाने का सरकारी निर्णय लिया गया है। हम मारूति उद्योग लिमिटेड, इंडियन एयरलाइन्स, एयर इंडिया, विदेश संचार निगम लिमिटेड और ऐसे अन्य रत्न और लघु रत्नों के बारे में उनके विचार जानते हैं।

बालको के संबंध में, मैं एक सरकारी रिपोर्ट की बात कर रहा हूं। वर्ष 1999-2000 की वार्षिक रिपोर्ट में क्या है ? यह सब भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) अथवा बाम दलों द्वारा नहीं गढ़ा गया है, अथवा ये जनसंचार माध्यम द्वारा फैलाई गई अफवाह नहीं है। यह आपकी अपनी रिपोर्ट है। *(व्यवधान)* पिछले 13 वर्षों की यह सबसे अच्छी उपलब्धि है। कंपनी ने इस वर्ष के दौरान राजकोष में 291.57 करोड़ रुपए का योगदान किया जिसमें 125.13 करोड़ रुपए उत्पाद शुल्क के रूप में शामिल हैं।

अपराह्न 2.00 बजे

आपके निजी उद्यम कर-अपवंचन कर रहे हैं। मैं आपको ऐसे कई मामले बता सकता हूं। इसमें कमी आई है। कल ही सरकार ने यह स्वीकार किया कि वह उत्पाद शुल्क जैसे अप्रत्यक्ष करों और उन सभी वस्तुओं के संबंध में लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकी है।

इस कंपनी ने 51.40 करोड़ रुपए का उत्पाद शुल्क, 0.48 करोड़ रुपए का कारोबार शुल्क, 25.99 करोड़ रुपए का वैद्युत शुल्क और 0.91 करोड़ रुपए के रायल्टी उपकर का भुगतान किया है। यह सरकारी क्षेत्र का उपक्रम है। उस कंपनी का अगला-पिछला रिकार्ड कैसा है जिसे आप इस कंपनी को सौंप रहे हैं ? मुझे अपने कई मित्रों के साथ वहां जांच-पड़ताल हेतु जाने का अवसर मिला था। कंपनी ने दो कंपनियों के साथ शेयर बाजार के भाव बढ़ा दिए हैं और इसकी तेजड़ियों के साथ सांठगांठ है। आज तक फैसला दिया जाना शेष है और ऐसा उनके प्रभाव और संगत क्षेत्रों में उनके प्रभाव के कारण है। भाव बढ़ाए जाने के मामले में स्टरलाइट कंपनी शामिल थी। आपकी सरकार के दूरसंचार विभाग द्वारा उनपर कार्रवाई की गई है। आपकी सरकार ने इस कंपनी को काली सूची में डाल दिया था।

क्या उनके पास कोई प्रौद्योगिकी है ? उनकी प्रौद्योगिकी क्या है ? "माल्को" की तकनीकी पुरानी है जैसा कि आपने अपनी भाषा में कहा है कि आपके बाल्को में भी पुरानी तकनीकी है। यह सही नहीं है कि आपके माल्को के बाजार में ज्यादा शेयर नहीं हैं और स्टरलाईट यह दावा कर रही है कि वह आधुनिकतम तकनीकी उपलब्ध कराएगी। यह पूंजी कहां से आएगी ? यह यहां है। मेरा पास दस्तावेज हैं। वे हमारे राष्ट्रीयकृत क्षेत्र से, सरकारी क्षेत्र के बैंकों से और वित्तीय संस्थानों से पूंजी लाएंगे।

केवल यही आयाम नहीं है। मैं आपको ऐसे कई उदाहरण देता कि बालको कितना महत्वपूर्ण है। मैं केवल एक का संदर्भ दे रहा हूं जो कि सुरक्षा संबंधी चिंता का विषय है। एल्यूमिनियम भविष्य का धातु है। अंतरिक्ष विज्ञान में और आधुनिकतम वायु सेना के वायुयानों के निर्माण हेतु एल्युमिनियम प्राणाधार है और आप जानते हैं कि इस प्रयोजन हेतु सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का गठन किया गया है। पंडित नेहरू को विश्व के एक कोने से दूसरे कोने तक जाना पड़ा था। हमें बचाने के लिए कोई भी सामने नहीं आया। केवल पूर्ववर्ती सोवियत संघ ही महत्वपूर्ण उद्योगों को लगाने के लिए सामने आया।

आपकी अपनी रिपोर्ट में कहा गया है कि "इसके अतिरिक्त यह भारत के रक्षा क्षेत्र को विभिन्न रूपों में अल्युमिनियम और अल्युमिनियम के मिश्र धातु उत्पादों की आपूर्ति भी करता है।" इससे रक्षा क्षेत्र का निजीकरण हो रहा है जिससे हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पहुंच रहा है। यह स्थिति तब है जब हम रक्षा बजट हेतु और प्रावधान किए जाने का दावा और मांग कर रहे हैं।

श्री एम०वी०वी०एस० मूर्ति (विशाखापत्तनम) : उन्होंने घोषणा की है कि रक्षा उत्पादन का निजीकरण किया जाएगा। *(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : परन्तु आप उनका समर्थन कर रहे हैं। *(व्यवधान)* आप इसे 'भारत सरकार निगम' कहते हैं। *(व्यवधान)*

श्री रूपचन्द पाल : अब वे विनिवेश आयोग की इस रिपोर्ट के बारे में बहुत ज्यादा बोल रहे हैं। हम क्या कर सकते हैं ? विनिवेश आयोग का गठन एक अलग ही समय में किया गया था। अब आपको विनिवेश आयोग पर निर्भर रहना होगा। आज विनिवेश आयोग वहां है ? इस विभाग का नेतृत्व एक कनिष्ठ मंत्री द्वारा किया जा रहा है। कृपया मेरे इस कथन का बुरा न माने। ऐसा इसलिए कि सब कुछ प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा, वहां बैठे हुए 'नवरत्नों' द्वारा और वहां के भूतपूर्व नौकरशाहों द्वारा किया जा रहा — आप देखिए कि कितने दस्तावेज हैं और उन्होंने कितने कॉल किए हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठे हुए 'रत्न' ही सत्ता चला रहे हैं। वे सब चीजों को निर्धारित कर रहे हैं, बजट से लेकर बालको को बेचे जाने तक सब चीजों को अंतिम रूप दे रहे हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : ये 'नवरत्न' नहीं हैं बल्कि ये 'तीन रत्न है।'

श्री रूपचन्द पाल : जी हां, मैं विनिवेश आयोग का हवाला दे रहा हूं। यह भारत के सरकारी क्षेत्र के बारे में क्या कहता है ?

[हिन्दी]

श्री प्रकाश विश्वनाथ परांजपे (ठाणे) : *(व्यवधान)**

*कार्यवाही—वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

श्री रूपचन्द पाल : जी, नहीं, हम इसपर विचार नहीं करते। *(व्यवधान)*

श्री प्रकाश विश्वनाथ परांजपे : *(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, सदन में इस प्रकार की टिप्पणी करना ठीक नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया, आप इन टिप्पणियों को वापस ले लें। सदन में इस प्रकार की टिप्पणी करना ठीक नहीं है। कृपया इन बातों पर ध्यान दें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं होगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री प्रकाश परांजपे : मैंने गलत बात क्या कही है ? *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)

श्री चन्द्र शेखर (बलिया, उ०प्र०) : अध्यक्ष महोदय, क्या मैं सत्ता पक्ष से जान सकता हूं कि क्या सत्ता पक्ष के सदस्यों और विपक्ष के सदस्यों के बीच वार्ता प्रतिबंधित है? यदि इस पर प्रतिबंध है तो मैं विपक्ष के सदस्यों से आग्रह करूंगा कि वे सत्ता पक्ष के किसी भी सदस्य से बात न करें या उनके साथ कोई सम्पर्क न रखें। यदि इस तरफ के सदस्य सदन में इस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं तो मैं नहीं समझता कि विपक्ष के किसी भी सदस्य के लिए यह सम्भव नहीं होगा कि अब वह सरकार या सत्तारूढ़ मोर्चे के किसी भी सदस्य के साथ सम्पर्क रख सकें।

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया गया है। इस प्रकार की टिप्पणी करना उचित नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्यों से अपील कर रहा हूं कि इसके बाद सदन में इस प्रकार की टिप्पणियां न करें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

श्री रूपचन्द पाल।

श्री रूपचन्द पाल : महोदय, मुझे 'रत्नों' का नाम लेने के लिए उकसाया नहीं जा रहा है क्योंकि किसी दिन यदि प्रधानमंत्री को डाक्टर या उनके रसोइये या उनके कई घनिष्ठ लोगों को विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है तो आने वाले दिनों में इन लोगों को भी विशेष रूप से सम्मानित किया जाएगा। मैं इससे आगे नहीं जा रहा हूं। यदि वे मुझे उकसाते हैं तो मेरे पास इन रत्नों के बारे में आपको बताने के लिए बहुत कुछ है, अन्य कई देशों के अनुभवों के विपक्षी जिन्होंने सम्पूर्ण निजीकरण को चुना। भारत में सरकारी क्षेत्र के उपक्रम उदारीकरण के बाद भी भारतीय उद्योग जगत के महत्वपूर्ण संघटक हैं। रिपोर्ट के इस भाग पर उनका क्या दृष्टिकोण है ? उन्हें स्पष्ट करना चाहिए और बताना चाहिए कि ''विनिवेश'' से उनका क्या तात्पर्य है।

अब मैं वास्तविक सिफारिशों की ओर आ रहा हूं। हम विनिवेश आयोग की रिपोर्ट के संबंध में बहुतसी चीजों का उल्लेख नहीं कर रहे हैं, उन्होंने एक विनिवेश कोष के बारे में सुझाव दिया है। उन्होंने क्या किया है ? क्या उन्होंने इसके बारे में कुछ किया है ? वे इससे प्राप्त पूरे आगम का उपयोग राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिए कर रहे हैं। बाहर से होने वाली भारी आलोचना के बाद केवल इसी वर्ष वे इस राशि को देंगे वह भी यदि राशि का संग्रहण किया जा सके तो, इसके बाद वे यह धन सामाजिक क्षेत्र को देंगे और बाकी का धन कर्जों को उतारने और ऐसी ही मदों के लिए देंगे। क्या उन्होंने हल्की-फुल्की कमियों वाले उन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के पुनर्गठन के लिए विनिवेश कोष का गठन किया है जिनमें लाभार्जन की संभावना है ? क्या उन्होंने ऐसा किया है ? नहीं, उन्होंने कई अच्छी सिफारिशों को नहीं माना है। वे कहते हैं कि विनिवेश आयोग ने सिफारिश की थी। उसने क्या सिफारिश की थी ?

> ''आयोग सिफारिश करता है कि सरकार किसी कम्पनी के अपने शियरों की 40 प्रतिशत इक्विटी का किसी अनुकूल साझेदार चाहे वह देशी हो या विदेशी को पारदर्शी और प्रतियोगितात्मक विश्वव्यापी बोली प्रक्रिया के माध्यम से प्रस्ताव करके विनिवेश कर सकती है।''

वे इसे 51 प्रतिशत में कैसे बदल सकते हैं ? मैं जानता हूं कि वे एक पत्र दिखाएंगे लेकिन किसी व्यक्ति का पत्र आयोग का अधिनिर्णय नहीं है। माननीय मंत्री जी को इस साधारण सी बात को समझना चाहिए। उनके पास इस तरह का साधारण अन्तर करने की क्षमता होनी चाहिए। उनके पास एक व्यक्ति के पत्र को उद्धृत करने की क्षमता है क्योंकि उन्होंने इसमें फेरबदल कर दिया है। मैं इस प्रकार यहां तक टिप्पणी करने के लिए तैयार हूं। *(व्यवधान)* जब आप उत्तर देंगे तो आप मेरे इस प्रश्न का उत्तर देंगे कि क्या किसी व्यक्ति से प्राप्त पत्र आयोग द्वारा अन्तिम स्वीकृत रिपोर्ट के बराबर है।

---

*कार्यवाही—वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय (कोलकाता उत्तर पश्चिम) : उनमें बताएं कि यह पत्र कब भेजा गया था।

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरूण शौरी) : यह पत्र 12 जून, 1998 को भेजा गया था।

श्री रूपचन्द पाल (हुगली) : मैं मांग करता हूं कि उस पत्र को सभा पटल पर रखा जाए। मैं अपने भाषण के दौरान कई अन्य प्रपत्रों को सभा पटल पर रखने की मांग करूंगा। यह उन प्रपत्रों में से पहला प्रपत्र है।

अब मैं मूल्यांकन प्रक्रिया पर आता हूं। ''बालको'' एक लाभार्जन करने वाली कम्पनी है। यह राष्ट्रीय राजकोष में योगदान करती रही है। इससे सम्बधित खानों के भण्डार अच्छे हैं। बाक्साइट की खानें सोने की खानों के समान हैं। इन खानों में उपलब्ध भण्डार कितनी मात्रा में है ? इन खानों का मूल्यांकन किसने किया ? ''रक्षित विद्युत संयंत्र'' के मामले में विद्युत वित्त निगम के प्रमुख ने भी यह टिप्पणी की थी कि इसकी लागत 1000 करोड़ रुपये से कम नहीं होगी। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के पूर्व प्रमुख श्री देवराय ने इस बात की पुष्टि की थी। इसका जीवन काल 35 वर्ष का है जिसमें से अभी तक एक तिहाई भी पूरा नहीं हुआ है। इस रक्षित विद्युत संयंत्र को सस्ते में ही दिया जा रहा है। खानों में उपलब्ध भण्डारों का मूल्यांकन कौन कर सकता है ? इस चयन के बारे में बाद में बताया जाएगा। जहां तक कि श्री पी०वी० राव ने कहा था कि वह खानों में उपलब्ध भण्डारों का मूल्यांकन करने की स्थिति में नहीं हैं। तब, इनका मूल्यांकन कौन करेगा ?

कई विशेषज्ञ हैं, कई परामर्शदात्री एजेंसियां हैं जो इस कार्य में अपनी विशेषज्ञता के लिए जानी जाती हैं और विश्वविख्यात हैं। उनमें से कुछ सरकारी क्षेत्र की भी हैं। क्या उन्हें बुलाया गया था ? नहीं भारतीय खान ब्यूरो ने इसकी छानबीन की थी। उन्होंने क्या किया ? उन्होंने कुछ आंकड़े एकत्र किए, कुछ मासिक और वार्षिक रिपोर्ट छापे। कौन-से लोग इसमें शामिल हैं? वे सांख्यिकीविद् हो सकते हैं। यह कैसे और कब निर्णय लिया गया कि जो लोग आंकड़ों का संग्रह, जोड़, घटाव, गुणा करते हैं और गणित एवं अंकगणित का हिसाब-किताब करते हैं, वे खानों में उपलब्ध भंडार के मुद्दे को समझ सकते हैं ?

मुझे आश्चर्य है यदि माननीय मंत्री यह जानते हैं कि अल्युमीनियम उद्योग में लागत लेखा जरूरी है और इसका ब्यौरा प्रत्येक वर्ष सरकार के पास प्रस्तुत किया जाता है। इसमें तीन वर्षों की रिपोर्ट एक ही बार में दे दी गई है। इसका उल्लेख वार्षिक रिपोर्ट में भी है। क्या मंत्री महोदय, खान सहित सभी परिसम्पत्तियों, सम्पत्तियों का पूरा ब्यौरा देते हुए सभा पटल पर लागत लेखा का विश्लेषण रख सकेंगे ? क्या मंत्री महोदय को एक भी ऐसा विशेषज्ञ नहीं मिला जो खानों में उपलब्ध भंडार का मूल्यांकन कर सके ? बालको को बॉक्साइट क्षेत्र के नजदीक होने के कारण लाभ मिलता है। यहां तक कि इस महत्वपूर्ण बिन्दु को भी गणना से बाहर रखा गया है।

मंत्री महोदय ने कहा है कि उन्होंने एक विश्वस्तरीय सलाहकार नियुक्त किया है – यह सही चीज थी कि उन्होंने ऐसा किया – जिन्हें जार्जाइन फ्लेमिंग के नाम से जाना जाता है। इस नियुक्ति की निबंधन और शर्तें क्या थीं ? क्या मंत्री महोदय उसे सभा पटल पर रख सकेंगे ? मैं चाहूंगा कि वे इसे सभा पटल पर रखें। क्या इस विषय में कुछ अस्वाभाविक या असामान्य है ?

श्री अरूण शौरी : इसे पहले ही सभा पटल पर रख दिया गया है।

श्री रूपचन्द पाल : इस निकाय का कार्य क्षेत्र क्या था ? इस विश्वस्तरीय सलाहकार को कितना भुगतान किया गया था ?

क्या यह सही नहीं है कि विश्वस्तरीय सलाहकार ने कंपनी की परिसंपत्तियों का भी मूल्यांकन करने का प्रस्ताव किया था ? तब क्यों इसकी अपेक्षा की गई ?

चार पार्टियां थीं और बिना किसी मानदंड के 'एक्सप्रेशन ऑफ इंटेंट (ई०ओ०आई०) प्रकाशित कर दी गई थी। प्रकाशन में भारत सरकार ने इस बात का उल्लेख किया है कि :

> ''यह घोषणा न तो विवरणी है और न ही शेयरों, प्रतिभूतियों या डिबेन्चर्स को लोगों को बेचने का प्रस्ताव या आमंत्रण है जबकि ई०ओ०आई० भारत सरकार के 50 प्रतिशत शेयर बेचने के लिए है।''

कितना समय दिया गया था ? ई०ओ०आई० वाली पार्टियों को अपने प्रत्यय पत्र प्रस्तुत करने थे। आप अद्यतन लेखा के बारे में जानते हैं। व्यापार और परिचालन के संबंध में क्या ये प्रत्यय पत्र 51 प्रतिशत इक्विटी बेचने के लिए पर्याप्त थे ? इस सभा को उन्हें इस प्रश्न का उत्तर देना होगा। कि क्या इन बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तुत प्रत्यय पत्र कंपनी की 51 प्रतिशत इक्विटी बेचने के लिए पर्याप्त थे या क्या ये प्रत्यय पत्र परामर्शदाता के प्रस्ताव के अनुरूप आमंत्रित किए गए थे ? ऐसा करने का आधार क्या था ? ऐसा करने के लिए उन्हें किसने निर्देश दिया था ? क्या ऐसा प्रधानमंत्री कार्यालय ने किया था ? ई०ओ०आई० पैकेज प्रस्तुत करने की अंतिम बोली क्या थी ? अंतिम तिथि क्या थी ? यह 30 जून, 2000 के बाद की नहीं थी। सामान्यत:, बोली प्रस्तुत करने के लिए एक विशेष अवधि निर्धारित की जाती है। लेकिन इस मामले में, समय का उल्लेख नहीं किया गया था। यह दूसरा उल्लंघन है।

केन्द्रीय सर्तकता आयोग ने ठीक ही कहा है कि :

> ''सामान्य प्रक्रिया और केन्द्रीय सर्तकता आयोग के दिशा निर्देशानुसार, बोलियां आमंत्रित करने के लिए डिमांड ड्राफ्ट या बैंक गारंटी के रूप में आरंभिक राशि जमा करना आवश्यक है।''

लेकिन इस मामले में, उन्होंने इन सब चीजों पर विचार नहीं किया। उन्हें पहले इसे संसद के समक्ष रखना चाहिए था क्योंकि यह

एक सामान्य प्रक्रिया है। ऐसे सभी मामलों में पूरे विश्व में, सब जगह ऐसा किया जाता है। अन्य प्रत्येक मामलों में उन्होंने ऐसा किया है पर इस मामले में उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने इस मामले में ऐसा क्यों नहीं किया, इसका जबाब मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं। उन्हें इसको स्पष्ट करना होगा।

इन सबके अलावा, एक वित्तीय सलाहकार, एक कानूनी सलाहकार, एक जनसम्पर्क अधिकारी और एक खनन सलाहकार नियुक्त किए गए हैं। किसलिए ? उन्हें कितना भुगतान किया गया है ? ये कौन लोग हैं ? उनका परिचय क्या है ? माननीय मंत्री को इसे संसद को बताना चाहिए। जब तक यह एक सरकारी क्षेत्र का उपक्रम है, संसद को यह जानने का पूरा अधिकार है कि यह सब कैसे हो रहा है। संसद को इसमें हस्तक्षेप करने और इसका नियंत्रण करने और यदि आवश्यक हुआ तो राष्ट्र की मूल्यवान सम्पत्तियों को कम कीमत पर बेचना बंद करने का पूरा अधिकार है।

महोदय, अब मैं मूल्यांकन प्रक्रिया की बात करता हूं। इसके पूर्व, तीन प्रक्रियाएं अपनाई गई थीं। लेकिन इस मूल्यांकन कार्य में इस बात पर कभी विचार नहीं किया गया कि एक खनन परिसम्पत्ति, एक पूंजी प्रधान चालू उपक्रम का मूल्यांकन कैसे किया जा सकता है। क्या कोई मानदंड है ? क्या कोई उदाहरण है ?

आपने आई०पी०सी०एल०, बड़ौदा के संबंध में क्या किया जब आप इसे भारतीय तेल निगम को बेचने की प्रक्रिया में थे ? जब आप एक सरकारी क्षेत्र के उपक्रम को दूसरे सरकारी क्षेत्र के उपक्रम को बेच रहे हैं, तब आप मूल्यांकन पर विचार कर रहे हैं। यहां आपकी विशाल परिसंपत्ति है, खान भंडार है, मशीनरी है, शहर है, रक्षित संयंत्र है, अस्पताल हैं पर किसी पर भी विचार नहीं किया गया। क्या यह सूचना औद्योगिकी कंपनी है या आई०सी०ई० श्रेणी की कंपनी है जहां भविष्य की गणना करनी होगी कि पूंजीकरण के द्वारा शेयर मूल्य कैसे घटेंगे या बढ़ेंगे ? विश्व भर में यही प्रक्रिया है और ऐसा करना आवश्यक है – अल्युमिनियम उद्योग, विद्युत संयंत्र, इस्पताल संयंत्र आदि के संबंध में ऐसे मूल्यांकन किये जाते हैं।

इसको देखने के लिए सक्षम लोगों और सक्षम प्राधिकारियों की कमी नहीं है। ऐकान (एम०ई०सी०ओ०एन०) है, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड है और अन्य कई हैं। कई लोग हैं जो परिसम्पत्तियों का मूल्यांकन करने में सक्षम हैं। ऐसा कभी नहीं किया गया। रक्षित संयंत्र की एक इकाई में कुछ कमी है और थोड़ी अवधि के लिए एक इकाई में कमी के कारण ही बालको को कुछ हानि हुई। इसके अलावा पूंजी पुनर्गठन के कारण सरकार को 244 करोड़ रुपए या कुछ इतनी ही राशि भुगतान की गई थी और कंपनी को उस राशि पर से ब्याज भी गंवाना पड़ा।

आपको भंडारों और क्षमता को देखना होगा। यहां तक की हाल ही में एक नई रोलिंग इकाई शुरू की गई है। रक्षित विद्युत संयंत्र को हाल ही में पुन: शुरू किया गया, शायद एक या दो माह से कुछ ज्यादा समय हुआ है। बालको का खान भंडार और परिसम्पत्तियों की चालू कीमतों के मूल्य के अलावा अपना एक विशिष्ट बाजार और ब्रांड मूल्यांकन है।

अध्यक्ष महोदय : श्री रूपचन्द पाल, आपको जवाब देने का भी अधिकार है क्योंकि आपने ही यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

श्री रूपचन्द पाल : मैं नहीं जानता कि उनके पास पुन: गलत सूचना देने के अलावा भी कुछ उत्तर देने के लिए बचा है। यह पुराने खेल की ही पुनरावृत्ति है। फिर भी, जितना जल्दी हो सके मैं इसे पृग करने की कोशिश करूंगा क्योंकि वे पहले से ही शर्मिंदा और निरूत्तर हैं। माननीय मंत्री के चुपचाप बैठने से मुझे दु:ख हो रहा है क्योंकि दोष दूसरे का है और उन्हें इसको सहन करना पड़ रहा है। *(व्यवधान)*

मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंक बालको का विनिवेश एक उदाहरण बनने जा रहा है। वे प्राय: कहते हैं, ''कांग्रेस को इन सब चीजों का विरोध करने का क्या अधिकार है ?'' ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि किसी को 5000 करोड़ रुपये की परिसम्पत्ति 550 करोड़ रुपये में मिल गई हो। यहां तक कि वे इस राशि को भी हमारे राष्ट्रीयकृत बैंकों से ही लाएंगे उनके पास प्रौद्योगिकी भी नहीं है। मैं इस विस्तार में नहीं जा रहा हूं कि उनका क्या करने का प्रस्ताव है। उनका कहना है कि उन्हें बाकी के शेयर खरीदने का विकल्प होगा। वे कहते हैं कि वे भारतीय पीतल, जस्ता और अल्युमिनीयम बाजार का नियंत्रण करेंगे। हमारी रक्षा का क्या होगा ? हमारी अर्थव्यवस्था का क्या होगा ? इस तरह से व्यक्तियों की सेवा की जा रही है। मैं पारस्परिक संबंधों के पचड़े में नहीं जा रहा हूं।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रम जो भावी बोलीदाता हैं, किसी ईकाई के कार्यकरण के बारे में जानकारी प्राप्त करने से वंचित क्यों हैं जिनके शेयर बेचे जाने हैं ?

उन्हें बहुत सारे आंतरिक दस्तावेजों की जानकारी थी और इसी आधार पर उन्होंने अपना प्रस्ताव रखा। इसलिए, हर बार, ये सारी बातें एक ही मुद्दे पर आकर सिमट जाती है। जब भी माननीय मंत्री उत्तर देने की कोशिश करते हैं तो उनका यही कहना होता है कि वे सबसे बड़े बोली दाता थे, इसमें क्या किया जा सकता है। क्या वे सबसे बड़े बोलीदाता थे ? उनके पास बाजार का 40 प्रतिशत से भी अधिक का हिस्सा है। उनकी बोली महत्वपूर्ण नहीं थी, यह बोली गंभीरता पूर्वक नहीं लगाई गई थी।

यह बंदी करार का मामला था जैसे, ''आपको 'नालको' मिल गया और उन्हें 'बालको' मिल जाएगा।'' यहां पूछने के लिए मेरे पास एक संगत प्रश्न है। आप निजी क्षेत्र के कार्य निष्पादन के बारे में जानते हैं। यहां तक कि दो या तीन दिन पहले, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की रिपोर्ट सभा के पटल पर रखी गई है। उससे हमें क्या पता चला ? हमें पता चला है कि जिन्हें पैदा की जा रही बाधाओं और सरकार के असहयोग के बावजूद प्रगति कर रहे हैं। वे अनेक क्षेत्रों में प्रगति कर रहे हैं। निजी क्षेत्र में चाहे आप विनिर्माण क्षेत्र या अन्य क्षेत्र के कार्यनिष्पादन पर नजर डालें तो सरकार से लगातार संरक्षण के बावजूद वे प्रगति नहीं कर रहे हैं। वे अच्छा कार्य निष्पादन नहीं कर सकते।

[श्री रूपचन्द पाल]

वर्तमान मामले में, वे गम्भीर नहीं हैं। अमरीकी कम्पनी का मामला लें। उस कम्पनी ने अपने को अलग क्यों किया ? उनकी कोई प्राथमिक जमा धनराशि नहीं है और इसलिए कोई गम्भीर बोलियां नहीं हैं। यह मामला बंदी करार का था। मेरा इस सरकार पर आरोप है कि इस बंदी करार को कुछ विशेष हितों को पूरा करने के लिए इस सरकार का संरक्षण प्राप्त था। मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं।

निजी क्षेत्र के मामले में अधिग्रहण और विलय की अनुमति दी गई है ताकि वे बड़ी कम्पनियां बन सकें, चाहे यह दूरसंचार क्षेत्र हो चाहे ये तेल क्षेत्र में हों अथवा कोई अन्य क्षेत्र हो। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के मामले में यदि कोई कहे कि 'नालको' और 'बालको' को अधिक वित्तीय शक्ति प्राप्त करने और बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक साथ विलय क्यों न किया जाए। इसके लिए वे सहमत नहीं होंगे। उन्हें इसकी अनुमति नहीं दी जाएगी।

श्री एम०वी०वी०एस० मूर्ति : दोनों ही संकट में पड़ जाएंगे।

श्री रूपचंद पाल : आपको किसने बताया ? यही बात बीमा कम्पनियों के मामले में हुई थी। मैं यह जानता हूं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : किसी निजी क्षेत्र की कम्पनी में कोई परेशानी नहीं है।

श्री रूपचंद पाल : हमने जी०आई०सी० और इसकी अनुषांगियों को अलग न करने का प्रस्ताव रखा था लेकिन उन्होंने इसे खोल दिया। अब, विदेशी बीमा कम्पनियां आ रही हैं। यदि आप जी०आई०सी० और इसकी चार अनुषांगियों की संयुक्त ताकत को अलग नहीं किया गया तो उनमें भारत में आ रही विदेशी बीमा कम्पनियों को मात्र देने और उनमें प्रतिस्पर्धा करने की ताकत होगी। वे ऐसा नहीं करेंगे। क्या यह एक बराबरी का अवसर देने जैसा व्यवहार है। मैं इस सरकार पर आरोप लगाता हूं। बीमा अधिनियम में संशोधन किए बिना; मौखिक रूप से द्विभाषिक निदेशों के माध्यम से आपने ऐसा किया है। निजी क्षेत्र के मामले में ही आप इतने उदार क्यों हैं ? आप इसकी मदद करने के लिए तैयार हैं, आपने इसे बेचे जाने से ठीक पहले सहायता और सहयोग का हाथ आगे बढ़ाया है। लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के मामले में आप ऐसा नहीं कर रहे हैं। आप सरकार हैं और वे आपके छोटे बच्चे हैं। इसे बेचे जाने से पहले आप यह कह रहे हैं कि वह बहुत बुरा लड़का है, वह बहुत शैतान लड़का है और इसे अनेक रोग हैं। क्रेता के समक्ष आप इस तरह कह रहे हैं। क्या वह आपका बच्चा नहीं है ? जब आप अपना घर बेचना चाहते हैं तो क्या आप ऐसा करते हैं। क्या आप कीमतें कम करेंगे ? आप आपने ही सार्वजनिक क्षेत्र का कैसे त्याग कर सकते हैं ? इससे आपकी वरीयता आपकी पंसद और आपके पूर्वाग्रह का पता चलता है।

राष्ट्र इसे कभी सहन नहीं करेगा। बी०एस०एन०एल० के संबंध में जो कुछ हो रहा है उसे हम जानते हैं। इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया में क्या हो रहा है इसके पीछे के दृश्य को हम जानते हैं। हम यह नहीं कह रहे हैं कि आप उन कम्पनियों के सम्बन्ध में विचार न करें जिन्हें लगातार घाटा हो रहा है। लेकिन यहां यह मत और आम राय है कि ऐसा मामला दर मामला अध्ययन के आधार पर किया जाना चाहिए। कम्पनियां, जिनके पास इनमें सुधार के लिए अन्तः शक्ति और ताकत है उनकी मदद की जानी चाहिए। 'बालको' ऐसी ही एक कम्पनी है। इसमें अपनी आंतरिक प्रगति को बढ़ाने की अपनी ताकत है। पूंजीगत पुनर्संरचना और देश के समग्र परिदृश्य के कारण रक्षित विद्युत संयंत्र का एकक होने के कारण इसे अस्थायी नुकसान हुआ था। अभी भी यह अच्छा कार्य कर रही है। वार्षिक रिपोर्ट में यह आपकी अपनी स्वीकारोक्ति है।

मैंने देखा है कि टी०डी०पी० जैसे सरकार के कुछ सहयोगी दल इसकी परिसम्पत्तियों का कम आंकलन करने से नाखुश हैं। वे इतने नाखुश हैं कि वे यह सोचते हैं कि इसकी जांच अनिवार्य है। यह अच्छी बात है। हम भी इसी तरह की जांच की मांग करते हैं। हमें इसे राष्ट्र के हित में दलगत विचारों से ऊपर रखना चाहिए। मैं एन०डी०ए० के उन सहयोगी दलों जिनके भिन्न-भिन्न विचार और भिन्न-भिन्न सोच है, को आमन्त्रित करता हूं कि वे आगे आयें। यह इस प्रकार के मुद्दों पर बंटवारे की राजनीति करने वाली जगह नहीं है। यह राष्ट्रीय हित है जो बहुत महत्वपूर्ण है *(व्यवधान)* आप इसे रिकार्ड में रखिए। ऐसा ही शिव सेना के मामले में हुआ था। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री रूपचंद पाल, आपने पहले ही चालीस मिनट ले लिए हैं। *(व्यवधान)*

श्री प्रिय रंजनदास मुंशी (रायगंज) : यदि एन०डी०ए० के सहयोगी दल जे०पी०सी० के लिए राजी हो; तो हम नियम 184 के अंतर्गत चर्चा करने की अपनी मांग को वापस लेने को तैयार हैं *(व्यवधान)*

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय : महोदय, हम फिर से बैठक बुला सकते हैं और फिर से चर्चा कर सकते हैं। इसका निर्णय सभा में नहीं किया जा सकता है। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, माननीय विनिवेश मंत्री अपनी ईमानदारी के बारे में प्रसिद्ध हैं वे हमेशा चोरों और डकैतों को पकड़ने का प्रयास करते रहे हैं। वे कई बार सफल भी रहे हैं। हम भी उनके प्रशंसक रहे हैं, लेकिन अब नहीं। यदि वे सौदे के सभी रहस्यों को उजागर करें तो इसमे उन्हें मदद मिलेगी। चूंकि एन०डी०ए० के महत्वपूर्ण घटक यह महसूस करते हैं कि इसकी उचित रूप से जांच की जानी चाहिए, इसलिए संयुक्त संसदीय समिति के गठन द्वारा उन्हें सब कुछ स्पष्ट करना चाहिए। यहां ऐसा नहीं हो सकता। इसे समयबद्ध तरीके से किया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय : इसकी विषयवस्तु अलग है।

*कार्यवाही—वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री सोमनाथ चटर्जी : यदि वे इसके लिए राजी हो जाते हैं तो हम यहां इसे रोक सकते हैं और अन्य विषय ले सकते हैं।

श्री अरुण शौरी : इससे पहले कि श्री सोमनाथ चटर्जी पर उनका उत्साह हावी हो जाये मैं उनसे एन०डी०ए० के सभी घटकदलों की बात सुनने का अनुरोध करूंगा। इस मामले पर हम सब एक हैं।

दूसरे, आपने मत विभाजन पर जोर दिया है। अत: हम प्रत्येक चीज पर चर्चा करने और प्रत्येक चीज को स्पष्ट करने के लिए यहां हैं, श्री पाल जो कुछ भी पूछ रहे हैं और अन्य सदस्य जो कुछ पूछेंगें उनको एक-एक बात का खुलासा किया जाएगा। जैसा कि मैंने दूसरे सदन में भी कहा था यहां भी मेरा यही अनुरोध है। कृपया उत्तर सुनने के लिए यहां ठहरिए और फिर मत दीजिए। हम मत विभाजन चाहते हैं।

आपने मत विभाजन के लिए कहा था।

श्री प्रिय रंजन दासमुंशी : महोदय हम इस मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं करना चाहते। यदि श्री देवेन्द्र यादव, श्री सुदीप बंद्योपाध्याय और एन०डी०ए० के अन्य घटक इमानदारी से चाहते हैं कि जे०पी०सी० बने तो हम प्रस्ताव को वापस लेने के लिए तैयार हैं *(व्यवधान)*

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय : पहले उन्हें नियम 184 के अंतर्गत प्रस्ताव वापस लेने दें। उसके बाद हम इसके बारे में निर्णय करेंगे। *(व्यवधान)*

श्री प्रिय रंजन दासमुंशी : क्या वे जे०पी०सी० के पक्ष में हैं ? इसे रिकॉर्ड में रहने दें। *(व्यवधान)* महोदय आप सभा के संरक्षक हैं। आपको सभा के दृष्टिकोण का पता लगाना चाहिए। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह मुद्दा नहीं है। हम इस पर नियम 184 के अंतर्गत चर्चा कर रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह मुद्दा नहीं है। हम नियम 184 के अंतर्गत प्रस्ताव पर चर्चा कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, ऐसा लगता है मेरे मित्र गम्भीर नहीं है। *(व्यवधान)*

श्री प्रकाश परांजपे (थाणे) : महोदय, हम गम्भीर हैं या नहीं इसके लिए हमें उनके प्रमाणपत्र की जरूरत नहीं हैं। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इस पर पहले निर्णय होना चाहिए था, अब नहीं।

श्री रूपचंद पाल : महोदय, मैंने कुछ मुख्य बातों का उल्लेख किया है। मैंने राष्ट्र की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में 'बालको' की स्थिति के बारे में उल्लेख किया है, मैंने इस बात का उल्लेख किया है कि यह सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के हमारे लाभ अर्जित करने वाले उपक्रमों को किस तरह बेचने पर तुली हुई है। इसके लिए अपनाई गई प्रणाली संदिग्ध और प्रश्न उठाने वाली है और इसमें शंकाका कारण है कि इसका कम मूल्यांकन किया गया है। उचित मूल्यांकन नहीं किया गया है। बंदी विनियम करार किया गया है और खानों, परिसम्पत्तियों आदि के मूल्यांकन के लिए योग्य मूल्यांकन विशेषज्ञों को नहीं बुलाया गया है। ऐसे पूंजीप्रधान उद्योगों को सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों के अनुरूप नहीं समझना चाहिए। ''डिस्काउंट कैश फ्लो' तरीका इस मामले में लागू नहीं होता।

मैं किए गए मूल्यांकन का उल्लेख करना चाहूंगा। माननीय मंत्री ने राज्य सभा में 27 फरवरी को इसका उल्लेख किया है। उन्होंने इस तथ्य का उल्लेख किया है कि संयंत्र और उपकरणों का मूल्यांकन विश्व में सबसे अधिक प्रतिष्ठित और सबसे पुरानी अभियंत्रण परामर्शदात्री फर्मे में एक मैसर्स बेहरे डालवियर द्वारा किया गया था। यह वास्तव में बालको के परिचालन की तकनीकी समीक्षा पर एक रिपोर्ट थी जो 23 मई, 2000 को प्रस्तुत की गई थी। इसमें क्या था ? मैं केवल उसका उल्लेख करना चाहूंगा और यदि मैं गलत हूं तो माननीय मंत्री मुझे सही-सही बता सकते हैं। इसमें कहा गया है :—

> ''समीक्षा से कोई गंभीर दोष या नकारात्मक कारक नहीं पाया गया जिसकी बजह से बालको उद्यम में किसी बाहरी कंपनी द्वारा निवेश को रोका जा सकेगा। एक वाणिज्यिक कंपनी के रूप में बालको का भविष्य उज्जवल है। इसका अपना संसाधन है। इसका अपने पांव पर खड़े रहने की क्षमता है।''

लेकिन वे अपने मित्र का हित साधने के लिए हस्तक्षेप कर रहे हैं — एक संगठन जिसका पूंजी बाजार में खराब रिकार्ड रहा है, जो काली सूची में दर्ज था, जिसकी न प्रौद्योगिकी है न पूंजी है, जिनकी परिसम्पत्ति के लिए घर, अस्पताल और अन्य चीजों का आकलन नहीं किया गया है जिसके किए, विद्युत संयंत्र पर विचार नहीं किया गया जो स्वयं ही 1000 करोड़ रुपये से ज्यादा मूल्य का है।

महोदय, मैं यह कहते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं कि सरकार गलत दिशा में जा रही है। राष्ट्र उन्हें माफ नहीं करेगा। अभी भी समय है। आप इसे रद्द करें और इसकी समीक्षा करें। यह सभा इसका निरनुमोदन करती है। हम इसे अस्वीकार करते हैं और हम सिर्फ बोली को रद्द करना ही नहीं चाहते, एक जांच भी चाहते हैं क्योंकि जो भी, हुआ है वह घोटाला है, एक दूसरा घोटाला है। जो लोग इस घोटाले शामिल हैं उनको राष्ट्र कभी नहीं बर्दास्त करेगा।

श्री अनिल बसु (आराम बाग) : महोदय, मैं केवल एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि विश्वस्तरीय सलाहकार की जरूरत क्यों पड़ी। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

---

*कार्यवाही—वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि यह सभा भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड के प्रस्तावित विनिवेश का निरनुमोदन करती है।"

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरुण जेटली) : महोदय, यह अवसर देने के लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। मैं माननीय सदस्य श्री रूपचंद पाल द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

महोदय, मैं यह अवश्य कहना चाहता हूं कि मैं शुरूआत में मुझे हुई निराशा के साथ करूंगा। यह इसलिए कि मुझे यह आशा थी, विशेषरूप से जब नियम 184 के अंतर्गत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, मुझे उसका उत्तर देना था और मेरे मित्र श्री अरुण शौरी को कुछ निश्चित तथ्यों का उत्तर देना था। मैं उन तथ्यों का और इन प्रश्नों का इंतजार करता रहा। ऐसा क्यों है विनिवेश उचित तरीके से नहीं हो सकता ? ऐसा क्यों है कि यह संदिग्ध लेन-देन है ? लेकिन मैं अंत तक इंतजार करता रहा और कोई तथ्य हाथ नहीं लगा। पिछले दो वर्षों से प्राय: प्रत्येक सत्र में वही जाने-पहचाने सामान्य तर्क-वितर्क होते रहे जैसे विनिवेश सही तरीका नहीं है तो हम विनिवेश क्यों करें, हम लाभ-कमाने वाले सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश क्यों करें ? क्या हमें सही मूल्य मिल रहा है ? हमें कौन सी प्रक्रिया अपनानी है आदि। वही पुराने मुहावरे, जिनका प्राय: उपयोग किया जाता रहा है, के अलावा इस लेने-देन के संबंध में कोई नया तथ्य नहीं है, जो यहां रखा गया हो।

महोदय, प्रस्ताव के पीछे का वास्तविक उद्देश्य कुछ मिनट पहले ही स्पष्ट हो गया। इसका उद्देश्य इस लेन-देन के बारे में या नीति के बारे में भी ऐसा कुछ भी अनुचित कहने का उद्देश्य नहीं था, लेकिन कहने का अभिप्राय हमारे वरिष्ठ और आदरणीय नेता श्री चन्द्रशेखरजी द्वारा दिए गए सुझाव के बिल्कुल विपरीत था। वास्तव में, वे दिग्भमित थे और शायद शिव सेना के मेरे विद्वान मित्र ने जो हल्के-फुल्के अंदाज में जो कहा उसके लिए मुझे खेद है। उनका कहने का यह मतलब नहीं था कि सदस्यों को एक-दूसरे से नहीं घुलना-मिलना या एक-दूसरे से नहीं बोलना चाहिए। हम लोगों का एक-दूसरे के प्रति आदर है। लेकिन शायद आपकी यह मंशा थी कि सत्ता के साझेदार दलों के कुछ उन लोगों को आप राजनीतिक रूप से बहलाना चाहते हैं जो आज की चर्चा के दौरान तक उत्तर देंगे। इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की आपकी मंशा का संक्षेप में उन लोगों द्वारा उत्तर दिया जाएगा जिनके विरुद्ध प्रस्ताव किया गया है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, हम किस बात को तरजीह दे रहे हैं *(व्यवधान)*

श्री अरुण जेटली : महोदय, मैं नहीं मान रहा हूं। जब तक कि व्यवस्था का प्रश्न नहीं होता, मैं नहीं मानता हूं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : कृपया आधे मिनट के लिए मान जाइए। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : वे नहीं मान रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, वे चुप हैं, इसका मतलब वे मान गए। *(व्यवधान)* श्रीमान अध्यक्ष महोदय, मैं सोचा था कि इस सभा में कम से कम सदन की मर्यादाओं को तो ध्यान में रखना ही होता है। मुझे लगता है, हम दुश्मन नहीं हैं।

श्री अरुण जेटली : हम भी नहीं हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : लेकिन मुझे ऐसा लगता है क्योंकि आप हम लोगों को इसी तरह से देख रहे हैं।

केवल इसलिए कि मैं श्री राम नाईक के पास गया था और एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की थी जिसका बालको से कुछ भी लेना-देना नहीं है। आप यही कह रहे हैं। तब आप हमें यह बताएं कि क्या आप देश के मामलों से संबंधित किसी भी मुद्दों पर विपक्ष के साथ चर्चा करना चाहते हैं। नहीं तो, आप किस बात का उद्धरण दे रहे थे ? श्री अरुण शौरी बहुत स्पष्ट वक्ता हैं और बुद्धिमान हैं। वे इस सभा में नए हैं। लेकिन मैं यह मानता हूं कि उन्होंने इस सभा की संस्कृति को अपना लिया है। उन्हें अपने आपको इस स्तर तक नहीं लाना चाहिए। बहुत हो गया है। या नहीं, तो हम लोग मंत्री से बिल्कुल ही नहीं बात करेंगे।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रशेखर : अध्यक्ष जी, आप चेयर में थे, अध्यक्षता कर रहे थे। क्या मैंने एक शब्द भी ऐसा कहा जो किसी तरह से ऐतराजतलब हो ? श्री अरुण जेटली को उसमें बड़ा कष्ट दिखाई पड़ा। *(व्यवधान)*

श्री अरुण जेटली : मैंने तो आपका समर्थन किया।

श्री चन्द्रशेखर : मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, मैं पहले से जानता हूं कि आप लोगों का रुख क्या है। मुझे अफसोस इस बात से होता है कि श्री अरुण शोरी और श्री अरुण जेटली, जिनसे मुझे भविष्य में बड़ी आशा थी, इस स्तर पर उतर आएंगे। *(व्यवधान)* जहां पर आप हार्ड फैक्ट्स का जवाब चाहते हैं तो पढ़िए आपके फार्मर सैक्रेटरी ने आपके बारे में जो लिखा है। श्री पाल ने उससे कम कहा है। नेशनल सिक्युरिटी के मैम्बर जैन साहब रोज जो कह रहे हैं, उसे पढ़िए। वे हार्ड फैक्ट्स हैं, उनका आपके पास जवाब नहीं है। मैंने इसलिए अध्यक्ष जी से कहा था कि मैं न इस बहस में हिस्सा लेना चाहता हूं न इस सोच में हिस्सा लेना चाहता हूं। हमारे मित्र अपनी-अपनी बातें कहेंगे और आप देश बेचते रहेंगे। मैं प्रधान मंत्री जी से केवल यह कहना चाहता था कि वे कहते हैं कि बेचने वाला न कोई पैदा हुआ है न खरीदने वाला कोई पैदा हुआ है। इसमें जो फैक्ट है, उसके अलावा आप आदिवासियों की जमीन बेच रहे हैं, धरती बेच रहे हैं और इसके जवाबदेह हैं।

(व्यवधान)

श्री अरुण जेटली : अध्यक्ष जी, चन्द्र शेखर जी ने जो भाव रखा था, मैंने उसका समर्थन किया था और यह कहा था कि मेरे मित्र ने जो कहा, शायद हंसी-मजाक में कहा और वे स्वयं भी यह कह रहे हैं कि हंसी-मजाक में कहा, इसलिए उस बात को ध्यान में न रखा जाए। मुझे पूरा विश्वास था कि इस वक्तव्य के बाद उन्होंने बहस के दौरान जो ऐतराज किया था, वे इस भावना को समझ जाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि इस स्पष्टीकरण को भी उन्होंने किसी दूसरी नजरिए से देखा है।

[अनुवाद]

चर्चा के शुरू करते हुए माननीय संसद सदस्य श्री रूपचन्द पाल जी ने दो विशेष मुद्दे इस महान सदन के सम्मुख रखे। पहला प्रश्न नीति से संबंधित है और दूसरा बाल्को के विनिवेश से संबंधित है। हम विनिवेश क्यों कर रहे हैं। इस देश में पूरी विनिवेश प्रक्रिया का क्या इतिहास है, क्या इस के बारे में पहली बार जब एन०डी०ए० की सरकार सत्ता में आई तब 1998-99 में सोचा गया था या इसमें गत दस वर्षों के दौरान की वह नीति सम्मिलित है जिसे किसी अन्य सरकार ने शुरू किया था, इन सब बातों पर हम बार-बार बहस कर चुके हैं। विनिवेश की नीति के बारे में जो तर्क मैंने दिया है वह कोई नया नहीं है बल्कि यही तर्क 1991 से इस विनिवेश नीति के पक्ष में दिया जा रहा है। वास्तविक तर्क यह है जैसा कि श्री रूपचन्द पाल जी ने ठीक ही कहा कि भारत की जनता के पैसे का किस तरह से उपयोग किया जाना चाहिए, आज की उदार अर्थव्यवस्था के परिदृश्य में जिस प्रकार बड़े-बड़े निगमों में इसका निवेश किया गया है, क्या इस राशि को इन क्षेत्रों में फंसा देना चाहिए जिनमें पहले ही निजी क्षेत्र छाया हुआ है और वह सरकारी क्षेत्र द्वारा निवेश का विकल्प उपलब्ध कराने की स्थिति में भी है तथा सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है। इससे सरकार उस क्षेत्र में बेकार पड़े अपने संसाधनों का उपयोग सार्वजनिक ऋण को चुकाने और शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास आदि जैसे सामाजिक क्षेत्र का विकास करने में कर सकती है।

एक युक्तिसंगत प्रश्न उठाया गया है। मैंने अपने मित्र श्री मणिशंकर अय्यर को कहते सुना कि यह सही नहीं है। मैं उन्हें याद दिला दूं कि इस नीति पर उनके दल की क्या प्रतिक्रिया थी। मैं इस बात का उल्लेख नहीं कर रहा कि उन्होंने 1991 में क्या कहा था और उन्हें 1998 में क्या कहना पड़ा। 1991-96 तक के लिए उनके पास अपने बचाव में केवल यही तर्क है। जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी और उसके पश्चात्, जब दो वर्षों के लिए संयुक्त मोर्चा सरकार एक साम्यवादी दल के साथ सत्ता में थी और अन्य साम्यवादी दल उसे बाहर से समर्थन दे रहा था, उस समय वे किस नीति का समर्थन कर रहे थे ?

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : क्या आप न्यूनतम साझा कार्यक्रम के बारे में बात कर रहे हैं ?

श्री अरुण जेटली : श्री आचार्य मैं न्यूनतम साझा कार्यक्रम की ही बात कर रहा हूं। 1991-96 तक सरकारी क्षेत्र के 40 लाभ अर्जित करने वाले उपक्रमों को छांटा गया। मैं भूल सुधार कर दूं लाभ अर्जित करने वाले सरकारी क्षेत्र के 47 उपक्रमों को *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इस तरह साथ-साथ लगातार बोलने का कोई अर्थ नहीं है। मैं किसी को भी व्यवधान डालने की अनुमति नहीं दूंगा। यह क्या है ?

(व्यवधान)

श्री अरुण जेटली : आज मैं श्री मणिशंकर अय्यर जी को भी अपनी बात वापस लेने नहीं दूंगा क्योंकि मैं बताऊंगा कि कैसे उनके दल को विनिवेश के पक्ष और विपक्ष में बोलना पड़ा। 1991 से 1996 के बीच मैंने कहा कि सरकारी क्षेत्र के 40 उपक्रम परंतु श्री शौरी ने उसमें सुधार करके कहा कि सरकारी क्षेत्र के 47 उपक्रम उनमें से प्रत्येक उपक्रम लाभकारी था। उनमें से प्रत्येक उपक्रम इंडियन ऑयल कंपनी की भांति जो कि ''फार्च्यून'' 500 कंपनियों की सूची में एकमात्र भारतीय कंपनी है। एक प्रतिष्ठित (ब्लू चिप) उपक्रम था, जैसे बी०एस०एन०एल०, भारतीय गैस प्राधिकरण आदि आदि
(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : प्रतिशत कितना है ?

अध्यक्ष महोदय : आपका मन्तव्य क्या है श्री अचार्य ?

श्री बसुदेव आचार्य : मैं तथ्य हासिल करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आपसे दखल देने की उम्मीद नहीं की जाती। आपको सब्र रखना चाहिए।

श्री अरुण जेटली : मैं प्रतिशत भी बताऊंगा। एक प्रश्न उठाया गया है और मेरा कर्त्तव्य उसका उत्तर देना है। मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि गत दस वर्षों के अनुभव ने हमें एक सबक सिखाया है। 1991-98 तक सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के दो प्रतिशत, पांच प्रतिशत, आठ प्रतिशत के लघु शेयर लेकर घरेलु और अर्न्तराष्ट्रीय बाजार में बेचने के लिए रखे गए। और शायद आज, अर्थशास्त्रियों के बीच इस बात पर सर्वसम्मति होगी कि उस तरह से विनिवेश करने के कारण उन शेयरों के वास्तविक मूल्य कि तुलना में बहुत कम मूल्य मिल सका। लोग सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में केवल लाभांश पाने की खातिर निवेश नहीं करते क्योंकि वे उन्हें उस अर्थ में उतना लाभ' देने वाली कंपनियां नहीं मानते। जिसकी आप आज आलोचना कर रहे हैं यह वहीं विनिवेश नीति थी। यह उन सात सालों के दौरान बजटीय घाटे को कम करने हेतु किया गया। आपने कुछ शेयर बेचे और इससे जो कुछ भी पैसा मिला उसका उपयोग बजटीय घाटे को कम करने हेतु कर लिया। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यनिष्पादन में कोई परिवर्तन नहीं आया, इनके कार्यनिष्पादन में कोई सुधार नहीं हुआ, इनमें कोई निवेश नहीं किया गया, प्रबंधन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, प्रबन्धन में कोई व्यवसायिकता नहीं आई। 1991-97 तक तो विनिवेश नीति चली, जिसके तहत सरकारी क्षेत्र की प्रतिष्ठित (ब्लूचिप) कंपनियों के छोटे शेयर बेचे गए वह एक भ्रामक नीति थी। लेकिन फिर भी उस समय उन लोगों ने अपनी सारी सद्इच्छाओं सहित इसे किया क्योंकि वे भविष्य के लिए एक बड़ा एजेंडा सामने रखना चाहते थे।

अब, जो आलोचना की जा रही है वह इस आधार पर की जा रही है कि ''लेकिन हम केवल कुछ छोटे शेयरों का विनिवेश कर

[श्री अरुण जेटली]

रहे थे, चाहे हमें इन शेयरों से घाटा ही क्यों न उठाना पड़ा हो।'' आप शेयरों के महत्वपूर्ण हिस्से की बिक्री करके इनका प्रबन्धन क्यों सौंप रहे हैं ? और जब मैंने यह कहा तो मेरे मित्र श्री मणिशंकर अय्यर खड़े हुए और बोले ''वह अलग प्रकार से थोड़े से शेयर बेचने की बात थी, आप शेयरों का बड़ा हिस्सा बेच रहे हैं।'' इस बात का उन्होंने विरोध किया। क्या मैं एक उद्धरण पढ़कर उनकी याद ताजा कर सकता हूं ? उसमें कहा गया है :

> ''विनिवेश आयोग ने सरकारी क्षेत्र के बहुत से उपक्रमों के संबंध में दूरगामी सिफारिशें की हैं। संयुक्त मोर्चा के इन प्रतिवेदनों की उपेक्षा की है। कांग्रेस विनिवेश आयोग की इन सिफारिशों को गंभीरतापूर्वक और व्यवस्थित ढंग से क्रियान्वित करेगी। इस आयोग को वैधानिक दर्जा देकर इसे एक पेशेवर कार्यकारी निकाय बनाया जाएगा। विनिवेश की प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर बिक्री से प्राप्त धनराशि को बजटीय संसाधनों को प्राप्त करने में उपयोग नहीं किया जाएगा।''

यह कांग्रेस का 1998 का चुनाव घोषणा पत्र है जिसमें कहा गया है कि बड़े पैमाने पर शेयरों की बिक्री का सुझाव विनिवेश आयोग ने दिया था।

संयुक्त मोर्चा सरकार ने विनिवेश आयोग का गठन किया परंतु उसकी सिफारिशों का पालन नहीं किया। उन्होंने कहा : ''हम बड़े पैमाने पर महत्वपूर्ण बिक्री संबंधी विनिवेश आयोग की सिफारिशों को गंभीरतापूर्वक क्रियान्वित करेंगे।'' मेरे मित्रो, आप 1998 में नहीं रुके। 1999 के घोषणापत्र में भी आपने इसके बारे में कहा। सरकारी क्षेत्र के पुनर्गठन के प्रश्न के संबंध में कांग्रेस का आर्थिक नीति और तथ्यों पर एक बहुत महत्वपूर्ण बयान है। कांग्रेस का 1999 का घोषणा पत्र कहता है कि :

> ''जबकि हम यह मानते हैं कि सरकारी क्षेत्र ने सभी मुश्किलों में देश की अच्छी तरह से सेवा की है परन्तु अब वह समय आ गया है कि जब इसकी भूमिका और कार्यक्षेत्र को पुन: परिभाषित किया जाए। बदलते आर्थिक, सामाजिक और प्रौद्योगिकीय अनिवार्यताओं में यह परिवर्तन आवश्यक हो गया है। भविष्य की आवश्यकताएं दूसरी हैं। देश में उद्यम शीलता का विकास प्रौद्योगिकीय विकास और शिक्षा व स्वास्थ्य जैसे अतिआवश्यक क्षेत्रों पर सरकारी क्षेत्र के व्यय की बढ़ती मांग के कारण इस प्रकार का परिवर्तन लाना आवश्यक हो जाता है।''

आज मैंने यही कहा है। मैंने कहा है कि क्या राष्ट्रीय संसाधनों को व्यापार में फंसाना है अथवा क्या इसे शिक्षा, चिकित्सा और अन्य सेवाओं में लगाने की आवश्यकता है। मित्रों, आप यहीं पर नहीं रूक सकते।

आपने यह भी कहा था :

'आणविक ऊर्जा' रक्षा और अंतरिक्ष जैसे महत्वपूर्ण सुरक्षा तथा उच्च प्रौद्योगिकी वाले क्षेत्रों में तथा अवसंरचना के कुछ क्षेत्रों जहां निजी क्षेत्र द्वारा निवेश नहीं किया जाता है वहां सरकारी क्षेत्र का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इसे पूर्ण रूप से वाणिज्यिक और प्रबंधकीय स्वायत्ता के साथ चलाया जाना चाहिए। सरकारी क्षेत्र को नए विकासशील क्षेत्रों और नए उद्योगों पर भी ध्यान देना चाहिए और उन्हें वाणिज्यिक रूप से सफल बनाएं।

विनिवेश आयोग को विनिवेश में सरकारी क्षेत्र में विनिवेश, और पुनर्संरचना प्रक्रिया में विशाल और अधिक सोद्देश्य भूमिका दी जाएगी। आयोग द्वारा विभिन्न सरकारी उद्यमों, विशेषकर उन उद्यमों में जहां महत्वपूर्ण बिक्री की जाती है, के संबंध में की गई सिफारिशों को व्यावसायिक रूप से तथा बिना विलम्ब के कार्यान्वित किया जाएगा।

मित्रों, आप लोगों ने अपने आप को यहीं तक सीमित नहीं रखा। कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में यह कहा गया है।

महत्वपूर्ण बिक्री के संबंध में विनिवेश आयोग की सिफारिशें बिना किसी विलम्ब के कार्यान्वित की जाएंगी।

देश की एक सबसे बड़ी पार्टी ने लगातार दो चुनावों में एक बार नहीं बल्कि दो बार देश के लोगों से यह औपचारिक प्रतिबद्धता की थी। आज हमसे पूछा जा रहा है :

> 'आपने यह मामला विनिवेश आयोग को क्यों भेजा और आयोग की सिफारिशें क्यों स्वीकार की और विनिवेश आयोग द्वारा सुझाए गए ढंग से बालको का विनिवेश क्यों किया।'

ठीक है, मैंने बीच में टोकने वाली कुछ बातें सुनी हैं। जिनमें कहा गया है 'कि जब कांग्रेस और आप एक साथ हैं फिर भी आप एक दूसरे के साथ टकरा रहे हो।'

मैं इस मुद्दे पर आ रहा हूं जो संयुक्त मोर्चे की सरकार और उसके वामपंथी समर्थकों को करना है; मैं उसको बताऊंगा। अभी सामूहिक कार्यसूची के बारे में उल्लेख किया गया था। वर्ष 1996 में दोनों वामपंथी दलों ने सामान्य न्यूनतम कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किए थे जिसमें कहा गया था :

> ''गैर महत्वपूर्ण क्षेत्रों से सरकारी क्षेत्र को अलग करने के प्रश्न पर सावधानीपूर्वक विचार किया जायेगा, यद्यपि यह तभी होगा जब कामगारों और कर्मचारियों के उनकी पद सुरक्षा का आश्वासन दिया गया हो और उन्हें पुन: प्रशिक्षण और पुन: पद पर तैनात करने हेतु वैकल्पिक अवसर प्रदान किये जायें।''

मैं आपकी अर्थव्यवस्था के गुणों पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं।

मैं यह नहीं कह रहा हूं कि यह वांछनीय है अथवा वांछनीय नहीं है। मैं तथ्यगत मामले की बात कह रहा हूं। वर्ष 1996 में न्यूनतम साझा कार्यक्रम में यह केवल संयुक्त मोर्चा और सी०पी०आई० ही नहीं थी बल्कि सी०पी०आई०(एम) भी थी जो गैर महत्वपूर्ण क्षेत्रों से अलग होने की जांच किए जाने पर विचार करने की इच्छुक थी।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : हमने कहा था कि इसकी जांच सावधानीपूर्वक की जाएगी। हमने गैर महत्वपूर्ण क्षेत्रों के बारे में कहा था। *(व्यवधान)*

श्री अरुण जेटली : आप इतने सचेत थे। मुझे आपकी सावधानी के लिए आपको धन्यवाद देना चाहिए। बात यह है कि 23 अगस्त 1996 को, सत्ता में आने के कुछ महीनों के भीतर वे इस कार्य को तेजी से करना चाहते थे।

अपराह्न 3.00 बजे

वास्तव में वे इस वायदे से पीछे हट रहे हैं लेकिन आप अपने वायदे पर कायम रहे और यह कार्य शीघ्रतापूर्वक किया। 23 अगस्त, 1996 को आपकी सरकार ने न्यूनतम साझा कार्यक्रम के अनुपालन में एक अधिसूचना जारी की थी – संयुक्त मोर्चा की सरकार एतद्द्वारा सरकारी क्षेत्र विनिवेश आयोग का गठन करती है। अधिसूचना में कहा गया है कि ओपन सरकारी क्षेत्र विनिवेश आयोग का गठन न्यूनतम साझा कार्यक्रम के अनुपालन में किया था। *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ०प्र०) : हमने यह नहीं कहा था कि लाभ वाली पी०एस०यूज को डिसइंवेस्ट करें।

[अनुवाद]

श्री अरुण जेटली : मैं समाजवादी पार्टी के अपने मित्र जो संयुक्त मोर्चा की सरकार का भाग थे, का यह कहने के लिए आभारी हूं।

[हिन्दी]

हमने यह नहीं कहा था कि लाभ वाली भी डिसइंवेस्ट करें, वे केवल तथ्यों को मद्देनजर रखें।

[अनुवाद]

23 अगस्त, 1996 को आपने आयोग का गठन किया था लेकिन आप की सरकार कुशल सरकार थी, कुछ दिन के भीतर एक माह से कम समय में सितम्बर 1996 में आपने विनिवेश हेतु 40 सरकारी क्षेत्र के उपक्रम का उल्लेख किया था। आप यह बात भली भांति जानते थे क्योंकि आपकी सरकार कुशल सरकार थी कि सरकारी क्षेत्र की कौन से उपक्रम मुनाफा कमा रहे हैं और कौन से घाटे में चल रहे हैं।

पहला उपक्रम एयरइंडिया था जिसका आपने उल्लेख किया। दूसरे उपक्रम में आपने बालको का उल्लेख किया *(व्यवधान)* इस बात को भलीभांति जानते हुए कि बालको एक मुनाफा कमाने वाला सरकारी क्षेत्र का उपक्रम है। मेरा मतलब है कि 1996 में मुनाफा पिछले वर्ष के 27 करोड़ रुपए के मुनाफे के मुकाबले 135 करोड़ रुपए था। जब इसे 135 करोड़ रुपए का मुनाफा हो रहा था तो संयुक्त मोर्चे की सरकार ने न्यूनतम साझा कार्यक्रम को अनुपालन में बालको को विनिवेश आयोग को भेजना उचित समझा।

आज एक प्रश्न यह पूछा जा रहा है। ऐसा क्यों है कि मुनाफा कमाने वाली कम्पनी का विनिवेश करने हेतु चुना जा रहा हैं ?

अपराह्न 3.03 बजे

[श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव *पीठासीन हुए*]

आप इस प्रश्न से भली भांति अवगत हैं कि 1996 में जब आपने इसे विनिवेश आयोग को भेजा। 1997 में विनिवेश आयोग ने अपने पहली रिपोर्ट में लिखा कि बालको एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें सरकार 40 प्रतिशत तक विनिवेश कर सकती है। वर्ष 1998 में उन्होंने कहा था कि बालको एक ऐसी कम्पनी है जिसमें निवेशकों का विश्वास प्राप्त करने के लिए विनिवेश 40 प्रतिशत नहीं होना चाहिए बल्कि 51 प्रतिशत होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी में मेरे मित्र पूर्ण रूप से अवगत थे – मुझे विश्वास है कि वे इससे पूर्णतया अवगत हैं। विनिवेश आयोग की यह रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों में बार-बार पढी जाती हैं। जब 1998 के चुनाव घोषणा पत्र दिया गया तो वे इससे पूर्णरूप से अवगत थे; जब 1999 का चुनाव घोषणा पत्र दिया गया तो उन्हें इसकी पूर्ण जानकारी थी कि एक मुनाफा कमाने वाला सरकारी क्षेत्र का उपक्रम है जहां विनिवेश आयोग ने महत्वपूर्ण बिक्री की सिफारिश की है और उन्होंने अपने चुनावी एजेन्डे में राष्ट्र को यह वायदा किया कि वे विनिवेश ही नहीं करेंगे, बल्कि महत्वपूर्ण बिक्री द्वारा विनिवेश करेंगे और यह सरकार इस कार्य को तेजी से करेगी। इस कार्यनिष्पादन के पृष्ठपट में *(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : आप इसे न्यायोचित ठहरा रहे हैं।

श्री अरुण जेटली : मैं ठीक हूं या नहीं इसका फैसला राष्ट्र करेगा। लेकिन इस वाद विवाद के पीछे काम कर रही अभिप्रेरणाएं इन तथ्यों के स्पष्ट हो जाने पर साफ हो जाएंगी। महोदय, मैं इस विवाद में नहीं पड़ता कि कांग्रेस पार्टी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में क्या कहा था। मैं इस विवाद में नहीं पड़ता। मैं इस प्रकार के वाक्यों और अभिप्रेरणाओं का उपयोग नहीं करता जिनका आप अफसल रूप से उपयोग करने का प्रयास कर रहे हैं जब आपने बालको को विनिवेश आयोग को भेजा क्योंकि इसका एक मजबूत आर्थिक मूलाधार है। और वह मूलाधार न केवल इस तथ्य पर निर्भर है कि सरकारी क्षेत्र का उपक्रम मुनाफा कमा रहा है अथवा उसे घाटा हो रहा है। उसका मूलाधार यह है कि यह धन तो भारतीय जनता का है और यह धन तो करदाताओं का है। क्या इस धन का उपयोग विशेषकर गैर महत्वपूर्ण क्षेत्रों जहां गैर सरकारी क्षेत्र का प्रवेश हो रहा है, गैर सरकारी क्षेत्र निवेश करने के लिए तैयार है। अथवा क्या इस धन का उपयोग भारत के गरीब लोगों की अच्छाई, अवसरंचना के विस्तार, सामाजिक क्षेत्र के विस्तार हेतु शैक्षाणिक और स्वास्थ्य क्षेत्रों के विस्तार हेतु और ग्रामीण विकास क्षेत्रों के लिए किया जाना चाहिए ? क्या इस धन का उपयोग ऋण चुकाने में किया जाना चाहिए जिसमें हम अपने को जकड़ा हुआ पाते हैं जब भी बजट अथवा आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया जाता है अथवा क्या इस धन का उपयोग व्यापार में किया जाना चाहिए ? अन्त में वह कहते हैं कि जब हमने व्यापार में धन लगाया, हमें धन का नुकसान हुआ और इसलिए हमें व्यापार

[श्री अरुण जेटली]

को पुन: चालू करने के लिए कुछ और अधिक धन की आवश्यकता है।

महोदय, एक प्रश्न जिसे विशेषकर वाम मोर्चे द्वारा बार-बार उठाया जाता है, यह है। क्या इस धन का उपयोग बजटीय घाटे को पाटने के लिए किया जाएगा ? यही प्रश्न है जिसे बार-बार उठाया जाता हैं। जब तक सही प्रश्न नहीं पूछा जाता है, सही उत्तर नहीं दिया जा सकता है। सही प्रश्न यह है। बजटीय घाटा पहली बार क्यों होता है ? यह कहा जाता है कि आपके साथ सौतेले पुत्र जैसा व्यवहार किया जाता है, आप इतनी बातें कर रहे हैं लेकिन आप इसे मानने के लिए तैयार नहीं हैं। यह एक अच्छा तर्क प्रतीत होता है, लेकिन यह तर्क बहुत हल्का है। क्या मैं आपके समक्ष आंकड़ों के दो सैट रख सकता हूं और हमें कुछ स्थितियों और नारों से परे रहकर इस बात पर गम्भीर रूप से चिन्तित होना चाहिए न केवल केन्द्र सरकार के स्तर पर बाल्कि संबंधित राज्य सरकारों के स्तर भी चिन्तित होना चाहिए। आज हमारी राज्य सरकारों की वास्तविक स्थिति क्या है ?

वर्ष 1991 से 1999 तक की अवधि के बीच, भारत को सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों, जिनकी संख्या 235 से 240 के बीच थी, से 17, 938 करोड़ रुपये का कुल लाभांश प्राप्त हुआ था। मैं एक दूसरा आंकड़ा भी देता हूं। पहले दस वर्षों में विनिवेश की जमा हुई राशि लगभग 18,000 करोड़ रुपये है और आरोप है कि विनिवेश योग 18,000 करोड़ रुपये की इस धनराशि का अधिकांश भाग कांग्रेस और संयुक्त मोर्चा के शासनकाल के दौरान हुआ है। क्या आप इसका उपयोग बजटीय घाटे को घाटने के लिए कर रहे थे ? अत:, आपको लाभांश के रूप में 17,900 करोड़ रुपये प्राप्त हुए और विनिवेश से 18,000 करोड़ रुपये प्राप्त हुए इस प्रकार कुल 36,000 करोड़ रुपये की कुल वसूली हुई। इस अवधि के दौरान सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को चलाने के लिए आपने 77,006 करोड़ रुपये की धनराशि वापिस इसी में लगा दी। अत: लाभांश और विनिवेश की कुल राशि की लगभग दोगुनी राशि आपने इन उपक्रमों को सुचारू रूप से चलाने के लिए लगा दी। इस आंकड़े को 'द इकॉनॉमिक सर्वे' में प्रकशित किया गया है। माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने बजट में इसे दर्शाया है। गत 10 वर्षों, विशेषकर गत 7 वर्षों में 6 और 6.5 प्रतिशत की विकास दर के लक्ष्य द्वारा गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों की संख्या को 36 प्रतिशत से घटाकर 26 प्रतिशत करके इसे 10 प्रतिशत तक नीचे लाया जा सकता था। आज आप अर्थव्यवस्था को 8 प्रतिशत और उससे अधिक की विकास दर के लक्ष्य के मार्ग पर ले जा रहे हैं। 8 प्रतिशत और उससे अधिक की सतत विकास दर यदि कई वर्षों तक जारी रहे तो इससे गरीबी रेखा के प्रतिशत को अच्छा-खासा घटाकर 26 प्रतिशत तक लाया जा सकता है। अगर यही राष्ट्रीय प्रयास और राष्ट्रीय लक्ष्य हो, तो इस अर्थव्यवम्था से आप किस प्रकार के लाभ और वसूली की आशा करते हैं ?

अब मैं आपके समक्ष वास्तविक प्राप्ति का एक आंकड़ा रखूं। जब हम राज्य सरकारों की स्थिति पर दृष्टिपात करते हैं तो हम उनकी स्थिति बहुत दयनीय पाते हैं। जब तक केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रम विनियमित क्षेत्रों में थे, एकाधिकार क्षेत्र में थे नियंत्रित क्षेत्र में थे, सरकारी मूल्य तंत्र में थे तथा कोई प्रतिस्पर्धा न थी, तबतक उन्होंने अच्छा काम किया। वे जब आपने उदार अर्थव्यवस्था को अपनाया और प्रतिस्पर्धा का प्रवेश प्रादुर्भाव हुआ, तो वे उस स्पर्धा में अच्छी तरह सफल न हो सके। मैं सभा के समक्ष केवल तीन आंकड़े प्रस्तुत करूंगा। आप तेल क्षेत्र की ही लें इस पर सरकार का ही वास्तविक एकाधिकार है। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का कुल लाभ 4,985 करोड़ रुपये है।

तेल क्षेत्र को और विद्युत क्षेत्र को ही लें। ये क्षेत्र हाल तक एकाधिकार वाले क्षेत्र रहे हैं। लाभ घटकर 1,046 करोड़ रुपये हो गया है। कुछ वर्ष पहले तक दो अन्य क्षेत्र जो एकाधिकार से बाहर थे वे हैं – दूरसंचार और वित्तीय सेवाएं। विनियमित क्षेत्रों को ही लें जिनमें सरकारी मौजूदगी काफी है। इससे भी राशि घटकर 2,266 करोड़ रुपये हो गयी। आप 8 प्रतिशत की आर्थिक विकास दर का लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं। एकाधिकार वाले क्षेत्रों को अलग कर दें, विनियमित क्षेत्रों को अलग कर दें और जब विनियमित क्षेत्रों, एकाधिकार वाले क्षेत्रों पर और मूल्य नियंत्रण वाले क्षेत्रों को अलग करेंगे तो आप पायेंगे कि अर्थव्यवस्था घाटे में चली जायेगी।

राज्यों में जो हो रहा है आप उस पर दृष्टिपात करें। यदि ऐसी मांगें की जाये और इस प्रकार के मुद्दे उठाये जाएं, और यदि राज्यों में सुधार प्रक्रिया की गति तेज न की जाए, तो हमें इस बात से अवश्य सहमत होना पड़ेगा कि राज्यों की अर्थव्यवस्था की हालत खराब है। आज राज्यों में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या 946 है। जिनमें से 241 उपक्रम बंद कर दिये गये हैं और वे बिना किसी काम के मजदूरी दे रहे हैं, और 551 उपक्रम घाटे में चल रहे हैं। 100 उपक्रमों का कोई हिसाब-किताब उपलब्ध नहीं है। क्या हम इसी प्रकार से आठ प्रतिशत की विकास दर का लक्ष्य वाली प्रतिस्पर्धात्मक और दक्ष अर्थव्यवस्था प्राप्त करेंगे ? *(व्यवधान)*

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय : पश्चिम बंगाल की स्थिति अलग से स्पष्ट करें।

श्री अरुण जेटली : महोदय, मैं आपको पश्चिम बंगाल की स्थिति से भी अलग से अवगत कराऊंगा। *(व्यवधान)*

श्री रूपचन्द पाल : जब आपके पास जवाब न हो तो सबसे बढ़िया तरीका बालको पर ध्यान केंद्रित नहीं करना है।

श्री अरुण जेटली : महोदय, क्या मैं सभी सदस्यों के प्रति सम्मान प्रकट करते हुए यह कह सकता हूं कि मैं इसका जवाब दूंगा ?

[हिन्दी]

सभापति महोदय : माननीय मंत्री जी आप अपनी बात कहिये। इस तरह से आर्गूमेंट्स में मत जाइये।

[अनुवाद]

श्री अरुण जेटली : सरकारी क्षेत्र के 946 उपक्रमों में से 241 उपक्रम कार्य नहीं कर रहे हैं। 551 उपक्रम घाटे में चल रहे हैं और

100 उपक्रमों के संबंध में कोई हिसाब-किताब नहीं है। क्या इसे ही हम 'फैमिली सिल्वर'' कहते हैं ? यदि शेयरों का हस्तांतरण किया जाता है तो कोई प्राइवेट पार्टी आती है और कहती है : ''ठीक है, मैं इन इकाइयों का पुनरूद्धार करने का प्रत्यन करूंगा। मैं इन नौकरियों को बचाने की कोशिश करूंगा। मैं यह प्रयास करूंगा कि ये इकाइयां विकास करें, करों का भुगतान करें, सरकार के उत्पाद और अन्य शुल्क का भुगतान करें।'' यही फैमिली सिल्वर की बिक्री है।

ठीक है, जब तक बालको की बात करते हैं, तो मैं इसी के संबंध में विनम्रपूर्वक एक तथ्य रखना चाहता हूं। यह एक राय है। आपको इसे अस्वीकार करने का अधिकार है। विश्व के कम-से-कम 40 देशों में निजीकरण की प्रक्रिया की मैं शैक्षिक स्तर पर जांच कर रहा हूं। आर्थिक तर्क यह है कि इन 946 उपक्रमों को राज्य क्षेत्र में रखा जाए, करदाता से इसका भुगतान कराया जाए। सड़कों और अस्पतालों का निर्माण न किया जाए। आखिरकार, जब हमने कपड़ा मिलों का राष्ट्रीयकरण किया, हमने उस दिन की शाम तक कितने रोजगार बचाये थे ? महोदय, 7000 करोड़ रुपय का नुकसान इसमें केन्द्र की धनराशि के लगने के कारण हुआ। अगर हम उस समय उचित दिशा देख पाते तो कितने सारे अस्पताल और सड़कें बन जाती ? गैर-रणनीतिगत क्षेत्रों में इन्हें संरक्षित किये जाने के पीछे आर्थिक तर्क 40 देशों में से प्रत्येक देश में खो गया है। अत: जिन्होंने यह आर्थिक तर्क खो दिया है उनकी रणनीति क्या है ? आप यह नहीं कह सकते कि मेरा आर्थिक दर्शन और विचाराधारा गलत है। जब भी कोई सौदा किया जाता है, तो असम्बद्ध मामले उठाए जाते हैं और उस सौदे में घोटाला हुआ बताया जाता है। हो सकता है आपके धूमिल हो चुके इन सिद्धांतों को कुछ समर्थन प्राप्त हो जिससे कि आपको कुछ फायदा हो। यही रणनीति है।

श्री रूपचन्द पाल : विश्व बैंक की नवीनतम रिपोर्ट देखें। वे राज्यों की भूमिका को बहाल करने की सलाह दे रहे हैं।

श्री अरुण जेटली : जी हां, मैं इसकी जांच करूंगा। मुझे विश्वास है जब भी और जहां भी आपको अवसर मिलेगा आप कृपया अपने दर्शन के अनुरूप ही कार्य करें।

पश्चिम बंगाल में, 14,081 करोड़ रुपये के निवेश वाले सरकारी क्षेत्र के 80 उपक्रमों का घाटा, दिनांक 31.3.2000 के अनुसार पहले ही 3,382 करोड़ रुपये हो गया है। कृपया मुझे यह कहने दें। यह वह क्षेत्र नहीं है कि जहां मैं वाम दलों बनाम ग०ज०ग० के संबंध में कहना चाह रहा हूं। यही वह क्षेत्र है जिनका भारत के लोगों से वास्तविक संबंध है। इसका इतना ही संबंध पश्चिम बंगाल के लोगों से है। 3,382 करोड़ रुपये का घाटा क्यों हुआ ? राज्य में, विशेष रूप से राज्य के पिछड़े जिलों में इस धनराशि से कितना विकास कार्य हो सकता था ? लेकिन इस बारे में हमारी कुछ रायें हैं। हम उन्हें संरक्षित रखना चाहते हैं। यदि यह आरोप लगाया गया है, तो कि जब मैं बालको सौदे की बात करते समय हूं तो मुझमें जिसका मैं सम्मान करता हूं, मुझे यह कहने दें कि इसमें हमें चार वर्ष लगे। ऐसे सौदे में चार वर्ष नहीं लगने चाहिए, लेकिन इसी एक बात के कारण, जहां हमें बालको सौदे को शीघ्र निपटाना है, मैं एक पारदर्शी सौदे के स्पष्ट पहलू को बताऊंगा। जो भी पारदर्शी सौदा नहीं है, उस मुद्दे को आप अवश्य उठायें। आपको पश्चिम बंगाल में यह मुद्दा उठाने का अवसर मिलेगा।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : पश्चिम बंगाल इसकी खुद देखभाल करेगा। मेरी माननीय मंत्री जी केवल इतनी प्रार्थना है कि वह केवल भारत की ही चिंता करें *(व्यवधान)*

श्री अरुण जेटली : मेरा पश्चिम बंगाल में इस मुद्दे को उठाने संबंधी उनकी इस महान योग्यता में विश्वास सत्य होता जा रहा है। *(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : यदि माननीय मंत्री महोदय और श्री आडवाणी ने 1977 और 1989 में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार में शामिल न हुए होते तो पश्चिम बंगाल को बचाया जा सकता था। *(व्यवधान)*

श्री अरुण जेटली : ठीक है, कम से कम मुझे इस बात का स्पष्ट पता है कि श्री रूपचन्द पाल की स्थिति क्या है, मुझे यह भी स्पष्ट है कि हमारी स्थिति क्या क्योंकि मुझे यह स्पष्ट नहीं है कि विनिवेश के मुद्दे पर श्री दासमुंशी की क्या स्थिति है। *(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : जहां तक भा०ज०पा० का संबंध है हम वहीं खड़े हैं जहां तक खड़े थे। और अभी भी हम वहीं खड़े हैं। वे अपना पक्ष बदल देते हैं। *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मंत्री महोदय, कृपया अध्यक्ष पीठ को संबोधित कीजिए।

श्री अरुण जेटली : मैं उनसे पश्चिम बंगाल वापिस जाकर यह पता लगाने का अनुरोध करना चाहूंगा कि पश्चिम बंगाल में हुए प्रक्रियागत दो विनिवेशों में से दोनों या कम से कम एक, बोली लगाने के द्वारा किए गये हैं या नहीं। उन्हें उत्तर मिल जायेगा। उन्हें यह मुद्दा वहीं उठाने का भी अवसर मिल जाएगा; यहां नहीं, क्योंकि यहां सरकार ने पूरी तरह पारदर्शी प्रक्रिया से काम किया है।

महोदय, 'बालको' के इस मुद्दे पर वापस आता हूं, मैंने इसके बारे में दो बुनियादी बातें कहीं है। 1997 में विनिवेश आयोग कहता है कि '40 प्रतिशत; 1998 में – वह दूसरी रिपोर्ट थी, और आज पहली बार मुझे लगा कि श्री जी०वी० रामकृष्ण जैसी असंदिग्ध विश्वसनीयता वाले व्यक्ति पर भी यह आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने उसे 40 प्रतिशत से बढ़ाकर 51 प्रतिशत केवल अपनी निजी सिफारिश के बतौर किया, न कि आयोग की सिफारिश के बतौर।

आयोग ने एक पांचवी रिपोर्ट भी दी थी और इस तरह की बात उठाना ज्यादा महत्व नहीं रखता, क्योंकि श्री जी०वी० रामकृष्ण जैसे व्यक्तियों को हमारे जैसे कुछ लोगों – जिनकी विश्वसनीयता और निष्ठाएं जगजाहिर हैं – को सन्देह से नहीं तौला जा सकता। आयोग ने अपनी दूसरी रिपोर्ट में कहा – 40 प्रतिशत। उसने एक संशोधित रिपोर्ट प्रस्तुत की, जो पांचवी रिपोर्ट थी। फिर, उन्होंने अपने सुझाव को बदलकर इसे 51 प्रतिशत कर देने को कहा।

[श्री अरुण जेटली]

शायद उन्हें लगा हो कि महत्व के क्षेत्रों में बिक्री कहीं अधिक मूल्य की रहेगी। यह 1998 की बात है। 1998 से, इस सौदे में जो भी कमद उठाया गया, उसे निजी बातचीत के जरिये तय नहीं किया गया – हम यूं भी कह सकते हैं कि हम परिसंपत्तियां नहीं बेच रहे, हम केवल शेयर बेच रहे हैं। 'ग्रेट ईस्टर्न होटल' के मामले में, परिसंपत्तियां नहीं बेची गईं, उन्होंने केवल एक प्रबंधनगत अनुबंध किया। लेकिन दिल्ली में, जब होटल प्रबंधनगत अनुबंध करते हैं, तो वे 14 प्रतिशत और 21 प्रतिशत राशि का भुगतान करते हैं, न कि 4 प्रतिशत का। जब आई०टी०डी०सी० का विनिवेश किया जायेगा, तो बहुत से होटल संभवत: प्रबंधनगत अनुबंध कर लेंगे। परन्तु, क्या तब हम आई०टी०डी०सी० के मामले में भी यही बात करेंगे कि हम बोली लगाकर ऐसा नहीं कर रहे बल्कि निजी बातचीत के जरिये कर रहे हैं, क्योंकि परिसंपत्तियां नहीं बेची जा रही हैं। वैसे भी, किसी कम्पनी के शेयर बेचे जाते हैं, परिसंपत्तियां नहीं। सही विधि यह है, और मैं यहां सरकार को थोड़ा संदेह का लाभ भी देना चाहूंगा कि उसे व्यापार-प्रक्रमों की जानकारी कम थी और इसीलिए, उसने इसे बातचीत के जरिए करना तय किया, बजाय बोली लगाकर करने को।

'बालको' के संबंध में हरेक निर्णय बोली लगाने की एक पारदर्शी प्रक्रिया द्वारा किया गया। जार्डिन फ्लेमिंग को कैसे नियुक्त किया गया? आप एक विज्ञापन निकालते हैं, शर्तें निर्धारित करते हैं – जैसे सलाहकार-निकाय का अधिकार-क्षेत्र इत्यादि; आप प्रस्ताव आमंत्रित करते हैं और फिर ऐसे सर्वश्रेष्ठ प्रस्ताव का चुनाव करते हैं जिसकी विश्वसनीयता हो, साख हो; जिसका विश्वस्तर पर या घरेलू स्तर पर अनुभव हो। घरेलू क्षेत्रगत के बहुत से भारतीय निगम-क्षेत्र के सलाहकारों को भी विनिवेश आयोग में रखा गया था। इस तरह, विश्वस्तरीय सलाहकार तक को एक पारदर्शी बोली-प्रक्रिया द्वारा चुना जा रहा है।

ये जानना चाहते थे कि ऐसा कैसे किया जाता है और किन शर्तों पर किया जाता है। मान लिया, लेकिन क्या ये केवल प्रक्रियागत बारीकियां भर ही हैं? यदि ये जानना ही चाहते थे, तो वह एक प्रश्न के उत्तर के स्वरूप में इस सम्मानित सभा के समक्ष पहले ही प्रस्तुत किया जा चुका है। मेरे साथी, श्री अरुण शौरी फिर से यह कर देंगे। फिर, जब आप अनुबंध-समझौता, शेयर-धारक के साथ किया जाने वाला समझौता, तय करते हैं, तो आप वैसा चुपचाप नहीं करते। ऐसा आप कर नहीं सकते; आप उस आदमी के साथ ऐसा कर रहे होते हैं, जो अंतत: इस सौदे में सफल होगा। जब ऐसे सभी लोग आपकी प्रस्ताव की पेशकश करते हैं कि वे इन शेयरों को खरीदने के लिए क्षमतावान हैं और इच्छुक हैं; तो आप उन सबको बुलाते हैं। अंतिम विक्रेता को हम नहीं जान पाते। एक प्रारूप-अनुबंध तैयार किया जाता है। फिर इस प्रारूप पर बातचीत होती है और नाम और धनराशि को छोड़कर, हरेक शर्त निर्धारित की जाती है और यह हरेक सफल बोलीकर्त्ता पर लागू होता है।

उसके पश्चात्, बोली लगाने की प्रक्रिया चलती है। लेकिन, आपका यह कहना सही था कि बोली-प्रक्रिया में भी त्रुटियां हो सकती हैं। ऐसा हो सकता है कि बोली-प्रक्रिया में आपको सर्वोत्तम मूल्य न मिले। हो सकता है कि बोली लगाने की प्रक्रिया में भी आर्थिक समूह बन जाए। तब ऐसी दिक्कत से हम अपने को कैसे बचायेंगे? जब बोली प्रक्रिया आरंभ होने की होती है, तो अंतर्राष्ट्रीयत: मान्य तीन प्रादर्श लिये जाते हैं, जिनके द्वारा मूल्य निर्धारण किया जाता है। पहला प्रादर्श परिसंपत्तियों की अंकित मूल्य निर्धारित करता है। लेकिन सामान्यत: यह पाया जाता है कि अंकित मूल्य आपको सदैव सर्वोत्तम मूल्य उपलब्ध नहीं कराती। तो, हम इसे केवल एक संकेत मात्र मानते हैं। तुलनात्मक सौदों या तुलनात्मक बिक्री का मूल्य क्या हो? एक से सौदे – मान लो यदि ऐसी स्थिति आ जाये तो – किस मूल्य पर लाभकारी सिद्ध होंगे? यह द्वितीय मूल्यांकन है। तीसरा मानक, जिसे अंतराष्ट्रीयत: सर्वोत्तम संकेत-मानकों में से एक समझा जाता है, वह है – मितीकारा नकदी-प्रवाह मूल्य निर्धारित करना। जब कोई एक चलते व्यवसाय को खरीदता है तो वह यह देखता है कि इस व्यावसाय में कितनी क्षमता है; यह व्यवसाय कितना नकदी प्रवाह देता है; इस व्यवसाय की उत्पादकता कितनी है; और तब, आप मितीकाय नकद-प्रवाह का मूल्य निर्धारित करते हैं।

सलाहकारों का कहना था कि ये मानक पर्याप्त हैं। इन्हें सरकारी क्षेत्र में कैसे बनाए रखा जाएगा, यह बहस का विषय हो सकता है, जिसे समर्थन प्राप्त नहीं हो रहा। इस मुद्दे पर समर्थन न मिलने के कारण, इस सौदे पर घोटले का वातावरण बन सकता है। तो, हम संतुष्ट नहीं थे; विनिवेश विभाग में मेरे साथी इन तीनों मूल्य-मानकों से संतुष्ट नहीं थे। उनका कहना यह था, "यद्यपि अंतर राष्ट्रीयत: इसे बहुत प्रसांगिक नहीं समझा जाता, तथापि मैं परिसंपत्तियां निर्धारित वाले मानक को भी लेना चाहूंगा।" कम्पनी को बन्द नहीं किया जा रहा है। उसकी भूमि को नहीं बेचा जा रहा है। यह भूमि किसी भी अमुक या तमुक को नहीं दे दी जायेगी। यह भूमि उस कम्पनी की संपत्ति रहेगी, जिसमें हमारा 49 प्रतिशत शेयर रहेगा। इसीलिए, हमने चौथे मूल्य-मानक को भी ले लिया। हमने इन चारों मूल्यांकन-मानकों को बहुत गोपन रखा हैं और हम इनका प्रचार नहीं करेंगे। फिर, हमने अलग-अलग पार्टियों से बोली लगाने को कहा है। और जब इन चारों मानकीकृत मूल्यों में किसी से भी अधिक मूल्य की बोली लगी, तो मैं दोहराता हूं कि – इन चारों मानकीकृत मूल्यों में से किसी से भी अधिक मूल्य की; केवल तभी विनिवेश विभाग ने यह सोचा कि "आज हमें इस संपत्ति का सर्वोत्तम मूल्य प्राप्त हो रहा है।" मैं तो स्वयं से भी यह पूछ सकता हूं," इससे अधिक पारदर्शिता और क्या होगी?" मूल्य, बाजार की भुगतान करने की क्षमता और इच्छा से निर्णीत होता है। मूल्य केवल कुछेक अपसूचित सुझावों के बल पर नहीं बढ़ा सकते। प्रैस-वक्तव्य, प्रैस-रिपोर्ट, भाषण

(व्यवधान)

श्री रूपचन्द पाल : 'इंजीनियर्स इंडिया', 'मेकॉन' और दूसरे संगठनों जैसे मूल्यनिर्धारण – विशेषज्ञ भी अन्य कहीं नहीं हैं, जो सक्षम और प्रतिष्ठाप्राप्त हैं। *(व्यवधान)*

श्री अरुण जेटली : मूल्य उससे निर्धारित होता है, जो आप बाजार से पाते हैं। इसमें पारदर्शिता प्रतीत हो, इसीलिए जिस दिन यह प्रश्न उठा, उसी दिन मेरे साथी श्री शौरी ने कहा, "इस कम्पनी को देखिए।

इसका लाभार्जन 135 करोड़ रु० था, इस वर्ष वह नीचे गिरकर 27 करोड़ रु० हो गया।'' *(व्यवधान)*

श्री रूपचन्द पाल : क्यों ? यह तर्क ही गलत है। *(व्यवधान)* एक इकाई की एक ही तो समस्या थी *(व्यवधान)*

श्री अरुण जेटली : इस 'क्यों' का उत्तर श्री शौरी देंगे। आप कृपया हमें यह बतायेंगे कि 3800 करोड़ रु० की वह धनराशि पश्चिम बंगाल में क्यों डूब गई *(व्यवधान)* वह निश्चित ही इस 'क्यों' का जवाब देंगे *(व्यवधान)*

श्री रूपचन्द पाल : यदि आप चाहते हैं, तो अलग वक्तव्य दे सकते हैं। आप अब अपनी बात से क्यों हट रहे हैं ? इस तरह आप बच नहीं सकते *(व्यवधान)*

श्री अरुण जेटली : मैं अपनी बात से हट नहीं रहा। मेरे साथी, श्री शौरी आपको बतायेंगे कि 'क्यों ?' *(व्यवधान)* लाभार्जन गिरकर 27 करोड़ रु० रह गया। आखिर, सरकार को लाभांश के रूप में मिल ही क्या रहा है ? महोदय, हमें इन मानकों की तरफ देखना चाहिए। सरकार की एक सौ प्रतिशत हिस्सेदारी थी। हमने इक्विटी को कम किया और सबसे पहले 244 करोड़ रु० की राशि घटा दी। 51 प्रतिशत शेयर धारिता से हमें 551 करोड़ रु० मिल रहे हैं।

अब, आज हमें 800 करोड़ रु० मिल रहे हैं; 244 करोड़ रु० जमा 551 करोड़ रु० जमा 49 प्रतिशत शेयर धारिता; जो आगे भी हमें — जब और जैसे भी सरकार वर्धित मूल्यों पर कोई निर्णय लेगी — लाभ प्रदान करती ही रहेगी। यदि हम इस सारे परिदृश्य को देखें, तो कहिए, हम किससे प्रति न्याय कर रहे हैं ? हमें पिछले साल क्या मिला ? 7 करोड़ रु०। लाभांश रहा — 23 करोड़ रु०, फिर *20 करोड़ रु०, 18 करोड़ रु० और फिर 7 करोड़ रु०।* पिछले चार सालों में लाभांश की स्थिति यह रही। 7 करोड़ रु० के लाभांश के लिए, मान लो 51 प्रतिशत का अर्थ 551 करोड़ रु० है — मैं उस 244 करोड़ रु० को अभी भूल जाता हूं। जो आपने वापिस कर लिए हैं — तो इसका मूल्य एक हजार रु० के लगभग ठहरेगा, जिसका हमने अनुमान लगाया। 1000 करोड़ रु० की जनसंपत्ति पर, आज के करदाता के धन पर; हम लाभांश के रूप में मात्र 0.7 प्रतिशत पा रहे थे। हम क्या पा रहे थे — मात्र 0.7 प्रतिशत। और सरकार की देनदारियों के रूप में, सरकार का कामकाज चलाते रहने के लिए, हम 11 प्रतिशत का भुगतान करते हैं। अब, यह स्टेटमेन्ट देखिए। क्या हम ऋण जाल में फंसने जा रहे हैं ? 1000 करोड़ रु० मूल्य की परिसंपत्तियों पर, हमें मिल तो रही है 7 करोड़ रु०; अर्थात्, 0.7 प्रतिशत धनराशि, जबकि हमें देनदारियों के रूप में देना पड़ रहा है — 11 प्रतिशत अंश। यदि हमने ऐसा किया और ऐसा करते रहे तो मुझे यकीन है कि हम न केवल भारत के करदाताओं बल्कि भारतवासियों के साथ न्याय नहीं करेंगे।

लेकिन, हम इस बात पर भी गंभीर रूप से चिंतित हैं कि विनिवेश का उद्देश्य कार्यनिष्पादन बेहतर करना है। जो यह नहीं समझते, वो कहेंगे कि यह बेचना है, बंद कर देना है। कार्यनिष्पादन, बेहतर बनाना उद्देश्य है। यह विश्वव्यापी अनुभव है। आप कार्यनिष्पादन बेहतर बनाइये। आप रुग्णइकाईयों, जो इकाइयां बंद होने के कगार पर हैं, जो अभी तो लाभ कमा रही हैं, लेकिन अब उनका लाभ कम होता जा रहा है, उनकी बात कीजिए। इकाईयों का घाटा बढ़ रहा है। लाभ बढ़ना चाहिये। इकाईयों की संपत्ति बढ़नी चाहिए। इसी तरह नौकरियां बचाई जा सकती है। केवल यह कहकर कि इकाई रुग्ण है, नौकारियां नहीं बचायी जा सकती। करदाताओं का धन इस इकाई में पुनः लगाइये। कुछ समय के लिये इन्हें वापिस लाभ की दिकति में लाने में मदद कीजिए। हमनें कई राज्यों के आकड़ें देखे हैं। राज्य सरकारों की 946 इकाईयों में से कितनी घाटे में चल रही हैं ? उनमें से कितनी खाता नहीं रखती ? क्या उन इकाईयों में हम नौकारियां बचा पायेंगे।

सभापति महोदय, न तो यह अच्छी राजनीति है, न अच्छी अर्थनीति है और न ही राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था या करदाताओं के धन का उचित प्रबन्धन है। लेकिन कामगारों के हितों को लेकर हम गंभीर रूप से चिंतित हैं। शेयरधारकों के समझौते में जैसा कि पहले की महत्वपूर्ण बिक्री में हुआ है, हम यह मानते हैं, यहां तक शेयरों के खरीददार भी सोचते हैं कि किसी की भी छंटनी नहीं की जायेगी। हमारा विचार है कि कोई भी नौकरी से निकाला नहीं जायेगा। अगर कभी ऐसा होता है, तो यह तुरंत नहीं होगा। अगर ऐसा कभी हुआ, तो जो भी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के संबंध में सरकार भुगतान कर रही है, यदि सरकार प्रबंधन में होती, तो वह जो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का भुगतान करती, उतनी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का भुगतान या उससे अधिक आप करेंगे। जहां तक इकाई का संबंध है। आपको श्रमिकों के हितों का भी ध्यान रखना पडेगा।

महोदय यह बड़े खेद का विषय है कि जब केन्द्र सरकार सुधार की प्रक्रिया में, आर्थिक नीतियों का अनुसरण करती है, तो राज्य में एक ऐसा व्यक्ति भी होता है, जो प्रभावशाली स्थिति में होता है, और वह होता है, मुख्यमंत्री। सभी लेन देन छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्यों के अधिकारियों के सहयोग से ही पूरे किये जाते हैं। सभी चरणों में इन सभी अधिकारियों ने भाग लिया था। उन्होंने सहयोग लिया था। ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री अचानक एक दिन नींद से जागे और आरोप लगा दिया कि बालको का विनिवेश किया जा रहा है। बालको का विनिवेश 1996 में शुरू हुआ था। वे जब वहां के मुख्यमंत्री बने, तो उन्हें ये सब पहले से ही पता था कि बालको के विनिवेश की प्रक्रिया जारी है। वे जानते थे कि अन्तर्राष्ट्रीय सलाहकारों की नियुक्ति हो चुकी है। उन्हें पता था कि बोलियां आमंत्रित की जा चुकी है। परंतु, ऐसा प्रतीत होता है कि इस निर्णय की घोषणा के उपरांत ही उन्हें दुख पहुंचा। उन्होंने विनिवेश के विरोध का कारण यह बताया कि उसे कम मूल्य पर बेचा गया। मेरे मित्र श्री अरुण शौरी ने उन्हें बताया था जो कि वह हर व्यक्ति से बताते फिर रहे हैं कि मिठाई का स्वाद खाने में ही है। मूल्यांकन का सबूत बेहतर मूल्यांकनकर्त्ता को प्रस्तुत करके ही दिया जा सकता है। मूल्यांकन का सबूत अभिज्ञ सुझाव नहीं होते। आप कृपया बेहतर मूल्यांकनकर्त्ता लाइये, यदि वे कहीं मौजूद हैं। और इसका उत्तर है ऐसा बेहतर मूल्यांकनकर्त्ता ला नहीं सकते। परंतु विरोध के रास्ते पर आगे बढ़ते रहेंगे और केवल बदनाम करेंगे।

[श्री अरुण जेटली]

मेरे सहकर्मी श्री अरुण शौरी विभिन्न प्रश्नों का उत्तर देंगे जो उन्होंने उठाया है परंतु मुझे एक बात कहने दीजिए, यह एक ऐसी नीति है जिसका प्राय: सभी दलों की सरकारों ने अनुसरण किया है। कांग्रेस पार्टी ने तो अपने 1988 और 1999 के घोषणा पत्रों में तो भारत की जनता से यह वायदा किया था कि विनिवेश आयोग द्वारा संस्तुत महत्वपूर्ण बिक्रियों को जारी रखेगी – इस सदन को नहीं, तो भारत की जनता को तो स्पष्टीकरण देना ही पड़ेगा। निश्चय ही यदि कांग्रेस पार्टी इस प्रकार के विनिवेश के विरुद्ध है तो मेरे पास कर्नाटक में चल रहे विनिवेशों की सूची उपलब्ध है।

कर्नाटक में सरकारी क्षेत्र के 17 उपक्रम हैं मध्य प्रदेश में 27 उपक्रम हैं, महाराष्ट्र में सरकारी क्षेत्र 6 उपक्रम और राजस्थान में सरकारी क्षेत्र के 11 उपक्रम है, जिनका विनिवेश निर्धारित है। ऐसा नहीं हो सकता कि दिल्ली के लिए एक नीति हो, और राज्यों के लिये दूसरी। ऐसा नहीं हो सकता कि अपने घोषणा पत्र में तो वह एक वायदा करें और बाद में यह कह कर पूरी तरह अपनी बात से उलट जाय कि वे इससे प्रतिबद्ध नहीं हैं। और हमसे यह पूछा जा रहा है कि हमारी नीति क्या है ?

कृपया अपने 1999 घोषणा पत्र को पढ़िये। हमारी नीति उससे बहुत अलग नहीं है। किसी श्वेत पत्र की जरूरत नहीं है। किसी संयुक्त संसदीय समिति की जरूरत नहीं है। यदि आप यह कहना शुरू करें, तो कल यही बात सारे राज्य कहेंगे कि हमें भी विधायकों की एक समिति बनाने दीजिए और तत्पश्चात् विधायकों की वह समिति निविदायें खोलने और उनकी जांच करने लगेगी।

एक माननीय सदस्य : इसमें कोई गलत बात नहीं है।

श्री अरुण जेटली : हां, इसमें कोई गलत बात नहीं है। प० बंगाल में एक होटल की प्रबंधन निविदा को निजीकरण बातचीत से हल करने की बजाय, उसको यही रास्ता अख्तियार करके दूसरे के दिये उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिये था। *(व्यवधान)*

अंत में मैं एक बात कहना चाहता हूं सुधार की प्रक्रिया सरल नहीं है। मैं कुछ लोगों को जानता हूं और उनसे सहमत न होते भी उनका आदर करता हूं जैसे कि जो रूप चंद पाल। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सुधार लाते हैं या जिसे हम सुधार कहते हैं परंतु कुछ लोग ऐसे भी हैं, जो इसका हमेशा विरोध करते हैं – क्योंकि उनका सैद्धान्तिक विरोध ही गलत है। परन्तु मैं यह समझ नहीं पा रहा हूं कि जो आज भी समझ नहीं पाते कि सुधार कैसे होता है और वह किस तरफ है ?

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : मैंने माननीय विधि, न्याय और कंपनी मामलों के मंत्री महोदय के भाषण को ध्यानपूर्वक सुना है, जो उच्चतम न्यायालय के विख्यात वकील हैं और श्री अटल बिहारी वाजपेयी के मंत्रिमंडल में श्री रामजेठमलानी के सही विकल्प हैं जो सभी ख़राब मामलों की हर प्रकार से वकालत कर सकते हैं। परंतु एक वकील के मामले में जब वह जिरह कर रहा होता है, तो एक न्यायाधीश फैसला देने के लिये उपलब्ध होता है, परंतु यहां दुर्भाग्यवश मेरे परम मित्र यह भूल गये कि यह संसद है, कोई न्यायालय नहीं, और यहां न तो माननीय अध्यक्ष महोदय ही कोई फैसला दे सकते हैं और न ही आप। यह तो संसद की बुद्धिमत्ता पर निर्भर है, यह संसद का फैसला है और यह लोगों की इच्छा है जिसपर अमल होगा।

जब हमने यह मुद्दा उठाया था, तब हमने यह मामला इसलिये नहीं उठाया था कि कांग्रेस पार्टी सुधारों का विरोध करती है, बल्कि हम तो यह दावा करते हैं, कि हमने इसका प्रयास किया, हमने अर्थव्यवस्था के अन्तर्राष्ट्रीय रूप के निर्माता थे और हमने देश में अर्थव्यवस्था की विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया की पहल की। हमने जिस तरह भाजपा पक्ष ले रही है, कभी किसी का पक्ष नहीं लिया।

जब आप विपक्ष में थे तो आपने सुधारों के सवाल पर कांग्रेस की नेकनीयती पर प्रश्न चिन्ह लगाया। जब आप विपक्ष में थे, मेरे प्रिय साथी अरुण जेटली भूल गये कि किस तरह उन्होंने बालाडीतल से लेकर प्रत्येक मुद्दे पर प्रश्न किया और उन्हें लगा कि सभी कुछ गलत है, सबमें घोटला है। हम ऐसा नहीं कह रहे हैं। हम मानते हैं कि विनिवेश जरूरी है। हमने माना कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का पुनरुद्धार और पुर्नगठन जरूरी है और अपने विचार बदल नहीं रहे हैं। हम 1999 के अपने घोषणा पत्र से हट नहीं रहे हैं। लगता है कि श्री जेटली कांग्रेस बुखार से पीड़ित हैं और इलाज के लिये इन्हें एण्टी बायोटिक्स की जरूरत है। फैसले और संस्तुति में अंतर है।

रूचि व्यक्त करने और अंतिम निर्णय में अंतर है। मेरे मित्र श्री अरुण जेटली इस अंतर को समझेंगे। सिफारिशें अनिवार्य नहीं होती इरादा वापस लिया जा सकता है। लेकिन निर्णय अटल होता है, जो सरकार का निर्णय होता है।

महोदय, मैं अपने आपको सिर्फ बाल्को तक सीमित रखता हूं। मैं पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, कर्नाटक इत्यादि की अर्थव्यवस्था को लेकर बालको के मुद्दे को घसोटना नहीं चाहता तथा उन्होंने सभा को भ्रमित किया और उन्होंने उसे विश्व अर्थव्यवस्था से नहीं जोड़ा। मैं सिर्फ बालको तक सीमित रहना चाहता हूं और यह साबित करूंगा कि यह सौदा किस प्रकार अपारदर्शी, सुविचारित, कपटपूर्ण, कामगारों को धोखा देने वाला, सरकारी क्षेत्र के साथ धोखा और राष्ट्र के साथ धोखा है।

मैं इस संसद की सीमा के भीतर अपने दस्तावेजों को न्यायोचित नहीं ठहरा सकता हूं। अत: मैंने सभी पहलुओं को देखकर सोचा कि सरकार को तथा सभी दस्तावेजों और कागजों की जांच कर जिसे हमें प्रदान करेंगे, एक संयुक्त संसदीय समिति (जे०पी०सी०) की स्थापना करके राष्ट्रीय शासन में पारदर्शिता के लम्बे समय से किये जा रहे दावे के अनुरूप स्वीकार कर लेना चाहिए थी। सरकार में सहयोगशीलता व्यक्त करने की हिम्मत होनी चाहिए थी। श्री अरुण जेटली को अपने कागजों और दस्तावेजों के साथ आगे आना चाहिए। हम न सिर्फ यह साबित करेंगे कि श्री अरुण जेटली ने न एक गलत मामले का बचाव किया है बल्कि वे उन्हें जे०पी०सी० से हटना होगा, जब हम उन आरोपों को साबित कर देंगे। श्री अरुण जेटली एक अत्यंत ही सक्षम वकील हैं।

महोदय, विनिवेश क्या है ? विनिवेश का अर्थ है कि आप कुछ शेयर इक्विटी का विनिवेश करके उससे प्राप्त पूंजी को इकाई में लगाकर और प्रौद्योगिकी के माध्यम से इकाई की पुनर्संरचना करने उसे मजबूत बनाने का कार्य करें। यह चिंता हम सबकी है। *(व्यवधान)*

श्री अरुण शौरी : आप कृपया हमें बताएं महत्वपूर्ण बिक्री के बारे में घोषणा-पत्र में क्या कहा गया है। *(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : मैं उसी विषय पर आ रहा हूं। श्री अरुण शौरी मैं आपातकाल के दौरान आपके द्वारा लिखे गए आलेखों की प्रशंसा करता हूं। मैंने भ्रष्टाचार के विरुद्ध और गुप्त सौदे के विरुद्ध आपके दस्तावेजों को देखा है। मेरे मन में आपके प्रति कोई दुर्भावना नहीं है। मैं महसूस करता हूं कि आप आज भी निर्दोष हैं। आप सरकार के कुछ व्यवस्थाओं के भुक्तभोगी हैं और सरकार की हमेशा यही इच्छा रहती है कि ऐसे लोगों को पदस्थापित किया जाए जिनकी पहले की छवि अच्छी थी और इस प्रकार संचालित किया जाये कि लोग सवाल नहीं उठा सके। मैं आपकी सत्यनिष्ठा पर सवाल नहीं उठा रहा हूं, मैं आपकी सरकार की सत्यनिष्ठा पर सवाल उठा रहा हूं। अब मैं यह साबित करूंगा कि क्या अंतर है।

विनिवेश और निजीकरण दो चीजें हैं। यदि किसी प्रबंधन की इक्विटी की भागीदारी 51 प्रतिशत है तो यह विनिवेश नहीं पूर्णत: निजीकरण है। यदि यह 51 प्रतिशत से कम है जैसाकि कांग्रेस ने किया तो यह विनिवेश है। श्री अरुण जेटली ने कहा है, क्या आपने ब्लू चिप कंपनियों को हाथ नहीं लगाया ? हां, हमने उनकी भी चर्चा की है ? शेयर कितना था ? यह 2.5 प्रतिशत, तीन प्रतिशत और चार प्रतिश था। आपका शेयर कितना था ? यह 51 प्रतिशत है। आप 'कांग्रेसी' के विनिवेश के तरीके से तुलना कर रहे हैं। यह शर्म की बात है। *(व्यवधान)*

ऐसी परिस्थिति में विनिवेश हेतु निर्णायक निर्णय के लिए मंत्रिमंडल की अंतर-मंत्रीय दल की बैठक कब हुई ? आपने आकलन कराने और मूल्यांकन करने का निर्णय कब लिया ? यह निर्णय 11 जून, 2000 को हुआ था। मंत्रिमंडल की अंतर मंत्रीय दल का अंतिम निर्णय भी उसी दिन लिया गया। इसका मतलब यह है कि पहले की प्रक्रिया सिर्फ एक प्रक्रिया थी न कि एक निर्णय। लेकिन श्री अरुण शौरी ने प्रणव मुखर्जी को 10 अगस्त, 2000 को एक पत्र लिखा। मैं उद्धृत करता हूं :

"सरकार के पास पूर्व अपेक्षित अवसंरचनात्मक परिवर्तनों के लिए आवश्यक संसाधन नहीं हैं। यह आशा की जाती है कि एक महत्वपूर्ण निवेशक पूंजी और उपलब्ध उतम औद्योगिकी दोनों को लाएगा। मैं आपको आश्वासन देता हूं कि बालको में विनिवेश का निर्णय सभी कारकों जैसे पूंजी पुनर्संरचना की आवश्यकता, कर्मचारियों के हितों इत्यादि को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।"

यह पत्र 10 अगस्त, 2000 का है कौन इस मामले का मूल्यांकन करेगा, कौन इसका पुनर्संरचना करेगा और कौन इसका मूल्यांकन करेगा, मंत्रिमंडल इस पर विचार करता है यह 11 जून, 2000 को किया जाता है। अतएव आपने एक तय पार्टी और तय व्यक्ति के पक्ष में निर्णय लेने का पूर्व में ही फैसला कर लिया था। मैं इसे और दस्तावेजों के साथ साबित करूंगा।

सभापति महोदय, इस सौदे में तिथियों बहुत महत्वपूर्ण हैं। अब देखें कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने इस इकाई के संबंध में क्या उपयोगी और महत्वपूर्ण टिप्पिणयों कि किस प्रकार की हैं। मैं आशा करता हूं कि कम से कम इस मामले में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन जिसकी मैं सर्वाधिक आलोचक हूं ने भी प्रतिक्रिया व्यक्त की है कि देश में क्या हो रहा है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने रिपोर्ट के 12.13 पैरा में कहा है जिसे मैं उद्धृत करता हूं :

"कंपनी (बाल्को) ने अग्नि और पृथ्वी जैसे भारतीय प्रेक्षपास्त्रों की ईंधन टैंकों के लिए भी मिश्रधातु का विकास किया है।' प्रबंधन ने कहा है कि इनमें से कुछ प्रयोगों ने वित्तीय संक्षमों में ज्यादा योगदान नहीं किया है लेकिन मिश्र धातु का विकास राष्ट्रीय दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। कंपनी ने 'इससे' ज्यादा उपयोग के लिए ए०एफ०एम०ओ०आर० 7020 मिश्र धातु उद्धीप्त और प्रतिदीप्त लैंप्जें के लिए ए०ए० 3004 मिश्र धातु और पी०पी० कैप्स के लिए उन्नत प्रकार के आई०एस० 90800 का व्यावसायिक उत्पादन किया है।"

यह भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणी है। यह कब की गई ? यह दो वर्षों पहले 1998 में की गई थी। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की दष्टि में यह भारतीय रक्षा प्रणाली की सहायता में योगदान देने वाली एक गर्व पूर्ण और जिम्मेदार इकाई है।

माननीय मंत्री श्री अरुण शौरी जिन्होंने माननीय मंत्री श्री अरुण जेटली की अपीलों से प्रभावित होकर अति उत्साह से मुझसे यह पूछा कि कृपया करके मुझसे पहले यह बताए कि यह महत्वपूर्ण बिक्री क्या है क्योंकि कांग्रेस पार्टी महत्वपूर्ण बिक्री के बारे में बता चुकी हैं और वे मुझसे इसकी व्याख्या चाहते थे। मंत्री महोदय मुझे मालूम नहीं था कि आप कांग्रेसी विचारधारा से इस प्रकार प्रभावित है कि इसे हमेशा अपने बचाव के मार्ग के लिए इस्तेमाल करते है। अब मैं आपको बताऊंगा कि यह महत्वपूर्ण बिक्री क्या है।

महोदय, किसके पास इतनी न्यूनतम समझ भी नहीं है कि एक महत्वपूर्ण साझेदार एक सरकारी क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मालिक नहीं होता ? महत्वपूर्ण बिक्री प्रबंधन का महत्वपूर्ण अधिग्रहण नहीं है। कांग्रेस का कहना है कि महत्वपूर्ण बिक्री का अर्थ क्या है नई पूंजी और प्रौद्योगिकी प्राप्त करने के लिए इसके कुछ हिस्से को बेचना है। आपने क्या किया ? आपने एक महत्वपूर्ण मालिक चुना है न कि साझेदार/ 51 प्रतिशत इक्विटी वाला साझेदार वहां कैसे हो सकता है। वह मालिक होगा। 49 प्रतिशत इक्विटी वाला वाला शेयरधारक 51 प्रतिशत इक्विटी वाले पर नियंत्रण कैसे रख सकेगा ? आप मुझे समझाये कि यह कैसे संभव है और किस कंपनी कानून के अधीन संभव है। *(व्यवधान)*

श्री अरुण शौरी : क्या आप मारूति उद्योग की बात कर रहे हैं ?

डा० नीतिश सेनगुप्ता (कोन्टाई) : यह कंपनी अधिनियम की धारा 26 के अंतर्गत है *(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : आप पहले बाल्को पर बात करें। तब इस मारूति पर आएंगे। हम मारूति पर भी चर्चा करेंगे। कृपया चिंता नहीं करें।

कृपया समझने की कोशिश करें। यदि आप नहीं समझते हैं और मेरे प्रिय मित्र श्री अरुण जेटली जो अभी अनुपस्थित भी नहीं समझते हैं, तो किसी भी शब्दकोश में महत्वपूर्ण बिक्री और साझेदार की व्याख्या है। और जानकारी के लिए वह 24, अकबर रोड में आ सकते हैं हम उन्हें पुन: बतायेंगे कि महत्वपूर्ण बिक्री क्या है और महत्वपूर्ण साझेदार कौन है।

श्री खारबेल स्वाइं (बालासोर) : कौन साझेदार इस कंपनी का अधिग्रहण करेगा। *(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, हमारे देश में एलुमिना एक दुर्लभ वस्तु है। माननीय मंत्री श्री अरुण शौरी आपकी सूचना के लिए और यदि आप इसे माननीय मंत्री श्री अरुण जेटली को दे सकते हैं तो मैं कहना चाहूंगा कि आप हमेशा कांग्रेस और डा० मनमोहन सिंह का सहारा लेते हैं। मैं वर्ष 1991-1992 के मनमोहन सिंह के बजट भाषण को उद्धृत करता हूं :

> "संसाधनों को जुटाने लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने और जिम्मेदारी को अधिक बढ़ाने हेतु कुछ चुनिंदा उपक्रमों में 25 प्रतिशत तक सरकारी इक्विटी को सरकारी क्षेत्र के म्युचल फंडों और निवेश संस्थानों और फर्मों के कामगारों को दी जाएगी।"

श्री एम०वी०वी०एस० मूर्ति : यह पहली बार हुआ है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : कृपया एक मिनट के लिए इंतजार करें। मैं उस पर चर्चा करूंगा। मैं आपको आगे और जानकारी दूंगा।

महोदय, कांग्रेस ने कभी भी अपने चुनावी घोषणा पत्र में नहीं कहा जिसे प्राय: उद्धृत किया जाता रहा है कि कांग्रेस ने 51 प्रतिशत ब्लूचिप कंपनियों की घोषणा की है। कृपया दिखाएं कि ऐसा उल्लेख कहां किया गया है। आप दलदल में तैरने का प्रयास नहीं करें आप तट पर नहीं पहुंच पायेंगे यह सभा को गुमराह करना नहीं है और विभिन्न राजनीतिक दल की नेकनीयती पर प्रश्न लगाने के लिए नहीं है।

मैं अभी भी चुनाव घोषणा पत्र का समर्थन करता हूं। किन्तु आप नहीं। सत्ता हड़पने और सत्ता में बने रहने के लिए, आपने भा०ज०पा० के अपने सिद्धान्त को, रा०ज०ग० के अपने बड़े दावे को कम कर दिया। आप रा०ज०ग० के दलों के दिलों को टटोलें। रा०ज०ग० का कोई भी दल आपके साथ नहीं है बल्कि वह मतदान के लिए आपके साथ है, वे आपके साथ मतदान करना चाहते हैं। वे उनकी संयुक्त जांच कराने की इच्छा हैं। क्या आप इस बात से इंकार कर सकते हैं ? आप इस बात से इंकार नहीं कर सकते।

आप महत्वपूर्ण बिक्री और महत्वपूर्ण साझेदारी की बात कह रहे हैं। जैसा कांग्रेस ने कहा है। इसका क्या अर्थ है ? सभापति महोदय, श्री दैवगौड़ा की सरकार के दौरान भारतीय स्टेट बैंक ने पूंजी पुनर्गठन का कार्य किया। जिसका उल्लेख करना श्री अरुण जेटली जी भूल गये। बालको की मजबूती, अर्थक्षमता और विनिवेश प्रक्रिया की योजना के लिए भारतीय स्टेट बैंक ने बालको का पूंजीगत पुनर्गठन किया। श्री शौरी जी कृपया भारतीय स्टेट बैंक पुनर्गठन समूह के अनुच्छेद 9(4) में कही गयी बात को सुनें। इसमें कहा गया है :

> "हम सरकार द्वारा हाल ही में विनिवेश प्रक्रिया के प्रति दोहराई गयी वचनबद्धता के परिप्रेक्ष्य में यह महसूस करते हैं कि भारत सरकार पूजीगत पुनर्गठन के लाभों के अनुकूल मूल्यांकन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, विनिवेश से पूर्व कंपनी को एक उचित स्थिरता अवधि प्रदान करने पर भी विचार किया जा सकता है ताकि पुनर्गठन कार्य के लाभों को बाजार द्वारा मूल्यांकन किया जा सके और इसे शेयर के मूल्य निर्धारण में शामिल किया जा सके।"

कितना समय मांगा गया था ? केवल चार वर्ष का समय/आईये पुनर्गठन पर आधारित स्थायित्व प्रदान करें। सरकार ने पुनर्गठन प्रक्रिया का वित्त पोषण क्यों नहीं किया ? ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार ने उस समय यह सोचा कि वह इसको बेचने वाली थी, इसलिए पुनर्गठन का प्रश्न ही नहीं है।

श्री शौरी जी, क्या आप बालको की कार्य-प्रणाली के संबंध में कार्यकरण के सुचारू संचालन के संबंध में तैयार की गयी रिपोर्ट को सभा पटल पर रखने का कष्ट करेंगे ? इस उद्देश्य के लिए किस कम्पनी को नियुक्त किया गया था ? यह विश्व की श्रेष्ठ कंपनियों में से एक थी – मैसर्स बेहरे डॉलबीअर इंटरनेशनल लिमिटेड। इसकी रिपोर्ट क्या है ? क्या आपने इस रिपोर्ट को सभी बोली लगाने वालों के बीच परिचालित किया ? उन्होंने रिपोर्ट के बारे में क्या कहा ? श्री जेटली जी यहां मौजूद नहीं हैं। इसमें कहा गया है कि यह एक रुग्ण कंपनी है, आपका इसका पुनरुद्धार किस तरह से करेंगे, इसके लिए धन की आवश्कयता होगी, संसाधन और कर दाताओं का पैसा इसमें लगाया जा रहा है, इसमें इतना विवेश हो रहा है और केवल सात प्रतिशत लाभांश है, इससे आप कैसे निपटेंगे। इस कंपनी ने इस संबंध में क्या टिप्पणी की है ? मैं कुछ ही उद्धरणें को पढ़ूंगा। मैसर्स बेहरे डॉलबीअर इंटरनेशनल लिमिटेड ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 23.5.2000 को दी। मुझे आशंका है – प्रधानमंत्री श्री वाजपेयी जी का मैं बहुत आदर करता हूं, उन्हें संभवत: उनके आस पास के लोगों ने वास्तविक रिपोर्ट से अवगत नहीं कराया है। इसी कारण, ये मंत्री जो चाहते हैं, वही करते हैं। महोदय, मैं रिपोर्ट के कुछ बिंदुओं पर प्रकाश डालूंगा। इकाई की क्या स्थिति है ? इस रिपोर्ट के अनुसार यह इकाई का उत्कृष्ट इकाई है। रिपोर्ट में आगे कहा गया है :

> "कोर्बा होट रॉलिंग मिल को पूरी तरह से फिर से तैयार किया जाना चाहिए, इसको पूर्ण रूप से तैयार किया जाना चाहिए और

इसे अत्यन्त दक्ष और तकनीकी रूप से अद्यतन स्थिति में लाया जाना चाहिए। इस पुनकार्य में अतिरिक्त उत्पाद समूह, जिसका अभी निर्माण नहीं किया जा सकता, के निर्माण में आवश्यक सभी संबंधित स्थापन शामिल होने चाहिए।''

अधिक लाभर्जन के अतिरिक्त मार्गों के लिए कितने संसाधन की आवश्यकता है ? 20 मिलियन डॉलर के मूल्य के संसाधन जुटाने की आवश्यकता है। कितनी आरक्षित राशि उपलब्ध थी ? यह 400 करोड़ रुपये से अधिक थी। उन्होंने इसमें कितनी धनराशि लगाने की सिफारिश की है ? भविष्य की प्रतियोगिता का सामना करने के उद्देश्य से इस विद्युत इकाई को प्रभावी बनाने के लिए 20 मिलियन डॉलर की राशि लगाने की सिफारिश की गयी है। क्या आपने इसकी सूचना मंत्रिमंडल को दी ? सभी घटकों को सुचारू बनाने के लिए इसमें वास्तविक प्रक्रिया में परिवर्तन करने का सुझाव नहीं दिया गया है लेकिन मौलिक डिजाइन, आधार स्तर पर इसे कार्यशील बनाने का सुझाव दिया गया है। आगे क्या कहा गया है। आगे कहा गया है : ''यह अच्छी स्थिति में है। विद्युत संयंत्र अच्छी हालत में है।'' इसमें आगे कहा गया है कि इसका आधार काफी व्यापक है। आपके द्वारा नियुक्त कंपनी ने यह बात कही है। इसने ऐसा कभी नहीं कहा कि कंपनी का कोई भविष्य नहीं है। इसने ऐसा कभी नहीं कहा कि कंपनी की हालत जर्जर होती जा रही है। इसने ऐसा कभी नहीं कहा कि संयंत्र और उसकी मशीनरी पुरानी और अप्रचलित हो गयी है। इसने ऐसा कभी नहीं कहा कि इसमें सभावनाएं नहीं हैं। दूसरी ओर, कंपनी द्वारा की गयी तकनीकी समीक्षा की रिपोर्ट न तो बोली लगाने वाले अथवा किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष रखी गयी। इसे भी सभा पटल पर रखा जाना चाहिए।

सभापति महोदय जी, अब मैं तथाकथित अनुकूल साझेदार की स्थिति पर आता हूं। यह अनुकूल साझेदार कौन है जो देश के भीतर बालको को बचाना चाहता है, जो बालको को वर्तमान तकनीकी परेशानियों से उबारना चाहता है और भविष्य में बालको को शक्ति सम्पन्न बनाना चाहता है ? यह अनुकूल साझेदार टाटा की कंपनी नहीं है; यह राहुल बजाज की कंपनी नहीं है; यह कोई उन्नत तकनीकी वाला कोई संगठन नहीं है जो आगे आया है। यह स्टरलाइट नाम की कंपनी है जिसका प्रबंधन कार्य श्री अनिल अग्रवाल के हाथों में है।

हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड के मामले में, मंत्री जी ने यह निर्णय लिया कि भ्रष्टाचार और संदेहास्पद ईमानदारी वाली कंपनी अथवा उद्यम को किसी भी बोली लगाने की प्रक्रिया में प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए। यह अनुकूल साझेदार कौन है और सरकार की आंखों में उसकी क्या हैसियत है ? इस सरकार के दूरसंचार विभाग ने स्टरलाइट को एकबार काली सूची में डाल दिया था। इस इकाई ने सरकार के समक्ष यह अपील की कि दूरसंचार विभाग की नौकरशाही ने उसे गलत तरीकों से काली सूची में डाला था। सरकार ने इस मामले पर सॉलिसीटर जनरल की राय मांगी। सॉलिसीटर जनरल श्री हरीश साल्वे ने यह कहा कि स्टरलाइट को काली सूची में न डालने और दूरसंचार द्वारा फिर से ठेका देना का निर्णय कानून और वास्तविक स्थिति की गलतफहमी के आधार पर लिया गया था। उन्होंने कहा कि केबल कार्य की किसी परियोजना को इस इकाई को सौंपने का प्रश्न ही नहीं है और इस इकाई को काली सूची में डालने का निर्णय उचित था। उन्होंने कहा कि इस इकाई को दूरसंचार विभाग के अंतर्गत कोई भी ठेका नहीं दिया जाना चाहिए।

मंत्री जी अब इसे एक बार काली सूची में डाली गयी इकाई जिसकी उपस्थिति इस क्षेत्र में तीन प्रतिशत से ज्यादा नहीं है को विशाल तकनीकी संभावनाओं से भरा और एक ईमानदार इकाई मानते हैं। *(व्यवधान)* श्री राम जेठ मलानी जी के स्थान पर उच्चतम न्यायालय के योग्य वकील श्री अरुण जेटली जी, जिनको मंत्री बनाया गया है और वह इस मामले की अब वकालत कर रहे हैं तथा स्टरलाइट से संबंधित सॉलिसीटर जनरल द्वारा व्यक्त किये गये विचार को छुपा रहे हैं *(व्यवधान)*

इस सरकार, जिसका मंत्री भी एक हिस्सा हैं, तो एक सौदे में 180 करोड़ रुपये का घाटा हुआ। उस सौदे में सॉलिसीटर जनरल ने यह राय व्यक्त की है कि बोली दस्तावेजों के शर्तों के अन्तर्गत, स्टरलाइट द्वारा अपनी बोली का सम्मान न कर पाने की स्थिति में उसकी जमा-राशि जब्त की जा सकती है। उन्होंने कहा कि बोली की वचनबद्धता को पूरा न करने वालों को काली सूची में डालने का एकमात्र अधिकार सरकार की शर्तों के उपखंड 7 में दिया गया है।

शर्तों का उपखंड 7 क्या कहता है ? इसके अनुसार किसी इकाई को काली सूची में डालने का अधिकार सरकार के पास है। इस इकाई को किसने काली सूची में डाला ? यह कार्य दूरसंचार विभाग ने किया ? इस इकाई को किसने स्वीकार किया ? यह कार्य सरकार के विनिवेश विभाग द्वारा किया गया। ये दोनों विभाग किस शीर्षस्थ संस्था के अन्तर्गत आते हैं ? ये श्री वाजपेयी जी की सत्ता के अन्तर्गत आते हैं। मंत्री जी इस सौदे में पारदर्शिता के बारे में कैसे बात कर सकते हैं ? वह कह रहे थे कि वह बालको का भविष्य बचाने के लिए एक अनुकूल साझेदार को ला रहे हैं जो रणनीतिक रक्षा सामग्री की आपूर्ति करेगा। एल्यूमिनियम क्षेत्र में केवल तीन प्रतिशत मौजूदगी रखने वाली इकाई को अनुकूल साझेदार के रूप में दिखाने का प्रयास किया जा रहा है।

सुरक्षा घोटालों के दौरान सम्पूर्ण संसद हिल गयी। उस समय हम सभा में सत्ता पक्ष में थे। इस घोटाले के बावजूद, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड को स्टाक एक्सचेंजों में गलत कार्यों में लिप्त लोगों का पता लगाने के लिए कहा गया था।

ऐसे लोगों में हर्षद मेहता ही शामिल नहीं थे। श्री अरुण शौरी जी आज आप अपना पेन नहीं लाये हैं। अगर आप अपना पेन लाये होते और अपने डेस्क पर होते, आपने पुन: कहा होता, ''तलवार श्री वाजपेयी जी की सरकार से अधिक शाक्तिशाली है।'' और आपने यह लिखा होता कि स्टरलाइट महोदय भी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के घेरे में है *(व्यवधान)* वे दर्ज के संबंध में बात कर रहे हैं। उन्होंने इसी साझेदार का चयन किया है।

[श्री प्रियरंजन दासमुंशी]

सभापति महोदय जी, श्री अरुण जेटली ने जारडाइन फ्लेमिंग के बारे में वकालत की थी कि उन्होंने समाचार पत्रों में विज्ञापन दिया था, और जब सब कुछ हो गया तो उन्होंने उन्हें उपयुक्त पाया। स्वदेश की वकालत करने वाले मेरे मित्र कहां हैं ? जिन्हें स्वदेशी पर गर्व है।

[अनुवाद]

स्वतंत्रता के स्वर्ण जयंती समारोह के दौरान दो व्यक्तियों के भाषणों को मैंने विशेष ध्यानपूर्वक सुना – इनमें से एक भाषण भूतपूर्व प्रधानमंत्री, श्री नरसिंह राव का था, जो शायद सदन में दिया गया सर्वश्रेष्ठ भाषण था और दूसरा भाषण डा० मुरली मनोहर जोशी का था। उन्होंने कहा :

[हिन्दी]

''जब देश में एक चीज मौजूद हो, तो हम बाहर क्यों जाएं।''

[अनुवाद]

मुझे यह बात अच्छी लगी। उन्होंने इसके अनेक उदाहरण दिए।

सरकार को सलाह देने के लिए मेकॉन इंजीनियरिंग काफी नहीं है टाटा कंसल्टेंसी काफी नहीं है, दस्तूर एंड कम्पनी काफी नहीं है। श्री अरुण जेटली और अरुण शौरी विश्वव्यापी विज्ञापन किसे देना चाहते हैं। उन्होंने अमेरिका के किसी जार्डन फ्लेमिंग का चुनाव किया जिसका कोई श्री श्रीनिवासन नाम का एजेंट दिल्ली में कार्य करता है।

अब मैं रोचक बात पर आता हूं। सरकार को अत्यंत उलझनपूर्ण स्थिति में डालने के लिए मुझे क्षमा करें। इस मामले में 24 फरवरी, 2000 की तारीख बहुत महत्वपूर्ण है। 24 फरवरी, 2000 को भारत एल्यूमीनियम कम्पनी ने ड्यू डैलीजेंस कम्पनी, जो बालको से संबद्ध है, को पत्र लिखा। उन्होंने 24 फरवरी, 2000 को डोज़ियर दिया :

''यह दिनांक 20 अक्तूबर, 1999 को प्रस्तुत किए गए हमारे प्रस्ताव के संबंध में है।''

[हिन्दी]

28 अक्तूबर, 1999 को जार्डन फ्लेमिंग ने आफर दिया कि मैं तुम्हारा काम करने के लिए तैयार हूं। सरकार को फैसला करने में कितना दिन लगे – डील के बारे में फैसला करने में सात दिन लगा। ड्यू डैलीजेंस सब कुछ जांच करेगी, तहकीकात करेगी। जिसकी रिपोर्ट है, बालको स्ट्रांग यूनिट है। उनका आफर 28 अक्तूबर, 1999 को आया है और आफर भेज रहे हैं, 24.02.2001। अभी तुम काम करोगे। क्या-क्या काम करना है – माइन्स कितना है, एबिलिटि कितना है, टैक्निकैलिटीज कितनी है – सब कुछ आप देखकर बताएंगे।

[अनुवाद]

आज-कल हर कोई अमेरिका जाता है। क्या किया जाए ? वाशिंगटन का मोह ही सब कुछ है।

अन्त में, मेरे स्वदेशी सोच वाले मित्रों ने टाटा कंसल्टेंसी को अस्वीकार कर दिया। उनकी सरकार का मानना था कि दस्तूर एंड कम्पनी मूल्यांकन करने के लिए उपयुक्त नहीं है। इसलिए उन्होंने जार्डन फ्लेमिंग से संपर्क किया। जार्डन फ्लेमिंग ने बालको को पत्र लिखा। कितनी निर्लज्जता की बात है ? वह एक सलाहकार है। वह केवल सलाह दे सकता है वह केवल यह सलाह दे सकता है कि काम किस प्रकार किया जाए। वह अमेरिकी है। अमेरिकन कम्पनी को हिन्दुस्तान के बारे में इतनी जानकारी है। वह सलाह दे रहा है कि 'ये-ये कम्पनियां हैं। आप सब कुछ करिए। आपको 'एक्सप्रैशन आफ इन्टैंट' कब मिला था – दो साल पहले। डिसइन्वैस्टमेंट की रिकमेंडेशन 1998 में हुई। रिकमेंडेशन हम लोगों ने पारित नहीं की।' एक्सप्रैशन ऑफ इन्टैंट दो साल पहले लिया गया। मूल्यांकक की नियुक्ति का निर्णय उनके इंटर-मिनिस्टीरियल ग्रुप के सात दिन बाद लिया गया। उन्होंने 11 जनवरी को इंटर-मिनिस्टीरियल ग्रुप की बैठक की, और एक-मात्र मूल्यांकक की नियुक्ति का निर्णय 18 जनवरी को लिया गया।

अपराह्न 4.00 बजे

[हिन्दी]

आपने श्री पी०वी० राव को चुना, हमें कोई एतराज नहीं है। इतने बड़े डील में पी०वी० राव ने सच कहा है।

[अनुवाद]

उन्होंने अपने पत्र में लिखा है :

''संदर्भ आपका दिनांक 24.1.2001 का आदेश सं० आई०आई० क्यू/सचिवालय/ए-7 जो मुझे दिनांक 25.1.2001 को प्राप्त हुआ ''

आगे उन्होंने स्पष्ट किया है :

''मेरी पेशकश अचल परिसंपत्तियों के मूल्यांकन के लिए है जिसके लिए मेरी टीम के सदस्यों को लाइसेंस प्राप्त है नामत: कृषि योग्य भूमि, बागान, वनों, खानों और खदानों को छोड़कर अन्य प्रकार की अचल सम्पत्ति (अर्थात भूमि और भवन) का मूल्यांकन।''

इन शब्दों पर गौर कीजिए। खानों और खदानों के बिना बालको का क्या महत्व है ? अपने मंत्रालय के बिना श्री अरुण शौरी क्या हैं ? वह एक पत्रकार हैं। अपने मंत्रालय के बिना श्री अरुण जेटली क्या हैं ? वह उच्चतम न्यायालय में वकील हैं। वह मंत्रालय में क्या हैं ? वह सत्ता पक्ष के सदस्य हैं। खानों और खदानों के बिना बालको का क्या महत्व है ? शून्य।

मूल्यांकक का कहना था 'मुझे खानों और खदानों के विषय में कोई विशेषज्ञता हासिल नहीं है। माइन्स एंड क्वैरी के बारे में मैं पता नहीं कर सकता हूं। मैं बिल्डिंग के बारे में बताऊंगा। मुझे खेद है, मूल्यांकन के लिए मेरी स्वीकृति केवल संयंत्र और मशीनरी के बारे में है।'

अब मूल्यांकन के लिए निर्धारित किए गए समय की बात की जाए। कितने दिन में काम करना है। श्री शौरी, आप मुझे बताएं कि आपने बड़ौदा रिफाइनरी के मूल्यांकन के लिए कितना समय लिया था। क्या इस काम में आपको 98 सप्ताह का समय नहीं लगा था ? दूसरी सम्पत्तियों के विनिवेश का मूल्यांकन करने में आपको कितना समय लगा ? क्या ये काम एक हफ्ते के अन्दर हो गए थे ? यहां भारत की एक प्रमुख सम्पत्ति का सवाल है और मैं आप पर अन्तिम समय सीमा थोपने का आरोप लगाता हूं। आपने समय सीमा तय करके मूल्यांकन का काम दस दिनों के अन्दर-अन्दर पूरा करने का आदेश दे दिया। क्या यह संभव है ?

श्री राव ने अपने दौरा कार्यक्रम के बारे में सरकार को सूचित कर दिया है। उन्होंने बताया है कि वे 31 जनवरी से 4 फरवरी के बीच मध्य प्रदेश में होंगे; 5 फरवरी को वे बोंदन बाग में निरीक्षण करेंगे; 6 तारीख को वे आसनसोल के लिए खाना होंगे और 7 तारीख को एक दिन में वहां निरीक्षण कार्य पूरा करेंगे। उनका कहना है कि वे 8 तारीख को दिल्ली लौटेंगे और जल्दी ही अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देंगे। आपको रिपोर्ट देना है, जितना रिपोर्ट चाहिए, लिखा दो। क्या इसी को आप पादर्शिता कहते हैं ? क्या इसे ही आप गंभीरता या प्रतिबद्धता कहते हैं ? क्या आप इसी को पूर्ण उत्तरदायित्व और जवाबदेही मानते हैं ? सारा निरीक्षण कार्य इस तरह किया गया।

विनिवेश आयोग ने सिफारिश की। यह सिफारिश कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए की गई। इस इकाई का प्रमुख श्रमिक संघ कौन सा है ? बालको के कर्मचारियों का नेतृत्व इंटक करता है जो एक मान्यताप्राप्त श्रमिक संघ है। उनसे कब बात की गई ? आपने फरवरी के पहले सप्ताह तक सब कुछ तय कर लिया लेकिन आपने श्रमिक संघ को बातचीत के लिए 14 तारीख को ग्यारह बजे बुलाया। हो जाएगा, कोई बात नहीं है। मैं आपको सूचना दे रहा हूं कि बलिदान हो गया है। सुन लीजिए, जो खून गिर रहा है, उसकी थोड़ी कीमत हम देंगे। आपने कर्मचारियों को विश्वास में नहीं लिया।

क्या आपने उड़ीसा के मुख्य मंत्री को विश्वास में लिया था ? आप कहेंगे कि आपने उन्हें विश्वास में लिया था। क्या आपने श्री अजीत जोगी को विश्वास में लिया था ? क्या आपने पश्चिम बंगाल में स्थित संयंत्रों के मामले में वहां के मुख्य मंत्री को विश्वास में लिया था ? मैं कहता हूं 'नहीं, नहीं नहीं'। मैं इस बात को विश्वास से कह सकता हूं क्योंकि सरकार के पास इससे संबंधित कोई कार्यवृत्त या पत्राचार उपलब्ध नहीं है। उड़ीसा के मुख्य मंत्री को केवल एक पत्र लिखा गया *(व्यवधान)* श्री कानूनगो, आप इस बात की पुष्टि कर सकते हैं। यदि मैं गलत हूं तो आप विशेषाधिकार प्रस्ताव ला सकते हैं। केवल एक पत्र लिखा गया। यह पत्र श्री अरुण शौरी या प्रधान मंत्री ने नहीं लिखा था बल्कि यह पत्र खान मंत्री श्री सुन्दर लाल पटवा ने लिखा था। उन्होंने 24 जनवरी को उड़ीसा सरकार को लिखा :

"यह एक दिलचस्प सौदा है।"

[हिन्दी]

इन्टरैस्टिंग डील है। एक दूसरा स्कैम। आपके उड़ीसा की दो प्राइम जगह है, जहां बाक्साइट है। यह बालको को लीज पर देनी है।

[अनुवाद]

यह एक और घोटाला है। उड़ीसा सरकार ने पहले इसके लिए मना कर दिया। मैं पूरे विश्वास से कहता हूं कि वे झिझक रहे थे। फिर उन्हें धमकी दी गई। यह धमकी क्या थी ? यह धमकी दी गई थी कि यदि पट्टा नहीं दिया गया तो एम०एम०आर०डी० की धारा 17 को लागू कर दिया जाएगा जिसके अधीन सरकार स्वयं भूमि को ले कर खनन सम्पत्तियों के पट्टे ले सकती है।

मुझे विश्वस्त जानकारी मिली है और इसे रिकॉर्ड कर लिया जाए। उड़ीसा के मुख्य मंत्री 7 तारीख को मुख्य सचिव, श्री बागची के साथ विमान से दिल्ली आए और उन्होंने खान मंत्रालय के साथ हस्ताक्षर किए। इसे 'आत्मसमर्पण' कहा जाता है। आपको क्या मिला ? उड़ीसा सरकार ने कहा, "ठीक है, हम इसे आपको पट्टे पर दे देंगे; लेकिन बालको को एल्यूमिना संयंत्र देना होगा।" सरकार सहमत हुई और उसने कहा "हम एल्यूमिना संयंत्र दे देंगे।" उस समय उड़ीसा सरकार को जानकारी नहीं थी कि श्री अग्रवाल कौन हैं और स्टरलाइट क्या है।

उसके पास कितनी जमा राशि है ? उन्होंने कितना क्षेत्र दिया ? यह उड़ीसा सरकार का प्रैस नोट है। इसमें कहा गया है : "बालको के आंशिक निजीकरण में सरकार की कोई भूमिका नहीं, भुवनेश्वर, दिनांक 24 फरवरी, 2001"। उड़ीसा सरकार को 60 मिलियन टन बॉक्साइट निक्षेप वाले सासुबोलमाली और पासनगमली क्षेत्र का पट्टा देने के लिए कहा गया। क्या मैं गलत कह रहा हूं ? सभापति महोदय, यदि मेरी बात गलत साबित हो तो मैं इस सदन की सदस्यता छोड़ने के लिए तैयार हूं। इस तरह उड़ीसा सरकार को शिकार बनाया गया जो कि पहले से ही चक्रवात से पीड़ित है। उन्होंने यह भी नहीं बताया कि अगले दिन से प्रबंध कार्य कौन संभालेगा।

क्या ए०एल०सी०ओ०ए० ने अब बोलीदाता के रूप में अपना दावा छोड़ दिया है ? हिन्डालको बोलीदाताओं की इस पूरी कड़ी से बाहर रहने के लिए बाध्य किया गया था। अंततोगत्वा सिर्फ एक बोलीदाता रह गया। हम आपको अतिरिक्त पट्टे के साथ ऐसी भू संपत्ति सौंप रहें हैं, जिसमें 60 मिलियन टन के बॉक्साइट भंडार है। क्या आपने इसके बाद इसका मूल्य निर्धारण कराया है ? क्या श्री पी०वी० राव को इसके बाद मूल्य-निर्धारण, करने के लिए कहा गया। क्या लंदन की मैसर्स बेहरे डॉलवीयर इंटरनेशनल लिमिटेड ने बताया था 60 मिलियन टन के इस बॉक्साइट भंडार को शामिल करके मूल्य निर्धारण करना होगा ? नहीं। नहीं। नहीं।

[श्री प्रियरंजन दासमुंशी]

यही घोटाला है, इसकी जांच यदि केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सी०बी० आई०) से नहीं कराई जा सकती है तो इसकी जांच संयुक्त संसदीय समिति द्वारा की जानी चाहिए। मुझे उन अधिकारियों पर तरस आता है जो ऐसा करना ही होता है और उन्हें ऐसा करने के लिए बाध्य किया जाता है। इन दिनों यदि किसी अधिकारी पर कोई राजनीतिक दवाब डाला जाता है और यदि वे पूर्व-निर्धारित शर्तों पर हस्ताक्षर नहीं करते हैं तो भविष्य में वह सी०बी०आई० की जांच का शिकार बन कर सूली पर चढा दिया जाता है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से ईमानदार नौकरशाह से अपील करता हूं वे समय रहते अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करें।

यही हुआ है। यह एक घोटाला है। इसे ही पारदर्शिता कहते हैं। वे कहते हैं वह प्रत्येक पक्ष को विश्वास में ले रहे हैं।

कल बजट में सरकार ने अनुसूचित जातियों के लिए बैंकिंग निगम माडल के लिए कुछ धनराशि देने का प्रस्ताव लिया था। जिसकी आपने प्रशंसा की थी हम इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अनुसूची 5, खंड 2 में क्या कहा गया है ? श्री अरुण जेटली अभी अनुपस्थित है। अनुच्छेद 244 क्या कहता है ? यह दोनों क्या गारंटी देते है। मैं संविधान की समीक्षा के बाद की बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन मैं आज जो संविधान है इसकी बात कर रहा हूं। इसमें उल्लिखित है कि आदिवासियों की संपत्ति को सरकार द्वारा जनहित में राज्य की सहमति से ही लिया जा सकता है।

अब कोरबा में संपत्ति की देखरेख कौन करेगा आदिवासी की विशाल भूमि को केवल जनहित में, सिर्फ रक्षा संबंधी हितों के लिए और देश के हित में उपयोग किया जाय ताकि कुछ लोगों को रोजगार मिल सके। क्या इसका प्रबंधन भारत-सरकार द्वारा किया जाएगा। क्या इसका प्रबंध 49 प्रतिशत शेयरधारकों द्वारा किया जाएगा ? नहीं। इसे 51 प्रतिशत शेयरधारकों द्वारा किया जाएगा। इस संबंध में संविधान स्पष्ट है। इसलिए इस मामले को अब न्यायालयों द्वारा निपटाया जाएगा।

न्यायालय की विधि-विषयक स्थिति क्या है। मजदूर संघ न्यायालय गयें। सभापति महोदय, मैं न्यायालय को धन्यवाद करता हूं कि पहली बार उच्च न्यायायलय के प्रतिष्ठित न्यायाधीशों ने संसद में अपना विश्वास वयक्त किया है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ; संभवत: ऐसा पहली बार हुआ है मैं नहीं जनता हूं कि क्या पहले भी ऐसा हुआ है और यदि पहले ऐसा हुआ था तो माननीय संसद सदस्यों इसमें सुधार कर सकते हैं। उन्होंने कहा :

> "वर्ष 2001 की याचिका संख्या 1280 को उच्च न्यायालय द्वारा 26 फरवरी, 2001 को स्वीकार किया गया/दिल्ली उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायमूर्ति के साथ माननीय न्यायमूर्ति डी०के० जैन ने विचार व्यक्त किया कि मामला संसद में है इसलिए उच्च न्यायालय द्वारा इस याचिका की सुनवाई के लिए लेना उचित नहीं होगा। महा- सालिसिटर की प्रार्थना को खारिज करने की याचिका को उच्च न्यायालय द्वारा अस्वीकार दिया। विद्वान महा सालिसिटर द्वारा यह भी प्रार्थना की गई कि न्यायालय को स्पष्ट करना चाहिए कि याचिका के लंवित रहने तक सौदा प्रभावित होगा लेकिन इसे भी माननीय उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया।"

अपराह्न 4.10 बजे

[श्री पी०एच० पांडियन *पीठासीन हुए*]

दोनों न्यायाधीशों ने ससंद में अपना विश्वास व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि चूंकि मामला संसद में है उन्हें अपना सत्र पूरा करने दीजिए तब वे प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे। ससंद के प्रति न्यायपालिका ने इस प्रकार का सम्मान दिखाया है। संसद को कैसे प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिए ? क्या हम इस बात के लिए लड़े कि चर्चा नियम 184 के अंतर्गत कराई जाए या नियम 193 के अधीन ? क्या हमें श्री अरुण जेटली की बालको सौदों को विश्व अर्थव्यवस्था और रुग्ण इकाईयों के पुनरोद्धार के साथ जोड़ने की बाजीगरी से प्रभावित होना चाहिए ? मैं समझता हूं कि संसद को अपने पारंपरिक निष्ठा बनाये रखनी चाहिए और इसके उत्तर में हम इस सौदे को खारिज करने और एक संयुक्त संसदीय समिति बिठाई जानी चाहिए। हमें यह कांग्रेस और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन तथा सी०पी०आई०(एम) और एन०डी०ए० के बीच की राजनीति का मामला नहीं है। यह एन०डी०ए० की सहयोगियों को मात देने का मामला भी नहीं है। यह राष्ट्र के सामने संसद की अपनी गरिमा का मामला है। हमें इस परिस्थिति में कैसे प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिए।

महोदय, हमें नकद आगम छूट प्रणाली, जिस पर श्री अरुण शौरी ने विश्वास किया इस मुद्दे पर राज्य सभा में श्री कपिल सिब्बल ने जो कहा उसे मैं उद्धृत करता हूं। उन्होंने कहा :

> "हम बालको के 19 प्रतिशत के परिचालन लाभ हिन्डालको के 46 प्रतिशत के परिचालन लाभ, इंडाल्को के 20 प्रतिशत के परिचालन लाभ और बालको के 49 प्रतिशत के परिचालन लाभ को मूल्य निर्धारण का आधार बनातें हैं तो इन कंपनियों का औसत लाभ 38 प्रतिशत निकलता है। इसलिए हम 38 प्रतिशत के औसत लाभ को लेते हैं और तब देखते हैं कि अब से कतिपय वर्षों के बाद यह मुनाफा कितना होगा। यदि यह मानते हैं कि प्रबंधन 25 प्रतिशत का लाभ देगा और इस गणना को लेकर चलते हैं यह आपने भी अपने वक्तव्य में कहा है। तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि यदि बिक्री 25 प्रतिशत के औसत पर ली जाए तो न 35 प्रतिशत न कि 38 प्रतिशत कि नियंत्रित इक्विटी पर मूल्य निर्धारण होगा 2304 करोड़ रुपये। यदि हम आज की बिक्री को ले जो इस समय 25 प्रतिशत प्रीमियम है तो यह आकड़ा 2304 करोड़ रुपये बैठता है।"

यहां तक 2,304 करोड़ रुपये का पचास प्रतिशत भी 1000 करोड़ से ज्यादा होता है। लेकिन आप इसे 551 करोड़ रुपये में बेच रहे हैं। क्या यह आरक्षित बोली थी। यह सच नहीं है कि सरकार की निर्धारित आरक्षित बोली 551 करोड़ रुपये से ज्यादा थी।

श्री अरुण जेटली आपका बचाव और आपकी वकालत करने का प्रयास कर रहे थे। श्री अरुण जेटली के बोलते ही गंगा की बूंद के समान यह घोटाला पवित्र हो गया है। आपने 240 करोड़ रुपये लिए हैं जो कि बोली की धनराशि है और आपने इसे अपनी आय के साथ जोड़ दिया है। आप इसे न्यायोचित कैसे ठहरा सकते हैं। यदि कोई निविदाकार कुछ प्रतिभूति राशि का भुगतान करता है तो क्या आप इसे कंपनी की आय में जोड़ सकते हैं ? ऐसी ही गणना आप कर रहे हैं ?

आप राज्य सभा की चर्चा के बाद डरे हुए हैं। आपने सोचा कि 551 करोड़ रुपये की धनराशि बहुत ही कम है इसलिए क्या करें ? तब आपने कानूनी परामर्श किया। तब आपने 240 करोड़ रुपये जोड़ा दिया अत: यह 800 करोड़ के लगभग पहुंच गया। आप पूरे मुद्दे से इसी प्रकार निपट रहे हैं। देश को चलाने का आपका यही तरीका है। और आप इसी तरह का बर्ताव आप सरकारी उपक्रमों के साथ किया जा रहा है। आप दावा करते हैं कि आप बहुत पारदर्शी हैं। मैंने बहुत सारे दस्तावेजों और पत्रों का उल्लेख किया। यह पर्याप्त नहीं है। मेरे पास और भी है। मैंने मध्य प्रदेश के कानूनी सलाहकार से परामर्श किया है जिन्होंने कहा कि जहां तक आदिवासी भूमि का प्रश्न है तो इसे हस्तातांरित नहीं किया जा सकता है। मेरे पास गत दो वर्षों की यूनियन, की प्रधान मंत्री से लेकर मंत्री तक के साथ का पत्राचार है।

[अनुवाद]

मैं सरकार पर गैर पारदर्शी सौदा करने का आरोप लगाता हूं और इसमें कुछेक गुप्त सौदे बाजी की आशंका प्रबल है। जिनकी संयुक्त संसदीय समिति अथवा सी०बी०आई० की जांच के बिना पुष्टि नहीं की जा सकती; मैं सरकार पर अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों और हितों की रक्षा करने के लिए भारत के संविधान की अनुसूची-V के विरुद्ध कार्य करने का अरोप लगाता हूं, मैं सरकार पर निविदा मानकों, जिनमें निविदा हेतु न्यूनतम 15 दिन का समय अपेक्षित था लेकिन इसे सात दिन के भीतर ही कर दिया गया था। का उल्लंघन करने का आरोप लगाता हूं।

मैं सरकार पर कामगारों के हितों के संबंध में विनिवेश आयोग की सिफारिशों की मूल विशेषताओं का अनुपालन न करने का आरोप लगाता हूं। जिन पर आपने आज तक हस्ताक्षर नहीं किए हैं। मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि अनुकूल साझेदार के साथ अथवा कामगारों के साथ आज तक किसी भी समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं।

मैं सरकार पर इस सभा के नैतिक जनादेश के विरुद्ध साझेदारों के साथ साठंगाठ करने और सम्पूर्ण एन०डी०ए० का पारदर्शी होने का दावा करने का आरोप लगाता हूं।

मैं सरकार का अनुकूल साझेदार जिसकी विश्वसनीयता शक के घेरे में है, को प्रोत्साहित करने का आरोप लगाता हूं। यही राय भारत के सोलोसिटर जनरल की भी थी जो स्वयं सरकार द्वारा मांगी गई थी।

मैं सरकार पर ऐसी कम्पनी के चयन का आरोप लगाता हूं जिसने धीरे-धीरे अन्य बोलीदाताओं से छुटकारा पाने के उद्देश्य से अपने मूल्य पहले से ही निर्धारित कर लिए थे और इसका उड़ीसा सरकार के बॉक्साइट के अतिरिक्त पट्टे के साथ समझौता कर लिया था। सभापति महोदय, में पुन: सरकार पर सौदेबाजी के बोलीदाताओं अथवा साझेदार के साथ हुए समझौतों से पहले या बाद में उड़ीसा में बॉक्साइट खानों के अतिरिक्त पट्टे को गुप्त रखने का आरोप लगाता हूं।

मैं सरकार पर उक्त सौदे को करने से पूर्व अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा सरकार की राय की पूर्णत: उपेक्षा करने का आरोप लगाता हूं : अत: यह मेरी मांग है और सभा इन सभी आरोपों को न्यायोचित ठहराने का अवसर संयुक्त संसदीय समिति के समक्ष प्रदान करें यदि सरकार में पर्याप्त नैतिकता राजनीति और देशभक्ति की भावना अथवा जैसा कि अध्यक्ष महोदय निर्णय करें, कि मंत्रिमंडल के भीतर ही इस प्रकार की संयुक्त संसदीय समिति की संवीक्षा को एक माह के भीतर स्वीकार करके और सभा में आरोप मुक्त होकर आएं।

सभापति महोदय दो अन्य बातें भी इसी क्रम में हैं। एक 'नालको' है। बालको एक परखनली शिशु, गिनिपिग था। तो फिर नालको, जो लाभ अर्जित कर रहा है, वह इनका लक्ष्य है। सम्पूर्ण सभा को पता लगना चाहिए कि सी०बी०आई० द्वारा काली सूची में रखे गये व्यक्ति को नालको के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त क्यों किया गया है। उन्होंने इस एकक में गड़बड़ करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है ताकि इसे उचित समय पर बेचा जा सके। नालको ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल श्री वीरेनशाह के नेतृत्व में मुकुल नारायण के रुग्ण एकक को लिया था। कागजों में वे वेतन के रुपये केवल एक रुपया ले रहे हैं (अध्यक्षपीठ के आदेश से इसे कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया)। यह सब एन०डी०ए० गठबंधन में हो रहा है। और ये लम्बे दावों की बात करते हैं।

[हिन्दी]

हम सच्चे हैं, साफ हैं क्योंकि रामजी ने कहा कि जो कुछ कहो, सच कहो लेकिन सदन के अंदर मत कहो।

[अनुवाद]

मैं इस सरकार पर राष्ट्र के साथ धोखाधड़ी करने, पंडित जवाहरलाल नेहरू के सपनों को धूमिल करने और निजीकरण के नाम पर विनिवेश की धारणा को विकृत करने अनुकूल स्वामित्व के नाम पर अनुकूल बिक्री की धारणा को विकृत करने का आरोप लगाता हूं।

मेरी मांग है कि सरकार को गत दो वर्षों के सभी दस्तावेजों को सभा पटल पर रखना चाहिए और एक संयुक्त संसदीय समिति बनाई जाए। यदि सरकार का पारदर्शी होने का दावा सत्य है और यदि सरकार इस चुनौती को स्वीकार करती है तो संसद के समक्ष समिति की रिपोर्ट आने दें। उसके पश्चात संसद अपना रुख तैयार कर सकती हैं।

[श्री प्रियरंजन दासमुंशी]

सरकार के पास दो भावी विनिवेश प्रस्ताव हैं अर्थात् एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस। इन दोनों बोलीदाताओं तक सीमित रह कर सरकार ने अपनी सीमाएं निर्धारित कर ली हैं। मैं सुझाव देना चाहता हूं कि ऐसे सभी विनिवेश प्रस्ताव स्थायी समिति की संवीक्षा के लिए लाये जाने चाहिए जिसका सभापति अध्यक्षपीठ द्वारा नियुक्त किया जाए। उसके बाद स्थायी समिति अपनी सिफारिशें सभा को भेजे जो अनिवार्य नहीं होनी चाहिए लेकिन कम से कम सभा को संवीक्षा के निष्कर्षों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद सरकार निर्णय कर सकती है। सरकार को कार्यपालक आदेश के नाम पर कुछ नहीं करना चाहिए। यह जानना चाहिए कि धनराशि जिसके बारे में श्री अरुण जेटली को जानकारी है वह करदाताओं का धन है। संसद भी करदाताओं के धन से चलाई जा रही है। संसद सर्वोच्च है। इसलिए, विनिवेश के नाम पर कोई सौदा संसद के आदेश के बिना रोका जा सकता है।

इन शब्दों के साथ मैं सरकार को प्रच्छन्न, गैर पारदर्शी तरीके से विनिवेश की नीति को क्रियान्वित करने के लिए निहित स्वार्थों को पूरा करने तथा लोगों, श्रमिक वर्गों, सार्वजनिक क्षेत्र के सपनों और विनिवेश नीति के साथ विश्वासघात करने का दोषी मानता हूं।

डा० नीतिश सेन गुप्ता (कोन्टाई) : महोदय उन्हें पश्चिम बगांल के राज्यपाल के सम्बध में अपनी टिप्पणियां वापस लेनी चाहिए जो अप्रांसगिक और अनावश्यक है। वे सकारात्मक टिप्पणियां नहीं है।

(व्यवधान)

श्री प्रिय रजंन दासमुंशी : महोदय, मैंने राज्यपाल का नाम उनकी अवमानना करने के रूप में नहीं लिया है। मैं उनका आदर करता है। मैं जानता हूं कि राज्यपाल का नाम नहीं लिया जाना चाहिए था। मैंने केवल यही कहा है कि कम्पनी का प्रबंधन वीशेष वीरेन शाह के हाथों में था जिनको रुग्ण एकक को नालको द्वारा ले लिया गया था। मैंने केवल यही कहा है कि वे अच्छे राज्यपाल हैं क्योंकि वे वेतन के रूप में केवल एक रुपया ले रहे हैं।

श्री एम०वी०वी०एस० मूर्ति (विशाखापत्तनम) : सभापति महोदय, हमने श्री रूपचन्द पाल, श्री अरुण जेटली और श्री प्रियरंजन दासमुंशी द्वारा दिए गए बहुत ही प्रभावपूर्ण भाषणों को सुना। प्रत्येक के भाषण में इस बात को श्रेय दिया गया। लेकिन आज हमारा देश किस दिशा में जा रहा है। हम इस बात का निर्णय लेना होगा कि क्या हम विनिवेश में रूचि रखते हैं और क्या विनिवेश किया जाना चाहिए या नहीं।

विनिवेश करने का निर्णय तत्कालीन वित्त मंत्री, डा० मनमोहन सिंह ने दस वर्ष पूर्व 1991 में लिया था, हममें से कई उस समय इस सभा के सदस्य थे। कांग्रेस पार्टी ने इसका प्रयोग किया था। स्वतंत्रता के बाद देश को 45 वर्षों तक अच्छे भोजन, अच्छे कपड़े और अच्छे स्वास्थ्य और अच्छे घरों के अभाव के कारण कष्ट उठने पड़े। इन सालों में लोगों को इन चीजों से वंचित रखा गया। हमारे पास इन चीजों पर निवेश करने के लिए पर्याप्त निधियां नहीं है। इन वर्षों के दौरान राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार की लगभग हजार से अधिक सरकारी क्षेत्र की इकाइयां इस कार्य को करती रहीं। उनका योगदान क्या है ? प्रत्येक वर्ष उनमें से कई को बजटीय सहायता दी जाती है। इसलिए हमें किस दिशा में जाना है ? इनका अधिशेष धन कहां है ? हम गरीबी का उन्मूलन कैसे कर सकते हैं ? आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा कैसे देंगे ? लोगों को अच्छी स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं कैसे दी जा सकती है ? हमने इन सब चीजों के बारे में विचार नहीं किया। इस पहलू पर 1991 में श्री पी०वी० नरसिंहराव ने ठीक प्रकार से विचार किया और इसे 1991 में आर्थिक सुधारों के रूप में इस प्रतिष्ठित सभा में लाया गया। उस समय हम सभी ने इसका अनुमोदन किया था। हमें इस प्रक्रिया को जारी रखना है। लेकिन इसके बाद हमने क्या किया। हम केवल कुछ ही इकाइयों की दो-से-तीन प्रतिशत तक इक्विटी बेच पाये है। अन्तोगत्वा कुछ इकाइयों की इक्विटी को इधर-उधर बेचकर हमने कुछ प्राप्त किया है। इन वर्षों में जिन इकाइयों ने लगभग 17,000 करोड़ से ऊपर लाभार्जन किया और इतना ही लाभांश दिया, हमने उनकी इक्विटी का विनिवेश 18000 करोड़ रुपये में कर दिया, इस प्रकार से हमने इन उद्योगों के 77000 करोड़ रुपये समाप्त कर दिये, लेकिन कुछ भी प्राप्त नहीं हो सका।

अब मैं 'बालको' पर आता हूं। बालको में एक मीटरिक टन उत्पादन की लागत 63000 रुपये आती है, 'नालको' के मामले में यह विनिर्माण लागत 38,000 रुपये प्रति मीटरिक टन है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि उत्कृष्ठ खदानों के बावजूद भी नालको की उत्पादन लागत किस स्तर पर अनुरक्षित की जा रही है ? यहां पर परिसम्पति मूल्यांकन पर विचार विमर्श होता रहा है कि क्या नकदी प्रवाह असतत विधि को अपनाया जाना है या परिसम्पति मूल्यांकन विधि को। उच्च मूल्यांकन विधि यानि परिसम्पति मूल्यांकन विधि को अपनाये जाने के बाद बालको की लागत 1072 करोड़ रुपये आती है। इसमें से हमने, उसकी बोली मात 551 करोड़ लगाई थी।

इसका मतलब यह है कि 547 करोड़ रुपये की राशि जो हमें मिली वह उचित ही लगती है। मैं इसकी जांच नहीं कर सकता क्योंकि मुझे इन चीजों की जानकारी नहीं है। हम ऐसा कैसे कर सकते है ? हम तो बाजार की दशाओं और उसके कारकों को न लेते हुए केवल इतना ही कह सकते हैं कि क्या यह मूल्यांकन सही है, उस दृष्टि से यह मूल्यांकन ठीक ही प्रतीत होता है।

इस बारे में कई दृष्टिकोण है कि अनुकूल साझेदार कौन है और अनुकूल बिक्री क्या है। प्रबंधन ही इसकी स्वयं की रणनीति है। बिना प्रबंधन के कोई भी अनुकूल साझेदार प्राप्त नहीं किया जा सकता है और न ही कोई अनुकूल बिक्री सम्भव हो सकती है। पूंजी बाजार में इस बात की जानकारी सभी को रहती है। हम कैसे कह सकते हैं कि केवल अनुकूल मालिक को आगे आना चाहिए ? हमने कभी भी पूंजी बाजार में अनुकूल मालिक जैसा शब्द नहीं सुना है। इसलिए यह बात इस प्रकार का विचारधारा के लोगों से जुड़ती है कि अनुकूल साझेदार के पक्ष में विनिवेश ठीक ही है।

हमने आरम्भ में कुछ और ही महसूस किया। हमारी पार्टी हमेशा ही पारदर्शिता को बड़ा महत्व देती है। इन सौदों में से प्रत्येक सौदे में पारदर्शिता ही मुख्य मुद्दा है और तभी जाकर इस देश के लोगों को इन विनिवेशों से लाभ मिलना चाहिए। यदि यहां कोई गुप्त सौदे बाजी है और वसूली में कोई कमी है तो हम ऐसे सौदों का समर्थन नहीं करते हैं चाहे वे राजग सरकार द्वारा किए गए हैं या किसी अन्य सरकार द्वारा किए जाएंगे, हमारा मुख्य उद्देश्य इस देश के लोगों के हितों की रक्षा करना है। इसी कारण आज हम इस विषय पर इतने शानदार ढंग से बहस कर रहे हैं।

सरकार ने इन दो मुद्दों को ठीक ही इंगित किया है। पहला, यह कि 'बालको' परिसम्पतियों की बिक्री में किसी भी भाग को हटाने की अनुमति नहीं दी गई है। यहां तक कि अनुकूल साझेदार जो कि कल आ रहे हैं वह भी इसकी सम्पत्ति के किसी भाग को हटा नहीं सकते और उन्हें बेच नहीं सकते। यह इस बिक्री की पहली शर्त है। इसका तात्पर्य हुआ कि जो भी कम्पनी की सम्पत्ति है वे वहीं बनी रहेगी और भारत सरकार द्वारा 49 प्रतिशत की सीमा तक उन पर अधिकार रखा जाएगा, दूसरा मुद्दा यह है कि वहां के एक भी श्रमिक की छंटनी नहीं की जाएगी, इस प्रकार से यह आश्वासन दिया गया है कि श्रमिक कम्पनी में ही कार्यरत रहेंगे और उनके हितों की रक्षा ठीक ढंग से की जा रही है। इसके विपरीत, कम्पनी के विस्तार के कारण और अधिक रोजगार सृजन हो सकेगा। इस अवस्था में अतिरिक्त रोजगार के सृजन की सम्भावना को हम नकार नहीं सकते।

यदि आप चाहते है कि यह कम्पनी अगले दस वर्षों तक लाभार्जित करती रहे तो ऐसा लगता है कि आपको इस कम्पनी के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए 4000 करोड़ रुपयों से अधिक की आवश्यकता हो सकती है। जैसा कि हम जानते हैं कि आज अधिकतर सरकारी क्षेत्र के उपक्रम लाभार्जन की स्थिति में नहीं हैं जबकि पहले वे लाभार्जन करते रहे हैं। आज इनमें से अधिक उपक्रम पुराने हो गए हैं उनकी मशीने चल नहीं रही है और हम न तो उनकी मशीनों को बदल सकते हैं और ना ही उनकी इकाइयों का विस्तार और आधुनिकीकरण कर सकते हैं। यही कारण है कि मारुती उद्योग लिमिटेड जैसी कम्पनी को भी बाजार में घाटा हो रहा है। वे कम्पनी के आधुनिकीकरण में अधिक पैसों का निवेश नहीं कर रहे हैं। आज कम्पनी की आवाज वैसी नहीं है जैसी यह दो वर्ष पूर्व थी। इसी तरह जब तक आप अन्य कम्पनियों के विस्तार और उनके आधुनिकीकरण पर निवेश नहीं करते, तब तक आप लाभार्जन क्षमता को बढ़ा नहीं सकते। इस सच्चाई को औद्योगिक क्षेत्र में जाना जाता है। वांछित परिणामों को प्राप्त करने के लिए इन कम्पनियों में निवेश किया जाने वाला धन कहां है ?

सरकार ने भी कहा कि महालेखा परीक्षक को इस सौदे के पूरे प्रपत्र दिए जाएगें और पूरी संवीक्षा के बाद यह अपनी रिपोर्ट देगा। अब और क्या चाहिए ? उन्होंने कहा कि यह उनके समक्ष रखा जाएगा। यह संविधान के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा नियंत्रित लेखा परीक्षा के लिए एक साविधिक निकाय है। मैं इससे पूर्व उठाए गए मुद्दों पर नहीं जा रहा हूं क्योंकि उनका कोई अर्थ नहीं है। वैश्विक नीलामी के माध्यम से 51 प्रतिशत का सुविचारित विनिवेश किया गया है और इस वैश्विक नीलामी में जिन व्यक्तियों को नियुक्त किया गया है वे पी०वी० राव एवं कम्पनी और जॉर्डिन फलेमिंग सरीखे अपनी ही तरह के असाधारण जीवनवृत्त वाले व्यक्ति है। उनपर कोई छीटांकसी नहीं की जा सकती है।

श्री रूपचन्द पाल : आपके अपने ही नेता ने जांच किए जाने की मांग की है। *(व्यवधान)*

श्री एम०वी०वी०एस० मूर्ति : मैं मुद्दे पर आ रहा हूं। मैं अपने मित्र, श्री रूपचन्द पाल जी को यह बताना चाहता हूं कि पूरे विश्व में सभी साम्यवादी सरकारें विनिवेश कर रही हैं। यह एक ज्ञात तथ्य है। *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री स्वाई, अध्यक्षपीठ की अनुमति के बिना किसी को भी बोलने की अनुमति नहीं है।

श्री एम०वी०वी०एस० मूर्ति : सभी राजनीतिक दल अपने-अपने तरीके से विनिवेश करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने इसे कोलकाता में ग्रेट इस्टर्न होटल से किया है। *(व्यवधान)* आज हम इस बोझ को अपने ही कंधों पर उठा रहे हैं। *(व्यवधान)*

श्री के० येरननायडू (श्रीकाकुलम) : मंत्री ने हमारी सारे शक दूर कर दिये हैं।

श्री एम०वी०वी०एस० मूर्ति : यदि आप इन गैर-निष्पादनकारी सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को चलाना चाहते हैं, तो इस प्रतिष्ठित सभा को इस संबंध में निर्णय लेना चाहिए कि क्या हम उनका आधुनिकीकरण करने हेतु धन का निवेश कर सकते हैं और बाद में इसका परिणाम देखने हेतु उनका विस्तार कर सकते हैं। अन्यथा, वे एक के बाद एक पुराने होते जाएंगे। जो कभी किसी समय अच्छा हुआ करता था वह आज या कल भी अच्छा बना नहीं रह सकता। हम आवश्यक धन उपलब्ध कराने में असमर्थ हैं। कृपया यह देखिए कि यदि हमारे पास धन है और यदि हम इसे सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में उनका विस्तार और आधुनिकीकरण करते हुए उनकी जीवनक्षय बनाने हेतु लगाते हैं, तो वे चल सकते हैं। उनको चलाना सरकार का कार्य नहीं है। वे दिन चले गए। अब दिनों में, जब हम प्रजातंत्र में बिल्कुल नए थे तब कोई भी निवेश के लिए आगे नही आ रहा था, शायद हम सरकारी क्षेत्र के सभी उपक्रमों को रखते। आज, यह एक अलग ही कहानी है। आज आप उनको इस तरीके से नहीं चला सकते हैं। विनिवेश आयोग द्वारा अनुशंसित तरीके से विनिवेश किया जाना ही एकमात्र तरीका है। वे केवल उसी के अनुसार आगे बढ़ रहे हैं। विनिवेश किए जाने का एक तरीका है। उस धन का दुरूपयोग मत कीजिए। उस धन का उपयोग राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिए मत कीजिये। इसकी अनुमति नहीं है और यदि आप ऐसा करते हैं, तो लोग आपको माफ नहीं करेंगे।

विनिवेश से प्राप्त होने वाले धन को उचित उपयोग में लाया जाना चाहिए। मैं सरकार से उच्च-लागत वाले धन के ऋण-बोझ को कम करने हेतु इस धन का उपयोग करने का अनुरोध करता हूं। यह सबसे उचित तरीका है। यदि ऐसा किया जाता है, तो देश के

[श्री एम०वी०वी०एस० मूर्ति]

कंधों पर बड़े ऋण का बोझ नहीं होगा। हमारे ऊपर 1,10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का ऋण है। प्रतिवर्ष, हम बाह्य और आंतरिक ऋण के मद में 70,000 करोड़ और इससे ज्यादा ब्याज का भुगतान कर रहे हैं। यह उच्च ऋण का बोझ क्या है ? यदि इसे जारी रखा जाता रहा तो हम कहां तक पहुंचेंगे ?

इस सौदे में सरकार की भूमिका को, हमारे कुछ राजनीतिक दलों द्वारा यह कहते हुए कि खनन पट्टे से संबंधित 51 प्रतिशत स्वामित्व को बेच दिया गया है, ज्यादा आंका गया है। मैं यह कहूंगा कि यह केवल एक पट्टा है। यह संपत्ति का हस्तांतरण नहीं है। यहां तक कि यदि यह जनजाति अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचित क्षेत्र है तो भी उन्होंने बस यही किया है कि इसे पट्टे पर दिया है। सरकार की केवल वास्तविक अभिरूचि होनी चाहिए। 51 प्रतिशत अभिरूचि रखने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे मामले में, वे इसे पट्टे पर दे सकते हैं। यह केवल पट्टे पर देने की प्रक्रिया है। *(व्यवधान)*

श्री एन० जनार्दन रेड्डी : मूर्ति जी, आप अच्छी तरह जानते हैं कि विशाखापत्तनम में नेशनल अल्यूमिनियम कंपनी ने जनजातीय भूमि प्राप्त की थी। राज्य सरकार भूमि दिए जाने की अनुमति प्राप्त करने के लिए भारत सरकार के पास क्यों गई थी ? *(व्यवधान)*

श्री एम०वी०वी०एस० मूर्ति : यह तो पहले से ही अनुमति प्राप्त बात थी। मैं अब उस पहलू की बात नहीं करने जा रहा हूं। *(व्यवधान)*

श्री एन० जर्नादन रेड्डी : आपने जो कुछ कहा है उसे आप बदल नहीं सकते हैं।

श्री एम०वी०वी०एस० मूर्ति : मैं जो कुछ बोल रहा था उसे आपने नहीं समझा है। मैंने यह कहा है कि हम संपत्ति का हस्तांतरण नहीं कर रहे हैं। यह केवल पट्टा है। वह भी, भारत सरकार, छत्तीसगढ़ की सरकार और उड़ीसा सरकार को इसे पट्टे पर देना है। *(व्यवधान)*

श्री के० येरननायडू : जनार्दन रेड्डी, आप विशाखापत्तनम स्टील प्लांट की बात कर रहे हैं ? दूसरे इस्पात संयंत्रों के बारे में क्या ख्याल है ? कई सारे इस्पात संयंत्र रुग्ण हैं। हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं। हमारा प्रश्न यह है कि वे इसका विनिवेश क्यों कर रहे हैं। हम विनिवेश के विरुद्ध नहीं हैं। कांग्रेस पार्टी ने ही समस्त उदारीकरण प्रक्रिया को आरंभ किया था। हम उसका समर्थन कर रहे हैं। हम उस दिशा में जा रहे हैं। *(व्यवधान)*

श्री एम०वी०वी०एस० मूर्ति : आज तक हमारे विनिवेश ने क्या योगदान किया है। *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री एम०वी०वी०एस० मूर्ति : महोदय, मैंने दस मिनट से ज्यादा समय नहीं लिया है। हर बार आप घंटी बजा रहे हैं। आपको मुझे और पांच मिनट का समय देना चाहिए।

सभापति महोदय : आप पहले ही 16 मिनट का समय ले चुके है। आप अपना सारा समय ले चुके हैं।

श्री एम०वी०वी०एस० मूर्ति : महोदय, हमने देखा है कि आप एक निष्पक्ष सभापति हैं। आपने दूसरे सदस्यों को भी अनुमति दी है। कम से कम, आपको हमें भी उतने समय की अनुमति देनी चाहिए।

मैं अपने मुद्दे पर आता हूं। अब तक केवल एक सरकारी क्षेत्र के उपक्रम का विनिवेश हुआ था। वह भी बेकरी का/यह मार्डन फूड इंडस्ट्रीज है। उनमें से कईओं का विनिवेश किया जाना है। आज हमारे पास मारुति उद्योग लिमिटेड का आधुनिकीकरण करने हेतु धन नहीं है। हमारे पास एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स के लिए वायुयान खरीदने के लिए धन नहीं है। उनमें से कुछ नाम आई०बी०पी० विदेश संचार निगम लिमिटेड, आई०टी०डी०सी० होटल और सी०एम०सी० जैसे बहुत से नवरत्न यहां हैं। 'सेल' एक समय में नवरत्न था। आज, यह नवरत्न नहीं रहा है। इसे घाटा भी उठाना पड़ रहा है। इस्पात उद्योग में घाटा हो रहा है। यहां तक कि विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र में भी घाटा हो रहा है। उससे निपटने में हम समर्थ नहीं है। विगत दो वर्षों से, हम सभी भारत सरकार से धन की गुहार करते रहे हैं। हमने प्रधान मंत्री को विशाखापत्तनम इस्पताल संयंत्र के आधुनिकीकरण हेतु 1750 करोड़ रुपए देने के लिए एक-दो अभ्यावेदन भी दिये थे। परन्तु कुछ भी परिणाम नहीं निकला। अब अगर यह मामला है तो हम उसमें कैसे धन लगा सकते हैं ? इसलिए अंततोगत्वा बालको का विनिवेश ही समाधान है। अत: यदि यही समाधान है तो हमें इसकी स्पष्ट परख करनी है कि क्या इसका सही ढंग से विनिवेश किया गया है या नहीं। मेरे मित्रों, यदि किसी बिक्री में आप इन सभी चीजों को लोगों के सामने लाते हैं तो विनिवेशक नहीं आएंगें। निवेशक हम लोगों के बारे में क्या सोचेंगे। राष्ट्र की साख इससे जुड़ी है। एक समझौते के मामले में भी यदि हम इसका पालन नहीं कर सकते हैं तो इस देश में कोई भी निवेशक नहीं आएगा। देश का नाम भी इससे जुड़ा हुआ है जिस किसी बात पर वे सहमत हैं, हम अन्य रास्तों पर विचार कर सकते हैं। मित्रों, आप देश की छवि को खराब करने के लिए इस से मुकर नहीं सकते है। इस देश की छवि भी इससे जुड़ी है। यह सौदा विश्व स्तर पर बोली लगाने से हुआ है। सबसे अधिक मूल्य पर बोली लगाने वालों को यह क्रयादेश दिया गया है। हमने दूसरे सदन में क्या मांग की है यह दूसरी बात है। *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री मूर्ति, कृपया समाप्त करें। आप मेरे धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं।

श्री एम०वी०वी०एस० मूर्ति : महोदय, मैं सिर्फ एक मिनट लूंगा। दूसरे सदन में हमने जे०पी०सी० बैठाने की मांग की है। लेकिन यहां हम जे०पी०सी० बिठाने की मांग नहीं कर रहे हैं। हमारी पार्टी यहां कोई जे०पी०सी० बिठाने की मांग नहीं कर रही है। हमारा यह कहना है कि आप न्यायोचित बात करें। *(व्यवधान)* हम विपक्ष के मित्रों से नियम 184 के अधीन चर्चा का प्रस्ताव वापस लेने का अनुरोध करते हैं ताकि हमारा राष्ट्रहित और हमारी छवि सुरक्षित रहे।

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ०प्र०) : सभापित महोदय, आज आर्थिक उदारीकरण और आर्थिक सुधारों के नाम पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबन्धन की सरकार जिस तरह से सार्वजनिक उपक्रमों को लाभ अर्जित करने वाले संस्थानों को एक-एक करके विनिवेश की प्रक्रिया को अपना रही है। सरकार की इस विनिवेश प्रक्रिया के कारण देश के मजदूरों और देश के बुद्धिजीवियों के मन में यह आशंका व्याप्त हो गई है कि यह सरकार आर्थिक सुधारों और आर्थिक उदारीकरण के नाम पर करोड़ों रुपये की सम्पत्तियों को कौड़ियों के मोल बेचने का काम कर रही है। अभी तक पिछली सरकारों में जो सार्वजनिक उपक्रम घाटे में थे, उन घाटे के उपक्रमों को बेचने में भी पहल करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी, उससे हम परहेज कर रहे थे, संकोच कर रहे थे, लेकिन आज जिस तरह से लाभ अर्जित करने वाले सार्वजनिक उपक्रमों को एक-एक करके यह सरकार बेच रही है, उससे यह प्रतीत हो रहा है कि यह सरकार विदेशियों के हाथों में इस देश को बेचने से भी परहेज नहीं करेगी, इस मुल्क को गिरवी रखने से परहेज नहीं करेगी। जब लाभ अर्जित करने वाले सार्वजनिक उपक्रमों को बेचने का निर्णय सरकार लेती है तो उन उपक्रमों में कार्य करने वाले मजदूरों के मन में यह भावना व्याप्त हो जाती है कि मेहनत और ईमानदारी का इस देश में कोई मतलब नहीं है। मजदूरों ने अपनी मेहनत से, मशक्कत से, ईमानदारी से बालको को केवल लाभ ही नहीं दिलाया था, बल्कि पिछले चार वर्षों के अंतर्गत लगभग 598 करोड़ रुपये का लाभ बालको अर्जित कर चुकी थी, जिसमें से भारत सरकार को भी लाभांश के रूप में और कैपीटल रीस्ट्रक्चरिंग के रूप में लगभग 340 करोड़ रुपये प्राप्त हुए थे। इसके बावजूद बालको की 51 प्रतिशत शेयर निजी क्षेत्र में बेचना निश्चित तौर पर दुर्भाग्यपूर्ण है। भारत सरकार ने इस उपक्रम को बेचने के लिए, इसके मूल्यांकन के लिए जिस प्रक्रिया को अपनाया है, उस प्रक्रिया में निश्चित तौर पर एक बड़े घोटाले की बू आती है। विनिवेश आयोग ने भी अपने सुझावों में, अपने निर्देशों में स्पष्ट रूप से कहा था कि विनिवेश की प्रक्रिया अपनाये जाते वक्त पारदर्शिता की आवश्यकता है, लेकिन जिस तरह से इन्होंने सीमित समय के अन्दर बाल्को के विनिवेश की प्रक्रिया को अपनाया है, उससे संदेह उपजना स्वाभाविक है। जितने बड़े भू-भाग में बालको का कारखाना स्थापित है और जितने, बड़े भू-भाग में बालको की खदानें स्थापित हैं, उतने बड़े भू-भाग का सर्वेक्षण, इतने बड़े भू-भाग का दौरा मूल्यांकन करने वाले लोगों ने इतने कम समय में कैसे कर लिया, यह निश्चित तौर पर सोचने का विषय है।

हम यह कहना चाहते हैं कि जिस बालको की कीमत को आपने मात्र 1072 करोड़ रुपये आंकने का कार्य किया है, उसके 268 मैगावाट का केवल एक सैट 1340 करोड़ रुपये का है। उस संस्था में कार्य करने वाले मजदूरों ने भी अपने स्तर पर इसका मूल्यांकन कराया है। उनके मूल्यांकन के बाद बालको की कीमत 3844.90 करोड़ रुपये की है। सरकार ने पता नहीं किस एजेंसी से इसका मूल्यांकन मात्र 1072 करोड़ रुपये का कराया है। उत्तर देते समय अरुण शौरी जी से मैं जानना चाहूंगा कि आखिर मूल्यांकन करने वालों का आधार क्या है ?

इसमें जो निविदा आमंत्रित की गईं, उसमें भी पारदर्शिता का पालन नहीं हुआ है। इन्होंने मूल्यांकन करने के लिए विश्व स्तर के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया, लेकिन जब निविदा आमंत्रित की गई तो विश्व व्यापी, निविदा आमंत्रित नहीं गई। मात्र तीन लोगों ने ही निविदा में भाग लिया। जब प्राइस बिड का समय आया तो उसमें दो ही लोग रह गए, हिंडाल्को और स्टर्लाईट। मात्र दो प्रतिस्पर्धियों के होते हुए निविदा खोलने के आधार पर आप 551 करोड़ रुपए के इस सार्वजनिक उपक्रम को बेचने का निर्णय ले रहे हैं। इसमें जो प्रक्रिया इन्होंने अपनाई है, उससे निश्चित तौर पर संदेह का वातावरण पैदा होता है।

बालको कम्पनी में 6775 कर्मचारी हैं। इसमें से दो हजार से अधिक कर्मचारी अनुसूचित जाति और जनजाति के हैं और तीन हजार से अधिक कर्मचारी पिछड़े वर्ग के हैं। इस यूनिट के लिए जो तीन हजार एकड़ भूमि अधिगृहित की गई थी, वह जमीन आदिवासियों की है। न तो राज्य सरकार को इसमें विश्वास में लिया गया और न जिन लोगों की जमीन अधिगृहित की गई थी बालको के लिए, उनको विश्वास में लिया गया। इस कम्पनी के निजी हाथ में चले जाने से उन दो हजार अनुसूचित जाति और जनजाति तथा तीन हजार पिछड़े वर्ग के कर्मचारियों का भविष्य अंधकार में पड़ जाएगा। सरकार लाभ अर्जित करने के लिए सार्वजनिक उपक्रमों को एक-एक करके निजी हाथों में सौंप कर पिछड़े और दलित लोगों के हाथों से रोजगार छीनने का कुचक्र रच रही है।

भारतीय जनता पार्टी, जो इस सरकार का एक मुख्य घटक है, उसका अनुषांगिक संगठन राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ स्वदेशी और स्वावलम्बन की बात करता है और ये विदेशी की बात करते हैं। लाभ में चलने वाले सार्वजनिक उपक्रमों को बेच कर देश को रसातल में ले जाने का काम यह सरकार कर रही है। आज बालको की सम्पत्ति का मूल्यांकन कराया गया है, यह गलत ढंग से कराया गया है। बालको के विनिवेश की प्रक्रिया में जो विनिवेश आयोग की नीति रही है, सुझाव रहे हैं, उन सुझावों का स्पष्ट तौर पर उल्लंघन किया गया है। आज 3844 करोड़ रुपए की सम्पत्ति को मात्र 551 करोड़ रुपए में, उसके 51 प्रतिशत शेयर को बेचना राष्ट्रदोह के समान है। कम से कम देश की जनता इस तरह के राष्ट्रदोह कार्य करने की इजाजत राष्ट्रीय गठबंधन की सरकार को नहीं देगी।

इस तरह के जब सौदे किए जाएं तो सबसे पहले संसद को विश्वास में लिया जाए। संसद का बजट सत्र आहूत हो चुका था, परंतु उसको विश्वास में लेने का काम नहीं किया गया। आज संसद के चलते वक्त जिस तरह से प्रधान मंत्री जी ने संसद के बाहर बालको के सौदे को उचित ठहराने का काम किया है, उससे निश्चित ही सरकार के मुखिया पर भी संदेह की सुई उठती है। अगर पिछली सरकारों ने आर्थिक उदारीकरण और सुधारों के नाम पर कोई निर्णय लिया था, यह उसका दुष्प्रभाव सामने आ रहा है तो निश्चित ही में इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। आर्थिक उदारीकरण और सुधार जो दस वर्ष पूर्व शुरू किए गए थे, आज 70 प्रतिशत से ऊपर किसानों को उसका दुष्परिणाम भुगतान पड़ रहा है। आज उन पुराने आधारों को

[कुंवर अखिलेश सिंह]

आधार मानकर उस प्रक्रिया को जारी रखेंगे तो निश्चित तौर पर देश रसातल में जाएगा और देश को विनाश के गर्त में जाने से कोई बचा नहीं सकता।

राष्ट्रीय गठबंधन की सरकार में कई घटक दलों के लोगों ने जब राज्य सभा में इसी सवाल पर चर्चा में भाग लिया था तो अपना विरोध दर्ज कराया था। तीन दिन के अंदर यह बदलाव राष्ट्रीय गठ-बंधन सरकार में जो आया है, यह उनकी दोहरी मानसिकता को उजागर करने का कार्य करता है।

अभी जब राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के एक मुख्य सहयोगी घटक के साथी मेरे पहले बोल रहे थे तो कम से कम हम उनसे यह अपेक्षा करते थे कि सरकार ने इस सार्वजनिक उपक्रम को बेचने में जो अदूरदर्शिता दिखाई है, जिस तरह से जल्दबाजी की है, जिस तरह से विनिवेश आयोग की सिफारिशों को दरकिनार करते हुए इस सौदे को अमलीजामा पहनाने का काम किया है, उससे निश्चित ही तौर पर वह उसके विरोध में दो शब्द बोलने का कार्य करेंगे लेकिन उन्होंने इस सौदे को जायज ठहराकर निश्चित तौर पर अपनी सत्यनिष्ठा को संदिग्ध करने का कार्य किया है। आज इस 'बाल्को' कंपनी की सम्पत्ति का यदि हम मूल्यांकन करें तो दिल्ली और कलकत्ता के अंदर उसके जितने कार्यालय हैं, यदि उनकी सम्पत्ति का ही मूल्यांकन कराया जाये तो जितने रुपये में उन्होंने 51 प्रतिशत का शेयर बेचा है उसकी आधी सम्पत्ति केवल इन क्षेत्रीय कार्यालयों के भवनों से और जमीनों से प्राप्त हो सकती है। इतना ही नहीं है, आज उन्होंने विनिवेश के नाम पर जिस तरह से 51 प्रतिशत निवेश 'स्टारलाइट' कंपनी को दिया है और इस कंपनी का एल्युमिनियम के क्षेत्र में कितना योगदान है, उसके अनुभव और योगदान को भी ध्यान में नहीं रखा गया। इससे ज्यादा अनुभव 'हिन्डालको' कंपनी के पास है। 'हिन्डालको' का उससे बड़ा क्षेत्र है लेकिन सरकार ने 'हिन्डालको' के बजाय 'स्टारलाइट' को यह सौदा देने में रुचि दिखाने का कार्य किया है। इस एल्युमिनियम कंपनी के द्वारा जो एल्युमिनियम तैयार किया जाता है, वह रक्षा उत्पादन की भी सामग्री के तौर पर प्रयोग किया जाता है। जिस कंपनी के द्वारा उत्पादित सामग्री का प्रयोग हम रक्षा उत्पादन में करते हों, उस कंपनी को निजी क्षेत्र में देना देश हित में कतई उचित नहीं होगा। इसलिए हम आपसे आग्रह करते हैं कि आज इस सरकार ने करोड़ों रुपये की सम्पत्ति को जिस तरह से कौड़ियों के मोल आज 'स्टारलाइट' कंपनी को बेचकर देश के लोगों के साथ अनैतिक काम करने का कार्य किया है, हम आपसे मांग करते हैं कि इस सौदे को तत्काल रोककर इस सौदे की जांच के लिए एक संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया जाये। वह संयुक्त संसदीय समिति इस पूरे सौदे का अवलोकन करे और उसके बाद ही इस सौदे को सरकार अंतिम सहमति प्रदान करें।

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागिरि) : सभापति जी, बालको के विनिवेश के संदर्भ में यहां कई प्रश्न उठाये गये। विपक्ष की ओर से बार-बार यह मांग की जा रही है और हमारे शिव सेना प्रमुख श्री बाल ठाकरे जी ने इस बात का दूरदर्शन के इंटरव्यू में जिक्र किया था। आज बालको का विनिवेश हो रहा है जिसकी चर्चा सदन में हो रही है। सरकार ने कई सार्वजनिक उपक्रमों का विनिवेश करने का निर्णय किया हुआ है और इस विनिवेश का निर्णय में पारदर्शिता होनी चाहिए, मैं इस मांग को फिर से दोहराता हूं। यह निर्णय दस वर्ष पूर्व जब इस देश में कांग्रेस का राज था, तब हुआ था। जो भी उसके अच्छे बुरे परिणाम हैं, वे आज देश के सामने हैं और जब कांग्रेस का इस देश के अंदर राज था, निर्णय करते समय कोई पारदर्शिता नहीं थी तो उसके जो नतीजे हुए, वे आज हम भुगत रहे हैं।

उसका परिणाम हम आज भुगत रहे हैं। हम एन०डी०ए० के सहयोगी दल हैं। *(व्यवधान)* हमारा धर्म सही है। आपने जो धर्म 1996-98 में अपनाया था, वह हमारा धर्म नहीं है।

सभापति महोदय, हम एन०डी०ए० के सहयोगी दल हैं और सत्ता में भी हैं। इसलिए चाहते हैं कि इस विनिवेश के संदर्भ में हम जो भी निर्णय करने जा रहे हैं, उसे सोच-समझ कर करने की आवश्यकता में। उसमें कोई जल्दबाजी की आवश्यकता नहीं है। पहले जो गलत नीतियां अपनाई गई हैं, उनके दुष्परिणाम हम आज भुगत रहे हैं और भविष्य में अगर हमने कोई गलत नीति अपनाई तो उसके परिणाम देश को न भुगतने पड़े, इसलिए शिवसेना की भूमिका इस संदर्भ में बिल्कुल साफ है।

सभापति महोदय, जब भी सार्वजनिक उपक्रमों का विनिवेश होता है तो सबसे पहले भविष्य में मजदूरों और कर्मचारियों को मुसीबतों का सामना करना है। आज देश में दिन-प्रति-दिन बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। जब भी विनिवेश की बात आती है तो सबसे पहले मजदूरों और कर्मचारियों के मन में भय होता है कि उन्हें रोजगार खोना पड़ेगा। इस विनिवेश के संदर्भ में सरकार जो निर्णय करने जा रही है, सरकार को इस तरफ ध्यान देना होगा कि जो मजदूर आज अपनी रोजी-रोटी सार्वजनिक उपक्रमों के जरिए पा रहे हैं और अपने परिवार का पालन-पोषण कर रहे हैं, उनकी रोजी-रोटी हमें किसी भी हालत में नहीं छीननी है। उसे हमें रोजगार से वंचित नहीं करना चाहिए और इसीलिए हमने विनिवेश का विरोध किया था। जेटली जी, यहां पर विनिवेश के संदर्भ में कौन सी नीति अपनाई गई है ? विनिवेश करना किस प्रकार हमारे राष्ट्र के हित में है ? इसके जरिए हम किस प्रकार गरीबी से लड़ सकते हैं, शिक्षा को बढ़ावा दे सकते हैं और राष्ट्र के विकास के काम में आ सकते हैं, आप इसकी जानकारी सदन को दें।

सभापति महोदय, हम एन०डी०ए० के घटक दल हैं। हमारी सरकार में भागीदारी है और सरकार में भागीदारी होते हुए भी जो बातें हमें जन-विरोधी लगती हैं या देश के हित में बाधा पहुंचाने वाली हैं, उनका विरोध हम सदन में भी करते हैं और सदन के बाहर भी करते हैं।

अपराह्न 5.00 बजे

तो यह सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है कि अगर कहीं गलतफहमियां हैं तो उनको दूर करें क्योंकि हम एन०डी०ए० के सहयोगी हैं।

सभापति जी, जब से विनिवेश की बात चली है आम जनता के मन में एक भय है कि धीरे-धीरे विदेशी कंपनियां हमारे उद्योगों पर छा जाएंगी और यदि सारे उद्योग विदेशी कंपनियों के हाथों में चले गये तो हमारे यहां के जो छोटे-छोटे देशी उद्योग हैं और उनमें काम करने वाले लोगों की स्थिति भविष्य में क्या होगी ? इन सारी बातों को विनिवेश करते समय या इस संदर्भ में निर्णय करने से पहले सरकार को गंभीरता से विचार करना होगा। इसलिए जो बातें हमारे देश के विकास में, उसके भविष्य के विकास में बाधा बन सकती हैं हमारी पार्टी ने ऐसी बातों का हमेशा विरोध किया है और भविष्य में भी हमारी पार्टी विरोध करती रहेगी। अगर राष्ट्र-विरोधी या राष्ट्र को नुकसान पहुंचाने वाली कोई बात सरकार की तरफ से होगी तो हम उसका विरोध करेंगे।

सभापति जी, आज इस सदन में बहस नियम 184 के तहत है। जब बहस सुबह शुरू हुई तो माननीय रूपचंद पाल जी यहां बोल रहे थे तो एन०डी०ए० के सहयोगी दलों ने साफ तौर पर कहा था कि विपक्ष नियम 184 में चर्चा कराकर क्या चाहता है। आप इस "बालको" के निवेश में जो आरोप लगा रहे हैं कि बहुत बड़ा स्कैम हुआ है, विनिवेश आयोग ने जो गाइडलाइन्स दी हैं यह उसके अनुसार नहीं हुआ है। अगर चर्चा हो रही है तो उसका विरोध कोई नहीं करना चाहता और जो भी आशंकाएं हमारे मन में हैं उनका स्पष्टीकरण हमें सरकार से मांगना चाहिए और सरकार को स्पष्टीकरण करना चाहिए, इसका भी विरोध किसी ने नहीं किया है। लेकिन सभापति जी, मैं 11वीं लोक सभा से सदन का सदस्य हूं। माननीय देवगौड़ा जी की सरकार और माननीय गुजराल साहब की सरकार कैसे गयी, यह हमने अपनी आंखों से देखा है। *(व्यवधान)* जो गलतियां आप लोगों ने की हैं वह गलतियां एन०डी०ए० का कोई घटक दल नहीं करेगा।

सभापति जी, हमारे सामने राष्ट्र का हित सर्वोपरि है, हमारे सामने देश का भविष्य सर्वोपरि है और हम राष्ट्रहित के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। *(व्यवधान)* इसलिए हमारी यह मांग है कि निवेश के हर निर्णय में पारदर्शिता होनी चाहिए और हमारे देश के मजदूरों की रोजगारी कायम रहनी चाहिए क्योंकि उनके रोजगार को खत्म करने का हमें कोई अधिकार नहीं है।

इसलिये बालको, जो मुनाफा कमाने वाला सार्वजनिक उपक्रम है, और सरकार जिसका विनिवेश करने जा रही है, हम उसका विरोध करते हैं। कई ऐसे सार्वजनिक उपक्रम हैं जो घाटे में चल रहे हैं, उनका विनिवेश करने की जिम्मेदारी सरकार पर आती है। इससे भविष्य में सरकार के लिये समस्यायें पैदा हो सकती हैं। इसलिये हमारी पार्टी शिवसेना राष्ट्रहित में इसका विरोध करती है। इसके लिये हमें आदेश अपने प्रमुख श्री बालासाहेब ठाकरे से प्राप्त हुआ है और उनकी जो इस संबंध में भूमिका है, उसे इस सदन में विरोध के रूप में रखना हमारा कर्तव्य है। इसलिए मेरा कहना है कि बालको का विनिवेश करते समय सरकार को इस बात का ख्याल रखना चाहिये कि मजदूर बेरोजगार न हों। विनिवेश की प्रक्रिया में पूरी तरह से पारदर्शिता हो। सरकार की ओर से कोई गलत नीति न अपनाई जाये जिससे भविष्य में देश को दुष्परिणाम भुगतने पड़ें।

सभापति महोदय, इस सदन में विरोधी पक्ष ने जिस तरह यह मोशन रखा है, वे चाहते हैं कि राष्ट्रीय गठबंधन की सरकार के अंदर विवाद हो और यह गठजोड़ की सरकार गिर जाये तो वे यह सपना देख रहे हैं, हम उसे पूरा होने नहीं देंगे। इसलिये हम राष्ट्र हित में और देश के भविष्य के लिये इस मोशन का समर्थन नहीं कर सकते।

डॉ० चरणदास महंत (जांजगीर) : सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस विषय पर बोलने का अवसर प्रदान किया।

मैं उस क्षेत्र से जनता का प्रतिनिधि बनकर आया हूं जहां बालको का गौरवशाली संयंत्र है। इसलिये मैं वहां के श्रमिकों की ओर से इस सदन को प्रणाम करते हुये प्रार्थना करना चाहता हूं कि उन लोगों ने बालको को एक संयंत्र न समझकर एक मंदिर समझकर उसकी पूजा-अर्चना की है। इस कारण छत्तीसगढ़ क्षेत्र के लोग कोरबा को औद्योगिक तीर्थ मानते हैं। सरकार के एक आदेश ने उस पूरे क्षेत्र के मजदूरों के घर में चूल्हा जलना बंद कर दिया है। उस क्षेत्र के किसानों और आदिवासियों को यह सोचने पर विवश कर दिया है कि उनका भविष्य क्या होगा।

सभापति महोदय, मैं अपनी बात महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के पैरा 34 में कहे गये विषय से शुरू करना चाहूंगा। उन्होंने कहा है :

> "कि सरकार के दृष्टिकोण के त्रिविध उद्देश्य हैं : क्षमतायुक्त व्यवहार्य उपक्रमों का पुनरुत्थान; सार्वजनिक क्षेत्र के ऐसे उपक्रमों को बंद करना जिनका पुनरुत्थान संभव न हो; और सार्वजनिक क्षेत्र के गैर-अनुकूल उपक्रमों में सरकारी भागीदारी को कम करना।"

यहां बालको को गैर-अनुकूल उपक्रम माना गया है। मैं इस बात का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूं कि निश्चित रूप से यह एक षड्यंत्र है जिसे श्री दासमुंशी जी ने बहुत अच्छी तरह से इस सदन के सामने रखा है।

पूरे षड्यंत्रपूर्वक बालको को डिसइनवैस्टमैंट करने का निर्णय लिया गया है, यह मैं आपके सामने कुछ शब्दों में क्षेत्रीय भावनाओं के साथ रखना चाहता हूं। जब बालको की स्थापना की गई थी तो इसके मुख्य रूप से दो उद्देश्य रखे गये थे – प्रथम एल्युमीनियम के क्षेत्र में उत्पादन में वृद्धि कर भारत को आत्मनिर्भर बनाना और दूसरा प्रमुख उद्देश्य रक्षा उत्पादन की जरूरतों को पूरा करना था। मैं आपके माध्यम से पूरे सदन को बताना चाहता हूं कि अग्नि और पृथ्वी मिसाइल की शीट्स इसी बालको के एल्युमीनियम से बनाई जाती है। एम०जी०एस०एल० – मेट ग्राउंडिंग सर्फेस लैंडिंग, गन शैल्स, स्पेस साइंस के सामान डिफैंस की अनेक रिसर्च यहां चल रही हैं। इस महत्वपूर्ण औद्योगिक संस्था को किसी व्यक्ति विशेष के हवाले करना निश्चित रूप से एक षड्यंत्र का हिस्सा है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि वर्ष 1992 से हम लगातार लाभ प्राप्त कर रहे हैं। वर्ष 1992 में 9 करोड़, 1993 में 1.9 करोड़, 1994 में 15.3 करोड़, 1995 में 90.5 करोड़, 1996 में 163.3 करोड़, 1997

[डॉ० चरणदास महंत]

में 126 करोड़, 1998 में 134.87 करोड़ और वर्ष 1999 में 134.35 करोड़ रुपये लाभ प्राप्त करने के आंकड़े हैं जो यहां माननीय सदन के पास रखे हुए हैं। इसके बावजूद भी इस संस्था को अलाभकारी बताकर उसे डिस्इनवैस्टमैंट करने का निर्णय लेना निश्चित रूप से पूरे छत्तीसगढ़ के लिए दुर्भाग्य की बात है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा, उन्होंने स्वयं इस बात को स्वीकार किया है कि हर एक व्यक्ति चाहे वह उस क्षेत्र का हो या अन्य कोई माननीय सांसद हो, सभी ने इसे स्वीकार किया है कि यह लाभकारी संयंत्र हैं, अलाभकारी नहीं है।

सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि डिसइनवैस्टमैंट कमीशन ने सिर्फ इसे बेचने की सिफारिश नहीं की है, बल्कि उन्होंने इसमें सुधार के लिए भी सुझाव दिये थे। उनके अनुसार यदि खदानों का आधुनिकीकरण कर दिया जाए तो बालको से लाभ प्राप्त हो सकता है। पिछले चार वर्षों में गवर्धा छत्तीसगढ़ जिले से नई खदानें लेने की तैयारी चल रही है। यदि यहां नई कोल्ड रोलिंग मिले लगा दी जाएं तो इसमें लाभ प्राप्त हो सकता है। मुझे यह बताने में खुशी हो रही है कि आज तक 184 करोड़ रुपये की नई कोल्ड रोलिंग मिल यूनिट यहां लगा दी गई है। केपटिव पावर प्लान्ट यदि बाल्को को मिलता है तो जो बिजली हमें पांच रुपये में मिलती है वह हमें एक रुपये से भी कम पैसे में मिलेगी और इसके कारण भी हमें लाभ प्राप्त होगा। यदि आप इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से यह हमारे लिए एक बहुत ही उपयोगी और लाभप्रद संस्था बन सकती है। मगर मुझे दुख है कि स्वार्थवश और निजी कारणों से इसका विनिवेश करने का निर्णय लिया गया है।

माननीय सभापति महोदय, मैं ज्यादा पढ़ा-लिखा नहीं हूं, मगर मैं एक बात आपके सामने रखना चाहता हूं कि एक राजनैतिक विचारक मैकाइवर ने कहा है – "राजनीतिक दलों के नेता सामान्यत: जनता के हितों की दुहाई देकर किसी विशिष्ट वर्ग दबाव समूह या वित्त के हितों का पोषण करते हैं।" इस विनिवेश में यही बात पूरी तरीके से साबित हो रही है। न तो इसमें पारदर्शिता बरती गई है और न प्रदेश के शासन को विश्वास में लिया गया है, न संयंत्र के कर्मियों और वहां काम करने वाले लोगों को विश्वास में लिया गया है, न समिति संगठनों की कोई बात सुनी गई है। श्री दासमुंशी जी ने जो यहां आकलन कराया उसमें शायद उन्हें पूरी तरीखें याद नहीं रहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो भी बड़े आकलनकर्ता थे वे दो, तीन और चार फरवरी सिर्फ तीन दिन के लिए कोरबा में रहे। उसके बाद विधानबाग में पांच फरवरी और छ: फरवरी को रहे। पांच दिन में उन्होंने असैस कर लिया कि यह सारी सम्पत्ति मात्र एक हजार करोड़ रुपये की है; जबकि भारत सरकार के एक वित्त सचिव, श्री जी०वी० राधाकृष्णन ने 1998 में खुद सरकार को यह बताया था कि यह संपत्ति लगभग 2000 करोड़ रुपये की है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ सरकार ने जो असैसमेंट कराया है, उस हिसाब से कम से कम संपत्ति 3844.9 करोड़ रुपये की है।

श्री थावरचन्द गेहलोत (शाजापुर) : 300 करोड़ रुपये में ले लो।

डॉ० चरणदास महंत : ले लेंगे। *(व्यवधान)* अपने सिर्फ 49 प्रतिशत की बात कही है। मैं सिर्फ 49 आइटम्स की संपत्ति का विवरण आपके सामने रख रहा हूं जिसकी लागत 3844.9 करोड़ रुपये है। इसमें 300 एकड़ जमीन है। गिरी हालत में दो लाख रुपये प्रति एकड़ भी लगाया जाए तो 60 करोड़ रुपये की जमीन है। हमारी टाउनशिप के 5000 क्वार्टर हैं। अगर गरीबों को वे दो लाख रुपये के हिसाब से दिये जाएं तो सौ करोड़ रुपये की सिर्फ टाउनशिप है। वी०सी०सी०पी० पावर प्लांट 1340 करोड़ रुपये का है। ऐल्यूमीनियम प्लांट 180 करोड़ रुपये का है। स्मैल्टर प्लांट 122 करोड़ रुपये का है। स्मैल्टर इक्विपमेंट सौ करोड़ रुपये के हैं। स्मैल्टर की बिल्डिंग 50 करोड़ रुपये की है। एम०आर०एस०डी०ई० 150 करोड़ रुपये का है। फाउंड्री इक्विपमेंट सौ करोड़ रुपये का है। एस०आर०एस० और ओल्ड इक्विपमेंट 200 करोड़ रुपये के हैं। एस०आर०एस० और सी०आर०एम० 184 करोड़ रुपये का है। स्टोर्स एंड स्पेयर्स 40 करोड़ रुपये के हैं। इस तरह यदि मैं बड़ी-बड़ी चीजों का नाम लूं उसके बजाय मैं पूरी सूची सदन के सामने रखना चाहता हूं और निवेदन करना चाहता हूं कि कुल 3844.9 करोड़ रुपये लागत के ये असैट्स हैं।

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक लोक शिकायत और पैंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी) : यह वैल्यूएशन किसने की है ?

डॉ० चरणदास महंत : हम लोगों ने की है, वहां की सरकार ने की है। आप इसकी जांच करा लीजिएगा। *(व्यवधान)* आपके अधिकारियों ने यहीं बैठक करके निर्णय लिया था। आपके अधिकारियों ने निर्णय यहां से प्राप्त किया था। आपके अधिकारियों से यह जानकारी मिली है कि यदि मात्र 150 करोड़ रुपये का वहां इनवैस्टमेंट ऑटोमेशन हो जाए तो 35 करोड़ रुपये सालाना बालको की इनकम बढ़ जाएगी। आज 1 मार्च 2001 है। पिछली 23 फरवरी से वहां उत्पादन लागत 65000 रुपये प्रति टन आ रही है और बाजार में इसकी कीमत आज की तारीख में 80 से 82 हजार रुपये प्रति टन है। यह जांच आप करा लें। यह लागत कब ज्यादा आती थी जब हम मध्य प्रदेश से बिजली लेते थे मगर हमारा कैप्टिव पावर प्लांट बन चुका है इसलिए हमें एक रुपये से भी कम में बिजली मिल रही है और आज की तारीख में बालको एक लाभकारी संस्था है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ के गरीबों, मजदूरों और आदिवासियों के साथ धोखा मत करिये। इसीलिए हमारे मुख्य मंत्री जोगी जी ने सौ करोड़ रुपये का सवाल उठाया है। मैं जानता हूं कि मंत्री जी बहुत ईमानदार हैं। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी (खजुराहो) : महोदय, यह उनके निर्वाचन क्षेत्र में है। *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : बालको उनके निर्वाचन क्षेत्र है और स्टरलाइट मेरे निर्वाचन क्षेत्र में है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

डॉ० चरणदास महंत (जांजगीर) : मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आप पर किसी ने आरोप नहीं लगाया मगर यह सही है कि यह बात बाजारों में है कि सौ करोड़ रुपये से भी ज्यादा का लेन-देन हुआ है। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री अरुण शौरी : महोदय, मेरा व्यवस्था सम्बन्धी प्रश्न है। माननीय सदस्य "बाजारी बातों" के बारे में कह रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या "बाजारी बातों" अथवा बाजार गोसिप को संसदीय आरोप के लिए आधार बनाया जा सकता है। *(व्यवधान)*

सभापति महोदय (श्री पी०एच० पांडियन) : संसद कोई बाजार नहीं है। मेरा मानना है कि यह असंसदीय है।

[हिन्दी]

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : आप इसे बाजारी बात कहकर हल्ला न करें। उन्होंने यह बताया कि बाजार में, आम जगह पर यह चर्चा है कि जो लेन-देन हुआ है, वह इससे ज्यादा हुआ है। *(व्यवधान)*

श्री कांतिलाल भूरिया (झाबुआ) : हर चौराहे पर मार्ग में चर्चा चल रही है कि करोड़ों रुपये का लेन-देन हुआ है। *(व्यवधान)*

डॉ० चरणदास महंत : सभापति जी, अरुण शौरी जी सोच रहे हैं कि कौन बन गया करोड़पति और उनका पूरा ध्यान इस पर है कि अब कौन बनेगा करोड़पति। *(व्यवधान)*

श्री कांतिलाल भूरिया : सभापति जी, यह इनके क्षेत्र का मामला है इसलिए आप इनको बोलने का मौका दीजिए। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय (श्री पी०एच० पांडियन) : मैं कार्यवाही-वृतान्त देखूंगा। कृपया माननीय सदस्य को अपनी बात पूरी कहने दें।

[हिन्दी]

डॉ० चरणदास महंत : सभापति जी, मैं कहना चाहता हूं कि यह इस बात को तलाश कर रहे हैं कि अब कौन बनेगा करोड़पति। इनके पास सिर्फ चार ऑप्शन्स हैं। पहला, ऑडियेन्स पोल, वह नहीं लेना चाहते। दूसरा फिफ्टी-फिफ्टी, वह नहीं लेना चाहते। तीसरा, फोन ए फ्रेंड, वह नहीं करेंगे। ये सिर्फ षडयंत्रकारी मनमानी करेंगे और यह हम नहीं होने देंगे। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : उन्होंने, अपना समय ले लिया है। माननीय सदस्य श्री दासमुंशी ने बहुत समय लिया है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

डॉ० चरणदास महंत : इसलिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम वहां बिजली बंद कर देंगे, पानी बंद कर देंगे और आमरण अनशन करेंगे। *(व्यवधान)* मैं यहां भी आमरण अनशन करूंगा, बाहर भी करूंगा। *(व्यवधान)* हमारे पूरे क्षेत्र की जनता आमरण अनशन करेगी और इस बिल को पूरा नहीं होने देगी। हम इसका घोर विरोध करते हैं। *(व्यवधान)* हम जानते हैं कि आप हमारी बात नहीं सुनेंगे। हम जानते हैं कि आप बालासाहेब ठाकरे जी की भी नहीं सुनेंगे। *(व्यवधान)* आपके मंत्री जी वहां बैठे हुए हैं। *(व्यवधान)* जब खान मंत्री थे तब उन्होंने विरोध किया था। *(व्यवधान)* भाजपा के अध्यक्ष ने इसका विरोध किया है। *(व्यवधान)* कृपया आप हमारी मत सुनिये। *(व्यवधान)* हमारा एक सवाल और है *(व्यवधान)* सभापति जी, शौरी जी, सुनने को तैयार हैं। हमारी 100 करोड़ जनता का एक सवाल है कि एक सेकेंड के लिए आप अपने दिल के करीब जाइये। *(व्यवधान)*

कुछ कह रही हैं आपके सीने की धड़कनें,
मेरी सुनें तो उसका कहा मान जाइये।

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) : सभापति जी, उनकी किसी बात पर ध्यान नहीं दिया जाये क्योंकि उन्होंने कहा है कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं। *(व्यवधान)* नहीं पढ़े लिखे गलत बोल सकते हैं इसलिए उनकी किसी बात पर ध्यान नहीं दिया जाये। *(व्यवधान)*

श्री राजीव प्रताप रूडी (छपरा) : सभापति जी, आजादी के बाद जब इस देश में लोकतंत्र की बात हुई थी तो मूलत: उसका उद्देश्य यह था। *(व्यवधान)*

श्री कांतिलाल भूरिया : आप तो सत्ता में अंधे हो गये हैं इसलिए आपको पता नहीं कि गरीबों की आवाज क्या होती है, आदिवासियों की आवाज क्या होती है ? *(व्यवधान)*

श्री राजीव प्रताप रूडी : सभापति जी, मेरे टाइम से एक मिनट भी कम नहीं होना चाहिए। *(व्यवधान)* आजादी के बाद हम लोगों ने इस देश में कल्पना की थी कि हमारे लोक उपक्रम हों और मूलत: जब किसी व्यापार की तरफ हम प्रवेश करते हैं तो हमारा यह उद्देश्य होता है *(व्यवधान)* इस देश की पूंजी को हम नहीं लगाते हैं तो औसतन हमारी यह इच्छा होती है कि जब इस देश की पूंजी को हम कहीं लगाते हैं तो उसमें से आय अर्जित की जाये। आज की तारीख में कोई व्यापारी अपनी पूंजी लगाता है तो उससे आय अर्जित करने के लिए लगाता है।

जब इस देश में लोक उपक्रमों की स्थापना की गई तो उनमें मूलत: 2,74,000 करोड़ रुपये लगाए गए थे और यह कल्पना की

[श्री राजीव प्रताप रूडी]

गई थी कि इतना बड़ा निवेश करके इस देश में इस पूंजी को लगा कर आय अर्जित करके देश के विभिन्न क्षेत्रों में खर्च किया जाएगा। लेकिन पिछले पचास वर्षों में इस क्षेत्र में क्या हुआ ? आज जो बालको का विश्लेषण किया जा रहा है, उसकी पृष्ठ भूमि में क्षणिक रूप से जाना आवश्यक है। आज हम लोक उपक्रमों की चर्चा करते हैं तो इसके विश्लेषण में संदर्भ में कुछ आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत, करना चाहूंगा। आज इस देश में जहां 2,74,000 करोड़ रुपये के आस-पास लोक उपक्रमों में पूंजी लगाई गई है, जिनमें से लगभग 236 मैनुफैकचरिंग पी०एस०यूज़ हैं, आज उनकी स्थिति क्या है। उनमें से मात्र 127 उपक्रम मुनाफे में हैं। इन उपक्रमों से प्रत्येक वर्ष जो फायदा होता है, वह मात्र 13,000 करोड़ रुपये है। अगर इनकी तुलना की जाए, विश्लेषण के आधार पर बताना चाहूंगा कि अगर 2,74,000 करोड़ रुपये को टाइम डिपॉजिट में रख दिया जाता, अगर उस पूंजी को बैंक में जमा करके रख दिया जाता तो शायद जो मुनाफा हो रहा है, उसका बीस गुना अधिक होता, शायद उससे अधिक आय अर्जित हो सकती थी। लेकिन आज की तारीख में इन लोक उपक्रमों की आय मात्र चार फीसदी है। *(व्यवधान)* इनके साथ दिक्कत है कि ये इस देश के अर्थतंत्र को समझने के लिए तैयार नहीं हैं।

(व्यवधान)

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : तमाम चीजों पर जो खर्च किया, सबको बैंकों में रख देते तो और ज्यादा हो जाता। *(व्यवधान)*

श्री राजीव प्रताप रूडी : अगर इस देश के अर्थतंत्र के मूल विषय को समझने के लिए तैयार नहीं हैं तो मेरी समझ में नहीं आता कि ये बालको के विनिवेश को कैसे समझ पाएंगे। 1995 तक इस देश में जो पी०एस०यूज लिस्टेड थीं, उनकी कुल आय 2.4 फीसदी होती थी जबकि इस देश में जो 476 प्राइवेट कम्पनियां सूचीबद्ध थीं, उनका रिटर्न *(व्यवधान)*

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : बालको पर आइए। *(व्यवधान)*

श्री कांतिलाल भूरिया : बालको पर चर्चा हो रही है। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : जब आपको बोलने का मौका मिले तब जवाब दीजिए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप अभी उत्तर नहीं दे सकते। जब आपको बोलने का अवसर मिले, तब जवाब दीजिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राजीव प्रताप रूडी : मैं इसलिए विश्लेषण कर रहा हूं कि इस देश में अर्थतंत्र को समझने के लिए कुछ मुद्दों को समझना जरूरी है और यह परिस्थिति क्यों उत्पन्न हुई, इसे समझना आवश्यक है। श्री अरुण जेटली ने बहुत कुछ बताया है। मैं इस विषय में अधिक विश्लेषण नहीं करूंगा लेकिन इतना बताना चाहूंगा कि लोक उपक्रमों में जहां पब्लिक सैक्टर इंटरप्राइज़ेस की इम्प्लाइज़ कॉस्ट बीस प्रतिशत जाती है वहीं निजी क्षेत्र में इम्प्लाइज़ कॉस्ट लगभग पांच फीसदी जाती है। लोक उपक्रमों में इंटरस्ट कॉस्ट चौदह फीसदी जाती है, जहां तक प्राइवेट कम्पनियों का सवाल है, वहां पांच फीसदी जाती है। यह प्रश्न उठता है कि लोक उपक्रमों की व्यवस्था में इतनी बुराइयां आई कहां से और यदि आई हैं तो इसमें विश्लेषण करते हुए आगे बढ़ना चाहूंगा। यह शुरूआत कहां से हुई। इसकी शुरूआत उस समय हुई जब कांग्रेस के श्री मनमोहन सिंह ने अपनी इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमैंट 1991 में रखी – वहीं से इस की शुरूआत की।

[अनुवाद]

महोदय, मैं उद्धृत करना चाहूंगा :

"चयनित उपक्रमों के मामले में बाजार अनुशासन के लिये इन उपक्रमों की इक्विटी शेयर पूंजी में सरकारी हिस्सेदारी के एक हिस्से का विनिवेश किया जायेगा।"

महोदय, मैं डा० मनमोहन सिंह के 1991 के बजट भाषण से भी उद्धृत करना चाहूंगा। जिन चीजों की चर्चा की जा रही है, यह उनका सार था। इसमें कहा गया है :

"गणतंत्र के निर्माताओं के अनुसार गतिशील, आधुनिक, प्रतिस्पर्धी और बड़ी मात्रा में राजस्व उत्पन्न करने वाला सरकारी क्षेत्र विकास की रणनीति का एक मुख्य तत्व था। सरकारी क्षेत्र ने हमारी औद्योगिक अर्थव्यवस्था के विवधीकरण में प्रमुख योगदान दिया है लेकिन कई कमियां रही है। विशेषकर सरकारी क्षेत्र बड़े पैमाने पर अंतरिक अतिरेक उत्पन्न करने में असफल रहा है। अत: इस राजनैतिक घड़ी में सरकारी क्षेत्र को राष्ट्रीय बचत का अवशोषक बनाने के बजाय विकास का प्रणेता बनाने हेतु प्रभावी उपाय करना जरूरी हो गया है।"

लेकिन इस संबंध में कथनी और करनी अभी बहुत अलग हैं।

[हिन्दी]

यह शुरूआत कांग्रेस के समय में हुआ है और जब विनिवेश की बात होती है तो यह हम लोगों ने इसकी शुरूआत नहीं की है। इसकी चर्चा, इसकी मूल सोच आपकी तरह से आई और यह निश्चित रूप से देश हित में आई। जब आपने डिसइन्वेस्टमेंट का काम 1996 के पहले शुरू किया तो आपने कहा कि ब्लू चिप कम्पनियों के शेयर्स बेचेंगे। इन्होंने कहा कि आंशिक रूप से बेचेंगे, इसका मूल उद्देश्य था, क्योंकि आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट इतना खराब था कि सिर्फ डेफिसिट फाइनेंसिंग को कवर करने के लिए आपने ब्लू चिप कम्पनियों के शेयर्स बेचे। कहीं भी आपका सोशल सैक्टर रिफोर्म्स आपके दिमाग में नहीं था, कहीं भी सोशल सैक्टर में पूंजी निवेश करने की तरफ आपका ध्यान नहीं था, क्योंकि आप अपने आर्थिक घाटे को छिपाना चाहते थे, उसे हटाना चाहते थे, इसलिए आपने फाइनेंशियल डेफिसिट को कवर करने के लिए अच्छी कम्पनियों के शेयर्स बेचे। यहां तक

कि यूनाइटेड फ्रण्ट की सरकार थी और बहुत सारे हमारे सदस्य, जो अभी बीच में बैठे हैं, उनमें से इन्द्रजीत गुप्त जी अब नहीं रहे, लेकिन उन्होंने भी उस समय अपना विरोध जताते हुए पूंजी विनिवेश की तरफ अपने प्रस्ताव में केबिनेट में रखकर उन्होंने असहमति दी थी। मैं इसलिए यह विषय रख रहा हूं, क्योंकि जब भी कोई पूंजीपति आकर अपनी पूंजी लगाता है तो उस पूंजी को खत्म करने के लिए नहीं लगाता। कोई पूंजी लेकर आता है तो उसे लुटाने के लिए नहीं आता। आज एयर इंडिया की क्या स्थिति है, इंडियन एयरलाइंस की क्या स्थिति है। हमारे एयर इंडिया के महाराजा की झुकते-झुकते कमर टूट गई। मैं इसलिए इन बातों को रख रहा हूं कि आज राज्य सरकारों को इस बारे में अरुण शौरी जी ने वर्णन किया कि किस प्रकार से कर्नाटक की सरकार हो या दिल्ली की सरकार हो, दिल्ली विद्युत बोर्ड की बात होती है, सभी जगह विनिवेश की बात हो रही है। मैं इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि मेरा एक व्यक्तिगत अनुभव है। मैं आज इस सदन में खड़ा होकर पीड़ित हूं, पिछले छः महीने से मैं देश के कोन-कोने में जा रहा हूं। आप पूछना चाहेंगे कि इस विषय का मूल उद्देश्य क्या है तो मिनिस्ट्री ऑफ टैक्सटाइल के तहत चार शुगर उपक्रम उत्तर प्रदेश और बिहार में थे, उनमें से एक मेरे क्षेत्र में भी है। यह दस वर्षों से सिक चला आ रहा था। उस समय, यहां पर तिवारी जी बैठे हैं, बाकी सब सदस्य बैठे हैं, हर दिन शुगर के बारे में चर्चा होती है और उस दिन मुझे अफसोस होता है कि अगर यह कम्पनियां चल रही थी। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : सभापति महोदय, क्या इसका बालको से कुछ लेना-देना है ?

श्री राजीव प्रताप रूडी : हां, आपको समझना चाहिए कि देश में क्या हो रहा है।

सभापति महोदय : सदस्य जिस तरीके से चाहें उन्हें अपने विचार रखने की अनुमति मिलनी चाहिये।

श्री राजीव प्रताप रूडी : महोदय आज मुझे दुःख हो रहा है कि अगर इस सिद्धान्त को ठीक से लागू किया जाता तो, हम 4 चीनी मिलों को, जिनमें तीन उत्तर प्रदेश और एक बिहार में है, नहीं खोते। आज ये कारखानें बंद हैं। मैं देशभर में घूमकर लोगों से उन उद्योगों के स्वामित्व हेतु आगे आने के लिये कह रहा हूं। कोई आगे आने को तैयार नहीं है। यदि इन कंपनियों का तब विनिवेश किया गया होता, यदि निजी कंपनियों को तब बुलाया गया होता तो ये चीनी मिलें बंद नहीं हुयी होतीं।

[हिन्दी]

यह पीड़ा विषय से जोड़ते हुए मैं इसलिए रख रहा हूं, क्योंकि मूल बातों को आप समझने का प्रयास करें। कुछ दिन पहले मारूति उद्योग के सवाल पर यहां बड़ी चर्चा हुई और मैं इस पक्ष में था, सरकार इस पक्ष में थी कि वहां की जो लेबर प्राब्लम है, उसे दूर किया जाये। उस पर सरकार ने कठोरता से कदम उठाया। आप अगर इन चीजों को समझना चाहते हैं तो मैं मूल विषय बताना चाहूंगा। मारूति ने आज तक डिसिप्लिन लागू किया। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री शिवराज वि० पाटील (लातूर) : उत्तर प्रदेश और बिहार में चीनी मिलें निजी क्षेत्र में हैं। वस्त्र उद्योग निजी क्षेत्र में हैं। जूट उद्योग निजी क्षेत्र में हैं।

श्री राजीव प्रताप रूडी : मैं बी०आई०सी० निगम के अन्तर्गत वस्त्र मंत्रालय की चीनी मिलों के बारे में बात कर रहा हूं जिनका विनिवेश नहीं हुआ क्योंकि इस विचार का कांग्रेस शासन के दौरान प्रचार नहीं किया गया था।

सभापति महोदय : श्री रूडी, आपका समय समाप्त हो गया है। कृपया आपने भाषण को बालको के विषय तक ही सीमित रखिये।

[हिन्दी]

श्री राजीव प्रताप रूडी : महोदय, कल बजट में घोषणा हुई और मारूति उद्योग ने अच्छी स्थिति दिखाते हुये अपने दाम कम कर दिये। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्रीमती श्यामा सिंह (औरंगाबाद, बिहार) : महोदय वह बालको के अलावा बाकी सभी मुद्दों की बात कर रहे हैं।

श्री राजीव प्रताप रूडी : मैं बालको पर आऊंगा।

सभापति महोदय : कृपया अब अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री राजीव प्रताप रूडी : महोदय, ऐसा नहीं है कि श्री अरुण जेटली ने मेरी पार्टी का समय समाप्त कर दिया है या मैं इस विषय को नहीं समझता। मुझे इस बारे में पूरी समझ है। मैं बालको का अर्थशास्त्र समझाना चाहता हूं जिसे कांग्रेस पार्टी समझ नहीं पा रही है।

सभापति महोदय : श्री राजीव प्रताप रूडी, अब आपका समय समाप्त हो गया।

श्री राजीव प्रताप रूडी : महोदय, मैंने अभी बोलना शुरू किया है। यह उचित नहीं है। *(व्यवधान)* मैं सभा के प्रति समर्पित हूं। मैं आपनी पार्टी का पहला वक्ता हूं। उन्होंने इस विषय को शुरू किया था।

सभापति महोदय : लेकिन आपने मंत्रि ने बहुत समय ले लिया।

श्री राजीव प्रताप रूडी : मंत्रीगण हमेशा ही अधिक समय लेते हैं। *(व्यवधान)* जब मारूति उद्योग ने अपनी श्रम-गतिविधियों का पुर्ननिर्धारण किया, तो उसने प्रातः 7 बजे से अपना कामकाज शुरू किया। कारों का उनका औसत उत्पादन 30 कार प्रतिदिन था; या दूसरे शब्दों में कहें, तो 900 कारें प्रतिमाह या लगभग 10,000 कारें प्रतिवर्ष। एक वर्ष में 10,000 कारें तैयार करने के लिए, यह व्यवस्था करने के लिए 400 करोड़ रु० की आवश्यकता होती।

[श्री राजीव प्रताप रूडी]

यही मैं समझना चाह रहा था कि हरेक जगह राजनीति का गुणा-भाग नहीं चलता। इसी कारण से यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम इस तरह से सोचें जिससे विनिवेश अधिक आकर्षक लगे। लोगों पर प्रभाव जमाने के लिए ऐसा होना आवश्यक है।

सभापति महोदय, श्री रूपचन्द पाल पश्चिम बंगाल के बारे में बात कर रहे थे। उन्होंने पश्चिम बंगाल के बारे में बहुत कुछ कहा। मैंने एक 'केस-स्टडी' की है, जिसे जानना सभा के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है।

महोदय, मैं पश्चिम बंगाल में विनिवेश के संबंध में की गई एक केस-स्टडी की ओर सभा का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा और क्योंकि मैंने एक विशिष्ट कारखाने के ब्यौरों का अध्ययन किया है, अतएव, इसे केस-स्टडी ही समझा जाए। यह कारखाना है – "लैगन जूट मशीनरी कम्पनी लिमिटेड, पश्चिम बंगाल', यह देश का एकमात्र ऐसा कारखाना था, जो जूट-उद्योग के लिए पुर्जे बना रहा था। यह एक जूट-कारखाने के स्थापन के लिए आवश्यक है। 'लैगन जूट मशीनरी' को 'मैगी एण्ड संस लिमिटेड, नार्दर्न आयरलैण्ड, यू०के०' द्वारा 1955 में स्थापित किया गया था। 1978 में भारत सरकार की इस कम्पनी में सौ-फीसदी भागीदारी थी और 1987 में भारत-भारती उद्योग लिमिटेड ने इस पूरी कम्पनी को हस्तगत कर लिया। इस कम्पनी का विनिवेश किया गया। *(व्यवधान)*

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : सभापति महोदय, ये फिर से दूसरी बातें कहने लगे *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मैं उन्हें इस या उस विषय पर बोलने के लिए आदेशित कैसे कर सकता हूं ? यह तो उन्हें ही चुनना है।

(व्यवधान)

श्री राजीव प्रताप रूडी : महोदय, इस कम्पनी के 74% भाग का विनिवेश किया गया था। आपको जानकर आश्चर्य होगा *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री राजीव प्रताप रूडी, आप अब समाप्त कीजिए। आपका समय समाप्त हो चुका है।

श्री राजीव प्रताप रूडी : फिर तो, यहां किसी विषय पर चर्चा करने का कोई अर्थ ही नहीं।

सभापति महोदय : माननीय अध्यक्ष महोदय ने प्रत्येक वक्ता के लिए तीन या चार मिनट का समय ही निर्धारित किया है।

श्री राजीव प्रताप रूडी : यदि मुझे 3 मिनट दिये जा रहे हैं, तो फिर बात पूरी करना संभव ही कैसे होगा ?

सभापति महोदय : आपने अपराह्न 5.25 बजे बोलना शुरू किया था और अब 5.40 हो चुके हैं।

श्री राजीव प्रताप रूडी : ऐसा नहीं है, महोदय। मैं अपना समय दर्ज कर रहा हूं। *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया अब समाप्त भी कीजिए।

श्री राजीव प्रताप रूडी : बस, समाप्त ही कर रहा हूं।

यह इकाई 1999 में केवल 550 करोड़ रु० का लाभार्जन कर रही थी, और जैसे ही इसे बेचा गया, उसके अगले वर्ष, इसने 800 करोड़ रु० का लाभ कमाया।

[हिन्दी]

मैं इसलिए इस विषय को कोट कर रहा हूं।

[अनुवाद]

अब लोगों को समझना चाहिए कि विनिवेश की प्रक्रिया क्या होती है।

[हिन्दी]

वैस्ट बंगाल में जहां यह फैक्टरी बंद हो रही थी, जहां के मजदूर निकाले जा रहे थे, वह फैक्टरी डिसइंवैस्टमेंट के बाद उन कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए भी जिंदा है। पश्चिम बंगाल के सभी सदस्य इस बात से सहमति प्रकट करेंगे, यहां मंत्री जी तपन सिकदर भी बैठे हुए हैं। मैं इसको केस स्टडी के रूप में इसलिए सदन के सामने रख रहा हूं कि राजनीति के बाहर हमें इस विषय को देखना चाहिए।

बालको के विषय में स्टर्लाइट के बारे में प्रिय रंजन दासमुंशी जी ने बहुत कुछ कहा। मैं नहीं समझता कि अर्थतंत्र के किस विश्लेषण के अधीन उन्होंने विषय रखा। लेकिन बहुत सारे आरोपों को उन्होंने आरोपित करते हुए कहा। मंत्री जी उनका जवाब देंगे, लेकिन मैं कुछ के बारे में कहना चाहता हूं। उन्होंने यह कहा कि स्टर्लाइट कम्पनी ब्लैक लिस्टेड कम्पनी है और डिपार्टमेंट आफ टेलीकम्युनिकेशन ने उसको ब्लैक लिस्टेड कर दिया है। मैं समझता हूं यह तथ्य कुछ असत्य है। जब स्टर्लाइट कम्पनी ने दूरसंचार विभाग में टेंडर बिड किया, उसके टेंडर डाक्युमेंट में कुछ गलतियां थीं। उसने अंतिम समय में टेंडर विदड्रा कर लिया। विदड्र की स्थिति में भारत सरकार ने कहा कि यह नियम के अनुकूल नहीं है और उसे ब्लैक लिस्टेड किया गया। कोई अपनी ऑफर से विदड्रा किया जाए, भारत सरकार अपने नियमों के अनुकूल उसे ब्लैक लिस्टेड करती है, लेकिन उसकी नीयत में और ताकत में कोई कमी नहीं है।

बहुत सारे विषयों को एक-एक करके लाकर रखा है। *(व्यवधान)* इस बारे के बजट में भी जो हमारे वित्त मंत्री जी ने बजट पेश किया है, उसमें स्पष्ट रूप से जो रिसीट्स डिसइंवेस्टमेंट के विरुद्ध रखी हैं, वह लगभग 12000 करोड़ रुपये है और आज की तारीख में 7000 करोड़ रुपया पब्लिक सैक्टर को पुनर्जीवित करने के लिए किया जाएगा और उसमें से भी 5000 करोड़ रुपया सोशल सैक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ जाएगा। सरकार की नीति और सरकार

की सोच बिल्कुल साफ है। 'बालको' के विषय में जाकर आने वाले दिनों में जो लोग इस देश में निवेश करना चाहते हैं, आने वाले दिनों में जो लोग डिसइंवेस्टमेंट प्रोसैस को आगे बढ़ाना चाहते हैं और जो फैक्टरियां, जिनकी स्थिति खराब है, उनकी स्थिति को ठीक करना चाहते हैं, लेकिन यदि इस प्रकार की राजनीतिक चर्चा चलती रही और हर चीज का राजनीतिकरण किया जाएगा तो भविष्य में यह स्थिति ठीक नहीं होगी और 1991 में जो शुरूआत हुई थी, उसको मारने का भी प्रयास शुरू हो गया है। मैं सदन में विनम्र अनुरोध करूंगा कि आने वाले दिनों में यदि हम इस चीज को बढ़ावा नहीं देंगे, डिसइंवेस्टमेंट की प्रक्रिया को अपनाने का अलग-अलग तरीका अपनाएंगे तो जो ध्येय एन०डी०ए० की सरकार ने स्थापित किया है, उसे प्राप्त करने में कठिनाई होगी। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि सरकार जो भी कदम उठाये, ठोस कदम उठाये और 'बालको' के विनिवेश का कदम जो उठाया है, अगर उससे एक रुपया भी कहीं अधिक मिलता है तो उसे देने की प्रक्रिया हो। आज अगर छत्तीसगढ़ की सरकार चाहती है कि इसे न किया जाये तो सरकार लेने के लिए तैयार है। मैं सदन से अनुरोध करूंगा कि इस विषय पर जो सदन में चर्चा हो रही है और खासकर जो सरकार का रूख है, मैं अनुरोध करूंगा कि सरकार को पूरी मुस्तैदी से कार्यवाही करनी चाहिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

जब आप घण्टी बजा रहे थे, तो मैं थोड़ा भ्रमित हो गया। लेकिन, फिर भी, मुझे यह अवसर देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

सभापति महोदय.. : कहा गया था कि आपकी पार्टी की तरफ से तीन सदस्य ही पर्याप्त होंगे।

[हिन्दी]

कुमारी मायावती (अकबरपुर) : सभापति जी, हमारी पार्टी इस बात की पक्षधर है कि सार्वजनिक उपक्रम के विनिवेश में पारदर्शिता होनी चाहिए लेकिन 'बालको' के विनिवेश में सरकार की ओर से पारदर्शिता नहीं अपनाई गई है जिसको लेकर आज हाउस में 184 के तहत चर्चा चल रही है। हालांकि इस मुद्दे को लेकर सदन में कई दिन से शोरगुल हो रहा है और इसके ऊपर सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से जो कुछ भी कहा गया है, मैं उसे दोहराना नहीं चाहती हूं लेकिन दुख की बात यह है कि भारी मुनाफा कमाने वाली सरकारी कंपनी 'बालको' के 51 प्रतिशत शेयर मात्र 551 करोड़ रुपये में बेचने के निर्णय को लेकर आज सरकार मुश्किल में पड़ गई है और सरकार मुश्किल में क्यों पड़ी है क्योंकि आपने इस मामले में पारदर्शिता नहीं अपनाई है।

सूत्रों का कहना है, जैसी हमें जानकारी भी मिली है कि कम्पनी के शेयरों का मूल्यांकन बाजार कीमत से कम करवाने में कई उच्च अधिकारियों का हाथ है, लेकिन इसके पीछे हमें राजनीतिक हाथ नजर आता है। इसके मूल्यांकन का कार्य या जो भी प्रोसीजर अपनाया गया, वह बराबर नहीं अपनाया गया। इसके मूल्यांकन के लिए श्री पी०वी० राव को नियुक्त किया गया और इस कार्य के लिए दस दिन का समय रखा गया, लेकिन सात दिन के अन्दर ही इसकी रिपोर्ट सब्मिट कर दी गई और सरकार ने फैसला ले लिया। इतना ही नहीं, श्री राव ने बालको की कितनी कीमत लगाई है, इसके सार्वजनिक किया जाना चाहिए था, लेकिन इसके सार्वजनिक नहीं किया गया और इसके बेचने का निर्णय ले लिया गया। इसमें तो हमें भ्रष्टाचार की बू सरकार की ओर से नजर आती है। बालको कम्पनी जिस जगह पर स्थापित की गई है, वह जगह आदिवासियों की थी। हमारे भारतीय संविधान के तहत यह स्पष्ट है कि आदिवासी लोगों की जमीनें बेची नहीं जा सकती है। कोई निजी कम्पनी का आदमी उसको खरीद नहीं सकता है। आदिवासी लोगों की जमीन पर बालको के नाम से कम्पनी स्थापित की गई है और विनिवेश किया गया है। मैं यह समझती हूं कि यह गलत है। देश में बी०जे०पी० के नेतृत्व में मिली-जुली पार्टियों की सरकार चल रही है। पूर्व की सरकारों के बारे में आपको मालूम है, लेकिन वर्तमान की सरकार के बारे में मैं बताना चाहती हूं कि सार्वजनिक उपक्रमों के विनिवेश में जो पारदर्शिता अपनानी चाहिए, वह नहीं अपना रहे हैं और सरकारी उपक्रमों का विनिवेश किया जा रहा है। इसके पीछे हमें सरकार की एस०सी०, एस०टी० व ओ०बी०सी० विरोधी मानसिकता नजर आती है। यह क्यों नजर आती है, क्योंकि सार्वजनिक उपक्रमों में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था है, लेकिन जो प्राइवेट सैक्टर है, उनमें एस०सी० और एस०टी० लोगों के लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था नहीं है। अब जब सार्वजनिक उपक्रमों का विनिवेश निजी कम्पनियों को करते हैं, तो आपने सोचा नहीं जो रिजर्वेशन कोटे के तहत लोग रखे गए हैं, जब यह कम्पनी निजी कम्पनी के साथ बेची जाएगी, तो उनका क्या होगा।

प्राईवेट सैक्टर में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए रिजर्वेशन नहीं है और आप लोग बहुत तेजी से सार्वजनिक उपक्रमों में विनिवेश कर रहे हैं। इससे आपकी मानसिकता स्पष्ट नजर आ रही है। कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों को जिन सरकारी नौकरियों या सार्वजनिक उपक्रमों में रिजर्वेशन मिला, जिसके तहत उनकी आर्थिक स्थिति में थोड़ा-बहुत सुधार आया है, उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार न आए और ये बहुत पीछे चले जाएं। वैसे आप लोग रिजर्वेशन के खिलाफ हैं लेकिन आपने यह सोचा कि यदि हम रिजर्वेशन को सीधा खत्म करते हैं, उसके खिलाफ बोलते हैं तो आपको अनुसूचित जाति एवं जनजाति का समर्थन बराबर नहीं मिलेगा और अभी भी नहीं मिल रहा है। तब आप लोगों ने दूसरा रास्ता अपनाया कि जो सार्वजनिक उपक्रम हैं, उनमें आप घाटे का बहाना बना कर या घाटे को दिखा कर ऐसा कर रहे हैं। जो विनिवेश निजी कम्पनियों और प्राइवेट सैक्टर में कर रहे हैं उनमें आप पारदर्शिता नहीं अपना रहे हैं। निजी कम्पनियों को चलाने वाले हमारे लोग नहीं हैं वे बड़े-बड़े मनुवादी लोग हैं। आप उन्हें फायदा पहुंचा रहे हैं और इसे घाटे में बेच रहे हैं। आप एक तरफ तो उन्हें धनवान बना रहे हैं और दूसरी तरफ जिन लोगों को सार्वजनिक उपक्रमों में रिजर्वेशन मिला हुआ है, जब उन्हें निजी हाथों में बेच दिया जाएगा तो वे लोग सड़कों पर आ जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे। तब उनका क्या होगा ? *(व्यवधान)*

[कुमारी मायावती]

इसलिए आपको जहां इस किस्म का फैसला लेना है तो मेरी वर्तमान सरकार से मांग है कि जब आप प्राईवेट सैक्टर में सरकारी कम्पनियों को विनिवेश करते हैं तो आप सबसे पहले उधर रिजर्वेशन की व्यवस्था करें। आप अगर रिजर्वेशन की व्यवस्था नहीं कर रहे हैं तो मैं समझती हूं कि आपकी मानसिकता अनुसूचित जाति एवं जनजाति के प्रति साफ नहीं है। इसलिए आपको अगर इस किस्म का कोई फैसला लेना है तो आप सबसे पहले प्राईवेट सैक्टर में रिजर्वेशन की व्यवस्था करें ताकि अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों को कोई नुकसान न हो।

महोदय, बालकों का मामला काफी महत्वपूर्ण है। इसके विनिवेश में जल्दबाजी में जो फैसला लिया गया है, मैं समझती हूं कि वह ठीक नहीं है। इसके ऊपर सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए और इसके लिए आप लोग कोई निष्पक्ष कमेटी बनाएं। अभी तक जो इसके ऊपर फैसला लिया गया है उसमें क्या गड़बड़ हुई है और जिन लोगों का इस गड़बड़ में हाथ है उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। मैं समझती हूं कि आपके जल्दबाजी के फैसले में भ्रष्टाचार की बू नजर आती है, इसलिए हम इस मामले में आपके साथ नहीं हैं। जो नियम 184 के तहत मोशन यहां लाया गया है, उसका हमारी पार्टी समर्थन करती है। *(व्यवधान)*

आप एक तरफ अनुसूचित जाति एवं जनजाति के रिजर्वेशन की बात करते हैं और दूसरी तरफ इस तरह बिहेव करते हैं, इससे लगातार है कि आपकी मेनटेलिटी सही नहीं है।

[अनुवाद]

श्री टी०एम० सेल्वागनपति (सेलम) : सभापति महोदय, मुझे यह अवसर प्रदान करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। सुविज्ञ माननीय विधि मंत्री से यह सुनकर हमें अवसन्न है कि ससंद को इस मुद्दे की जांच करने का कोई अधिकार नहीं।

संसद-सदस्यों का समूह कार्यपालिका की-कार्यवाही की जांच नहीं कर सकता – यही संसदीय लोकतंत्र के प्रति इनका सम्मान है। महोदय, हम मानते हैं कि आपका शासन करने का अधिकार है, किन्तु आप मंत्रिमंडल के प्रति उत्तरदायी हैं और मंत्रिमंडल संसद के प्रति। यदि संसदीय हस्तक्षेप के प्रति आपका ऐसा ही क्षुण्ण सम्मान है तो यह वाकई अस्त-व्यस्त कर देने वाली बात है कि सत्तापक्ष की ओर से ऐसे वक्तव्य आ रहे हैं। महोदय, केवल इस सभा के उच्चाधिकार क्षेत्र के कारण ही, इस सम्मानित सदन में इस मुद्दे पर इतनी मुखरता और तार्किकता के साथ यह चर्चा हो रही है। हम इस मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं कर रहे हैं, अपितु हमें अपनी शंकाओं का निराकरण करने की जिज्ञासा है और उन आरोपों का भी, जो इस मुद्दे पर वर्तमान सरकार के खिलाफ लगाए गए हैं और तथ्यपरक हैं।

महोदय, विनिवेश के इस मुद्दे पर हमने कई अवसरों पर चर्चा की है; 13वीं लोक सभा के गठन के बाद से प्राय: चार या पांच बार। बारंबार हम इस विनिवेश के मुद्दे को लेकर बात करते रहे हैं और जिस पर भी, इस समस्या का समाधान कर नहीं सके हैं और न सर्वसम्मति ही बन पाई है। विनिवेश के संबंध में सरकार न तो किसी नीति का निरूपण करने में रूचि रखती है, न ही राष्ट्र की मूल्यवान संपदा के अंधाधुंध तरीके से बेचे जाने पर उसकी ओर से कोई स्पष्ट मार्गनिदेश ही या बनाये या बताए गए हैं।

महोदय, इसकी बजाय वर्तमान राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार केवल पूर्ववर्ती सरकार पर इसका भार डाल देने भर में रूचि रखती है। उसके पास कहने को केवल यही है कि वह राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन के न्यूनतम साझा कार्यक्रम और पूर्ववर्ती कांग्रेस शासन-काल के आधार पर ही, पूर्ववर्ती सरकार के कदमों पर चलते हुए, काम कर रही है। जब भी हम पूर्व-रिकार्डों को देखते हैं, वह इसी तर्क का सहारा ले लेती हैं कि वह तो पूर्ववर्ती सरकार की नीति का ही अनुसरण कर रही है। वह कहती है कि कांग्रेस सरकार के घोषणा-पत्र में यह कहा गया है कि विनिवेश आयोग की सिफारिशों को लागू किया जाएगा। वे यह कहते रहे कि वर्तमान सरकार संयुक्त मोर्चा सरकार के सामान्य न्यूनतम कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही है। महोदय, इन दो पिछली सरकारों ने उनसे यह कार्य गुणरूप ढंग से करने के लिए नहीं कहा था।

महोदय, हम पूरी तरह से विनिवेश के विरोध में नहीं हैं। हम उनके द्वारा अपनी मनमर्जी से मुद्दों को छांटने और चुनने के विरुद्ध हैं। यदि सरकार यह कहती है कि वे विनिवेश आयोग की सिफारिशों का पालन कर रहे हैं, तो क्या उन्होंने आयोग की अन्य सिफारिशों का पालन भी किया है ? वे यह कहकर सरलता से आयोग की बातों को मान लेते हैं कि इसकी सिफारिश आयोग ने की है।

हम इसके मूल रूप का विरोध नहीं कर रहे हैं। हम जिस बात का विरोध कर रहे हैं, वह है – इस मामले से निपटने का जानबूझकर अपनाया गया अपारदर्शी तौर-तरीका। हमें केवल इस मामले में जनता के लगे हुए धन की हानि की चिंता है। सरकार लाभ में चलने वाले उद्योग का विनिवेश क्यों कर रही है ?

सायं 6.00 बजे

क्या यह कार्य बजटीय अन्तर को पाटने के उद्देश्य से अथवा समाज कल्याण की गतिविधियों के लिए इस विनिवेश से प्राप्त आय का उपयोग करने के उद्देश्य से या फिर सरकारी क्षेत्र की मौजूदा इकाइयों का पुनरुद्धार करने अथवा उन्हें विकसित करने के उद्देश्य से किया गया है ? महोदय, इनमें से एक भी लक्ष्य पूरा नहीं किया गया है। न तो आप बजटीय अन्तर को पाटने में समर्थ हैं और न ही आप प्राप्त आय को सामाजिक गतिविधियों के लिए खर्च करने में समर्थ हैं और न ही आप सरकारी क्षेत्र की मौजूदा इकाइयों का पुनरुद्धार करने में समर्थ हैं। वस्तुत:, समस्त आय भारत की संचित निधि में जाती है और आप यह कहते रहते हैं कि सरकारी क्षेत्र की मौजूदा इकाइयों के रखरखाव पर 72,000 करोड़ रुपये खर्च किये गये हैं।

सायं 6.02 बजे

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

आप इस क्षेत्र द्वारा विकसित करोड़ों रुपये की सम्पत्ति को और इन इकाइयों में कार्यरत लगभग 40 लाख मजूदरों को आसानी से भूल जाते हैं। यदि आप यह कहते हैं कि बजटीय अन्तर को पाटने के लिए लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है, तो यह सरकार क्यों बार-बार, 10,000 करोड़ रुपये का लक्ष्य निर्धारित करती है ? वर्तमान बजट में भी, इसका उल्लेख किया गया है। इसका उल्लेख व पिछले बजट में भी किया गया था। इस लक्ष्य को क्यों निर्धारित किया जाता है जबकि आप यह कहते हैं कि आप बजटीय अन्तर को पाटने का इरादा नहीं रखते। इसलिए आपके मस्तिष्क में कुछ और चल रहा है। आप किसी और चीज को तैयार कर रहे हैं। इसीलिए आपने यह कार्य अपनी मनमर्जी के अनुसार किया है।

महोदय, जैसाकि रिपोर्टों से हमें ज्ञात होता है कि सरकार ने विनिवेश आयोग की सिफारिशों के कारण पारदर्शी आधार पर निर्णय लिया। महोदय, मैं सरकार का ध्यान विनिवेश आयोग की उस सिफारिश की ओर आकर्षित करना चाहूंगा जिसमें केवल 40 प्रतिशत शेयर बेचने की बात कही गयी है। तो फिर आपने 51 प्रतिशत शेयर बेचने का निर्णय अचानक कैसे ले लिया ? क्या स्टरलाइट कंपनी को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से आपने ऐसा किया है ? आयोग के अध्यक्ष क्यों अचानक यह कहते हैं कि 40 प्रतिशत के पहले के निर्णय के स्थान पर अब 51 प्रतिशत शेयर बेचे जाने हैं ? इसी खास मुद्दे को सरकार द्वारा स्पष्ट करना चाहिए। यदि आयोग के अध्यक्ष की कोई राय हो तो भी यह क्यों नहीं सोचते कि 51 प्रतिशत शेयर बेचे जाने से इस गैर सरकारी उद्योग का अपना प्रभुत्व स्थापित हो जाएगा ?

महोदय, उनके पास इस बात का तर्क हो सकता है कि इसकी सिफारिश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बोली लगाने वालों और अधिक मूल्य आकर्षित करने के उद्देश्य से की गयी है। अगर यही तर्क है तो मैं यह कहना चाहता हूं कि इस खास बाल्को सौदे में बोली लगाने वाले केवल दो ही उद्योग हैं जो प्रतिस्पर्धा में आगे आये हैं और ये हमारे देश के ही हैं। कोई अन्तर्राष्ट्रीय उद्योग अथवा कोई विदेशी उद्यमी कार्य के लिए तैयार नहीं हुआ है। मूल्य का जहां तक प्रश्न है, क्या आपने आवश्यक मूल्य तय कर दिया है ?

महोदय, इस महान सभा में कई और पहलुओं पर विचार किया जाना है। बालको की सम्पत्ति 5000 करोड़ रुपये मूल्य की है और 51 प्रतिशत शेयरों 551 करोड़ रुपये में बेचे जाने हैं। इसका वास्तविक मूल्य 5000 करोड़ रुपये है। इसके पास लगभग 400 करोड़ रुपये की राशि है जो इस उद्योग के आधुनिकीकरण के लिए पर्याप्त है। इसके अतिरिक्त, इसके पास 270 मेगावाट का विद्युत संयंत्र मौजूद है। इसके पास तीन बड़ी बॉक्साइट अयस्क खानें हैं जो कई सौ करोड़ रुपये मूल्य की है। इस उद्योग ने वर्ष 1999 में 137 करोड़ रुपए मूल्य की रोलिंग-मिल विकसित की है। औने-पौने दाम पर इस प्रचुर संपत्ति को बर्बाद किया जा रहा है। क्या यह औने-पौने दामों की बिक्री नहीं है ? क्या इसमें कोई पारदर्शिता है ? यदि माननीय मंत्री जी यह कहते हैं कि यह एक प्रगतिशील कंपनी है, तो मैं उनका ध्यान समाचार पत्र की उस रिपोर्ट की ओर आकर्षित करना चाहूंगा जिसके अनुसार स्टरलाइट कंपनी के श्री अग्रवाल ने कहा है कि वह सम्पूर्ण कंपनी को तीन वर्षों में अपने अधिकार में ले लेंगे।

क्या बहुमूल्य राष्ट्रीय संपदा को बेचने का सरकार का यही तरीका है ? आपने इस उद्योग के संपूर्ण अधिग्रहण का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। इन वर्षों में सम्पूर्ण देश में यही होता आ रहा है। कल आप राष्ट्र के गर्व, एअर इंडिया को बेच देंगे। कल सेलम इस्पात संयंत्र, जो 4000 करोड़ रुपये मूल्य का था को औने-पौने बहुत ही सस्ते दामों पर निजी उद्यमियों को बेच दिया गया।

क्या इस कंपनी की कोई विश्वसनीयता है ? हम इस मुद्दे पर भी इसका विरोध कर रहे हैं। जिस कंपनी की कोई विश्वसनीयता नहीं है ऐसी कंपनी को आपने यह बेच दी है जैसाकि सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों में से एक सदस्य, श्री राजीव प्रताप रूडी ने यह बात स्वीकार की है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए। आपकी पार्टी को आबंटित किया गया समय छः मिनट है और आपने दस मिनट से भी अधिक का समय ले लिया है।

श्री टी०एम० सेल्वागनपति : महोदय, मैंने तो अपनी बात अभी शुरू ही की है। कृपया मुझे कुछ और मिनट दें।

इस कंपनी को दूरसंचार विभाग ने पहले से ही काली सूची में डाल रखा था। नियम यह कहता है कि यदि किसी कंपनी को भारत सरकार ने काली सूची में डाल दिया है तो उसे बोली लगाने की प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाती। इस मामले में आपकी नजर कैसे चूक गयी ? यहां तक कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बार्डों ने इस कंपनी पर स्टॉक एक्सचेंज घोटाले में हर्षद मेहता समूह कंपनी के साथ मिलकर शेयरों में हेराफेरी करने का आरोप लगाया था सरकार की नजर इन सभी चीजों को देखने में कैसे चूक गई ? इस कंपनी के विरुद्ध मद्रास उच्च न्यायालय में मुकदमा चल रहा था क्योंकि इस कंपनी ने तमिलनाडु में तूतीकोरीन में तांबा उद्योग शुरू किया था जहां प्रदूषण की समस्या इतनी गंभीर थी कि जनहित याचिका दायर करनी पड़ी और न्यायालय ने इस विशेष कंपनी को अभ्यारोपित किया था। यदि इस कंपनी का यही परिचय है और यदि बालको को ऐसे औन-पौने दोम पर खरीद सकने के लिए इसकी राजनैतिक घुसपैठ बड़ी है तो फिर हमें इस सौदे पर शक है।

इसीलिए, हम इस सौदे की जांच करने हेतु एक संयुक्त संसदीय समिति और इस पर एक श्वेत पत्र जारी करने की मांग कर रहे हैं। यदि आप कहते हैं कि सब कुछ सही तरीके से हुआ है तो मेरा प्रश्न यह है कि क्या इस संपत्ति का मूल्यांकनकर्त्ता इस कार्य हेतु उपयुक्त व्यक्ति है। इस बारे में रिपोर्टें है कि श्री राव का एल्युमिनियम कंपनी के क्षेत्र में कोई अनुभव नहीं है। प्राथमिक रूप से वे एक सर्वेक्षक-सह-हानिनिर्धारक हैं और वे हजारों करोड़ रुपये की संपत्ति का मूल्यांकन नहीं कर सकते। उस विभाग के लिए यह कहना कि सब कुछ पारदर्शितापूर्वक किया गया है, बड़े शर्म की बात है। यहां

[श्री टी०एम० सेल्वागनपति]

तक कि, यह सब कुछ सात दिन में कर लिया गया, एक कंपनी में पांच दिन और दूसरी में दो दिन। दस दिन के अन्दर उन्होंने रिपोर्ट भी सौंप दी। क्या यह सब घोटाले से परिपूर्ण नहीं है ? क्या आप इसे पारदर्शिता कहते हैं ? इसी प्रकार हजारों करोड़ रुपये मूल्य की खानों का उनके वास्तविक मूल्य से कम मूल्य आंका गया है। भारत सरकार की एक कम्पनी, भारतीय खान ब्यूरो, जिसे खानों का मूल्यांकन करने का कोई अनुभव नहीं है उसे इन खानों के मूल्यांकन का कार्य सौंपा गया।

अध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त कीजिए। आप पहले ही पन्द्रह मिनट ले चुके हैं।

श्री टी०एम० सेल्वागनपति : महोदय, मैं दो मिनट और लूंगा। बॉक्साइट अयस्क की ये तीन खानें पूरे देश में सबसे बड़ी खानें हैं। इस उद्योग में लगभग सात हजार श्रमिक कार्यरत हैं जिनमें से आधे अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के हैं। इस संबंध में स्पष्ट निर्देश और उच्चतम न्यायालय, इस देश का सर्वोच्च न्यायालय, का निर्णय है कि आदिवासियों की भूमि निजी उद्यमियों को नहीं बेची जा सकती। तब, यह सरकार यह सौदा कैसे कर सकती है। उन्होंने कैसे इस तथ्य की ओर ध्यान नहीं दिया ? जब यह मामला दिल्ली उच्च न्यायालय के सम्मुख लाया गया तो न्यायालय ने एक निर्देश जारी किया कि जब भी जहां भी श्रमिकों के हितों की बात होगी वे न्यायालय की शरण ले सकते हैं। अत: इस उद्योग से संबंधित श्रमिक संघ पहले प्रबन्धन के पास जाएं। लेकिन उनसे कहा गया कि वे नियमविरुद्ध न जायें। उन्होंने दस वर्षों के लिए रोजगार सुरक्षा की मांग की लेकिन उनसे केवल एक वर्ष की रोजगार सुरक्षा का वादा किया है। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि श्रमिकों में आये लोग समाज के दबे-कुचले वर्ग से संबंधित हैं ?

क्या यह निष्कपट है ? क्या यह सौदा वास्तव में स्पष्ट है ? अपनी बात समाप्त करते हुए मैं सरकार से अपने दृष्टिकोण पर पुर्नविचार करने का अनुरोध करूंगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि वे अपनी विधानसभा में सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित करने जा रहे हैं। सरकार द्वारा प्रायोजित संकल्प को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को भेज दिया जाएगा। मैं वहां के मुख्यमंत्री महोदय से, यहां उपस्थित हमारे कांग्रेसी मित्रों के माध्यम से अनुरोध करूंगा कि ऐसा करने का कोई तुक नहीं है। यही मामला तमिलनाडु विधानसभा में भी उठा था। वहां सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर भारत सरकार से अनुरोध किया गया था कि वह सलेम इस्पात उद्योग अधिग्रहण न करे व इसे निजी हाथों में न सौंपे। वह नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त कीजिए अभी मतदान भी होना है।

श्री टी०एम० सेल्वागनपति : राज्य के मुख्यमंत्री ने सरकार से बात करने का भी वादा किया है। ऐसा अभी तक नहीं किया गया। जबकि एन०डी०ए० में अन्दरूनी तौर पर बहुत से विरोधाभास हैं। शिव सेना के हमारे एक अच्छे मित्र ने इस मामले को विशेष रूप से उठाया *(व्यवधान)* तमिलनाडु के हमारे मित्रों द्वारा * * वर्तमान सरकार के साथ सत्ता में हिस्सेदारी के चलते सलेम इस्पात संयंत्र को बेच दिया गया और इस देश के लोग इसका समुचित प्रत्युत्तर देंगे।

अपने दल की ओर से मैं इस सरकार से आह्वान करता हूं कि वह इस मामले की जांच करने हेतु संयुक्त संसदीय समिति का गठन करे।

[हिन्दी]

डॉ० रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : अध्यक्ष महोदय, माननीय विद्वान सदस्यों द्वारा यहां जो तमाम तथ्य दिए गए हैं, उससे प्राइमा फेसी लगता है कि जहां डिसइनवैस्टमेंट कमीशन ने कहा कि 40 प्रतिशत करना चाहिए, उसमें चेयरमैन से चिट्ठी लिखवाकर वह 51 प्रतिशत करने के लिए तैयार हो गए। इसमें जरूर कुछ गड़बड़ लगती है। दूसरी बात यह है कि ग्लोबल ऐडवाइजरी को बहाल करने में कानून का पालन नहीं हुआ, गड़बड़ हुई है। फिर इवैल्यूएशन करने वाले जो लोग बहाल हुए उसमें गड़बड़ हुई। उसकी जो प्रापर्टी है, उसकी सूची दी गई है कि 3844.9 करोड़ रुपये की है जबकि उसको ये 550 करोड़ रुपये में बेचने जा रहे हैं। फिर इतना ही नहीं, उसमें करीब 500 करोड़ रुपये देने हैं और जब उसका दाम चार-पांच सौ करोड़ रुपये लगाया तो उससे लगता है कि इसमें जरूर गड़बड़ है। हम सरकार के माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहते हैं कि संपूर्ण सदन के सदस्य ट्रांसपेरेन्सी स्वीकार करते हैं कि ट्रांसपेरेन्सी होनी चाहिए तो ट्रांसपेरेन्सी क्या है। अब जांच से क्यों भाग रहे हैं ? सदन के सदस्य उसकी जांच करें। आपने गड़बड़ नहीं की है, हेराफेरी नहीं की है तो जांच से क्यों भाग रहे हैं ? सांच को आंच क्या, जांच कराइए। यदि आप साफ-सुथरे हैं तो जांच से क्यों भाग रहे हैं ? पूछते हैं तो पकड़े जाएंगे। जांच करने के नाम पर विभिन्न तर्क देंगे और तर्क देकर जनता में बातें फैल गई। *(व्यवधान)* सरकार को जांच से भागना नहीं चाहिए। लालू जी ने सी०बी०आई० की जांच का विरोध किया इसलिए उन्होंने फेस किया। अब वही राग ये भी अलाप रहे हैं। *(व्यवधान)* जब ऐसा कोई सवाल उठता है और जांच से कोई सरकार भागती है तो वह सरकार फंस जाएगी। इसलिए विभिन्न राजनीतिक दलों की एक संसदीय समिति बना दी जाए जिससे जांच हो सके। ट्रांसपेरेन्सी का मतलब यह है कि जांच से भागना नहीं चाहिए। इसमें मजदूरों का सवाल है। इस निर्णय से मजदूर लोग भी आतंकि हो गए हैं। हिन्दुस्तान केबल्स को भी बेचने की बात सुनते हैं। इससे वहां के मजदूर भी छटपटा रहे हैं।

इसलिए सारा मामला देखने से उसकी कीमत कम नहीं है। उसमें जरूर हेराफेरी की हुई लगती है। *(व्यवधान)*

---

* *अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

श्री अशोक प्रधान (खुर्जा) : अध्यक्ष जी, बिहार में ये यही कुछ करते आए हैं। कभी चारा घोटाला तो कभी कुछ और घोटाला किया। *(व्यवधान)* इसलिए उन्हें हर चीज में हेराफेरी लगती है। *(व्यवधान)*

डॉ० रघुवंश प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, इसका फैसला होना चाहिए कि सदन के सारे सदस्य और इनके सहयोगी दलों के सदस्य भी इसी राय के हैं के इसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और इनको इसकी जांच से भागना नहीं चाहिए। लेकिन इनके तीन मंत्री राज्य सभा के सदस्य हैं। श्री अरुण शौरी जी, श्री अरुण जेटली जी, ये बड़े तर्क दे रहे थे। तीसरा श्री प्रमोद महाजन जी, संसदीय कार्य मंत्री। इनके सहयोगी दल के सदस्य घबरा गये थे कि अगर सरकार गिरेगी तो ये तीनों मंत्री तो राज्य सभा में चले जायेंगे और हम घर वापिस चले जायेंगे, लोक सभा भंग हो जायेगी। इसमें कसूर हम लोगों का भी है क्योंकि विपक्ष एक जुट नहीं होता। जब कोई विकल्प तैयार हो जायेगा तब सहयोगी दल इनको सहन नहीं करेंगे। उधर सहयोगी दलों की बड़ी दुर्दशा है क्योंकि उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। वे लोग बराबर धमकी देते रहते हैं लेकिन उनकी कोई वेल्यू नहीं है इसलिए राजनीतिक कारणों से गलत बात में भी हां में हां मिला देते हैं वोट डालने को तैयार हो जाते हैं कि कौन तुरंत लोक सभा को भंग करेगा इसलिए वोट देना चाहिए। इसी राजनीतिक पेच के चलते सब गड़बड़ी हो रही है। इसलिए हमारी राजनीति को दुरस्त करने के लिए हम विपक्षी दल भी कम कसूरवार नहीं हैं क्योंकि हम विकल्प नहीं बनाते। अगर हम विकल्प बना देंगे तो सहयोगी दल आज ही इस सरकार को गिरा देंगे। *(व्यवधान)* इसलिए ज्वाइंट पार्लियामैंट्री कमेटी से भागना नहीं चाहिए। आप क्या तर्क देंगे जो तर्क कम होने वाला नहीं है। *(व्यवधान)* जब आप ठीक हैं तो जांच से क्यों भाग रहे हैं ? तर्क से कोई मामला हल नहीं होने वाला है। यहां पर बहुत से सदस्यों ने किताब पढ़कर बहुत तथ्य बताये हैं, उससे हम सभी को डाउट है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी ने आरोप लगाया है और मोटे-मोटे अक्षरों में अखबार में छपा है कि 100 करोड़ रुपये की डील हुई है, लेनदेन हुआ है। जब यह आरोप लगा तब आपको सफाई देनी चाहिए थी लेकिन आपका कोई भी बयान नहीं आया। *(व्यवधान)*

श्री अशोक प्रधान : अध्यक्ष महोदय, छज बोले तो बोले, छलनी भी बोल रही है। *(व्यवधान)* इन्होंने बिहार में कुछ छोड़ा है। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : रघुवंश जी, अब आप समाप्त करिये।

(व्यवधान)

श्री अशोक प्रधान : अध्यक्ष जी, आप इनसे पूछिये कि बिहार में इन्होंने क्या-क्या घोटाला किया है। *(व्यवधान)* अब तो रघुवंश जी भी बोल रहे हैं। कोई और बोले तो ठीक है लेकिन अब यह भी बोल रहे हैं। *(व्यवधान)*

डॉ० रघुवंश प्रसाद सिंह : * *

उसके बाद घोटाला हुआ है। *(व्यवधान)* हमने पत्रकार के समूह में कहा कि श्री अरुण शौरी जी जैसे भले आदमी को सब लोग फंसा देंगे तो पत्रकारों ने कहा * * * वह पता नहीं कैसे लिखते-लिखते आ गये हैं। *(व्यवधान)* आर०एस०एस० की पार्टी में होंगे। *(व्यवधान)* इसलिए हमको इसमें बड़ा भारी संदेह है। * * * मैं मांग करता हूं कि ज्वाइंट पार्लियामैंट्री कमेटी से इसकी जांच कराने से साबित होगा कि ये लोग पकड़ने के भय से जांच में नहीं जाना चाहते हैं। इसमें जरूर 200-300 करोड़ रुपये का घोटाला है इसलिए मेरा कहना है कि आप जांच से भागिये मत, जांच कराइये।

श्री श्याम बिहारी मिश्र (बिल्हौर) : अध्यक्ष महोदय, ये प्रधानमंत्री जी पर आरोप लगा रहे हैं। *(व्यवधान)*

डा० रघुवंश प्रसाद सिंह : मैंने गलत बात नहीं की। *(व्यवधान)* आप हमें बोलने के लिए उकसाते हैं। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री अरुण शौरी : माननीय सदस्य ने भारत के प्रधानमंत्री पर बहुत ही गंभीर आरोप लगाया है। वह या तो इसे साबित करें या मेरा आपसे अनुरोध है कि इसे कार्यवाही वृत्तांत से निकाला जाए। *(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़) : इस प्रकार चीजें कार्यवाही वृत्तांत से नहीं निकाली जातीं। *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा० रघुवंश प्रसाद सिंह : मैंने भी तीस वर्षों की संसदीय प्रणाली को देखा है। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं रिकार्ड देख लूं। यदि यह आपत्तिजनक है तो इसे कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया जाएगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री श्याम बिहारी मिश्र : आप इतनी जोर से बोल कर देश को गुमराह नहीं कर सकते। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री प्रभुनाथ सिंह के भाषण के अलावा कुछ भी रिकार्ड नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

---

* * अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

* कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय यह मुद्दा उठा चुके हैं। कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं रिकार्ड देख लूं। श्री प्रभुनाथ सिंह।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री बंसल, आपको क्या हुआ है। मैं रिकार्ड देख लूं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी ने आरोप के बारे में रेज़ किया है।

[अनुवाद]

मैं रिकार्ड देख लूं। यदि यह आपत्तिजनक है तो इसे निकाल दिया जाएगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं कह चुका हूं कि मंत्री जी ने यह मामला उठाया है। मैं रिकार्ड देख लूं। यदि यह आपत्तिजनक है तो इसे कार्यवाही से निकाल दिया जाएगा। कृपया बात को समझिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं रिकार्ड देख लूं।

(व्यवधान)

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : केवल असंसदीय अभिव्यक्तियों को ही कार्यवाही वृत्तान्त से निकाला जा सकता है। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप अध्यक्षपीठ को निर्देश कैसे दे सकते हैं ? अध्यक्षपीठ को संसदीय और असंसदीय की जानकारी है। आपका काम अध्यक्षपीठ को निर्देश देना नहीं है।

(व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसल : हम आपसे निवेदन तो कर सकते हैं। *(व्यवधान)* हम अपना नजरिया बता रहे हैं। हम आपसे निवेदन कर रहे हैं। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं स्पष्ट रूप से कह चुका हूं कि मंत्री महोदय ने आपत्ति की है। मैं रिकार्ड देख लूं। यदि यह आपत्तिजनक है तो इसे निकाल दिया जाएगा।

श्री पवन कुमार बंसल : मंत्री महोदय ने जो कहा वह मात्र इतना ही था कि माननीय प्रधानमंत्री पर आरोप लगाए गए हैं। *(व्यवधान)* यदि वह कहते हैं कि आरोप झूठ है तो वह इसकी जांच के लिए एक संयुक्त संसदीय समिति गठित करें। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री प्रभुनाथ सिंह के भाषण के अलावा कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) : अध्यक्ष महोदय, अभी हम खड़े ही हुए हैं तो हंगामा शुरू हो गया। अभी बोलना बाकी है। पता नहीं इसके बाद क्या होगा।

बालको, जो एक सार्वजनिक उपक्रम है, उसमें विनिवेश को लेकर सदन में चर्चा चल रही है। वैसे इस संबंध में पूर्व में राज्य सभा में चर्चा हो चुकी है और अखबारों के माध्यम से भी काफी चर्चा पहले से हो रही है। आज सदन में सत्ता और विपक्ष की तरफ से बालको के विनिवेश के संबंध में शब्दों का खेल शुरू हुआ है। हम इस संबंध में बहुत थोड़े शब्दों में कुछ कहना चाहते हैं। जब इस देश में सार्वजनिक उपक्रम स्थापित किए जा रहे थे, जो सरकार थी, हमारी समझ में उसकी मानसिकता यही होगी कि देश की पूंजी इन सार्वजनिक उपक्रमों में लगा कर उससे जो मुनाफा हो, उसे गांवों में, उन जगहों में जो पिछड़े हुए लोग हैं, उस मुनाफे का भाग दिया जाए जिससे गांवों का विकास हो सके।

लेकिन इतने दिनों के बाद जो गांवों से पैसे विभिन्न तरह के टैक्स के रूप में लिए जाते रहे और जो पैसे दिल्ली में आये, उन पैसों का उपयोग गांवों की तरफ नहीं हो पाया। इसका कारण ये सार्वजनिक उपक्रम थे। सारे सार्वजनिक उपक्रम बराबर घाटे में चलते रहे और जो गांवों के पैसे आये, इन सार्वजनिक उपक्रमों के पुनर्निर्माण के नाम पर गांवों का पैसा उस पर लगाया गया, लेकिन फिर भी ये घाटे में ही रहे, मुनाफा नहीं दे सके। वैसी स्थिति में अभी जो अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में केन्द्र में सरकार चल रही है, जिसने यह निर्णय किया है कि ग्रामीण इलाकों के विकास के लिए, ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों के हित के लिए हम मजबूती से कदम उठाएंगे और उसी क्रम में यह विनिवेश की प्रक्रिया जारी है। हालांकि यह विनिवेश की प्रक्रिया 10 वर्षों से इस देश में शुरू की गई है, जिस समय इस देश में कांग्रेस की हुकूमत थी, जिन लोगों ने यह प्रक्रिया शुरू की। पता नहीं, वे किस परिस्थिति में आज हंगामा खड़ा कर रहे हैं। वे कहते हैं कि इसमें पारदर्शिता नहीं है, वे नीयत पर शंका प्रकट कर रहे हैं। हम यह कह रहे हैं कि ये लोग गांव विरोधी हैं, शहर में रहने वाले लोग हैं। जब ये जानते हैं कि गांवों का विकास होने वाला है, गांवों में सड़कें बनेंगी और गांवों की झोंपड़ियों में रोशनी आने वाली है तो ये दिल्ली में बैठकर गांवों का विकास करते हैं ताकि गांवों की तरफ पैसा नहीं जा सके।

हालांकि बालको के सम्बन्ध में प्रक्रिया आज पहले-पहल शुरू नहीं हुई है, 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी जी इस देश के प्रधान मंत्री नहीं थे। उन दिनों इस देश के प्रधान मंत्री एच०डी० देवेगौड़ा साहब थे और उन दिनों वामपंथी लोग भी उस सरकार के साथ थे, ये सरकार चलाने में अपनी भूमिका निभाते थे। अभी अखिलेश सिंह जी बोल रहे थे, उन दिनों उनके नेता आदरणीय मुलायम सिंह

जी उस सरकार के रक्षा मंत्री के पद पर विराजमान थे और कांग्रेस के लोग अपने कंधों पर उन दिनों सरकार को उठाने का काम करते थे। उन्हीं दिनों बालको में विनिवेश की प्रक्रिया शुरू की गई और चार वर्षों के बाद ये कहते हैं कि जल्दी हो गया, जल्दी हो गया तो क्या जल्दी हो गया ? चार वर्षों के बाद सरकार ने यह निर्णय लिया है। इनके पास यह कहने का क्या औचित्य है। *(व्यवधान)*

कुंवर अखिलेश सिंह : 551 करोड़ का फैसला तब नहीं हुआ था, प्रभुनाथ बाबू।

श्री प्रभुनाथ सिंह : अखिलेश जी हम आपको यह बताना चाहते हैं कि जो प्रक्रिया शुरू की गई, इसमें कहीं से किसी जल्दबाजी का सवाल नहीं उठता है। इस प्रक्रिया में जो प्रतिशत की मात्रा बढ़ाने और घटाने की ये लोग चर्चा कर रहे थे, 20 प्रतिशत तो पहले से तय था, लेकिन श्री जी०वी० कृष्णन, जो विनिवेश आयोग के अध्यक्ष थे, उनकी सिफारिश के आधार पर इसका प्रतिशत बढ़ाया *गया और 51 प्रतिशत किया गया। यह ठीक है* कि 51 प्रतिशत करने के बाद मैनेजमेंट निजी लोगों के हाथ में चला जायेगा। लेकिन निजी लोगों के हाथ में मैनेजमेंट जाने से ये लोग चिन्तित क्यों हैं। हम जानना चाहेंगे कि इसमें बाकी चिन्ता क्या है। अगर कहीं कोई सार्वजनिक उपक्रम मजबूती से चले और मुनाफे में चले, उसका जो मुनाफा हो, उसका पैसा गांवों के विकास में जाये तो इससे इनको परेशानी क्या होती है, इनकी परेशानी का कारण क्या बनता है। *(व्यवधान)* हालांकि इस सम्बन्ध में पांच बार चर्चा सदन में हो चुकी है और 20-25 ऐसे क्वश्चन किये गये, जिसमें सरकार की तरफ से लिखित उत्तर भी मिल चुके हैं। हम यह महसूस नहीं करते थे कि इसमें कोई बहुत चर्चा करने की जरूरत थी, लेकिन अखबार में छपवाकर देश के लोगों को गुमराह करने की एक साजिश विपक्ष की तरफ से की गई है ताकि इनकी इस भूमिका में, इनकी चाल में वे लोग फंस सकें।

लेकिन हम आपको यह बताना चाहते हैं जिस कम्पनी का विनिवेश किया गया, ये नीयत में शंका व्यक्त करते हैं और कहते हैं कि 551 करोड़ रुपये बहुत कम हैं, वह सही विनिवेश प्रक्रिया अपनाई गई है।

[अनुवाद]

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह बदनोर (भीलवाड़ा) : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है और किस नियम के तहत आप उसे उठाना चाहते हैं ?

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह बदनोर : महोदय, श्री रघुवंश प्रसाद सिंह के भाषण में नियम 353 का उल्लेख किया गया है। उन्होंने प्रधानमंत्री पर आरोप लगाए हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह एक आरोप था और अध्यक्षपीठ ने इस संबंध में विनिर्णय दे दिया है।

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह बदनोर : किन्तु किसी ने व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया है। मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : यह एक आरोप था। अध्यक्षपीठ ने विनिर्णय दे दिया है। उसी आरोप पर आप व्यवस्था का प्रश्न कैसे उठा सकते हैं। विनिर्णय दे दिया गया है। कृपया बैठ जाइए।

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह बदनोर : क्या इसे कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित किया गया है ?

अध्यक्ष महोदय : श्री बदनोर, विनिर्णय दे दिया गया है। इसलिए व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है। अब, कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

डा० रघुवंश प्रसाद सिंह : इसमें गलत क्या है, सांच को आंच *क्या, आप जांच करा लें (व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : रघुवंश जी यह ठीक नहीं है, आप सारे हाउस को डिस्टर्ब कर रहे हैं। कृपया बैठ जाएं।

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष जी, इसमें जो निविदा की प्रक्रिया अपनाई गई है वह खुली निविदा थी। उसमें पूंजी वाले लोगों को आमंत्रित किया गया। दो लोग निविदा में शामिल होते हैं और एक कम्पनी जो निविदा में शामिल है, उसने 275 करोड़ रुपए आंके थे, दूसरी ने 551.5 करोड़ रुपये आंके थे। यदि दूसरी कम्पनी को विनिवेश की स्वीकृति दी गई तो हम यह नहीं समझ पाते कि इसमें इनको पीड़ा क्यों है।

श्री बसुदेव आचार्य : केवल दो पार्टी को क्यों लिया ?

श्री प्रभुनाथ सिंह : अगर और पार्टी थीं, तो क्यों नहीं आप लेकर आए, किसने रोका था। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री प्रभुनाथ सिंह, कृपया अध्यक्षपीठ को सम्बोधित कीजिए। आप अनावश्यक रूप से सभा का समय नष्ट कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह : इसमें विनिवेश की प्रक्रिया में किसी व्यक्ति विशेष की भूमिका नहीं है, क्योंकि विनिवेश कमेटी और विशेषज्ञों की राय के अनुरूप ही सरकार ने विनिवेश का फैसला लिया है। इस विनिवेश कमेटी के मुखिया भारत सरकार के कैबिनेट सचिव हैं। इसलिए गड़बड़ी की सम्भावना व्यक्त करना उचित नहीं है। बेचने से पहले जिम्मेदारी वित्त मंत्रालय की थी। लेकिन चूंकि इसका काम सही ढंग से और इसकी देखरेख सही हो सके इसके लिए अटल बिहारी वाजपेयी जी ने नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उसने अलग से मंत्रालय का गठन किया। विरोधी दलों को यही पीड़ा हो रही

[श्री प्रभुनाथ सिंह]

है कि यह काम सुचारू रूप से क्यों चल रहा है। कांग्रेस पार्टी के लोग चाहते रहे और ये सफल नहीं हो सके। फिर इनके सहयोग से जो सरकार चलती थी, उसको भी सफलता नहीं मिली। आज जब यह सरकार सफलता से आगे बढ़ रही है तो इनको परेशानी हो रही है। इस सम्बन्ध में छत्तीसगढ़ के मुख्य मंत्री जी का बयान अखबारों में आया। उसकी भी यहां चर्चा कई सदस्यों ने की। उनको भी शंका है कि 100 करोड़ रुपए की इसमें हेराफेरी हुई है। इस सम्बन्ध में एक जनहित याचिका भी हाई कोर्ट में दायर हुई है। मुझे जानकारी नहीं है कि उस पर क्या निर्णय हुआ। इस सम्बन्ध में हम एक रोज सदन में शून्य काल में बैठ कर सुन रहे थे, जब माधव राव जी बोल रहे थे। उन्होंने भी शंका जाहिर की थी कि इसमें कहीं न कहीं गड़बड़ी की सम्भावना है। हम जानना चाहेंगे कि आपका चश्मा इतना बदलता क्यों है। जब आप गड़बड़ी करते थे तब गड़बड़ी नहीं होती थी, दूसरा जब कोई काम करता है तो आपको उसमें गड़बड़ी दिखाई देती है। कांग्रेस पार्टी के और कम्युनिस्ट मित्रों से मैं जानना चाहूंगा कि इसमें क्या गड़बड़ी है, कौन सी गड़बड़ी है ? अगर 100 करोड़ रुपए की बात आप उठाते हैं, तो आप नाम बताएं, उसकी जांच होगी।

श्री कांति लाल भूरिया : जांच समिति बनाने में क्या दिक्कत है। यह राष्ट्र की सम्पत्ति है। यह कहां तक उचित है कि तीन व्यक्ति आए और कब्जा कर लें। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : प्रभुनाथ सिंह जी, आप इधर देखकर बात करिए।

(व्यवधान)

श्री साहिब सिंह (बाहरी दिल्ली) : अध्यक्ष जी, काफी समय से इन्हें माल नहीं मिला। कमेटी बनाकर सोचते हैं कि दो चार आदमी आ जाएंगे। *(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष जी, यह जो सौदा हुआ है, इस पर कमेटी बनाकर ये लोग सौदेबाजी करना चाहते हैं और सरकार इनको सौदेबाजी नहीं करने देगी। सरकार इस मामले में मजबूती से कदम उठा रही है। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री पवन कुमार बंसल : महोदय, यह क्या सौदेबाजी है ? *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : अब आप समाप्त करिए। टाइम नहीं है, वोटिंग भी करनी है।

(व्यवधान)

डॉ० रघुवंश प्रसाद सिंह : अध्यक्ष जी, सरकार ने *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : रघुवंश जी, यह ठीक नहीं है। आप बार-बार हाउस को डिस्टर्ब कर रहे हैं। आप बोल रहे हैं, दूसरों को बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं। यह आप क्या कर रहे हैं ?

(व्यवधान)

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष जी, मजदूरों के प्रति दोनों पक्ष के सदस्यों ने काफी चिंता जताई है। जो अभी केन्द्र में सरकार चल रही है, मजदूरों के प्रति उसकी नीयत में कहीं कोई खोट नहीं है। हम लोग यह मानकर चलते हैं कि मजदूर विश्वकर्मा के रूप होते हैं और ब्रह्माण्ड की रचना करने वाले देवताओं का वास्तुकार उन मजदूरों में प्रवेश करता है। वे अपने परिश्रम से सब कुछ खड़ा करते हैं।, इसलिए उनके हित को अनदेखी करने के पक्ष में सरकार नहीं है। विनिवेश के एक वर्ष तक किसी भी कर्मचारी को नहीं हटाया जाएगा, सरकार ने ऐसा निर्देश जारी किया है। कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति के अवसर दिये गये हैं। किसी भी प्रकार के लेबर चीफ बोर्ड की सलाह पर कंपनी के नियमों के हिसाब से ही कार्य किया जाएगा और कर्मचारियों के लिए पांच प्रतिशत की ईक्विटी शेयर का भी प्रावधान सरकार ने पहले से कर दिया है।

श्री कांतिलाल भूरिया : एक साल के बाद वे कहां जाएंगे ? *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री भूरिया, यह क्या हो रहा है ? कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह : राज्यों में भी सार्वजनिक उद्यम हैं और *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अब आप समाप्त करिए। टाइम नहीं है, वोटिंग करनी है।

श्री प्रभुनाथ सिंह : हम दो तीन मिनट में समाप्त कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : आपने दस मिनट ले लिये हैं।

(व्यवधान)

श्री प्रभुनाथ सिंह : चूंकि समय कम है, इसलिए एक बात कहकर हम अपनी बात समाप्त कर देते हैं। चर्चा के क्रम में अखिलेश सिंह जी और कई लोगों ने यहां यह चर्चा उठाई है और इस सदन में स्वदेशी की चर्चा ने बड़ा जोर पकड़ा है। इन लोगों को यह लग रहा है कि विदेशी आकर इस देश पर कब्जा कर रहे हैं। हम स्वदेशी के विषय पर चर्चा करना चाहेंगे। जिन लोगों को स्वदेशी और विदेशी की बीमारी पकड़ी हुई है, सोमनाथ बाबू जी से हम यह जानना चाहेंगे और रघुवंश बाबू जिस समय मंत्री बने थे, उस समय *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : हम 'बालको' पर डिसकशन कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री प्रभुनाथ सिंह : अब हमने 'बालको' पर चर्चा बंद कर दी है। अब हम एक बात स्वदेशी और विदेशी पर कहना चाहते हैं। जिस समय सोमनाथ बाबू जी के मुख्य मंत्री ज्योति बाबू जी थे और रघुवंश बाबू के मुख्य मंत्री लालू यादव थे, उस समय वे विदेशों में विदेशियों को बुलाने के लिए दौड़ रहे थे, तो हम जानना चाहते हैं कि वे विदेशियों को बुलाने के लिए गये थे तो उसके पीछे क्या राज था ? अगर राज नहीं था और विदेशियों को आमंत्रित करने के लिए नहीं गये थे तो क्या बंगाल और बिहार के विकास के लिए गये थे या काली कमाई को विदेशों में छुपाने के लिए गये थे ? इस पर भी उन्हें बताना चाहिए कि हकीकत क्या है।

[अनुवाद]

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय (कलकत्ता उत्तर, पश्चिम) : महोदय, बालको की स्थिति यह है कि यह सरकारी क्षेत्र का पहला एलुमिनियम उत्पादक उपक्रम है। जिसे 1965 में मध्य प्रदेश में शुरू किया गया था। अब यह छत्तीसगढ़ में है। आज इसके विनिवेश का निरनुमोदन करने वाले प्रस्ताव पर चर्चा की जा रही है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों में ऐसे राजनीतिक दल हैं जो विनिवेश के सिद्धांतों में दृढ़ विश्वास रखते हैं। प्रश्न यह नहीं है कि ऐसा इस मामले में है या अन्य मामले में है। लेकिन सिद्धांत रूप में तृणमूल कांग्रेस, विस्तार में न जाकर, विनिवेश के विचार के विरुद्ध है। इसका दृढ़ विश्वास है कि इस सिद्धान्त पर चर्चा की जा सकती है किन्तु समझौता नहीं किया जा सकता। हम चिन्तित हैं क्योंकि सरकार ने पहले ही निर्णय ले लिया है। जैसाकि पिछले कुछ दिनों को देखकर लगता है कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। चूंकि सरकार द्वारा अन्तिम निर्णय पहले ही लिया जा चुका है इसलिए मंत्री जी से अपील करूंगा कि वह कामगारों, श्रमिकों की हालत की जांच करें।

मैं उनकी हालत सुधारने के बारे मे आपके सामने कुछ सुझाव और प्रस्ताव रखता हूं। सर्वप्रथम, मैं अनुरोध करता हूं कि अपने 49 प्रतिशत शेयरों में बीस प्रतिशत शेयर बालको के कर्मचारियों को आवंटित किए जाएं। मुझे आशा है कि आप आज इस सभा में इसका आश्वासन देंगे।

कामगार और कर्मचारी अपने भविष्य के बारे में जानने हेतु चिन्तित हैं। इस समय बेरोजगारी आसमान छू रही है। इसके अतिरिक्त, इस विनिवेश से बेरोजगारी की समस्या और बढ़ जाती है। सरकार की छवि धूमिल होने को बाध्य है और जिसके लिए हम सभी को सचेत रहना चाहिए।

महोदय, हम माननीय मंत्री से आश्वासन चाहते हैं कि उनकी सेवा शर्तों और वेतनमानों, भत्तों, उनकी कल्याणकारी सुविधाओं में कोई काट छांट और कोई परिवर्तन नहीं होगा। सरकारी स्थापनाओं के कर्मचारियों के समान कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा की गारंटी होनी चाहिए। एक बार इसे 51 प्रतिशत शेयर के साथ गैर सरकारी क्षेत्र में तब्दील कर दिया जाता है तो स्वाभाविक है कि कर्मचारी असुरक्षित महसूस करेंगे। वे अपनी नौकरी की सुरक्षा में अनिश्चितता का सामना कर सकते हैं। अत: इसकी गारंटी दी जाए। सुरक्षा और गारंटी सरकारी कर्मचारियों के समान होनी चाहिए। उनके प्रतिनिधियों और बालको के मान्यताप्राप्त मजदूर संघों के बीच समझौता भी होना चाहिए। मुझे यह बात स्पष्ट रूप से बताई जाए कि क्या मान्यताप्राप्त मान्यताप्राप्त संघों और मंत्रालय के बीच कोई बैठक हुई थी। कर्मचारी अपने को अलग थलग महसूस न करें। कामगार यह महसूस न करें कि उन्हें अभुरक्षित किया जा रहा है।

समझौते में यह कहा जा सकता है कि भावी क्रेता को मजदूर संघ से भी बात करनी चाहिए और उसे यह बताना चाहिए कि वह इसमें कैसे परिवर्तन करेंगे और इस बालको यूनिट का आगे आधुनिकीकरण कैसे करेंगे।

विपक्ष द्वारा कुछ आरोप लगाए गए हैं। जहां तक राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का संबंध है तो हमे यह आशा करनी चाहिए कि मंत्री को सरकार के विरुद्ध लगाए गए आरोपों के उत्तर के साथ आगे आना चाहिए। संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली में जब सभा के भीतर कुछ आरोप लगाए जाते हैं और वे आरोप इस सीमा तक पहुंच चुके हों कि एक सौ करोड़ रुपए का सौदा किया गया है तो मैं आशा करता हूं कि मंत्री जी को यह बताना चाहिए कि क्या ये बेबुनियादी आरोप हैं अथवा इन आरोपों के पीछे कोई सच्चाई है। हमें श्री अरुण शौरी के मान, निष्ठा और और ईमानदारी पर पूरा विश्वास है। हम आशा करते हैं कि संसदीय वाद विवाद और संसदीय लोकतांत्रिक कार्यकरण के हित में विपक्ष द्वारा लगाए गए आरोपों को साफ करने के लिए उन्हें पूर्ण प्रयास करने चाहिए।

मंत्री महोदय, मैं एक बात का आपसे निष्पक्ष रूप से स्पष्टीकरण भी चाहता हूं। यदि कोई बेहतर क्रेता आता है तो क्या आप अपना निर्णय वापस लेने के लिए तैयार हैं ? क्या आप कुछ और समय देंगे जिससे विपक्षी दल जिन्होंने यह आरोप लगाए हैं, भी निश्चिंत रह सकें। सरकार कुछ और समय देकर और अधिक पारदर्शी हो सकती है।

हमें जल्दी में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। जो श्री प्रियरंजन दासमुंशी बता रहे थे, वह यह था कि सात अथवा दस दिन के अन्तराल में सारा मामला समाप्त हो गया था। यदि हमारी सरकार साफ है, और पारदर्शी है और यदि हमारा ऐसा विश्वास है तब हमें क्यों अनिश्चित होना चाहिए। अत: आज स्वाभाविक रूप से विपक्ष द्वारा लगाए गए आरोपों का उत्तर दें और हमें पक्का विश्वास है कि अगर कोई बेहतर मूल्य लगाने वाला इसे खरीदता है तो हम इस पर सहमत हो सकते हैं। मुझे प्रसन्नता है कि आपने राज्य सभा के अन्दर भी इस चुनौती को स्वीकार किया। दूसरे दिन लोगों ने, आपको ताना मारा। हम आपकी बात नहीं सुन सके और लोग सदन से उठकर चले गए। लेकिन आज पूरा देश इसकी प्रतीक्षा कर रहा है।

हम पश्चिम बंगाल में सरकारी क्षेत्र की अपनी कुछ इकाइयों के बारे में चिन्तित हैं। हमें माननीय प्रधान मंत्री द्वारा आश्वासन दिया

[श्री सुदीप बंद्योपाध्याय]

गया था कि इनकी जांच प्राथमिकता के आधार पर की जाएगी। हमने अपनी नेता कुमारी ममता बनर्जी को स्पष्ट रूप से आश्वासन किया था कि जहां तक सरकारी क्षेत्र की उन सात इकाइयों का संबंध है वे पुनरूद्धार की प्रक्रिया में चल रही हैं और हम उनकी जांच कर रहे हैं। हमारा आपसे अनुरोध है कि आप इस सभा के पटल पर आप जिस भी प्रकार से घोषणा करते हैं जैसाकि वित्त मंत्री द्वारा भी कल घोषणा की गई थी, इस मामले की और अधिक जांच की जानी चाहिए और इसके लिए हम स्पष्ट मांग करते हैं।

श्री अरुण शौरी जी हम अपने मुद्दों, सही अर्थों में कामगारों के संरक्षण के बारे में आप से सुनना चाहते हैं। यदि आप इन मामलों को स्पष्ट कर देते हैं तो निश्चित रूप से हम आपके निर्णय का पक्ष लेंगे क्योंकि निर्णय पहले ही ले लिया गया है और हम सरकार के साथ हैं।

अध्यक्ष महोदय : श्री सोमनाथ चटर्जी। वह अन्तिम वक्ता हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले (पंढर पुर) : अध्यक्ष महोदय, लास्ट स्पीकर मैं हूं। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप लास्ट स्पीकर आज नहीं, कल हैं।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से चर्चा के लिए निर्धारित विषय पर आने से पूर्व मैं एक माननीय सदस्य द्वारा पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री के विरुद्ध लगाए गए घृणित और अश्लील आरोपों का खंडन करता हूं जो अविवेकपूर्ण, आधारहीन और वीभत्स आरोप है जो केवल विकृत मानसिकता वाला व्यक्ति ही कर सकता है।

श्री बसुदेव आचार्य : इसे कार्यवाही वृतांत से निकाल देना चाहिए।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं मामले के विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं।

क्या यह महत्वपूर्ण विषय नहीं है, यह पूरे देश के लिए अति महत्वपूर्ण मौलिक मुद्दा है या नहीं, सभी इसकी मांग करते हैं, कोई यह नहीं कहता है कि यह एक छोटी सी बात है। यह देश के सार्वजनिक क्षेत्र का एक प्रमुख उपक्रम है जो अभी भी लाभ में चल रहा है। इस चरण में मैं यह चर्चा नहीं कर रहा हूं कि ऐसी इकाई को बेच ही दिया जाना चाहिए क्योंकि संभवत: जहां तक इस इकाई का संबंध है, यह चरण अब गुजर चुका है। लेकिन ऐसी इकाईयां सरकार द्वारा कैसे बेची जा रही है ? मैं समझता हूं देश को यह जानने का अधिकार है। कोई भी तदर्थ निर्णय नहीं लिया जा सकता है। इकाई दर इकाई सरकार तदर्थ निर्णय नहीं ले सकती। सरकार किसी एक इकाई को बेचने के उद्देश्य से कोई मानक नहीं बना सकती।

दोनों सभाओं में उत्तेजना व्याप्त है, यह कोई ऐसा विषय नहीं है जिसका कोई क्षणिक महत्व हो। सम्पूर्ण देश उत्तेजित है। मीडिया में सरकार के कई पक्षधर हैं। मीडिया ने इसे बड़ी गंभीरता से लिया है। दूसरी सभा में इस मुद्दे पर लंबे समय तक चर्चा हुई है। इस मामले पर हमने छ: घंटे तक चर्चा की है। क्या यह ऐसा विषय है जिसका कोई महत्व अथवा मूल्य नहीं है।

इस देश में अर्ध संघीय प्रणाली है, पूर्ण संघीय नहीं है। जब एक मुख्यमंत्री ने अपनी आपत्ति व्यक्त की है तो मैं उनके अन्य आरोपों की बात नहीं कर रहा हूं।

उन्होंने गंभीर आपत्ति व्यक्त की है। प्रमुख इकाई उनके ही राज्य में है। वह महसूस करते हैं कि यह ऐसा विषय है जिस पर उचित रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए। वह एक निर्वाचित सरकार के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने महत्ता का सिद्धांतों का प्रश्न उठाया है। क्या हमारी जैसी व्यवस्था में केन्द्र सरकार को मुख्यमंत्री से परामर्श नहीं करनी चाहिए क्योंकि श्रमिक वर्ग आंदोलन पर उतारू है, श्री सुदीप बंद्योपाध्याय ने ठीक ही कहा है ? उन्होंने जो कहा है, मैं उसकी प्रशंसा करता हूं, कभी-कभी,

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय : यह 'वामपंथी' प्रशंसा है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : 'वामपंथी' नहीं। मैंने कहा, "मैं प्रशंसा करता हूं। वामपंथी क्या है ? यदि आपको मेरी प्रशंसा नहीं चाहिए तो ठीक है *(व्यवधान)* मैं प्रशंसा करता हूं, मैं दूसरी अंग्रेजी नहीं जानता। आप मुझे अंग्रेजी के शब्द बता सकते हैं *(व्यवधान)*

मान लीजिए, कोई आंदोलन होता है, तो उसका सामना कौन करेगा ? इसका सामना श्री अरुण शौरी नहीं करेंगे। तब वह कानून-व्यवस्था बिगड़ने पर राज्य सरकार को दोष देंगे।

महोदय, यह सरकार की सम्पत्ति नहीं है और न ही भारतीय जनता पार्टी की है क्योंकि इन मामलों के पार्टियों का कोई महत्व नहीं होता। यह आम जनता की, देश की सम्पत्ति है। इस सभा में और दूसरी सभा में जनता के प्रतिनिधियों के रूप में हमें यह जानने का अधिकार है कि जनता की परिसम्पत्तियों को किस तरह से निपटाया जा रहा है। हम यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इसका उचित मूल्यांकन हुआ है या नहीं। माननीय संसद सदस्यों द्वारा अनेक शंकायें व्यक्त की गई। हम यह नहीं कह रहे हैं कि इस मामले की जांच सी०बी०आई० करे। आप संसद सदस्यों पर विश्वास नहीं कर सकते। स्पष्ट कारणों से आप इस समिति में बहुमत में होंगे। यह समानुपातिक प्रतिनिधित्व होगा। आप कुछ बातों को जानना चाहते हैं।

महोदय, जब सभा में विषय पर चर्चा की जाए हो, तो माननीय प्रधानमंत्री ने यह प्रमाणित करें कि यह अच्छा सौदा है विश्व में शायद यही एकमात्र देश है जहां विनिवेश का अलग मंत्री है। मैं समझता हूं निवेश मंत्री भी होना चाहिए। वह विनिवेश मंत्री हैं *(व्यवधान)* उन्होंने कहा, "शेयर प्रभावित नहीं होंगे।" प्रधानमंत्री जी ने बड़े सौम्य रूप से ऐसा कहा, यद्यपि मुझे ऐसा लग रहा है कि वे इन दिनों रूष्ट हो रहे हैं। उन्होंने कहा, "नहीं, विक्रय बहुत अच्छा

है।" मुझे यह नहीं पता कि उन्होंने इस मामले की कितनी छानबीन की है।

महोदय, दुर्भाग्यवश, देश में महत्वपूर्ण सैद्धांतिक मामलों पर पूर्ण रूप से विभेदकारी व्यवहार किया जा रहा है, जितनी जल्दी आप इस तरह से प्रश्न उठाएंगे, ठीक है, आपको विपक्ष के साथ अवश्य चर्चा करनी होगी। श्री अरुण शौरी, आप सिर्फ अपनी ही विश्वसनीयता नहीं खो रहे हैं, देश की विश्वसनीयता भी गंवा रहे हैं। हमें आपकी विश्वसनीयता से कोई लेना-देना नहीं। यह देश अपनी मूल्यवान परिसम्पत्तियों का इस तरह से निपटा रही हे जैसे वे कुड़े हों और उनसे किसी तरह से छुटकारा पाना है, किसी को भी ढूंढों, चाहे यह पारदर्शी तरीके से हो या बिना पारदर्शिता के, इसे यथाशीघ्र एक ही हफ्ते में बेच देना है। सब कुछ कर लिया गया है और सब कुछ पूरा हो गया है। आप इस देश में सात दिन में कुछ भी नहीं कर सकते। आपको सभी प्रक्रिया पूरी करनी है और आपको श्री अरुण जेटली जैसे एक सुलझे अधिवक्ता के हस्तक्षेप की आवश्यकता है जिन्हें एक घंटे तक बोलना है, मुख्य रूप से दूसरे पक्ष को भला-बुरा कहने के लिए। यह दूसरी रणनीति है। जब आप कठिनाइयों से घिरे हों और आपका पक्ष कमजोर हो, तो आप दूसरे को भला-बूरा कहें। आप कुछ नहीं जानते।

महोदय, उन्होंने 'ग्रेट ईस्टर्न' का उल्लेख किया। वे इसे नहीं जानते हैं। किसी चीज का भी निर्णय नहीं लिया गया है, इसके लिए दर्ज आपत्तियों का आभार करना चाहिए। पश्चिम बंगाल में हमारे कुछ माननीय राजनीतिज्ञ हैं जो एक जगह एक पार्टी में हैं तो दूसरी जगह दूसरी पार्टी में।

वे एक मजदूर संघ के भी नेता हैं, वे प्रतिदिन आपत्ति व्यक्त कर रहे हैं।

अभी तक इसे अंतिम रूप नहीं दिया गया है और आपने फैसला कर दिया। मैं इस प्रतिष्ठित सभा को यह बताने की कोशिश कर रहा था कि कृपया इस मामले को रूटीन के रूप में न लें। सरकार को इसे रूटीन मामला नहीं समझना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि आपके नियम 184 के अंतर्गत चर्चा की अनुमति दी, इस इसका महत्व पता चलता है। निश्चित रूप से, हम क्या आशा कर सकते हैं? हमारी यह सरकार भानुमति का पिटारा है जहां यह स्पष्ट रूप से व्यक्त किया है कि विचाराधारा की कोई प्रासंगिकता नहीं है, सिद्धांतों की कोई प्रासंगिकता नहीं है। सिर्फ एक ही बात है — सत्ता में बने रहना। मैं भी शरद यादव की व्यथा को जानता हूं जिससे वे आजकल गुजर रहे हैं।

वह खुश नहीं हैं। वह नाखुश हैं, लेकिन वह सत्ता के निकट होना चाहते हैं। श्री नीतीश कुमार वहां कैसे बैठ सकते हैं? लेकिन आपने उस ओर देखना सीख लिया है। यहां न तो कोई साझा कार्यक्रम है, न ही विचाराधारा है यह एक दूसरी रूचिकर बात है। यह एक ऐसा विषय है। जिसका तेलुगु देशम पार्टी चुप्पी साधने से पहले विरोध कर रही थी। दूसरे सदन में, उनके नेता ने खुलेआम विरोध किया। शिवसेना के लोग बहुत शांतिप्रिय हैं लेकिन वे सभी यहां आए। चुपचाप और बिना शोर शराबे के वे इसका विरोध करने के लिए सभा पटल के पास आए — आपको यह याद होगा। जनता दल (संयुक्त) के श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव ने भी इसका विरोध किया था। यह विरोध कोई निजी स्तर पर किया गया विरोध नहीं था; यह विरोध स्वयं संसद के भीतर किया गया था। आप अपना रंग-बदल सकते हैं, आप अपना ये रवैया बदल सकते हैं यह आप पर निर्भर है। निर्णय लोगों का होगा। लेकिन इसका उल्लेख मैं क्यों कर रहा हूं, इसका उल्लेख मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि उन्हें भारी आपत्तियां थीं। इसलिए, इसे हम प्रथम दृष्टया मामला मानते हैं। आप अनेक बातों पर भाषण देते हैं। प्रथम दृष्टया मामले का अर्थ है ऐसा मामला जिसका उत्तर मिलना चाहिए जब आप किसी मामले को प्रथम दृष्टया मामला कहते हैं तो उसका उत्तर देने की आवश्यकता होती है। श्री वेणुगोपालाचारी ने महसूस किया कि उसका उत्तर दिया जाना चाहिए लेकिन उनके नेता ऐसा नहीं चाहते थे क्योंकि सत्ता के केन्द्र के साथ रहने का जबरदस्त प्रलोभन जो है। मैं नहीं जानता कि प्रतिबद्ध सहयोगी पार्टियों के परामर्श से इस सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया जाता है। मंत्रियों के दो दल हैं। मैं नहीं जानता कि मंत्रियों के किस दल से सहयोगी पार्टियां सम्बद्ध हैं। कम से कम तेलुगु देशम पार्टी इनमें शामिल नहीं है। उनका कोई भी सदस्य मंत्री नहीं है। उनके बलबूते पर यह सरकार चल रही है। श्री येरननायडू को छोड़कर सत्ता में उनकी कोई आवाज नहीं है जो कभी-कभी नाराज हो जाते हैं और श्री सुदीप बंद्योपाध्याय को लेकर प्रधानमंत्री से मिलने चले जाते हैं। वहां उनके साथ कुछ मीठी मीठी बातें की जाती हैं और वे चुपचाप वापस आ जाते हैं और कहते हैं कि वे अब प्रधानमंत्री के स्पष्टीकरण के बाद संतुष्ट हैं।

[हिन्दी]

श्री विजय गोयल (चांदनी चौक) : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने विषय से सम्बंधित एक शब्द भी नहीं कहा है। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : ऐसी बात नहीं है। आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, भारतीय जनता पार्टी में मेरे मित्र कैसे चिंतित हैं? *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : वह अपनी बात समाप्त नहीं कर रहे हैं। श्री खारबेल स्वाइं, कृपया आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)

सायं 7.00 बजे

प्रो० ए०के० प्रेमाजम (बडागरा) : कृपया शर्तें मत बताइए। यह बात सही नहीं है *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, कृपया अपनी-अपनी सीटों पर बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री जी इन सभी बातों का उत्तर देने के लिए मौजूद हैं। कृपया अपनी सीटों पर बैठ जाइए।

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, मैं केवल तीन-चार मिनट और लूंगा।

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय : यदि तेलुगू देशम पार्टी का कोई मंत्री नहीं है, तो उनकी पार्टी के माननीय अध्यक्ष तो हैं। *(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह तेलुगू देशम पार्टी के लिए यही एक अनुकूल बात है। महोदय आपकी प्रशंसा हमने आपको खुश करने के लिए नहीं बल्कि जिस अच्छी तरह से आपने अध्यक्ष के रूप में सभा की कार्यवाही चलायी है उसके लिए की है।

श्री के० येरननायडू : सभी इसकी प्रशंसा कर रहे हैं *(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : फर्क सिर्फ इतना है कि जब इन माननीय अध्यक्ष ने श्री के० येरननायडू से अपने आपको अलग कर लिया तब से वह बेहतर कर रहे हैं। *(व्यवधान)*

श्री के येरननायडू : माननीय अध्यक्ष बनने के पश्चात् उन्होंने अपने आपको पार्टी से अलग कर लिया है। वह सभा के अध्यक्ष हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने अपने आपको पार्टी से अलग कर लिया है। कम से कम कुछ समय के लिए ही सही। *(व्यवधान)* महोदय, मैं आपकी बुद्धिमत्ता में पुन: अपना पूर्ण विश्वास दोहराता हूं। *(व्यवधान)*

इसलिए, मैं इस मुद्दे पर कह रहा था। *(व्यवधान)* कृपया बाधा न डालें। मैं अपनी बात दो या तीन मिनट में समाप्त कर दूंगा।

मैं कह रहा था कि यहां देश में इस सरकार को मंत्रियों के एक दल द्वारा चलाया जाता है। यह वह धारणा है जिसे विगत में विकसित किया गया है। माननीय मंत्री श्री मनोहर जोशी, क्या यह सही नहीं है ? *(व्यवधान)* उसमें शायद ही किसी का नाम हो। इसके अतिरिक्त, इस देश में यह एक अनोखी संस्था है। हमने इसे वाकई कांग्रेस के समय में शुरू किया था – जिसे प्रधान मंत्री कार्यालय (पी०एम०ओ०) कहते हैं। वहां सब कुछ किया जाता है। समर्थन में हर बार आप अपना हाथ क्यों उठा रहे हैं ? इसलिए आप अपनी शंकाओं को दूर करने के हकदार हैं। श्री सुदीप बंद्योपाध्याय, आप इसके हकदार है।

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय : मैंने इसके बारे में पूछा है ?

श्री सोमनाथ चटर्जी : हां, आपने इसके बारे में पूछा है। मैं इसकी प्रशंसा करता हूं। यह सीधी सादी प्रशंसा है। *(व्यवधान)* इसलिए, महोदय इस सभा के सदस्य के रूप में, जब अनेक माननीय सदस्यों को शकाएं हों तो मैंने सोचा कि पारदर्शिता में विश्वास रखने वाली, प्रजातांत्रिक तरीके से कार्य करने में विश्वास रखने वाली किसी भी सरकार ने संयुक्त संसदीय समिति का स्वागत किया होता और कहा होता : "बहुत अच्छा चलो हम माननीय अध्यक्ष के कक्ष में चलते हैं।" इसे दो दिनों में कर दिया गया होता।

इसके बाद, क्या मूल्यांकक की नियुक्ति के बारे में कोई प्रश्न नहीं हैं ? अनेक प्रश्न उठाए गए हैं। आपने एकाएक इस मूल्यांकक का चयन कैसे कर लिया ? यद्यपि, आप इसे औने-पौने तरीके से बेचने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसा क्यों हैं कि इतनी महत्वपूर्ण इकाई में केवल डेढ़ बोली दाता ही क्यों थे ? मैं इसे डेढ़ इसलिए कहता हूं क्योंकि एक कम्पनी ने 551 करोड़ रुपए की बोली लगाई और दूसरी ने इसके आधे, 275 करोड़ रुपए की बोली लगाई स्पष्ट है कि यह खरीदी हुई बोली थी क्योंकि एक मात्र बोली पर विचार नहीं किया जाता है। निश्चित रूप से यह तथाकथित दूसरी बोली भी है। लेकिन तब किया क्या जाता है ? जहां तक इस सरकार का प्रश्न है तो यह इतनी जल्दी में क्यों है ? अन्य निविदा सूचना क्यों नहीं दी जा सकी ? क्या जल्दी है ? अब आप उसे माननीय मंत्री श्री प्रमोद महाजन के मंत्रालय के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से और बेबसाइट आदि के माध्यम से कर सकते हैं। आपको बेहतर प्रस्ताव भी मिले होंगे। अवश्य मिले होंगे।

जब आपके ऊपर प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं तो आप इस सभा में चर्चा को भी रोकने का प्रयास कर रहे हैं। दो दिन से हम चर्चा कर रहे हैं कि चर्चा नियम 184 के अंतर्गत होनी चाहिए अथवा नियम 193 के अंतर्गत, इस सरकार का क्या दृष्टिकोण है ?

यहां मूल्यांकनकर्ता की नियुक्ति के तरीके के बारे में कोई प्रश्न है अथवा नहीं ? उनकी क्षमता के बारे में कोई प्रश्न है अथवा नहीं ? वह सम्पूर्ण परिसम्पत्तियों का मूल्य निर्धारित नहीं कर सका। अत: आप खानों के मूल्यांकन के लिए एक अन्य कार्यालय खान ब्यूरो के पास जाते हैं। क्या इसे करने का यही तरीका है ?

क्या उस महत्वपूर्ण प्रश्न अर्थात् कामगारों के बारे में कोई संदेह है जिसे माननीय सदस्य श्री सुदीप बंद्योपाध्याय ने पहले ही पूर्वानुमान लगाकर उठाया है और उन्हें क्या आश्वासन दिया गया ?

अब वे आगे आएगें और इसको अपने नियंत्रण में ले लेंगे। यह वह कम्पनी है जिसे एक मंत्रालय द्वारा काली सूची में रखा गया है। श्री नीतीश कुमार के मित्र कहां हैं जो 'धन शक्ति' के नेता हैं मुझे बताया गया है कि संचार मंत्रालय ने हलांकि इसमें संशोधन हो सकता है, ने इस कम्पनी को काली सूची में डाल दिया है। अब यही वह कम्पनी है जिसे उन्होंने चुना है। श्री प्रभुनाथ सिंह कहां हैं ? वे अब चले गए हैं। आप सभी इसके बारे में काफी उत्तेजित हैं। मैसर्स स्टरलाइट इंडस्ट्रीज का पिछला रिकार्ड क्या है ? क्या आप पता नहीं लगा सकते ? क्या आप हमें नहीं बता सकते ? फिर यह 51 प्रतिशत कैसे बन गया जबकि विनिवेश आयोग ने 40 प्रतिशत की सिफारिश की थी ? आयोग के पास वापस गए बिना यह 51 प्रतिशत हो गया है। आप आयोग के समक्ष क्यों गए ? मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने आयोग के अध्यक्ष को क्यों लिखा और यह 51 प्रतिशत कैसे हो गया, क्या कारण है ? क्या यह आपके विवेक को विचलित नहीं कर रहा है ? अचानक उसके पास अधिकांश

शेयर आ जाते हैं और यदि मैं इसके बारे में पूछूं तो आप कई प्रकार की बातें बता देते हैं।

महोदय, प्रबंधन के संबंध में मैं जानना चाहता हूं कि इसमें कितने निदेशक सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट होंगे, उन्हें 51 प्रतिशत मिलेगा। इसके प्रबंधन पर आपका क्या नियंत्रण होगा ? फिर आप केवल 51 प्रतिशत क्यों बेच रहे हैं पूरी कंपनी को क्यों नहीं ? 51 प्रतिशत शेयर बेचने से आपको असाधारण आम सभा, असाधारण और विशेष प्रस्तावों को छोड़कर कोई सुरक्षा नहीं मिलती जिसमें तीन-चौथाई अथवा दो-तिहाई बहुमत अपेक्षित होता है। इससे क्या लाभ है ? आपने 49 प्रतिशत अपने पास क्यों रखा ? आप धन चाहते हैं और श्री प्रभुनाथ सिंह को आशा है कि यह सारी धनराशि ग्रामीण विकास के लिए उनके चुनाव क्षेत्र में जाएगी। यह इस वर्ष का परिहास है। यह धनराशि बजटीय घाटे को पाटने के लिए काम में लाई जाएगी। वे बिहार के लिए और इसी तरह पश्चिम बंगाल के लिए कोई धनराशि नहीं देंगे। महोदय, इसलिए, मैं भारतीय प्रजातंत्र के कार्यकरण की खातिर अनुरोध कर रहा हूं। आप सभी ने वित्त मंत्री के भाषण के दौरान बड़ी मेजें थपथपाई लेकिन यह बात मत भूलिए कि उनकी स्वीकारोक्ति के अनुसार यहां अभी भी 26 प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे हैं। यहां कृषि के क्षेत्र में अत्याधिक संकट है। श्री के० येरननायडू के राज्य सहित किसान आत्महत्या कर रहे हैं।

महोदय, इस तरह के देश में जहां बहुत अधिक समस्याएं हैं, मैं नहीं जानता कि आपने ध्यान दिया या नहीं क्योंकि वे सभी चिल्ला रहे थे बेरोजगारी शब्द का बजट भाषण में कहीं जिक्र नहीं किया गया और रोजगार शब्द का सारे बजट भाषण में कहीं जिक्र नहीं किया गया। *(व्यवधान)*

इसलिए, मैं कह रहा हूं कि हमारे सरकारी क्षेत्र के महत्वपूर्ण एकक जिन्हें रोजगार जारी रखने की गारंटी के साथ बेचा जा रहा है, इस के परिणाम स्वरूप लोग बेरोजगार हो जाएगें क्योंकि स्टरलाइट इंडस्ट्रीज जिसने इसे खरीदा है। जैसे प्रतिष्ठानों को कामगारों के बारे में चिंता नहीं है। इसलिए, महोदय, ये भारतीय जनता पार्टी के निजी मामले अथवा केवल सरकार के निजी मामले नहीं हैं। यह सार्वजनिक मामला है और सार्वजनिक सम्पत्ति है। जनता की इसमें रूचि हैं, और उसे जानने का हक है और यहां भारतीय संसद के अलावा कोई अन्य बेहतर सार्वजनिक संस्था नहीं है। हम ये मांग कर रहे हैं कि संसद के जरिए तथा संयुक्त संसदीय समिति के माध्यम से उचित जांच कराकर आपको लोगों को यह बताना होगा कि इसकी वास्तविक स्थिति क्या है।

फिर यह चिंता क्यों ? यह जल्दबाजी क्यों ? यह अनुचित चयन क्यों ? आपने दूसरी बार निविदा जारी क्यों नहीं की ? 51 प्रतिशत शेयर क्यों बेचे जा रहे हैं ? कामगारों का भविष्य क्या होगा ? महोदय, मेरी पुरजोर मांग है कि यदि इस सरकार में कोई औचित्य है, यदि इस सरकार की कोई वचनवद्धता की भावना है, अथवा यदि उन्हें पारदर्शिता में और उचित कार्यकरण में विश्वास है तो इस सरकार को संयुक्त संसदीय समिति के लिए राजी हो जाना चाहिए। अन्यथा लोग अपने निष्कर्ष निकाल लेंगे और लोग यह महसूस करेंगे कि वे कुछ छिपाना चाहते हैं।

छिपाना कोन चाहता है। यह काम उन्ही का है जिनके पास कुछ छिपाने के लिए हैं। यदि आपके पास कुछ छिपाने के लिए नहीं है तो आप छिपाने का प्रयास नहीं करेंगे; आप अवसर का स्वागत करेंगे। आज, आपकी हकीकत का पता चल गया है। श्री शौरी मैं जानता हूं कि आप क्या कहेंगे। आप यही कहेंगे कि सब कुछ ठीक ठाक है। यह सरकार सर्वाधिक पारदर्शी सरकार है। आपको यहां बैठे मेरे अनेक मित्रों द्वारा मजबूरी में समर्थन दिया जा रहा है। मैं देख रहा हूं कि आपको अपना मत देने के लिए वे यहां अच्छी-खासी संख्या में मौजूद हैं।

आपको इस बात का संतोष होगा। आप उनका मत जीत लेंगे लेकिन मुझे विश्वास है आप उनमें से अनेक का दिल नहीं जीत पाएंगे, कम से कम हमारा तो नहीं।

अध्यक्ष महोदय : अब मंत्री श्री अरुण शौरी उत्तर देंगे।

श्री प्रिय रंजन दासमुंशी : महोदय आप श्री शुक्ला को अवसर क्यों नहीं देते ?

अध्यक्ष महोदय : समय नहीं है।

श्री प्रिय रंजन दासमुंशी : कृपया उन्हें पांच मिनट दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : श्री शुक्ल आप केवल दो मिनट बोलिए।

श्री श्यामाचरण शुक्ल (महासमुन्द) : महोदय, कृपया मुझे कम से कम पांच मिनट दीजिए। मैं उस बात को दोहराना नहीं चाहता जो अन्य वक्ताओं ने कही है।

भारत के संविधान के अन्तर्गत, राज्य सरकार इस देश के खनिजों तथा भूमि की अकेली मालिक है। 1965 में जब 'बालको' की स्थापना की गई थी तो उस समय राज्य सरकार ने 1,650 एकड़ भूमि दी थी जिसे इसने निर्धन किसानों आदिवासियों वनों, से लिया था हंसदेव परियोजना से नदी जल लिया था और इसे खनिजों के अतिरिक्त विद्युत भी उपलब्ध कराई गई थी। यह सब इस भावना से किया गया था कि यह लोगों के लाभ के लिए और देश की भलाई के लिए राष्ट्रीय संस्था बनने जा रही है। अब, कई वर्षों के बाद जब आप इसे बेच रहे हैं तो यह मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ के लोगों के साथ विश्वासघात करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। 1965 में जब इसकी स्थापना की गई थी तब हमें यह आशा थी और हमने यह सोचा था कि इन सभी संसाधनों का उपयोग देश की भलाई के लिए और लोगों के लाभ के लिए किया जाएगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, देश में चाहे कोई भी सरकार हो और चाहे कोई भी उद्यम हो, चाहे यह निजी उद्यम हो अथवा चाहे जो कुछ भी हो। सिद्धांत यह बनाना चाहिए कि यदि इस देश के खनिज अथवा प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किया जा रहा है तो इस देश के लोगों को सभी लाभ मिलने चाहिए। यह बुनियादी, मूलभूत सिद्धांत

[श्री श्यामाचरण शुक्ल]

होना चाहिए, चाहे यह लौह अयस्क अथवा बॉक्साइट हो, चाहे किसी भी खनिज का उपयोग किया जा रहा हो, इसका लाभ इस देश के लोगों को मिलना चाहिए। हम जानते हैं कि यदि इसे स्टरलाइट जैसी निजी कम्पनियों के हाथ में सौंप दिया जाता है तो वे केवल मुनाफाखोरी करेंगे और अनेक लोगों की छंटनी हो जाएगी।

यहां तक कि चीन में भी, हम जानते हैं कि इस उदारीकरण और वैश्वीकरण के परिणामस्वरूप कई मिलियन लोग बेरोजगार हो गए हैं। चीन के 'पीपुल्स डेली' समाचार पत्र में जो कुछ प्रकाशित हुआ हैं उसे उद्धृत करने में कुछ सैकेंट लूंगा :

''वर्तमान सुधारों से चीन की एक समय की मजबूत अर्थव्यवस्था राज्य की फर्मों को इस वर्ष प्रतिमाह 6.5 मिलियन मजदूरों की छंटनी करने के लिए बाध्य कर देगी। ऐसे मजदूर जिन्हें कम्पनियों से निकाल दिया गया था और जिन्हें राज्य मजदूरी कोष की सूची में रखा गया था। 1995-2000 के बीच जारी सुधार प्रक्रिया से अब तक बेरोजगार हुए 14 मिलियन के पूल में शामिल हो जाएंगे। 150 मिलियन अतिरिक्त खेतीहर मजदूरों सहित रोजगार की तलाश में 8 मिलियन नए लोग इस वर्ष बाजार में शामिल हो जाएगें। तथा तीन मिलियन मजदूरों को बेरोजगार के रूप में पुनवर्ती किया जाएगा।''

चीन में फिलहाल इस तरह की तस्वीर उभर रही है। यदि आप इन सुधारों, उदारीकरण और वैश्वीकरण के साथ इस प्रकार अंधा-धुंध आगे बढ़ेगे तो भारत में वही तस्वीर उभर कर सामने आएगी। मैं अपने मित्रों जॉर्ज फर्नान्डीज, शरद यादव, ममता बनर्जी और तेलुगू देशम पार्टी के अपने मित्रों से अपील करूंगा कि उनकी देशभक्ति और इस देश के लोगों से किए गए उनके वायदे दांव पर लगे हैं।

सरकार की हकीकत इस देश के लोगों के सामने स्पष्ट हो जाएगी।

श्री के० येरननायडू : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य से छोटा सा स्पष्टीकरण मांगना चाहूंगा। यदि उदारीकरण और वैश्वीकरण देश के लिए हानिकर है तो 1991 में कांग्रेस ने आर्थिक सुधारों की पहल क्यों की थी ?

श्री श्यामाचरण शुक्ल : अध्यक्ष महोदय, जैसाकि मैंने पहले ही कहा कि मध्य प्रदेश सरकार भी 500 करोड़ रुपये दे सकती है और बाल्को के 51 प्रतिशत शेयर खरीद सकती है। सरकार मध्य प्रदेश सरकार को शेयर देना और वे उन्हें खरीदेंगे। हम जानते हैं कि हम इससे और बेहतर तरीके से काम ले सकते हैं और उत्पाद शुल्क तथा अन्य शुल्कों के रूप में यदि हम सम्पूर्ण देश को नहीं तो छत्तीस गढ़ के लोगों को तो लाभ दे ही सकते हैं। मैं कह सकता हूं कि छत्तीसगढ़ के लोग स्टरलाइट्स अथवा इन शेयरों की खरीद के लिए जो कम्पनियां आगे आती हैं उनके साथ इस तरह की लेनदेन को सहन नहीं करने जा रहे हैं। यदि वे इस क्षेत्र में प्रवेश करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें हजारों लोगों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए जो उनके समक्ष दीवार की तरह खडे रहेंगे। यदि सरकार शेयर बेचना ही चाहती है तो उन्हें इन शेयरों को मजदूरों को बेचें, उन्हें मध्य प्रदेश सरकार को बेचें, इन शेयरों को वित्तीय संस्थाओं अथवा उन सरकारी राजेंसियों को बेचें, जो वहां मौजूद हैं। वे उन्हें धन देंगे जिसे वे केवल बजटीय घाटे के कम करने के लिए उपयोग में लाना चाहते हैं। मेरे मित्र यदि ऐसा सोचते हैं कि यह विनिवेश धनराशि ग्रामीण क्षेत्रों में विकास पर खर्च होने जा रही हैं तो वे भारी भूल कर रहे हैं। स्वयं बजट में यह कहा गया है कि 10,000 करोड़ रुपये बजटीय घाटे को कम करने के लिए विनिवेश से लिए जाने है।

अत: मैं भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों विशेषकर जो मध्य प्रदेश के हैं, उन से अपील करता हूं कि उन्हें विनिवेश के खिलाफ मतदान करना चाहिए। मेरा कहना है कि आप अपने विवेक से मतदान करें।

[हिन्दी]

आत्मा की आवाज। अगर आप गवर्नमैंट के सपोर्ट में वोट नहीं देंगे तो भी यह गवर्नमैंट गिरने वाली नहीं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन लोग समझेंगे कि भारतीय जनता पार्टी में आज भी देश भक्त लोग हैं, स्वदेशी को मानने वाले लोग है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ को मानने वाले लोग हैं।

श्री रामजीवन सिंह (बलिया, बिहार) : माननीय अध्यक्ष जी, अभी सोमनाथ बाबू जी यहां नहीं हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं। वे कह रहे थे कि शरद यादव जी, नीतीश कुमार जी उस साइड अभी कैसे बैठे हुए हैं। मैं सम्मान के साथ कहूंगा कि वे दोनों उसी तरह से सत्ता पक्ष में बैठे हुए हैं जिस तरह से आपकी पार्टी बिहार में सत्ता की बेंच पर बैठी हुई है।

आज जब मैं इस सदन में आ रहा था तो हमारे एक पुराने साथी जो आज सदन के सदस्य नहीं हैं, ने कहा कि तुम तो समाजवादी हो। क्या सरकार के स्टैंड का समर्थन करोगे। मैंने कहा कि सबसे पहली बात तो यह है कि 1996 में जब यहां सरकार बनी और संयुक्त मोर्चा बना तो उस समय हमारे दल के, जनता दल के नेता श्री देवेगौड़ा जी प्रधान मंत्री बने। उन्होंने दिल्ली से लेकर डौबोस तक में कहा कि जो आर्थिक उदारीकरण की नीति अपनाई गई है, उसे हम दृढ़ता से लागू करेंगे। जब गुजराल जी प्रधान मंत्री बने तो उन्होंने कहा कि देश में सरकारें बदलती रहेंगी लेकिन आर्थिक नीतियों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जब उदारीकरण की नीतियों में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे तो समाजवादी कैसे रहेंगे।

आज जो चर्चा चल रही है, वह विनिवेश की नीति पर नहीं चल रही है। अगर इस पर चर्चा होती तो वह नीति के आधार पर चर्चा होती। आज चर्चा हो रही है कि इसके मूल्यांकन के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया, पारदर्शिता नहीं अपनाई गई, पर्दे के पीछे सौदा किया गया, 100 करोड़ रुपये का लेन-देन हुआ, दलित और आदिवासियों के हित का ध्यान नहीं किया गया। यह सारी चर्चायें होती हैं।

मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि आज इस देश में राजनीति नेगेटिव ढंग से चल रही है। आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला चलता है। कभी बोफोर्स का, कभी हवाला का और कभी घोटाला का। सिर्फ

चरित्र हनन की चर्चा होती है परिणामत: आज सम्पूर्ण देश की राजनीतिक व्यवस्था की विश्वसनीयता के ऊपर प्रश्नचिह्न लग गया है और सार्वजनिक जीवन में अब सम्मानजनक काम करना बड़ा ही दूभर लग रहा है। यदि लोकतंत्र को बचाना है तो इस आरोप-प्रत्यारोप में नहीं जाकर नीतियों पर तथ्यों पर चर्चा होनी चाहिए। जहां तक विनिवेश का सवाल है, तो जेटली साहब ने उसके ऊपर विस्तार से तथ्य रखे हैं। मैं उसको दोहराना नहीं चाहता। *(व्यवधान)* लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि 1951 में जब इस देश में पब्लिक इंटरप्राइसेस को शुरू किया गया था, तब राष्ट्रीयकरण की बात आई थी। उस समय हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी यह नहीं चाहती थी; हमारी पार्टी निजीकरण के भी विरोध में थी।

हमारी पार्टी राष्ट्रीयकरण के विरोध में थी। हमारी पार्टी समाजीकरण को चाहती थी लेकिन हमारी पार्टी की शक्ति उस वक्त नहीं थी। काश इस देश में अगर समाजीकरण की व्यवस्था हुई होती तो आज यह हश्र नहीं होता। 1951 में मात्र पांच यूनिट शुरू हुए थे और उनमें 29 करोड़ रुपये लगे थे। 31 मार्च, 1999 तक बढ़ते-बढ़ते कुल मिला कर 240 यूनिट्स आए और उनके ऊपर 2,30,140 करोड़ रुपये लगे। क्या परिणाम निकला ? जिन लोगों ने उसकी शुरूआत की, उनकी नीति, नीयत, ईमानदारी पर मैं उंगली नहीं उठाना चाहता लेकिन देश को कहां ले गए जिसके चलते 1991 में उदारीकरण की नीति अपनाई। आज सब लोग इस पर चले आए हैं। इसका विरोध करने की किसी की हिम्मत नहीं हो रही है। लेकि आज जो परिस्थिति पैदा हुई है, जिस परिस्थिति में विनिवेश किया जा रहा है, जिस परिस्थिति में यह सारी चीजें की जा रही हैं विदित है। मैं कहना चाहता हूं कि उन्होंने भ्रष्टाचार का मामला उठाया है। एक तरफ उन्होंने श्री शोरी साहब के चरित्र, ईमानदारी, दक्षता पर विश्वास प्रकट किया और दूसरी तरफ कहते हैं – सौदा हुआ है पर्दे के पीछे। दोनों बातें साथ-साथ नहीं चल सकतीं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अगर इसके पीछे कोई भ्रष्टाचार का मामला है, तो उसकी जांच हो। लेकिन इसके पीछे नीति पर चर्चा होनी चाहिए, नीति पर चर्चा करें। जो नीति आपने 1991 में अपनाई, उस पर चलें। जब एक बार कुन्ती की तरह सूर्य का आह्वान कर दिया और उदारीकरण का सूर्य जब आ गया तो फिर क्यों थरथराते हैं ? *(व्यवधान)* यह क्यों हुआ, इसके लिए हम दोषी नहीं हैं, इसके लिए कांग्रेस की बैंचों पर जो लोग बैठे हुए हैं, वे दोषी हैं। आप अपने अंदर झांक कर देखिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं मोशन का विरोध करता हूं और सरकार के स्टैंड का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

विनिवेश विभाग के राज्यमंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्यमंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्यमंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्यमंत्री (श्री अरुण शौरी) : श्रीमान्, अध्यक्ष महोदय, हम यहां सातवीं बार इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। *(व्यवधान)*

पिछले पांच अवसरों पर ऐसा हुआ है, कि जब भी अच्छे बिन्दु उठाए गए हैं मैं उनकी प्रशंसा करता रहा हूं और मैंने उनका जवाब भी दिया है। परसों उन्होंने उच्च सदन से बहिर्गमन किया। लेकिन, आज यहां, क्योंकि उन्होंने मत विभाजन के लिए कहा है, तो मैं आशा करता हूं कि वे अंत तक टिकेंगे, कम से कम मतदान के लिए ही सही। मैं आशा करता हूं कि वे मुझे निर्बाध बोलने देंगे क्योंकि उनमें से श्यामाचरण शुक्ल और अन्य, सभी अनुभवी विद्वान लोग यह बिना किसी व्यवधान के बोले हैं।

महोदय, पिछले सवा साल की सात चर्चाओं के अलावा, केवल पिछले दो सत्रों में, विनिवेश और विनिवेश नीति पर संसद में 320 से भी अधिक प्रश्नों का जवाब दिया गया था। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इस तरह का व्यवधान अच्छा नहीं है। आपको कुछ धैर्य भी रखना चाहिए।

श्री अरुण शौरी : महोदय, आज लोग बालको के विनिवेश पर चकित हैं। वे कह रहे हैं कि इसका विनिवेश सिर्फ सात दिनों में ही कर दिया गया। महोदय, मैं केवल रिकार्ड का उल्लेख करूंगा, नवम्बर, 1999 से केवल इस सवा साल के दौरान पच्चीस लिखित प्रश्नों के उत्तर में बालको विनिवेश के विशेष तथ्यों के बारे में बताया गया। लेकिन, अचानक हमें यह कहा गया कि इसमें जल्दी की गई।

लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि यह सब हो-हल्ला तब हो रहा है जब व्यवहार में वास्तव में आम सहमति है। मुझे विश्वास है कि अधिकांश आर्थिक नितियों पर व्यवहार में आम सहमति है और माननीय वित्त मंत्री इन पर आम सहमति बनाने में लगे हैं और हमें उस रास्ते पर ले जा रहे हैं जिस पर पिछले 11-12 वर्षों से पूरा देश चल रहा है। इसके लिए कई व्यक्तियों को श्रेय जाता है सिर्फ इस सरकार को नहीं। लेकिन हर बार ऐसा होता है कि जब कोई कुछ करता है, तो जो विपक्ष में होते हैं, उसका विरोध करते हैं, और जब विपक्ष के लोग सत्ता में आते हैं और वही करते हैं अथवा अपने अनुभव के आधार पर निर्माण की प्रक्रिया आरंभ करते हैं तो दूसरे उसका विरोध करते हैं।

लेकिन दोनों ही मामले में परिणाम वही निकलता है और देश पीछे जाता है। आप शुरू के उन तथ्यों पर ध्यान दें जिसका जिक्र माननीय वित्त मंत्री ने किया है और अपने बजट-भाषण में कई मामलों के बारे में हमें बताने की कोशिश की है, मेरी दलील यह है कि कृपया इस नीति पर उसी तरह से विचार करें।

हमने एक छोटी पुस्तिका प्रकाशित कराई है। जिससे अभी श्री अरुण जेटली उद्धृत कर रहे थे। यह आप सबों को उपलब्ध कराया जाएगा, इसे "राज्यों में विनिवेश" के नाम से जाना जाता है। हमने राज्यों को और हैदराबाद स्थित लोग उद्यम संस्थान जैसे संस्थानों को लिखा है और उनसे राज्यों में विनिवेश गतिविधि के बारे में पूछा है। राज्य-दर-राज्य चाहे वह गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक हो या राजस्थान सब जगह यही गतिविधि चल रही है। वास्तव में, इस कार्य में आगे आने के लिए मैं कई मुख्य मंत्रियों की प्रशंसा करता हूं।

[श्री अरुण शौरी]

मध्य प्रदेश के मामले में, श्री दिग्विजय सिंह इस नीति के प्रति इतना प्रतिबद्ध हैं कि उन्हें श्रम शक्ति का पुनगर्ठन करना होगा और मध्य प्रदेश सरकार के पास स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के लिए पैसे नहीं हैं, उन्होंने विनिवेश प्रक्रिया शुरू करने के लिए एशियाई विकास बैंक से 100 करोड़ रुपए ऋण लिया है। व्यवहार में यही सहमति है। मैं महसूस करता हूं कि सभी सरकारों और सभी उद्यमों को एक ही तरह की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन फिर भी इन सब चीजों के लिए बहुत हो-हल्ला हो रहा है।

अगला बिन्दु ऐसा है जिसको कई माननीय सदस्यों ने उठाया है। श्री सोमनाथ चटर्जी ने प्रभावशाली और जोरदार भाषा में पारदर्शिता को बात कही थी। श्री सुदीप बंद्योपाध्याय और श्री अनंत गीते ने भी इस बारे में कहा था। मैं इससे ज्यादा पारदर्शी नीति की कल्पना भी नहीं कर सकता। अब मैं मूल्यांकन और मूल्यांकनकर्ताओं के चयन के प्रश्न आदि पर थोड़ी ही देर में चर्चा करूंगा। क्या आप किसी राज्य के किसी विधान सभा के बारे में यह बता सकते हैं जहां इन चीजों पर सवा साल में ही सात बार चर्चा हुई हो ? मैं तो सोच भी नहीं सकता हूं कि किसी विधान सभा में एक ही विषय पर दो सत्रों में ही 300 प्रश्नों का उत्तर दिया गया हो। लेकिन वे सभी भी यही कर रहे हैं। इससे भी अधिक, मुझे कुछ श्रेय जाता है और इस सरकार को कुछ श्रेय जाता है कि प्रक्रिया को सांस्थानिक रूप देने में संसद को इन प्रत्येक मामलों के बारे में पूर्ण रूप से सूचित किया जाएगा। पिछले 50 वर्षों में ऐसी एक भी सरकार नहीं है जिसने इस विशेष नीति पर इस सरकार की प्रक्रिया को संस्थागत रूप दिया हो। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया अभी कोई व्यवधान न डालें। यदि आप कोई स्पष्टीकरण चाहते हैं – तो उनका जवाब पूरा होने के बाद आप पूछ सकते हैं।

श्री अरुण शौरी : दिसम्बर की पिछली चर्चा में, मैंने आपको तथ्यों के बारे में याद दिलाया था जिसे मैंने खुद सरकार में बैठे वरिष्ठ लोगों *यथा* भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक-की अनुमति से लिखा था और – वे इससे सहमत थे। मैंने पत्र पढ़ा और सरकार की प्रतिबद्धता भी बताई कि जैसे ही विनिवेश संबंधी लेन-देन पूरा होता है, इससे संबंधित सभी कागजात और दस्तावेज भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को सौंप दूंगा। वे अपने सामान्य परम्परा से हट गए और कहा कि यद्यपि यह सामान्य परम्परा नहीं है, पर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्यालय प्रत्येक लेन-देन के बारे में रिपोर्ट तैयार करेगा और इसे सीधे संसद में प्रस्तुत करेगा एवं भारत की जनता के लिए जारी करेगा। हम प्रत्येक लेन-देन के मूल्यांकन के बारे में आपको सूचित करने में सहयोग कर रहे हैं एवं आप और पारदर्शिता चाहते हैं। मैं इस विषय में विशेष सुझावों का स्वागत करूंगा एवं निश्चित रूप से उन पर कार्य करूंगा। यह स्वयं सरकार की प्रतिबद्धता है।

अब मैं एक निराशाजनक बिन्दु की बात करता हूं। मैं किसी के साथ झगड़ा नहीं करना चाहता क्योंकि जैसा कि मैंने आपसे उल्लेख किया, मैं महसूस करता हूं कि कई विषयों पर सामान्य नीति है लेकिन हम केवल शोर मचा रहे हैं और देश को पीछे ढकेल रहे हैं। लेकिन मुझे इस बात से निराशा हुई थी कि कुछ मौलिक तथ्य जो विद्वान सदस्यों की जानकारी में होंगे या होने चाहिए थे, उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया।

कुंअर अखिलेश सिंह कह रहे थे कि कोई अंतर्राष्ट्रीय बोली नहीं आमंत्रित की गई। वास्तव में, यह बहुत ही आश्चर्यजनक है। आपने मुझसे पूछा होता। पांच बोलीकर्त्ता थे; तीन अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां और दो भारतीय कम्पनियां थी। यदि बोली प्रक्रिया में, कुछ अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों द्वारा खरीदा गया होता। यह आरोप लगाया जाता कि हम देश की परिसम्पत्तियों को विदेशियों के हाथों बेच रहे हैं। अब, कुछ भारतीय कंपनियों ने जीत लिया है और आप कह रहे हैं कि केवल दो ही बोलीकर्त्ता थे। पांच बोलीकर्त्ता थे। उनमें से तीन विदेशी कंपनियां थीं। अल्कोवा (ए०एल०सी०ओ०ए०) उनमें से एक थी जो पूर्णान्तिम तक रही।

जर्मनी की बी०ए०डब्ल्यू० दूसरी कंपनी थी और रूस की सीबेरीस्की तीसरी, दो बोलीकर्त्ता भारतीय कंपनियां थीं। एक हिंडाल्को और दूसरी स्टलाईट, यह सामान्य तथ्य है। बात ऐसी थी और यह कहा गया कि कोई अंतर्राष्ट्रीय बोली नहीं आमंत्रित की गई।

दूसरी बात, उनका यह कहना कि अंत में यही दो बोलीकर्ता बच गए थे, सही नहीं है। अंत में तीन बोलीकर्त्ता थे उस चरण में, अल्कोवा (ए०एल०सी०ओ०ए०) ने बंद लिफाफे में सरकार को सूचित किया कि वे इस बोली में भाग नहीं ले रहे हैं। हमारे अधिकारियों को मौखिक कारण यह बताया कि बालको संयंत्र बहुत पुराना है, बहुत छोटा है और जो भी घटनाएं हो सकती हैं, उसका वे लिखित आश्वासन चाहते हैं जिसे हमारे विभाग ने देने से इंकार कर दिया। उन्होंने, इसलिए कहा कि इस बोली से हम अपना प्रस्ताव वापस लेते हैं *(व्यवधान)* कृपया थोड़ी देर प्रतीक्षा करें। कृपया अभी मुझे बोलने दें। आपकी बात मैं बात में सुनुंगा। *(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : क्या आपने अल्कोवा (ए०एल०सी० ओ०ए०) को इस बारे सूचित किया ? *(व्यवधान)*

श्री अरुण शौरी : मैं आपकी बात पर आऊंगा। *(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : आपने इसके बारे में अल्कोवा (ए०एल० सी०ओ०ए०) को रिपोर्ट नहीं दी। *(व्यवधान)*

श्री अरुण शौरी : श्री दासमुंशी ने जो, मुद्दा उठाया मैं उसी की बात करता हूं। उन्होंने बहुत जोरदार दलील दी है कि बोलीकर्त्ताओं को सासुबोलुमली और पासनगामली खानों के बारे में बोलीकर्त्ताओं को सूचित नहीं किया गया। यह बहुत आश्चर्यजनक है। यह इतना बड़ा आरोप है कि हममें से किसी के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई हो सकती है। उन्होंने कहा कि खानों को अंत में एक बोलीकर्त्ता को विशेष अनुग्रह स्वरूप प्रदान किया गया। वे मैसर्स बेहर डालबियर इंटरनेशनल

लिमिटेड के दस्तावेज को उद्धृत कर रहे थे। इसके पूर्व एक दस्तावेज पांचों बोलीकर्त्ताओं के जारी किए गए। इसे सूचना ज्ञापन कहते हैं। इस ज्ञापन के 25वें पृष्ठ पर इस बारे में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। 24वें पृष्ठ पर, आप यह देखेंगे कि एक संदर्श लाइसेंस के बारे में अभी-अभी नहीं, बल्कि वर्ष 1992 में आवेदन किया गया था। वे विनिवेश आयोग के रिपोर्ट को उद्धृत कर रहे थे, लेकिन उनको रिपोर्ट से यह भी पता चलेगा कि और उन्होंने खुद कहा कि बालको के बारे में चिंता का एक विषय कम भंडार और अयस्क की अपर्याप्त आपूर्ति है; बालको का 50 प्रतिशत अयस्क बाहर से आता है। उनकी चार खानें थी जिनमें से दो का भंडार खत्म हो गया है और आज वे बंद हो गई हैं। वर्ष 1980 से ही बालको उड़ीसा की खानों लाइसेंस का आवेदन करता रहा है। वे अब सरकारी क्षेत्र की बात करते हैं। किसी ने भी इस सरकारी क्षेत्र की इकाई को उड़ीसा में उन खानों को प्राप्त करने में सहायता नहीं की, क्योंकि निजी पार्टियों, कंपनियों की आंखें उन खानों पर लगी हैं।

लेकिन इस-विषय की सच्चाई यही है। श्री दासमुंशी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। तथ्यों की पुष्टि हममें से किसी के द्वारा की जा सकती है। केवल सभी बोलीकर्त्ताओं को दी गई सूचनाओं पर दृष्टिपात कर भी उनकी पुष्टि की जा सकती थी। लेकिन इस तथ्य की उपेक्षा कर गंभीर आक्षेप लगाया गया था। *(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : मैं पुनः इस सरकार पर आरोप लगाता हूं। रिपोर्ट सौंपे जाने के पूर्व ऐसा नहीं किया गया था। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : नहीं, श्री दासमुंशी, वे इसे नहीं मान रहे हैं। *(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : मैं इस सभा में इसे तथ्यों और अधिकार के साथ कह रहा हूं। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। मंत्री जी के उत्तर के अलावा कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : उत्तर के अलावा कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : मैं चाहता हूं कि मेरी बात कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल की जाए।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी के उत्तर के अलावा कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जाना चाहिए।

*(व्यवधान)**

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री अरुण शौरी : इसीलिए, यह कहा गया कि बिना किसी और को बताए एक सोची समझी साजिश के तहत बोली लगाने वाली एक पार्टी को कुछ अतिरिक्त खानें दी गईं। और अन्य को नहीं बताया गया मैं कहना चाहूंगा कि सबको इस बारे में बताया गया था। मैं इस बात पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यहां तक कि उन्होंने श्री पटवा के पत्र का उल्लेख किया है। उन्होंने इस पत्र की सारी बात नहीं बताई। उन्होंने उसका उल्लेख मात्र किया है। श्री पटवा ने जिस चीज का आश्वासन दिया था, उसको कोई अन्य सोच भी नहीं सकता। उन्होंने मुख्य मंत्री जी को लिखकर कहा कि वह इस बात पर जोर देकर सही कर रहे हैं कि जिसे भी ये खानें दी जाएं वह उड़ीसा में अल्युमिनियम का संयंत्र की स्थापित करे।

अब, इस पट्टे को देते समय शर्त रखी गई है जिसके अनुसार इस क्षेत्र में 4,600 करोड़ रुपयों का निवेश होगा। इससे लोगों को रोजगार मिलेगा। इससे उड़ीसा में 4,600 करोड़ रुपयों का निवेश होगा। इसी शर्त पर खानें दी गई हैं। इस बारे में सबको सूचित किया गया था। श्री सोमनाथ चटर्जी ने पूछा कि आप राज्य सरकार से परामर्श क्यों नहीं करते। मैं नहीं चाहता कि श्री जोगी जी के बयान में कुछ और बात जोड़कर उसे और बढ़ाऊं। प्रश्न में जो आरोप लगाया गया है मैं उसी पर आ रहा हूं। सत्य यह है कि मैं आज ऐसा इसलिए नहीं कह रहा कि इसपर एक विवाद खड़ा हो गया है अपितु जब मंत्रिमण्डल ने मिलकर इसपर निर्णय लिया, तो मैं पी०आई०बी० कक्ष में गया और एक संवाददाता सम्मेलन बुलाया। यदि आप उस समय का रिकार्ड देखें तो पाऐंगे कि एक समाचार पत्र ने मुझ पर आरोप लगाया कि मैंने उस मौके का उपयोग श्री दिग्विजय सिंह और श्री जोगी का अधिकाधिक धन्यवाद करने में किया। मैंने ऐसा किसी दुर्भावना से ऐसा नहीं किया। मैंने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि विभाजन पूर्व के मध्य प्रदेश की सरकार और श्री जोगी जी इस पूरी प्रक्रिया के दौरान बहुत सहायता की थी। हमने कई बैठकें की थीं। प्रत्येक स्तर पर मध्य प्रदेश सरकार को पत्र लिखे गए थे। सचिव (विनिवेश) और प्रधान सचिव (गृह) द्वारा पत्र लिखे गए थे। मुख्य सचिव को 12 सितम्बर, 27 अक्टूबर, 3 नवंबर, 8 नवंबर, 15 नवंबर, 8 फरवरी और 21 फरवरी को पत्र लिखे गए। गृह मंत्रालय की एक रिपोर्ट भी मुख्य सचिव को भेजी गयी थी। वहां से पत्र आए थे। उत्तर भेजे गए। यह सब उनके पूरे सहयोग से किया गया था।

महोदय, तत्पश्चात् कड़े बयान दिए गए। मैं पुनः झंगड़ना नहीं चाहता। यह कहा गया कि वे खानों के पट्टे को रद्द कर देंगे। लेकिन इस मामले में सत्य यह है कि खान अधिनियम के अनुसार श्री सोमनाथ चटर्जी हमें बताऐंगे राज्य सरकार को खानों के पट्टे रद्द करने का अधिकार ही नहीं है। *(व्यवधान)* वह जमीन के पट्टे के लिए था खानों के पट्टे के लिए नहीं। मैंने खान अधिनियम का भी अध्ययन किया है। यह धारा 4(2) के तहत आता है।

[हिन्दी]

अभी शुक्ला जी ने भी कहा या किसी और सदस्य ने कहा कि हजारों लोग सड़कों पर आ जाएंगे और जोगी साहब ने कहा कि

[श्री अरुण शौरी]

मैं पानी बिजली बंद कर दूंगा। चीफ मिनिस्टर से गिला नहीं करना चाहिए, पर यह कंटीनुयस प्रौसेसिंग इंडस्ट्री है।

[अनुवाद]

कोई भी अभियंता हमें बता सकता है कि यदि आप इस्पात संयंत्र की बिजली बंद कर दें तो गलन भट्टी का सारा अस्तर चटक जाएगा। उस गलन भट्टी को पुनर्निर्मित करने में कई मिलियन डॉलर खर्च करने होंगे। इसीलिए इन संयंत्रों को रक्षित विद्युत संयंत्र कहा जाता है। अल्युमिनियम उत्पादन भी बिल्कुल इसी श्रेणी में आता है : यह एक सतत् चलने वाला उद्योग है।

[हिन्दी]

चीफ मिनिस्टर ने कहा कि मैं पानी बिजली बंद कर दूंगा।

[अनुवाद]

जिसके कारण एक राष्ट्रीय संम्पत्ति केवल चार घंटे में स्वाहा हो जाती। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय के उत्तर के अलावा और कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जाना चाहिए।

*(व्यवधान)**

श्री अरुण शौरी : मुझसे अभी एक वरिष्ठ नेता ने विशेष रूप से कहा कि मुझे आरोपों का आरोप-वार उत्तर देना चाहिए। मैं उस स्तर तक उतरना नहीं चाहता। यह आरोप लगाया गया था कि प्रधानमंत्री कार्यालय के कुछ अधिकारियों ने 100 करोड़ रुपये बनाए। *(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैंने यह नहीं कहा।

श्री अरुण शौरी : आप नहीं। कि अन्य वरिष्ठ नेता ने यह कहा है। आप एक वरिष्ठ नेता हैं परंतु केवल आप ही एक वरिष्ठ नेता नहीं हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : प्रधानमंत्री मेरी ओर देखते हैं और भला-बुरा कहते हैं; और वह मेरी ओर देखते हैं और मुझे भला-बुरा कहते हैं। इसलिए मुझे अपना स्थान बदलना पड़ेगा।

आप मुझे कोई दूसरा स्थान आवंटित कर सकते हैं।

श्री अरुण शौरी : एक आरोप लगाया गया है कि जो मंत्रालय मेरे अधीन है उसका एक वरिष्ठ अधिकारी इसमें शामिल है। यह बात रिकॉर्ड में भी है कि मुख्यमंत्री जी ने कहा कि राज्य के एक वरिष्ठ अधिकारी। *(व्यवधान)* हम सिविल सेवा का क्या करने जा रहे हैं ? वह किसी पर भी आरोप लगा सकते हैं। *(व्यवधान)* मैंने एक कदम और आगे उठाया और तुरंत टेलीफोन किया। जे०पी०सी० का इंतजार क्यों करें ? मैंने तुरंत एक बयान जारी किया जो कि यहां सभी समाचार पत्रों में और मध्य प्रदेश में भी प्रमुखता से प्रकाशित हुआ, कि श्री जोगी को उन अधिकारियों के नाम बताने दें और हम तुरंत उन्हें न्यायालय में ले जाऐंगे जिससे कि वे सबूत दे सकें। *(व्यवधान)* किसी का नाम उजागर करने के लिए उन्हें विधानमंडल जैसे किसी संरक्षण का उपयोग नहीं करना चाहिए। जिससे कि वे इसकी आड नहीं ले सकते और इसका परिणाम भुगतने को तैयार रहें।

मैं उन सभी संसद सदस्यों से अपील करता हूं जो इस मामले में विपक्ष के नेता डा० मनमोहन सिंह द्वारा उच्च सदन में व्यक्त किए गए कठोर शब्दों से सहमत हैं। आज इन सज्जन ने प्रधानमंत्री कार्यालय और कुछ अन्य अधिकारियों पर आरोप लगाया है। 1996 में मध्य प्रदेश में हीरे की खानों को पट्टे पर दिए जाने के प्रश्न पर इन्होंने कांग्रेस के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री दिग्विजय सिंह पर 50 करोड़ रुपये का आरोप लगाया था। टेप पर रिकॉर्ड किए गए साक्षात्कार में जब श्री दिग्विजय सिंह से पूछा गया कि

[हिन्दी]

आपने औरों पर भी तथा और राजनीतिक नेताओं पर भी मानहानि के मुकदमें किए हैं, पटवा साहब पर किया है। उनसे पूछा गया, जोगी जी कह रहे हैं कि आपने 50 करोड़ रुपये लिए हैं। क्य आप इन पर भी मान-हानि का मुकदमा करेंगे ? उन्होंने कहा – नहीं, वह मेरी पार्टी में हैं, इसलिए नहीं कर रहा हूं। अगर नहीं होते, तो मैं करता। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : आप सटीक उत्तर दें। कृपया तथ्यों को छुपाने की कोशिश न करें। मैं आप पर आरोप *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री दासमुंशी, आप पहले ही एक घंटे से अधिक समय ले चुके हैं।

(व्यवधान)

श्री अरुण शौरी : श्री बंद्योपाध्याय और कुछ अन्य संसद सदस्यों ने अभी मुझसे पूछा कि क्या मैं यह आश्वासन दे सकता हूं कि यदि कोई ऊंची बोली लगाने वाला आता है तो क्या पूरी प्रक्रिया को पुन: शुरू किया जाएगा। इस विषय के बारे में कानून है और उच्चतम न्यायालय के निर्णय भी हैं। यदि एक बार निविदाएं आमंत्रित करने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है तो हम प्रक्रिया के दौरान किसी भी

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

स्तर पर किया जाने वाला कोई भी परिवर्तन पूरी प्रक्रिया को निरर्थक कर देगा। लेकिन उन निर्णयों के बावजूद भी मैं आपको बता दूं कि यदि श्री जोगी, जो ये कहते हैं कि इन खानों का मूल्य 5,000 करोड़ रुपये है, वो कोई ऐसा खरीददार ले आएं जो इनके लिए 4,500 करोड़ रुपये देने को तैयार हो तो हम स्टरलाइट को 500 करोड़ रुपयों का भुगतान कर देंगे *(व्यवधान)* और, उन्हें निर्णय लेने दें। *(व्यवधान)* महोदय, दुखद सत्य यह है कि आधा-अधूरा सच सामने लाया गया। वार्षिक प्रतिवेदन में से तीन लाइनें पढ़ ली गईं कि यह संयंत्र रक्षा उत्पादों हेतु मित्र धातु का निर्माण करता है।

अब, यह आज का सत्य है – हमारे रक्षा मंत्री यहां बैठे हैं – कि देश की रक्षा में सरकारी और निजी क्षेत्र का एक अच्छा समन्वय है। यह एक राष्ट्रीय प्रयास है। आज हमारी निजी क्षेत्र की कंपनियां रक्षा बलों के लिए संचार उपकरण बनाती हैं, वे अंतरिक्ष यान के क्षेत्र में कार्य करती हैं; वे हमारे उपग्रहों के लिए प्रकाशकीय (ऑप्टिकल) लेन्सों का निर्माण कर रहे हैं; वे हमारे टैंकों और बंदूकों के लिए मिश्र धातु का निर्माण करते हैं; वे अग्नि सहित हमारे प्रक्षेपास्त्रों और हल्के लडाकू विमानों, जो कि हमारे वैज्ञानिकों के लिए गर्व की बात हैं, के लिए कलपुर्जों का उत्पादन करते हैं। अत: निजी और सरकारी क्षेत्र मिलकर काम करते हैं। लेकिन अचानक एक हौवा खड़ा किया जाता है।

[हिन्दी]

अरे, ये एलॉय बना रहे हैं, इन्होंने इस मामले को सिक्योरिटी के कंसीडरेशन से नहीं देखा।

[अनुवाद]

इसी प्रकार, लाभ अर्जित करने वाली इकाइयों के संबंध में भी आधा सच सामने रखा गया। मैं बालको के लाभ पर ही आ रहा हूं। लेकिन मैं सिद्धान्त की बात करता हूं। महोदय, जैसा कि श्री अरुण जेटली हमें सुबह बता रहे थे, जब विनिवेश आयोग का गठन किया गया, तब सरकारी क्षेत्र की 72 फर्मों को विनिवेश आयोग को अग्रेषित किया गया था। उन्हें किसी और कार्य हेतु नहीं अपितु विनिवेश के लिए अग्रेषित किया गया था।

[हिन्दी]

क्या पूरियां तलने के लिए रेफर की गई थीं। वह डिस्इन्वेस्टमेंट के लिए रेफर की गई थी।

[अनुवाद]

सैंतालिस फर्में लाभ अर्जित कर रही थीं। 58 फर्मों के बारे में विनिवेश आयोग ने अपनी सिफारिशें दी थीं और उनमें से 38 लाभ अर्जित कर रही थीं। लेकिन इससे भी अधिक, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1996 में विनिवेश आयोग के गठन से पूर्व – जिसके लिए हम बड़े आभारी हैं – 41 फर्मों में कम संख्या वाले शेयरों का विनिवेश किया गया था। क्या आप जानते हैं कि उनमें से कितनी घाटे में चल रही थीं ? उन 41 फर्मों में से केवल तीन घाटे में चल रही थीं तथा शेष अन्य लाभ अर्जित कर रही थीं। उस समय यह आपकी नीति थी और आज आप अचानक 'नहीं' कह रहे हैं। यह एक बहुत गंभीर मामला है। लेकिन सत्य यह है कि इन आधे-अधूरे सचों का उपयोग या तो हमें या लोगों को गुमराह करने में किया जा रहा है और ये हानि पहुंचाने वाली बात है।

महोदय, मैं मूल्यांकन के केन्द्रीय महत्व पर श्री सोमनाथ चटर्जी और अन्य उन सभी लोगों से सहमत हूं जो इसके बारे में बोले हैं। मैं इन मामलों पर अपने पूर्व अनुभवों के कारण आपसे सहमत हूं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : अब किसी न किसी को तो आपके क्रियाकलापों का प्रकटन करना ही होगा। *(व्यवधान)*

श्री अरुण शौरी : महोदय, 1992 में मारूती के 20 प्रतिशत शेयर बेचे गए। प्रति शेयर 100 रुपये अंकित मूल्य वाले शेयरों को 269 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से बेचा गया। उस समय हिन्दुस्तान मोटर्स, जिसकी प्रौद्योगिकी बिल्कुल परिव्यक्त थी, के शेयर 700 रुपये के हिसाब से बाजार में बेचे गए। आपने उसपर किसी जे०पी०सी० की मांग नहीं की थी।

महोदय, दूसरी बात जिससे श्री सोमनाथ चटर्जी अच्छी तरह से अवगत होंगे, वेबेल (डब्लू०ई०बी०ई०एल०) है। क्या आपने पश्चिम बंगाल पर नियंत्रण और महा लेखा परीक्षक की 1998-99 की रिपोर्ट पढ़ी है ? उसमें कहा गया हैं कि वेबेल के चार लाख शेयरों की बिक्री से पूर्व शेयरों का उन्हें सही मूल्यांकन न करने के कारण कंपनी को विनिवेश में करने के कारण 29.5 लाख रुपये का घाटा हुआ। अत: मैं पूर्णरूप से आपके साथ हूं। हमें पूर्ण पारदर्शिता रखनी चाहिए चूंकि मूल्यांकन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं।

अब मैं आपको इस सब के क्रम में चार पांच तथ्य दूंगा। जैसाकि मैंने उल्लेख किया, बालको विनिवेश आयोग को 1996 में दिया गया था। विनिवेश आयोग की रिपोर्ट में कही गई बातों के अशों को ही पढ़ा जा रहा है। विनिवेश आयोग ने अप्रैल 1997 की अपनी रिपोर्ट में कहा है :

> "आयोग इस बात की सिफारिश करता है कि सरकार तत्काल निवेश करें।"

मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा उन्होंने क्यों कहा है। इसमें एक महत्वपूर्ण तर्क है कि उन्होंने 'तत्काल' शब्द का उपयोग क्यों किया है। आप कह रहे हैं कि पत्र प्राप्त किए गए। श्री जी०वी० रामकृष्ण के बारे में दिया गया इस प्रकार का वक्तव्य ऐसा वक्तव्य देने वाले व्यक्तियों का अपमान है। ऐसा इसलिए है कि वे श्री जी०वी० कृष्णमूर्ति को नहीं जानते। वह भारत में बहुत सारी चीजों के निर्माता हैं। वह उन व्यक्तियों में से हैं जो विश्व व्यापार संगठन के प्रभाव के बारे में हमें सचेत कर रहे थे जिसे जिसे आज आप बार-बार दोहरा रहे हैं।

यह वही व्यक्ति है जो सेबी के निर्माता हैं। आप अपने हाथ की जुंबिश से ही उन जैसे व्यक्ति की गरिमा पर यह कहकर

[श्री अरुण शौरी]

धब्बा लगाते हैं कि ऐसे व्यक्ति से पत्र प्राप्ति का इंतजाम किया जा सकता है। आयोग ने सरकार से तत्काल चालीस प्रतिशत निवेश करने के लिए कहा था।

[हिन्दी]

रघुनाथ जी भी बहुत पूछ रहे थे।

श्री रघुनाथ झा (गोपालगंज) : सर, रघुनाथ जी नहीं, रघुवंश प्रसाद जी।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : वे एक जैसे हैं।

श्री अरुण शौरी : अब यह चालीस प्रतिशत 51 प्रतिशत कैसे हो गया ?

यह चालीस प्रतिशत विनिवेश आयोग की पूर्ण सिफारिश नहीं थी। आयोग ने कहा था कि 40 प्रतिशत तत्काल करो तथा दो वर्ष के भीतर अपनी शेष इक्विटी 26 प्रतिशत तक नीचे ले आओ और तत्पश्चात् उद्योग की लगातार समीक्षा करते रहिए तथा इस कम्पनी से तत्काल मुक्ति पाइए। यह बात पृष्ठ 97 पर है। आयोग ने स्पष्ट रूप से कहा था कि पहले 26 प्रतिशत तक नीचे ले आइए तथा तीसरे चरण में पूर्ण रूप से इससे बाहर आ जाइए।

आप इसे मुनाफा कमाने वाली कम्पनी का रट्टा लगाते रहते हैं। जो कम्पनी कम्पनी में किए गए भारी निवेश के साथ वर्ष 1992 में एक करोड़ रुपए से कम अथवा नब्बे लाख से भी कम रुपए का मुनाफा कमा रही थी, वह अचानक वर्ष 1996 में 163 करोड़ रुपए के मुनाफे तक कैसे पहुंच गई ? तत्पश्चात् इसमें गिरावट आनी शुरू हो जाती है। वर्ष 1996 में इसका मुनाफा 163 करोड़ रुपए था। आप यह बात क्यों नहीं पूछते कि उन दो वर्षों में अल्युमिनियम का मूल्य बढ़ गया था। अत: विनिवेश आयोग ने सरकार से इस अवसर का लाभ तत्काल उठाने को कहा ताकि सरकार को अच्छा मुनाफा प्राप्त हो सके। लेकिन सरकार वह अवसर चूक गई। सम्भवत: इसीलिए श्री सोमनाथ चटर्जी ने कहा था कि भारत में सात दिन में कुछ नहीं कराया जा सकता। यह तो दुर्भाग्य है। आप अवसर चूक गए। आज कीमतें गिर गई हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : अब हम आपके कार्यनिष्पादन को देखकर अपना दृष्टिकोण बदल रहे हैं।

श्री अरुण शौरी : बहुत ठीक। इसी कारण के चलते ऐसा हुआ। चार वर्ष पूर्व एक निर्णय लिया गया था। इन सभी सलाहकारों द्वारा यह कार्य प्रणालीबद्ध रूप से, श्रम पूर्वक और बड़े प्रयासों से दो वर्ष तक किया जाता रहा है और अब अचानक "एक सप्ताह में बेच देने का आरोप" लगाया जा रहा है।

मैं आपको बताऊंगा कि ये मूल्यांकक कैसे आए। सभी मूल्यांकन पुस्तकों से आपको पता चलेगा कि जाने वाली कंपनी के आकलन की तीन स्वीकृत पद्धतियां हैं और इनमें से सबसे अच्छी पद्धति और उचित पद्धति छूट प्राप्त नकदी प्रवाह (डिसकाउन्टेड कैशफलो) पद्धति है क्योंकि उससे कम्पनी के भविष्य के व्यापार की संभावनाओं का निर्धारण होता है मैं आपका अधिक समय नहीं लेना चाहता। आप इस मामले पर श्री जी०वी० रामकृष्ण द्वारा इस मामले पर की गई व्याख्या जानना चाहते हैं, क्योंकि श्री रूपचन्द पाल पिछली बार उनका उद्धरण दे रहे थे जब हम मूल्यांकन की उपयुक्त पद्धतियों के बारे में बात कर रहे थे। मैं दिनांक 8 सितम्बर, 2000 की लोक सभा समिति की कार्यवाही की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। विनिवेश संबंधी सुनवाई के दौरान श्री जी०वी० रामाकृष्ण से मूल्यांकन के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि जब कम्पनी बंद की जा रही हो तो परिसम्पत्ति का मूल्यांकन कैसे किया जा सकता है आप फैक्ट्री बंद कर रहे हैं। तत्पश्चात् आप पूछते हैं कि इसके एक भवन से आपको क्या मिलेगा, इस भूमि से आपको कितना पैसा मिलेगा, इस पुरानी मशीनरी से आपको क्या मिलेगा आदि, आदि। लेकिन किसी ऐसे संगठन में ये सब चीजें अत: स्थापित होती हैं। आप मार्केट शेयर, को देखें, आप प्रतिस्पर्धा को देखें, आप प्रौद्योगिकी में होने वाले भावी परिवर्तन को देखें और आप मूल्यों में सम्भावित परिवर्तन का तथा उसके बाद उसे देखें। पूंजी की "आपाच्यूनिटी कॉस्ट" से निकाल दें तो आपको फर्म के वर्तमान मूल्य का पता चलेगा। यह कार्य आठ माह की अवधि तक अन्तर राष्ट्रीय सलाहकारों द्वारा किया गया। इन सभी पद्धतियों द्वारा वे मूल्यांकन की एक रेंज तक पहुंचे। लेकिन यह मेरा आग्रह था हमें परिसम्पत्ति का मूल्यांकन करना ही चाहिए। चाहे वह उपयुक्त हो अथवा नहीं। परिसम्पत्ति मूल्यांकन के मामले में बेहर डॉलबियर रिपोर्ट – जिसे तैयार करने में उन्हें डेढ़ साल लगा – के कारण सलाहकारों द्वारा प्रत्येक वस्तु की सूची तैयार की गई और संयंत्र और उपकरणों की स्थिति की भी सूची तैयार की गई।

श्री राव के बारे में ऐसे उपहासपूर्ण शब्दों का उपयोग किया गया है। वह रक्षा मंत्रालय की सैनिक अभियांत्रिकी सेवा के सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियंता हैं। हम तथ्य जानना नहीं चाहते थे क्योंकि किसी की गरिमा को ठेस पहुंचाना हमारे लिए सुविधाजनक है और हम उसे मामूली समझते हैं। उन्होंने पूरी ईमानदारी से कहा था कि उनकी विशेषज्ञता भूमि और भवन को लेकर थी और अमुक फर्म में उनके सहायक संयत्र और मशीनरी का आकलन लगाएंगे। तत्पश्चात श्री रूपचन्द पाल ने मुझसे पूछा कि खानों का आकलन किया गया था अथवा नहीं। जी, हां, उनका मूल्यांकन सरकारी क्षेत्र की खानों के उस मुख्य संगठन द्वारा किया गया था जो आपको अच्छी लगती है अर्थात भारतीय खान ब्यूरो। इस दीर्घकालिक प्रक्रिया से ही हम प्रारक्षित मूल्य पर पहुंचे हैं। मूल्यांकन किए जाने के बाद मूल्यांकन समिति ने महसूस किया कि प्रबंधन भी जाएगा क्योंकि जून 1998 के पत्र में श्री जी०वी० रामकृष्ण ने कहा था कि मूल्यों में उतार चढ़ाव हो रहा है। यह कारण था। आपने पूछा था कि उन्होंने अपनी सिफारिशों में क्यों परिवर्तन किया और 40 प्रतिशत भागीदारी 51 प्रतिशत कैसे हो गई। ऐसा अल्युमिनियम के मूल्यों में उतार चढ़ाव के कारण हुआ और उन्होंने कहा था कि हमें 40 प्रतिशत पर महत्वपूर्ण भागीदार नहीं मिलेगा।

उन्होंने यह भी कहा कि हमें 51 प्रतिशत पर भी किसी भागीदार को ढूंढ़ना चाहिए और उस पार्टी को प्रबंधन नियंत्रण हस्तान्तरित कर देना चाहिए। यह उनका पत्र है और मैं इस पत्र को आपको पढ़कर सुना सकता हूं।

इस प्रकार मूल्यांकन समिति ने कहा कि चूंकि प्रबंधन नियंत्रण को हस्तान्तरित किया जा रहा है इसलिए हम नियंत्रण प्रीमियम लेंगे। अन्तर राष्ट्रीय सलाहकार से पूछा गया कि क्या प्रीमियम लिया जाए। उन्होंने कहा कि इसकी रेंज 10-15 प्रतिशत थी। लेकिन मूल्यांकन समिति के अधिकारियों ने निर्णय लिया कि वे 25 प्रतिशत लेंगे न कि 10-15 प्रतिशत और तत्पश्चात वे मूल्य पर पहुंचे। 514 करोड़ रुपए के इस प्ररक्षित मूल्य की जानकारी उन अधिकारियों के अतिरिक्त किसी को नहीं थी। बोलियां खुले तरीके से आमंत्रित की गई थीं। बोली दाताओं के प्रतिनिधियों सहित ये सभी व्यक्ति वहां बैठे हुए थे; लिफाफे मुहरबंद थे और उन पर इस प्रकार हस्ताक्षर किए गए कि कोई उनके साथ छेड़छाड़ न कर सके। जब दी गई बोलियां खोली गईं तो यह बात प्रकट हो गई थी कि एक बोली प्ररक्षित मूल्य से काफी कम थी वह 275 करोड़ रुपए की थी। यदि दूसरी भी प्ररक्षित मूल्य से कम होती तो हम समूची प्रक्रिया को पुन: शुरू कर देते लेकिन दूसरी बोली प्ररक्षित मूल्य से अधिक थी और इससे दो गुनी थी। *(व्यवधान)* मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि इसमें ऐसा क्या था जिसके बारे में किसी को भी सन्देह हो सकता है। हो सकता है श्री जोगी मुझसे अधिक कल्पनाशील हों और उन लोगों के बारे में कल्पना कर सकें जो उनके आरोपों को दोहराते हैं। हमने प्रक्रिया का इस ढंग से उपाय निकाला है कि किसी भी चरण में कोई भी व्यक्ति इन निर्णयों से कोई भी एकतरफा लाभ की आशा नहीं कर सकता है। प्रत्येक चरण में प्रतिस्पर्धात्मक बोली होती है। किसी चरण में कोई अकेला अधिकारी निर्णय नहीं लेता। हमेशा अधिकारियों का समूह ही निर्णय लेता है। मंत्रीगण इसमें नहीं आते हैं।

प्रधान मंत्री कार्यालय के बारे में आरोप लगाया गया था। प्रधान मंत्री जी यहां बैठे हैं। इसलिए यह कहते हुए मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है। लेकिन वस्तुस्थिति यह है कि मैं आपको बता सकता हूं कि किसी भी चरण में प्रधान मंत्री कार्यालय के किसी व्यक्ति ने मुझे फोन नहीं किया और न मुझसे ऐसी कोई बात पूछी। ऐसा करने का कोई अवसर नहीं था। मैंने अपने अधिकारियों से कोई पूछताछ नहीं की। मैं क्यों पूछताछ करूं ? उन्होंने मुझे दो बोलियों के बारे में नहीं बताया। उन्होंने मुझे प्ररक्षित मूल्य नहीं बताया। तत्पश्चात् मूल्यांकन समिति द्वारा सचिव (खान) की अध्यक्षता में अन्तर्मंत्रालयीय समूह को अन्तिम सिफारिश की गई और वहां से यह सिफारिश मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में सचिवों की समिति को भेजी गई। उन्होंने उन दो कारणों से इन सिफारिशों का समर्थन किया। प्रथमत: यह प्ररक्षित मूल्य से ऊपर था दूसरे एक बोली दूसरी बोली से दुगनी थी और इसलिए उन्होंने कहा कि यह ''अवार्ड'' बोलीदाता को दिया जा सकता है।

श्री बसुदेव आचार्य : यह बोली दोगुनी क्यों थी ?

श्री अरुण शौरी : कृपया यह बात उन दो लोगों से पूछिए। मैं नहीं जानता कि उनके आकलन क्या हैं। मैं इसका कारण दूंगा। हमें एक सिद्धांत दिया गया है। हमने 'कार्टिलाइजेशन' शब्द का उपयोग किया। और अधिक मूल्य की बोली को न्यायोचित ठहराने के लिए कम मूल्य वाली बोली प्रस्तुत की गई। यही विचार था। हमें यही विपरीत सिद्धांत दिया गया था। *(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या यह बोली को स्वीकार्य योग्य बनाने के लिए है ? अन्यथा निविदाओं को स्वीकार नहीं किया जाता है। *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री श्यामाचरण शुक्ल : 25 परसैंट रिजर्व प्राइस कैसे तय किया है ?

रात्रि 8.00 बजे

श्री अरुण शौरी : आपने रिजर्व प्राइस के बारे में पूछा है, उस पर आ रहा हूं। आप कह रहे हैं कि क्राउन ज्युअल है।

[अनुवाद]

वास्तव में, यह कहना दुखद है। लेकिन क्रमिक सरकारों की उपेक्षा से यह संयंत्र अप्रयोज्यमान हो गया है। यदि इसका पुनरुद्धार किसी बड़े निवेशक द्वारा नहीं किया जाता है, जो सरकार नहीं हो सकती, तो आप देखेंगे कि इससे किसे लाभ होगा और ऐसा किस लिए किया गया है जैसाकि समाचारपत्रों में प्रकाशित हुआ है। *(व्यवधान)*

मैं आपको बालको की प्रति टन विद्युत लागत के बारे में बताऊंगा। *(व्यवधान)* श्री सोमनाथ चटर्जी, हम इस वर्ष के सर्वश्रेष्ठ सांसद से ऐसी आशा नहीं कर सकते।

श्री सोमनाथ चटर्जी : आप कहते हैं कि आप इसे न बताने के लिए बाध्य हैं। मेरा कहना है कि आप इसे बताइए। आप क्यों नहीं बता रहे हैं ?

श्री अरुण शौरी : मैं श्री जोगी नहीं हूं। बालको की विद्युत लागत 25,000 रुपए प्रति टन है और हिन्डाल्को, बिड़ला कम्पनी, की विद्युत लागत 13,400 रुपए प्रति टन है। यदि आप इन दो संयंत्रों को इसी प्रकार चलने दें तो जाहिर है कि बिड़ला संयंत्र को फायदा होगा। बालको की प्रति टन उत्पादन लागत 63,000 रु० है और हिन्डालको का प्रति टन उत्पादन लागत 38,686 रु० है। बिक्रियों के अनुपात के रूप में कर लगाने के बाद मुनाफा बालकों के मामले में 6.2 प्रतिशत होगा और हिन्डालको के मामले में 27.5 प्रतिशत होगा।

डा० नीतिश सेनगुप्ता (कोन्टाई) : नाल्को के संबंध में क्या स्थिति है ?

श्री अरुण शौरी : बालको में प्रति टन विद्युत लागत 25,000 रु० है जबकि नाल्को में यह 16,700 रु० है। क्यों ? ऐसा इसलिए है क्योंकि उनका प्रगालक (स्मेल्टर) आधुनिक प्रौद्योगिकी युक्त है। इसे प्री-बेक्ड एनोड टेक्नॉलॉजी के नाम से जाना जाता है।

श्री श्यामाचरण शुक्ल : विद्युत शुल्क की क्या स्थिति है ?

श्री अरुण शौरी : मैं एक बात कहना चाहता हूं। स्टर्लाइट के बारे में दो अन्य बातें कही गई थीं।

[हिन्दी]

अब मैं आन्सर नहीं देता हूं तो आप कहते हैं कि आन्सर नहीं देते हैं। अगर आपको फैक्ट्स बताता हूं तो आप कहते हैं कि कम्पनी की वकालत कर रहा है। मैं आपको फैक्ट्स बतलाता हूं। इनके फैक्ट्स ये हैं।

[अनुवाद]

यह 3,500 करोड़ रुपये की कम्पनी है। यह भारत के सबसे बड़े तांबे के प्रगालक पर कार्य करती है। इसकी 60 प्रतिशत क्षमता तांबे में है। यह संचार केबल, विशेषत: फाइबर ऑप्टिक्स के मामले में प्रमुख प्रौद्योगिकी है।

श्री बसुदेव आचार्य : इसे कालीसूची में क्यों डाला गया ?

श्री अरुण शौरी : मैं उसी पर आ रहा हूं। अल्यूमिनियम के मामले में एक महत्वपूर्ण बात है। मैं अल्यूमिनियम पर आ रहा हूं।

श्री रूपचन्द पाल : नालको का क्या हुआ ?

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा : आप बिरला के बारे में बता दीजिए।

श्री अरुण शौरी : मैं बता रहा हूं।

[अनुवाद]

श्री अरुण शौरी : तमिलनाडु में मेत्तुर में मालको नामक एक कम्पनी है। यह 60 के दशक के मध्य में निगमित हुई थी। अस्सी के दशक में यह घाटे में जाने लगी। 1991 में इसे रुग्ण घोषित किया गया और इसका मामला बी०आई०एफ०आर० को भेज दिया गया। इसी समूह ने मालको को 1995 में खरीदा। उस समय यह कम्पनी पूर्णत: रुग्ण थी। उन्होंने तीन वर्ष में 400 करोड़ रुपये का निवेश किया और उसका निष्कर्ष यह निकला कि आज यह एक पूर्ण आधुनिक संयंत्र है।

श्री रूपचन्द पाल : आज इसका मार्केट शेयर कितना है ?

अध्यक्ष महोदय : श्री रूपचन्द पाल, आपको उत्तर देने का अधिकार है।

अरुण शौरी : एक बहुत ही रोचक तथ्य है। यहां सभी मित्र श्रमिक वर्ग के बारे में बहुत चिंतित हैं। जो भी श्रमिक वर्ग के बारे में चिन्तित हैं वह यह जरूर जानना चाहेंगे कि इन चार वर्षों में एक भी कामगार को नहीं निकाला गया है। वस्तुत:, 1995 में कामगारों की औसत परिलब्धियां 59,000 रुपये प्रति वर्ष थीं जो आज 1,60,000 रु० प्रति कामगार प्रति वर्ष हैं।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले : लेकिन एक साल बाद क्या होगा ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए।

श्री रामदास आठवले : सर, वहां की लेबर का एक साल के बाद क्या हाल होगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री रामदास आठवले, कृपया बैठ जाइए। यह क्या हो रहा है ?

[हिन्दी]

श्री अरुण शौरी : आठवले साहब मैं लेबर के बारे में बता रहा हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, आपको जवाब देने की जरूरत नहीं है।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले : वहां सात हजार मजदूरों का सवाल है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : पहले कृपया बैठिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बैठेंगे या नहीं।

[अनुवाद]

बहुत हो चुका, श्री आठवले। आप कृपया बैठ जाइए।

[हिन्दी]

आप हाउस में क्या कर रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप हाउस में कैसा बिहेव कर रहे हैं। आपको मालूम नहीं है कि आप बार-बार हाउस डिस्टर्ब कर रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री अरुण शौरी : अध्यक्ष महोदय, श्रमिकों के मामले में सरकार ने सराहनीय कार्य किया है। हमने शेयर धारकों के साथ हुए समझौते में सुनिश्चित किया है – इसमें कहा गया है दोनों पक्ष यह परिकल्पना करते हैं कि आज की तारीख में कम्पनी में नियोजित कर्मचारी बने रहेंगे।

खंड 7 (ङ) में कहा गया है कि महत्वपूर्ण खरीददार खरीद की अन्तिम तारीख से एक वर्ष की अवधि तक कम्पनी के श्रमिक बल के किसी भाग में छंटनी नहीं करेगा।

श्री बसुदेव आचार्य : एक वर्ष ही क्यों ?

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : बसुदेव आचार्य यह ठीक नहीं है।

[अनुवाद]

श्री अरुण शौरी : कृपया सुनिए। बीच में मत कूदिए। खंड 7.2(च) कहता है बशर्ते कि खंड (ङ) *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यदि आप अध्यक्षपीठ को सम्बोधित करके अपनी बात कहें तो इन व्यवधानों से बच सकते हैं। आप सदस्यगणों को क्यों सम्बोधित कर रहे हैं ?

श्री अरुण शौरी : महोदय, मैं वही करूंगा।

इसमें कहा गया है कि कम्पनी में श्रमिक बल का पुनर्गठन का कार्यान्वयन बोर्ड द्वारा अनुशंसित तरीके से और लागू होने वाले कानूनों के अनुसार होगा। मायावती जो यदि आरक्षण भी कानून है तो यह वहां लागू होगा। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री आचार्य, आप मंत्री महोदय को जवाब देने से रोक रहे हैं। यह क्या है ? यदि आपको कोई स्पष्टीकरण चाहिए तो आप मंत्री जी का जवाब पूरा हो जाने के बाद ले सकते हैं, उन्हें बाधा पहुंचाकर नहीं। आप हर बार मंत्री जी के भाषण में बाधा डालते हैं।

(व्यवधान)

श्री एस० जयपाल रेड्डी (मिरयालगुडा) : क्या मंत्री जी माननीय सदस्य को बोलने का अवसर देने के लिए सहमत हैं। *(व्यवधान)*

श्री अरुण शौरी : मैं अभी अपनी बात समाप्त करता हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वह अभी माननीय सदस्य को बोलने का अवसर नहीं दे रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री एस० जयपाल रेड्डी : उन्होंने सभा का अनादर किया। जब एक कम्पनी निजी हाथों में चली जाती है तो आरक्षण के लिए कोई कानून नहीं रह जाता। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : वह आपको अवसर नहीं दे रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री अरुण शौरी : खंड में आगे कहा गया है कि महत्वपूर्ण भागीदार कर्मचारियों की संख्या में कमी करने की स्थिति में – यह श्री सुदीप बंद्योपाध्याय द्वारा सेवा शर्तों के बारे में उठाए गए मुद्दे के संबंध में है – यह सुनिश्चित करेगा कि कम्पनी अपने कर्मचारियों को ऐसी शर्तों पर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के ऐसे विकल्प का प्रस्ताव करें जो कम्पनी द्वारा आज के दिन चलाई जा रही स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना से किसी भी प्रकार कम लाभकारी न हो।

खंड 3.4 में हमने व्यवस्था की है कि सरकार बाद में कर्मचारियों को 5 प्रतिशत भागीदारी दे सकती है – ठीक वैसे ही जैसा आप चाहते थे। *(व्यवधान)*

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय : पांच प्रतिशत बहुत कम है। आप इसे 10 से 15 प्रतिशत करने का प्रयास करें। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री सुदीप बंद्योपाध्याय, आप बोल चुके हैं फिर भी मंत्री जी को बोलने नहीं दे रहे। *(व्यवधान)*

श्री अरुण शौरी : परिसम्पत्तियां कम करने का प्रश्न उठाया गया था। यह कहा गया था कि कोई भी आकर कम्पनी की परिसम्पत्तियां को अलग कर सकता है और उसे बेच सकता है क्योंकि मूल्य-निर्धारण बहुत कम किया गया है और, तब लोग बेरोजगार हो जाएंगे। हमने शेयर धारकों के साथ हुए समझौते में श्रमसाध्य वार्ता के बाद यह व्यवस्था की है कि तीन वर्ष तक कोई परिसम्पत्ति नहीं बेची जाएगी।

दूसरे, हमने यह भी व्यवस्था की है कि महत्वपूर्ण भागीदार सरकारी निदेशकों की सहमति के बिना स्थायी निवल परिसम्पत्तियों में से 20 प्रतिशत से अधिक परिसम्पत्तियां नहीं बेच सकता।

तीसरे, परिसम्पत्ति बेचने पर हमने भारी दंड की व्यवस्था की है। यदि इसका कोई सबूत मिलता है तो महत्वपूर्ण भागीदार को अपनी भागीदारी 50 प्रतिशत छूट के साथ सरकार को बेचनी होंगी। ये सब बातें इसीलिए की गई हैं कि यहां जो भी आशंकाएं उठाई गई हैं हम उनके प्रति सतर्क हैं।

महोदय, मैं मूल्य निर्धारण और अन्य बातों के विस्तार में जा सकता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने अधिकांश मुद्दों पर अपनी बात कह दी है। मैं अंत में एक अनुरोध करना चाहता हूं। मैं माननीय वित्त मंत्री की बात का समर्थन ही करूंगा और केवल एक मिनट का ही समय लूंगा।

पहली बात यह है कि व्यवहार में सहमति है और सभा में यह प्रयास होना चाहिए कि हम सब मिलकर उस पर अमल करें ना कि एक-दूसरे की खिंचाई करें।

दूसरी बात यह है कि एक-दूसरे की आलोचना करने से हम अन्य देशों को अपने से आगे निकलने की आधार भूमि ही मुहैया करा रहे हैं। चीन के मामले में, ऐसे सभी निर्णय 10 दिन से तीन महीने के भीतर लागू किए जा रहे हैं। यहां जब चार साल बाद ये लागू होते हैं तो हम कहते हैं कि जल्दबाजी हो रही है। इसके फलस्वरूप,

[श्री अरुण शौरी]

चीन में प्रतिवर्ष $40 से $45 बिलियन का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हो रहा है जबकि हम $1.5 से $2 बिलियन पर अटके हुए हैं। क्या हो रहा है ? यही नहीं है कि चीन में अधिक निवेश हो रहा है बल्कि वहां इन संसाधनों की सहायता से एक के बाद दूसरे उद्योग का आधुनिकीकरण हो पा रहा है। इन वर्षों में उन्होंने अपने वस्त्र उद्योग का पूर्णत: आधुनिकीकरण कर लिया है जबकि हमने अपनी पश्चगामी नीतियों के कारण अपने वस्त्र उद्योग को तबाह कर लिया है। श्री काशीराम राणा वस्त्र उद्योग में इन नीतियों का प्रभाव कम करने के लिए कठिन प्रयास कर रहे हैं। आप मेरी बात गांठ बांध लें, आज से दो वर्ष बाद कोटा व्यवस्था खत्म होते ही चीनी वस्त्र विश्व बाजार पर कब्जा कर लेंगे। हमें इस बात पर चिंता हो रही है कि चीनी सामान भारत में ही हमें पछाड़ रहा है। यदि हम भारत में उनसे टक्कर नहीं ले सकते तो शेष विश्व में कैसे उनका मुकाबला करेंगे ? इस तरह की पश्चगामी आम बहस और तर्कसंगत, सही और पारदर्शी निर्णयों पर विलम्ब होना देश को पीछे ले जा रहा है। अत: मुझे आशा है कि जो प्रस्ताव रखा गया है यह सभा उसे अस्वीकृत कर देगी।

अध्यक्ष महोदय : श्री रूपचन्द पाल, अब आप अपना स्पष्टीकरण मांग सकते हैं।

[हिन्दी]

कुमारी मायावती : माननीय अध्यक्ष जी, मैं सिर्फ एक मिनट लूंगी। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : रूपचन्द पाल जी से पहले नहीं। रूल्स परमिट नहीं करते।

[अनुवाद]

मैडम, उन्होंने प्रस्ताव रखा है। सबसे पहले उन्हें स्पष्टीकरण मांगना है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री रूपचन्द पाल (हुगली) : अध्यक्ष महोदय, मैं वाद-विवाद में भाग लेने वाले माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं *(व्यवधान)* लेकिन सरकार की ओर से बोलने वाले दोनों माननीय मंत्रीगण इस ओर से उठाए गए मुद्दों का उत्तर देने में पूर्णत: असफल रहे हैं – मैं इस बात को जोर दे कर कहता हूं – पूर्णत: असफल रहे हैं।

महोदय, मैं जहां मंत्री महोदय ने अपना भाषण समाप्त किया है वहां से शुरू करता हूं। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : रात्रि के 8.15 बज चुके हैं। कृपया व्यवधान न उत्पन्न करें।

श्री रूपचन्द पाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी यह कह कर सदन को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं कि निजी क्षेत्र उनका कहा मानेगा, और श्रमिकों का रोजगार सुनिश्चित किया जा सकेगा, कि उनके वेतन, वरिष्ठता आदि पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण बनाया रखा जा सकेगा। मुझे श्री अरुण शौरी जैसे मंत्री से ऐसी आशा नहीं थी। निजी क्षेत्र उनका कहा कभी भी नहीं मानेगा। क्या वे उनकी बांत सुन रहे हैं ? कल ही माननीय वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में इस सरकार के विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया था कि सरकार किस प्रकार श्रम कानूनों को बदलना और देश के मजदूरों को सड़क पर लाना चाहती है। सर्वप्रथम मैं इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूं।

विनिवेश के प्रभारी मंत्री *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया धैर्य रखें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। कृपया समझने का प्रयास करें।

(व्यवधान)

श्री रूपचन्द पाल : जब तक मुझे बोलने का मौका नहीं दिया जाता, मैं नहीं बैठूंगा। माननीय मंत्रीजी व्यावहारिक मतैक्य की बात कर रहे हैं। क्या सरकार में मतैक्य है ? मैं एक लेख पढ़ कर सुनाता हूं। महोदय, मैं आपका ध्यान चाहता हूं और उसके बाद मैं बताऊंगा कि इसे मैंने कहां से उद्धृत किया है। इसमें कहा गया है :

> ''बालको हर दृष्टि से संदेहास्पद सौदा है, मूल्य गलत है, तरीका अपारदर्शी और अविश्वसनीय है; खरीददार का चुनाव दुर्भाग्यपूर्ण है और इस भयंकर भूल जो जल्दी ठीक करने की आवश्यकता है अन्यथा हम विश्वसनीयता खो देंगे।''

(व्यवधान) क्या यह सी०पी०एम० के दस्तावेज से है ? क्या उन्हें मालूम है इसका लेखक कौन है ? यह एक सार्वजनिक दस्तावेज है और इसके लेखक प्रातीश नंदी हैं जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठ-बंधन के भागीदार दल के सदस्य हैं। क्या वे इसे नकार सकते हैं ?

(व्यवधान) इतना ही नहीं, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का एक और भागीदार दल, तृणमूल कांग्रेस, यह आश्वासन चाहता था कि श्रमिकों का रोज़गार सुरक्षित रहेगा। जिस कम्पनी में 51 प्रतिशत शेयर निजी क्षेत्र के नियंत्रण में हो उसमें रोज़गार सुरक्षा नहीं हो सकती है। वे यह आश्वासन चाहते थे कि सभी दस्तोवज़ सदन के सामने रखे जाएंगे और पारदर्शिता बरती जाए।

मैंने दो-तीन प्रश्न पूछे हैं, लेकिन उन्होंने इन्हें टाल दिया है। क्या सरकार इस एल्यूमीनियम कम्पनी की लागत लेखा परीक्षा संबंधी ब्यौरा सभा पटल पर रखेगी ? एल्यूमीनियम उद्योग की लागत लेखा परीक्षा होती है और ब्यौरेवार लागत लेखा परीक्षा से जमीन, खानों, मशीनरी और अस्पतालों, टाउनशिपों आदि जैसी संबंधित सम्पत्तियों

का मूल्य मालूम हो सकेगा। उन्होंने इसे टाल दिया है। मैंने मांग की है कि लागत लेखा परीक्षा संबंधी सभी दस्तावेज़ सभा पटल पर रखे जाएं।

महोदय, उन्होंने बड़े मुखर स्वर में कहा था कि सौदे होने के तत्काल बाद उन्हें नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के पास भेज दिया जाएगा। श्री एन०डी० तिवारी यहां मौजूद नहीं हैं, लेकिन मेरे ऐसे बहुत से सहयोगी मौजूद हैं जो लोक लेखा समिति के सदस्य हैं। एक बार हमें एक विशेष परिस्थिति का सामना करना पड़ा। इस बात पर उच्चतम न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई थी कि सरकार नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों पर ध्यान नहीं दे रही है। इस संबंध में लोक लेखा समिति क्या कर सकती है ? हमने कई दिनों तक सोच विचार किया कि इस बारे में क्या किया जाए और हम उस जनहित याचिका से सम्बद्ध हो गए। *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री विजय गोयल (चांदनी चौक) : मैं भी उस कमेटी का सदस्य हूं। जो ऑब्ज़र्वेशन था, वह इस गवर्नमैंट के बारे में नहीं था। इससे पहले की गवर्नमैंट के बारे में था। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री रूपचन्द पाल : मैं नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों पर सरकार की प्रतिक्रिया के बारे में बात कर रहा हूं। हमने इसकी जांच की है। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह तरीका उत्तर देने का है, स्पष्टीकरण मांगने का नहीं।

श्री रूपचन्द पाल : महोदय, सौदा हो जाने के बाद भी यदि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा टिप्पणियां की जाएं तो भी वे कुछ नहीं करेंगे। नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक ने स्वैच्छिक आय घोषणा योजना, वी०डी०आई०एस० के बारे में अत्यंत कठोर टिप्पणियां की हैं। इस बारे में इन लोगों ने क्या किया ? ट्राई के मामले को लें। उन्होंने ट्राई को नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कार्य क्षेत्र से बाहर कर दिया क्योंकि उन्होंने कुछ गंभीर टिप्पणियां की थीं। इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वे यह न कहें कि इन सौदों के पूरा होते ही इन्हें नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के पास भेज दिया जाएगा। यही भी सदन को गुमराह करने का ही एक तरीका है। *(व्यवधान)*

श्री अरुण शौरी : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को अध्यक्ष पीठ को संबोधित करना चाहिए।

श्री रूपचन्द पाल : मैं अध्यक्ष पीठ को ही सम्बोधित कर रहा हूं, लेकिन घूम-घूम कर इसलिए बोल रहा हूं ताकि माननीय मंत्री महोदय भी मेरी बात को सुन सकें। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवस्था बनाए रखें।

श्री रूपचन्द पाल : पांच बोलीदाता ये और वे बड़े देशभक्त बन गए। बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को इसकी अनुमति कैसे दी जा सकती है ? अल्कोआ ने कारण बताने और आवश्यक दस्तावेजों की मांग करने के लिए टेलीफोन पर बात की है। सब कुछ रिकॉर्ड में है।

केवल अल्कोआ की बोली की मौखिक रूप में टेलीफोन पर बात करके वापिस लिया गया। इतनी टिप्पणी काफी है। मुझे आगे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसके पीछे क्या कारण हैं इसका पता तो केवल संयुक्त संसदीय जांच से ही चल सकेगा। इसलिए मैं अपनी मांग दोहराता हूं।

एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण टिप्पणी उस समय की गई जब मैंने बालको की वार्षिक रिपोर्ट को उद्धृत किया, जिसमें एक स्थान पर उल्लेख *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : क्या यह उत्तर देने का ढंग है ? आपने जो कहा पूरे विस्तार से कहा है।

श्री रूपचन्द पाल : महोदय, इसका संबंध देश की सुरक्षा से है। मैंने बालको की वार्षिक रिपोर्ट से पढ़ कर बताया कि बालको अंतरिक्ष, विमान और दूसरी रक्षा संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए महत्वपूर्ण धातु उपलब्ध कराता रहा है। माननीय मंत्री महोदय ने कहा है कि, यह आधा सच है। आधा-सच क्या हो सकता है ? यह सब रिकॉर्ड में है। मैंने यह सब बालको की वार्षिक रिपोर्ट से पढ़ कर सुनाया है। यह आधा सच कैसे हो सकता है ?

महोदय, उनका कहना है कि यह लाभ अर्जित करने वाली इकाई नहीं है। सरकार की रिपोर्ट के अनुसार यह लाभ अर्जित करने वाली इकाई है। उसके पास बड़े खज़ाने हैं। उसका कार्य निष्पादन *(व्यवधान)* मैं इसे फिर से पढ़ता हूं। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री रूपचन्द पाल, कृपया अपनी बात समाप्त करें।

(व्यवधान)

श्री रूपचन्द पाल : मैंने बालको की वार्षिक रिपोर्ट से पढ़ कर सुनाया। मैं इसे फिर से पढ़ कर सुनाता हूं। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप वार्षिक रिपोर्ट पढ़ चुके हैं। कृपया अपनी बात पूरी करें।

(व्यवधान)

श्री रूपचन्द पाल : महोदय, वे इसे मानने से इंकार कर रहे हैं। मैं इसे सभा पटल पर रख सकता हूं। यह वर्ष 1999-2000 की वार्षिक रिपोर्ट है। पिछले 13 वर्षों में इस वर्ष में सबसे अधिक उत्पादन हुआ। क्या मैं गलत कह रहा हूं ? *(व्यवधान)* मैंने राजकोष में योगदान के बारे में पढ़ कर सुनाया। *(व्यवधान)* आधा सच क्या है ? यह वर्ष 1999-2000 की वार्षिक रिपोर्ट है। इसके अलावा यह कम्पनी भारत के रक्षा क्षेत्र को एल्यूमीनियम और विभिन्न रूप में एल्यूमीनियम संबंधी उत्पाद की आपूर्ति करती है।

[श्री रूपचन्द पाल]

क्या मैं गलत कह रहा हूं ? अध्यक्ष महोदय, ये लोग अपनी ही रिपोर्ट को अस्वीकार कर रहे हैं। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री रूपचन्द पाल, कृपया अब अपनी बात समाप्त करें।

(व्यवधान)

श्री रूपचन्द पाल : महोदय वे अपनी ही रिपोर्ट को कैसे अस्वीकार कर सकते हैं ? वे अर्द्ध सत्य कह रहे हैं ? उन्होंने अपनी ही रिपोर्ट को अर्द्ध सत्य कहा है। मैं क्या कर सकता है *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया, अब अपना भाषण समाप्त करें।

(व्यवधान)

श्री रूपचन्द पाल : महोदय, मैं समाप्त कर रहा हूं। *(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : अध्यक्ष महोदय, यदि प्रधान मंत्री और अन्य सभी सदस्यों की मौजूदगी में सदन की कार्यवाही इस प्रकार से चलती है तो भविष्य में सदन में कोई वाद-विवाद कराने की आवश्यकता नहीं है। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवस्था बनाए रखें।

श्री रूपचन्द पाल : महोदय, कम मूल्य लगाए जाने और कम मूल्यांकन के विषय में विनिवेश आयोग द्वारा 1993 से चेतावनियां दी जाती रही हैं। सरकार और मंत्री महोदय को याद होगा कि 'सी० रंगराजन समिति' के नाम से एक समिति गठित की गई थी। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री रूपचन्द पाल, आप उसी बात को फिर दोहरा रहे हैं। यह सब क्या है ?

(व्यवधान)

श्री रूपचन्द पाल : रंगराजन समिति ने सिफारिश की *(व्यवधान)* आप इतने उत्तेजित क्यों हो रहे हैं ? *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया बैठ जाइए। यह सब क्या है ?

(व्यवधान)

श्री रूपचन्द पाल : रंगराजन समिति ने सिफारिश की कि प्रत्येक कम्पनी का मूल्यांकन परिसम्पत्तियों के मूल्य जैसे घटकों को ध्यान में रखते हुए मर्चेंट बैंकिंग फर्म द्वारा कराया जाना चाहिए।

मैं दोहराता हूं, "परिसम्पत्तियों का मूल्य, उसकी बाजार, स्थिति संभावित लाभ, और कम मूल्यांकन की आलोचना से बचना चाहिए।"

यह बात 1993 में कही गई थी। श्री रंगराजन समिति ने चेतावनी दी थी कि यदि सही मूल्यांकन नहीं किया गया, यदि गलत मूल्यांकन किया गया तो देश को बहुमूल्य परिसम्पत्तियों का नुकसान होगा। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, यह सब क्या है ? यह क्या हो रहा है ?

श्री रूपचन्द पाल : लोग, जिनमें मंत्री महोदय भी शामिल हैं, जो निजी क्षेत्र से मिलने वाले लाभ की बात कर रहे हैं। मैं बार-बार कह चुका हूं कि चाहे बैंकिंग क्षेत्र हो, चाहे ग्रामीण विकास हो, चाहे कोई और क्षेत्र हो, इनका कोई सामाजिक उत्तरदायित्व नहीं होता है।

[अनुवाद]

हो सकता है कि श्री प्रभुनाथ सिंह की वक्तत्वशक्ति बढ़ गयी हो। मैं उनकी बात का जवाब नहीं दे रहा हूं। *(व्यवधान)* जनजातीय भूमि के मामले में यदि 'बालको' एक मॉडल है तो इससे विभिन्न राज्यों में काफी परेशानियां उत्पन्न होंगी। जनजातीय लोग पहले से ही उत्तेजित हैं क्योंकि उनकी भूमि को इस तरह से बर्बाद किया गया है। *(व्यवधान)* उन्हें संवैधानिक संरक्षण प्राप्त है। यह सरकार उनकी भूमि को कैसे बर्बाद कर सकती है ? मूल्य निर्धारण से संबंधित किसी भी प्रक्रिया का विरोध करने वाली किसी भी बात मे मैं जरा भी संतुष्ट नहीं हूं; परिसम्पत्ति मूल्य क्यों, छोड़ा गया; गंभीर रूप से बोली न लगाने वाले बोलीदाताओं को क्यों अनुमति प्रदान की गयी; बंदी विनिमय करार की आज्ञा क्यों दी गयी; पहले से संदेहास्पद स्थिति वाली कंपनी के पक्ष में पूर्व-निर्धारित और पक्षपातपूर्ण अधिकार क्यों दिया गया ? अंतत: इससे 'बालको' बर्बाद हो जायेगी। यह राष्ट्र को एक भारी घाटा होगा। मैं इस प्रस्ताव का स्वागत करता हूं *(व्यवधान)* इसीलिए, वे इतने उत्सुक हैं। यह सोचते हुए मैं अपने प्रस्ताव का समर्थन करता हूं, कि सभा इस 'डिवीजन' के संबंध में अपने विचार प्रस्तुत करे। *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये, प्लीज।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : नियम बहुत ही स्पष्ट है। नियम 358(2) के अन्तर्गत, किसी भी सदस्य को एक बार और बोलने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।

[हिन्दी]

कुमारी मायावती : माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक मिनट के लिए बोलना चाहती हूं, आप मेरी बात सुन लीजिए। *(व्यवधान)* माननीय अध्यक्ष जी, आपको एक मिनट के लिए मेरी बात सुननी होगी। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मोशन के अन्दर आप एक बार ही बोल सकती हैं।

(व्यवधान)

कुमारी मायावती : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका केवल एक मिनट का समय लेना चाहती हूं। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : नहीं, मैं किसी को भी बोलने की अनुमति नहीं दे रहा हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री रूपचन्द पाल द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है :

''कि यह सभा भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड के प्रस्तावित विनिवेश का निरनुमोदन करती है।''

जो सदस्य इसके पक्ष में हैं वे कृपया ''हां'' कहें।

कुछ माननीय सदस्य : ''हां''।

अध्यक्ष महोदय : जो सदस्य इसके विरोध में हैं वे कृपया ''नहीं'' कहें।

अनेक माननीय सदस्य : ''नहीं''।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में निर्णय ''नहीं'' वालों के पक्ष में हुआ।

कुछ माननीय महोदय : निर्णय ''हां'' वालों के पक्ष में हुआ। *(व्यवधान)*

रात्रि 8.29 बजे

[हिन्दी]

इस समय कुमारी मायावती तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप मत-विभाजन चाहते हो। दीर्घाएं खाली कर दी जायें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अब दीर्घाएं खाली करा दी गई हैं।

(व्यवधान)

---

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : यह डिबेट नहीं है, वोटिंग का समय है आप अपनी सीट पर जाएं।

रात्रि 8.35 बजे

इस समय कुमारी मायावती तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने-अपने स्थानों पर वापस चले गए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब, महासचिव।

महासचिव के कथन के अलावा कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

महासचिव : स्वचालित मतदान रिकार्डिंग प्रणाली का प्रयोग करते समय सदस्यों से अनुरोध किया जाता है कि निम्नलिखित बातों का ध्यान रखा जाए :

1. मत विभाजन शुरू होने से पहले प्रत्येक सदस्य अपने स्थान पर बैठ जाए और वहीं से इस प्रणाली का उपयोग करें।
2. जैसा कि दिख ही रहा है अध्यक्ष महोदय की कुर्सी के दोनों ओर ''प्रदर्शन पट्ट के ऊपर लाल बल्ब'' जल रहे हैं। इसका अर्थ है कि मतदान प्रणाली शुरू हो चुकी है।
3. मतदान के लिए पहली घंटी के तुरंत बाद दोनों बटनों को एक साथ दबाएं, यथा :
4. (I) हेड फोन प्लेट पर सदस्य के सामने एक ''लाल'' बटन, और

   (II) सीटों के डेस्कों के ऊपर लगे निम्नलिखित बटनों में से कोई एक बटन :

   'पक्ष में' – हरा रंग

   'विपक्ष में' – लाल रंग

   'भाग नहीं लिया' – पीला बटन
5. दोनों बटनों को तब तक दबाए रखना जरूरी है जब तक दूसरी घंटी न सुनाई दे और लाल बल्ब ''बुझ'' न जाएं।

महत्वपूर्ण सूचना :

माननीय सदस्य इस बात का ध्यान रखें कि यदि दूसरी घंटी बजने तक दोनों बटनों को दबायें नहीं रखा जाएगा तो उनकी मत दर्ज नहीं होगा।

6. मत विभाजन के दौरान अम्बर बटन (पी) को न दबाएं। *(व्यवधान)*

7. सदस्य अपने मत को प्रदर्शन बोर्ड और अपनी डेस्क पर भी देख सकते हैं। यदि उनका मत दर्ज नहीं होता है तो वे पर्चियों द्वारा मतदान के लिए कह सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : महासचिव के कथन के अलावा कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : दीर्घाएं पहले ही खाली करा दी गयी हैं।

अब प्रश्न यह है :

"कि सभा भारत एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड के प्रस्तावित विनिवेश का निरनुमोदन करती है।"

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ।

रात्रि 8.38 बजे

पक्ष में

मत विभाजन संख्या 1

अजय कुमार, श्री एस०

अब्दुल्ला कुट्टी, श्री ए०पी०

*अम्बरीश, श्री

*अम्बेडकर, श्री प्रकाश यशवंत

अय्यर, श्री मणि शंकर

अलवी, श्री राशिद

*अहमद, श्री दाऊद

आचार्य, श्री बसुदेव

आठवले, श्री रामदास

ईडन, श्री जार्ज

उस्मानी, श्री ए०एफ० गुलाम

एलानगोवन, श्री पी०डी०

*ओला, श्री शीश राम

कमलनाथ, श्री

कलिअप्पन, श्री के०के०

किन्डिया, श्री पी०आर०

*कुमारासामी, श्री पी०

कुरूप, श्री सुरेश

कृष्णदास, श्री एन०एन०

*कौर, श्रीमती प्रेनीत

खां, श्री अबुल हसनत (जंगीपुर)

*खां, श्री सुनील

*खाबरी, श्री बृजलाल

*गमांग, श्रीमती हेमा

गांधी, श्रीमती सोनिया

गामलिन, श्री जारबोम

*गालिब, श्री जी०एस०

गावित, श्री माणिकराव होडल्या

गोविन्दन, श्री टी०

गौड़ा, श्री जी० पुट्टास्वामी

घाटोवार, श्री पवन सिंह

चक्रवर्ती, श्री स्वदेश

चटर्जी, श्री सोमनाथ

चतुर्वेदी, श्री सत्यव्रत

चिन्नासामी, श्री एम०

चेन्नितला, श्री रमेश

*चौधरी, श्री ए०बी०ए० गनी खां

चौधरी, श्री राम रघुनाथ

चौधरी, श्री विकास

*चौधरी, श्री समर

चौधरी, श्रीमती रीना

चौधरी, श्रीमती सन्तोष

*चौहान, श्री बाल कृष्ण

जहेदी, श्री महबूब

*जायसवाल, श्री श्रीप्रकाश

जालप्पा, श्री आर०एल०

ह्डो, श्री रामेश्वर

डोम, डा० राम चन्द्र,

तिवारी, श्री सुन्दर लाल (रीवा)

दास, श्री नेपाल चन्द्र

दासमुंशी, श्री प्रियरंजन

---

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

**पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

*दिनाकरन, श्री टी०टी०वी०

*दीपक कुमार, श्री

देव, श्री संतोष मोहन,

नायक, श्री ए० वेंकटेश

पटेल, श्री आत्माराम भाई

*पटेल, श्री दह्याभाई वल्लभभाई

*पटेल, श्री धर्म राज सिंह

पांडियन, श्री पी०एच०

पाटिल, श्री अमर सिंह वसंतराव

*पाटिल, श्री आर०एस० (बागलकोट)

पाटील, श्री उत्तमराव

पाटील, श्री भास्करराव

पाटील, श्री शिवराज वि०

*पायलट, श्रीमती रमा

पाल, श्री रूपचन्द

पुगलिया, श्री नरेश

*पोन्नुस्वामी, श्री ई०

प्रमाणिक, प्रो० आर०आर०

प्रेमाजम, प्रो० ए०के०

फारूक, श्री एम०ओ०एच०

*फूलन देवी, श्रीमती

*बंगरप्पा, श्री एस०

बंसल, श्री पवन कुमार

बखला, श्री जोवाकिम

बनातवाला, श्री जी०एम०

बराड़, श्री जे०एस०

बर्मन, श्री रनेन

बलिराम, डा०

बसवराज, श्री जी०एस०

बसु, श्री अनिल

*बोचा, श्री सत्यानारायण

बौरी, श्रीमती संध्या

भगोरा, श्री ताराचन्द

भडाना, श्री अवतार सिंह

भूरिया, श्री कांतिलाल

मंडल, श्री सनत कुमार

मकवाना, श्री सवशीभाई

महंत, डा० चरणदास

*महतो, श्री बीर सिंह

*महाले, श्री हरीभाऊ शंकर

मायावती, कुमारी

मीणा, श्री भैरूलाल

मुत्तेमवार, श्री विलास

मुनियप्पा, श्री के०एच०

मुरलीधरन, श्री के०

*मुरुगेसन, श्री एस०

मुर्मू, श्री रूपचन्द

मूर्ति, श्री ए०के०

मोल्लाह, श्री हन्नान

मोहन, श्री पी०

*यादव, श्री अखिलेश

यादव, श्री बलराम सिंह

राजूखेड़ी, श्री गजेन्द्र सिंह

राजेन्द्र, श्री पी०

राधाकृष्णन, श्री वरकला

*राम सजीवन, श्री

रामुलू, श्री एच०जी०

रायप्रधान, श्री अमर

राव, श्रीमती प्रभा

राष्ट्रपाल, श्री प्रवीण

रियान, श्री बाजू बन

रेड्डी, श्री एन० जनार्दन

रेड्डी, श्री एस० जयपाल

रेड्डी, श्री वाई०एस० विवेकानन्द

लेपचा, श्री एस०पी०

वंगचा, श्री राजकुमार

*पर्चों के माध्यम से मतदान किया।

*पर्चों के माध्यम से मतदान किया।

वर्मा, श्री रवि प्रकाश

वर्मा, श्री राजेश

*व्यास, डा० गिरिजा

शर्मा, कैप्टन सतीश

शिंदे, श्री सुशील कुमार

शिवकुमार, श्री वी०एम०

*शुक्ल, श्री श्यामाचरण

षणमुगम, श्री एन०टी०

सईदुज्जमा, श्री

सनदी, प्रो० आई०जी०

सर, श्री निखिलानन्द

सरडगी, श्री इकबाल अहमद

सरोजा, डा० वी०

सांगतम, श्री के०ए०

सिंधिया, श्री माधवराव

सिंह, श्री खेलसाय

सिंह, श्री चन्द्र भूषण

*सिंह, श्री जयभद्र

सिंह, श्री तिलकधारी प्रसाद

सिंह, श्री बलवीर

*सिंह, श्री राजो

*सिंह, श्रीमती श्यामा

सिंह, सरदार बूटा

सिंह, डा० रघुवंश प्रसाद

*सिंह देव, श्री के०पी०

सुदर्शन, नाच्चीयपन, श्री ई०एम०

सुधीरन, श्री वी०एम०

सुब्बा, श्री एम०के०

*सुमन, श्री रामजीलाल

सुरेश, श्री कोडीकुनील

सेठ, श्री लक्ष्मण

सेन, श्रीमती मिनाती

सेल्वागनपति, श्री टी०एम०

सोराके, श्री विनय कुमार

हमीद, श्री अब्दुल

हसन, श्री मोइनुल

हान्दिक, श्री विजय

विपक्ष में

अडसुल, श्री आनन्दराव विठोबा

अनंत कुमार, श्री

अब्दुल्ला, श्री उमर

अर्गल, श्री अशोक

आंग्ले, श्री रमाकांत

आचार्य, श्री प्रसन्न

*आजाद, श्री कीर्ति झा

आडवाणी, श्री लाल कृष्ण

आदि शंकर, श्री

*आदित्यनाथ, योगी

आर्य, डा० (श्रीमती) अनिता

इन्दौरा, डा० सुशील कुमार

*उमा भारती, कुमारी

उराम, श्री जुएल

*ए० नरेन्द्र, श्री

एर्टकिन्सन, श्री डेन्जिल बी०

एम० मास्टर मथान, श्री

कटारा, श्री बाबूभाई के०

कटारिया, श्री रतन लाल

कन्नप्पन, श्री एम०

कम्बां, श्री राम सिंह

कानूनगो, श्री त्रिलोचन

कुप्पुसामी, श्री सी०

कुमार, श्री अरुण

कुमार, श्री वी० धनंजय

कुलस्ते, श्री फग्गन सिंह

कुसमरिया, डा० रामकृष्ण

कृपलानी, श्री श्रीचन्द

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

कृष्णन, डा० सी०

कृष्णमराजू, श्री

कृष्णमूर्ति, श्री के० बलराम

कृष्णमूर्ति, श्री के०ई०

कृष्णास्वामी, श्री ए०

कौशल, श्री रघुवीर सिंह

खंडेलवाल, श्री विजय कुमार

खण्डूड़ी, मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र

खान, श्री हसन

खुराना, श्री मदन लाल

*खूंटे, श्री पी०आर०

खैरे, श्री चन्द्रकांत

गंगवार, श्री सन्तोष कुमार

गढ़वी, श्री पी०एस०

गवली, कुमारी भावना पुंडलिकराव

गांधी, श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल

गाड्डे, श्री राम मोहन

गावीत, श्री रामदास रूपला

गीते, श्री अनंत गंगाराम

गुढे, श्री अनंत

*गुप्त, प्रो० चमन लाल

गेहलोत, श्री थावरचन्द

गोयल, श्री विजय

गोहेन, श्री राजेन

गौतम, श्रीमती शीला

चक्रवर्ती, श्रीमती विजया

चन्देल, श्री सुरेश

चौखलीया, श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई

चौधरी, श्री निखिल कुमार

चौधरी, श्री पद्मसेन

चौधरी, श्री मणिभाई रामजीभाई

चौधरी, श्री राम टहल

चौधरी, श्री हरिभाई

चौबे, श्री लाल मुनी

चौहान, श्री नंदकुमार सिंह

चौहान, श्री शिवराजसिंह

चौहान, श्री श्रीराम

जगतरक्षकन, डा० एस०

जगन्नाथ, डा० मन्दा

जगमोहन, श्री

जटिया, डा० सत्यानारायण

जयशीलन, डा० ए०डी०के०

जाधव, श्री सुरेश रामराव

जायसवाल, डा० मदन प्रसाद

जायसवाल, श्री शंकर प्रसाद

जावीया, श्री जी०जे०

जीगाजीनागी, श्री रमेश सी०

जैन, श्री पुष्प

जोशी, डा० मुरली मनोहर

जोशी, श्री मनोहर

*झा, श्री रघुनाथ

ठक्कर, श्रीमती जयाबहन बी०

*ठाकुर, डा० सी०पी०

ठाकुर, श्री चुन्नी लाल भाई

डिसूजा, डा० (श्रीमती) बीट्रिक्स

ढिकले, श्री उत्तमराव

तिरुनावकरसू, श्री

तिवारी, श्री लाल बिहारी

तुड्, श्री तरलोचन सिंह

तोमर, डा० रमेश चंद

त्रिपाठी, श्री प्रकाश मणि

त्रिपाठी, श्री ब्रजकिशोर

त्रिपाठी, श्री रामनरेश

दत्तात्रेय, श्री बंडारू

दाहाल, श्री भीम

दिलेर, श्री किशन लाल

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

दिवाथे, श्री नामदेव हरबाजी
देलकर, श्री मोहन एस०
देव, श्री बिक्रम केशरी
नाईक, श्री राम
नाईक, श्री श्रीपाद येस्सो
नायक, श्री अनन्त
नायक, श्री अली मोहम्मद
नीतीश कुमार, श्री
*पटवा, श्री सुन्दर लाल
पटेल, डा० अशोक
पटेल, श्री चन्द्रेश
पटेल, श्री दीपक
पटेल, श्री प्रहलाद सिंह
परमार, श्री दलपत सिंह
पाजपे, श्री प्रकाश
पलानीमनिक्कम, श्री एस०एस०
पवैया, श्री जयभान सिंह
*पांजा, डा० रंजीत कुमार
पांजा, श्री अजित कुमार
पाटसाणी, डा० प्रसन्न कुमार
पाटिल (यत्नाल), श्री बसनगौडा रामनगौड
*पाटील, श्री अन्नासाहेब एम०के०
*पाटील, श्री जयसिंगराव गायकवाड
पाटील, श्री दानवे रावसाहेब
पाटील, श्री बालासाहिब विखे
पाठक, श्री हरिन
पाण्डेय, डा० लक्ष्मीनारायण
पाण्डेय, श्री रवीन्द्र कुमार
पार्थसारथी, श्री बी०के०
पासवान, डा० संजय
पासवान, श्री राम विलास
पासवान, श्री रामचन्द्र
पासी, श्री राजनारायण

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

पोटाई, श्री सोहन
प्रधान, डा० देवेन्द्र
*प्रधान, श्री अशोक
प्रभु, श्री सुरेश
*प्रसाद, श्री वी० श्रीनिवास
फर्नान्डीज, श्री जार्ज
बंद्योपाध्याय, श्री सुदीप
बचदा, श्री बची सिंह रावत
बदनोर, श्री विजयेन्द्र पाल सिंह
बालू, श्री टी०आर०
बिश्नोई, श्री जसवंत सिंह
बिश्वास, श्री आनन्द मोहन
*बेहरा, श्री पद्मनाव
बैंदा, श्री रामचन्द्र
बैठा, श्री महेन्द्र
बैनर्जी, श्रीमती जयश्री
बैस, श्री रमेश
ब्रह्मनैया, श्री ए०
*भगत, प्रो० दुखा
भार्गव, श्री गिरधारी लाल
मंजय लाल, श्री
मलिक, श्री जगन्नाथ
*मल्याला, श्री राजैया
मल्लिकार्जुनप्पा, श्री जी०
मल्होत्रा, डा० विजय कुमार
महताब, श्री भर्तृहरि
महतो, श्रीमती आभा
महरिया, श्री सुभाष
महाजन, श्री वाई०जी०
महाजन, श्रीमती सुमित्रा
मांझी, श्री रामजी
माझी, श्री परसुराम
मान, श्री सिमरनजीत सिंह

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

माने, श्री शिवाजी
मिश्र, श्री राम नगीना
मिश्र, श्री श्याम बिहारी
मीणा, श्रीमती जस कौर
मुखर्जी, श्री एस०बी०
मुण्डा, श्री कड़िया
मुनि लाल, श्री
मुर्मू, श्री सालखन
मूर्ति, श्री एम०वी०वी०एस०
मेहता, श्रीमती जयवंती
मोहले, श्री पुन्नू लाल
यादव, डा० (श्रीमती) सुधा
यादव, डा० जसवंत सिंह
यादव, श्री जगदम्बी प्रसाद
यादव, श्री दिनेश चन्द्र
यादव, श्री देवेन्द्र प्रसाद
यादव, श्री शरद
यादव, श्री हुक्मदेव नारायण
येरननायडू, श्री के०
रमण, डा०
रमैया, डा० बी०बी०
रवि, श्री शीशराम सिंह
राजा, श्री ए०
राजे, श्रीमती वसुन्धरा
राठवा, श्री रामसिंह
राणा, श्री काशीराम
राणा, श्री राजू
राधाकृष्णन, श्री सी०पी०
राधाकृष्णन, श्री पोन
राम, श्री ब्रजमोहन
रामचन्द्रन, श्री गिनगी एन०
रामशकल, श्री
रामैया, श्री गुनीपाटी

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

राव, श्री एस०वी०पी०बी०के० सत्यनारायण
राव, श्री गंता श्रीनिवास
राव, श्री डी०वी०जी० शंकर
*राव, श्री वाई०वी०
राव, श्री सी०एच० विद्यासागर
रावत, प्रो० रासासिंह
रावत, श्री प्रदीप
रावले, श्री मोहन
रूडी, श्री राजीव प्रताप
रेड्डी, श्री ए०पी० जितेन्द्र
*रेड्डी, श्री गुथा सुकेन्द्रर
रेड्डी, श्री पाडा सुरेश
रेनु कुमारी, श्रीमती
वनगा, श्री चिंतामन
वर्मा, प्रो० रीता
वर्मा, श्री रतिलाल कालीदास
वसावा, श्री मनसुखभाई डी०
वाजपेयी, श्री अटल बिहारी
विजयन, श्री ए०के०एस०
विजया कुमारी, श्रीमती डी०एम०
*वीरप्पा, श्री रामचन्द्र
वीरेन्द्र कुमार, श्री
वेंकटस्वामी, डा० एन०
*वेंकटेस्वरलु, प्रो० उम्मारेड्डी
वेंकटेस्वरलु, श्री बी०
वेणुगोपाल, डा० एस०
वेणुगोपाल, श्री डी०
वेत्रिसेलवन, श्री वी०
शर्मा, वैद्य विष्णु दत्त
शशिकुमार, श्री
शांडिल्य, कर्नल (सेवानिवृत्त) डा० धनी राम
शाह, श्री मानवेन्द्र
शाहीन, श्री अब्दुल रशीद

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

श्रीकांतप्पा, श्री डी०सी०

श्रीनिवासुलु, श्री कालवा

संघाणी, श्री दिलीप

सरकार, डा० बिक्रम

सांगवान, श्री किशन सिंह

साथी, श्री हरपाल सिंह

सामन्तराय, श्री प्रभात

साय, श्री विष्णुदेव

साहू, श्री अनादि

साहू, श्री ताराचन्द

सिंह देव, श्रीमती संगीता कुमारी

सिंह, कैप्टन (सेवानिवृत्त) इन्द्र

सिंह, चौधरी तेजवीर

सिंह, डा रामलखन

श्री चन्द्र प्रताप

सिंह, श्री चन्द्र विजय

सिंह, श्री छत्रपाल

सिंह, श्री टी०एच० चाओबा

*सिंह, श्री दिग्विजय

सिंह, श्री प्रभुनाथ

सिंह, श्री बहादुर

सिंह, श्री राधामोहन

सिंह, श्री रामजीवन

सिंह, श्री रामपाल

सिंह, श्री रामानन्द

सिंह, श्री साहिब

सिकदर, श्री तपन

सिन्हा, श्री मनोज

सिन्हा, श्री यशवन्त

सी० सुगुणा कुमारी, डा० (श्रीमती)

सेठी, श्री अर्जुन

सेनगुप्ता, डा० नीतिश

सोलंकी, श्री भूपेन्द्र सिंह

स्वाइं, श्री खारबेल

स्वामी, श्री ईश्वर दयाल

स्वामी, श्री चिन्मयानन्द

हुसैन, श्री सैयद शाहनवाज

---

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

अध्यक्ष महोदय : शुद्धि के अध्यधीन*, मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार है :–

पक्ष में : 119

विपक्ष में : 239

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा कल पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित होती है।

रात्रि 8.42 बजे

तत्पश्चात लोक सभा शुक्रवार, 2 मार्च, 2001/11 फाल्गुन, 1922 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

---

*निम्नलिखित सदस्यों ने पर्ची के माध्यम से मतदान किया :

पक्ष में : सर्वश्री दाऊद अहमद, अम्बरीश, प्रकाश यशवंत अम्बेडकर, एस० बंगरप्पा, सत्यनारायण बोचा, बालकृष्ण चौहान, ए०बी०ए० गनी खां चोधरी, समर चौधरी, दीपक कुमार, टी०टी० वी० दिनाकरन, जी०एस० गालिब, श्रीमती हेमा गमांग, श्री श्रीप्रकाश जायसवाल, श्रीमती प्रेनीत कौर, सर्वश्री बृजलाल खाबरी, सुनील खां, पी० कुमारासामी, हरीभाऊ शंकर महाले, बीर सिंह महतो, एस० मुरूगेसन, शीश राम ओला, दह्याभाई वल्लभभाई पटेल, धर्मराज सिंह पटेल, आर०एस० पाटिल, श्रीमती फूलन देवी, श्रीमती रमा पायलट, सर्व श्री ई० पोन्नुस्वामी, रामसजीवन, श्यामाचरण शुक्ल, श्रीमती श्यामा सिंह, सर्वश्री के०पी० सिंह देव, जयभद्र सिंह, राजो सिंह, रामजी लाल सुमन, डा० गिरिजा व्यास,

श्री अखिलेश यादव : (119+36 = 155-1) श्री रघुनाथ झा ने शुद्धि कर पक्ष से विपक्ष में मतदान किया = 154)

विपक्ष में : सर्वश्री ए० नरेन्द्र योगी आदित्यनाथ, कीर्ति झा आजाद, पदमनाव बेहरा, प्रो० दुखा भगत, प्रो० चमन लाल गुप्त, सर्वश्री सैयद शाहनवाज हुसैन, रघुनाथ झा, पी०आर० खूंटे, राजैया मल्याला, डा० रंजीत कुमार पांजा, सर्वश्री एम०के० अन्नासाहेब पाटील, जयसिंगराव गायकवाड पाटील, सुन्दर लाल पटवा, अशोक प्रधान, वी० श्रीनिवास प्रसाद, वाई०वी०राव, गुथा सुकेन्दर रेड्डी, तपन सिकदर, दिग्विजय सिंह, डा० सी०पी० ठाकुर, कुमारी उमा भारती, श्री रामचन्द्र वीरप्पा, प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु (239+24 = 263)

© 2001 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (नौवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और इंडियन प्रेस, नई दिल्ली-110033 द्वारा मुद्रित।